हिन्दी प्रचार का इतिहास

(आंध्र)

संपादक :
उन्नव राजगोपालकृष्णय्या
भालचंद्र आपटे
रा. शारंगपाणि

प्रकाशक :
आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ
विजयवाड़ा-2
1957

समर्पण

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के प्रधान मंत्री, श्री मोटूरि सत्यनारायणजी के कर-कमलों में, हिन्दी-क्षेत्र में उनकी छत्तीस वर्ष की सुदीर्घ एवं नीरव-निरंतर सेवा की कृतज्ञतापूर्ण संस्मृति में यह 'हिन्दी प्रचार का इतिहास (आंध्र)' अभिनंदन-ग्रंथ के रूप में सादर सप्रेम समर्पित किया जाता है।

हैदराबाद
29-7-1957

श्रीसत्यनारायण-सम्मान-समिति

सम्मान-समिति की तरफ़ से

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री मो. सत्यनारायण का अभिनंदन करते हुए ग्रंथ प्रकाशित कर आंध्र की जनता को समर्पित किया जा रहा है। सन् 1921 की फ़रवरी में जब मैं आंध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम्, में भर्ती हुआ, तभी हम दोनों में घनिष्ठ परिचय हुआ और मित्रता भी बढ़ी। मेरे कलाशाला में भर्ती होने के कुछ ही समय पहले उन्होंने हिन्दी पढ़ना शुरू किया था। मैंने सन् 1920 के अक्तूबर या नवंबर मास में श्री रामभरोसे के पास हिन्दी सीखना आरंभ किया था; जब मैं चौथे फ़ार्म में पढ़ता था। नागपुर-कांग्रेस के निर्णय के अनुसार, तब मैंने उस स्कूल को छोड़ दिया था, जिसमें मैं पढ़ता था, और मछलीपट्टणम की कलाशाला में भर्ती हुआ था। ऐसा मेरा ख़्याल है कि उस समय मैं श्री सत्यनारायण से अधिक हिन्दी जानता था। इसके बाद कुछ ही समय के अंदर वे हमें पीछे छोड़कर इस तेज़ी से आगे बढ़े कि हम इस दौड़ में उन तक पहुँच न सके। उनका हिन्दी पांडित्य इतना आगे बढ़ा कि मानों वह दिग्-दिगंत तक फैल गया, और हम जहाँ के तहाँ रह गये। आज दक्षिण के ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के भी हिन्दी कार्यकर्ता इनसे अच्छी तरह परिचित हैं। श्री सत्यनारायण का जीवन तब से अब तक हिन्दी प्रचार के लिए ही समर्पित है।

मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का निर्माण कर उसे एक विशाल व समर्थ संस्था के रूप में परिणत करने की बात तो हर किसीको प्रसन्न करनेवाली है। इसने हज़ारों पुस्तकें प्रकाशित कीं, लाखों विद्यार्थियों की परीक्षा ली; इसका हिसाब देखने पर हर कोई चकित हुए बिना न रहेगा। श्री सत्यनारायण इस संस्था के मूलपुरुषों में से एक हैं, जिन्हें इसकी दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति

को देखकर खुश होने का सौभाग्य प्राप्त है। वे कई वर्षों से सभा के प्रधान मंत्री हैं, और उन्होंने महात्मा गांधी को सभा में निमंत्रित कर वहीं अतिथि के रूप में रखा, और इस तरह हिन्दी भाषा और उसके प्रचार का महत्व बढ़ाया। इतना ही नहीं, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री राजगोपालाचारी, स्व० श्री जमनालाल बजाज, डा० पट्टाभि सीतारामय्या आदि राष्ट्र के नेताओं के साथ घनिष्ठता बढ़ाकर इस कार्य के लिए आवश्यक सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त किया। कुछ समय तक वर्धा की हिन्दी प्रचार संस्था के मंत्री के पद पर रहकर सारे भारत में हिन्दी प्रचार करके अहिन्दी प्रांतों में हिन्दी प्रचार और हिन्दी भाषा के महत्व को बढ़ाया। केन्द्र-सरकार द्वारा नियुक्त हिन्दी समिति के प्रमुख सदस्य बने रहकर आपने बहुत काम किया। फ़िल्म एनक्वाइरी कमेटी के, स्व० श्री बी. जी. खेर की अध्यक्षता में नियुक्त हिन्दी-आयोग के, और अखिल भारत केन्द्र हिन्दी शिक्षा समिति के एक मुख्य सदस्य की हैसियत से आपने बड़ी दक्षता के साथ काम किया। कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, आप बड़ी दक्षता के साथ उसका निर्वहण करते हैं। कठिन-से-कठिन समस्या भी क्यों न हो, आप उसका सामना करेंगे और बड़ी कुशलता के साथ उसे सुलझायेंगे—समस्या की कठिनता से घबड़ाकर पीछे नहीं हटेंगे।

पुस्तक-प्रकाशन के कार्य की आप अच्छी जानकारी रखते हैं। तेलुगु भाषा समिति के मंत्री की हैसियत से उसका सारा भार अपने ऊपर उठाया और "तेलुगु विज्ञान सर्वस्वमु" की दो ज़िल्दें प्रकाशित करायीं, तथा बाकी ज़िल्दों के प्रकाशन का प्रबंध कर रहे हैं।

संक्षेप में यह कि समूचे दक्षिणापथ में हिन्दी प्रचार कार्य के लिए आपसे बढ़कर काम करनेवाले दूसरे कोई व्यक्ति नहीं हैं। हिन्दी प्रचार और सत्यनारायण में अविनाभाव-संबंध है। इसी कारण से राष्ट्रपति ने आपको राज्य-सभा के सदस्य मनोनीत किया और इससे आपके सभी प्रेमी मित्रों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई।

श्री सत्यनारायण की 36 वर्षों की अनवरत हिन्दी सेवा के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश के हिन्दी प्रचारक बन्धुओं की तरफ़ से यह भेंट अभिनंदन-ग्रंथ के रूप में आपको समर्पित की जा रही है, जिसके लिए आप सर्वथा योग्य हैं। इस सुअवसर पर श्री सत्यनारायण को मेरी हार्दिक बधाइयाँ।

हैदराबाद,
21-7-'57

बी. गोपाल रेड्डी
अध्यक्ष, श्रीसत्यनारायण-सम्मान-समिति

संपादकीय निवेदन

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार आंदोलन के इतिहास पर जब हम ध्यान देते हैं, तब श्री मोटूरि सत्यनारायणजी का प्रबल व्यक्तित्व हमें पग-पग पर प्रभावित करता है।

श्री सत्यनारायणजी ने गत 36 वर्षों से आन्ध्र में ही नहीं, समूचे दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का जो नेतृत्व किया है, उससे सारा भारत परिचित है। उनके प्रति भारत-भर के हिन्दी प्रेमी, प्रचारक और विद्यार्थी जो प्रेम और आदर-भाव रखते हैं, उसके प्रतीकस्वरूप ही अभिनंदन के रूप में यह 'हिन्दी प्रचार का इतिहास' उनको समर्पित किया जा रहा है। एक सफल-सिद्ध हिन्दी प्रचारक को ऐसा प्रेमोपहार प्रदान करना कितना उचित एवं उपयुक्त लगता है!

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ ने कुछ दिन पूर्व श्री सत्यनारायणजी का अभिनंदन करने के उद्देश्य से इस अभिनंदन-ग्रंथ की योजना बनायी, तो भारत-भर से संघ को उत्साहवर्द्धक कई संदेश मिलने लगे। उसीका परिणाम है कि हम यह ग्रंथ तैयार कर सके।

इस ग्रंथ की सामग्री तीन भागों में विभक्त है। पहले भाग में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार आंदोलन, सभा का उद्भव, उसके कार्य और प्रमुख कार्यकर्त्ता आदि से संबंधित कुछ परिचयात्मक लेख प्रकाशित हैं। दूसरे भाग में श्री मोटूरि सत्यनारायणजी के कुछ ऐसे लेख संगृहीत हैं, जो कि उनकी अनोखी प्रतिभा का परिचय कराते हुए उनकी बहुमुखी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरे भाग में विशेषतया आंध्र के, और साधारणतया अन्य प्रांतों के भी हिन्दी प्रचारकों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। हिन्दी प्रचार आंदोलन के विकास-वर्द्धन-संबंधी चित्र और आंकड़े भी यत्र-तत्र प्रकाशित किये गये हैं।

दक्षिण में हिन्दी प्रचार का कार्य, ठीक कहा जाय, तो अधिकांश में सत्यनारायणजी का ही कार्य है। अतः, इस ग्रंथ में संगृहीत सामग्री उन्हींकी वस्तु है, जो अब उन्हींके कर-कमलों में समर्पित की जा रही है—'*त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम्!*' सीमित साधन और समयाभाव के कारण, इस ग्रंथ में

जितनी सामग्री देनी चाहिए थी, सब नहीं दी जा सकी, और बहुत महत्वपूर्ण बातें संभवतः छूट भी गयी हों। इसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।

श्री सत्यनारायणजी ने इस ग्रंथ में अपने अमूल्य लेख प्रकाशित करने की अनुमति देकर हमें अनुगृहीत किया है। इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं। जिन प्रचारकों ने अपना-अपना परिचय तथा फ़ोटो समय पर प्रकाशनार्थ भेजे थे, उनको इस ग्रंथ में स्थान मिल सका है। जिन प्रचारक बंधुओं का परिचय तथा फ़ोटो विलंब से प्राप्त हुए, उनको यथासंभव परिशिष्ट में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है। कई विद्वानों और नेताओं ने अपने अमूल्य लेख तथा संदेश इस ग्रंथ में प्रकाशनार्थ भेजे हैं; उनको हम अपना हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

यह ग्रंथ अब इतने कम समय में और इस परिमाण में शायद ही तैयार हुआ होता, यदि हमारे मित्रवर श्री पी. वेंकटाचल शर्मा और श्री वेमूरि राधा-कृष्णमूर्ति का सामयिक तथा संपूर्ण सहयोग हमें नहीं मिलता। अतएव हम उन दोनों के भी ऋणी हैं।

हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि ग्रंथ-समर्पण का कार्य राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के हाथों संपन्न हो रहा है। राष्ट्रपतिजी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष भी हैं, और हिन्दी प्रचार आन्दोलन के प्रारंभ से ही उसके एक प्रधान मार्ग-दर्शक रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में ग्रंथ-समर्पण का उत्सव हो, यह सभी हिन्दी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत आनंद की बात है।

श्री सत्यनारायणजी के कर-कमलों में समस्त हिन्दी प्रेमियों, प्रचारकों, विद्यार्थियों, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ तथा हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ की तरफ़ से 'श्रीसत्यनारायण-सम्मान-समिति' द्वारा यह ग्रंथ समर्पित करवाते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ईश्वर करे, श्री सत्यनारायणजी चिरायु रहकर हमारे हिन्दी प्रचार आंदोलन का अधिकाधिक सफलता के साथ नेतृत्व करें!

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ,
विजयवाड़ा-2
ता. 29-7-1957

उन्नव राजगोपालकृष्णय्या
भालचंद्र आपटे
रा. शारंगपाणि

प्रकाशकों की ओर से

'हिन्दी प्रचार का इतिहास' इस रूप में हिन्दी प्रेमियों के सामने प्रस्तुत करते हम अत्यंत आनंत का अनुभव कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यह 'हिन्दी प्रचार का इतिहास' संक्षिप्त एवं असंपूर्ण है। आशा है, सहृदय पाठक इस 'इतिहास' को तैयार करने, इसके लिए आवश्यक सामग्री, फ़ोटो व परिचय आदि इकट्ठा करने और इसे प्रकाशित करने में जो कठिनाइयाँ हैं, उनको मद्दे नज़र रखकर हमारी कमियों को क्षमा करेंगे।

इस 'इतिहास' के पूर्व-इतिहास के संबंध में भी पाठकों से कुछ निवेदन करना हम ज़रूरी समझते हैं। यह सर्वविदित है कि दक्षिण भारत में महात्मा गान्धीजी ने सन् 1918 में हिन्दी प्रचार आन्दोलन प्रारंभ किया। उनके पुत्र स्व० देवदास गान्धी ने मद्रास में हिन्दी का बीजारोपण किया। पं. हरिहर शर्मा जी ने उस बीज को पौधा बनाया। हिन्दी प्रचार के इस पौधे को महावृक्ष बनाने का सारा श्रेय दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री श्री मोटूरि सत्यनारायण जी, एम.पी., को है। 'हिन्दी प्रचार का इतिहास' तैयार करने की कल्पना भी श्री मो. सत्यनारायणजी ने ही पहले-पहल की थी। 1946 में पूज्य महात्मा गान्धी की अध्यक्षता में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का रजत-जयंती-उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उस उत्सव में सारे दक्षिण भारत ने भाग लिया। उसी अवसर पर 'हिन्दी प्रचार का इतिहास' भी प्रकाशित करने की आयोजना बनाया गयी थी। इतिहास के लिए आवश्यक विवरण व फ़ोटो आदि भी कुछ प्रचारकों से मँगाये गये थे; किंतु उस समय कागज़ का अभाव और अन्य कारणों से यह कार्य संपन्न न हो सका। इस कारण उक्त योजना स्थगित करनी पड़ी।

बाद, सन् 1953 के अक्तूबर मास में आन्ध्र राज्य की स्थापना हो गयी। 'आन्ध्र पत्रिका' के संपादक ने उस अवसर पर 'आन्ध्र देश में हिन्दी प्रचार का आन्दोलन' विषय पर लेख माँगा। हमने एक विस्तृत लेख लिखकर भेजा, और वह उस समय 'आन्ध्र पत्रिका' में प्रकाशित हुआ। सन् 1954 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ ने अपनी तरफ़ से हिन्दी प्रचार इतिहास प्रकाशित करने का निश्चय किया। फिर 1955 से 'हिन्दी प्रचार इतिहास' के लिए विवरण व फ़ोटो आदि इकट्ठा करने का कार्य शुरू किया गया। इस इतिहास के संपादन-कार्य का भार उठाने श्री भालचंद्र आपटे 'शास्त्री' से प्रार्थना की गयी, तो उन्होंने सहर्ष इसे स्वीकार किया। हम इस कार्य को एक ही वर्ष में पूरा करना चाहते थे। पर

आवश्यक सामग्री का संग्रह करने में काफ़ी समय लगा। तीन वर्षों में पूरा करके अब इसे हम हिन्दी प्रेमियों के सामने रख रहे हैं।

इस 'इतिहास' का प्रारंभ तो 1955 में ही आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के द्वारा हुआ हुआ, जब आन्ध्र देश की राजधानी कर्नूल थी। उसके बाद 1956 नवंबर में आन्ध्र प्रदेश की स्थापना हुई, जिसमें पुराने आन्ध्र प्रान्त के 11 ज़िलों के साथ-साथ हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रान्त के 9 ज़िले भी शामिल किये गये हैं। इस विशाल आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद बन गयी है। इस नये राज्य की स्थापना के बाद 1957 में, पुराने आन्ध्र प्रान्त के 11 ज़िलों में कार्य करनेवाली संस्था आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, व तेलंगाना के 9 ज़िलों में कार्य करनेवाली संस्था हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ, दोनों का विलीनीकरण हुआ। अब सारे आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा-आन्ध्र प्रचार कार्य करती है, जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है।

इस कार्य में जिन महाशयों ने हमारी सहायता की है, उनको धन्यवाद दिये बिना यह निवेदन असंपूर्ण रहेगा। जिन प्रेमी मंडलियों तथा प्रचारकों ने अपना-अपना परिचय भेजा है, उन सबको हमारे धन्यवाद। इसके संपादन में पहले श्री भालचंद्र आपटे ने और बाद को श्री शारंगपाणि ने जो सहायता दी है, उसके लिये प्रकाशक उनके ऋणी हैं। जिन प्रचारक बंधुओं ने इसमें प्रकाशनार्थ लेख भेजे, और जिनके लेख इसमें छपे हैं, उन सबके हम आभारी हैं। स्थानाभाव के कारण जिनके लेख हम छाप नहीं सके, उनसे क्षमा-याचना करते हैं।

इस 'इतिहास' की छपाई का काम दो स्थानों में हुआ है। इतिहास तथा लेख संबंधी सामग्री मद्रास के हिन्दी प्रचार प्रेस में छपी है। उसको सजाने-सँवारने का काम सर्वश्री शारंगपाणि, गोविंद अवस्थी तथा वेंकटाचल शर्मा ने किया है। उसके लिये हम उनके अत्यंत आभारी हैं। प्रचारकों के परिचय और प्रेमी मंडलियों व केंद्रों के परिचय संबंधी इसके अन्य भाग विजयवाड़ा के आन्ध्र हिन्दी प्रचार प्रेस में छपे हैं। इस 'इतिहास' को तैयार करने तथा प्रूफ़ ठीक करने में हमारी सभा के कार्यकर्ता सर्वश्री दशिक सूर्यप्रकाश राव, अड्डुमिल्लि कृष्णमूर्ति, कोसनम महेश्वर राव, पोतराजु सीतारामाराव, मोट्टूरी वेंकटेश्वर राव, उन्नव अप्पाराव, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु आदि ने अथक परिश्रम किया है। उनकी सेवाओं का उल्लेख किये बिना हम नहीं रह सकते।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा-आन्ध्र
हैदराबाद : : ता. 20-2-1958

उन्नव राजगोपालकृष्णय्या
मंत्री

संदेश

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के प्रधान मंत्री, श्री मोटूरि सत्यनारायणजी ने हिन्दी प्रचार क्षेत्र की जो सुदीर्घ एवं नीरव-निरन्तर सेवा की है, उसकी 36 वर्ष की पूर्ति के अवसर पर, उनके सम्मानार्थ आयोजित अभिनंदनग्रंथ-समर्पणोत्सव के उपलक्ष्य में देश के गण्य-मान्य नेताओं से प्राप्त संदेशों में से कुछ यों हैं :—

डॉक्टर एस. राधाकृष्णन,

उप-राष्ट्रपति, भारत संघ—

"....मुझे यह जानकर हर्ष हो रहा है कि आप श्री मो. सत्यनारायण को, जिन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी क्षेत्र की 36 वर्ष तक संलग्न सेवा की है, सम्मानित करनेवाले हैं। आजकल वे राज्य-सभा के सदस्य हैं, और बहुत शुद्ध शैली में हिन्दी बोलते हैं। वे चिरायु रहें!"

नयी दिल्ली, 6-7-'57

* * *

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

"मुझे बड़ा हर्ष है कि श्री मो. सत्यनारायण को अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करके, दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के लिए उनकी की हुई सेवाओं का विशेष सम्मान किया जा रहा है। श्री हरिहर शर्मा के अच्छे कार्य को श्री सत्यनारायण ने जैसे जारी रखा है, सुस्थिर और उन्नत किया है, वैसे अन्य किसीने नहीं किया होगा।"

मद्रास, 8-7-'57

* * *

डॉक्टर बी. पट्टाभि सीतारामय्या

"श्री मोटूरि सत्यनारायण ने अपनी ही इच्छा के कार्य-क्षेत्र को अपने लिए लगभग एक पीढ़ी पहले चुन लिया। अपनी समस्त शक्ति और सेवाभाव उसके लिए उन्होंने अर्पित कर दिया है। ठीक ही वे संसद के लिए चुने गये हैं, ताकि वे वहाँ भी अपनी सेवाओं को विस्तृत कर सकें। उनको अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करने की इस योजना की मैं सराहना करता हूँ। वे चिरायु रहें, और अपनी संपूर्ण शक्ति और उत्साह के साथ अपने देशवासियों की सेवा करें!"

हैदराबाद, 11-7-'57

* * *

संत विनोबा

"सत्यनारायणजी ने हिन्दी प्रचार का जो काम दक्षिण भारत में किया है, उसे कौन नहीं जानता? हिन्दी प्रचार की एक भूमिका अब समाप्त हो चुकी है, और दूसरी भूमिका, जिसमें हिन्दी प्रचार को समग्र दृष्टि से सर्वोदय का एक अंग बनना है, शुरू हो रही है। इस नये आरोहण-कार्य में सत्यनारायणजी की योजना-शक्ति बहुत काम आ सकनेवाली है। उनके जीवन का उत्तरकांड पूर्वकांड से भी अधिक उज्ज्वल और स्फूर्तिवान् हो, यही कामना है।"

* * *

डॉक्टर बी. रामकृष्णराव,

राज्यपाल, केरल :—

"....यह बिलकुल ही उचित है कि आपकी समिति ने मेरे माननीय मित्र श्री मो. सत्यनारायण को, हिन्दी क्षेत्र में उनकी निरंतर सेवा के 36 वर्षों की पूर्ति के अवसर पर एक अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करने का निश्चय किया है। हिन्दी प्रचार के लिए, विशेषकर दक्षिण भारत में, उन्होंने जो सेवाएँ की हैं, उनसे प्रत्येक भारतीय इतना अभिज्ञ है कि मुझे उनका विस्तृत विवरण देने की आवश्यकता नहीं। सचमुच, राष्ट्रपिता की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जब से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई, तब से वे ही सभा की चालक शक्ति रहे हैं। चिरकाल से वे मेरे निजी मित्र रहे हैं; और यह कुछ भद्दा-सा लगता है कि मैं उनके मन और मस्तिष्क के असंख्य गुणों की, जो उनको राष्ट्र के निस्स्वार्थ सेवक के रूप में विशिष्टता प्रदान करते हैं, अधिक चर्चा करूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दी प्रचार की इतनी आधारभूत सेवाएँ करना उनके लिए संभव हुआ, तो वह इसलिए कि उन्होंने विवादास्पद राजनैतिक कार्यों से दूर रहकर अपने समय और शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। वे तेलुगु भाषा समिति से संबंधित हैं; और 'विज्ञान सर्वस्वमु' या तेलुगु विश्वकोष के प्रकाशन में भी उनका हाथ है। उनकी सेवाएँ अनेक प्रकार की हैं, और त्यागरायनगर की हिन्दी प्रचार संस्था उनके अपार सेवा-भाव का शाश्वत प्रतीक है। हममें से कुछ लोगों को, जो कि सभा से संबद्ध हैं, बड़ा हर्ष है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो इतने निस्स्वार्थ और संपूर्ण रूप से संगठन में संलग्न हैं कि दूसरे सब उसके संचालन में सक्रिय भाग लिये बिना भी रह सकते हैं। उनके इस सुदीर्घ सेवाकाल पर मैं श्री सत्यनारायण को बधाई देता हूँ, और कामना करता हूँ कि वे चिरायु रहकर हिन्दी प्रचार और राष्ट्रोन्नति के लिए अपनी सेवाएँ जारी रखें।

"मुझे दुख है कि आपके आयोजित उत्सव में मैं शरीक नहीं हो पाता हूँ; लेकिन सोचता हूँ कि वह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण उत्सव होगा, क्योंकि वह हमारे प्रिय राष्ट्रपति, जो कि सभा के अध्यक्ष भी हैं, की अध्यक्षता में संपन्न होनेवाला है। उत्सव की मैं हर तरह की सफलता चाहता हूँ।"

तिरुवनंतपुरम, 19-7-'57

*　　　*　　　*

श्री एस. निजलिंगप्पा,

मुख्य मंत्री, मैसूर—

"....सभा के प्रधान मंत्री की हैसियत से दो दशाब्दियों से श्री मो. सत्यनारायण बहुत हद तक दक्षिण भारत में, और कुछ हद तक भारत के दूसरे प्रदेशों में भी सभा के कार्यकलापों के विकास के लिए ज़िम्मेवार रहे हैं। दक्षिण के कोने-कोने में जो असंख्य हिन्दी-वर्ग चल रहे हैं, वे उस संस्था के संगठन, मिशनरी उत्साह तथा आवेग के परिचायक हैं, जिसका निर्माण श्री सत्यनारायण के कुशल हाथों में रहा है। हिन्दी के प्रति उनका विशुद्ध प्रेम, उनकी निष्ठा, उनकी संगठन-शक्ति, और सबसे बढ़कर उनका सौम्य व्यक्तित्व, सबने मुझे मोह लिया। उनका सहयोगी होना आनंद की बात है। ऐसे घनिष्ठ मित्र के संबंध में अधिक कहने में संकोच होता है।

"क्या मैं आपके साथ मिलकर श्री सत्यनारायण की सफल सेवा के अनेकों वर्षों की कामना कर सकता हूँ?"

बेंगलूर, 19-7-'57

*　　　*　　　*

पंडित गोविन्द वल्लभ पंत,

गृह-मंत्री, भारत सरकार, की तरफ़ से उनके निजी सचिव श्री हेच. के. टंडन—

"श्री मो. सत्यनारायण के 36 वर्ष के सेवा-काल की समाप्ति पर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा उनको एक अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करनेवाली है, यह सुनकर भारत संघ के गृह-मंत्री प्रसन्न हैं। श्री सत्यनारायण ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार के लिए महत्वपूर्ण सेवाएँ की हैं; और आशा है कि वह आंदोलन, जिसमें उन्होंने प्रमुख भाग लिया है, भविष्य में और अधिक प्रगति करता जाएगा। इस अवसर पर पंतजी अपनी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ भेजते हैं।"

*　　　*　　　*

श्री उ. न. ढेबर,

अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—

"....श्री मो. सत्यनारायण, नियमानुसार दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री हैं, पर वास्तविक व्यवहार में दक्षिण में हिन्दी प्रचार आंदोलन उनकी मूल प्रेरणा है, और वे उसकी आत्मा हैं। कोई मिशनरी शायद ही ऐसा मिले जो अपने मिशन का नेतृत्व भी कर सके और साथ-साथ व्यावहारिक पैमाने पर उसका संगठन भी। श्री सत्यनारायण ने अपनी इस संयुक्त शक्ति को निरूपित किया है। सारा संगठन नियमित और नीरव रूप से कार्य कर रहा है, और दक्षिण के घर-घर में पहुँचने का प्रयत्न कर रहा है।

"भाषा की संयोजन-शक्ति को ध्यान में रखते हुए, हिन्दी प्रचार क्षेत्र में श्री सत्यनारायण की सेवा राष्ट्रीय एकता के लिए एक महान देन मानी जाएगी।

"उत्तर में उनके एक प्रतिरूप की आवश्यकता है, जो उतने ही उत्साह और विवेक के साथ दक्षिणी भाषाओं के प्रचार का कार्य अपने ऊपर ले सके।

"मैं हर एक के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने हमारी मातृभूमि की एकता के लिए 36 साल तक लगातार सेवा की है।"

नयी दिल्ली, 17-7-'57

*　　*　　*

डॉक्टर कैलासनाथ काट्जू,

मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश—

"दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री, श्री मोटूरि सत्यनारायण ने अपने क्षेत्र में विशिष्ट सेवा की है, और उसमें अपना सारा जीवन लगा दिया है। 1947-48 में, जब मैं उड़ीसा का राज्यपाल था, तब उनसे मिलने का सुअवसर मुझे मिला। मैं जानता हूँ कि उन्होंने उस क्षेत्र में कैसा अथक परिश्रम किया है। मुझे यह सुनकर खुशी होती है कि उनकी इस निरंतर सेवा की 36-वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर उन्हें अभिनंदन ग्रंथ समर्पित करने का समिति ने निश्चय किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएँ भेजता हूँ कि अपने वांछित क्षेत्र में वे और भी कई वर्षों तक सक्रिय रहे सेवा करें।"

भोपाल, 9-7-'57

*　　*　　*

श्री के. एम. मुन्शी

"....मेरी प्रार्थना है कि श्री मोटूरि सत्यनारायण चिरायु रहें, ताकि जिस महान कार्य को उन्होंने अपना लिया है, उसको सफलतापूर्वक चला सकें। समारोह की संपूर्ण सफलता चाहता हूँ।...."

बंबई, 8-7-'57

*　　　*　　　*

श्री श्रीप्रकाश,
राज्यपाल, बंबई—

"....मुझे यह जानकर बड़ा हर्ष हुआ कि हैदराबाद के हिन्दी प्रचार संघ का काम कितने सुचारु रूप से चल रहा है, और उसमें उसे इतनी सफलता मिल रही है। आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इस शुभ काम में इतनी तत्परता से लगे हुए हैं।

"श्री सत्यनारायणजी को मैं बहुत वर्षों से अच्छी तरह जानता हूँ। जब मैं मद्रास में था, तब तो विशेष रूप से उनसे संपर्क रहता था। उनके काम को मैंने पास से देखा है; और जिस प्रकार से उन्होंने हिन्दी भाषा को चारों तरफ़ फैलाया है, वह अवश्य ही प्रशंसनीय है।

"यह उचित है कि उनका सम्मान किया जाय; परन्तु यह कहने के लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा कि 56 वर्ष तो बहुत कम मालूम पड़ता है। इस प्रकार की वर्ष-गांठ को मनाने के लिए पुरुष-विशेष को साठ वर्ष का तो होना ही चाहिए। आशा है कि आप चार वर्ष और ठहर सकेंगे, और तब हम सब लोग उस अवसर को सानन्द मनाएँगे।

"हाँ, यदि मित्रों ने यही निश्चय किया है कि इनका सम्मान इसी वर्ष होना चाहिये, तो मैं भी आप सब लोगों के साथ ही उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता हूँ, उनके काम की सराहना करता हूँ, और मेरी शुभकामना है कि वे बहुत दिनों तक हमारे बीच में रहकर अपना सुंदर कार्य करते जाएँ और समुचित रूप से सफलता पावें, स्वस्थ और संपन्न रहें और सुयश के भागी हों।...."

पूना, 8-7-'57

*　　　*　　　*

श्री सी. एम. त्रिवेदी,
राज्यपाल, आन्ध्र प्रदेश—

"यह जानकर मैं बहुत खुश हुआ कि श्री मोटूरि सत्यनारायण को, जो गत दो दशाब्दियों से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री के रूप में

सुप्रसिद्ध हैं, हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ ने अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करने का निश्चय किया है। यह बहुत ही उचित है कि सारे दक्षिण में हिन्दी प्रचार के लिए श्री सत्यनारायण ने जो महत्वपूर्ण सेवा की है, उसे हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ सम्मानित करे। इस महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वे चिरायु रहें!"

हैदाराबाद, 6-7-'57

* * *

श्री जगजीवनराम,

रेलवे मंत्री, भारत सरकार—

"श्री मो. सत्यनारायण ने दक्षिण के अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के हिन्दी प्रचार क्षेत्र में जो सेवा की है, वह सचमुच प्रशंसनीय है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के, जिसके गत दो दशाब्दियों से वे प्रधान मंत्री रहे हैं, वे प्रेरक शक्ति हैं।

"उनसे अपनी पहली मुलाकात में ही, हिन्दी प्रचार कार्य के प्रति उनके उत्साह और तत्परता से मैं प्रभावित हुआ। यह बहुत ही उचित है कि मित्रों ने उनकी निरंतर सेवा की 36-वीं वर्षगाँठ के अवसर पर उन्हें अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करने का निश्चय किया है। उस उत्सव की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ भेज रहा हूँ।"

* * *

श्री मुरारजी देसाई,

वाणिज्य-मंत्री, भारत सरकार, की तरफ़ से श्री रघुनाथजी नायक—

"आपका ता. 3 का पत्र श्री मुरारजी भाई को मिला। दक्षिण में श्री सत्यनारायणजी के हिन्दी प्रचार कार्य से वे सुपरिचित हैं। उनको भी वे अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी 56-वीं वर्षगाँठ पर एक अभिनन्दन-ग्रंथ उनको अर्पण करना निश्चित हुआ है, यह अच्छी बात है।...."

नयी दिल्ली, 6-7-'57

* * *

श्री लालबहादुर शास्त्री,

संचार-मंत्री, भारत सरकार—

"श्री सत्यनारायणजी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा द्वारा हिन्दी की अकथनीय सेवा की है, और दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार में प्रशंसनीय योग

दिया है। यह उचित ही है कि श्री सत्यनारायणजी की 56-वीं वर्षगाँठ के अवसर पर हिन्दी जगत की ओर से उनका समुचित सम्मान किया जाय। मैं उनके सफल और दीर्घ जीवन के लिये हृदय से कामना करता हूँ।"

नयी दिल्ली, 17-7-'57

* * *

डॉक्टर संपूर्णानंद,

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश—

"मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा श्री सत्यनारायणजी के सम्मान में उनकी 56-वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर उन्हें अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित कर रही है। सत्यनारायणजी ने दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिए जो सेवा की है, उससे सभी हिन्दी प्रेमी अच्छी तरह परिचित हैं, और हिन्दी संसार उनका इसके लिये बड़ा आभारी है। उनका सम्मान करके समिति जिस कृतज्ञता का परिचय दे रही है, उससे, आशा है, हिन्दी सेवा के क्षेत्र में नयी स्फूर्ति और उत्साह मिलेगा।"

लखनऊ, 16-7-'57

* * *

श्री पी. वी. राजमन्नार,

मुख्य न्यायाधीश, मद्रास—

यह पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ कि श्री मो. सत्यनारायण की निरंतर सेवा की 36-वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर उन्हें अभिनन्दन ग्रंथ समर्पित करने के लिए एक समिति क़ायम की गयी है। श्री सत्यनारायण को मैं अपने सम्मान्य मित्रों में से एक मानता हूँ; और पिछली चार दशाब्दियों में दक्षिण के हिन्दी प्रचार आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो महान कार्य किया है, उससे मैं परिचित हूँ। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के आरंभ से ही श्री मो. सत्यनारायण उससे संबद्ध रहे हैं; तथा उनके दक्षतापूर्ण मार्गदर्शन में वह दक्षिण में हिन्दी प्रचार की सर्वप्रधान संस्था बन गयी है। उनका अभिनन्दन करने के लिए आयोजित इस उत्सव में मैं भी अपना भाग अदा करता हूँ; और प्रार्थना करता हूँ कि वे चिरायु रहें ताकि हिन्दी प्रचार आन्दोलन तथा देश की सांस्कृतिक उन्नति के लिये अपनी सेवाएँ जारी रख सकें।

मद्रास, 10-7-'57

* * *

डॉक्टर बी. वी. केस्कर,

सूचना एवं प्रसार-मंत्री, भारत सरकार—

"मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप श्री मोटूरी सत्यनारायण को उनकी सेवाओं का स्मरण करते हुए अभिनन्दन-ग्रंथ समर्पित कर रहे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि दक्षिण में हिन्दी प्रचार की वृद्धि के लिए उन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम किया है। यह कार्य उनका कीर्ति-स्तंभ है, और राष्ट्र-निर्माण के इस कार्य के लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। मेरी कामना है कि वे चिरायु रहें तथा इस कार्य में अधिकाधिक सफलता पाएँ!

नयी दिल्ली, 10-7-'57

* * *

श्री के. कामराज,

मुख्य मंत्री, मद्रास—

"दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा दक्षिण में हिन्दी प्रचार के द्वारा एक विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा कर रही है। श्री सत्यनारायण हिन्दी-क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सभी राष्ट्रवादियों में भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जिस रचनात्मक कार्य को वे दृढ़ता, गंभीरता तथा नीरव संलग्नता के साथ कर रहे हैं, उसने उनको सभी राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के सम्मान और स्तुति के पात्र बनाया है। उनका उदाहरण सभी जन-सेवकों के लिए अनुकरणीय है।"

मद्रास, 11-7-'57

* * *

श्री सी. सुब्रह्मण्यम,

वित्त व शिक्षा-मंत्री, मद्रास सरकार—

यह सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि श्रीसत्यनारायण-सम्मान-समिति ने हिन्दी क्षेत्र में श्री मो. सत्यनारायण की निरंतर सेवा की 36-वीं वर्ष-पूर्ति का उत्सव मनाने और इस संदर्भ में उन्हें एक अभिनंदन-ग्रंथ समर्पित करने का निश्चय किया है। हिन्दी प्रचार की वृद्धि के लिए श्री सत्यनारायण ने जो सेवा की है, वह सारे भारत में सुप्रसिद्ध है। स्वतंत्रता-संग्राम के दिनों में उन्होंने हिन्दी प्रचार कार्य में ही दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि उस स्वतंत्रता-संग्राम के संचालन में भी सक्रिय भाग लिया। संसद में उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा यह प्रमाणित किया कि एक अहिन्दी-भाषी भी अनर्गल रूप से हिन्दी बोल सकता है। आशा करता हूँ कि अभिनंदन-ग्रंथ सफल बनेगा। मैं श्री सत्यनारायण की चिरायु और सुख की कामना करता हूँ।

* * *

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

"यह खुशी की बात है कि भाई सत्यनारायणजी को उनकी 36 साल की निरन्तर हिन्दी सेवाओं के उपलक्ष्य में एक अभिनंदन-ग्रंथ भेंट किया जानेवाला है। मैं इन्हें वर्षों से जानता हूँ। ये मेरे निकटतम साथियों में से हैं। इनकी सेवा, लगन और कार्य-क्षमता एक-से-एक बढ़कर है। मैं इस अवसर पर शुभकामनाएँ भेजता हूँ। भगवान करे, इनके हाथों इससे भी बढ़कर देश और हिन्दी की सेवाएँ हों!"

जयपुर, 13-7-'57

* * *

डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी,

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, बनारस विश्वविद्यालय—

"...श्री सत्यनारायणजी ने अपना सारा जीवन हिन्दी प्रचार कार्य में लगाया है। उनकी निष्ठा और कार्य-दीक्षा अद्भुत है। उनका अभिनंदन करके हम लोग उनका नहीं, अपना ही गौरव बढ़ाएँगे। मेरी पूर्ण सहमति है।...."

कानपुर, 15-6-'57

* * *

डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा,

अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी—

"यह जानकर प्रसन्नता हुई कि प्रिय मित्र श्री मो. सत्यनारायणजी को अभिनंदन-ग्रंथ भेंट कर रहे हैं। दक्षिण के हिन्दी प्रचार कार्य के अनेक वर्षों से वे कर्णधार रहे हैं। यह राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे महात्मा गांधी ने बहुत पहले समझ लिया था। पुनः राष्ट्र-निर्माण की एक कड़ी को देश के एक भाग में सुदृढ करने का श्रेय श्री सत्यनारायणजी को है। अतः वे प्रत्येक देशवासी की बधाई के पात्र हैं। विश्वास है कि अनेक वर्षों तक वे देशसेवा के कार्य में संलग्न रहेंगे।"

* * *

डॉक्टर बाबूराम सक्सेना,

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय—

"श्री सत्यनारायणजी की प्रबंध-पटुता, लगन तथा नीति-कुशलता रेका मे ऊपर सुखद प्रभाव पड़ा है। मैं उनसे अधिकाधिक देश-सेवा की कामना करता हूँ। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। अभी तो वह 56 वर्ष के ही हैं।...."

देहरादून, 20-6-'57

* * *

श्री रामधारी सिंह 'दिनकर', एम.पी.

"....श्री सत्यनारायणजी के प्रति मेरी असीम श्रद्धा है। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण, मेधा प्रबल, तथा कार्यक्षमता अपरिमेय है। दक्षिण भारत में तो वे हिन्दी के प्राण ही हैं।....भारत की एकता को पुष्ट बनाने के लिए देश में जो महायज्ञ चल रहा है, उसके सत्यनारायणजी अत्यंत श्रेष्ठ पुरोधा हैं।...."

* * *

श्री काटूरी वेंकटेश्वर राव

"....श्री सत्यनारायणजी की कार्यक्षमता व बुद्धिसंपन्नता का मैं आदर करता हूँ। देश की वर्तमान परिस्थितियों में चारों प्रान्तों के विभिन्न भाषाभाषी लोगों को एक लक्ष्य से अनुप्राणित करके गत छत्तीस सालों से एक विशाल संगठन का सफल संचालन करने की उनकी अपूर्व मेधा अद्वितीय एवं स्तुत्य है।

* * *

श्री अल्लूरी सत्यनारायण राजू,
अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति

"उन्होंने (श्री सत्यनारायण ने) अपनी मेधा-शक्ति, संगठन-शक्ति तथा मीठी वाणी की बदौलत हिन्दी प्रचार का एक विशाल संगठन दक्षिण भारत भर में फैलाया है, और मज़बूत नींव पर राष्ट्र-निर्माण का एक विशाल भवन खड़ा किया है। श्री सत्यनारायण का गौरव कर हम दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का, उसके कार्यकर्ताओं का, विद्यार्थियों का, और उसके सभी पोषकों का गौरव कर रहे हैं।...."

*

विषय-सूची

पहला भाग

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के संस्थापक और

आजीवन अध्यक्ष

स्व० राष्ट्रपिता महात्मा गांधी

बा और बापू

जिनके आशीर्वादों से सभा के कार्यकर्त्ताओं को बहुत बल और स्फूर्ति मिलती थी।

दक्षिण में हिन्दी प्रचार आंदोलन

(श्री भालचंद्र आपटे)

26 जनवरी, 1950, का दिन भारत के इतिहास में सुवर्णाक्षरों से लिखा जायगा, जिस दिन भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित संविधान के अनुसार भारत एक लोक-राज बना। विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाला और विभिन्न प्रान्तों में बँटा हुआ भारतवर्ष एक राष्ट्र बना और हिन्दी उसकी राजभाषा बनी। यह एक विशेष हर्ष की बात है कि हिन्दी को राजभाषा का यह मान सारे भारतवर्ष ने एक मन से दिया।

वैसे इसके बहुत पहले ही से हिन्दी देश-भर में एक सामान्य भाषा का पद प्राप्त कर चुकी थी। चिरकाल से हमारे देश के व्यापारी बड़ी-बड़ी मंडियों और बाज़ारों में अपना कामकाज हिन्दी में ही चलाया करते थे। चारों धाम की यात्रा करनेवाले यात्री टूटी-फूटी हिन्दी में ही अपने विचार प्रकट करते थे। देश-भर के संत और भक्त मेलों में जब मिलते थे, तब आपस में वे हिन्दी ही में बोलते थे। यहाँ तक कि हिन्दी में भजन भी लिखते थे। भक्त नामदेव और तिरुवितांकूर के एक पुराने राजा गर्भ-श्रीमान स्वाति तिरुनाळ इसके सुप्रसिद्ध उदाहरण हैं।

मुसलमान शासन जब सुदूर दक्षिण में स्थापित हुआ, तब उसके साथ अरबी-फ़ारसी-मिश्रित हिन्दी दक्षिण में आयी और दक्षिणी भाषाओं की खूबियों को आत्मसात् कर उसने 'दखनी' नाम पाया। यही आगे चलकर 'उर्दू' और बाद को 'हिन्दुस्तानी' कहलायी। दक्षिण में इसी भाषा को 'तुर्क भाषा' नाम मिला। दक्षिण भारतीय इस भाषा का अध्ययन करते थे और इसमें अच्छी योग्यता प्राप्त करना फ़ख्र की बात समझते थे। दक्षिण में फ़ारसी के अध्ययन और अध्यापन की अच्छी व्यवस्था थी। आन्ध्र के नेता स्व० देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्याजी ने अपने आत्म-चरित में एक स्थान पर लिखा है:—

"उस ज़माने में (1860-80) फ़ारसी के नाम से बच्चों को उर्दू पढ़ायी जाती थी।... हिन्दू लोग भी अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाया करते थे। इस कारण फ़ारसी भाषा के विद्वान हमारे प्रान्त में भी हुआ करते थे।"

यही नहीं, सन् 1882-83 में धारवाड़ से एक फ़ारसी नाटक कंपनी आन्ध्र देश में आयी थी, और यहाँ के मुख्य-मुख्य स्थानों में उन्होंने हिन्दी नाटक बड़ी सफलता के साथ खेले थे। इन नाटकों का प्रभाव इतना पड़ा कि इस नाटक-कंपनी के अनुकरण पर मछलीपट्टणम जैसे स्थानों में श्री ईमनि लक्ष्मणस्वामि आदि के प्रयत्नों से 'पेशवा नारायण राव वध' और 'रामदास' जैसे नाटक खेले गये और बड़े लोकप्रिय हुए। ये ही हिन्दी नाटक श्री नादेण्डल पुरुषोत्तमजी ने तेलुगु लिपि में छापकर प्रकाशित किये। इस तरह हिन्दी प्रचार का आन्दोलन शुरू होने के क़रीब 50 वर्ष पूर्व ही से आन्ध्र देश में हिन्दी के प्रति प्रेम दिखाई दे रहा था।

पश्चिम से पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ जब आये, तब उन्होंने विभिन्नभाषी इस देश में एक अन्तर-प्रान्तीय बोलचाल के रूप में जिस भाषा को पाया, वह हिन्दी ही थी। इसलिए ताज्जुब नहीं कि आइ. सी. एस. परीक्षा में हिन्दी को एक अनिवार्य भाषा के तौर पर रखने का निश्चय अंग्रेज़ सरकार ने किया।

किन्तु इतना सब होने पर भी हिन्दी का उपयोग न राजभाषा के रूप में होता था, न सांस्कृतिक आदान-प्रदान का वह माध्यम ही मानी जाती थी। प्राचीन काल में वह स्थान

पहले संस्कृत को और बाद पाली को मिला था। अंग्रेज़ों के शासन में अंग्रेज़ी ने उस स्थान को ग्रहण किया। अंग्रेज़ी हमारे देश की राजभाषा बनी और सभी प्रकार के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य उसीमें चलने लगे। वही हमारी शिक्षा का माध्यम बनी, यहाँ तक कि उसने हमारे देश की प्रादेशिक भाषाओं के स्थान को भी छीन लिया और हमारे सारे सार्वजनिक जीवन को घेर लिया।

हिन्दी नैसर्गिक रूप से देश की सामान्य भाषा थी। अंग्रेज़ शासक उसको यह पद देने के लिए कब तैयार थे जब कि प्रादेशिक भाषाओं को भी पदच्युत करके उनके स्थान पर अंग्रेज़ी को बिठाने का विचार साम्राज्यवादी भावनाओं से पक्का हो चुका था। अंग्रेज़ अपने शासन को इस देश में सुस्थिर बनाये रखने की सुविधा के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार इस देश में आवश्यक मानते थे। अंग्रेज़ी भाषा के साथ अंग्रेज़ों के पहनावे को और उनकी विचार-धारा को अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे भारतीय जब स्वीकार करेंगे, तब उनकी मदद से इस विशाल राष्ट्र पर राज्य करना आसान होगा। यह सोचकर ही उन्होंने अंग्रेज़ी की शिक्षा देने का कार्य इस देश में शुरू किया। 1833 में लिखे मेकाले साहब के मिनट से इस कथन की पुष्टि हो जाती है। मेकाले साहब से ब्रिटिश सरकार ने इस बात पर अपना मत देने को कहा था कि भारत में किस तरह की शिक्षा-पद्धति शुरू की जाए। पूरी जाँच के बाद मेकाले साहब ने अपनी कानूनी राय यों दी थी:—

"हमें चाहिये कि एक ऐसी जाति का निर्माण करें जो हमारे और हमारी लाखों प्रजा के बीच दुभाषिये का काम करे। अर्थात्, अंग्रेज़ी-पढ़े-लिखे भारतीयों का एक ऐसा वर्ग बन जाएँ जो ख़ून और रंग में तो भारतीय रहे, किन्तु रुचि, विचार, नैतिक दृष्टि और बुद्धि में पूरे अंग्रेज़ हो जायँ।"—अंग्रेज़ी शिक्षा प्रचार का कार्य भारत में शुरू करने के पीछे कौन-सी मनोवृत्ति थी, इसको इससे अधिक स्पष्ट शब्दों में और कौन कह सकता है?

मेकाले साहब की भविष्यवाणी सही निकली। अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रभाव न सिर्फ़ शासन में बढ़ा, बल्कि उसने हमारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और अन्त में सांस्कृतिक जीवन को भी आक्रान्त किया।

यह स्थिति हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुँचानेवाली थी। अगर भारत एक राष्ट्र है तो उसके लिये एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिये, और वह कोई भारतीय भाषा ही होनी चाहिये, यह विचार राष्ट्रीय जागरण के साथ हर एक भारतीय के मन में उत्पन्न हुआ। महात्मा गान्धी ने पहले-पहल इस विचार को 1915 में, जब वे दक्षिण अफ्रिका से भारत वापस आये, तब प्रकट किया। उन्होंने इस देश में घूमकर देखा कि यहाँ अगर कोई भाषा नैसर्गिक रूप से सामान्य भाषा की तरह मौजूद है, तो वह हिन्दी है और वह देश की राष्ट्रभाषा बनने लायक है। क्योंकि उन्होंने यह प्रत्यक्ष रूप से देखा कि भारत वर्ष में ऐसा एक भी शहर या गाँव नहीं, जिसमें हिन्दी जानने-वाले कम-से-कम दस-पाँच आदमी न हों। इसलिये उन्होंने तुरन्त हिन्दी सीखने का निश्चय किया।

उससे भी पूर्व देश को एक सूत्र में बाँधने-वाली एक सामान्य भाषा की कल्पना कुछ प्रमुख भारतीयों के मन में उठी थी। पहले-पहल स्वर्गीय श्री राजा राममोहन राय ने यह आशा प्रकट की थी कि कोई एक ऐसी भारतीय भाषा विकसित हो, जो आसेतु-हिमाचल फैले हुए भारतीय राष्ट्र की उमंगों और अभिलाषाओं को व्यक्त करने का माध्यम बने। महर्षि दयानंद ने अपना 'सत्यार्थप्रकाश' आर्य-भाषा हिन्दी में ही लिखा। नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, की एक सभा में 1910 में भाषण करते हुए दक्षिण के सुप्रसिद्ध विद्वान और नेता स्वर्गीय श्री वी. कृष्णस्वामी अय्यर ने भी हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा के योग्य बताया था। हिन्दी इन तीनों में से किसी की मातृभाषा नहीं थी। गांधीजी की मातृभाषा भी हिन्दी नहीं थी। मगर उन्होंने

तो उसे न सिर्फ़ राष्ट्रभाषा ही माना बल्कि उसके प्रचार की नींव भी अपने ही हाथों डाली।

16 जुलाई 1893 को बनारस में ठाकुर शिवकुमार सिंह के प्रयत्नों से नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। इस सभा की स्थापना का उद्देश्य कचहरियों में फ़ारसी लिपि के स्थान पर नागरी का व्यवहार शुरू कराना था। आगे चलकर इस सभा की ओर से हिन्दी साहित्य की खोज और प्रकाशन का कार्य भी होने लगा था। उस ज़माने में संयुक्त प्रान्त (इस समय के उत्तर प्रदेश) और बिहार आदि उत्तर भारतीय हिन्दी प्रान्तों में प्रारंभिक पढ़ाई उर्दू में ही होती थी। उच्च साहित्य की शिक्षा में भी उर्दू का ही बोलबाला था। सभा-सोसाइटियों के कामकाज भी उर्दू ही में चला करते थे। उस उमय उर्दू का उत्तर भारतीय प्रदेशों में कैसा प्रभाव था, यह स्व. आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में जान लेना ही उचित होगा। उन्होंने लिखा था—

"भारतेन्दु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूम-धाम से चल पड़ा। पर उस साहित्य के सम्यक् प्रचार में कई प्रकार की बाधाएँ थीं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से ही उर्दू चली आ रही थी। उससे अधिकतर बालकों को अंग्रेज़ी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े-लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। स्व. बाबू हरिश्चंद्र को हिन्दी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। वे जहाँ जाते अपना यह मूलमंत्र अवश्य सुनाते थे—

निजभाषा-उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।
बिनु निजभाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल॥

अदालती भाषा उर्दू होने से नवशिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़नेवालों की थी, जिससे हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त एक और संकट यह था कि जनता नागरी लिपि से अपरिचित थी; क्योंकि नागरी को सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक था। अतः सन् 1893 (संवत् 1950) में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्यामसुंदरदास, पं० रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई।

जनता को हिन्दी भाषा और साहित्य की ओर आकृष्ट करना नागरी प्रचारिणी सभा का सर्वप्रथम कर्तव्य हो गया। राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द फ़ारसी की जगह नागरी लिपि को स्थान देने के लिये तो तैयार हुए, किन्तु उर्दू शैली के संपूर्ण बहिष्कार के लिये वे तैयार नहीं थे। राजा लक्ष्मणसिंह प्रत्यक्ष रूप से हिन्दी के विकास के पक्ष में थे। यह विभिन्न विचार-धारा बहुत दिनों तक हिन्दी जगत में विद्यमान रही। नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के मूल में मुख्यतः राजा लक्ष्मण सिंह और भारतेन्दु द्वारा चालित विचारधारा ही थी। शायद और भी एक कारण था यद्यपि प्रत्यक्षतः वह दिखाई नहीं देता था। आर्य समाज के प्रचार से उत्तर भारतीय जनता के हृदय में अपनी भाषा का जो अभिमान जागृत हुआ उससे भी नागरीकरण और हिन्दी साहित्य की निर्मिति को बड़ी प्रेरणा मिली थी। प्रकट रूप से यद्यपि यह कार्य सांप्रदायिक भावना से नहीं शुरू हुआ था तो भी आन्तरिक प्रेरणा शायद वही थी।

नागरी प्रचारिणी सभा के मुख्य उद्देश्य थे कचहरियों में नागरी लिपि के लिए और शिक्षालयों में हिन्दी शिक्षा के लिये स्थान दिलाना, हिन्दी साहित्य में खोज करना तथा नवीन साहित्य का निर्माण और प्रकाशन करना। आम जनता में हिन्दी के प्रति प्रेम पैदा करना और हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, ये उद्देश्य भी इस सभा के सामने थे। किन्तु इस दिशा में वह अपेक्षाकृत कोई काम न कर सकी। इस काम को हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने अपने हाथों में लिया। सम्मेलन की स्थापना सन् 1910 में नागरी प्रचारिणी

सभा के तत्वावधान में ही हुई। स्व० महामना मदनमोहन मालवीय उसके प्रथम अध्यक्ष थे।

सम्मेलन ने हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन के लिये उत्तर भारतीय प्रान्तों में ज़ोरदार आन्दोलन किया। एक परीक्षा प्रणाली शुरू कर हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन को लोकप्रिय बनाने में उसने कल्पनातीत सफलता प्राप्त की। हिन्दी का पाठक वर्ग धीरे-धीरे बढ़ने लगा। पत्र-पत्रिकाएँ निकलने लगीं। नवीन प्रकाशक क्षेत्र में उतरे और एक बहुत बड़ा लेखक वर्ग तैयार हो गया। स्वर्गीय श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने तथा उनकी "सरस्वती" ने हिन्दी जनता का बड़ी योग्यता के साथ नेतृत्व किया। सभा तथा सम्मेलन ने योग्य कवियों और लेखकों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया और इस तरह हिन्दी भाषा तथा साहित्य का अभियान शुरू हुआ।

सम्मेलन ने अपने प्रचार विभाग की ओर से भी इस आंदोलन को बड़ा बल पहुँचाया। उत्तर भारत के मुख्य-मुख्य शहरों में सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन बड़े ठाट-बाट से मनाये जाने लगे। देश के गण्यमान्य राजनैतिक नेता, साहित्यकार या देशी नरेश इन अधिवेशनों के अध्यक्ष होते थे। महामना पंडित मदन मोहन मालवीयजी के प्रोत्साहन से श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने सम्मेलन की बागड़ोर अपने हाथ में ली और उसकी उन्नति और विकास में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उन्हींके प्रयत्नों का यह फल था कि कवीन्द्र रवीन्द्र, बड़ोदा के नरेश श्री सयाजी राव गायकवाड़ आदि ने सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षासन सुशोभित किया।

1918 के मार्च महीने में इन्दौर में सम्मेलन का अधिवेशन हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह अधिवेशन सम्मेलन के इतिहास में अभूतपूर्व था। गांधीजी ने इस सम्मेलन में हिन्दी को एक नया दृष्टिकोण दिया। अब तक सम्मेलन तथा नागरी प्रचारणी सभा के सामने उत्तर भारतीय जनता के हृदय में हिन्दी भाषा और नागरी लिपि के प्रति प्रेम बढ़ाना ही प्रधान उद्देश्य था और उक्त उद्देश्य में थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी थी। किन्तु हिन्दी एक अखिल भारतीय अन्तर-प्रांतीय व्यवहार की भाषा बन सकती है, इस बात की कल्पना इन दोनों संस्थाओं में से किसी को शायद नहीं थी। यह नयी दृष्टि महात्मा गांधीजी ने दी। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने और उसका प्रचार करने का अनुरोध सबसे पहले उन्होंने ही किया। उन्होंने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार करने की आवश्यकता उक्त सम्मेलन में बतायी और उसके लिए पर्याप्त धन देने के लिए उत्तर भारतीय लोगों से अपील की। सम्मेलन के इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा दक्षिण में हिन्दी प्रचार कार्य शुरू करने का निश्चय हुआ। इस कार्य के लिए गांधीजी को एक थैली अर्पित की गयी, जिसमें इन्दौर नरेश तथा इन्दौर के सेठ सर हुकुमचंद ने दस-दस हज़ार का दान दिया था।

गांधीजी जब किसी कार्य की ज़िम्मेवारी अपने हाथ में लेते तब उसमें अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। सम्मेलन के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उन्होंने दक्षिण के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से पत्र-व्यवहार किया और अखबारों में भी अपने विचार प्रकट किये। गांधीजी के उन विचारों को पढ़कर दक्षिण के कुछ उत्साही युवकों ने हिन्दी पढ़ने की इच्छा प्रकट की और गांधीजी से प्रार्थना की कि किसी हिन्दी प्रचारक को दक्षिण में भेजें। सबसे पहले गांधीजी ने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को ही इस कार्य के लिए भेजा। देवदास जी की उमर उस समय क़रीब 18 वर्ष की थी। वे मद्रास के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से मिले और मई, 1918, के पहले सप्ताह में पहला हिन्दी वर्ग गोखले हाल में शुरू हुआ। इस वर्ग का उद्घाटन ब्राड्वे के तत्कालीन होमरूल लीग के कार्यालय में श्री सी. पी. रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में हुआ। वर्ग का उद्घाटन स्वर्गीया डा. एनी बेसेंट ने किया था।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के वर्तमान अध्यक्ष

राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद

अध्यक्षजी जब अपनी सभा में पधारे

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के इतिहास में शनिवार, ता. 18-8'56, एक स्वर्ण-दिवस ही माना जाएगा, क्योंकि उसी दिन सबेरे सभा के वर्तमान अध्यक्ष, भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च प्रधान, राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने सभा के इक्कीसवें पदवीदान-समारंभ में उपस्थित रहकर हमें अपना महत्वपूर्ण दीक्षान्त-भाषण सुनाया। सभा-भवन में राष्ट्रपति के पधारते ही उनको हार पहनाकर प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायण ने सादर उनका स्वागत किया।

डा० सी. पी. रामस्वामी अय्यर ने भी हिन्दी भाषा सीखने की आवश्यकता का समर्थन किया था।

श्री देवदासजी प्रथम प्रचारक थे और इस लिये आदि प्रचारक के नाम से सभी हिन्दी प्रचारक उनका आदर करते हैं।

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के प्रति प्रेम बढ़ता देखकर यह निश्चय हुआ कि दक्षिण के कुछ उत्साही तरुणों को उत्तर भारत में हिन्दी का अध्ययन करने के लिये भेजा जाय और वापस आने पर उन्हें हिन्दी प्रचार का काम सौंपा जाय। इसलिये गाधीजी ने पं० हरिहर शर्मा को लिखा कि वे कुछ नवयुवकों को साथ लेकर उत्तर भारत में हिन्दी का अध्ययन करने जावें। गांधीजी के आदेश के अनुसार सर्वश्री हरिहर शर्मा, क. म. शिवराम शर्मा, मल्लादि वेंकट सीतारामांजनेयुलु आदि राष्ट्रीय विचार रखनेवाले युवकों को साथ लेकर 1918 के मई महीने में प्रयाग गये। वहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से उनकी पढ़ाई का प्रबंध किया गया था। दक्षिण भारतीय प्रचारकों का यह पहला दल था जो उत्तर भारत में हिन्दी का अध्ययन करने गया था। 1919 के अगस्त महीने में ये लोग सम्मेलन की 'विशारद' परीक्षा देकर दक्षिण वापस आये। श्री हरिहर शर्मा भी श्री देवदासजी के साथ काम करने लगे। श्री क. म. शिवराम शर्मा तथा श्री मल्लादि सीतारामांजनेयुलु अनुक्रम से राजमहेंद्री और मछलीपट्टणम में काम करने लगे। इनमें श्री हरिहरशर्माजी ने सारा जीवन हिन्दी प्रचार में दिया, और 1954 में सेवा से निवृत्त हुए। श्री क. म. शिवराम शर्मा अभी तक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस समय मद्रास के महिला हिन्दी प्रचारक विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं।

हिन्दी प्रचारकों के दूसरे तथा तीसरे दलों में स्व० श्री जंध्याल शिवन्न शास्त्री, स्व० श्री पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव, श्री नरसिंहाचर्युलु, श्री मालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, श्री मेडिचेर्ल वेंकटेश्वर राव आदि थे। ये प्रचारक आन्ध्र प्रान्त के थे और अध्ययन करके वापस आने के बाद आन्ध्र देश के विभिन्न केन्द्रों में प्रचार कार्य करने लगे।

मद्रास शहर में हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी त्यों-त्यों श्री देवदासजी को अकेले सभी वर्ग चलाना कठिन हुआ। तब हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने स्वामी सत्यदेवजी को 1918 के अगस्त महीने में दक्षिण भारत भेजा। स्वामीजी के प्रभावशाली व्यक्तित्व और उनकी ओजस्वी वाणी का असर दक्षिण भारतीयों पर ऐसा पड़ा कि मद्रास के प्रतिष्ठित सज्जनों ने स्वामी जी के पास हिन्दी पढ़ना शुरू किया। उनमें सर्वश्री के. भाष्यम अय्यंगार, टी. आर. वेंकट राम शास्त्री, एन. सुंदरय्यर आदि मुख्य हैं। स्वामीजी ने दक्षिण भारतीयों के उपयोग के लिये सरल, किन्तु ओजस्वी भाषा में हिन्दी की पहली पाठ्यपुस्तक लिखी। इस तरह दक्षिण में न सिर्फ़ हिन्दी प्रचार का ही काम शुरू हुआ, उपयोगी साहित्य के प्रकाशन का भी सूत्रपात हुआ।

इस बीच में अनेक हलचलें हुईं। पंजाब के हत्याकांड और रौलेट ऐक्ट के कारण भारतीयों के हृदयों को ऐसा धक्का लगा कि सारा भारतवर्ष खौल उठा। महात्मा गांधी ने देश का नेतृत्व ग्रहण किया और अगस्त, 1920, में असहयोग-आन्दोलन का प्रारंभ हुआ। अनेक युवकों ने गांधीजी की अपील को सुनकर स्कूल और कालेज छोड़ दिये और राष्ट्रीय रचनात्मक कार्य में अपने को लगा दिया। इनमें से कई युवक उत्तर भारत से दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार करने आये जिनमें सर्वश्री प्रतापनारायण वाजपेयी, देवदूत विद्यार्थी, क्षेमानंद राहत, अवधनंदन, रामानंद शर्मा, हृषीकेश शर्मा, रामभरोसे श्रीवास्तव, रघुवरदयालु मिश्र, रामगोपाल शर्मा आदि मुख्य हैं। इनमें श्री प्रतापनारायण वाजपेयी ने 1921 तक, तथा श्री रघुवरदयालु मिश्र ने 1954 तक आजीवन हिन्दी प्रचार की सेवा की।

सर्वश्री प्रतापनारायण वाजपेयी तिरुच्चिरापल्ली में, क्षेमानंद राहत मद्रास में, देवदूत विद्यार्थी तिरुनेलवेली में, रामभरोसे श्रीवास्तव नेल्लूर में रामानंद शर्मा गुंटूर में, हृषीकेश शर्मा आन्ध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम में, श्री अवधनंदन बरहमपुर में प्रचार कार्य करने लगे। उसके बाद आवश्यकतानुसार दक्षिण भारत के विभिन्न केन्द्रों में ये प्रचारक फैल गये।

इस प्रकार दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की नींव पड़ गयी। श्री देवदास गान्धी ने मद्रास में करीब एक साल तक काम किया, और पं० हरिहरशर्माजी जब प्रयाग से लौट आये, तब उनके हाथ में यहाँ का कार्य सौंपकर वापस चले गये। जाने के पूर्व उन्होंने दक्षिण भारत के विभिन्न केन्द्रों में घूमकर हिन्दी कार्य का निरीक्षण किया।

दक्षिण में हिन्दी प्रचार का कार्य गान्धीजी की प्रेरणा से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से शुरू हुआ। गान्धीजी ने ही जब इस कार्य को अपने कंधों पर लिया, तब धन-जन की कमी क्यों महसूस हो? गान्धीजी ने उत्तर भारतीय धनी लोगों से इस कार्य के लिये समय-समय पर धन माँगा, और वह मिला भी। स्वर्गीय सेठ जमानालाल बजाज ने इस कार्य में गान्धीजी का हाथ बँटाया। उन्होंने खुद काफ़ी आर्थिक सहायता दी और धन-संग्रह की पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली।

आगे चलकर गान्धीजी ने यह सुझाया कि दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार कार्य के लिये जहाँ तक हो सके दक्षिण भारत से ही आर्थिक सहायता प्राप्त करनी चाहिये। इस सुझाव के अनुसार कार्य आरंभ हुआ और उसमें भी अपेक्षाकृत सफलता मिलने लगी।

1918 से 1927 तक याने करीब 9 वर्ष तक दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, की ओर से होता रहा। श्री हरिहर शर्मा मद्रास शाखा के मंत्री थे। शुरू में श्री रामभरोसे श्रीवास्तव और बाद को श्री मो. सत्यनारायण आन्ध्र प्रान्त के संचालक की हैसियत से काम करते रहे।

1923 दिसम्बर में कांग्रेस का अधिवेशन काकिनाड़ा में हुआ; और उसी अवसर पर वहाँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भी विशेष अधिवेशन श्री जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। स्वागत-समिति के मंत्री की हैसियत से उन्होंने भ्रमण किया और हिन्दी प्रचार की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया।

1927 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई; और तब से आज तक हिन्दी प्रचार का कार्य उसी की ओर से चल रहा है।

महात्मा गान्धीजी के रचनात्मक कार्यक्रम में राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार एक मुख्य कार्य माना गया। हिन्दी पढ़ना एक राष्ट्रीय कार्य माना गया, और हिन्दी पढ़ाना राष्ट्र की सेवा मानी गयी। इसलिये हिन्दी प्रचार कार्य में मुख्यतः कांग्रेस के नेताओं से बड़ी सहायता मिली। अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने भी हिन्दी आन्दोलन का हृदय से स्वागत किया। उस ज़माने में सभी दलों के दक्षिण भारतीय नेताओं ने हिन्दी सीखने की आवश्यकता का न सिर्फ़ समर्थन ही किया, बल्कि उसके प्रचार में सक्रिय सहानुभूति भी प्रकट की। उनमें सर्वश्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, स्व० कोंडा वेंकटप्पय्या, डा० पट्टाभि सीतारामय्या, के. भाष्यम्, स्व० देशोद्धारक नागेश्वरराव, स्व० ए. रंगस्वामी अय्यंगार, स्वामी सीताराम, अय्यदेवर कालेश्वर राव आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन नेताओं ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्यभार को क़रीब-क़रीब अपने कंधों पर लिया था।

हिन्दी आंदोलन राजनैतिक आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बन जाने से उस आंदोलन में जब-जब ज्वार-भाटा आता गया, तब-तब उसका असर हिन्दी आंदोलन पर भी पड़ता रहा। 1920-21 का असहयोग-आंदोलन, 1930 का नमक-सत्याग्रह, 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 का "भारत छोड़ो"

आंदोलन, सभी हिन्दी प्रचार कार्य को एक क़दम आगे रखने के लिए सहायक बने। हिन्दी प्रचारकों में कई प्रचारक जेल गये और उन्होंने वहाँ भी हिन्दी प्रचार का कार्य किया। उनमें सर्वश्री स्व० प्रतापनारायण वाजपेयी, हरिहर शर्मा, मो. सत्यनारायण, अवधनंदन, स्व० पीसपाटि वेंकट सुब्बाराव, मल्लादि शिवरामय्या, अल्लूरि सत्यनारायण राजु, भालचन्द्र आपटे, इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जेलों में जो हिन्दी का प्रचार हुआ, उससे बाहर के प्रचार कार्य को अधिक बल मिला। क्योंकि राजनैतिक कार्यकर्ता जब जेल से छूटकर बाहर आते, तो वे हिन्दी प्रचारकों की सब प्रकार से सहायता करते। हर एक हिन्दी प्रचारक भारतीय एकता और राष्ट्रीयता का संदेशवाहक समझा जाता था।

जैसे-जैसे कार्य का विस्तार होता गया, वैसे-वैसे दक्षिण के चारों प्रान्तों के कार्य को अधिक सुसंगठित बनाने की योजनायें बनानी पड़ीं। 1924 में आंध्र तथा तमिलनाडु में प्रांतीय कार्यालयों की स्थापना हुई। श्री रामभरोसे श्रीवास्तव आंध्र के पहले संचालक हुए। उन्होंने आंध्र प्रांत के विभिन्न शहरों और गाँवों में फैले हुए हिन्दी प्रचार कार्य को सुसंगठित किया। इस कार्य में श्री मो. सत्यनारायणजी से उन्हें बहुत बड़ी सहायता मिली। श्री मो. सत्यनारायण जी ने 1920 के असहयोग-आंदोलन के ज़माने में स्कूल छोड़ दिया, और स्व० श्री को. हनुमंत राव, स्व० श्री मु. कृष्णाराव और डॉ० पट्टाभि सीतारामय्याजी द्वारा स्थापित मछलीपट्टणम की आंध्र जातीय कलाशाला में अध्ययन किया। उसके बाद वे नेल्लूर में श्री रामभरोसेजी के पास गये। श्री रामभरोसेजी जब कार्य से निवृत्त होकर चले गये, तब श्री सत्यनारायणजी आंध्र के संचालक हुए। इस पद पर क़रीब तीन वर्ष कार्य करने के बाद वे केंद्र-कार्यालय, मद्रास, में बुलाये गये और वहाँ परीक्षा-मंत्री, प्रचार-मंत्री, और अंत में प्रधान मंत्री बने। इस पद पर वे आज भी कार्य कर रहे हैं।

1932 में चारों प्रांतों में प्रांतीय कार्यालय खोले गये। और तमिलनाडु में स्व० श्री रघुवरदयालु मिश्र, आंध्र में स्व० श्री पीसपाटि वेंकट सुब्बाराव, कर्नाटक में स्व० श्री जमुनाप्रसाद और केरल में श्री देवदूत विद्यार्थी संचालक नियुक्त हुए। जब कार्य का विस्तार अधिक हुआ और जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगीं, तब 1936 में चारों प्रांतों में प्रान्तीय सभाओं की स्थापना हुई।

प्रान्तीय सभाओं की स्थापना के लिए आंध्र प्रान्त के प्रचारकों की ओर से बहुत दिनों से माँग हो रही थी। 1933 के कृष्णा पुष्करम् के अवसर पर आंध्र हिन्दी प्रचार सम्मेलन के 8-वें अधिवेशन में, जो श्रीमती दुर्गाबाई (श्रीमती देशमुख) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, और चौथे हिन्दी प्रचारक सम्मेलन में, जो पं० हरिहर शर्मा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था कि आंध्र प्रांत में एक स्वतंत्र सभा स्थापित की जाय और उसकी ओर से आंध्र में हिन्दी प्रचार कार्य चलाया जाय। इस कार्य के लिए अस्थायी समिति की नियुक्ति हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्व० श्री देशोद्धारक काशीनाथुनि नागेश्वर राव थे।

1933 के दिसंबर महीने में गांधीजी हरिजन यात्रा के सिलसिले में विजयवाड़ा आये। उस समय एक डेप्युटेशन स्व० श्री नागेश्वररावजी के नेतृत्व में गांधीजी से मिलने गया। सर्वश्री दुर्गाबाई, ओ. वेंकटेश्वर शर्मा, पीसपाटि वेंकट सुब्बाराव तथा भालचंद्र आपटे उसके सदस्य थे। इस डेप्युटेशन ने गांधीजी से निवेदन किया कि आंध्र प्रान्त का सारा हिन्दी कार्य एक स्वतंत्र संस्था की ओर से चलाने की वे अनुमति दें। गांधीजी ने यह राय दी कि एक वर्ष के अंदर सभा के हिन्दी प्रचार कार्य का पुनस्संगठन किया जायगा। उसके बाद आंध्र के कार्य के लिए अगर स्वतंत्र सभा की आवश्यकता महसूस हुई, तो वैसा करना उचित होगा।

गांधीजी ने दूसरे वर्ष श्री काका साहेब कालेलकरजी को दक्षिण के हिन्दी कार्य का निरीक्षण करने और आवश्यक सुधार सुझाने के

लिए भेजा। काका साहब ने सभा के संविधान में परिवर्तन सुझाये, और दक्षिण भारत के चारों प्रान्तों में सभा से संबद्ध प्रान्तीय सभाओं की स्थापना की सिफ़ारिश की। उसके अनुसार 1935 में प्रान्तीय सभाएँ स्थापित करने का निश्चय हुआ, और 1936 में प्रांतीय सभाओं की स्थापना हो भी गयी। आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की स्थापना जून, 1936, में हुई और स्व० श्री कोंड़ा वेंकटप्पय्याजी उसके प्रथम अध्यक्ष और स्व० पी. वेंकटसुब्बाराव प्रथम प्रान्तीय मंत्री हुए।

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार कार्य सुचारु रूप से चलने लगा; किन्तु उत्तर भारतीय अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था। हाँ, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं के लिये महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, ओरिसा, हैदराबाद आदि प्रान्तों में केंद्र खुल गये थे, और नित्य नये केन्द्रों के लिये माँग आने लगी थी। इसलिये गान्धीजी ने यह आवश्यक समझा कि उत्तर भारतीय अहिन्दी प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रचार करने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये। उन्होंने श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन तथा सम्मेलन से इस कार्य को शुरू करने का अनुरोध किया। सन् 1935 में इन्दौर में सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन फिर गान्धी जी की अध्यक्षता में ही हुआ, और वहीं गान्धी जी ने उक्त विचार को सम्मेलन के सामने रखा। किन्तु इस विचार को प्रत्यक्ष रूप मिला, सम्मेलन के नागपुर-अधिवेशन (1936) में। राष्ट्रपति (उस समय के) देशरत्न राजेंद्रप्रसादजी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। 4 जुलाई, 1936, के दिन इस अधिवेशन में ही इस कार्य के लिये हिन्दी प्रचार समिति की स्थापना हुई। आगे चलकर इसीका नाम 'राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' पड़ा। श्री राजेंद्रबाबू इसके अध्यक्ष चुने गये। उन्होंने इस समिति की स्थापना और कार्य के संबंध में अपनी 'आत्मकथा' में जो बातें लिखीं हैं, उन्हें ज्यों-का-त्यों नीचे दिया है—

"सम्मेलन ने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बना दी, जिसका सभापति मैं बनाया गया। सम्मेलन में एक प्रचार-समिति भी नियमानुसार हुआ करती है। नागपुर-सम्मेलन ने महसूस किया कि प्रचार-समिति हिन्दी-भाषी प्रान्तों में साहित्य-प्रचार का काम किया करे और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति उन प्रान्तों में राष्ट्रभाषा का प्रचार करे जहाँ की भाषा हिन्दी नहीं है। दक्षिण भारत में आन्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा बहुत अच्छा काम करती आ रही है, और उसके द्वारा प्रचार का काम खूब ज़ोरों से चलाया गया है। पर दूसरे अहिन्दी प्रांतों में यह प्रचार व्यवस्थित नहीं हुआ था। इसलिये गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में प्रचार कार्य करने का भार इस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को सौंपा गया।

"मैं इसका सभापति तो बना; पर इसके नीति-निर्देश का काम गान्धीजी ने किया, और अर्थ-संग्रह का सेठ जमनालाल बजाज ने। इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख व्यक्ति, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, पंडित दयाशंकर दुबे, डा० बाबूराम सक्सेना प्रभृति सदस्य बनाये गये। कुछ अहिन्दी प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप वहीं के हिन्दी प्रेमी सम्मिलित किये गये। यह समिति तीन बरसों के लिये ही बनायी गयी थी। पर वह तीन बरस बीतने पर फिर मनोनीत कर दी गयी। 1936 से 1942 तक, छह बरसों में इस समिति ने अहिन्दी प्रांतों में विशेष कर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्री ज़िलों, उत्कल और आसाम में बहुत काम किया। विद्यार्थियों के लिये पुस्तकें बनवायीं, परीक्षाएँ लीं। हज़ारों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ दीं, और उत्तीर्ण भी हुए। सेठ पद्मापत सिंघानिया ने पाँच बरसों तक रु. 15,000/-वार्षिक, कुल 75,000/- रु. का दान देकर इसके अर्थाभाव को बहुत कुछ दूर कर दिया। श्री काका कालेलकर, श्री मो. सत्यनारायण, श्री श्रीमन्नारायण और दादा

सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के भूतपूर्व उपाध्यक्ष स्व. देशोद्धारक श्री काशीनाथुनि नागेश्वर राव पंतुलु (संस्थापक-संपादक, 'आंध्र पत्रिका,' मद्रास), जिनके उदार दान के कारण विजयवाड़ा में आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ का निजी भवन शीघ्र निर्मित हो सका, और जिनकी 'आंध्र पत्रिका' ने समस्त आंध्र देश में हिन्दी और राष्ट्रीयता का संदेश सोत्साह फैलाया।

सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

डाक्टर भोगराजु पट्टाभिसीतारामय्या और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य
(भूतपूर्व गवर्नर, मध्य प्रदेश) (भूतपूर्व गवर्नर-जेनरल, भारत)
जिन्होंने पहले से अभी हाल तक सभा के उपाध्यक्ष रहकर हिन्दी प्रचार कार्य में वेग और विस्तार लाने में योग दिया।

धर्माधिकारी के परिश्रम तथा उत्साह ने गांधीजी के वरद हस्तों के नीचे इसे एक व्यापक, प्रभावशाली, उच्चाकांक्षावाली, सफल संस्था बना दिया।"

श्री सत्यनारायण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम प्रधान मंत्री नियुक्त हुए। उन्होंने श्री काकासाहब कालेलकर की मदद से सभी उत्तर भारतीय अहिन्दी प्रांतों में दौरा किया, और अपनी संगठन-शक्ति का पूरा उपयोग कर हरएक प्रांत में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की शाखा-समितियाँ स्थापित कीं। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के नमूने पर ही प्रचार, परीक्षा, प्रकाशन आदि विभागों की आयोजनाएँ बनीं, और दो वर्षों के अन्दर उन आयोजनाओं के अनुसार कार्य भी आरंभ हुआ। दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का जो अनुभव सत्यनारायणजी को प्राप्त हुआ था, उसका पूरा लाभ तब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को मिला। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के परीक्षा-केंद्र 1930 से ही बंबई, पूना, सूरत, अहमदाबाद, कराची, कटक इत्यादि दूरवर्ती अहिन्दी प्रांतों में चल रहे थे। किंतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना के बाद सभा ने उक्त केंद्रों में परीक्षा चलाना बंद किया, और दक्षिण के चार भाषावार प्रांत—आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक—तक अपना कार्य-क्षेत्र सीमित रखा। वही आज भी जारी है।

इस तरह इन दोनों संस्थाओं में उत्तर तथा दक्षिण के कार्य-क्षेत्रों का बँटवारा हो गया। यह सिर्फ़ संयोग की बात है कि उत्तर भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य शुरू करने का श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और उसके कार्यकर्ताओं को प्राप्त है।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार कार्य की जो प्रगति की थी, उसीका मानों यह प्रत्यक्ष फल था कि सम्मेलन का 26-वाँ अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष कोई साहित्यिक नेता नहीं, मगर श्री जमनालाल बजाज ही चुने गये थे। स्व. जमनालालजी ने हिन्दी प्रचार कार्य के लिए, ख़ासकर दक्षिण के कार्य के लिए, धन-संग्रह कर जो हाथ बँटाया था उसके उपलक्ष में उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ही मानों हिन्दी-सेवियों ने उन्हें सम्मेलन का अध्यक्ष चुना था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी, श्री सी. राजगोपालाचार्य, श्री टी. प्रकाशम, स्व. डा. स्वमिनाथ अय्यर आदि उत्तर तथा दक्षिण के साहित्यकार उपस्थित थे। सम्मेलन के साथ भारतीय साहित्य परिषद का भी अधिवेशन हुआ था। इस कारण इस अधिवेशन को दक्षिण तथा उत्तर के साहित्यिकों के मेले का रूप मिल गया था।

1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल देश-भर में स्थापित हुए। मद्रास में श्री राजगोपालाचार्य जी मुख्य मंत्री नियुक्त हुए। राजाजी ने स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी। हर साल 125 स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने का निश्चय किया। उन्होंने सभा से कार्यकर्ता भेजने को लिखा। इसलिए मद्रास में कृष्णन पंडाले हिन्दी प्रचारक विद्यालय की स्थापना हुई। डा० गोपीनाथ पंडाले ने अपने बड़े भाई, श्री जस्टिस कृष्णन पंडाले के प्रति श्रद्धा के रूप में जो रु. 5,000/- का दान, दिया, उससे यह विद्यालय आरंभ हुआ। राजाजी का मंत्रि-मण्डल 1939 तक रहा। इस अवधि में मद्रास प्रान्त के, जिसमें उस समय आन्ध्र भी शामिल था, 250 से अधिक स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई का प्रबंध हो गया।

1939 में महासमर शुरू हुआ और कांग्रेस मंत्रि-मंडलों ने इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद सन् 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 का "भारत छोड़ो" आन्दोलन अनुक्रम से शुरू हुए। राजाजी के मंत्रिमंडल ने स्कूलों में हिन्दी को जो अनिवार्य स्थान दिया था, सरकार ने उसे ऐच्छिक बना दिया। फिर भी जनता में हिन्दी के प्रति प्रेम अधिक बढ़ा। हिन्दी पढ़नेवालों की संख्या नित्य बढ़ती ही गयी, और 1945 में जब नेतागण

जेल से रिहा हुए, तब हिन्दी आन्दोलन अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच चुका था। 1943 में ही हिन्दी आन्दोलन को शुरू हुए 25 वर्ष हो चुके थे। किन्तु उसकी रजत-जयंती उस समय नहीं मनायी जा सकी। नेताओं के रिहा होने पर 1946 में वह मनायी गयी।

रजत-जयंती-उत्सव हिन्दी आन्दोलन की एक अभूतपूर्व घटना है। हिन्दी आंदोलन के संस्थापक और राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी की अध्यक्षता में लगातार दस दिन यह उत्सव मनाया गया। यह उत्सव उस ज़माने के किसी कांग्रेस के अधिवेशन की बराबरी का था। उसी नमूने पर एक हिन्दुस्तानी नगर बना था, जिसमें एक विशाल पंडाल, प्रदर्शिनी, प्रतिनिधि-निवास, भोजनालय आदि का बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया था। गान्धीजी स्पेशल ट्रेन से पधारे थे और स्पेशल ट्रेन से ही दक्षिण भारत भर का दौरा कर वापस वर्धा गये थे।

रजत-जयंती के अवसर पर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का 13-वाँ पदवीदान समारंभ, साहित्यिक और कलाकार सम्मेलन, विद्यार्थी-सम्मेलन, महिला-सम्मेलन, मज़दूर-सम्मेलन, इत्यादि अन्यान्य प्रकार के कई सम्मेलन सभा के विशाल प्रांगण में संपन्न हुए थे। रोज़ शाम को गान्धीजी की प्रार्थना-सभाएँ होतीं। सभाओं में गान्धीजी हिन्दी को छोड़ किसी दूसरी भाषा में नहीं बोलते थे।

रजत-जयंती उत्सव का अपना एक ख़ास महत्व एक और कारण से है। इस अवसर पर गान्धीजी ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के नाम और रूप को स्पष्ट किया था। उन्होंने रजत-जयंती निधि के लिये जो अपील की थी, उसमें यह स्पष्ट किया था कि जो कोई उनकी इस नयी व्याख्या को स्वीकार करता है वही धन दे। गान्धीजी की अपील यों थी :—

रजत जयंती के अवसर पर गान्धीजी की अपील

"संरक्षकों का यह निवेदन मैं पढ़ चुका हूँ। मुझे पसंद है। मेरी आशा है कि जितने रुपये की माँग इसमें की गयी है, वह सब लोगों की तरफ़ से मिल जाएँगे। दक्षिण के प्रान्तों में राष्ट्रभाषा के लिये बहुत काम हुआ है, ऐसा मेरा विश्वास है, और भविष्य में उससे भी अधिक होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन जो पैसे मिलनेवाले हैं, उनका उपयोग राष्ट्रभाषा का जो अर्थ मैंने बताया है, उस अर्थ की सिद्धि के लिये होगा, ऐसा समझकर लोग पैसे दें। राष्ट्रभाषा का अर्थ जैसे निवेदन में बताया है, वैसे हिन्दी और उर्दू शैली, नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जानेवाली भाषा है। इसका अर्थ यह होता है कि सिर्फ़ हिन्दी जो देवनागरी में लिखी जाय उसे राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते, न सिर्फ़ फ़ारसी या उर्दू लिपि में लिखी जाय उसको। जब हम राष्ट्रभाषा जाननेवाले उसे दोनों लिपियों में लिख सकेंगे और दोनों शैली में बोल सकेंगे, तब ही सच्ची हिन्दुस्तानी भाषा होगी। आज भी ऐसी भाषा, ऐसी हिन्दुस्तानी, लाखों हिन्दू-मुसलमान उत्तर में बोलते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमारी कम-नसीबी से ऐसे ही चलता रहेगा तो चलेगा, लेकिन हमारी इच्छा तो होनी चाहिये कि यह कम-नसीबी चली जायगी और जल्दी से मिट जायगी। हिन्दुस्तानी प्रचार का यही मतलब हो सकता है। इसलिये दक्षिण भारत में जो प्रचार कार्य चल रहा है, उसका झुकाव दोनों लिपियों को साथ-साथ चलाने की तरफ़ और दोनों शैलियों के प्रचार की तरफ़ होगा। यही मतलब सन् 1925 ई० में जो प्रस्ताव कांग्रेस ने किया, उसका है। वह प्रस्ताव यह था :—

"कांग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती है कि कांग्रेस, अखिल भारत कांग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी की

कार्रवाई आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलेगी। अगर कोई वक्ता हिन्दुस्तानी न जानता हो, या कोई आवश्यकता पड़े, तो अंग्रेज़ी या प्रान्तीय भाषा इस्तेमाल की जा सकती है।

"प्रान्तीय कमेटियों की कार्रवाई आम तौर पर प्रान्तीय भाषाओं में चलेगी। हिन्दुस्तानी भी इस्तेमाल की जा सकती है।"

सेवाग्राम, वर्धा,
ता. 8-8-1945 **मो. क. गांधी**

गान्धीजी की इस अपील को मानकर दक्षिण भारत की हिन्दी प्रेमी जनता ने क़रीब 3 लाख रुपये दिये, और 15,000 विद्यार्थी नयी हिन्दुस्तानी परीक्षा में बैठे। तब से आज तक सभा की परीक्षाओं में हर साल 1 लाख के ऊपर विद्यार्थी बैठते हैं।

हिन्दुस्तानी के संबंध में गान्धीजी को जो स्पष्टीकरण करना पड़ा, उसके पीछे का इतिहास संक्षेप में यहाँ कह देना अस्थानीय नहीं होगा।

1918 में इंदौर सम्मेलन में ही गान्धीजी ने हिन्दी भाषा के नाम और रूप के बारे में अपने विचार प्रकट किये थे। उसके बाद कानपुर-कांग्रेस में श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने राष्ट्रभाषा के संबंध में जो प्रस्ताव रखा था, उसमें 'हिन्दी याने हिन्दुस्तानी' शब्दों का प्रयोग कर 'हिन्दी' को 'हिन्दुस्तानी' का पर्यायवाची बनाया गया था। वह प्रस्ताव यों था :—

"काँग्रेस की यह सभा प्रस्ताव पास करती है कि काँग्रेस, अखिल भारत काँग्रेस कमेटी और वर्किंग कमेटी की कार्रवाई आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलेगी। अगर कोई वक्ता हिन्दुस्तानी न जानता हो या दूसरी आवश्यकता पड़ने पर, अंग्रेज़ी या प्रान्तीय भाषा इस्तेमाल की जा सकती है।"

"प्रांतीय कमेटियों की कार्रवाई आम तौर पर प्रांतीय भाषाओं में चलेगी। हिन्दुस्तानी भी इस्तेमाल की जा सकती है।"

इस संबंध में श्री राजेन्द्रबाबू ने अपनी 'आत्मकथा' (पृष्ठ 452, पैरा-3) में लिखा है—

"काँग्रेस के विधान में जहाँ भाषा का ज़िक्र है, वहाँ न हिन्दी शब्द का व्यवहार किया गया है, न उर्दू शब्द का; बल्कि वहाँ हिन्दुस्तानी शब्द का ही इस्तेमाल हुआ है। काँग्रेस के विधान में हिन्दुस्तानी शब्द का व्यवहार महात्मा गांधीजी और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने ही किया था।"

सम्मेलन के 1935 के इन्दौर-अधिवेशन में और बाद को नागपुर-अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के स्वरूप का स्पष्टीकरण दुबारा किया गया और हिन्दुस्तानी नाम तथा रूप मान लिया गया।

फिर भी हिन्दी जगत में हिन्दुस्तानी को लेकर एक तूफ़ान खड़ा किया गया, और राष्ट्रभाषा के आन्दोलन में दो दल बन गये। टंडनजी ने 'हिन्दी याने हिन्दुस्तानी' को छोड़ केवल 'हिन्दी' ही का आग्रह किया और गान्धीजी ने राष्ट्रीय दृष्टि से हिन्दुस्तानी का समर्थन किया। विवाद इतना बढ़ा कि गान्धीजी और राजेंद्रबाबू को सम्मेलन से हट जाना पड़ा। इसलिए 1940 में हिन्दुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना हुई। गान्धीजी अपने विचारों पर दृढ़ रहे; और इसलिए रजत जयंती के अवसर पर जब उन्होंने हिन्दुस्तानी प्रचार के लिए धन देने को दक्षिण भारतीयों से अपील की, तब हिन्दुस्तानी नाम, उसकी नागरी व उर्दू लिपियों और उसकी सरल शब्दावली पर ज़ोर दिया।

संविधान में राष्ट्रभाषा के नाम और रूप को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और अंत में निश्चय हुआ कि—

"हिन्दी देश की राजभाषा होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जायगी।"

उसके स्वरूप के संबंध में हिन्दुस्तानी शैली ही मान ली गयी, जिसका उल्लेख संविधान की धारा 351 में स्पष्ट रूप से किया गया है। वह धारा यों है—

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351

"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्ताक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

इस तरह हिन्दी आंदोलन अनेक कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए ठीक 30 वर्षों के बाद अपनी मंजिल पर पहुँचा। किंतु अभी कार्य बहुत बाकी है। संविधान में हिन्दी को स्थान तो मिला। लेकिन उसका व्यवहार राजकाज में कराने के लिए उसके सामने अनेक समस्याएँ हैं जिनमें पारिभाषिक पदावली, शासन, कानून आदि की पुस्तकें, कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण, शिक्षालयों में हिन्दी पढ़ाई की व्यवस्था, जनता में हिन्दी का प्रचार इत्यादि। इन्हीं सब बातों पर अपनी राय देने के लिए राष्ट्रपति ने संविधान के आदेशानुसार 1955 में राजभाषा-आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। यह आशा की जाती है कि यह रिपोर्ट शीघ्र ही मंजूर होगी, और उसके अनुसार कार्रवाई शुरू होगी, जिससे 1965 के अंत तक राजभाषा हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान ले सकेगी।

राजभाषा-आयोग को आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ तथा हिन्दी प्रचार एवं विशारद विद्यालयों की ओर से ता. 21-12-'55 को कर्नूल में श्री भालचन्द्र आपटे द्वारा मान-पत्र समर्पित किया गया। आयोग के अध्यक्ष श्री बी. जी. खेर ऊपर के चित्र में काली कोट पहने बीच में, और सदस्य श्री मो. सत्यनारायण बायीं ओर पहले बैठे दर्शित हैं।

सभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

स्व० श्री ए. रंगस्वामी अय्यंगार

(भूतपूर्व संपादक, 'हिन्दू', मद्रास)

जिन्होंने अपने सुप्रसिद्ध अंग्रेज़ी दैनिक 'हिन्दू' के ज़रिये हिन्दी प्रचार कार्य में सभा को सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

दक्षिण में हिन्दी के प्रथम प्रचारक

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आंदोलन की योजना ही नहीं बनायी, बल्कि उसको कार्यान्वित करने के लिए अपने सुपुत्र **श्री देवदास गांधी** को भी यहाँ भेज दिया। स्व. श्री देवदास गांधी आज समस्त दक्षिण में हिन्दी के प्रथम प्रचारक के रूप में कृतज्ञता के साथ याद किये जाते हैं।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा

(श्री क. म. शिवराम शर्मा)

सन् 1918 में इन्दौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवाँ अधिवेशन महात्मा गान्धी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य शुरू किया जाय, और उसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्त्वावधान में चलाया जाय। इसके लिए महात्माजी की प्रेरणा से सम्मेलन में ही आवश्यक धन-संग्रह किया गया। तदनुसार दक्षिण भारत में व्यवस्थित रूप से हिन्दी प्रचार का काम सन् 1918 में मद्रास शहर में शुरू हुआ। महात्माजी ने अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को प्रथम प्रचारक बनाकर मद्रास भेजा। इसी वर्ष के मई महीने में उन्होंने प्रचार का काम शुरू किया। इस कार्य में जनता ने समुचित प्रोत्साहन दिखाया। अकेले श्री देवदास गान्धी काम संभाल नहीं सके, तो उसी वर्ष स्वामी सत्यदेवजी उनकी सहायता करने के लिए आये। देवदासजी उत्साही नवयुवक थे और सत्यदेवजी अनुभवी विद्वान प्रचारक। देवदासजी इंन्डियन प्रेस की बालोपयोगी पुस्तकों से ही काम लेते थे। स्वामी सत्यदेवजी ने समझा कि दक्षिण भारतीयों के लिए अलग हिन्दी पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिये विशेष रूप से हिन्दी की पहली पुस्तक लिखी।

प्रचार का यह काम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, की ओर से चलता था। इसलिए मदरास में प्रचार का काम चलानेवाली संस्था "हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यलय" कहलायी। इस सम्मेलन का कार्यालय पहले साहुकारपेट के पास नारायण मुदलि गली में स्थापित हुआ। सन् 1919 में श्री हरिहर शर्मा प्रयाग में हिन्दी शिक्षा पूरी करके मदरास वापस आये। इनके आने के कुछ महीने पूर्व ही स्वामी सत्यदेवजी प्रयाग वापस चले गये। श्री देवदास गांधी और हरिहरशर्माजी हिन्दी प्रचार का काम भी करते और कार्यालय भी चलाते थे।

सेलम शहर में तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार का काम आरंभ हुआ। श्री हरिहर शर्मा के साथी श्री मल्लादि आंजनेय और श्री क. म. शिवराम शर्मा ने आन्ध्र में, अर्थात् सन् 1919 सितंबर के आरंभ में श्री मल्लादि आंजनेय ने मछलीपट्टणम में तथा उसी महीने के अंत में श्री शिवराम शर्मा ने राजमहेंद्री में, काम शुरू किया। उस साल के अंत में तीन और उत्तर भारतीय दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने आये। बिहार के एक सज्जन श्री प्रतापनारायण वाजपेयी तिरुच्चिरापल्ली में और दूसरे एक राजस्थानी सज्जन श्री क्षेमानंद राहत मद्रास में काम करने लगे। तीसरे श्री हृषीकेश शर्मा जी थे, जो मछलीपट्टणम की आन्ध्र जातीय कलाशाला में काम करते थे।

दिसंबर, 1919, में श्री देवदास गांधी ने दक्षिण के हिन्दी प्रचार केंद्रों का निरीक्षण किया। इस सिलसिले में वे तिरुच्चिरापल्ली, सेलम, कोयमुत्तूर, राजमहेन्द्रवरम और मछलीपट्टणम गये। अप्रैल, 1920, में पटना में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ। उसमें श्री देवदास गांधी, श्री हरिहर शर्मा, श्री क्षेमानंद राहत, श्री हृषीकेश शर्मा और श्री क. म. शिवराम शर्मा उपस्थित रहे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के संचालकों ने इनसे विचार-विनिमय करके आगे का कार्यक्रम निश्चित किया। इस निश्चय के अनुसार 1920 के मई महीने में छह नवयुवकों का एक दल हिन्दी शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रयाग भेजा गया, जिसमें स्व० श्री जंध्याल शिवन्नशास्त्री तथा स्व० श्री पीसपाटि

सुब्बाराव के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके कुछ समय बाद मद्रास कार्यालय जार्ज-टाऊन से मइलापुर लाया गया। यहाँ पहुँचने के बाद कार्यालय का काम बहुत बढ़ गया। इसलिए केवल कार्यालय का भार संभालनेवाले कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तब तक प्रचारक ही कार्यालय का काम और प्रचार संबंधी काम, दोनों संभालते थे।

पटना-सम्मेलन के विचार-विनिमय के फलस्वरूप हिन्दी की कुछ नयी पुस्तकें निकालने का प्रबंध होने लगा। पहले श्री हरिहर शर्मा और श्री शिवरामशर्मा ने हिन्दी-अंग्रेज़ी और हिन्दी-तमिल स्वबोधिनियाँ तैयार कीं। इन स्वबोधिनियों का उद्देश्य यह था कि लोग तमिल या अंग्रेज़ी के माध्यम से बिना अध्यापक की सहायता के हिन्दी सीख सकें। श्री हृषीकेश शर्मा ने इसी ढंग की हिन्दी तेलुगु स्वबोधिनी तैयार की। मद्रास में हिन्दी की पहली पुस्तक और हिन्दी की दूसरी पुस्तक भी तैयार हुईं। दक्षिण भारत में इन सभी पुस्तकों की बड़ी माँग रही। इन पुस्तकों की छपाई एक मामूली प्रेस में हुई थी। पर इस प्रेस में छपाई में समय और व्यय दोनों अधिक लगे; तो भी काम संतोषजनक न रहा। इसलिए सभा का एक निजी प्रेस खोलना आवश्यक हो गया। मइलापुर के जिस मकान में कार्यालय लाया गया था, वह प्रेस के योग्य नहीं था। इसलिए 1921 के अंत में कार्यालय का स्थान फिर बदल दिया गया। तिरुवल्लिकेणी में एक मकान लिया गया और वहाँ छोटे पैमाने पर हिन्दी प्रचार प्रेस की स्थापना हुई। धीरे-धीरे प्रेस की उन्नति बराबर होती आयी। 1936 में सभा को त्यागरायनगर में अपना भवन बनवाने का सुयोग मिला। तबसे कार्यालय और प्रेस, दोनों त्यागरायनगर में ही स्थित हैं।

1922 के शुरू में दक्षिण भारतीय युवकों का एक और दल हिन्दी की शिक्षा पाने के लिए प्रयाग भेजा गया।

इसके बाद दक्षिण के नवयुवकों को प्रयाग न भेजकर दक्षिण में ही हिन्दी विद्यालय चला कर उनके द्वारा योग्य प्रचारक तैयार करने का निश्चय किया गया।

इस उद्देश्य से राजमहेन्द्री और ईरोड में 1922 के अंत में विद्यालयों की स्थापना की गयी। अब यह निश्चय हुआ कि मद्रास शहर में ही एक केन्द्रीय प्रचारक विद्यालय चलाया जाय, जिसमें आंध्र, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा-भाषी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके अनुसार मद्रास शहर में विद्यालय खोला गया जो बड़ा सफल रहा।

1918 में जो काम शुरू हुआ, वह क़रीब पाँच वर्षों में खूब विकसित हुआ। पहले आंध्र और तमिल प्रदेशों में तथा बाद को केरल और कर्नाटक में हिन्दी प्रचार कार्य की व्यवस्था की गयी। दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार में द्रुतगति लाने और प्रचारकों को संगठित करने के उद्देश्य से समय-समय पर प्रचारक-सम्मेलन बुलाने का आयोजन बना। तदनुसार दिसंबर, 1922, में बेजवाड़ा में आंध्र प्रदेश के हिन्दी प्रचारकों की एक बैठक हुई। फलतः मद्रास में मार्च, 1923, को दक्षिण भारत के सभी प्रचारकों का सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष श्री भाई कोतवाल थे। श्री कोतवाल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचार कार्य का निरीक्षण करने भेजे गये थे। इस सम्मेलन में स्व. देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या, स्व० देशोद्धारक नागेश्वरराव, स्व. आंध्रकेसरी टी. प्रकाशम तथा तत्कालीन तमिलनाडु कांग्रेस की प्रांतीय कमेटी के मंत्री आदि कई प्रमुख सज्जन पधारे थे। इस सम्मेलन के बाद समय-समय पर प्रचारकों की बैठकें बुलाने का क्रम जारी हुआ।

जब से दक्षिण में विद्यालय चलने लगे, तब से आंध्र देश में प्रचार तेज़ी से बढ़ने लगा। प्रचारकों की संख्या भी बढ़ने लगी। आंध्र प्रदेश के लिए एक अलग शाखा-कार्यालय स्थापित करना आवश्यक प्रतीत हुआ। पहले-पहल

1922 में 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रचार कार्यालय—आंध्र-शाखा' की स्थापना नेल्लूर में हुई। श्री रामभरोसे श्रीवास्तव इसके संचालक बने। इनके सहायक श्री मोटूरी सत्यनारायण रहे। कुछ समय बाद यह कार्यालय नेल्लूर से बेज़वाड़ा लाया गया। तबसे श्री मोटूरी सत्यनारायण आंध्र में प्रचार का कार्य संभालने लगे। उधर धीरे-धीरे तमिलनाडु का भी काम बढ़ने लगा। तिरुचिरापल्ली में हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय की तमिलनाडु शाखा 1924 में स्थापित की गयी। श्री अवधनन्दन इसके प्रथम संचालक बने।

जब से विद्यालय दक्षिण में स्थापित हुए, तब से उनके विद्यार्थियों की परीक्षा का प्रबंध सभा-कार्यालय द्वारा ही होने लगा। इधर जनता में जब हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा, तब सामान्य लोगों के लिए भी परीक्षाएँ चलाना आवश्यक हो गया। पहली परीक्षाएँ 11 मार्च, 1923, रविवार के दिन दक्षिण के विभिन्न केन्द्रों में चलीं। उस समय तीन ही परीक्षाएँ चलायी गयीं—प्राथमिक, प्रवेशिका और राष्ट्रभाषा। इन तीनों के शुल्क क्रमशः चार आने, आठ आने और एक रुपया रहा। इन्हीं परीक्षाओं का विकास होते-होते आज इनको यह विराट् स्वरूप प्राप्त हुआ है। दक्षिण के हिन्दी प्रचार की उन्नति के साथ-साथ दक्षिण में प्रचारकों को हिन्दी-संबंधी सूचनाएँ पहुँचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता प्रतीत हुई। पं. हृषीकेश शर्मा के उत्साहपूर्ण संपादकत्व में जनवरी, 1922, (मार्गशीर्ष, सं. 1979) से 'हिन्दी प्रचारक' नामक पाक्षिक पत्र निकलने लगा। आज का 'हिन्दी प्रचार समाचार' उसीका विकसित रूपांतर है।

जब से दक्षिण में हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा, तब से हिन्दी साहित्य सम्मेलन दक्षिण भारत के कार्य का निरीक्षण बराबर करने लगा। सब से पहले सम्मेलन के प्रचार-मंत्री श्री रामनरेश त्रिपाठी दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार कार्य का निरीक्षण करने आये। उनके आगमन ने दक्षिण के प्रचारकों में काफ़ी उत्साह पैदा किया।

सन् 1923 में स्व० श्री रामदास गौड़ 1924 में श्री द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी और 1925 में बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन क्रमशः पधारे। श्री टंडन की इस समय की यात्रा के संबंध में एक घटना का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। दक्षिण के प्रसिद्ध श्री कांची काम-कोटिपीठाधीश जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी उन दिनों तंजावूर ज़िले के 'आवुडैयार कोविल' नामक तीर्थस्थान में विराजमान थे। श्री टंडनजी उनसे मिलने गये, तो श्री जगद्गुरु ने रु. 100 का दान दिया। यही दान हिन्दी प्रचार के लिए सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय दान रहा।

इधर काम बढ़ता गया और उधर प्रयाग से आवश्यक आर्थिक सहायता समय पर पहुँचती नहीं थी। दक्षिणवालों की शिकायत थी कि उत्तर से समुचित प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। संभवतः उत्तरवालों का यह विचार था कि दक्षिण में ही खर्च के लिए आवश्यक सारा धन प्राप्त हो जाता है; इसलिए इस संबंध में उत्तर को विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इधर गांधी जी का सदा यह विचार रहा कि दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार कार्य का भार दक्षिणवाले ही स्वयं अपने ऊपर लें। इस संबंध में प्रयाग के सम्मेलनवालों के साथ सलाह-मशविरा करके यह निश्चय किया गया कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भिन्न एक स्वतंत्र संस्था स्थापित की जाय, जिसका नाम 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' हो। बाद को सभा के लिए आवश्यक संविधान बनाया गया और यह सभा सन् 1927 में रजिस्टर (पंजीकृत) हुई। महात्माजी इस सभा के आजीवन अध्यक्ष रहे।

पं० हरिहर शर्माजी शुरू से ही सभा के प्रधान मंत्री रहे। उनके अथक परिश्रम से दक्षिण भारत के अनेक शहरों में हिन्दी के केन्द्र खुल गये। स्व. श्री पीसपाटि सुब्बाराव राजमहेंद्री में, श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या

मछलीपट्टणम में, श्री देवदूत विद्यार्थी तिरुवनंतपुरम में, स्व० श्री रघुवरदयाल मिश्र तंजावूर में और स्व० श्री जमुनाप्रसाद बेंगलूर में राष्ट्रभाषा का संदेश लेकर पहुँचे। श्री मोटूरि सत्यनारायण सभा के प्रचार-मंत्री तथा परीक्षा-मंत्री की हैसियत से काम करते रहे।

1936 में त्यागरायनगर के अपने निजी भवन में आने के बाद सभा के प्रेस की बड़ी तरक्की हुई। परीक्षाओं के लिए आवश्यक सभी पुस्तकें तैयार करायी गयीं और सभा के अपने ही प्रेस में उनकी छपाई भी हुई। सभा अब तक जनता में हिन्दी प्रचार करने पर ज़ोर देती थी। 1937 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन सभा के विशाल प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष स्व० जमनालालजी बजाज थे। उस अवसर पर श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, स्व. महादेव देसाई आदि नेता भी पधारे थे। उसके बाद से दक्षिण की शिक्षा संस्थाओं में हिन्दी को स्थान दिलाने के लिए प्रयत्न होने लगे।

धीरे-धीरे दक्षिण के चारों प्रांतों में हिन्दी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। । मद्रास केन्द्र से पूरा काम संभालने की अपेक्षा संगठन की सुविधा की दृष्टि से यह उत्तम समझा गया कि दक्षिण भारत में सभा की भाषावार प्रांतीय शाखाएँ खोली जायँ। इस निर्णय के अनुसार 1936 में आन्ध्र देश के लिए बेजवाड़ा में 'आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ', तमिलनाडु के लिए तिरुचिरापल्लि में 'तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा', केरल के लिए त्रिपुणित्तुरा (एर्णाकुलम्) में 'केरल प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा', और कर्नाटक के लिए बेंगलूर में 'कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा' क़ायम हुईं। इन प्रांतीय सभाओं के लिए भी संविधान बनाये गये। उनके मंत्री केन्द्र सभा की तरफ़ से नियुक्त किये गये। आन्ध्र के लिए स्व. श्री पीसपाटि वेंकट सुब्बाराव, तमिलनाडु के लिए स्व. श्री रघुवरदयालु मिश्र, केरल के लिए श्री देवदूत विद्यार्थी, तथा कर्नाटक के लिए श्री सिद्धनाथ पंत इन प्रांतीय शाखाओं के मंत्री नियुक्त हुए। इस विकेंद्रीकरण से जनता में तथा कार्यकर्ताओं में नयी स्फूर्ति आयी।

मद्रास में 1937 में प्रथम बार कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मुख्य मंत्री हुए, जो दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने घोषणा की कि सभी स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाय। अध्यापन-कार्य के लिए योग्य हिन्दी अध्यापकों की बड़ी आवश्यकता महसूस हुई। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने उस माँग की पूर्ति के लिए जगह-जगह विद्यालय चलाने का निश्चय किया। कई शिक्षक तैयार हुए। उसके पहले भी छोटे पैमाने पर विद्यालय चलते थे। सभा ने 'राष्ट्रभाषा विशारद' नामक एक उपाधि-परीक्षा पहले से ही चलाती थी, तथा उसकी पढ़ाई की व्यवस्था के लिए जगह-जगह विद्यालय भी। तिरुवल्लिक्केणी में तीन साल तक विद्यालय चला, जिसके प्रधानाध्यापक श्री हृषीकेश शर्मा रहे। इस विद्यालय में 'विशारद' तथा 'प्रचारक', दोनों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था थी। उपाधि-परीक्षा शुरू होने के बाद यह सोचा गया कि उपाधि-वितरणोत्सव के लिए एक पदवीदान-समारंभ का भी आयोजन किया जाय। उसके अनुसार प्रथम पदवीदान-समारंभ 1931 में हुआ। पहला दीक्षांत-भाषण श्री काका साहब कालेलकर ने दिया। तब से बराबर पदवीदान-समारंभ मद्रास में होते आये हैं, जिनके अभिभाषणकर्ताओं के विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं—

1931 आचार्य काका कालेलकर
1932 प्रोफ़सर मोहम्मद आग़ा शुस्तरी
*1933 पंडित रामनरेश त्रिपाठी
1934 बाबू प्रेमचन्द
1935 पंडित सुन्दरलाल
*1936 बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन
1937 जनाब याक़ूब हसन सेठ
1938 श्रीमती सरोजिनी नायुडू
1939 श्री बालगंगाधर खेर
1940 डाक्टर पट्टाभि सीतारामय्या

सभा के प्रथम प्रधान मंत्री

मद्रास में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रचार-कार्यालय के प्रथम संचालक और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, के प्रथम प्रधान मंत्री

श्री हरिहर शर्मा

प्रसिद्ध लेखक

दक्षिण के हिन्दी विद्यार्थियों के लिए सभा द्वारा
प्रकाशित प्रथम हिन्दी पाठ्यपुस्तक
"हिन्दी की पहली पुस्तक" के प्रसिद्ध लेखक
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक

*

*

सभा की प्रथम पत्रिका के
प्रथम संपादक

सभा की प्रथम पत्रिका 'हिन्दी प्रचारक' के
सर्वप्रथम संपादक
श्री हृषीकेश शर्मा

1941 आचार्य विनोबा भावे
1942
1943 जनाब सैय्यद अब्दुल्ला ब्रेल्वी
※1946 राजकुमारी अमृत कौर
1948 डाक्टर ज़ाकिर हुसैन
1949 आचार्य विनोबा भावे
1950 श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर
1952 श्री श्रीप्रकाश
1953 श्री ए. जी. रामचंद्र राव
1954 श्री बी. रामकृष्ण राव

1933, 36 और 46 के पदवीदान-समारंभों के अवसर पर पूज्य महात्माजी ने अध्यक्षासन ग्रहण किया था।

शिक्षा संबंधी बातों में सभा को सलाह देने के लिए शिक्षा-परिषद का भी निर्माण किया गया था जिसके लिए सभा के कार्यकर्ताओं में से सदस्य चुने जाते थे। पहले इस परिषद में सभा के वेतन-भोगी कार्यकर्ता ही थे। बाद को जब प्रमाणित प्रचारक योजना बनी, तब उन लोगों में से भी कुछ सदस्य चुने जाने लगे।

सभा के शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित कर सुचारु रूप से चलाने के लिए और पढ़ाई के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भी यह सोचा गया कि योग्य अध्यापकों के पास अध्ययन करके ही विद्यार्थी सभा की परीक्षाओं में बैठे। इस मकसद को मद्दे नज़र रखते हुए प्रचारकों को प्रमाणित करने की नयी प्रणाली 1940 से शुरू की गयी। इसके अनुसार 'विशारद' तथा तत्सम परीक्षोत्तीर्ण अध्यापक ही विद्यार्थियों को तैयार कर सकते हैं। उन्हींको 'प्रमाणित प्रचारक' प्रमाण-पत्र दिये जाने का क्रम रखा गया है। उस तरह के प्रमाणित प्रचारक अब क़रीब 5000 दक्षिण भारत भर में हिन्दी के प्रचार कार्य में संलग्न हैं।

1932 में परीक्षा-संबंधी बातों में सलाह देने के लिए परीक्षा-समिति तथा साहित्य संबंधी बातों में सलाह देने के लिए एक साहित्य-समिति—दोनों बनायी गयीं।

प्रांतीय सभाओं के निर्माण होने के बाद प्रांतों में हिन्दी प्रचार कार्य को संगठित करने तथा प्रांतीय मंत्रियों के कार्य में हाथ बँटाने के लिए भी 1939 में संगठकों की नियुक्ति हुई, जिनमें श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, श्री वेमूरि आंजनेयशर्मा, आन्ध्र में, श्री जी. सुब्रह्मण्यम और श्री बी. एम. कृष्णस्वामी तमिलनाडु में, ए. वेलायुधन और श्री केशवन्नायर केरल में और श्री हिरण्मय कर्नाटक में थे। आगे चलकर यही योजना विकसित हुई और 1950 में प्रधान मंत्री श्री मोटूरि सत्यनारायण की प्रेरणा से मंडल-योजना में परिणत हुई। दक्षिण भारत पंद्रह मंडलों में विभाजित किया गया और हर एक मंडल के लिए एक-एक संगठक नियुक्त किया गया। उसको तीन या चार ज़िलों में हिन्दी कार्य की देखभाल करने का काम सौंपा गया। इस नयी योजना के अनुसार अब मंडल-संगठक हिन्दी का संदेश कोने-कोने में पहुँचा रहे हैं।

1946 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयंती मनायी गयी, जिसके अध्यक्ष स्वयं महात्माजी थे। उन्होंने राष्ट्रभाषा के इस कार्य की गति को नयी दिशा की ओर मोड़कर उसके अनुकूल योजना बनायी। इस नयी योजना को कार्यान्वित करने के लिए 5 लाख रुपये का तख़मीना बना। प्रान्तों में प्रांतीय कार्यालयों के लिए निजी मकान बनवाने का ज़ोरों से प्रयत्न किया गया। फलस्वरूप विजयवाड़ा, तिरुच्चिरापल्ली, तथा एरणाकुलम में प्रांतीय सभाओं के लिए भवन बने। कर्नाटक प्रांत में भी बेंगलूर में मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति के लिए एक भवन बना।

सभा की रजत-जयंती के बाद साहित्यिक क्षेत्र में भी नये सिरे से काम होने लगा। दक्षिण भारत की संस्कृति, कला और साहित्य का हिन्दी माध्यम द्वारा परिचय करानेवाली 'दक्षिण भारत' नामक एक पत्रिका भी निकलने लगी। पंच भाषा कोष तैयार करने की भी आयोजना बनी। 'भारतीय हिन्दी कोष' का संपादन और प्रकाशन हुआ। 'बाल-साहित्य

माला' नामक एक पुस्तक सीरीज़ निकालने की व्यवस्था की गयी। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हिन्दी भाषा के द्वारा दक्षिण की भाषाओं तथा साहित्य की विशेषताएँ प्रकाश में लायी जायँ। इसमें काफ़ी सफलता भी मिलने लगी है।

जब 1938, '39 और '40 में कांग्रेस मंत्रि-मंडल हुकूमत करता था, तब सभा की रीडरें ही सभी स्कूलों में पाठ्य-पुस्तकें बनी थीं। सभा की पुस्तकें स्कूल तथा कालेजों में बहुत लोकप्रिय हुई। उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में भी सभा की पुस्तकों की बड़ी माँग रही है। क्योंकि सभा की पुस्तकें वैज्ञानिक ढंग से तैयार की जाती हैं।

स्कूल-कालेजों में हिन्दी का प्रवेश हो जाने के कारण परीक्षार्थियों की संख्या भी दिन-ब-दिन बढ़ने लगी है। नीचे की तालिका से मालूम होगा कि गत पाँच वर्षों में किस तरह परीक्षार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती आयी है:—

वर्ष	केन्द्र	प्राथमिक	मध्यमा	राष्ट्रभाषा	प्रवेशिका	विशारद	प्रवीण	कुल
1952	859	31333	32007	15887	8866	4843	2162	95098
1953	832	29356	30692	15806	6961	3480	2741	89036
1954	973	29673	26252	15639	8025	5387	2426	87402
1955	1064	35125	30213	16436	8709	6062	2183	98728
1956	1223	42802	37071	18626	8151	6587	2131	115368
कुल जोड़		168289	156235	82394	40712	26359	11643	485632

1942 में जब महात्मा गान्धी के नेतृत्व में "भारत छोडो" आन्दोलन शुरू हुआ, और मुल्क में इन्क़लाब का नारा बुलन्द होने लगा, तब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा भी कई अहिंसक राष्ट्रीय नेताओं का अड्डा बना। सभा के निधिपालक श्री बच्चु जगन्नाथ दास जी सभा के अहाते में ही गिरफ़्तार किये गये। सभा के प्रधान मंत्री श्री मोटूरि सत्यनारायण भी इस राष्ट्रीय तूफ़ान से बच नहीं सके। प्रधान मंत्री श्री सत्यनारायण जब नज़र-बन्द किये गये, तब सभा के शिक्षा-मंत्री पं० रघुवरदयालु मिश्र अपने कार्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री का भी काम संभालने लगे। कुछ वर्षों के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ और संविधान-सभा का निर्माण हुआ, तब सभा के प्रधान मंत्री श्री मोटूरि सत्यनारायण उसके सदस्य चुने गये। तब से सभा में संयुक्त मंत्री-पद का निर्माण हुआ, जिसपर श्री रघुवरदयालु मिश्र नियुक्त हुए। साहित्य, शिक्षा और परीक्षा विभाग अलग-अलग कर दिये गये। एस. आर. शास्त्री शिक्षा-मंत्री और श्री एस. महालिंगम परीक्षा-मंत्री नियुक्त हुए। साहित्य-मंत्री का काम संयुक्त-मंत्री ही संभालते रहे।

पहले हिन्दी के नाम से सभा राष्ट्रभाषा का प्रचार करती थी। हिन्दी शब्द की व्याख्या के बारे में जब गान्धीजी तथा साहित्य सम्मेलन में मतभेद हुआ और गान्धीजी उर्दू और हिन्दी की मिली-जुली भाषा हिन्दुस्तानी को ही कौमी ज़बान बनाने पर ज़ोर देने लगे, तब सभा ने गान्धीजी का साथ दिया।

महात्माजी के निधन के बाद बाबू राजेन्द्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष चुने गये।

सभा सिर्फ़ भाषा का ही प्रचार नहीं करती है, बल्कि ललित कलाओं को भी प्रोत्साहित करती है। हाल में उसके लिए एक अलग विभाग भी खोला गया है, जो हिन्दुस्तानी संगीत, नाट्यकला आदि को सिखाने की व्यवस्था करता है। हमारे कई हिन्दी प्रचारक सफल अभिनेता भी हैं। आन्ध्र में एक ख़ास नाटक मंडली की स्थापना हुई जिसके सदस्यों ने विविध केन्द्रों में हिन्दी नाटक खेलकर लोगों में हिन्दी प्रचार के प्रति रुचि पैदा की। तुलसी-रामायण के पाठ और प्रवचन का भी आयोजन समय समय पर इस विभाग द्वारा भिन्न भिन्न केन्द्रों में किया जाता है।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा चाहती है कि उत्तर भारतवाले भी दक्षिणी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लें। इसके लिए सभा ने हिन्दी माध्यम से तेलुगु सिखाने के लिए 1928 में 'तेलुगु स्वयं शिक्षक' नामक एक पुस्तक निकाली जो उत्तर भारतीयों में काफ़ी लोकप्रिय बनी। उसके बाद 'तमिल स्वयं शिक्षक' तथा 'मलयालम स्वयं शिक्षक' भी प्रकाशित हुईं।

शिक्षा विभाग के पुनर्संगठन के बाद विद्यालयों में काफ़ी प्रगति होने लगी। सरकार की नीति अनुकूल रही। कई केन्द्रों में विद्यालय खोले गये, जिनमें 'विशारद' और 'प्रचारक' परीक्षओं के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की गयी। इन विद्यालयों में शिक्षा पाकर सैकड़ों नवयुवक दक्षिण भारत के स्कूलों में इस समय काम कर रहे हैं। केरल के स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य कर दी गयी है। अतः वहीं सब से ज़्यादा हिन्दी अध्यापकों की माँग रही। उसकी पूर्ति के लिए तिरुवनंतपुरम, एरणाकुलम, कोट्टयम, नागरकोविल (कन्याकुमारी) आदि केन्द्रों में विद्यालय शुरू किये गये। कर्नाटक के लिए मंगलूर और बेंगलूर में; आन्ध्र के लिए, चित्तूर, विद्यावन, अनकापल्लि, विजयवाड़ा, तेनाली, बल्लारी आदि केन्द्रों में; तमिलनाडु के लिए तिरुच्चिरापल्लि, तंजावूर आदि केन्द्रों में विद्यालय चलाये गये। मद्रास में सभा की देखरेख में गान्धीजी के प्रोत्साहन से महिलाओं के लिए अलग विद्यालय 1949 में शुरू किया गया जिसमें महिलाओं के लिए छात्रवास की भी व्यवस्था है। इसके दो वर्ष बाद प्रचारक विद्यालय भी शुरू किया गया जिसमें अध्ययन करके कई अध्यापिकाएँ दक्षिण भारत भर में काम कर रही हैं। इस महिला विद्यालय में चारों दक्षिणी भाषा-भाषी—अर्थात् तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा-भाषी— बहनें किसी जातीय अथवा प्रांतीय भेदभाव के बिना सामूहिक जीवन बिताती हैं और हिन्दी के वातावरण में अध्ययन करती हैं।

केन्द्र-सभा में शुरू से ही एक पुस्तकालय है। प्रति वर्ष उसमें नयी-नयी पुस्तकें जोड़ी जाती हैं। पुस्तकालय का एक अंग वाचनालय भी है जिसमें भारतवर्ष की प्रायः सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ मँगायी जाती हैं। हाल में भारत सरकार ने इस पुस्तकालय को रु. 10,000 का अनुदान देकर पुस्तकालय को अप-टु-डेट (अद्यतन) बनाने में सहायता की। इस पुस्तकालय की देखा-देखी प्रांतीय सभाओं ने भी अपने-अपने केन्द्रों में पुस्तकालयों का इन्तज़ाम किया है। भिन्न-भिन्न केन्द्रों की हिन्दी प्रेमी मंडलियाँ भी पुस्तकालय चलाती हैं।

सभा ने क़रीब 20 साल पहले ही भाषाओं के आधार पर प्रांतीय सभाओं का निर्माण किया था। केरल तीन भागों में विभक्त था, तिरुवितान्कूर, कोचिन तथा ब्रिटिश मलबार। इन तीनों इलाकों के कार्य को संभालने के लिए एक ही सभा 'केरल प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा' जिसका सदर मुकाम एरणाकुलम के पास, जो कोचिन राज्य में है, त्रिपुणितुरा में स्थापित है। तमिलनाडु के लिए तिरुच्चिरापल्ली में सभा कायम की गयी। कर्नाटक प्रांत पाँच सरकारों के अंतर्गत था; हैदराबाद, बंबई कन्नड़, मद्रास प्रांत का दक्षिण कन्नड़, कुर्ग तथा मैसूर। इन पाँचों इलाकों के लिए एक ही सभा—कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा बनी, जिसका सदर

दफ़्तर पहले बेंगलूर में था। बाद को धारवाड़ ले जाया गया। आन्ध्र प्रदेश विस्तृत था, एक हिस्सा ब्रिटिश के अधीन था और दूसरा हैदराबाद रियासत के। आन्ध्र का सदर दफ़्तर बेज़वाड़ा में कायम किया गया। हैदराबाद में 1956 में उसका शाखा कार्यालय खोला गया, जिसने बढ़ते-बढ़ते हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ का रूप धारण किया। श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा इस शाखा के मंत्री नियुक्त किये गये। हैदराबाद रियासत के विलीन होने और आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के बाद दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा उक्त दोनों संघों को एक बनाने के प्रयत्न में लगी हुई है।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, जिसका जन्म 1918 में हुआ था, वह बढ़ते-बढ़ते दक्षिण भारत भर में अपनी शाखा प्रशाखाओं के साथ फैलकर एक बहुत ही विस्तृत संस्था बनी है। इस तरह की संस्था, जिसने जनता की अद्भुत सेवा की है, दक्षिण भारत में ही नहीं, भारत भर में अन्यत्र भी शायद ही कोई हो। इसने कई लोगों को हिन्दी में ही नहीं, अपितु अपनी-अपनी मातृभाषा में भी शिक्षित किया। सभा ने अपने सभी परीक्षा-पाठ्यक्रमों में दक्षिण की प्रांतीय भाषाएँ अनिवार्य कर दी हैं। सभा क़रीब 40 वर्षों से लगातार अथक परिश्रम करती आ रही है। आशा है कि सभा अपने उत्तरदायित्व को आगे भी दक्षता पूर्वक निर्वहण कर जनता की सेवा करने में तत्पर रहेगी।

*

ता. 30-4-55 को महिला हिन्दी प्रचारक विद्यालय, मद्रास का सत्रांत-समारोह संपन्न हुआ।

दक्षिण में हिन्दी आंदोलन के अग्रणी

सभा के भूतपूर्व प्रधान मंत्री
श्री हरिहर शर्मा

सभा के वर्तमान प्रधान मंत्री
श्री मोटूरि सत्यनारायण

सभा के भूतपूर्व संयुक्त मंत्री
स्व० रघुवरदयालु मिश्र

सभा के वर्तमान संयुक्त मंत्री
श्री अवधनंदन

सपादकत्रय

प्रस्तुत 'हिन्दी प्रचार का इतिहास (आंध्र)' के संपादकत्रय—(बायीं ओर से)

श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, श्री भालचंद्र आपटे और श्री रा. शारंगपाणि

आंध्र में हिन्दी प्रचार का विकास

(श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या)

राष्ट्रपिता महात्माजी ने जब 1918 में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का प्रारंभ किया, उसी समय दक्षिण भारत में आन्ध्र प्रान्त ने सर्वप्रथम उसका स्वागत किया। उस समय के राष्ट्रीय विद्यालय आन्ध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम, और तिलक महाविद्यालय, तेनाली, ने हिन्दी को स्थान दिया था। राजमहेन्द्री, गुंटूर, नेल्लूर, विजयवाड़ा और बरहमपुर आदि आन्ध्र प्रान्त के कई शहरों और गाँवों में भी प्रचार होने लगा था। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के निर्णय के अनुसार दक्षिण के चारों प्रान्तों में अलग-अलग शाखाएँ खोली गयीं। आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी प्रचार कार्य की ज़िम्मेदारी आन्ध्रों को सौंपकर प्रचार कार्य को सुसंगठित रूप से चलाने के उद्देश्य से आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की स्थापना 1936 में हुई। तब से आन्ध्र देश में हिन्दी का प्रचार सुसंगठित रूप से बढ़ने लगा है।

महात्मा गान्धीजी के द्वारा राष्ट्रभाषा प्रचार का यह कार्य दक्षिण भारत में 1918 में प्रारंभ तो हुआ; मगर आंध्र में हैदराबाद रियासत के संपर्क के कारण तथा यहाँ की जनता की साहित्यिक रुचि के कारण भी सन् 1918 से बहुत पहले ही हिन्दी का प्रचार कार्य यत्र-तत्र होने लगा था। इसीलिये कई हिन्दी या उर्दू के शब्द तेलुगु भाषा में हिलमिल गये। बापूजी के इस राष्ट्रभाषा आन्दोलन ने कई भावुक आन्ध्र नवयुवकों को अपनी ओर आकर्षित किया। 1919-20 में सर्वश्री अवधनंदन, रामानंद शर्मा, हृषीकेश शर्मा, रामगोपाल शर्मा, राम भरोसे आदि उत्तर भारत से आन्ध्र में हिन्दी प्रचार करने के लिए भेजे गये। शुरू से ही आन्ध्र देश ने गान्धीजी के स्वराज्य-आन्दोलन का स्वागत किया था। गान्धीजी के रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाने में भी वह आगे रहा। अतः सर्वश्री स्वर्गीय कोपल्ले हनुमंतराव, मुट्नूरि कृष्णाराव, देशोद्धारक काशीनाथुनि नागेश्वर राव, देशभक्त कोंड़ा वेंकटप्पय्या, ब्रह्मजोस्युल सुब्रह्मण्यम, दुग्गिराल गोपालकृष्णय्या, आन्ध्र-केसरी टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु आदि आन्ध्र देश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेताओं ने इस आन्दोलन का स्वागत और समर्थन ही नहीं किया, बल्कि इस आन्दोलन में सक्रिय सहायता भी की। इनके अलावा डा० भोगराजु पट्टाभि सीतारामय्या, सर्वश्री अनंतशयनम् अय्यंगार, गोल्लपूडि सीताराम शास्त्री, अय्यदेवर कालेश्वर राव, के. कोटिरेड्डी, आचार्य रंगा, गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तम राव, उन्नव लक्ष्मीनारायण, चेरुकुवाड़ा नरसिंहम आदि आजकल के नेताओं ने भी इस आन्दोलन में हाथ बँटाया।

दक्षिण से कई युवक हिन्दी की शिक्षा पाने के लिये उत्तर भारत भेजे गये, जिनमें सर्वश्री पं. हरिहरशर्मा, क. म. शिवराम शर्मा, स्व. जंध्याल शिवन्न शास्त्री, स्व. पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव, स्व. मुडुंबि नरसिंहाचार्युलु, मल्लादि वेंकट सीतारामांजनेयलु, दम्मालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, मेड़िचर्ल वेंकटेश्वर राव आदि मुख्य हैं। राजा मिट्टदोड्डि नरसिंहराव भी बाद को इनसे आकर मिले। हिन्दी की शिक्षा पाकर ये युवक लौटे और आन्ध्र के भिन्न-भिन्न केन्द्रों में हिन्दी प्रचार करने लगे। इनके कार्य में व्यवस्था लाने के लिये आन्ध्र शाखा का कार्यालय नेल्लूर में 1920 में खोला गया, जिसके संचालक श्री रामभरोसे थे। तब तक श्री मोटूरि सत्यनारायणजी भी इस क्षेत्र में आ गये थे। अपनी योग्यता तथा कर्मठता, कार्यकुशलता तथा दक्षता के कारण आप जल्दी ही कार्यकर्ताओं

के आदर के पात्र बन गये; और हिन्दी प्रचार कार्य के लिए संगठित इस शाखा के संचालक भी बन गये।

1922 ई० में राजमहेन्द्रवरम में प्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय का प्रारंभ किया गया, जिसके अध्यापक पं. श्री हृषीकेश शर्मा तथा पं. रामानंद शर्मा थे। इस विद्यालय में शिक्षा पानेवालों में सर्वश्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, श्री एस. वी. शिवराम शर्मा, भट्टारम वेंकट-सुब्बय्या, उन्नव वेंकटप्पय्या, जंध्याल राममूर्ति, इरगवरपु रामसोमयाजुलु आदि प्रमुख हैं, जो गत 35 वर्षों से इसी हिन्दी प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं।

सन् 1923 के दिसंबर महीने में काकिनाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें आन्ध्र के सैकड़ों हिन्दी प्रचारकों ने स्वयंसेवक बनकर काम किया। उस समय स्वागत-समिति के अध्यक्ष स्व० श्री देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या ने हिन्दी में ही अपना अध्यक्ष-भाषण दिया था, जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा महात्माजी से लेकर सभी नेताओं ने की थी। इससे आन्ध्र में हिन्दी प्रचार कार्य को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। आन्ध्र की जनता आरंभ से ही हिन्दी प्रचार के इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग देती रही। इस काकिनाड़ा कांग्रेस के अधिवेशन से जनता के बीच हिन्दी प्रचार को आगे बढ़ाने में और भी सुविधाएँ मिलीं। इसी समय स्व० श्री जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा के प्रचारकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

सन् 1924 में कांग्रेस के नेता नगर-पालिकाओं के अध्यक्ष बने। उनकी कोशिशों से विजयवाड़ा, गुंटूर, नेल्लूर आदि कुछ शहरों के मुनिसिपल स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था पहले-पहल हुई। इसके बाद धीरे-धीरे ज़िलाबोर्डों के स्कूलों में भी हिन्दी को स्थान मिलने लगा।

सन् 1933 में दक्षिण भारत से निकलकर हिन्दी यात्रीदल ने श्री मोटूरि सत्यनारायण जी के नेतृत्व में उत्तर भारत की यात्रा की, जिसके आन्ध्र की तरफ़ से श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या तथा स्व० डा० गुल्लपल्लि नारायणमूर्ति सदस्य रहे।

आन्ध्र देश के हिन्दी प्रचार के इतिहास को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले के 17 वर्षों तक का प्रचार कार्य सीधे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के द्वारा ही चलता रहा। उस समय श्री हरिहर शर्माजी सभा के प्रधान मंत्री थे। श्री मोटूरि सत्यनारायण जी प्रचार-मंत्री थे। बाद को श्री सत्यनारायण जी सभा के प्रधान मंत्री बने। जब से वे सभा के प्रधान मंत्री बने, तब से आप दक्षिण भारत-भर के हिन्दी प्रचार को अपने कार्य-संचालन की कुशलता के बल पर चला रहे हैं। यह सचमुच आन्ध्र देश के लिए गर्व की बात है।

सन् 1936 में जब से प्रान्तीय सभाओं की स्थापना हुई, तब से प्रान्तीय सभाओं को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि जिससे वे अपने-अपने प्रान्तीय क्षेत्रों में प्रचार कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक सब कार्य खुद कर लें। जब आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की स्थापना हुई,तब उसके अध्यक्ष पद के लिए स्व० देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या जी चुने गये। वे ही आजीवन इस संघ के अध्यक्ष रहे। श्री स्व० पीसपाटि सुब्बारावजी मंत्री नियुक्त किये गये। बाद को अर्थात् 1948 से 1954 तक स्व० श्री टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु संघ के अध्यक्ष चुने गये। अब श्री बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी संघ के अध्यक्ष चुने गये हैं। श्री पीसपाटि वेंकट सुब्बारावजी का जब 1941 में स्वर्गवास हुआ, तब श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या संघ के मंत्री बनाये गये। तब से आज तक वे ही इस कार्य को सँभाल रहे हैं। श्री एर्नेनि लक्ष्मी नारायण चौधरी संघ की स्थापना से लेकर आज तक संघ के कोषाध्यक्ष हैं।

आन्ध्र में यह संघ भिन्न-भिन्न साधनों के द्वारा हिन्दी प्रचार का कार्य कर रहा है, जिनमें निम्नलिखित साधन मुख्य हैं:—

(1) हिन्दी महासभाएँ
(2) हिन्दी प्रचारक सम्मेलन

(3) हिन्दी नाटकों का प्रदर्शन
(4) हिन्दी प्रेमी मण्डलियाँ
(5) हिन्दी प्रचार सप्ताह

हिन्दी महासभाएँ—सन् 1921 से ही हर साल आन्ध्र देश में महासभाएँ बड़े पैमाने पर चलायी जा रही हैं। हिन्दी प्रचार में लगे रहनेवाले सभी कार्यकर्ताओं को एक जगह एकत्रित होने, विचार-विनिमय करने तथा नये वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाने का मौका इससे मिलता रहता है।

सन् 1936 तक ये सभाएँ आंध्र कांग्रेस के अधिवेशनों के साथ चलायी जाती थीं। लेकिन 1936 से ये सभाएँ अलग चलायी जाने लगी हैं। इन सभाओं के अवसर पर हिन्दी प्रचार को प्रोत्साहित करने के लिए वाक्स्पर्धाएँ, नाटक-प्रदर्शन तथा पत्रिका-प्रदर्शिनी आदि का आयोजन किया जाता रहा है। निम्नलिखित विवरण से इन सभाओं का समाचार मिल जाता है। इन महासभाओं का अध्यक्षासन ग्रहण कर आंध्र के हिन्दी प्रचार आन्दोलन को जिन महानुभावों ने प्रोत्साहित किया, उन्हें हार्दिक धन्यवाद दिये बिना हम नहीं रह सकते।

वर्ष	स्थल	अध्यक्ष
1921	गुंटूर	श्री काजी साहब
1922	चित्तूर	श्री गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तमराव
1923	बेज़वाड़ा	श्री सूरि नरसिंहम पंतुलु
1924	गुंटूर	डा० भोगराजु पट्टाभि सीतारामय्या
1926	नंद्याल	स्व० श्रीमती अनीबेसेंट
1929	एलूर	डा० भो. पट्टाभि सीतारामय्या
1931	गुंटूर	श्री रामचंद्रुनि वामन नायक
1933	बेजवाड़ा	श्रीमती दुर्गाबायम्मा (श्रीमती देशमुख)
1937	एलूर	श्री मदनमोहन विद्यासागर
1938	काकिनाड़ा	श्री दुग्गिराल बलराम कृष्णय्या
1939	तेनाली	श्री स्वामी वेंकटाचलं श्रेष्ठी
1940	अनंतपुर	श्री मोटूरि सत्यनारायण
1941	कडपा	श्री चेंगल्वराय रेड्डी
1943	नंद्याल	श्री गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तम राव
1944	पेनुगोंड़ा	श्री बेज़वाड़ा गोपाल रेड्डी
1945	राजमहेंद्री	श्री भो. पट्टाभि सीतारामय्या
1946	बेज़वाड़ा	श्री उन्नव लक्ष्मीनारायण पंतुलु
1947	चित्तूर	श्री टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु
1949	एलूर	श्री माडभूषि अनंतशयनम् अय्यंगार
1953	गुंटूर	श्री गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तम राव
1954	विशाखपट्टणम	श्री रोकम लक्ष्मीनरसिंहम दोरा
1956	हैदराबाद	श्री मोटूरि सत्यनारायण

हिन्दी प्रचारक मण्डल—आंध्र प्रांत में कार्य करनेवाले हिन्दी प्रचारकों को कम-से-कम वर्ष में एक बार इकट्ठा करने तथा अपने कार्य के संबंध में आवश्यक जानकारी देकर उन्हें आगे के कार्य के लिए दिशादर्शन देने और शिक्षण-कला के नये-नये तरीकों से परिचित कराकर उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त कराने तथा कार्य को

सुदृढ़ बनाने में, आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की मदद करने के लिए आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचारक मण्डल की स्थापना 1922 में की गयी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रचारकों के वार्षिक सम्मेलन हिन्दी महासभाओं के साथ-साथ हुआ करते हैं। अब तक प्रचारकों की अध्यक्षता में 16 प्रचारक सम्मेलन हुए, जिनका विवरण यों है :—

वर्ष	स्थान	
1922	बेज़वाड़ा	श्री हृषीकेश शर्मा
1923	काकिनाड़ा	स्व० श्री काशीनाथुनि नागेश्वरराव पंतुलु
1924	गुंटूर	श्री भो० पट्टाभि सीतारामय्या
1935	बेज़वाड़ा	श्री हरिहर शर्मा
1937	एलूर	स्व० श्री ओरिगंटि वेंकटेश्वर शर्मा
1938	काकिनाड़ा	श्री एस. वी. शिवराम शर्मा
1939	तेनाली	श्री मोटूरि सत्यनारायण
1940	अनंतपुर	स्व० श्री पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव
1941	कडपा	पं० श्री रामानंद शर्मा
1943	नंद्याल	श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या
1944	पेनुगोंड़ा	श्री भट्टारम् वेंकटसुब्बय्या
1945	राजमंद्री	श्री व्रजनंदन शर्मा
1946	बेजवाड़ा	श्री अल्लूरि सत्यनारायण राजु
1947	चित्तूर	श्री शीर्ल ब्रह्मय्या
1949	एलूर	श्री एस. वी. शिवराम शर्मा
1951	विजयवाड़ा	श्री यलमंचिलि वेंकटेश्वर राव
1953	गुंटूर	श्री दुग्गिराल बलरामकृष्णय्या
1954	विशाखपट्टणम	श्री मोटूरि सत्यनारायण
1956	तेनाली	श्री पुतुंबाका श्रीरामुलु

नाटक-प्रदर्शन—आन्ध्र देश की आम जनता में हिन्दी प्रचार करने के लिए हिन्दी नाटक-प्रदर्शनों से काफ़ी सहायता मिली। बृन्दावन नाट्यमण्डली, मछलीपट्टणम ; हिन्दी प्रेमी मण्डली नाट्य समाज, एलूर ; हिन्दी नाटक मण्डली, चित्तूर ; हिन्दी प्रेमी नाट्य मण्डली, भीमवरम ; हिन्दी प्रेमी नाट्य मण्डली, राजमहेंद्री ; आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों के प्रति जनता की रुचि को बढ़ते देखकर आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की तरफ़ से आन्ध्र हिन्दी नाट्य मण्डली की स्थापना की गयी। इस मण्डली ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की अंतर-प्रान्तीय हिन्दी नाटक-स्पर्धा में भाग लिया ; और लगातार 1938, 1939 तथा 1940, तीनों वर्षों की स्पर्धाओं में सर्वप्रथम निकलकर शील्ड को जीता। इस मण्डली में आन्ध्र के कई उच्च-शिक्षा-प्राप्त प्रतिष्ठित सज्जनों ने तथा हिन्दी प्रचारकों ने भाग लिया था, जिनमें श्री गोडेपल्लि सूर्यनारायण राव, सर्वश्री दाड़ि गोविंदराजुलु नायुडु, वारणासि पद्मनाभम, पेम्मराजु रामाराव, नंडूरि रामकृष्णाराव, स्व० सोमंचि लिंगय्या, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, वेमूरि आंजनेय शर्मा, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, पसल सूर्यचंद्र राव, शीर्ल ब्रह्मय्या, अट्लूरि रामाराव और वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी प्रेमी मण्डलियाँ—आन्ध्र के 75 केन्द्रों में हिन्दी प्रेमी मंडलियाँ अब काम कर रही हैं। उन-उन केन्द्रों के हिन्दी प्रेमी मिलकर इन मंडलियों की स्थापना करते हैं। ये

सभा के सुप्रसिद्ध संरक्षक

श्रेयार्थी स्व० जमनालालजी बजाज

जिन्होंने अपने अत्यंत उदार दानों द्वारा हिन्दी प्रचार आंदोलन के संरक्षण और सभा के भवनों के निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

सामान्य भाषा आंदोलन के सबल समर्थक

पंडित जवाहरलाल नेहरू

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, और भारत सरकार के वर्तमान प्रधान मंत्री)
जिनके करकमलों से मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के
प्रधान कार्यालय भवन का उद्घाटन हुआ।

मंडलियाँ आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ से संबद्ध हैं। संघ की सूचनाओं के अनुसार उन-उन केन्द्रों में हिन्दी प्रचार का कार्यक्रम ये मंडलियाँ चलाती हैं। इनके कारण आन्ध्र देश के हिन्दी प्रचार को सुसंगठित करने में काफ़ी सुविधा मिली है और मिल रही है।

हिन्दी विद्यालय—संघ की तरफ़ से कडपा, कसनूर, चित्तूर, विनयाश्रम, गांधी आश्रम (कोमरवोलु), विजयवाड़ा, राजमहेंद्री, अनकापल्लि, अनंतपुर, आदि कई केन्द्रों में विशारद तथा प्रचारक विद्यालय चलाये गये और अब भी अन्यान्य कई केन्द्रों में विद्यालय चलाये जा रहे हैं। इनके अलावा स्वतंत्र रूप से श्री यलमंचिलि वेंकटप्पय्या, श्री बोयपाटि नागेश्वर राव और श्री यलमंचिलि वेंकटेश्वर राव क्रमशः ऐतानगर-पालेम, तेनाली तथा विद्यावन में हिन्दी विद्यालयों की स्थापना करके सफलतापूर्वक चला रहे हैं।

पत्रिकाएँ तथा हिन्दी प्रचार—आन्ध्र देश की कई दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकाएँ शुरू से ही हिन्दी प्रचार कार्य में संघ की मदद करती आ रही हैं। 'आन्ध्र पत्रिका', 'कृष्णा पत्रिका', तथा 'कांग्रेस पत्रिका' आदि ने हिन्दी सीखने के लिए पाठ भी नागरी तथा तेलुगु, दोनों लिपियों में प्रकाशित किये। इन पाठों के लेखन में श्री कर्णवीर नागेश्वर राव, श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या तथा स्व. पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव, आदि ने काफ़ी परिश्रम किया।

हर साल हिन्दी प्रचार सप्ताह गान्धी-जयंती के साथ-साथ आन्ध्र देश के सभी हिन्दी प्रचार केन्द्रों में मनाया जाता है। इस अवसर पर दूसरे रचनात्मक कार्यक्रमों में भी हमारे प्रचारक भाग लेते हैं। अनन्तपुर, नेल्लूर, राजानगरम, विजयनगरम आदि कई केन्द्रों में संघ ने हिन्दी प्रचार शिबिर चलाये। आन्ध्र के हिन्दी प्रचारकों को उत्साहित करने तथा उन्हें नयी स्फूर्ति देने में इन शिबिरों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

1942 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के लिए स्व. श्री काशीनाथुनि नागेश्वर राव पंतुलु के स्मारक के रूप में निजी भवन बनाया जिसका नाम नागेश्वरराव हिन्दी भवन है। इस भवन में प्रान्तीय कार्यालय स्थापित किया गया है। संघ के कार्य-विस्तार के लिए यह भवन पर्याप्त नहीं होने के कारण विद्यालय के लिए 3,500 वर्ग गज़ की ज़मीन ख़रीदी गयी जिसमें विद्यालय के लिए भवन का निर्माण किया गया। इस भवन का शिलान्यास, विजयवाड़ा स्टेशन पर 1946 में गान्धीजी से आशीर्वाद प्राप्त कर किया गया। करीब 10 वर्ष से हिन्दी प्रचारक विद्यालय इसी भवन में चलाया जा रहा है।

बड़ी खुशी की बात है कि आन्ध्र के हिन्दी प्रचारकों में कई कवि और लेखकों का आविर्भाव हुआ है, जिनमें सर्वश्री स्व० जंध्याल शिवन्न शास्त्री, हृषीकेश शर्मा, मोटूरि सत्यनारायण, पिंगलि लाजपति राय, चोड़वरपु रामशेषय्या, वारणासि राममूर्ति "रेणु", कर्णवीर नागेश्वर राव, यलमंचिलि वेंकटेश्वर राव, वेमूरि आंजनेय शर्मा, यलमंचिलि वेंकटप्पय्या, वद्दिपर्ति चलपति राव, वज्झल सुब्रह्मण्यम, दुर्गानंद, बैरागी, कोटा सुंदरराम शर्मा, ए. सी. कामाक्षि राव, दंडमूड़ि महीधर, दंडमूड़ि मंजुलता, ए. बालशौरि रेड्डी, कर्ण राजशेषगिरि राव, अयाचितुल हनुमच्छास्त्री, आ. रमेश चौधरी, वंकायलपाटि शेषावतारम, बूदराजु सुब्बाराव, बैसानि श्रीरामुलु गुप्त, दोनेपूडि राजाराव, दंडमूड़ि वेंकटकृष्णा राव, और बेमूरि राधाकृष्णमूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी प्रचार का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ मातृभाषा का प्रेम जनता में जाग्रत करना भी है। आन्ध्र देश में हिन्दी प्रचार को इस दिशा में काफ़ी सफलता मिली है। हिन्दी की परीक्षाओं में तेलुगु अनिवार्य बना दी गयी है। आन्ध्र देश के हिन्दी प्रचार की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने ग्रामीण क्षेत्र में भी पदार्पण किया। कई

अशिक्षत लोग भी हिन्दी द्वारा शिक्षित हुए। ऐसे कई महानुभाव अब आन्ध्र के कई केंद्रों में प्रचार कार्य में लगे हुए हैं।

आन्ध्र में ज्यों ज्यों हिन्दी प्रचार का कार्य बढ़ता गया, त्यों-त्यों संघ का कार्य भी बढ़ता गया। प्रारंभिक परीक्षाएँ चलाने का भार पहले-पहल आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ ने 1949 में अपने हाथों में लिया। साथ-साथ अक्टूबर 1951 में संघ ने अपने प्रेस की भी स्थापना की। संघ की तरफ़ से तेलुगु के साहित्यिक ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य शुरू किया गया। कोंड़ा वेंकटप्पय्या की 'आत्मकथा,' 'हिमबिंदु', 'नेलवंका', 'कथातोरणमु', 'काव्यतोरणमु', 'श्रीकृष्णरायबारमु' तथा 'प्रह्लादचरित्रमु' आदि संघ द्वारा प्रकाशित तेलुगु की साहित्यिक पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हैं।

आज आन्ध्र प्रान्त में करीब दो हज़ार से अधिक हिन्दी प्रचारक स्कूल-कालेजों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्रों में भी, हिन्दी प्रचार का कार्य कर रहे हैं। प्रांतीय कार्य को सुचारु रूप से संगठित कर हिन्दी कार्यकर्ताओं और हिन्दी प्रेमियों से निकटतम संबंध स्थापित करने और कार्य की प्रगति में योग देने के उद्देश्य से केन्द्र सभा द्वारा नियुक्त संगठक सन् 1939 से आन्ध्र प्रान्त में संगठन का काम कर रहे हैं। वे भिन्न-भिन्न केंद्रों में जाकर प्रचार कार्य का निरीक्षण करते हैं। सदस्य बनाकर संघ के लिए धन-संग्रह भी करते हैं। श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा तथा श्री चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा पहले से संगठक रहे। जब से नयी मण्डल-योजना अमल में आयी, तब से श्री चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा पूर्वान्ध्र मण्डल के, श्री चंद्रभट्ट अप्पन्न शास्त्री दक्षिणान्ध्र मंडल के, और श्री नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु मध्यान्ध्र मण्डल के संगठक नियुक्त किये गये।

केंद्रीय सभा की परीक्षाओं में हर साल आंध्र प्रांत से क़रीब 30 हज़ार विद्यार्थी बैठते हैं। जब से प्रारंभिक परीक्षाएँ संघ की तरफ़ से चलायी जाने लगीं, तब से परीक्षाओं की व्यवस्था में सुविधा हो गयी है। प्रारंभिक परीक्षाएँ चलाने में आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ को काफ़ी सफलता मिली है।

आज संघ के क़रीब 10 हज़ार तक सदस्य हैं, जो रु. 5 या रु. 10 वार्षिक चंदा देते हैं। इस साल सदस्यों की संख्या 1,200 रही। इस संघ की जब स्थापना हुई, तब उसकी आय मुश्किल से 10-12 सौ रुपये की थी। लेकिन अब वही संघ एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय-व्यय के साथ काम कर रहा है।

जब से हैदराबाद रियासत भारत में मिला ली गयी, तब से वहाँ तेलंगाना में हिन्दी प्रचार का कार्य संघ की तरफ़ से शुरू किया गया। संघ के कार्यकर्ता श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा वहाँ के कार्य-संचालन के लिए 1951 में हैदराबाद भेजे गये। दो-तीन वर्षों में ही वहाँ का काम इतना बढ़ गया कि अलग हैदराबाद संघ की स्थापना की आवश्यकता पड़ी। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के तत्वावधान में अब वहाँ कार्य चल रहा है। श्री बूर्गुल रामकृष्णराव, श्री रंगारेड्डी, स्वामी रामानंद तीर्थ, श्री चेन्नारेड्डी तथा डा. मेलकोटे जैसे प्रसिद्ध नेता संघ के कार्य में काफ़ी सहायता पहुँचा रहे हैं। हैदराबाद राज्य के विघटन के बाद तेलंगाने के ज़िले आंध्रराज्य में मिलाये गये। इस कारण गत साल श्री मोटूरी सत्यनारायणजी की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसादजी की उपस्थिति में प्रचारकों का जो बृहत् सम्मेलन हैदराबाद में हुआ, उसमें दोनों संघों के एकीकरण का प्रस्ताव सर्व-सम्मति से मंजूर किया गया। उस प्रस्ताव के अनुसार दोनों संघों के एकीकरण के लिए आवश्यक सभी प्रबंध किये गये। निकट भविष्य में आंध्र प्रदेश भर के लिए एक ही संस्था का निर्माण होनेवाला है।

इस प्रकार पहले-पहल 1918 के क़रीब आंध्र देश की उपजाऊ ज़मीन में हिन्दी प्रचार रूपी बरगद का जो बीज बोया गया, वह आज विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुका है,

जिसकी छत्र-छाया में हज़ारों-लाखों कार्यकर्ता तथा विद्यार्थी हिन्दी के अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए हैं। अब आंध्र के सभी मिडिल स्कूलों, हाईस्कूलों तथा कालेजों में हिन्दी को स्थान मिल चुका है। खुशी की बात है कि हाईस्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य भी कर दी गयी है।

राष्ट्रभाषा हिन्दी को अपनाने में दक्षिण भारत के दूसरे प्रांतों की अपेक्षा आंध्र के स्त्री-पुरुषों ने सर्वदा पूरा-पूरा उत्साह दिखाया है। आंध्र में हिन्दी का विरोध है ही नहीं। खासकर, पुरुषों की अपेक्षा आंध्र देश की देवियाँ हिन्दी सीखने में अधिक दिलचस्पी दिखा रही हैं।

आंध्र में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में यहाँ के सैकड़ों-हज़ारों हिन्दी प्रचारकों, हिन्दी प्रेमियों तथा नेताओं ने जो प्रशंसनीय और अनुकरणीय सहायता पहुँचायी है, उन सबको हमारी हार्दिक बधाइयाँ।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ का नवनिर्मित कार्यालय-भवन

दक्षिण के स्कूल-कालेजों में हिन्दी

(श्री एस. आर. शास्त्री)

महात्मा गांधी ने 1918 में जब इन्दौर में कांग्रेस-अधिवेशन हुआ था, तब दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की योजना बनायी, और कार्य आरंभ कराया। तब उनका मुख्य उद्देश्य जनता में, खासकर कांग्रेसी लोगों में, राष्ट्र-भाषा का प्रचार करना था। स्कूल-कालेज़ों की बात उस वक़्त नहीं सोची गयी। धीरे-धीरे दक्षिण के नवयुवक लोग हिन्दी की ओर आकर्षित हुए। कुछ नवयुवकों के मन में यह बात उठी कि स्कूलों के द्वारा, जहाँ छोटे-छोटे लड़के पढ़ते हैं, राष्ट्रभाषा का प्रचार दक्षिण में आसानी से हो सकता है। उस विचार-धारा के कारण 1927 में सरकार के पास स्कूलों में हिन्दी सिखाने के लिये अर्जियाँ भेजी जाने लगीं। स्वर्गीय रघुवर दयालुजी मिश्र ने, जो उस वक्त तंजौर में काम कर रहे थे, इस आन्दोलन में प्रमुख स्थान लिया; ज़िला के शिक्षा-अधिकारियों से तथा डी. पी. आई. से मिले। लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। उस वक्त जस्टिस पार्टी मद्रास सरकार चला रही थी। श्री ए. पी. पात्रो विद्या-मंत्री थे। उनसे भी मिले। वे हिन्दी जानते थे। तो भी, उन्होंने कहा—"जब तक मैं वज़ीरे-तालीम रहूँगा, तब तक हिन्दी को स्कूलों में प्रवेश न होने दूँगा। कोई स्कूल हिन्दी का प्रवेश करावे, तो उसकी मान्यता रद्द कराऊँगा, तथा सरकारी अनुदान बन्द करा दूँगा।" तब भी हम पस्त-हिम्मत न हुए। हमने सोचा कि आख़िर हमारा प्रयत्न सफल होकर ही रहेगा। कुछ दिनों में मंत्री-मंडल बदल गया। 'इण्डिपेंडेंट' मंत्री मण्डल आया। डा० बी. सुब्रह्मण्यम मुख्य मंत्री तथा विद्या-मंत्री बने। फिर से हम लोगों ने कमर कस ली। जी-तोड़ यत्न किया। प्रतिनिधि-दल (डिप्यूटेशन) विद्यासचिव के पास ले गये। कुछ क़ामयाबी मिली। एस. एस. एल. सी. के "सी" ग्रूप में एक कोने में हिन्दी का नाम भी "फ़ारिन लैंग्वेजज़" के बाद जोड़ा गया। इंजील की सूक्ति हमें याद आयी—"ओन स्टेप एनफ़ फ़र मी।" हम थोड़ा संतुष्ट हुए। कम-से-कम हमें स्कूलों में पैर रखने का स्थान तो मिल गया था!

इतने में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के प्रभाव के कारण सेलम नगर के मुनिसिपल स्कूल में हिन्दी लाज़िमी तौर पर पढ़ायी जाने लगी। आंध्र देश में नेल्लूर ज़िला बोर्ड के अध्यक्ष, श्री बी. रामचंद्रारेड्डी के—जस्टिस पार्टी के नेता होने पर भी—हिन्दी प्रेमी होने के कारण, ज़िला बोर्ड स्कूल में हिन्दी का प्रवेश हुआ। तब तक श्री रघुवरदयालु मिश्र मदुरा चले गये थे। उनके प्रयत्न से मदुरा के स्कूलों में "सी" ग्रूप में हिन्दी पढ़ायी जाने लगी। टाउन हाईस्कूल, कुंभकोणम, में भी "सी" ग्रूप में हिन्दी का समावेश हो गया था। धीरे-धीरे आंध्र के कई स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश होने लगा। पं. देवदूत विद्यार्थी, केरल में, पं० सिद्धनाथपंत, कर्नाटक में—ख़ासकर मैसूर में—इसी दिशा में प्रयत्न करने लगे। शुरू में अंग्रेज़ी "रिसिडेन्ट" के कारण वहाँ अधिक सफलता न मिली। पर प्रयत्न जारी था।

लेकिन हम लोग "सी" ग्रूप हिन्दी से संतुष्ट न रह सके। सौ में एक विद्यार्थी भी "सी" ग्रूप में हिन्दी न लेता था। अक्लमन्द लोग गणित या विज्ञान लेते थे। "सी" ग्रूप में किसी एक विषय—गणित, विज्ञान, इतिहास, बही-ख़ाता या कोई एक भाषा—का लेना पर्याप्त था। हम लोगों ने सरकार के पास अर्ज़ी भेजी कि द्वितीय भाषा-समूह में हिन्दी के लिये स्थान मिलना चाहिये। स्वर्गीय श्री के. संजीव कामत, श्री विद्यासागर पांडेय तथा पं० हरिहर शर्मा ने इस "साहस" में बड़ी सहायता पहुँचायी।

मद्रास में केन्द्र-सभा का कार्यालय-भवन

केन्द्र· के कार्यालय-भवन का दक्षि ी दृश्य

डी. पी. आई. के पास "डेप्यूटेशन" ले गये। पहले हार हुई, फिर प्रयत्न, फिर शिकस्त। पुनः प्रयत्न! लो! सफलता मिली! जस्टिस पार्टी के नेता श्री कुमारस्वामि रेड्डियार ने, जो तब शिक्षा-मंत्री थे, ऐलान किया कि जिनकी मातृभाषा कोई दक्षिणी भाषा नहीं है, वे विद्यार्थी एस. एस. एल. सी. के द्वितीय भाषा-समूह में हिन्दी ले सकते हैं। हम एक क़दम और आगे बढ़े। प्रांत में इने-गिने स्कूल ही इस सहूलियत से लाभ उठा सकते थे। इन स्कूलों में प्रथम स्कूल मद्रास क्रिस्टियन कालिज स्कूल था। उस स्कूल के हेडमास्टर श्री कुरुवेल्ला जेकब तभी इंग्लैंड से लौटे थे। उन्होंने द्वितीय भाषा के तौर पर अपने स्कूल में हिन्दी को स्थान दिया।

लेकिन हम लोग इससे भी संतुष्ट न रहे। हम चाहते थे कि स्कूलों में हिन्दी लाज़िमी तौर पर पढ़ायी जाय। पर, इस दिशा में आन्दोलन शुरू करने के लिए तब वातावरण स्कूलों में हिन्दी के अनुकूल न था। इसलिए इस प्रयत्न को हमने यहीं पर छोड़ दिया। मद्रास की देखादेखी, मैसूर, कोचीन, तिरुवांकूर में भी धीरे-धीरे स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश होने लगा।

हमने अब कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में हिन्दी को प्रविष्ट कराने की ओर ध्यान देना शुरू किया। मद्रास विश्वविद्यालय के सेनेट, अकाडमिक कौंसिल और सिंडिकेट में स्व० श्री सत्यमूर्ति, श्री रामदास पंतुल तथा श्री के. भाष्यम जबरदस्त सदस्य थे। हम लोगों ने उनसे मिलकर विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रवेश के लिए प्रस्ताव पेश करने का अनुरोध किया। वहाँ भी पहले हार, और बाद को जीत हुई। मेट्रिक, इण्टर तथा बी. ए. में द्वितीय भाषा के तौर पर हिन्दी का प्रवेश हुआ। इसको अमल में लाने का सारा श्रेय श्री एस. आर. शास्त्री तथा एरणाकुलम के श्री ए. चंद्रहासन को मिलना चाहिए। श्री ना. नागप्पा के अनवरत प्रयत्न से मैसूर में हिन्दी को स्थान मिला। 1930 में श्री सी. आर. रेड्डी, आंध्र विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे। वे हिन्दी के प्रेमी थे। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय में बी. काम. में हिन्दी को अनिवार्य कर दिया। इंटर और बी. ए. कोर्सों में भी स्थान दिया। सबसे पहले वी. आर. कालेज, नेल्लूर, में हिन्दी पढ़ायी जाने लगी।

बाद को 1938 में कांग्रेस मंत्रि-मंडल के हाथ प्रांत का अधिकार आया। श्री राजाजी प्रधान मंत्री हुए। डॉ० पी. सुब्बरायन शिक्षा-मंत्री हुए। राजाजी की सरकार ने ऐलान किया कि हिन्दुस्तानी पहले फ़ारम से तीसरे फ़ारम तक लाज़िमी तौर पर पढ़ायी जायगी। प्रतिवर्ष सौ स्कूलों में हिन्दुस्तानी का प्रवेश कराया जायगा। प्रांत में कुल 900 (नौ सौ) स्कूल थे। नौ सालों में सभी स्कूलों में राष्ट्रभाषा का प्रवेश होनेवाला था। लेकिन पच्छिम में द्वितीय विश्व-युद्ध शुरू हुआ। उस समय ब्रिटिश हुकूमत मुल्क में थी। कांग्रेस तथा ब्रिटिश हुकूमत के बीच मतभेद हो गया, तथा कांग्रेस मंत्रिमण्डल हट गया। गवर्नर के हाथ राज्य का सारा अधिकार आ गया। चार-पाँच साल तक यह स्थिति रही। स्कूलों में हिन्दी की प्रगति रुक गयी। 1945 के बाद फिर कांग्रेस के हाथ हुकूमत की बागडोर आयी। मद्रास राज्य में श्री अविनाशीलिंगम चेट्टियार शिक्षा-मंत्री बने। उन्होंने हिन्दी को अनिवार्य रूप से पहले फ़ारम से एस. एस. एल. सी. क्लास तक ऐच्छिक स्थान दिलाया। प्रायः सभी स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश होने लगा। लेकिन दक्षिण के कुछ भागों में, ख़ासकर तमिलनाडु में हिन्दी की पढ़ाई का विरोध होने लगा। एक-दो साल के बाद मंत्रि-मंडल में परिवर्तन हुआ। 1948 में श्री के. माधव मेनोन विद्या-मंत्री बने। उनके समय में हिन्दी बिलकुल ऐच्छिक बनायी गयी। हिन्दी न पढ़नेवाले दस्तकारी ले सकते हैं। हिन्दी परीक्षा में अंक पाना आवश्यक नहीं है। यही दशा अब भी मद्रास राज्य में है। लेकिन आंध्र राज्य स्थापित होने के बाद, इस साल से आंध्र राष्ट्र के सभी स्कूलों में पहले फ़ारम से चौथे फ़ारम तक हिन्दी को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की नीति आंध्र सरकार ने अख्तियार की है। अगले दो सालों के

अंदर छठे फ़ारम तक हिन्दी अनिवार्य रूप से, सप्ताह में दो पीरियड़, पढ़ायी जायगी। परंतु कम-से-कम व्यावहारिक ज्ञान पाने के लिए भी सप्ताह में दो पीरियड़ पर्याप्त नहीं होते। अतः हम चाहते हैं कि सप्ताह में 5 घंटे, अर्थात् प्रतिदिन एक घंटा हिन्दी लाज़िमी तौर पर पढ़ायी जाय।

तिरुवांकूर-कोचिन में दूसरे फ़ारम से छठे फ़ारम तक सप्ताह में 3 घंटे हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाती है; तथा परीक्षा में पास होना अनिवार्य भी है।

मैसूर राज्य में चौथे, पाँचवें तथा छठे फ़ारमों में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ायी जाती है। लेकिन हिन्दी में परीक्षा देना आवश्यक नहीं है।

कुर्ग राज्य में सभी स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हो रहा है।

हैदराबाद में भी सभी स्कूलों में हिन्दी पढ़ायी जाती है।

दक्षिण के सभी विश्वविद्यालयों से संबद्ध कालेजों में हिन्दी ऐच्छिक विषय के तौर पर पढ़ायी जाती है।

आंध्र विश्व विद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने बी. काम. के लिये हिन्दी को अनिवार्य विषय बनाया है। बाक़ी विश्वविद्यालयों में हिन्दी बी. काम. में अभी तक ऐच्छिक ही है।

यह संक्षेप में दक्षिण के स्कूल-कालेजों में हिन्दी प्रचार का परिचय है। हिन्दी प्रचार की यात्रा में हम अब पहली मंज़िल तक ही पहुँच पाये हैं। अंतिम लक्ष्य पर पहुँचने के पहले हमें कई मंज़िलें और पार करनी हैं।

सभी हाईस्कूल तथा कालेज़ों में सप्ताह में 5 घंटे हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हो जानी चाहिये। इस दिशा में हमारा प्रयत्न जारी है।

आशा है, प्रचारक बंधुओं के सहयोग से हमारा प्रयत्न सफल होकर ही रहेगा।

9-4-'55 को 'सभा' के शिक्षा-मंत्री श्री रा. शास्त्री ने हिन्दी प्रचारक विद्यालय, हैदराबाद में पधारकर विद्यालय के 1954-55 के सत्र का निरीक्षण किया। श्री तेजनारायणलाल (कुर्सी पर बायीं ओर से चौथे—बैठे), श्री वे. आंजनेय शर्मा (छठे—बैठे), मंत्री, हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ और अन्य अध्यापक तथा विद्यार्थीगण भी इस चित्र में दर्शित हैं।

बुनियादी पत्थर

(श्री वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति)

कोई भी इमारत तभी उठ खड़ी होती है जब उसमें कई पत्थर खप जाते हैं। उनमें भी कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो बुनियाद को पक्का बनाकर इमारत को मज़बूत बनाते हैं। उसे आलीशान बनाने में सहायक बनते हैं। वैसे ही, हर संस्था में कुछ त्यागी कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो बुनियादी पत्थरों की तरह काम आते हैं। संस्था का भार अपने ऊपर लिये रहते हैं। उन्हींकी मेहनत से संस्था फलती-फूलती है। असल में ऐसे कार्यकर्ताओं का काम ही सबसे कठिन है। ज़मीन को जोत-जात कर उसे खेती के लिए लायक बनाना, उसमें बीज बोना और जब पौधे निकलते हैं तब उनकी देख-रेख करना जितना मुश्किल है, उतना फ़सल काटना और अनाज जमा करना नहीं है।

ऐसे ही, दक्षिण भारत के, ख़ासकर आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी प्रचार पर जब ध्यान देते हैं, तब कितने ही सेवाव्रती कर्मठ कार्यकर्ता नज़र आते हैं। उन सबको पूज्य बापूजी के राष्ट्रभाषा-प्रचार के संदेश ने आकर्षित किया, जिससे प्रोत्साहित होकर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार आन्दोलन के इस सेवा-क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण के कई कार्यकर्ताओं ने पदार्पण किया। दक्षिण भारत में उस समय यह एक नया प्रयोग था। महात्माजी की प्रेरणा से 1918 ई० में दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का काम शुरू हुआ। पूज्य बापू के व्यक्तित्व तथा उत्तर दक्षिण के उत्साही व परिश्रमी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न ने दक्षिण में हिन्दी प्रचार की नींव पक्की कर दी। हिन्दी प्रचारक गान्धीजी के विचार-वाहक तथा राष्ट्रीय भावों के प्रेरक माने गये। इसलिए हिन्दी प्रचारक जनता के आदर के पात्र बन गये। 1927 में महात्माजी के आदेशानुसार दक्षिण भारतीयों ने हिन्दी प्रचार का कार्य अपने हाथ में लिया। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से काम करने लगी। सभा की चार प्रांतीय शाखाएँ खोली गयीं। आन्ध्र प्रांत में हिन्दी प्रचार करने के लिए विजयवाड़ा में 1936 ई० में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के नाम से प्रांतीय शाखा कार्यालय खुला। इसके पहले से ही नेल्लूर में उत्साही कार्यकर्ता श्री रामभरोसे तथा दक्षिण के श्री मोटूरि सत्यनारायणजी के मातहत आन्ध्र शाखा काम कर रही थी। 1936 से इस शाखा कार्यालय को स्थायी रूप दिया गया।

हैदराबाद रियासत के संबंध के कारण आन्ध्रवासियों के लिए हिन्दी या उर्दू नयी भाषा नहीं थी। फिर भी शुरू के उन दिनों में हिन्दी के प्रचारकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो भी वे उन सबको सुलझाते हुए काम बढ़ाते चले। फलस्वरूप आन्ध्र प्रान्त में हिन्दी का प्रचार खूब हुआ और हो रहा है। इसका सारा श्रेय उन सैकड़ों त्यागी हिन्दी प्रचारकों को है जिन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर बापूजी की कल्पना को साकार बनाने के लिए अपना सारा जीवन इस कार्य में लगा दिया और अब भी लगा रहे हैं।

आज यदि दक्षिण भारत भर के हिन्दी प्रचार का इतिहास लिखा जायँ, तो वही दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का इतिहास हो जाएगा। वैसे ही आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी प्रचार का इतिहास आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ का ही इतिहास हो जाएगा। आन्ध्र के हिन्दी प्रचार का पूरा इतिहास बताना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। परन्तु हम इक्के-दुक्के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की सेवाओं का यहाँ संक्षेप में उल्लेख करना चाहते हैं,

संघ की उन्नति के लिए चोटी का पसीना एड़ी तक बहाया और जो अब भी बहा रहे हैं।

आन्ध्र या दक्षिण के हिन्दी प्रचार का नाम लेते ही एक व्यक्ति की मूर्ति आँखों के सामने आये बिना नहीं रह सकती। वह है श्री मोटूरि सत्यनारायण की। सत्यनारायणजी तथा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा इन दोनों को अलग करना मुश्किल है। अद्भुत कार्य-कुशलता, संगठनात्मक शक्ति, नयी-नयी योजनाएँ बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने की क्षमता, अथक परिश्रम और श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर देनेवाली वक्तृत्व-शक्ति आदि का मूर्तिमान रूप सत्यनारायण जी हैं। आंध्र के इने-गिने प्रतिभाशालियों में से आप एक हैं। कृष्णा ज़िले के दोंडपाडु नामक गाँव में मध्यम श्रेणी के किसान के कुटुंब में आप पैदा हुए। आन्ध्र के किसान प्रायः बचपन से ही अपने बच्चों को खेती में लगा देते हैं। खेती करना गर्व की बात मानी जाती है। खेती करते-करते वे ज्ञान की पिपासा लेकर स्कूल की तरफ़ बढ़े। ग्रामीण स्कूलों में प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके आन्ध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम, में भर्ती हुए। वहाँ उनकी स्वतंत्र तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। फिर देश-रूपी विशाल शिक्षणालय में आपने पदार्पण किया। हिन्दी के आन्दोलन से आकृष्ट हुए। श्री रामभरोसे जी के यहाँ हिन्दी की शिक्षा पायी। हिन्दी प्रचारक बने। फिर नेल्लूर में रहकर आंध्र के हिन्दी प्रचार कार्य का संचालन किया। 1924 से 1927 तक आन्ध्र प्रान्तीय शाखा कार्यालय का काम संभाला। 1927 में मद्रास बुलाये गये। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की सेवा में लग गये। परीक्षा मंत्री, प्रचार-मंत्री आदि पदों पर काम संभालते हुए आखिर प्रधान मंत्री बन गये। तब से आज तक हिन्दी का यह काम सुचारु रूप से करते हुए देश के अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों में भी भाग लेते आ रहे हैं। स्वाध्याय द्वारा आपने अपने ज्ञान-भंडार की जो श्रीवृद्धि कर ली है, वह सचमुच चकित कर देनेवाली है। महात्माजी का आप पर विश्वास रहा। श्री राजगोपालाचार्य जैसे प्रतिभावान मनीषियों का सांगत्य आपको मिला। हिन्दुस्तान के कोने-कोने में आपने भ्रमण किया। हर प्रान्त की समस्याओं से आप परिचित हो गये। उस अनुभव तथा अपनी योग्यता के बल पर सभा के कार्य का इतना विस्तार आपने किया कि आज दक्षिण ही नहीं, बल्कि हिन्दुस्तान-भर की मज़बूत संस्थाओं में से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा भी एक मानी गयी है। 1942 में देश के अन्य नेताओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने आपको भी नज़रबन्द कर दिया। आपके प्रयत्नों से 1946 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयंती संपन्न हुई जिसमें बापूजी ने स्वयं भाग लिया। वह घटना दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार के इतिहास में ही नहीं, वरन् श्री सत्यनारायणजी के जीवन में भी सुवर्णाक्षरों में लिख रखने योग्य है।

जब से हमारा हिन्दुस्तान आज़ाद हो गया है, तब से उनके परिपक्व अनुभवों से सारा देश फ़ायदा उठाने लगा है।

भारत के संविधान में हिन्दी के बारे में जो निर्णय हुआ, उसमें सत्यनारायणजी का ज़बर्दस्त हाथ रहा। राज-भाषा आयोग के आप सक्रिय सदस्य रहे। केन्द्रीय सरकार की कई कमेटियों के सदस्य रहकर अपनी योग्यता का परिचय दे रहे हैं। तेलुगु भाषा समिति की स्थापना करके तेलुगु साहित्य-सदन की श्रीवृद्धि पर चार चाँद लगा दिये। अखिल भारतीय हिन्दी परिषद आपकी कल्पना का साकार रूप है। इन सब कारणों से आप राष्ट्रपति के द्वारा राज्य-सभा के सदस्य मनोनीत किये गये हैं। हिन्दी, तेलुगु, अंग्रेज़ी और तमिल आदि भाषाओं में किसी भी विषय पर आप विद्वत्तापूर्ण भाषण दे सकते हैं। इतनी भाषाओं में बोलने की आपकी यह शक्ति सचमुच भगवान का वरदान ही है।

सत्यनारायणजी आन्ध्र होते हुए भी सोलहों आने भारतीय हैं। दक्षिण भारत

स्कूलों में अनिवार्य हिन्दी-शिक्षण के विधाता

श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

जिन्होंने अपने मुख्यमन्त्रित्व-काल में मद्रास प्रांत के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई को अनिवार्य बनाकर दक्षिण में हिन्दी प्रचार आंदोलन को आगे बढ़ाया।

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष

स्व० श्री टंगटूरि प्रकाशम पंतुलु

जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व-काल में मद्रास प्रांत के स्कूलों में हिन्दी के शिक्षण और शिक्षकों की स्थिति को व्यवस्थित कर हिन्दी प्रचार आंदोलन को बहुत प्रोत्साहित किया

हिन्दी प्रचार सभा के कारण सत्यनारायणजी का गौरव बढ़ा, इसमें कोई संदेह नहीं; मगर आजकल यह कहने में संकोच बिल्कुल नहीं होता कि सत्यनारायणजी के कारण दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का भी गौरव बढ़ रहा है। इस तरह छत्तीस बरसों से भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के बीच, कई आँधियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए, उन सब पर विजयी हो कर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं।

जुलाई 1956 में हैदराबाद में हिन्दी प्रचार सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति राजेंद्रबाबू ने किया। श्री सत्यनारायण उस सम्मेलन के सभापति रहे। उस भरी सभा में राष्ट्रपति ने आपकी सेवाओं की प्रशंसा करते हुए जो कहा वह उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने भाषण में कहा—"यह सौभाग्य की बात है कि आपको सभापति के रूप में एक ऐसे सज्जन मिले हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन हिन्दी प्रचार में लगा दिया है, और जिनकी सेवा ऐसी हुई है जिसका उल्लेख, जब इतिहास लिखा जाएगा, तब बड़ी इज्जत के साथ, अच्छी तरह से किया जाएगा।......"

चालीस करोड़ भारतीय जानता के प्रतीक राष्ट्रपति राजेंद्रप्रसादजी के इन शब्दों से बढ़कर सत्यनारायणजी के उज्ज्वल जीवन की सफलता के परिचायक शब्द दूसरे और क्या हो सकते हैं?

महात्मा गान्धी के आशीर्वाद जब हिन्दी को मिले, तब उत्साहित होकर इस क्षेत्र में जो आन्ध्र देश के सेवाव्रती आये, उनमें तीन व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने इसी कार्य में रत-रहकर सदा के लिए आँखें मूँद लीं। उन तीनों में एक हैं स्व० जंध्याल शिवन्न शास्त्री, दूसरे हैं श्री पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव और तीसरे हैं स्व० ओरुगंटि वेंकटेश्वर शर्मा।

स्व० शिवन्न शास्त्री कृष्णा ज़िले के गुडिवाड़ा नामक शहर में पैदा हुए। वहीं पर सभा की तरफ़ से प्रचार कार्य किया। शास्त्रीजी तेलुगु भाषा के अच्छे विद्वान थे। इलाहाबाद में हिन्दी की शिक्षा पाकर 1921 तक आन्ध्र देश लौट आये। अहिन्दी प्रांतों के भाषा-भाषियों—ख़ासकर तेलुगु भाषा-भाषियों—को दृष्टि में रखकर उन्होंने हिन्दी व्याकरण की रचना की, जिसकी प्रशंसा हिन्दी साहित्य के महारथी स्व० महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी की थी। इसके अलावा पहले-पहल "हिन्दी-तेलुगु कोष" तथा "तेलुगु-हिन्दी कोष" की भी रचना की। उनके तीनों ग्रन्थ दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की ही तरफ़ से प्रकाशित किये गये। उन दिनों ऐसे उत्तम ग्रन्थों की रचना करके शास्त्रीजी ने हिन्दी के प्रचार को सरल बनाने का भरसक प्रयत्न किया। इस तरह हिन्दी के प्रचार में सक्रिय सहयोग पहुँचाते हुए शिवन्न शास्त्रीजी तैंतीस बरस की आयु में ही अचानक चल बसे।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के इतिहास में स्व० पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थूलशरीर, गंभीर आकृति, सरल चित्त, मीठी मुसकान और विनोदी प्रकृति, इन सबोंके साथ महान संयम, यह उनकी विशेषता थी। श्री सुब्बाराव गुंटूर जिले में पैदा हुए। पहले स्कूल टीचर बने। गान्धीजी की पुकार सुनकर टीचरी का पेशा छोड़ दिया और असहयोग आन्दोलन में कूद पड़े। बाद उन्हें हिन्दी प्रचार ने आकर्षित किया। 1921 में इलाहाबाद जाकर हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की और तब से आजीवन उसी कार्य में लगे रहे। हिन्दी प्रचार सभा का यह अहोभाग्य रहा कि सुब्बारावजी-जैसे कर्मठ सेवक उसे मिले। उनके बारे में श्री मोटूरि सत्यनारायणजी लिखते हैं—

"श्री सुब्बारावजी में एक अद्भुत सादगी थी, जिसका असर मेरे ऊपर भी बहुत पड़ा। मैं उन दिनों आन्ध्र प्रांत का मंत्री था। प्रायः हम लोग साथ रहते थे। एक रोज़ एक कांग्रेसी मित्र ने मुझसे कहा—'आपके सुब्बाराव एक अद्भुत व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि

वे मुझे हिन्दी सिखाये बिना नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास समय की बड़ी कमी रहती है। उनके अनुरोध में इतना प्रेम, विनय तथा आकर्षण रहता है कि 'न' कहना असंभव मालूम होता है। मैंने सुब्बारावजी से एक बार कहा कि मुझे दिनभर फ़ुरसत नहीं मिलती। रात को ग्यारह बजे के पहले सो नहीं पाता। अगर आप मुझे पढ़ा सकते हों, तो सबेरे पाँच बजे मेरे घर आया करें। दूसरे दिन सबेरे पाँच बजे मैं क्या देखता हूँ! मेरी स्त्री आकर कहती है कि हिन्दी सुब्बाराव आये हैं। पाँच बजे जागने की मेरी आदत कभी थी नहीं। मैंने अपनी स्त्री से कह दिया कि जाकर कह दो कि अभी जागे नहीं। इस तरह से सुब्बारावजी चार-पाँच दिनों तक लगातार आते रहे। मुझे छठे दिन बड़ी शरम लगी। मैं स्वयं उठकर सुब्बारावजी के पास गया और अनुनयपूर्वक कहा कि मुझे फ़िलहाल छोड़ दीजिये। दो-एक महीने के बाद मैं आपके पास ख़ुद आऊँगा।" इस एक उदाहरण से ही श्री सुब्बारावजी की कर्मठता का काफ़ी परिचय मिल जाता है।

वे करीब छह साल तक आन्ध्र प्रान्त के हिन्दी संघ के कार्य का संचालन मंत्री की हैसियत से करते रहे। आन्ध्र देश में अनेकों बार भ्रमण किया। अपनी छोटी-सी पेटी तथा खादी की एक छोटी-सी थैली, यही उनकी यात्रा की सामग्री थी। आप अपने मीठे स्वभाव और मितभाषण से प्रचारकों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गये। इन वर्षों में आपने आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ को उसके विधान के अनुसार उत्तम रीति से चलाया और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी सफल हुए। वे जैसे मितभाषी थे वैसे ही मितव्ययी भी थे। उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही शुद्ध, संयमी तथा अनुकरणीय रहा। 22, मार्च 1941 को हृदय की गति बन्द हो जाने के कारण उनकी मृत्यु अकस्मात हुई। मृत्यु से थोड़ी देर पहले भी एक विद्यार्थी को हिन्दी पढ़ा चुके थे। इस तरह आखिरी सांस तक हिन्दी की सेवा करते हुए श्री सुब्बारावजी हिन्दी प्रचार की इस आलीशान इमारत के एक प्रमुख स्तंभ बन गये हैं।

अखंड प्रतिभा, अद्भुत विद्वत्ता, श्रोताओं को चकित व उत्तेजित करनेवाली वाक्पटुता, शत्रुओं को भी विस्मित कर देनेवाली निर्भीकता और बालसुलभ सरल चित्तवृत्ति का मूर्तिमंत रूप स्व० श्री ओरुगंटि वेंकटेश्वर शर्मा थे। आपका जन्म नेल्लूर में हुआ। आपका परिवार देश-भक्ति तथा विद्वता के लिए प्रसिद्ध है। आपने इलाहाबाद में हिन्दी की शिक्षा पायी। काशी विद्यापीठ में रहकर 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की। हिन्दी, संस्कृत, तेलुगु, तथा अंग्रेज़ी का आपने गहरा अध्ययन किया। मनोविज्ञान का विशेष अध्ययन किया। नेल्लूर, विनयाश्रम आदि केन्द्रों में हिन्दी का प्रचार किया। आन्ध्र विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक रहे। हिन्दी और तेलुगु में भी दो तीन ग्रन्थों की रचना की। दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के निर्माण व विकास में आपने काफ़ी मदद पहुँचायी। चालीस बरस की अल्प आयु में ही आपका देहांत हो गया। आज भी जब कभी आपका नाम लिया जाता है तब हिन्दी प्रचारकों के मन श्रद्धा से भर जाते हैं।

जब से दक्षिण में हिन्दी प्रचार का काम शुरू हुआ, तब से श्री हरिहर शर्मा, श्री क. म. शिवराम शर्मा, श्री मल्लादि वेंकटसीता-रामांजनेयलु आदि इस कार्य में लगे ही थे। श्री हृषीकेश शर्माजी भी इनसे उसी समय आ मिले। श्री हृषीकेश शर्माजी अपने उदार स्वभाव, मधुर व्यवहार तथा गंभीर विद्वत्ता से आन्ध्र की जनता के प्रेम-पात्र बन गये। उनकी सेवाएँ दक्षिण प्रांत भर को प्राप्त हुईं। 'तेलुगु स्वयं-शिक्षक' तथा 'हिन्दी स्वबोधिनी' की रचना करके आपने तेलुगु सीखने के लिए अन्य भाषा-भाषियों तथा हिन्दी सीखने के लिए तेलुगु भाषियों का मार्ग सुगम बना दिया। आन्ध्र जातीय कलाशाला, मछली-पट्टणम में, और प्रचारक विद्यालय, राजमहेन्द्री, में हिन्दी अध्यापन का कार्य करके कई योग्य हिन्दी

कार्यकर्ताओं को आपने तैयार किया। उन्हीं दिनों 'हिन्दी प्रचारक' पत्रिका का सफल संपादन भी आपने किया।

राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर उत्तर से दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने के लिए कई कार्यकर्ता आये, जिनमें स्व० रघुवरदयालु मिश्र, पं० अवध नन्दन, पं० देवदूत विद्यार्थी, पं० रामानंद शर्मा श्री व्रजनंदन शर्मा तथा भालचन्द्र आपटे आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री अवधनंदनजी ने आन्ध्र के मदनपल्ली, बरहमपुरम, बेज़वाड़ा, आदि केन्द्रों में रहकर हिन्दी प्रचार का काम किया। उसके बाद दक्षिण भारत के अन्य प्रांतों की सेवा में आप लग गये।

बापूजी से आशीर्वाद पाकर, पं० रामानंद शर्माजी बिहार से, सुदूर दक्षिण में हिन्दी प्रचार करने आये। अपने योग्य विद्वान भाई श्री व्रजनंदन शर्मा के साथ आन्ध्र को अपना कार्य-क्षेत्र बना लिया। श्री व्रजनंदन शर्मा ने हिन्दी प्रचार करते हुए तेलुगु भाषा सीख ली। तेलुगु रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद करके साहित्यिक आदान-प्रदान की ओर हिन्दी प्रचारकों का ध्यान आकृष्ट किया। इन दोनों भाइयों ने 'प्राचीन पद्य संग्रह' और 'चयनिका' आदि साहित्यिक ग्रन्थों का संकलन कर दक्षिण में हिन्दी प्रचार की बहुत मदद पहुँचायी। श्री रामानंद शर्मा ने आन्ध्र की भावुक जनता के जीवन में अपने को खपा लिया। अपने राष्ट्रीय भावों तथा विद्वत्तापूर्ण ओजस्वी भाषणों और अध्यापन द्वारा आन्ध्र के कई युवकों तथा युवतियों को हिन्दी की तरफ़ आकृष्ट किया। आप के सैकड़ों शिष्य दक्षिण भारत-भर में फैलकर हिन्दी के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, श्री एस. वी. शिवराम शर्मा और श्री भट्टारम वेंकटसुब्बय्या श्री यलमंचलि वेंकटेश्वर राव आदि आपके कई प्रतिभावान शिष्य आज तक आन्ध्र के हिन्दी प्रचार में अपना हाथ बँटा रहे हैं।

आन्ध्र के हिन्दी शिक्षा क्षेत्र में श्री भालचन्द्र आपटे का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि दक्षिण भारत के कई केन्द्रों में प्रचार कार्य किया, मगर आन्ध्र की, आपने विशेष सेवा की। तेलुगु भाषा आप अच्छी तरह बोल तथा समझ लेते हैं। कई प्रचारक विद्यालयों के आचार्य बनकर कई नये कार्यकर्ताओं को तैयार करने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। हिन्दी प्रचार के साथ-साथ राष्ट्रीय आन्दोलनों से भी आप दूर नहीं रहे। फलस्व-रूप 1942 के आन्दोलन में आप गिरफ़्तार किये गये। फिर भी अपने जीवन का प्रधान लक्ष्य हिन्दी प्रचार को ही बनाकर करीब बीस-बाईस वर्षों से आप देश की लगन के साथ सेवा कर रहे हैं।

स्व० पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव के देहान्त के बाद आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के कार्य-संचालन का भार श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या के कंधों पर पड़ा। हिन्दी प्रचार में आपके बाल सचमुच पक गये हैं। 1904 ई. में गुंटूर ज़िले के उन्नव नामक गाँव में आपका जन्म हुआ। 1921 में आपने हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में पदार्पण किया। दक्षिण भारत का प्रथम प्रचारक विद्यालय सन् 1921 में राजमहेन्द्री में खोला गया जिसमें आपने 'प्रचारक' की शिक्षा पायी। 1922 से उन्नवजी हिन्दी प्रचार कार्य में लग गये। आन्ध्र के बुद्धवरम, पटमटा, आकुनूरु, घंटसाला, गुंटूर, कानुमोलु तथा मछलीपट्टणम आदि केन्द्रों में आपने हिन्दी प्रचार कार्य किया। मछलीपट्टणम की आन्ध्र जातीय कलाशाला में अध्यापन करते समय आपके व्यक्तित्व का खूब विकास हुआ। 1934 में दक्षिण से निकले हिन्दी प्रेमी यात्री दल ने, सत्यनारायणजी के नेतृत्व में, उत्तर भारत की यात्रा की थी। उन्नवजी भी उस दल के एक सदस्य रहे। हँसोड़ प्रकृति आपकी विशेषता है। आप जितने चतुर हैं, उतने ही भावुक भी हैं। नाटक आपके अभिमान का विषय है। आप सफल अभिनेता भी हैं। 'चन्द्रगुप्त' में चाणक्य, 'मेवाड़पतन' में गोविंदसिंह, शरतबाबू के 'देवदास' में

भुवनबाबू आदि पात्रों के अभिनय में आपको काफ़ी सफलता मिली है।

आपने जब से आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की बागडोर अपने हाथों में ली, तब से आपको श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा का सहयोग प्राप्त हुआ, जो मणि-कांचन का संयोग-सा हुआ। फिर चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्माजी भी आ मिले। इन त्रिमूर्तियों के मेल से आन्ध्र में हिन्दी प्रचार को काफ़ी बल मिला। आप तीनों सफल अभिनेता हैं। हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन का आयोजन—आन्ध्र के पचासों केन्द्रों में—करके आप लोगों ने संघ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनायी। 1942 ई० में स्व. काशीनाथुनि नागेश्वर राव पंतुलु के स्मारक-रूप में निजी भवन इस संघ के लिए प्राप्त हुआ, जिसका नाम 'नागेश्वरराव हिन्दी भवन' रखा गया। तेलुगु में साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन शुरू हुआ। प्रेस भी खुला। परीक्षार्थियों की संख्या बहुत बढ़ गयी। प्रारंभिक परीक्षाएँ संघ की तरफ़ से आन्ध्र में चलायी जाने लगीं। इसीसे संघ के विस्तृत कार्य तथा श्री राजगोपालकृष्णय्या की कार्य-संचालन-शक्ति का काफ़ी परिचय मिल जाता है।

श्री आंजनेय शर्मा गुंटूर ज़िले के ईदुमूडि नामक गाँव में 1916 ई. में पैदा हुए। आप बचपन से ही अध्ययन-शील तथा परिश्रमी रहे। इलाहाबाद में आपने हिन्दी का अध्ययन किया। 1935 से प्रचार कार्य में लग गये। एलूरु, भीमवरम, राजमहेन्द्री, कडपा और विजयवाड़ा आदि केन्द्रों में आपने हिन्दी का प्रचार कार्य किया। एलूरु में आपके व्यक्तित्व का खूब विकास हुआ। कई वर्षों तक संगठक का काम किया। कुछ वर्षों तक परीक्षा-विभाग, विजयवाड़ा, के व्यवस्थापक रहे। फिर 1951 में हैदराबाद भेजे गये। हैदराबाद में वे बहुत कम समय में ही लोकप्रिय हो गये। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्य को जो मान्यता वहाँ की सरकार तथा जनता से प्राप्त हो सकी है, उसका श्रेय शर्माजी को है। वे खुद आराम नहीं लेते, और दूसरे साथी कार्यकर्ताओं को भी आराम करने नहीं देते। इस तरह निरंतर काम में लगे रहकर अपनी कार्यकुशलता, वाक्पटुता तथा साहित्यिक योग्यता के कारण हिन्दी क्षेत्र के अलावा आन्ध्र प्रदेश की 'आन्ध्र नाटक कला परिषद', 'आन्ध्र रचयितुल संघम' तथा 'सर्वोदय प्रकाशन समिति' आदि के साथ भी आप गहरा संबंध रखते हैं।

हिन्दी प्रचार में अपने शरीर को घिसानेवालों में श्री चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा का अपना स्थान है। पश्चिम गोदावरी ज़िले के पूल्ला नामक गाँव में 1910 में आपका जन्म हुआ। काशी विद्यापीठ तथा लखीसराय के चित्तरंजन आश्रम में आपने हिन्दी साहित्य का अध्ययन किया। 1932 से आन्ध्र में हिन्दी प्रचार करने लगे। तेनाली, एलूरु, कसनूर, चित्तूर, तथा विजयवाड़ा आदि केन्द्रों में आपने प्रचार कार्य किया। तेनाली केन्द्र में आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ। संगठक रहकर कई वर्षों तक आपने कार्य किया। कुछ समय तक संघ कार्यालय के व्यवस्थापक भी रहे। नयी मंडल-योजना के बनने के बाद पूर्वान्ध्र मंडल के संगठक बनाये जाकर आप विशाखपट्टणम भेजे गये। हिन्दी के प्रचार में वहाँ के ज़िले पिछड़े हुए थे। आपने अपनी संगठन-शक्ति के बल पर वहाँ के हिन्दी प्रचार को खूब बढ़ाया है।

इस प्रकार आन्ध्र के हिन्दी प्रचार के विशाल भवन पर ध्यान दें, तो स्व. मुडंबि नरसिंहाचार्युलु, स्व. वड्लमानि लक्ष्मीनरसिंहम, स्व. कंचर्ल वेंकटकृष्णय्या आदि उन दिवंगत आत्माओं की याद आये बिना नहीं रहती, जिन्होंने अपना सारा जीवन इसी कार्य में लगा दिया। श्री यलमंचलि वेंकटप्पय्या चौधरी, श्री कोमंडूरि गोविंदराजाचार्युलु, श्री कर्णवीर नागेश्वर राव, श्री दशिक सूर्यप्रकाशराव, श्रीमती दुर्गाबाई (देशमुख) और श्री वेमुगंटि पापायम्मा जैसे सैकड़ों, ऐसे अब भी दिखायी देते हैं, जिनकी सेवाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। तथापि, विस्तार भय-से इतने ही पर समाप्त कर रहे हैं।

*

सभा के वर्तमान उपाध्यक्ष—1

डॉक्टर बूरुगुल रामकृष्ण राव
(राज्यपाल, केरल)

सभा के वर्तमान उपाध्यक्ष—2

श्री एस. निजलिंगप्पा
(मुख्य मंत्री, मैसूर)

साहित्य का आदान प्रदान

(श्री वारणासी राममूर्ति 'रेणु')

'संगम' की भावना भारतवासियों के लिए उतनी ही प्राचीन और सुपरिचित है जितनी कि स्वयं भारत की भूमि। 'संगम' यानी मिलना, मिल-जुलकर जीवन बिताना, एक बहुत ही पवित्र विषय माना गया है। मनुष्य एकांत जीवन से घबड़ा जाता है; यह प्रकृति एवं प्रवृत्ति संभवतः उसे, उसके बनाने वाले परमात्मा ही से विरासत में मिली हो! निराकार, निरंजन एवं अद्वितीय तत्व समझा जानेवाला परमात्मा, कहा जाता है—अपने अकेलेपन से घबड़ा गया था। 'एकोऽहं बहुस्याम्' इस संकल्प में उसकी इसी घबड़ाहट की धड़कनें हम सुनते हैं। तात्पर्य यह कि अनेक होकर रहने की भावना तथा आकांक्षा दिव्य एवं अपार्थिव मानी गयी है, अपने यहाँ। अनेक में एक को देखने तथा अनुभव करने में और एक में (अपने में) अनेक को पाने की साधना ही में जीवन की सार्थकता निहित है। आत्मा के असली तत्व, अर्थात् अद्वैतता का स्पष्ट परिज्ञान पाने के लिए, उसे भली भांति हृदयंगम करने के लिए, द्वैत भावना का अस्तित्व केवल आवश्यक ही नहीं, वरन् अनिवार्य भी है, मानों आत्मा का ठोसपन उसकी प्रसरणशीलता ही में होती हो। इस मूल तत्व को कदाचित भारतवासियों ने अत्यधिक मात्रा में समझा, और पग-पग पर उसका मनन-ध्यान-अनुभव करते रहने के लिये आवश्यक विधान अपने यहाँ बना लिये थे। उत्तर में त्रिवेणी संगम है, तो दक्षिण में धनुष्कोटि की कल्पना कर ली गई, जहाँ करोड़ नदियों का संगम माना जाता है। उत्तर का 'महाकुंभ' दक्षिण के 'महामखम्' में अपना प्रतिबिंब पाता है। उत्तर और दक्षिण की मोक्षदायिनी सात नगरियाँ, पंचगंगाएँ, चारों धाम आदि सभी धार्मिक मान्यताओं के पीछे वही 'संगम' की, यानी मिलते-जुलते सहजीवन बिताते रहने की चिरंतन प्रवृत्ति काम कर रही है। इस प्रकार तत्व की गहराई में उतरकर देखने पर, जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, उत्तर-दक्षिण अथवा आर्य-द्रविड की बातें करना व्यर्थ का प्रलाप-सा लगता है। पार्थिव, अथवा भौगोलिक बाह्य-विविधताएँ यहाँ के जन-जीवन की एकता को कुण्ठित नहीं बना सकतीं। जल में उठनेवाली विभिन्न तरंगें, जल-तत्व के वैविध्य का प्रतिपादन कदापि नहीं कर सकतीं। वीची-वैविध्य का आभास मात्र हमें होता है, वायु-संचरण के कारण। वह एक बाहरी निमित्त है, जल का अपना अंतर्भूत तत्व नहीं। वह एक है, अखण्ड है। फिर भी अलग-सा अनेक-सा भासित होता है। ठीक यही सत्य, भारतीय जीवन-विधान, विचार-धारा, वेष-भूषा, भाषा-बोली वगैरह के बारे में भी लागू होता है। एक बार इसे मान लेने पर फिर उत्तर-दक्षिण, आदान-प्रदान प्रभाव-पराभव आदि बातें बकवास-सी ही लगेंगी।

इतना होते हुए भी हमें इस विषय पर बकवास करनी ही होगी। अहितकर वायुसंचरण जब तक जारी रहेगा, तब तक वीची-वैविध्य का निराकरण भी नहीं किया जा सकता। जीवन में कल्लोल उत्पन्न करनेवाले विषाक्त वायुविलास में गतिरोध प्रस्तुत करना ही होगा। तब तक उत्तर और दक्षिण, द्रविड और आर्य वगैरह वाद-विवादों को चालू रखना ही पड़ेगा। वादे वादे जायते तत्व बोधः!

कहा जाता है कि घड़े में जन्म लेकर सात समुंदरों को पी जानेवाले अगस्त्य मुनि तमिल

भाषा के—जो कि सबसे प्राचीन मानी जाती है—प्रथम वैयाकरण थे। अगस्त्य के समय तक, मालूम पड़ता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच भारी दीवार उठ खड़ी हुई थी; और यह भी उन्हीं महामुनि का प्रताप कहा जाता है कि वह दीवार तोड़ डाली गयी थी। समूचे सौरमण्डल में गतिरोध प्रस्तुत कर ऊँचा चढ़नेवाले, लोक-जीवन में संक्षोभ पैदा करनेवाले विंध्याचल को नाथकर, अगस्त्य दक्षिण की ओर चल दिये थे। वहाँ की भाषा सीख ली, उसके स्वरूप को निश्चित एवं सूत्रबद्ध करके वैयाकरण बने थे। अगस्त्य की कहानी को यों ही टाल देना या उड़ा देना हमारी अदूरदर्शिता ही होगी। उसके पीछे जो तत्व छिपा है, जिसे प्रतीकात्मक विधान से व्यंजित किया गया है, उसकी तह तक हमें जाना होगा। मेरे विचार से अगस्त्य वह सर्वप्रथम लोक-कल्याण-भाव-प्रचोदित महात्मा थे जिन्होंने इस महादेश के, अलग से पड़े हुए दो जन-संघों को परस्पर मैत्री एवं आत्मीयता के सूत्र में बांध दिया था। अपनी बात उन्हें सुना दी, उनके दुख-दर्द आप बाँट लिये। अद्यावधि उपलब्ध प्रमाणों के बल पर दक्षिण और उत्तर के बीच आदान-प्रदान का श्रीगणेश इन्हीं अगस्त्य से मान लेना-समीचीन होगा। फिर अगस्त्य का समय कौन-सा था, इसको लेकर बहस करना भी अनावश्यक होगा। जितना पुराना तमिल व्याकरण होगा, कम-से-कम उतने प्राचीन अगस्त्य ज़रूर थे। एक और बात भी यहाँ पर उल्लेखनीय है। रामायण उत्तर और दक्षिण के बीच, नर-वानर तथा राक्षसों के बीच संघर्ष की बात उठाती है। नर और राक्षस चाहे एक जमात के भले ही न रहे हों, लेकिन, एक संस्कृति के, धार्मिक मान्यताओं के अनुयायी अवश्य थे। रावण परम माहेश्वर, वेदविद्या-पारंगत था, और राम रामेश्वरलिंग के प्रतिष्ठापक, वेद के मूर्ततत्व विश्वामित्र के शिष्य। अंतर यदि कहीं था, तो दोनों की प्रवृत्तियों में। रामायण महाग्रंथ इस तथ्य की घोषणा करता है कि समूचे भारत की संस्कृति एक थी। वेदों का सम्मान सब जगह होता था। अस्तु।

अगस्त्य दक्षिण और उत्तर के बीच सामरस्य एवं सद्भावना उत्पन्न करनेवाले प्रथम महापुरुष थे। फिर बाद को ईसा के पूर्व की सातवीं और छठी शतियों में, इस बात के सबल प्रमाण मिलते हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच विचारों तथा विश्वासों की एकसूत्रता व आदान-प्रदान जारी थे। दाक्षिणात्य समझे जानेवाले कात्यायन के साथ, तक्षशिला के महर्षि पाणिनि का व्याकरण, दक्षिणापथ में प्रवेश पा चुका था। भगवान गौतम व जैन तीर्थंकरों के धर्म, समूचे दक्षिण में फैल चुके थे। अशोक के शिलालेख, आज भी उस ज़माने की देशव्यापी सांस्कृतिक एक-सूत्रता व आदान-प्रदान की घोषणा कर रहे हैं। दाक्षिणात्य नागार्जुन ने बौद्ध धर्म में युगांतर खड़ा कर दिया था। आचार्य कौटिल्य, मौर्य साम्राज्य का भाग्य विधायक, दाक्षिणात्य थे। फिर ईसा के बाद की शतियों में दक्षिण के नायन्मार और आळवार भक्तों की वाणी ने तथा आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व, निंबार्क, वल्लभ आदि मनीषियों के गहन विचारों ने समूचे उत्तरा-पथ को भक्ति एवं ज्ञान की गंगा-जमुनी में नहला दिया। इस प्रकार आदान-प्रदान की यह सनातन परंपरा, अनादि समय से, जीवन के सभी क्षेत्रों में काम करती रही है। यह आदान प्रदान केवल साहित्यिक क्षेत्र में, और वह भी आंध्र और उत्तर भारत के बीच आदिकाल से आज तक कैसा रहा है, इस विषय पर किंचित् प्रकाश डालेंगे।

जहाँ तक प्रमाण मिलते हैं, आंध्र सातवाहन महाराजाओं के समय से—इसा के पूर्व द्वितीय शतक से इस साहित्यिक आदान प्रदान का सूत्रपात समझना चाहिए। महाराजा हाल-शालिवाहन ने प्राकृत भाषा में अपनी अमर कृति 'गाथा सप्तशती' रचकर उत्तर के साहित्यिकों की, विशेषकर हिन्दी कवियों की, बड़ी सहायता की है। गाथाकार की लेखनी ही ने बाद को मतिराम, बिहारी, तुलसी जैसे हिन्दी के महारथियों को, अपनी सतसइयाँ प्रस्तुत करने

की प्रेरणा दी थी। 'सप्तशती' या 'सतसई' परंपरा का प्रारंभ इन्हीं महाराज हाल के हाथों हुआ था। 'गाथा सप्तशती' का स्पष्ट प्रभाव, और सतसइयों की अपेक्षा बिहारी की रचना पर अधिक पड़ा है। तुलसी, वृन्द जैसे सूक्तिकारों ने तो 700 दोहोंवाली रचना पद्धति ही ली थी, किंतु बिहारी ने कई स्थानों पर वर्ण्य विषय में भी हाल का अनुकरण किया था। गाथाओं ही की तरह उनके दोहे शृंगार-प्रधान हैं। हिन्दी जगत में आज 'बिहारी सतसई' का महत्व किसीसे छिपा नहीं है। मुक्तक काव्य-विधान, जिससे हिन्दी साहित्य का अधिकांश भरा पड़ा है, हिन्दी के लिए आंध्र की सर्वप्राचीन, सर्वप्रथम तथा सर्वप्रधान देन रही।

भक्तिकाल हिन्दी का स्वर्णयुग माना जाता है। कृष्णभक्ति की एक शाखा पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक, आचार्य श्री वल्लभ गोदावरीतीरस्थ कंभंपाटीवाले त्रिलिंग ब्राह्मण थे; मातृभाषा उनकी तेलुगु थी। उन्हीं से प्रेरणा पाकर प्रातःस्मरणीय भक्तवर सूरदास ने अपना अथाह रस-सागर प्रस्तुत किया था। स्वयं आचार्यजी व्रजभाषा, व्रजभूमि, और व्रजवल्लभ के रसिक, मर्मज्ञ एवं उपासक थे। मधुर भावनाओं से ओतप्रोत कृष्णकविता मंजरी उनकी आत्मगंध से सर्वत्र सुरभित है। वल्लभ संप्रदाय ने साहित्य के भंडार में जो अक्षय निधियाँ भर दीं, वे हिन्दी की अमर संपत्ति हैं। आंध्रप्रदेश अवश्य उस श्रेय का हक़दार है। आज भी महाप्रभु वल्लभ के गोत्रज, कई तेलुगु परिवार, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बंबई वग़ैरह स्थानों में बिखरे पड़े हैं। किंतु उनमें अधिकांश अपनी मातृभाषा तक भूल बैठे हैं। इस प्रकार सीधे तेलुगु साहित्य का न सही, तेलुगु हृदय एवं मस्तिष्क का सक्रिय सहयोग प्रकारांतर से हिन्दी साहित्य को मिल चुका है; और मस्तिष्क और हृदय की प्रतिच्छाया ही तो साहित्य कहलाती है।

'आदान प्रदान' के इस अपूर्व भवन का तृतीय स्तंभ, हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में निर्मित हुआ है। व्रजभाषा पर असाधारण अधिकार रखनेवाले, अनुप्रास के सम्राट, कविवर पद्माकर भट्ट तैलंग ब्राह्मण ही तो थे। एक स्थान पर पद्माकर ने "भट्ट तेलंगाने को बुंदेल-खंडवासी" कहकर आत्मपरिचय दिया था। आंध्र के इस सपूत ने हिन्दी की जो सेवाएँ की हैं, उनके लिए हिन्दी जगत इनका चिरकृतज्ञ रहेगा। समालोचकप्रवर पं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में—'पद्माकर की भाषा ऐसी है जैसी हिन्दी में किसी कवि की नहीं। भाव के विचार से पद्माकर को हम चाहे कुशल काव्यकार न मानें; पर भाषा के विचार से उन्हें, प्रौढ़ वाग्विदग्ध एवं कुशल कलाकार, हमें अवश्य मानना पड़ेगा। घनानंद आदि पुराने कवियों में पदलालित्य चाहे हो, पर भाषा का वैसा सधा, सजा-संवरा रूप उनमें भी नहीं है, जैसा कि पद्माकर में।...पद्माकार की भाषा बिहारी के प्रभाव से बची है और स्फीत एवं स्निग्ध है।" भाव तथा भाषा-सौंदर्य का एक-एक उपाहरण लीजिए—

बछुरै खरी प्यावै गऊ तिहि को
'पद्माकर' को मन लावत है।
तिय जानि गिरैया गही वनमाल सु
ऐंचे लला इंच्यो आवत है।
उलटी करि दोहनी मोहन की अंगुरी
थन जानिकै दावत है!
दुहिबो औ दुहाइबो दोउन को सखि,
देखत ही बनि आवत है!

और भाषा के प्रवाह के लिए—

देवनर किन्नर कितेक गुण गावत पै
पावत न पार जा अनंत गुन पूरे को।
कहै 'पदमाकर' सुगाल के बजावत ही
काज करि देत जनि जाचक जरूरे को।
चंद की छटान जुत, पन्नग फटान जुत
मुकुट बिराजै जटाजूटन के जूरे को।
देखौ, त्रिपुरारि की उदारता अपार, जहाँ
पैये फल चारि, फूल एक दै धतूरे कौ!

आहा! कैसी प्राञ्जल धारा है!

इस प्रकार आंध्रों ने हिन्दी साहित्य के प्रति जो उपकार किये हैं, उनका प्रत्युपकार आधुनिक

युग में हिन्दी साहित्य की ओर से प्रारंभ हुआ है। पिछले बीस तीस वर्षों से आधुनिक तेलुगु साहित्य हिन्दी के धुरंधर लेखकों की रचनाओं से जितना प्रभावित होने लगा है, वैसा उसके पहले कभी न हुआ। सन् 1930 के पहले वंग साहित्य के साथ तेलुगु का निकट संबंध रहा। किंतु दक्षिण भारत में, हिन्दी प्रचार के साथ-साथ तेलुगु साहित्य पर भी हिन्दी का असर पड़ता गया। आज तेलुगु का शायद ही कोई ऐसा अंग होगा, जिसे आधुनिक हिन्दी साहित्य ने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित न किया हो। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, पत्र-पत्रिकाएँ, सभी क्षेत्रों में यह लक्षित होता है।

हिन्द के राष्ट्रजीवन में चेतना फूँककर जागरण का तूफ़ान उठानेवाले नवयुग कोकिल सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामधारीसिंह 'दिनकर' की कविताओं ने तेलुगु काव्य क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी है; उसके कण-कण में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कराया है। 'भारत-भारती', 'मिलन', 'पथिक' आदि ने इधर के युवक कवियों की दृष्टि देश की ओर फेर दी है। तब तक तो एक श्री गुरजाड अप्पाराव को छोड़ किसी और काव्यकार की भावना देश पर नहीं जम पायी थी। ऐसी दशा में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ महात्मा गांधी ने सारे दक्षिण भारत में हिन्दी की जो आंधी उठा दी थी, उसके परिणामस्वरूप तेलुगु कविता क्षेत्र में भी राष्ट्रीय-भावना के बीज पड़ गये। 'एक भारतीय आत्मा' की 'पुष्प की अभिलाषा' तेलुगु सुमन की 'आकांक्षा' बनकर श्री वेदुल सत्यनारायण शास्त्री की कोमल हृत्तंत्री में यों झंकृत हो उठी:—

नाकु दलंपुलेदु ललना जनता कबरी भरैकभू-
षाकलनन्, सतीमृदु भुजांतर तल्प कुचोपगूह
बिब्बोकमुनन्, वधूसित कपोल
गलच्छ्रवणावतंस हे
वाकमुनन्, विलासिनुल पापिट
चेंदिर काविपूतलन्!
नीचपुदास्यवृत्ति मननेरनि
शूरत मातृदेश सेवाचरणम्मुनन्दसुवुलर्पण
जेसिनवारि पार्थिव श्री चेलुवारु चोट,
ददसु ग्रुचुलन् विकसिंचि वासनल्
वीचुचु रालि पोवगवलेन
तदुदत्ति समाधि मृत्तिकन्।

हिन्दी—

चाह नहीं मैं सुरबाला के
गहनों में गूँथा जाऊँ,
चाह नहीं, प्रेमी माला में बिंध
प्यारी को ललचाऊँ,
चाह नहीं, सम्राटों के शव पर
हे हरि, डाला जाऊँ,
चाह नहीं, देवों के सिर पर
चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ,
मुझे तोड़ लेना वनमाली
उस पथ में देना तुम फेंक,
मातृभूमि पर शीष चढ़ाने
जिस पथ जावें वीर अनेक

फिर 'मिलन,' 'पथिक,' 'भारत-भारती' आदि के अनुवादों के साथ-साथ 'पंचवटी' आदि की अनुकृतियाँ भी चल पड़ीं। 'यशोधरा' और 'साकेत' की 'आँचल में है दूध और आँखों में पानी' वाली अमर नारी की भावना ने तेलुगु साहित्यिकों को इतना मोह लिया कि वे भी गुप्त जी के स्वर में स्वर मिलाये बिना नहीं रह सके। उपेक्षिता ऊर्मिला का प्रसंग, तेलुगु लोकगीतों में 'ऊर्मिलादेवि निद्र' के नाम से पहले ही से विद्यमान रहा। किंतु उसकी ओर रूढ़िवादी साहित्यिकों की दृष्टि न गयी। वह कमी पूरी कर दी 'साकेत' ने। 'साकेत' से प्रेरणा पाकर एक आधुनिक सुकवि श्री गुदिमेळ्ळ रामानुजाचारी ने अपने 'माण्डवी' नामक खण्ड-काव्य में विरागी भरत की समीपवर्तिनी किंतु भोगवंचिता, उपेक्षिता, मूक तपस्विनी पत्नी का जो करुण चित्र अंकित किया है, वह अतीव हृदयबेधक है। ऊर्मिला का त्याग, लक्ष्मण की अनुपस्थिति के कारण हमारे हृदय पर उतना असर नहीं कर पाता है, जितना कि 'माण्डवी' का करुण आत्मदमन। हिन्दी की प्रमुख छायावादी एवं

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के प्रथम अध्यक्ष
स्व० देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के प्रथम मंत्री
स्व० श्री पीसपाटि वेंकटसुब्बा राव

आंध्र में हिन्दी आंदोलन के सबल समर्थक

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

श्री माडभूषि अनंतशयनम अय्यंगार

(अधिवक्ता, भारतीय लोकसभा)

ांध्र में हिन्दी आंदोलन के सबल समर्थक-सहयोगी

[illegible]

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष

[illegible]

रहस्यवादी रचनाओं का काफ़ी सम्मान और पठन-पाठन भी इधर हो रहा है। अलावा इसके गीत अथवा पदों में कविता लिखने की जो परिपाटी तेलुगु में चल पड़ी, उसके लिए भी कुछ हद तक हिन्दी गीतिकार कवियों की रचनाएँ कारण हैं।

नाटक, उपन्यास व कहानियों के क्षेत्र में भी श्री डी० एल० राय के हिंदी अनुवाद तथा श्री प्रेमचंद जी की रचनाओं ने बड़ी धूम मचायी थी। राय महाशय के प्रायः सभी नाटकों के हिंदी से तेलुगु में अनुवाद प्रकाशित हो गये हैं। वही हाल श्री शरत बाबू के उपन्यासों का भी है। उन रचनाओं के तीन तीन अनुवादों तक तेलुगु में हिंदी से निकाले गये हैं। फिर प्रेमचंदजी की रचनाओं की बात तो पूछना ही क्या? एक बहिन ने 'प्रेमाश्रम' का 'रामाश्रम' के नाम से उल्था कर डाला। बीसों कहानियों के अनुवाद हो चुके हैं। 'ग़बन' और 'गोदान' के अनुवाद पत्र-पत्रिकाओं में निकल रहे हैं। सुदर्शन, 'कौशिक' 'प्रसाद' आदि की रचानओं के अनुवाद भी पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुके हैं। आंध्र में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का पठन-पाठन खूब हो रहा है। गीता प्रेस, गोरखपुर, के 'कल्याण' के आधार पर गुंटूर से 'मोक्षसाधनी' मासिक निकल रहा है। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की 'भागवती कथा' का अनुवाद श्री कुंदुर्ति वेंकट नरसय्या प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार आधुनिक तेलुगु साहित्य हिन्दी से बहुत कुछ ले रहा है।

इधर कुछ समय से आंध्रों ने भी हिन्दी का भण्डार भरना शुरू कर दिया। आन्ध्र प्रांत के हिन्दी प्रचार कार्य के भीष्म, स्व० श्री जंध्याल शिवन्न शास्त्री ने इस शुभ अनुष्ठान का श्री गणेश किया था। श्री शास्त्री जी हिन्दी के महारथी स्व० पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समसामयिक रहे, और 'सरस्वती' में 'बराबर' लिखते रहे। पुरानी 'सरस्वती' की 'फ़ायलों' का अवलोकन करने से यह बात भी मालूम होगी कि खड़ी बोली हिन्दी के स्वरूप-निर्णय में आचार्य द्विवेदी को श्री शिवन्न शास्त्री का भी बड़ा साथ मिला था। इन्हींने सर्वप्रथम हिन्दी-तेलुगु-कोश तैयार किया। पं. रामानंद शर्मा ने तेलुगु-जीवन से संबंधित एक उपन्यास 'पुनर्मिलन' हिन्दी में लिखा है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ आदि संस्थाएँ हिन्दी प्रचार के रूप में, जो सेवाएँ कर रही हैं, वे अनमोल हैं। इनके अलावा कुछ तेलुगु के युवक लेखक भी अपनी रचनाओं के द्वारा हिन्दी का भण्डार भर रहे हैं।

जिस प्रकार तेलुगुवाले हिंदी से लाभ उठा रहे हैं, उसी प्रकार हिन्दी मातृभाषा भाषी लेखकों को भी तेलुगु, तमिल आदि दक्षिणी भाषाओं के संपन्न साहित्य को हिंदी में अनूदित कर अपना भण्डार भर लेना है। इस काम के लिए उन्हें दक्षिण की भाषाएँ सीखनी चाहिये और विश्वविद्यालयों में इसका प्रबंध होना आवश्यक है। तेलुगु के महाकवि नन्नया, तिक्कना, पोतना, श्रीनाथ, अष्टदिग्गज कवि, त्यागराज, वेमना वगैरह की कृतियाँ भारतीय साहित्य के समुज्वल ज्योतिपुंज हैं। उनसे आलोक लेकर कोई भी अन्य साहित्य लाभान्वित हो सकेगा। इस प्रकार के 'आदान-प्रदान' से विभिन्न प्रांतवाले एक-दूसरे को भली भांति समझ सकेंगे; और इस कदर भारत की सांस्कृतिक एकता अक्षुण्ण रह सकती है। लगभग दो सहस्राब्दियों से चली आनेवाली सद्भावना और 'आदान प्रदान' की यह मंदाकिनी निरंतर बहती रहे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। प्रत्येक भाषा-भाषी-प्रांत अन्य प्रांतों के साहित्य का, यथासंभव, अनुवाद अपनी भाषा में करा ले और इस प्रकार देश के सभी प्रांत, अपने बीच अब तक जो भाषा-विषयक दीवारें खड़ी रहीं, उन्हें तोड़ डाले। भारत के नवनिर्माण कार्य को 'आदान प्रदान' की इस योजना से बहुत कुछ बल मिलेगा; और सांस्कृतिक तथा नैतिक पुनरुत्थान के अभाव में केवल राजनैतिक अथवा आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ तक दृढ़ एवं स्थायी रह सकेगी, यह गंभीरता-पूर्वक सोचने लायक विषय है।

F

*

*दक्षिण में हिन्दी प्रचार

(बाबू राजेंद्र प्रसाद)

"दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का काम 1918 से ही, महात्मा गान्धीजी की प्रेरणा से हो रहा है। तमिल-प्रदेश में भी हज़ारों स्त्री-पुरुष ऐसे हो गये हैं जो, हिन्दी बोल और समझ लेते हैं। मैं जिस बड़े शहर में पहुँचता, हिन्दी प्रचारक से मुलाकात हो जाती, कुछ तो वहाँ के ही निवासी थे जिन्होंने हिन्दी सीख ली है; कुछ उत्तर-भारत के रहनेवाले हैं जो बिहार तथा युक्तप्रान्त (आज का उत्तर प्रदेश) से जाकर वहाँ उस काम में लगे हुए हैं। वहाँ के लोगों का हिन्दी के प्रति प्रेम और श्रद्धा अवर्णनीय है। हिन्दी प्रचार का काम विशेष कर पढ़े-लिखे लोगों में ही अधिक हुआ है। स्त्रियों ने इसमें उतना ही रस लिया है जितना पुरुषों ने। हिन्दी पाठशालाओं में बूढ़े और बच्चे, स्त्रियाँ और पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हैं। जब मैं एक बार और दक्षिण में गया था तो मैंने देखा था कि एक ही सभा में पिता और पुत्र, माता और पुत्री को हिन्दी परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्र एक साथ ही दिये गये थे। यह सिलसिला अभी तक जारी है। लाखों लोगों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो भी हिन्दी में भाषण करना अभी सम्भव न था; क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग जमा होते उनमें हिन्दी समझनेवाले थोड़े ही होते। अंग्रेज़ी जाननेवालों की संख्या हिन्दी जाननेवालों से कहीं ज़्यादा होती; तो भी सारी जानता में उनकी गणना भी बहुत थोड़ी ही होती। इसलिए, मैं चाहे अंग्रेज़ी में बोलता या हिन्दी में, सभा में उपस्थित सौ आदमियों में प्रायः 90 ऐसे होंगे ही, जो न हिन्दी समझते होंगे न अंग्रेज़ी, और उनके लिये भाषण का भाषान्तर हर हालत में आवश्यक होता।

"तमिलनाडु, केरल और आन्ध्र प्रदेशों में बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। प्रचार कार्य भी काफ़ी हुआ। आन्ध्र में मैं सबसे पीछे आया। वहाँ एक नयी बात यह हुई कि मेरे पूरे सफ़र में हिन्दी प्रचार सभा के श्री सत्यनारायण साथ रहे। वह आन्ध्र के रहनेवाले हैं। पर हिन्दी का ज्ञान उनका इतना अच्छा है कि यदि वह भाषण देने लगें तो किसी हिन्दी भाषी को यह संदेह न होगा कि वह हिन्दी भाषी नहीं हैं। इसलिए वहाँ मेरे भाषणों के भाषान्तर का प्रश्न बहुत आसान हो गया। आन्ध्र में तमिलनाडु की अपेक्षा हिन्दी प्रचार अधिक हुआ भी है। वहाँ मैंने यह भी देखा कि बहुत जगहों में लोग मेरा भाषण हिन्दी में ही सुनना चाहते थे। इसलिए, आन्ध्र में कुछ स्थानों को छोड़कर और सब जगहों में मैंने हिन्दी में ही भाषण किया। सत्यनारायणजी जैसे भाषान्तरकार साथ में थे। जहाँ तक मैं समझ सकता था, मेरे भावों का वह बहुत सुंदर रीति से तेलुगु में उल्था करके बता देते थे। बात तो यह है कि वहाँ भी सौ में 90 ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो न हिन्दी जानते थे और न अंग्रेज़ी; उनको तेलुगु-उल्था के लिए हर-हालत में इन्तज़ार करना पड़ता था—चाहे मैं अंग्रेज़ी में बोलूँ या हिन्दी में। यही बात तमिलनाडु में भी थी। पर आन्ध्र के जो थोड़े अंग्रेज़ी जाननेवाले होते वे भी या तो हिन्दी समझ लेते या तेलुगु भाषान्तर के लिए इन्तजार करने को तैयार होते।

"इस यात्रा से मुझे इस बात का पता चला कि हिंन्दी प्रचार सभा ने कितने महत्व का काम किया है और वह काम राष्ट्र-निर्माण में कितना सहायक हुआ है तथा आगे कितना सहायक होगा।"

* "आत्मकथा" से सादर उद्धृत।

पुरानी स्मृतियाँ

(पं. देवदूत विद्यार्थी)

दक्षिण भारत से मेरे बिदा हुए आज दस वर्ष से अधिक हो रहे हैं। तो भी मैं अपने को एक उत्तर भारतीय की अपेक्षा दक्षिण भारतीय ही अधिक पाता हूँ। इसका कारण मेरी पत्नी का एक दक्षिण भारतीय होना नहीं है, यद्यपि मुझपर उसका जो प्रभाव पड़ा है वह नगण्य नहीं कहा जा सकता। किन्तु दक्षिण भारत का वह सुन्दर वातावरण है जिसमें दो दशाब्दियों से भी अधिक मेरे शरीर, मन और मस्तिष्क को परवरिश मिली है।

मैं एक स्कूल का विद्यार्थी था जो आर्य-समाजी हो गया था। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक और भिषगाचार्य डा० केशवदेव शास्त्री, एम. डी., जो अमेरिका से एक अमेरिकन महिला को व्याह लाये थे, से मिलकर और उनकी पुस्तकें पढ़कर मेरे मन में अमेरिका जाकर पढ़ने और वहाँ वैदिक धर्म का प्रचार करने का जोश पैदा हो गया था। अमेरिका जाने की मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर 1920 में कांग्रेस का असहयोग आंदोलन शुरू होते ही अपनी पढ़ाई छोड़ देने पर मैंने अपने को एक दिन दक्षिण भारत में पाया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने हिन्दी का प्रचार करने के लिये मुझे मद्रास भेज दिया था। आर्य सामाजिक दृष्टिकोण रखनेवाला मैं मुश्किल से 18 वर्ष का था। मैंने वहाँ के लोगों के जीवन और रहन-सहन को वैदिक धर्म और संस्कृति (जिसे हिन्दू धर्म और संस्कृति कहना ही अधिक उपयुक्त होगा) के साँचे में ढला देखकर, बहुत प्रभावित और आनन्दित हुआ। उन दिनों वहाँ सब अपने सिरों पर मोटी चुटिया रखते थे, ललाट पर भस्म या चन्दन लगाते थे, प्रातः मध्याह्न तथा सायं तीन बार संध्या करते थे और भोजन के समय मंत्र पढ़कर आचमन करते थे। पर्दा-प्रथा के अभाव और स्त्रियों के प्रति शिष्ट व्यवहार के कारण, घर के बाहर-भीतर एक चमक और सरसता का अनुभव होता था, जो बड़ा मोहक था। वहाँ की परम्परागत स्वच्छता और सादगी भी कम आकर्षक नहीं थी। मैं अपने को अनेक दृष्टियों से दक्षिण भारत का ऋणी मानता हूँ और आज भी एक दक्षिण भारतीय से मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है।

दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार का इतिहास एक लम्बे "रोमान्स" के जैसा है। मेरा एक हिन्दी प्रचारक बनकर दक्षिण जाना क्या था, एक नये धर्म का प्रचारक, और एक नये संदेश का वाहक बनकर जाना था। वह नया धर्म राष्ट्रीयता का धर्म था और वह सन्देश देशभक्ति का संदेश था। पैंतीस वर्ष पहले मैं एक बालक ही तो था। किन्तु दक्षिण के स्त्री-पुरुषों तथा विद्वानों और विद्यार्थियों से मुझे कितना स्नेह और आदर मिला! हिन्दी प्रचारक बनकर घूमना एक गौरव की बात थी। हिन्दी प्रचारक गान्धीजी के अनुचर माने जाते थे, उस गान्धीजी के, जिनके प्रति लोगों की भक्ति इतनी सच्ची थी कि उनका नाम लेनेवाला भी सहज ही जनता के आदर का पात्र हो जाता था।

मैंने हिन्दी प्रचार का काम दक्षिण भारत के तमिल प्रांत के सबसे दक्षिणी, तिरुनेलवेली ज़िले से शुरू किया था। कर्नाटक, केरल और आंध्र का अनुभव तो मुझे बाद को प्राप्त हुआ। केरल की मलयलम, कर्नाटक की कन्नड़ और आंध्र की तेलुगु भाषा की अपेक्षा तमिल भाषा दक्षिण की सबसे पुरानी भाषा है, और हिन्दी से उनकी अपेक्षा अधिक दूर है। उक्त तीनों भाषाओं में संस्कृत शब्दों की भरमार है; मगर

तमिल में बहुत कम संस्कृत के शब्द व्यवहृत होते हैं। फलतः तमिलों के लिये हिन्दी सीखना इतना आसान नहीं है। यह ठीक है कि आंध्र, कर्नाटक और केरल में हिन्दी का प्रचार अधिक तीव्रता से बढ़ा। किन्तु तमिलों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तमिल प्रदेश के हिन्दी प्रचार की रफ़्तार को धीमी नहीं कहा जा सकता। बावजूद हिन्दी विरोधी आंदोलन के, जो समय-समय पर तमिलनाडु में उठाये गये और आज भी उठाये जाते हैं, हिन्दी प्रचार तमिल प्रदेश में बढ़ा ही, घटा नहीं। वास्तव में हिन्दी विरोधी आंदोलन—जो तमिल प्रदेश तक ही सीमित रहा है—कांग्रेस विरोधी एक राजनीतिक दल का हथकंडा है। हिन्दी के सब से अधिक प्रसिद्ध विरोधी श्री ई० वी० रामस्वामी नायकर हैं। प्रारम्भ में वे हिन्दी के एक प्रबल समर्थक थे। 1922 में ईरोड़ में उनके भाई की ही धर्मशाला में हिन्दी प्रचारक तैयार करने के लिए प्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय खोला गया था, जिसका प्रथम प्रधानाध्यापक होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था।

आन्ध्र और कर्नाटक के लोगों के लिये हिन्दी उतनी अजनबी-सी नहीं थी जितनी तमिलों और मलयालियों के लिये थी। क्योंकि आन्ध्र और कर्नाटक के हैदराबाद से सटे रहने के कारण, जहाँ ज़माने से उर्दू का बोलबाला था, और उन प्रान्तों में उर्दू बोलनेवाले मुसलमानों के काफ़ी संख्या में बस जाने के कारण वहाँ के लोग अनेक उर्दू शब्दों से परिचित हो गये थे। ब्रिटिशों के शासन के पहले सब जगह सल्तनत और कचहरियों के काम में उर्दू के पारिभाषिक शब्द काम में लाये जाते थे। वे शब्द हर प्रान्तीय भाषा के अंग-से बन गये थे। तमिल और मलयालम भाषाएँ भी उनसे अछूती नहीं थीं। पर इनपर उर्दू का सब से कम प्रभाव पड़ा था। तमिल और मलयालम क्षेत्र के मुसलमानों की मातृभाषा वहाँ की प्रान्तीय भाषा ही थी। फिर भी हिन्दी और उर्दू सुदूर तिरुवितांकूर और कोचीन तक पहुँच गयीं थी। तिरुवितांकूर के एक महाराज की हिन्दी में रुचित कविताएँ प्राप्त हुई हैं। कोचीन राज-घराने के लोगों में तो टीपू सुलतान के समय से ही उर्दू सीखने का चलन शुरू हो गया था। मुझे कई वयोवृद्ध राजकुमार मिले, जो राज-महल के लिये नियुक्त उर्दू मुंशी से उर्दू सीख चुके थे।

केरलवासियों का हिन्दी प्रेम बहुत आनन्दित करनेवाला है। उनकी भाषा तमिल की बहन होने पर भी संस्कृत को लेकर विकसित हुई है। अतः मलयाली जल्दी हिन्दी सीख लेते हैं। अरब समुद्र के तट पर स्थित उत्तर और दक्षिण कन्नड़ ज़िलों में भी हिन्दी का उत्साह से स्वागत हुआ। वहाँ की एक भाषा कोंकणी है जो मराठी की एक उप-भाषा मानी जाती है। अतः वहाँ वालों के लिये हिन्दी सीखना और भी आसान बात थी।

वैसे तो हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी अपनी उपयोगिता के कारण, पहले ही से भारत के हर कोने में, कम-बेश तौर पर पहुँच चुकी थी। मणिपुर राज्य को, जो भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है—पहाड़ों पर रहनेवाली नागा जाति के लोगों को भी—जो मैदान में रहनेवालों के साथ मणिपुरी भाषा में भी अपने विचारों का आदान प्रदान करने में असमर्थ होते हैं—मैंने टूटी-फूटी हिन्दी बोलते सुना है। पर हिन्दी को एक नया अर्थ देकर उसे आधुनिक भारत के हृदय की आवाज़ बनाने का काम महात्मा गान्धी ने ही किया। महात्मा गांधी की ही प्रेरणा से, इस देश के भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलनेवालों ने, हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। पूर्वी तट पर मैंने कामकोटि पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य को हिन्दी में दिलचस्पी लेते देखा, तो पश्चिम तट के चित्रापुर मठ के स्वामीजी को हिन्दी के एक बड़े प्रेमी के रूप में पाया। मद्रास के सर शंकरन नायर जैसे वयोवृद्ध नरम दलिय नेता इसलिए हिन्दी सीखने लगे थे कि वे जनता की भाषा में बोलकर देश के लोगों को समझा सकें कि

हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ के स्थापक-अध्यक्ष
श्री स्वामी रामानंद तीर्थ

हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष :
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा. मद्रास. की

हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ के भूतपूर्व उपाध्यक्ष और
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आंध्र) के

सभा की आंध्र-शाखा के अधिकारी

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के अंतिम अध्यक्ष और
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आंध्र) के प्रथम अध्यक्ष
डॉक्टर बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी
(राजस्व-मंत्री, भारत सरकार)

हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ के भूतपूर्व मंत्री
और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (आंध्र) के
वर्तमान मंत्री
श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा

गान्धीजी का आन्दोलन कितना ग़लत है। कोचीन के वयोवृद्ध राजकुमार रविवर्मा तम्पुरान इसलिए हिन्दी सीखने लगे कि राजपरिवार के नवयुवक और नवयुवतियों को भारत में एकता की स्थापना करनेवाली भाषा को सीखने के लिये उत्साहित कर सकें। सरकारी नौकर देश की सेवा में अपरोक्ष भाव से ही सही, कुछ सहायता पहुँचाने के भाव से अपनी पत्नियों और बच्चों को हिन्दी सीखने के लिए उत्साहित करने लगे। हिन्दी जानना पूर्ण अर्थ में भारतीय नागरिक होने के लिये आवश्यक माना जाने लगा। घरों में माँ-बाप और बच्चे और स्कूलों में शिक्षक और छात्र-गण, एक साथ बैठकर हिन्दी सीखने लगे। हिन्दी सीखना स्वराज्य प्राप्ति की तैयारी का एक अंग माना जाने लगा। राजमहलों से लेकर कांग्रेस के दफ्तरों तक, वकीलों से लेकर बाज़ारों में दूकान करनेवालों तक, रेलवे और कारखानों में काम करनेवालों से लेकर लेडीज़ क्लब चलानेवाली महिलाओं तक, सब जगह हिन्दी प्रचारक जाने लगे। खादी के साथ-साथ हिन्दी भारत की नूतन राष्ट्रीयता का प्रतीक हो गयी और उसे सीखना एक राष्ट्रीय कर्तव्य और एक फैशन हो गया।

अपने 24 वर्ष के दक्षिण भारत-प्रवास में मुझे तमिलनाडु कर्नाटक और केरल की थोड़ी बहुत सेवा करने का विशेष अवसर मिला। आन्ध्र देश के साथ मेरा निकट का सम्पर्क, दक्षिण भारत से बिदा होने के चन्द वर्ष पहले सभा के प्रचार मंत्री की हैसियत से हुआ। मैंने आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के मंत्री श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या के साथ सारे प्रान्त में भ्रमण किया। कहीं-कहीं श्री मोटूरि सत्यनारायणजी भी मेरे साथ थे। आन्ध्र देश ने सत्यनारायणजी जैसा एक योग्य हिन्दी सेवक देश को दिया तो ऐसे हिन्दी प्रचारक भी दिये जिन्होंने हिन्दी प्रचार को पहले पहल एक जन-आन्दोलन का रूप देकर उसे शहर से दूर-दूर के गाँवों तक पहुँचाया और अपने प्रदेश में देश-भक्ति और देश-सेवा की एक लहर फैला करके देश-सेवकों की एक नयी पीढ़ी तैयार की। आन्ध्र देश के गाँवों में जाकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने प्रदेश बिहार में ही हूँ। रहन-सहन, सादगी, सरलता और आतिथ्य-सत्कार में ही आंध्र और बिहारी एक जैसे नहीं हैं, शक्ल-सूरत में भी वे बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं।

आज दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार कार्य का विशाल रूप देखकर किसी भी देश प्रेमी का हृदय आनन्द से उत्फुल्ल हुए बिना नहीं रह सकता। हैदराबाद से कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी के तट से अरब समुद्र के तट तक फैले हिन्दी प्रचार के कार्य, संगठन और व्यवस्था को, जो भव्य रूप प्राप्त हुआ है वह दक्षिण भारतीयों के देश-प्रेम का ही फल है। किन्तु उस प्रेम की शक्ति को प्राप्त करके जिन्होंने उसे चतुर्दिक प्रकाश फैलानेवाला एक दीप-स्तम्भ बना दिया, जिन्होंने घर-घर घूमकर हिन्दी का दीप जलाया, जिन्होंने "एक राष्ट्र-भाषा हिन्दी हो; एक हृदय हो भारत जननी" का मंत्रोच्चारण करके भारतमाता के गौरव के लिये देश वासियों में राष्ट्र-सेवा और राष्ट्र की आज़ादी की अग्नि प्रज्वलित की, वे वही नौजवान भाई-बहन हैं जो हिन्दी प्रचारक कहलाते हैं। वे राष्ट्रीय भिक्षु हैं, राष्ट्रीय सैनिक हैं। उन्होंने साधारण होकर भी राष्ट्र निर्माण का एक महान कार्य किया है। देश के इतिहास में दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार की कहानी, युवकों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिये की गयी सेवाओं का उज्ज्वल अध्याय होगी।

*

आंध्र देश के मेरे संस्मरण

(पं० अवधनंदन)

मैट्रिक की परीक्षा समाप्त करने के बाद मेरे हृदय में देशाटन और राष्ट्रीय कार्य करने की भावना उमंगें मारने लगी। अब तक गांधीजी का प्रभाव सारे देश पर छाने लगा था। चंपारन की शानदार विजय के बाद वे देश के सर्वमान्य नेता स्वीकृत हो चुके थे। अब वे भारत को आज़ादी दिलाने की आयोजना बना रहे थे और सत्याग्रह का मंत्र लोगों के कानों में फूंक रहे थे। उनके प्रभाव से, भला, देश का कोई युवक कैसे बच सकता था? मैंने भी गांधीजी के बताये मार्ग का अनुसरण करके अपनी तुच्छ सेवा देश के चरणों पर अर्पित करने का निश्चय किया और पढ़ाई बंद करके राष्ट्रीय कार्य में कूद पड़ा। उसी समय सुना कि दक्षिण में गांधीजी ने हिन्दी प्रचार का कार्य आरंभ किया है। यह सुनकर दक्षिण आकर हिन्दी प्रचार करने का विचार मेरे मन में तरंगें मारने लगा। मैं सीधे प्रयाग पहुँचा और श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन से मिला। वे ही उस समय सम्मेलन के प्रधान मंत्री थे; और मद्रास में हिन्दी का कार्य सम्मेलन के ही तत्वावधान में हो रहा था। मेरे विचार सुनकर टंडनजी ने प्रसन्नता प्रकट की और पंडित हरिहर शर्मा के नाम एक पत्र देकर मुझे मद्रास जाने की अनुमति दे दी। उनकी आज्ञा पाकर 20 जून, 1920, को मैं सीधे मद्रास आ पहुँचा।

आज की और 1920 की हिन्दी प्रचार सभा में एक विशाल वृक्ष और छोटे पौधे का अंतर है। उस समय सभा का दफ्तर मइलापुर के नाट्टु सुब्बरायमुदली गली में एक छोटे-से मकान में था। शायद उसका किराया 25 या 30 रुपये मात्र था। उसीमें हरिहर शर्माजी अपनी पत्नी गोमतीजी के साथ रहते थे और उनके साथ दो-तीन हिन्दी प्रचारक बंधु भी थे। किसी तरह पता लगाता हुआ संध्या के समय सभा में पहुँचा। पंडित हरिहर शर्माजी को टंडनजी का पत्र दिया। शर्माजी ने मेरा स्वागत किया और रात्रि को गोमती बहन ने भोजन कराया। मद्रासी भोजन करने का यह मेरा पहला अवसर था।

पहली मुलाकात में पंडित हरिहरशर्माजी तथा गोमती देवीजी के आतिथ्यपूर्ण सरल स्वभाव ने मेरे हृदय को मोह लिया। मैं दस-बारह दिन उनके साथ रहा, पर एक दिन भी ऐसा नहीं मालूम हुआ कि मैं अपने बंधुओं से बहुत दूर, पराये लोगों के बीच रह रहा हूँ। शर्माजी सभा के मंत्री थे। उनकी लगन और सेवा-भाव देखकर मैं आश्चर्य में आ गया। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था, मानों सरलता और सेवा की साक्षात् मूर्ति सामने खड़ी हो। कोई भी कार्य उनके लिए तुच्छ नहीं था। अपने सहयोगियों की सेवा करना तो वे अपना फ़र्ज़ समझते थे। मैंने उनके इन गुणों को अपनाने की चेष्टा की; और आज यदि मुझमें दूसरों की सेवा की कोई प्रवृत्ति है, तो मैं निःसंकोच स्वीकार करता हूँ कि वह श्री शर्माजी के सत्संग का ही परिणाम है।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में स्वर्गीय श्री वसन्ती देवी (मि. ऐनि बेसेन्ट) का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। थियोसिफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेन्ट के नाते वे संसार में प्रसिद्धि पा चुकी थीं। उन्होंने भारतवासियों के हृदय में राष्ट्रीय भावना जाग्रत करने का भी भरपूर प्रयत्न किया था, जिसके फल-स्वरूप उन्हें दो साल तक नज़रबंदी की सज़ा भुगतनी पड़ी थी।

भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डालने में सबसे पहले श्री वसन्तीजी (आनी बेसेंट) का हाथ

था। जब उन्होंने देखा कि भारत के नवयुवक सरकार द्वारा नियंत्रित यूनिवर्सिटियों की शिक्षा पाकर और गुलामी का तौक गले में डालकर दर-दर नौकरी ढूँढ़ते फिरते हैं, तो उन्होंने युवकों को राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसके तत्वावधान में चित्तूर ज़िले के मदनपल्ली नामक स्थान में नैशनल हाईस्कूल और नैशनल कालिज की स्थापना की। ये दोनों संस्थाएँ सरकार या सरकारी विश्वविद्यालयों के नियंत्रण से बाहर थीं, और इनमें पढ़ाई का उद्देश्य शुद्ध राष्ट्रीय था। सबसे पहले श्री एफ़. जी. पियर्स इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। परन्तु, उनके लंका चले जाने के बाद डाक्टर जेम्स एच. कसिन्स इस कालेज के प्रिन्सिपल बनकर आये।

डाक्टर कसिन्स अंग्रेज़ी भाषा के प्रकाण्ड विद्वान और कवि थे। वे अयरलैन्ड के निवासी होने के कारण भारत की स्वतंत्रता की माँग के साथ गंभीर सहानुभूति रखते थे। (यह स्मरण रहे कि उस समय आयरलैण्ड भी अंग्रेज़ी सत्ता के अधीन था और स्वतंत्रता पाने के लिए इंगलैण्ड के साथ युद्ध कर रहा था।)

उनकी धर्म-पत्नी मि. मार्गरेट कसिन्स भी प्रचण्ड राष्ट्रवादी महिला थीं और भारतीय अभिलाषाओं के साथ सहानुभूति रखती थीं। पीछे चलकर तो वे स्वराज्य आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने लगी थीं और इसी कारण से कारावास का कष्ट भी उन्हें झेलना पड़ा था।

कालेज के प्रधान अध्यापक का स्थान लेते ही डा० कसिन्स साहब का ध्यान हिन्दी की आवश्यकता की ओर गया। उन्होंने नियम बनाया कि कालिज और हाईस्कूल के सभी विद्यार्थियों को हिन्दी सीखनी चाहिए। इसका निश्चय होते ही उन्होंने हिन्दी प्रचार सभा को एक हिन्दी अध्यापक भेजने के लिए पत्र लिखा और पंडित हरिहरशर्माजी ने यह सुअवसर मुझे प्रदान किया। दस-बारह दिन मद्रास में ठहरकर मैं जुलाई के पहले सप्ताह में मदनपल्ली चला गया।

प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से मदनपल्ली एक बड़ा ही मनोहर स्थान है। यहाँ का विद्यालय भी अनेक बातों में भारत के अन्य विद्यालयों से विलक्षण था। यहाँ लंका से लेकर भारत के सभी भागों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अध्यापक भी प्रायः सभी प्रान्तों के चुने हुए विद्वान थे। राष्ट्रीयगान से दिन का कार्यक्रम आरंभ होता था। प्रति शनिवार को डाक्टर साहब का सामूहिक भाषण होता था, जिसमें स्कूल और कालिज के सभी विद्यार्थी और अध्यापक एकत्रित होते थे। भाषण इतना सुन्दर, ओजस्वी और भावपूर्ण होता था कि लोग उन्हें सुन कर मुग्ध हो जाते थे। विद्यार्थियों का अध्ययन भी बहुत ही प्रेमपूर्ण वातावरण में होता था, और अन्यत्र कालिजों में पाये जानेवाले शुष्क और कृत्रिम वातावरण का वहाँ बिलकुल अभाव था। डाक्टर दंपति अपने मधुर और स्नेह-पूर्ण व्यवहार से सारे वातावरण को अनुप्राणित किया करते थे। डा. कसिन्स की ख्याति विदेशों में भी व्याप्त थी, इस कारण से अक्सर विदेशों के विद्वान मदनपल्ली के संदर्शनार्थ आया करते थे। एक बार एक फ़्रांसीसी दंपति वहाँ पधारे। नाम थे पाल रिसार्ड और मदाम पाल रिसार्ड। पाल रिसार्ड अपने लंबे कद, ऊँचे ललाट और सफ़ेद, लंबी दाढ़ी के कारण, प्राचीन युग के आर्य ऋषियों के जैसे दीखते थे। उनकी पत्नी अपेक्षाकृत युवती थीं, पर देखने में अत्यन्त भव्य, गंभीर और कुशल लगती थीं। उस समय का उनका भोला चेहरा अब भी मुझे स्मरण है। यहाँ यह उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि यही देवी आज पांडिचेरी के श्री अरविन्द आश्रम की पूज्य माताजी हैं।

धनाभाव के कारण मदनपल्ली का कालिज अल्पायु में ही समाप्त हो गया। और उसके साथ-साथ मेरे संबंध का भी अंत हो गया। पर मदनपल्ली की सुखद स्मृतियाँ आज भी मेरे मन में ताज़ा हैं।

मदनपल्ली के बाद मेरा दूसरा केन्द्र बरहमपुर रहा। यह शहर पहले आन्ध्र देश में था और

अब उत्कल में सम्मिलित हो गया है। यहाँ उड़िया लोगों की आबादी अधिक होने पर भी नगर में आन्ध्रों का प्रभुत्व अधिक था और नगर के शिष्ट समाज में प्रायः आन्ध्र भाषा और संस्कृति का बोल-बाला था। अब तक भारत की भूमि में सत्याग्रह का बीज पड़ चुका था, और धीरे-धीरे वह अंकुरित भी होने लगा था। स्कूलों और कालिजों का बहिष्कार आरंभ हो चुका था, और बालक-बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए जगह-जगह पर राष्ट्रीय शालाएँ खुल चुकी थीं। ऐसा ही एक विद्यालय बरहमपुर में भी स्थापित हुआ था, जिसके संस्थापकों में श्री वी. वी. गिरि, श्री नाभि जगन्नाथ राव तथा श्री रामलिंगम पंतुलु थे। श्री जगन्नाथ राव बरहमपुर के एक प्रतिष्ठित वकील थे, जिन्होंने गांधीजी का आदेश मानकर वकालत छोड़ दी थी और राष्ट्रीय कार्य कर रहे थे। उनका संबंध बंगाल के ब्रह्म-समाज से भी था। विद्यालय के कुछ विद्यार्थी भी ब्रह्म-समाजी थे, जिससे वहाँ ब्रह्म-समाज के आदर्शों की भी चर्चा कभी-कभी हुआ करती थी। श्री जगन्नाथराव एक आदर्शवादी तथा अत्यन्त सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और राष्ट्रीय विद्यालय के प्राण थे।

लगभग डेढ़ साल यहाँ कार्य करने बाद मेरा तबादला गुड़िवाड़ा के पास एक छोटे-से गाँव अंगलूर में किया गया।

आंध्र देश में राष्ट्रीय जागृति की भावनाएँ शहरों की अपेक्षा गावों में अधिक फैली थीं; और गुन्टूर और कृष्णा ज़िलों के अनेक गाँव राष्ट्रीय जागृति के अच्छे केन्द्र बन गये थे। मेरे जाते ही ताड़ के पत्तों का एक झोंपड़ा तैयार हो गया, जिसमें एक ओर चर्खा सिखाने का प्रबंध था और दूसरी ओर विद्यालय चलता था, जिसमें बालक से लेकर प्रौढ़ तक, सभी उम्र और श्रेणी के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। विद्यालय की पढ़ाई में हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया गया था। गाँव के लोगों में राष्ट्रीय कार्य के प्रति इतना उत्साह और अनुराग था कि उसे देखकर आश्चर्य होता था। इन ग्रामवासियों ने गांधीजी के स्वप्न को पूरा कर दिखाने का भरसक प्रयत्न किया था।

जिस समय मैं अंगलूर में था, आंध्र के पुराने और भूतपूर्व प्रचारक श्री रामभरोसे श्रीवास्तव वहाँ आये। उनके साथ एक नवयुवक कार्यकर्ता भी थे, जो करीब-करीब मेरी ही उम्र के थे। आकार-प्रकार से ग्रामीण, पर बुद्धि के अत्यन्त तीक्ष्ण। उनकी हँसी और बातचीत करने का तरीक़ा इतना आकर्षक था कि पहली ही मुलाकात में मैं उनकी ओर आकृष्ट हो गया; और हम लोगों के बीच गाढ़ी मित्रता उत्पन्न हो गयी। हम दोनों बहुत देर तक सड़क के किनारे एक पुल पर बैठे हिन्दी प्रचार के संबन्ध में चर्चा करते रहे। उस समय मद्रास सभा में जो कार्य हो रहा था, उसकी गति-विधि से उनको संतोष नहीं था। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि मैं मद्रास जाकर पंडित हरिहर शर्माजी की सहायता करूँ। बाद में तो वे स्वयं मद्रास आ गये और प्रचार-मंत्री की हैसियत से कार्य करने लगे। यही नवयुवक आज के हमारे प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायणजी हैं।

श्री सत्यनारायणजी की सलाह मानकर मुझे अंगलूर ग्राम के उत्साहपूर्ण वातावरण को छोड़कर मद्रास आना पड़ा। मद्रास में रहते समय आंध्रकेसरी श्री टी. प्रकाशमजी को कुछ दिनों तक हिन्दी सिखाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। मद्रास में कुछ महीने ही रह पाया था कि ईरोड जाने का प्रोग्राम बन गया।

ईरोड़ चले जाने के बाद बहुत दिनों तक आन्ध्र देश के साथ मेरा संबंध टूट-सा गया; और उसके बाद से मैं तमिल भाइयों के परिवार का एक अंग-सा बन गया। तो भी आन्ध्र देश मेरा प्रथम कार्यक्षेत्र रहा और वहाँ रहकर जो अनुभव और ज्ञान मैं ने प्राप्त किये, वे आगे के जीवन और कार्य में मेरे संबल रहे।

*

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अपने हाई स्कूलों में हिन्दी को अनिवार्य और परीक्षा का विषय बनाया है

आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री
डा. नीलम संजीवरेड्डी

आन्ध्र प्रदेश के विद्या मंत्री
श्री एस. बी. पी. पट्टाभिरामाराव

आन्ध्र प्रदेश के रेविन्यू मंत्री
श्री के. वि. रंगारेड्डी
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, आन्ध्र की कार्यकारिणी समिति व निधिपालक मंडली के सदस्य

डा. ए. बी. नागेश्वरराव
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास व आन्ध्र की कार्यकारिणी समिति के सदस्य

श्री डी. श्रीनिवास अय्यंगार
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के
कार्याध्यक्ष

श्री के. वेंकटस्वामी नाइडु
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के
प्रबंध निधिपालक

श्री रामकिषन दूत
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, आन्ध्र के

श्री आदुर्ति सूर्यनारायण
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, आन्ध्र की
कार्यकारिणी समिति के सदस्य

श्री मो. सत्यनारायणजी

"आरिगपूडि"

"मैं गुड़िवाड़ा का हूँ,—पिताजी से कुछ कहना ?" एक व्यक्ति ने मेरी पीठ थपथपाते हुए पूछा। उनका यह प्रश्न याद है, पर उस समय का उनका चेहरा-मोहरा भूल गया हूँ—सफ़ेद खादी के कपड़े, गान्धी टोपी—कुछ धुंधली स्मृति-सी ही रह गई है।

"मैं शाम को आऊँगा—" मुझे सकपकाता देखकर उस सहृदय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा।

मैं कई बार उस जगह गया जहाँ वे मुझे मिले थे। भीड़ छान गया। जहाँ दो-चार आदमी दीखते मैं गिद्ध-दृष्टि से देखता, हर गान्धी टोपीवाले को चोटी से ऐड़ी तक निहारता, पर वे न दिखाई दिये।

वे व्यक्ति श्री मो० सत्यनारायणजी थे। वे न तब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री थे, न राज्य सभा के सदस्य, न इतने जाने माने मशहूर आदमी ही। और मेरे लिये वे सिर्फ़ पिताजी के परिचित थे, जिनसे मैं परिचित न था

मैं तब गुरुकुल कांगडी का विद्यार्थी था। घर से बहुत दूर। उम्र सात आठ वर्ष की थी।

और इस बीच पचीस वर्ष बीत गये,—पचीस लम्बे रेंगते वर्ष।

❀ ❀ ❀

ये पचीस वर्ष श्री सत्यनारायणजी के लिए कठिन तपस्या के थे—ऊँची सीधी चढ़ान के। वे आज चोटी पर हैं। पर कार्य और सफलता एक पर्वत श्रृंखला की तरह हैं—एक चोटी पर पहुँचते हैं तो दूसरी और ऊँची और दुरूह समक्ष उपस्थित हो जाती है; प्रयत्नशील व्यक्ति का आरोहण जारी रहता है। सत्यनारायणजी बहुत कुछ जानते हैं किन्तु आराम करना उन्हें —ीं ——

विनम्र हिन्दी प्रचारक अपने ही क्षेत्र में कई सीढ़ियाँ पार करके कई विभागीय पदों पर, कई वर्षों तक काम करके, आज सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। वे ही हिन्दी प्रचार यन्त्र की कुंजी हैं। हिन्दी प्रचार का कार्य उन्हीं के दिग्दर्शन में होता है।

हिन्दी के प्रसिद्ध लोकप्रिय कवि श्री दिनकर ने अपने एक लेख में कहा था "दक्षिण में श्री सत्यनारायणजी हिन्दी के प्राण हैं।" उनकी सफलता का यह संक्षिप्त वाक्य सुन्दर परिचय देता है।

श्री सत्यनारायणजी के कार्यक्षेत्र कई हैं, और सब परस्पर संबद्ध नहीं हैं; अलावा इसके सबकी प्रगति का स्तर भी एक नहीं है। पर जो कार्य उन्होंने हिन्दी क्षेत्र में किया उसका परिमाण तो महान है ही, धरातल भी ऊँचा है। अतिशयोक्ति नहीं है, हिन्दी प्रचार का कार्य, उनके पथ-प्रदर्शन में जो हुआ है, सम्भवतः किसी और व्यक्ति या संस्था ने नहीं किया है

सत्यनारायणजी हिन्दी के प्रथम प्रचारक नहीं हैं, न सभा के वे प्रथम प्रधान मंत्री ही हैं। पर वह छोटा-सा अंकुर जिसकी रक्षा और विकास की ज़िम्मेवारी उन्हें दी गयी थी, उन्हीं के काल में, उन्हीं के प्रयत्न से, पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ,—एक विशाल वृक्ष बना।

वह संस्था जो जन-संकुल त्रिप्लिकेन के एक संकीर्ण गली में, छोटे मोटे किराये के मकान में थी, अब एक विस्तृत प्रांगणवाले आलीशान भवन में है। संस्था किसी भी अर्थ में किसी की किरायेदार नहीं है। वह स्वावलम्बी है, स्वयं पोषक है।

बड़े-बड़े मकान, कहा जाता है, किसी संस्था

की सम्पन्नता को कार्यकर्ताओं की निरन्तर तपस्या, कार्यनिष्ठा, बलिदान, त्याग, आदि का सुदृढ़ आधार मिला है। यदि आज यह सुव्यवस्थित, सुसम्पन्न, सुविस्तृत है, तो इसका कारण श्री सत्यनारायणजी जैसे कर्मवीर व्यक्तियों का सतत प्रयत्न ही है।

उदात्त उद्देश्य, सर्वदा साधनों की उत्तमता के अधिकारी हैं। वे एक नैतिक व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, और यह लोक-विदित और अनुभूत सत्य है कि नैतिक व्यवहार द्वारा, हमेशा शीघ्र सांसारिक सफलता प्राप्त नहीं होती। अगर किसी संस्था को यह सफलता मिलती है, तो वह सफलता उसके संचालकों के नैतिक बल का परिचायक है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, एक ऐसी संस्था है।

संस्था और व्यक्ति के एकसात् होने में कार्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है, जब एक व्यक्ति संस्था का पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो उसकी कार्य श्रद्धा को पर्याप्त रूप से वाक्य बद्ध नहीं किया जा सकता। यह सत्यनारायणजी के बारे में सोलह आने लागू होती है। वे और हिन्दी प्रचार सभा अभिन्न हैं।

वे सभा के साथ स्वयं विकसित हुए हैं। सभा ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी उनका व्यक्तित्व भी बढ़ता गया।

हिन्दी प्रचार में उनका इतना समृद्ध अनुभव रहा कि दूरदर्शी राष्ट्रपिता गांधीजी ने उनको दक्षिण के अलावा उत्तर के अन्य अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी प्रचार का संचालन करने के लिए नियुक्त किया; और जो व्यक्ति गान्धीजी की कसौटी पर खरा उतरा हो किसी और कसौटी पर खोटा नहीं हो सकता।

दक्षिण में हिन्दी प्रचार का इतिहास श्री मो. सत्यनारायणजी के वैयक्तिक विकास का भी इतिहास है।

❀ ❀ ❀

श्री सत्यनारायण के बहु-पार्श्व जीवन का हिन्दी प्रचार एक पार्श्वमात्र है—पुष्प की एक पंखडी-सी।

वे अखिल भारतीय हिन्दी परिषद के संस्थापकों में से एक हैं। सम्प्रति वे इसके प्रधान मंत्री हैं। परिषद का कार्य क्षेत्र जैसे कि इसका नाम सूचित करता है, सम्पूर्ण भारत है। परन्तु इसका कार्य मुख्यतः अहिन्दी प्रान्तों में ही केन्द्रित है। इसलिए यह कार्य और भी कष्ट साध्य है।

अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के प्रचार का विरोध न होता हो, ऐसी बात नहीं। कई प्रान्तों में हिन्दी का निरन्तर विरोध होता रहा है। विशेषतः तमिलनाडु में। पर इसी प्रान्त में, अब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा काफ़ी सुदृढ़ हो गयी है। इसके कई कारण हैं। इनमें ये तीन मुख्य हैं—(1) हिन्दी का राष्ट्रभाषा हो जाना (2) सभा का सुव्यवस्थित व सुयोजित कार्य (3) सत्यनारायण जी का परिस्थित्यनुकूल कार्यकुशल व्यवहार।

संसार के इतिहास में धर्म के प्रचार के लिए कई आन्दोलन चले हैं, इन आन्दोलनों के कारण शायद इतिहास के पृष्ठ लाल भी हैं, पर एक भाषा के प्रचार के लिए चलाये गये, आन्दोलन कम ही हैं। दक्षिण में हिन्दी प्रचार का आन्दोलन भी ऐसा है। श्री सत्यनारायणजी इसके प्रमुख सारथियों में से हैं।

हिन्दी की सेवा की स्वीकृति में वे राजभाषा आयोग के सदस्य नियुक्त हुए। सरकार की कई अन्य समितियों के भी, जो इस क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, वे सदस्य हैं।

❀ ❀ ❀

श्री सत्यनारायणजी हिन्दी प्रचार से इतने एकसात् हो गये हैं कि उनके अन्य कार्य शायद इस प्रचार के परदे में आ जाते हैं। ऐसा एक कार्य तेलुगु भाषा समिति का है। वे इस समिति के प्रधान मंत्री हैं। समिति सार्वजनिक संस्था है, यद्यपि इसको सरकार द्वारा अनुदान मिलता है।

समिति तेलुगु भाषा में एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर रही है। इसके दो बृहद्भाग प्रकाशित हो चुके हैं। एक भाग राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत

भी हुआ है। यह पिछले पाँच छः वर्षों से कार्यरत है।

इस संस्था को मो. सत्यनारायणजी के परिपक्व अनुभव एवं बहुमुखी प्रतिभा का लाभ मिल रहा है।

सत्यनारायणजी तेलुगु भाषी हैं। हिन्दी उनकी मातृभाषा-सी है। तमिल धडल्ले से बोलते हैं, कन्नड का ज्ञान रखते हैं, मलयालम समझते हैं। इनके अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगाली भी जानते हैं। अंग्रेज़ी के ज्ञाता तो हैं ही।

वे प्रारंभ से ही ऐसे क्षेत्रों में कार्य करते आये हैं, जहाँ बिना डिग्री व उपाधि के कोई पूछ नहीं होती। उनका क्षेत्र मुख्यतः शिक्षा का रहा है; और है। —आजकल तो शिक्षा, उपाधि प्राप्ति की एक लंबी प्रक्रियामात्र-सी रह गयी है।

सत्यनारणजी के पास कोई उपाधि नहीं है। वे किसी कोलेज के स्नातक नहीं है। उनकी विद्वत्ता व विस्तृत ज्ञान पर, किसी शिक्षा संस्था की स्वीकृत मुद्रा नहीं है। वे स्वयं शिक्षित हैं, यद्यपि वे कुछ दिनों मछलीपट्टणम के राष्ट्रीय कलाशाला में शिक्षित हुए हैं।

और, आज ये सत्यनारायणजी भारत के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के बोर्ड आफ़ स्टडीज के सदस्य हैं। इनकी कई पुस्तकें हज़ारों विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तकें हैं। केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय से भी इनका संबंध है।

यह आश्चर्यजनक सफलता किसी भी व्यक्ति के लिए गौरव का कारण हो सकती है।

❀ ❀ ❀

जिनकी प्रतिभा बहुमुखी होती है, कहा जाता है, वे किसी विषय विशेष में असाधारण रूप से प्रवीण नहीं हो पाते—श्री सत्यनारायण जी इस कथन के अपवाद हैं।

वे मकानों के निर्माण में वही असाधारण प्रतिभा दिखाते हैं, जो पुस्तकों की रचना में या कठिन आँकड़ों के सुलझाने में या भाषण करने में, या सभा के कार्य संचालन में। एकाग्रता उनका विशेष गुण है, वे प्रायः भाग-भाग में समग्र की कल्पना करते हैं।

बावजूद इतने कार्य के उनको नृत्य, संगीत, चित्रकला, नाटक आदि का भी शौक है। हिन्दी प्रचार सभा के अहाते में उन्होंने नृत्य संगीत आदि सिखाने का प्रबन्ध किया है। रंगमंच की भी व्यवस्था की है। वे मद्रास सरकार द्वारा स्थापित नाटक पुनुरुत्थान समिति के सदस्य भी रहे हैं।

एक ही समय में कई कार्य उनकी देखरेख में होते रहते हैं। उनका उत्साह अनुकरणीय है।

वे खिताब-प्राप्त विशेषज्ञ नहीं है। पर जिस किसी विषय पर वे अपने विचार प्रकट करते है, वे महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें विशेषज्ञों के विचारों का वजन होता है। वे प्रतिभा सम्पन्न स्वतन्त्र चिन्तक हैं। दूर की सोचते हैं और पास की करते हैं। उनकी सूझ-बूझ आश्चर्य जनक है।

यही कारण है कि सरकार उनकी प्रतिभा और अनुभव का उपयोग कई दिशाओं में करती आयी हैं और कर रही है। वे रेल्वेज की परामर्श समिति के सदस्य थे। प्रान्तीय सूचना विभाग के परामर्शदाता थे।

अलावा इनके वे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त फिल्म एन्कवायरी कमेटी के सदस्य थे। वर्षों से केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड के सदस्य हैं।

इन सभी समितियों में उनके विचार व सलाह पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

❀ ❀ ❀

एक समय होता है जब मनुष्य प्रयत्न करता जाता है, और फल क्षितिज की तरह दूर-दूर होता जाता है।

पर वह भी समय आता है जब कि निरन्तर प्रयत्न फलप्रद हो जाता है। सहसा सफलता मिलती है, और चारों ओर से उस सफलता से, और अधिक लाभ पाने के लिये लालायित हो उठते हैं। सत्यनारायणजी का वर्तमान काल शायद ऐसा ही है।

वे इस समय राज्य सभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। यह आदरणीय स्थान देश में इने गिनों को ही मिलता है। संविधान

सभा के भी सदस्य थे। संविधान के हिन्दी करण व मुद्रण में उनका विशेष सहयोग रहा है।

❀ ❀ ❀

वे जन्म से कर्षक हैं। सांस्कृतिक कार्य कलाप में व्यस्त होने पर भी वे कृषि, व कर्षकों के बारे में दिलचस्पी लेते हैं। उनके दृष्टिकोण में यदि संस्कृति एक पलड़ा है, तो कृषि का पलड़ा दूसरा है।

आजकल "नागार्जुन सागर" की धूम है। इसकी योजना के सम्बन्ध में काफ़ी चर्चा चल रही है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इसको कार्यान्वित भी किया जायेगा।

पर आन्ध्रवासी जानते हैं कि इस दिशा में पहिला बीड़ा सत्यनारायणजी ने ही उठाया था। उन्होंने कृष्णा नदी के जल के पूर्ण उपयोग के लिये इस योजना की रूप रेखा, सरकार के सामने प्रस्तुत की थी।

जन्म जात कर्षक ने, कृषि के प्रति भी, अपना उत्तरदायित्व, प्रशंसनीय ढंग से पूर्ण किया।

प्रचार सभा के विशाल अहाते में वक्त बे-वक्त साधारण कदवाले, खादी पहिने, कंधे ऊपर नीचे करते, कभी सिर नीचा कर, कभी, सीना तान कर वे इधर उधर चहलकदमी करते रहते हैं। उनकी चाल ढाल में अजीब चुस्ती है, विचित्र आकर्षण है।

उनकी उम्र पचपन के नजदीक है, पर हाव भाव, स्फूर्ति, शक्ति, उत्साह ऐसा है कि नवयुवकों को भी शर्मिन्दा करे।

अगर किसी व्यक्ति को अपने कार्य पर गर्व करने का अधिकार है तो सत्यनारायण जी को भी है। इतनी बड़ी संस्था का संचालन किसी के लिए भी गर्व की बात है। परन्तु वे निरभिमानी हैं। वे कीर्ति और सफलता के मदोन्मत्त नहीं हैं। वे विनम्र हैं।

उनकी बातों में मिठास है। व्यवहार में सहृदयता। स्वभाव से वे स्नेहशील हैं; मिलनसार। सहायता करते हैं तो एहसान नहीं चाहते। कृतज्ञता की अपेक्षा नहीं करते। कृतघ्नता को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। वे मानव स्वभाव को जानते हैं। वे एकाकी से हैं, और शायद इसीलिये हमेशा सतर्क रहते हैं।

इस देश में जहाँ उच्च जाति, प्रसिद्ध खानदान, रईसी, खर्चीली शिक्षा के बग़ैर सफल होना मुश्किल है,—सत्यनारायणजी आज सफल हैं। कृतकृत्य हैं। वे न तथाकथित ऊँची जाति के हैं, न प्रसिद्ध घराने के ही, न रईस ही हैं। वे धन्यजीवियों में से हैं।

❀ ❀ ❀

यह पच्चीस वर्षों की कठिन तपस्या का सांकेतिक वर्णन है।

इन वर्षों में श्री सत्यनारायणजी पत्रकार भी बने। वे वर्षों से "हिन्दी प्रचार समाचार" का सम्पादन कर रहे हैं। तेलुगु, हिन्दी, अंग्रेज़ी के कई पत्र पत्रिकाओं में निरन्तर लिखते आये हैं। उनके लेख विचार प्रधान होते हैं। जानकारी और आंकड़ों की अधिकता रहती है। भाषा भी विषयानुकूल होती है।

वे आजकल "दक्षिण भारत" के भी सम्पादक हैं। यह पत्र सभा का सांस्कृतिक मुख पत्र है—और दक्षिण का एकमात्र साहित्यिक प्रतिनिधि मासिक।

❀ ❀ ❀

पच्चीस वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के बाद, चार वर्ष पहिले "दक्षिण भारत" के संगम पर मैं उस व्यक्ति से मिला जिसकी याद धुंधली-सी रह गयी थी; और तब अगर मैं उनसे कुछ कहता भी तो वे पिता जी तक न पहुँचा सकते थे। पिता जी दिवंगत हो चुके थे।

पर अब वे पिता जी के सिर्फ़ परिचित नहीं हैं—अपितु—।

*

दक्षिण भारत के महान् हिन्दी प्रचारक—

श्री मोटूरि सत्यनारायणजी

(श्री रामानंद शर्मा)

जीवन एक अमर काव्य

जीवन एक अमर काव्य है—मधुर, मनोहर, मृदुल, मंजुल तथा मर्मर गति से प्रवाहित। किन्तु उस काव्य को अमर बनाने का सौभाग्य मानव-प्राणी को ही प्राप्त हुआ है। इसीलिए जीवन और काव्य मनुष्य के लिए ही रूढ़-से हो गये हैं। मनुष्यों में भी कोटि-कोटि जन तो इस काव्य को पढ़े बिना ही चल देते हैं, उनका काव्य बंद ही रह जाता है और उनके साथ उसका भी अंत हो जाता है। अपने जीवन का काव्य कुछ थोड़े-से भाग्यशाली ही पढ़ पाते हैं। और जो पढ़ पाते हैं वे भी इसका पूरा-पूरा मर्म समझ पाते हैं, इसमें संदेह की काफ़ी गुंजाइश रह जाती है। क्योंकि जीवन-काव्य रहस्यमय होता है। रहस्य के उस जटिल जाल को तोड़ फेंकना सबके बूते की बात नहीं होती। और जो मनस्वी झुक-झाँककर उस काव्य को पढ़ लेते हैं; वे आप्यायित हो जाते हैं और उनका वह अमर-संगीत दूसरे प्राणों को भी पुलकित कर देता है। इतना ही नहीं, वह जीवन-दर्पण भी बन जाता है, जिसमें अपना मुँह देखकर, जो भी चाहे, अपने को सँवार-सुधार सकता है।

जीवन-दर्शन की विधियाँ

किसी एक भव्य वस्तु के दर्शन की कई विधियाँ बनायी गयी हैं। गगन-चुंबी पर्वत-राज को कोई दूर से ही देखकर कृतार्थ हो जाता है, कोई पास पहुँचकर उसकी शोभा बारीकी से निरखता है। दूर से देखने में अस्पष्टता की हानि उठाकर भी दर्शक भव्यता का वर-प्रसाद पा जाता है। भव्य दर्शन से उसका हृदय एक अद्भुत आह्लाद से भर जाता है। पास से देखनेवालों को अक्सर गिरिराज के अंचल में फैली हुई कँटीली झाड़ियाँ उलझा लेती हैं। ऊबड़-खाबड़ ज़मीन तथा उनपर प्रचुर रूप में फैले रोड़े-ढोके बाधक बन जाते हैं—ठोकर देकर श्रद्धालु पथिक को कुंठित तथा विरक्त बना देते हैं। साथ ही अत्यंत पास से देखने पर ऊँचाई की विशालता तथा भव्यता ग्राह्य नहीं होतीं। अक्सर कुंठा-ही-कुंठा सामने आती है और दर्शक हाथ मलता रह जाता है; इसलिए जो पहाड़ के समान किसी विशाल व्यक्तित्व के पास रहकर सच्ची बात बताने का दावा करते हैं, उनपर भी अचल आस्था नहीं रखी जा सकती है। दर-असल जब आदमी अपने-आपको ही ठीक-ठीक पहचानने में असमर्थ होता है, तब दूसरों पर रायजनी करने का उसका प्रयत्न अधिकांश में हास्यास्पद ही समझा जाएगा। फिर भी यह प्रयत्न जारी है और आगे भी जारी रहेगा—यह लाचारी सदा क्षम्य रहेगी।

देखने की इन दोनों विधियों के बीच से बहनेवाली एक कोणात्मक विधि भी देखने में आती है। छाया-ग्राही कलाकार पहाड़ के पास पहुँचकर इधर-उधर नज़र डालता है और कुछ फ़ासले पर खड़ा हो जाता है और फिर कोणात्मक दृश्य पर अपना कैमेरा लगा देता है। यह कोणात्मक दृष्टि जो दृश्य उपस्थित करती है, वह अधूरी तथा अस्पष्ट होती है, फिर भी छाया-ग्रहण की वह प्रणाली आज विशेष लोक-प्रिय हो रही है। किन्तु उसके लिए भी तो कौशल की अपेक्षा होती है न...!

एक शब्द-चित्र

अग्र-भाग में कुछ झुकी, गहरी चितवन को सूचित करनेवाली, तोते-सी लंबी नाक; घनी बरौनियों के ऊपर विरल-भौंहों के बीच शंका और सतर्कता को द्योतित करनेवाली कुछ अस्थिर आँखें; चिंतन-मनन का सूचक चौड़ा ललाट; भाग्यशालियों का चिन्ह गंजा सिर; स्वास्थ्य

और दृढ़ता का आधार मँझोला कद; शरीर के अनुपात में कुछ अल्प हाथ-पाँव की व्यस्तता-बोधिका बिखरी उँगलियाँ; अर्जनशीलता तथा कसीमुट्ठी की निशानी मोटे तथा अनगढ़ अंगूठे अन्तर की रस-स्निग्धता की निर्झरिणी-सी सुरीली आवाज़; बोझीले चिंतन से कटी तथा पलायन की वृत्ति-बोधिका द्रुत-पद-गति; पैरों की घुट्टियों तक फैली शुभ्र खादी की चौड़ी अरजवाली धोती का पताके की तरह उड़ता एक छोर (आंध्रों की एक ख़ासियत); गंजेपन की अनिवार्य माँग-वाली सिर पर सफ़ेद गांधी टोपी; कंधों पर परंपरागत मान-मर्यादा की दृढ़ पक्षपातिनी झूलती धवल चादर; तेलुगु, तमिल, अंग्रेज़ी, हिन्दी, मराठी आदि भाषाओं में सम-भाव से भाव व्यक्त करने की क्षमता—ये हैं हमारे चरित-नायक श्री मोटूरि सत्यनारायणजी!

पूर्वाभास

'मालवीय', 'अगरवाल', 'नेहरू' आदि की तरह 'मोटूरी' शब्द भी सत्यनारायणजी के ख़ानदानी निवासस्थान का परिचायक है। मोटूरी वह गाँव है जहाँ से निकलकर इनके पूर्वज इधर-उधर जा बसे थे। आंध्र देश में इसे 'घर का नाम' कहते हैं और प्रत्येक नाम के साथ 'घर का नाम' जुड़ना अनिवार्य होता है। अंग्रेज़ी फ़ैशन के मुताबिक वह 'मोटूरी' अब 'एम' का संक्षित रूप धारण कर चुका है—'एम. सत्यनारायण!' आंध्र देश के कृष्णा-गुंटूर ज़िलों में हिन्दुओं की 'कम्मा' उपजाति खूब संपन्न तथा ख्यात मानी जाती है। ये लोग अपने को क्षत्रिवंशीय कहते हैं—जैसे उत्तर भारत के कूर्मवंशीय (कूर्मी) क्षत्री। हिन्दी के महापंडित राहुलजी ने अपने आंध्र अनुभव के प्रसंग में एक जगह लिखा है—"कम्मा लोगों के रूप-रंग और आकार को देखने से ही मालूम हो जाता है कि वे उत्तर भारत की लड़ाकू जातियों से संबंध रखते हैं।" हमारे शर्मा-वर्मा, दुबे-चौबे, तिवारी-त्रिपाठी, सिंह-दास के समान आंध्र देश के कम्मा भी अपनेको चौधरी कहते हैं। श्री सत्यनारायण जी भी यद्यपि उसी विश्रुत वंश में पैदा हुए हैं, फिर भी किसीने उनके नाम के साथ कभी चौधरी शब्द जुड़ा हुआ नहीं देखा। यह बात उनकी जात-पाँत के संकीर्ण घेरे से ऊपर उठने की उस उदार भावना को सूचित करती है, जो होश संभालते ही इनके हृदय में घर कर गयी थी।

श्री सत्यनारायणजी कृष्णा ज़िले के 'दोंड-पाडु' गाँव में पैदा हुए। आपके पिता श्री पिचय्याजी अपने गाँव के मुखिया हैं—बड़े चतुर, शांत तथा कर्मठ। सारा गाँव उनकी मुट्ठी में रहता आया है—तिकड़म के बल पर नहीं, अपनी निष्पक्ष नीति, सामयिक सूझ-बूझ तथा सहज उदारता के कारण।

> **"माँ गुन धी पिता गुन घोर।**
> **न कुछ तो थोरबो थोर॥"**

के अनुसार श्री पिचय्याजी के पुत्र में वे पैतृक संस्कार कुछ न कुछ आने ही थे। श्री सत्यनारायणजी भी अपने क्षेत्र के मुखिया हैं, नीति-निपुण हैं और हैं उदार वृत्तिवाले समाज-सेवक।

शिक्षा-दीक्षा

अंग्रेज़ी शिक्षालयों की कोई मुहर न रखते हुए भी सत्यनाराणजी आज पूर्णशिक्षित व्यक्ति हैं। शिक्षा अपने मूलरूप में मनुष्य के परंपरागत संस्कार को विकसित करती है—मनुष्य को संस्कारी बनाती है, अर्थात् उनके सहज गुणों को पनपाकर सुदृढ़ वृक्ष में बदल देती है। किशोरावस्था को पार करते ही श्री सत्यनारायणजी अपने आसपास के वातावरण से उपकरण बटोर कर बड़ी सतर्कता के साथ अपने बौद्धिक विकास के लिए उनका उपयोग करने लग गये। बचपन से ही उनपर सतर्क दृष्टि रखनेवाले उनके सखा-सनेही उनकी इस ग्राहिका-शक्ति को देखकर दंग रहते आये हैं। सन् 1920 का वह साल देश में असहयोग-आन्दोलन की आँधी का काल था। नवचेतना के झूले पर झूलनेवाले नवयुवकों का दल देश-प्रेम के नाम पर विदेशी सरकार द्वारा संचालित तथा प्रसारित

शिक्षालयों का धड़ाधड़ बहिष्कार करके राष्ट्रीय शालाओं में प्रवेश करने लगे थे। कल्पनाशील सत्यनारायणजी भला पीछे कैसे रहते? अपने एक गाँधी-भक्त शिक्षक के प्रोत्साहन से वह नवोदित आन्ध्रजातीय कलाशाला (मछलीपट्टणम) में प्रविष्ट हो गये। राष्ट्रीयता का प्रेम वहीं पनपा, जीवन का लक्ष्य वहीं स्थिर हुआ और हिन्दी का अभ्यास भी वहीं से शुरू हुआ। ग्रहणशील प्रतिभा के लिए बहुत दिनों तक शिक्षणशालाओं की बेंच-कुर्सियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। परीक्षा के भूत से पीछा छूटते ही मेधावियों की प्रतिभा खुल खेलती है, मुक्तभाव से बौद्धिक विकास की सामग्रियाँ जहाँ-तहाँ से जुटा लेती है। श्री सत्यनारायणजी ने आन्ध्र जातीय कलाशाला में बहुत-कुछ सीखा, पर उन्होंने वहाँ से कोई परीक्षा भी पास की, इसकी याद शायद उन्हें भी न हो। प्रमाण-पत्र तो शायद हिन्दी परीक्षा का भी वह पेश न कर सकेंगे, बाद में जिसके वह परीक्षा-मंत्री भी हो गये थे। कहने का मतलब यह कि सत्यनारायण जी ने कहीं जमकर किसी चीज़ के अध्ययन में व्यर्थ का कालयापन नहीं किया है—लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में चलते हुए जिस पाथेय की उन्हें आवश्यकता पड़ी और जो साधन उस क्षेत्र में उन्हें उपलब्ध हो सके, उनका उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ बड़ा ही बारीक उपयोग किया। इस दिशा में उनकी मुस्तैदी और अध्यवसाय उनके मित्रों को भी आश्चर्यचकित कर देता है।

हिन्दी का अभ्यास

हिन्दी के क्षेत्र में उतरते ही सबसे पहले उन्हें हिन्दी भाषा को हस्तगत करने की ज़रूरत जान पड़ी। सर्वग्रासी प्रतिभा में एक प्रबल प्रतिस्पर्द्धा का उद्रेक पाया जाता है। वह किसी के पीछे चलने में कुंठित होती है और विवशता के काल में भी आगे निकल जाने के आंतरिक प्रयत्न उसके जारी रहते हैं। हमारे चरित-नायक ने भी ऐसी अपराजित प्रतिभा का प्रसाद पाया है। भाषा अधिकांश में बोलकर ही अपना चमत्कार दिखाती है और खास करके प्रचार के क्षेत्र में तो उसीका जादू काम करता है। श्री सत्यनारायणजी देखते-देखते हिन्दी के अच्छे वक्ता हो गये। रंगमंच पर से घंटों बिना विराम के धारावाही रूप से वह बोलते चले जाएँगे—न थकेंगे, न रुकेंगे। संग्रहशील उनकी कल्पना अपने भाषणों में कभी-कभी बड़ी मार्मिकता उत्पन्न कर देती है। कलिकट के विद्वत्-समाज में एक बार आपने कहा—"सभ्य समाज में जूते और टोपी दोनों की प्रतिष्ठा देखी जाती है। जूतों का दाम साधारणतया टोपी से ज्यादा ही होता है। दैनिक जीवन में जूतों की अनिवार्यता भी सर्वत्र देखी जाती है। पर इससे टोपी की उपयोगिता तथा मान-मर्यादा में कोई फ़रक नहीं पड़ता है। कोई भूलकर भी सिर पर जूता नहीं रखता और न पैरों में टोपी पहनता है। जो ऐसा करता है, वह पागल माना जाता है। हिन्दी हमारी गांधी टोपी के समान है, तो अंग्रेज़ी जूता है।" श्रोता बहुत दिनों तक इस आलंकारिक उक्ति को नहीं भूल सके थे।

हिन्दी-क्षेत्र के यशस्वी लेखक तथा संपादक बनारसीदासजी चतुर्वेदी एक बार दक्षिण की यात्रा में आये और सत्यनारायणजी के हिन्दी भाषण से ऐसे चकित हुए कि उन्हें कोई 'मारवाड़ी' ही मान बैठे। उत्तर प्रदेशीय, हिन्दी के पुराने प्रचारक श्री रामभरोसे श्रीवास्तव को हमारे चरित-नायक अपना हिन्दी-गुरु मानते हैं। लेकिन जब कोई यह जिज्ञासा करता है कि अध्यापक ने अपने विद्यार्थी को कब और कितना पढ़ाया, तथा अध्येता ने कब, क्या पढ़ा—तब दोनों असमंजस में पड़ जाते हैं और सिर्फ़ मुस्कुरा देते हैं। आज 25 साल के बाद अध्यापक जब अपने उस होनहार विद्यार्थी को देखता है तो अपने नेत्रों पर उसे विश्वास नहीं होता है—क्या यह वही युवक है जिसे मेहरबानी के साथ उसने कभी हिन्दी के क्षेत्र में प्रवेश-पत्र दिया था?...

श्री सत्यनारायणजी समस्त भारतवर्ष में घूमकर अपने भाषण की अटूट धारा बहा आये

हैं। उनकी हिन्दी में तत्सम पदों की प्रचुरता पायी जाती है। इसके लिए उनकी मातृभाषा (तेलुगु) और उनका आभिजात्य जिम्मेवार है। सहज रूप में वह संस्कृत-हिन्दी ही लिख-बोल सकते हैं, लेकिन विशेष श्रोतृ-समाज में जब तैयारी के साथ बोलते हैं तब उनकी भाषा हिन्दुस्तानी का जामा पहन लेती है। कई बार उर्दू-भाषियों के जलसों में ख़ालिस उर्दू बोलकर श्री सत्यनारायणजी ने आलिम-फ़ाज़िल लोगों को भी अचरज में डाल दिया है। यह बात दूसरी है कि एक-दो बार उनका भाषण सुन लेने पर उत्कण्ठा कम हो जाती है, क्योंकि अंक-आँकड़ों के आधार पर प्रसार-प्रचार की व्याख्या में व्यस्त प्रचारक-प्रवर के कथन अधिकतर रस-निर्झरिणी के संस्पर्श से मुक्त रह जाते हैं। किन्तु प्रथम प्रभाव तो उनका चमत्कारी होता ही है।

अंग्रेज़ी पर अधिकार

यह पहले कहा जा चुका है कि सत्यनारायणजी किसी यूनिवर्सिटी की उपज नहीं हैं—वह बी. ए., एम. ए. नहीं हैं। उन्होंने जो कुछ सीखा है, जीवन के पथ पर चलते हुए जंगम-विश्वविद्यालय में आँखें खोलकर सीखा है—अपने अनुभव-सागर में डूबकर सीखा है। मद्रास का शिक्षित समाज अंग्रेज़ी का अधिक अभ्यस्त है। उस समाज में ससम्मान प्रवेश पाने के लिए अंग्रेज़ी में निष्णात होना अत्यंत आवश्यक है। अतः साधारण काम के सिलसिले में ही सतर्क दृष्टि रखकर उन्होंने अपने अंग्रेज़ी ज्ञान को इतना बढ़ाया, इतना 'अप-टु-द-मार्क' बना लिया, बोलने और लिखने में इतनी धारावाहिता प्राप्त कर ली कि बी. ए., एम. ए., उनके सामने मुँह बाये रह जाते हैं।

'हिन्दी-प्रचारक' पत्रिका में कुछ दिन तक अंग्रेज़ी में भी संपादकीय टिप्पणियाँ निकलती थीं। जिज्ञासु व्यक्ति देखना चाहें, तो उसकी पुरानी फ़ाइलें उलटकर श्री सत्यनारायणजी के नोट देख लें। विश्वास है, चकित हुए बगैर नहीं रहेंगे।

अन्य भाषाओं का अभ्यास

आंध्र से मद्रास आते ही आपने तमिल से पूरा परिचय प्राप्त कर लिया, वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री होते ही मराठी तथा बंगला की जानकारी बढ़ा ली। इस तरह सत्यनारायणजी कुछ ही दिनों में बहुभाषा-भाषी बन गये। यह बात दूसरी है कि भाषा-ज्ञान के अनुपात में इच्छा रखते हुए भी वह अपनी साहित्यिक पिपासा नहीं बुझा सके। कई बार शांतिनिकेतन-सी संस्था में जाकर कुछ समय बिताने की बात उनके मुँह से एक कसक के साथ निकला करती थी, पर अपने क्षेत्र की समस्याएँ उन्हें उस लुभावने विश्राम-स्थल में जाने से रोकती ही आयी हैं।

आनुबंधिक ज्ञान का अभ्यास

साधारण मनुष्य अपने चुने हुए क्षेत्र में अगर कुछ व्युत्पन्नता प्राप्त कर लेता है, तो साधारणतया कबीर के शब्दों में—

"अकै साधै सब सधै, सब साधै सब जाय।
जो गहि सेवै मूल को फूलै फलै अघाय॥"

संतोष की साँस लेने लग जाता है। यह बात आंशिक रूप में ही सत्य मानी जाती है। बहुज्ञता से वंचित रहकर जो सिर्फ़ एक ही क्षेत्र में डूबा रहता है, वह अक्सर प्राचीन पण्डितों की श्रेणी में जा खड़ा होता है, जो अपने अधीत शास्त्र के सिवा और कुछ जानता ही नहीं। सामाजिक हित की दृष्टि से थोड़ी बहुज्ञता सफल जीवन की आवश्यक सीढ़ी समझी जाती है, और समाज में ऐसे व्यक्तियों का सम्मान भी खूब होता है। गाँव का मुखिया पंचायती के अलावा अगर कुछ दवा-दारू भी जानता हो, कुछ कारीगरी से भी परिचय रखता हो, कुछ देश-विदेश की भी बातें सुना सकता हो, कुछ कथा-पुराण भी जानता हो, तो उसकी प्रियता व्यापक हो जाती है। हिन्दी के प्रचारक्षेत्र में श्री सत्यनारायणजी की तरह ऐसे व्यक्ति विरल निकलेंगे जिनका ध्यान ज्ञान के इन अनुबंधों की ओर गया हो। सत्यनारायणजी जीवन और जगत की सभी आवश्यक सीढ़ियों पर चढ़ चुके हैं।

रजत-जयंती-महोत्सव–1946

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का रजत-जयंती-महोत्सव 1946 में स्व० महात्मा गांधी की अध्यक्षता में बड़े समारोह के साथ मनाया गया।

पदवीदान-समारंभ

1946 में सभा की रजत-जयंती के अवसर पर स्व० महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जब पदवीदान-समारंभ मनाया गया, तब राजकुमारी अमृतकौर ने स्नातकों को दीक्षांत-भाषण दिया ।

1952 में पदवीदान-समारंभ मद्रास के तब के राज्यपाल, श्री श्रीप्रकाशजी की

उनका आनुषंगिक ज्ञान काकासाहब जैसे विश्रुत व्यक्तियों को भी चकित तथा पुलकित कर देता है।

सफलता के सोपान पर

जगत और जीवन में सामंजस्य-बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति ही सफलता की ओर तेज़ी से दौड़ सकता है। यों दिल और दिमाग किसके पास नहीं हैं? पर कोई दिल को प्रधान मानकर चलता है और भावुकता की आँधी में पड़कर कवि बन जाता है—जगत् को छोड़कर कल्पना-लोक का वासी हो जाता है। कोई प्रयास-पूर्वक बुद्धि को तीव्र कर शाण पर चढ़ा देता है और भाव-जगत का मखौल उड़ाने लग जाता है। यों दोनों ही एकांगी हो जाते हैं। सत्यनारायण जी बुद्धिवादी जीव हैं, पर उन्होंने बड़ी सतर्कता से अपने भाव-जगत को सुरक्षित रखा है; और इसका सारा श्रेय उनकी जीवन-सहचरी श्रीमती सूर्यकांता देवी को दिया जा सकता है। अंतरंग मित्रों का कहना है कि अगर सूर्यकांताजी का ऐसा सुखद संयोग सत्यनारायणजी को नहीं मिलता, तो शायद ही वह इतना ऊँचा उठ पाते।

सत्यनारायणजी की मुट्ठी कसी है—फ़िज़ूल खर्च करते उन्हें किसीने नहीं देखा है। एक-एक पैसे का हिसाब वे रखते हैं, और यह पाठ उन्हें कांताजी से मिला है। उन दिनों भी (जब पैसे की तंगी रहती थी) उन्होंने कभी किसीके आगे हाथ नहीं पसारा, कभी कर्ज़ या उधार लेकर कोई काम नहीं किया। समय पर मित्रों की मदद की, पर सतर्क रहकर उनसे वसूल भी किया। व्यर्थ की शान में, व्यर्थ के शौक-मौज़ में पैसा नहीं उड़ाया; न कभी सिनेमा का शौक किया, न होटल का मुँह देखा—बीड़ी, सिगरेट की तो चर्चा ही क्या? इन सारे संयम-केन्द्रों की प्रहरी रही हैं सूर्यकांताजी। इसीसे सत्यनारायणजी न ज़्यादा अस्वस्थ हुए, न फ़ुर्ती खोयी, न संतुलन गँवाया। कुछ तो सत्यनारायणजी की सहज समता की वृत्ति कुछ कांताजी के व्यक्तित्व का प्रभाव और कुछ परिस्थितियों का तकाज़ा—सबने मिलकर उन्हें सहनशीलता का अमली पाठ पढ़ा दिया है।

कार्यक्षेत्र की कसौटी पर

एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के लिए व्यक्तिगत सफलता गौण मानी जाती है—अन्वेषक की दृष्टि घूम-फिरकर उसके कार्यक्षेत्र पर जम जाती है। व्यक्ति की व्युत्पन्नता, उसकी सम्पन्नता और उसका बौद्धिक विकास उसकी लक्ष्यसिद्धि में कैसा प्रभाव डाल गया, इसीकी जाँच से उसका महत्व आंका जाता है। श्री सत्यनारायणजी ने आज से पच्चीस साल पहले दक्षिण के हिन्दी-प्रचार क्षेत्र में प्रवेश किया था—नौकरी करने के उद्देश्य से नहीं, राष्ट्र और राष्ट्रभाषा की सेवा करने के अभिप्राय से। उनके आगमन से हिन्दी-प्रचार क्षेत्र में कैसी-कैसी क्रांतियाँ हुईं, कैसी-कैसी योजनाएँ बनीं, उन योजनाओं पर कैसा अमल हुआ और उसका प्रतिफल क्या हुआ, तथा इस सारी उथल-पुथल में सत्यनारायणजी का कितना हाथ रहा—इसीके विवेचन से उनकी कार्य-शक्ति की जाँच हो सकेगी, और उनकी सफलता भी सुनिश्चित हो जाएगी।

सत्यनारायणजी सामान्य प्रचारक से ऊँचा उठकर जब पदाधिकारी बने, तब प्रचार-कार्य की प्रारंभिक अवस्था थी और सारा कार्य प्रयाग सम्मेलन के नाम पर होता था। सम्मेलन के तत्कालीन अधिकारी बार-बार यहाँ के कार्यक्रम में अनावश्यक हस्तक्षेप किया करते थे, जिससे शक्ति क्षीण होकर कार्यकर्ताओं की कुंठा बढ़ती जाती थी। दर असल दक्षिण में हिन्दी के प्रचार कार्य का यह चक्र महात्मा-गांधी के द्वारा प्रवर्तित हुआ था। धन-जन का सारा भार उन्हींके कंधों पर था; पर सम्मेलन के अखिल भारतीय महत्व को समझकर दक्षिण के इस प्रचार कार्य की व्यवस्था का भार बापूजी (तब कर्मवीर गाँधी) ने उदारतापूर्वक सम्मेलन के हाथों में सौंप दिया था। उस उदारता का उचित उपयोग नहीं हो सका—उलटे, अड़चनें बहुत बढ़ गयीं। कार्यकर्ता कसमसाने लग गये। उस समय प्रचार-कार्यालय के व्यवस्थापक थे श्री

हरिहर शर्मा, और उनके बगलगीर बन रहे थे श्री सत्यनारायणजी। अपने इस नौ-उमर साथी की सूझ-बूझ पर रीझकर शर्माजी भरोसा करने लग गये थे। इस सूझ-बूझ का परिणाम यह हुआ कि सम्मेलन के 'प्रचार-कार्यालय' ने 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' का रूपधारण किया और महात्मा गांधी इस सभा के आजीवन सभापति हुए। दक्षिण के हिन्दी प्रचार क्षेत्र में यह पहली क्रांति थी, जिसने आमूल परिवर्तन का डंका बजाया और पुरानी आधार-शिला को उखाड़ फेंका। क्रांति की सफलता संहार में नहीं, सृजन में निहित रहती है। कहा जाता है—

'भवन बनावत दिन लगैं,
ढाहत लगै न बार।"

सम्मेलन से पिंड छूटते ही दक्षिण के प्रचार क्षेत्र में नयी चेतना एवं नूतन स्फूर्ति झंकृत हुई। श्री सत्यनारायणजी के कल्पनाशील दिमाग से संगठन की नयी-नयी योजनाएँ बनने लगीं और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए 'अण्णा' (हरिहर शर्मा) बापूजी के यहाँ से आवश्यक पैसा लाने लगे। 'अण्णा' बापूजी के आश्रम के 'बालक' थे; उनके ऊपर बापूजी का विपुल विश्वास था। अतः पैसे मिलने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी।

सत्यनारायणजी के परामर्श से सबसे पहले हिन्दी प्रचार प्रेस की स्थापना हुई। प्रेस ने प्रकाशन का बीज बोया, और प्रकाशन ने परीक्षाओं को निमंत्रण दिया। हमारे चरित-नायक के योजनाशील मस्तिष्क ने इन तीनों में अन्योन्याश्रय संबन्ध स्थापित किया और इस तरह सभा के आंगन में एक चार-चरणवाली कामधेनु पूँछ हिलाती आ खड़ी हुई—प्रेस, प्रकाशन, परीक्षा तथा प्रचार। धन-जन के समागम का अब स्रोत खुला। सत्यनारायणजी की मंत्रणा से प्रेरित चक्र का यह दूसरा क्रांतिकारी क़दम था। सव्यसाची की तरह सत्यनारायणजी ने सभी क्षेत्रों में अपनी शक्ति तथा सूझ का अनूठा परिचय दिया—सभी सूत्र अपने हाथों में रखे, सभी में अपनी प्रतिभा का जल डाला और सभी को पनपाकर कार्यक्षम बना दिया।

कामधेनु हरा-भरा चारागाह खोजती आयी थी। अतः भाड़े के मकान का मोह छोड़कर शहर से दूर हटकर दूर-दर्शी नेत्रों ने साहस के साथ विरलवास के बीच त्यागरायनगर में कुछ पड़ती ज़मीन कारपोरेशन से खरीदी और प्रचार-कार्य के लिए छोटे-छोटे मकान बनवा लिये। जगंल में मंगल शुरू हुआ। निजी भवन सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में जैसी सुरक्षा तथा सुस्थिरता ले आता है, वह अनुभवगम्य है।

सत्यनारायणजी के सत्परामर्श से ही आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, चारों प्रांतों में सभा के शाखा-कार्यालय खोले गये, प्रांतीय मंत्री नियुक्त हुए; और यहीं प्रचार-कार्य के संगठन में विकेन्द्रीकरण का बीज बोया गया। यह तीसरी क्रांतिकारी योजना थी, जिसने प्रचार की जड़ को पाताल तक पहुँचा दिया। प्रांतीय समितियों के कारण जन-संपर्क का कार्यक्रम बड़ी तेज़ी से बढ़ा। समाज के शिक्षित-दीक्षित, धनी-मानी, स्त्री-पुरुष, ग्रामीण-नागरिक, सभी तरह के लोगों का सहयोग प्राप्त होने लगा, और 'सभा' जनता की चीज़ बन गयी।

अनुकरणीय प्रचारक

हिन्दी-प्रचारक मुख्यतया यद्यपि भाषा-शिक्षक का ही काम करते आये हैं, पर दर-असल ये सिर्फ़ हिन्दी-टीचर नहीं रहे हैं। जिस पद पर बैठकर सर्वप्रथम परिव्राजकार्य स्वामी सत्यदेव, गांधीजी के सुपुत्र देवदास, शहीद प्रतापनारायण वाजपेयी, क्षेमानंद राहत, आदि समाज में सम्मान तथा श्रद्धा जमाकर गये थे, पीछे आनेवालों को उसका 'प्रसाद' सहज ही प्राप्त हो गया, और वे गांधीजी के दूत माने जाने लगे।

यद्यपि गांधीजी 'सभा' के 'आजीवन सभापति' थे, यद्यपि कर्मकांड की नाईं उनका आशीर्वाद तथा नैतिक समर्थन इसे सतत प्राप्त था, फिर भी यह संस्था वास्तव में सत्यनारायण जी जैसे कुछ 'छुटभैयों' की, मामूली प्रचारकों की संस्था ही मानी जाएगी, जिनके जोश, अध्यवसाय, लगन तथा त्याग के बल से पथरीली

भूमि पर लगाया प्रचार का छोटा पौधा आज एक जगव्यापी विशाल बरगद के पेड़ में बदल गया है। महात्माजी के प्रियपात्र 'अण्णा' (हरिहर शर्मा) नेता बनकर नहीं आये थे। महज़ एक मज़दूर साथी होकर आये थे। सत्यनारायणजी का सहयोग सोने में सुगंध साबित हुआ। उन्होंने अपने लिए, प्रचारकों के लिए, आदर्श तथा आचरण-संबंधी कुछ नियम उपनियम बना लिये थे, जिनसे गहरे अन्धकार में भी ध्रुवतारा के समान आलोक मिलता रहता था। वे नियम कुछ ऐसे थे—सदाचारी रहकर हम बिना किसी भेद-भाव के, निरलस गति तथा नैष्ठिक भावना से सबको हिन्दी सिखाएँगे, संस्था से जो जीवन-वेतन मिलेगा, उसके अलावा एक कौड़ी भी हम अपने लिए नहीं लेंगे। जहाँ से जो प्राप्त होगा, ईमानदारी के साथ सभा के कोष में जमा करेंगे। खादी ही पहनेंगे, प्रांतीयता को पास नहीं फटकने देंगे तथा छूत-छात की भावना से सर्वथा अलिप्त रहेंगे, आदि।

ये नियम शुष्क नियम नहीं थे, व्रत-से बने थे। छुटभैयों की इस संस्था के शरीर में इसीने पुष्ट प्राणों की प्रतिष्ठा की, और ये ही उसके उच्छ्वास बने। इसी व्रत के वर-प्रसाद के कारण दक्षिण के हिन्दी-प्रचारक केवल भाषा-शिक्षक न रहकर समाज-सेवक समझे जाने लगे, और सर्वत्र श्रद्धा तथा सम्मान के भाजन बने। यह उसी संस्थिति का सुस्थिर क्रम-विकास था, जो आज सत्यनारायणजी को भारतीय-विधान-परिषद् के प्रभा-मंडल तक खींच ले गया है। उन व्रतों का पालन कितनी दूर तक तथा कितनी मात्रा में हुआ—यह प्रश्न का दूसरा पहलू है और उसके विवेचन का स्थल भी दूसरा है।

'सभा' के सभापति गांधीजी एक खेलाड़ी व्यक्ति थे, पूरे उस्ताद थे। अखाड़े में लड़ते समय अपने शागिर्दों को गिरते-पछड़ते देखकर उन्हें क्षोभ नहीं होता था—हँसकर उसकी पीठ की धूल वह झाड़ देते थे। हिन्दी-प्रचार-क्षेत्र के छुटभैये कार्यकर्ता भी उनके आशीर्वाद-प्राप्त शागिर्द थे। उनकी ओर वह विश्वास तथा ममता की दृष्टि रखते आये थे। दक्षिण की इस संस्था से वह दूर थे। अनेक झंझटों में फँसे रहते थे। फिर भी न तो उन्होंने अपने किसी रोब-दाबवाले दलपति को ही इधर भेजा और न कभी अपने इन छुटभैयों की सुधि ही बिसारी। उनके सामने कार्य की कसौटी थी, और इन छुटभैयों का कार्य-क्षेत्र प्रतिपल बढ़ता जाता था। कर्मवीर गांधीजी इसीलिए निश्चिन्त रहते आये थे। सांस्कृतिक सेतु-बंधन में अपने इन छुटभैयों को सोत्साह आगे बढ़ते देखकर 'सभा' की रजत-जयन्ती के अवसर पर उदार बापू 'सभा' के आंगन में पन्द्रह दिन ठहर गये। उनके आगमन से प्रचार के सागर में ऐसी लहरें उठीं, उसमें इतना जलागम हुआ, जनता में उसकी ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ी, जो सुर-दुर्लभ कही जा सकती है। और कौन नहीं जानता कि इस पुण्य पर्व के सारे अनुपमेय अनुष्ठान का श्रेय श्री सत्यनारायणजी को था? सच पूछा जाए तो वह 'रजत-जयन्ती' जितनी 'सभा' की न थी, उतनी सत्यनारायणजी की थी। वह महोत्सव उनकी कार्य-पटुता का विराट प्रदर्शन मात्र था।

दूरदर्शिता

'अरघ तजहिं बुध सरबस जाता'—तुलसी की यह उक्ति दूर दृष्टि को स्पष्ट करती है। कुछ लोगों की दृष्टि बहुत ही सीमित रहती है, और उनका बर्ताव 'बन्दर की मुट्ठी' जैसा होता है। सार्वजनिक कार्य में दूर-दृष्टि के साथ साहस की भी ज़रूरत पड़ती है। श्री सत्यनारायणजी ने इसी दृष्टि से 'सभा' के लिए भवन, प्रेस प्रकाशन तथा परीक्षाओं का साहस के साथ आयोजन किया। सभा का वह प्रेस आज 'सभा' की साँस बन रहा है।

सहयोगियों के बीच

विशिष्ट गुणसंपन्न व्यक्ति ही संस्थाएँ खड़ी करते हैं, यह बात सच है। और यह भी सच है कि संस्था बनानेवाला व्यक्ति अगर संस्था के द्वारा व्यक्ति तथा व्यक्तित्व का निर्माण

नहीं करता है, तो वह संस्था उसीके साथ नाम-शेष भी हो जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सभा के सहारे सत्यनारायणजी ने अपना अद्भुत विकास किया है। साथ ही उन्होंने सभा को सम्हालनेवाले कुछ व्यक्तियों का निर्माण भी किया है। हाँ, यह बात दूसरी है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनकी आंतरिक दशा क्या है; उसके विवेचन का स्थान यह नहीं है। फिर भी यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि सत्यनारायणजी अपने सहयोगियों के बीच सम्मान्य हैं। सहयोगी उनपर भरोसा रखते हैं और अपना पूरा सहयोग उन्हें देते हैं। सत्यनारायणजी की शक्ति का सूत्र ही यह प्रबल तथा मृदुल प्रभाव है। हाँ, निर्णय देने में वह अत्यंत दीर्घ-सूत्री हैं और ऊबा देनेवाले हैं। लेकिन उनकी दीर्घ-सूत्रता उन्हें कभी धोखा नहीं देती है—यही निस्संकोच कहा जाएगा।

बड़ों का आशीर्वाद

आशीर्वाद अक्सर गुणोत्कर्ष के ही बलपर प्राप्त होता है। कुछ कड़ी जाँच कर लेने के बाद ही 'बड़े' सदय होते हैं। हाँ, जब एक बार वे सदय हो जाते हैं, तब फिर हिलाये नहीं हिलते। बापूजी के सामने सत्यनारायण जी के सम्बध में एक बार ऐसा ही प्रसंग उपस्थित हुआ, और उन्होंने उस डेपुटेशन से कह दिया—"अच्छा, ऐसी बात है? तो आप लोग सत्यनारायण को स्वतंत्र छोड़ दीजिए ताकि उसके काम में कोई अड़चन न पैदा हो।" अभियोग ले जानेवाले लोग जैसा मुँह लेकर लौटे, वह दर्शनीय था! बापूजी का सान्निध्य सत्यनारायणजी को अपनी कार्य-शक्ति के कारण प्राप्त हुआ था और सत्यनारायण जी के लिए यह गर्व करने की बात है कि बापूजी के उस आशीर्वाद में कभी कोई अंतर नहीं पड़ा। बापूजी से सत्यनारायणजी ने क्या-क्या पाया, यह तो ठीक-ठीक वे ही बता सकते हैं। पर जब कभी उनके आशीर्वाद-अभिषेक से वह अनुप्लावित हो उठते थे, तब उनके अन्तरंग मित्रों को भी उसका कुछ आभास मिल जाता था। सभा की रजत-जयन्ती के अवसर पर एक सुन्दर प्रातःकाल में स्वप्न-लोक में विचरते हुए-से सत्यनारायणजी आये और बोले, 'भाई, आज बापूजी ने मुझे जिस भाव-लोक का दर्शन कराया है, शायद वह गीता के अर्जुन को भी नहीं मिला होगा। आज मैं बहुत ऊँचा उठ गया हूँ।" हाँ, यह बात दूसरी है कि उस आशीर्वाद का असर उनपर कितना स्थायी हुआ और उससे उनके आचरण में कितना अंतर पड़ा। बापूजी के अलावा डा. राजेन्द्रप्रसाद, पंडित नेहरू, राजाजी, सरदार पटेल आदि देश के सभी गण्य-मान्य राजपुरुषों तथा जननायकों का स्नेह उन्हें प्राप्त है। यह उनके परम सौभाग्य का सूचक है।

लेखक के रूप में

सबसे पहले दक्षिण के प्राचीन प्रचारक परिव्राजक स्वामी सत्यदेवजी ने दक्षिण के लिए हिन्दी की पहली पाठ्य पुस्तक लिखी। फिर प्रताप नारायण वाजपेयी ने 'हिन्दी का हीर' लिखा। इसके बाद 'स्वबोधिनी' का क्रम चला। सभा के प्राणस्वरूप पण्डित अवधनंदनजी के साथ बैठ-कर सत्यनारायणजी ने अंग्रेजी में 'स्वबोधिनी' रची, जिसके अब तक कई संस्करण हो चुके हैं। उसके आधार पर दक्षिण की सभी भाषाओं में स्वबोधिनियाँ लिखी गयीं, जिनके कारण हिन्दी प्रचार में बड़ी प्रगति प्राप्त हुई। इन दोनों की प्रेरणा से परीक्षा-संबंधी अधिकांश पुस्तकें सभा के कार्य-कर्ताओं ने ही तैयार कीं—यह एक अत्यंत महत्व की बात है। 'स्वबोधिनी' के अलावा सत्यनारायणजी ने अपने देश के महामहिम चरित्रों के शब्द-चित्र भी हिन्दी में प्रस्तुत किये हैं, जिनका पुस्तकरूप में प्रकाशन अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। साथ ही मराठी, हिन्दी, गुजराती आदि से तेलुगु में आपने अनुवाद भी किया है। "दक्खिनी हिन्द" मासिक में आपके कई ऐसे लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनकी प्रशंसा बनारसीदास चतुर्वेदी जैसे विश्रुत विद्वानों तक ने मुक्तकंठ से की है। उनके पास विचारों का अटूट स्रोत है। पर उसे

'बापू' के आशीर्वाद

SEVAGRAM,

WARDHA, C.P.

राष्ट्रपति की शुभकामनाएँ

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

२६ अप्रैल, १९५७

प्रिय श्री सत्यनारायण जी,

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के अध्यक्ष पद को स्वीकार करने के लिये आपका दिनांक २० अप्रैल, १९५७ का पत्र प्राप्त हुआ। सभा के कार्य व प्रगति को देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। राष्ट्रपति के पद पर रह कर मैं सक्रिय रूप से कुछ नहीं कर पाता मगर सभा के लिये मेरी शुभकामनायें हमेशा रही हैं कि उसने जिस काम को हाथ में लिया है उसमें वह सफल हो और दिनोंदिन उसमें प्रगति करे। सभा की व्यवस्थापिका समिति के निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं और आशा करता हूं कि सभा के सभी कार्यकर्ता पूर्ण सहयोग से हिन्दी के प्रचार को आगे बढ़ायेंगे। मेरी शुभकामनायें सदा आप लोगों के साथ हैं।

आपका,

लिपि-बद्ध करने के लिए उन्हें एक सुयोग्य सहायक की ज़रूरत महसूस होती आयी है, जिसके अभाव में उनके बहुत-से अमूल्य विचार अलिखित ही रह जाते हैं। आशा है, अपनी परिवर्तित परिस्थिति में सत्यनारायणजी को आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त होंगी और अपने अगाध अनुभव को पुस्तकाकार प्रकाशित करके हिन्दी तथा तेलुगु का भंडार भरेंगे।

सत्यनारायणजी का उज्ज्वल भविष्य

सत्यनारायणजी अपने क्षेत्र के छुटभैयों को छोड़कर आज राजनीति के रंग-मंच पर पहुँच गये हैं और कई समितियों के सदस्य भी बन गये हैं। उत्तरोत्तर उनका क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। साथ ही उनका अनुभव भी बढ़ता जाता है। अतः उनका उपयोग भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। इधर 'सभा' भी उनका दामन नहीं छोड़ेगी। इस तरह सभा के होकर भी सत्यनारायणजी समस्त देश के होंगे जो हमारे प्रचार क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव तथा गर्व की बात होगी।

('राष्ट्र-सेवक' से सादर)

*

"...सत्यनारायणजी का उच्चारण इतना शुद्ध है और वे ऐसी धारा-प्रवाह हिन्दी बोलते हैं कि किसी हिन्दी भाषा-भाषी को यह शक भी नहीं हो सकता कि वे दक्षिण भारत के निवासी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे परमात्मा की भौगोलिक भूल हैं, उनका जन्म आंध्र के बजाय संयुक्त प्रांत में होना चाहिए था।..."

– **पंडित बनारसीदासजी चतुर्वेदी**

(भूतपूर्व संपादक, 'विशाल भारत', और भूतपूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ)

"...'हिन्दुस्तानी'—यह लफ़्ज़ बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन कोई नमूना नहीं मिला। आल इंडिया रेडियो ने यह सवाल किया कि यह हिन्दुस्तानी क्या है। छह आदमियों की तक़रीरें भी हुईं, लेकिन इन सबकी ज़बान अलहदा थी। आज इतने दिनों के बाद मुझे एक नमूना मिला; और यह सत्यनारायणजी, सेक्रेटरी, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास, की तक़रीर है। इनकी ज़बान सुनकर मुझे हैरत हुई...मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ।"

—**मौलवी डॉक्टर अब्दुल हक़**

(सेक्रेटरी, अंजुमन-ए-तरक़्क़ी-ए-उर्दू, दिल्ली)

हिन्दी प्रचार के मेरे संस्मरण

(श्री अल्लूरि सत्यनारायण राजु)

हिन्दी प्रचार से मेरा बहुत पुराना संबंध है। लगभग 20 साल पहले मैं श्री आपटेजी का विद्यार्थी था। हिन्दी प्रचार से मेरा संबंध जेल से हुआ था। 1930 में जब मैं जेल से बाहर आया तो हिन्दी का अक्षर-ज्ञान प्राप्त करके आया था। बाद को हिन्दी पढ़ने का समय मुझे नहीं मिला। मेरी इच्छा थी कि फिर से जेल जाने का मौका मिले तो मैं हिन्दी खूब पढ़ूँ।

1933 में जब मैं फिर जेल गया तो हिन्दी में छोटी किताबें पढ़ने की योग्यता लेकर वहाँ से लौटा। उसके बाद परीक्षाओं में बैठने की लालसा हुई। मैंने श्री सत्यनारायणजी के पास जाकर सीधे 'राष्ट्रभाषा' परीक्षा में बैठने की अनुमति माँगी। दो-तीन दिन वहाँ रहकर उनसे निवेदन करने के बाद मुझे अनुमति मिल गयी। तीसरी बार जब मैं जेल गया तो उस वक्त बहुत कुछ हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ उस समय विजयकुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिवशर्मा जैसे उत्तर भारत के क्रान्तिकारियों का संपर्क मिला। श्री यलमंचिलि वेंकटप्पय्याजी मुझे हिन्दी पढ़ाते थे। लेकिन पढ़ाई से भी ज्यादा सहायता उन उत्तर भारत के क्रान्तिकारियों के, खासकर विजय-कुमार सिंहा के, संपर्क से मुझे हिन्दी सीखने में मिली थी। उस समय हिन्दी सीखने के सिवा और कोई काम हमें नहीं था। राजनैतिक दलबंदी जैसे पचड़ों में मैं बिलकुल नहीं पड़ता था। इसलिए मेरा सारा समय हिन्दी सीखने में लगता था। श्री विजयकुमार सिन्हा ने मुझे हिन्दी सिखाने में इतनी तकलीफ़ उठायी कि आज भी उसकी याद आती है तो लगता है कि ज़िन्दगी भर उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकूँगा। वे खाते-पीते, उठते-बैठते, हर समय अनकों शब्द क्रियाओं के साथ मुझे सिखाते थे। उसके बाद मैं परीक्षा में बैठा और उत्तीर्ण भी हुआ। उस समय मद्रास प्रांत के सभी परीक्षार्थियों से ज्यादा अंक मुझे मिले। श्री सिन्हा ही के कारण वैसा हुआ था। आज की मेरी भाषा सुनकर आपको आश्चर्य होता होगा कि इनको इतने ज्यादा अंक कैसे मिले! मैं आज हिन्दी प्रचार क्षेत्र से कुछ दूर हूँ। इसलिए आप लोगों के सामने बोलने में कुछ हिचक होती है। मैं 'राष्ट्रभाषा' परीक्षा में अव्वल आया।

विनयाश्रम में स्व० श्री ओरुगंटि वेंकटेश्वर शर्माजी हिन्दी पढ़ाते थे। उनके पास जाकर एक साल तक हिन्दी का अध्ययन जारी रखा। उसके बाद 'साहित्य विशारद' में भी काफ़ी योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद श्री आपटेजी के पास विद्यार्थी बनकर फिर से आया। उस वक्त श्री अवधनंदनजी विजयवाड़ा विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। आंध्र रत्न भवन में विद्यालय चलता था। श्री आपटेजी से मेरा संबंध अध्यापक और विद्यार्थी का नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त का-सा रहा। उस वक्त भी मैं राजनैतिक क्षेत्र में इतना व्यस्त रहता था जितना कि आज रहता हूँ। क्लास में जाता था; पर पढ़ने का समय कम मिलता था। फिर भी मैं किसी भी परीक्षा में पिछड़ा नहीं रहा; शायद आगे ही रहा। मुझे आज भी इस बात का गर्व है कि मेरे इस अव्वल रहने का सारा श्रेय श्री आपटेजी को है। उनके पढ़ाने का ढंग, विद्यार्थियों के साथ उनका बर्ताव मैं ज़िंदगी-भर नहीं भूल सकूँगा। पाठ के साथ-साथ वे इतनी अच्छी बातें बताते थे कि वे बातें मेरे आगे के जीवन में, राजनैतिक जीवन में भी, बहुत काम आयीं।

बाद को मैं 'प्रचारक' परीक्षा में बैठा और उसमें पहले दर्जे में उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद 1940 में लंबे अरसे के लिए जेल जाना पड़ा। 6 साल जेल में रहना पड़ा। इन 6 सालों में मैंने हिन्दी पढ़ाने और हिन्दी का प्रचार करने का काम किया। वेलूर के जेल में सर्वश्री कामराज नाडार, भक्तवत्सलम, प्रकाशम पंतुलु, माधव मेनोन, टी. विश्वनाथम, कला वेंकटराव आदि कई प्रमुख व्यक्ति थे। उनको हिन्दी पढ़ाने का मौका मुझे मिला। वहाँ बाकायदा बोर्ड रखकर, एक स्कूल में जिस तरह से अंग्रेज़ी या तेलुगु पढ़ायी जाती है उसी तरह से मैं पढ़ाता था। घंटी बजते ही सब लोग क्लास में हाज़िर होते थे और अक्षरशः विद्यार्थी बनकर वे हिन्दी सीखते थे। अगर किसी समय को मैं अपना अच्छे से अच्छा समय मानता हूँ तो उसी समय को जबकि मैं जेल में हिन्दी का प्रचार करता था। उस समय वहाँ आन्ध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सब प्रांतों के लोग रहते थे।

आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हिन्दी पढ़ते-पढ़ाते मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने की इच्छा हुई और मैं अंग्रेज़ी पढ़ने लगा। अंग्रेज़ी में मेरे अध्यापक स्व० श्री अन्नपूर्णय्याजी थे। दुर्भाग्यवश वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए बहुत तंग करते थे। कम-से-कम 6 घंटे मुझे अंग्रेज़ी पढ़ने में लगते थे। आज मैं अंग्रेज़ी में पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ और पार्लियामेंट में भी अंग्रेज़ी में बोलने का साहस करता हूँ, तो हिन्दी का ज्ञान ही मुझे इस हद तक ले आया है। इसलिए मेरा यह कहना है कि कुछ लोग जो यह कहते हैं कि हिन्दी पढ़ने से दूसरी भाषाएँ दबती हैं और इसका उनपर बुरा प्रभाव पड़ता है, बिलकुल ग़लत है। उलटे, हिन्दी से दूसरी भाषाएँ सीखने में प्रोत्साहन मिलता है। हिन्दी सीखने के बाद ही मेरी आकांक्षा दूसरी भाषाएँ सीखने की ओर गयी। इसीसे मैंने बंगला भी सीखी। हिन्दी सीखनेवाले या संस्कृत का ज्ञान रखनेवाले लोगों को बंगला सीखना कोई मुश्किल का काम नहीं है। आज मैं बंगला भी पढ़ लेता हूँ और समझ लेता हूँ। कवींद्र रवींद्र तथा शरत जैसे प्रमुखों की रचनाएँ बंगला में पढ़ने की आकांक्षा ने भी मुझे बंगला पढ़ने को प्रोत्साहन दिया।

आज मुझे जब कभी आल इंडिया कांग्रेस में बोलना पड़ता है तो मैं हिन्दी में बोलता हूँ। और पार्लियामेंट में भी हिन्दी में बोलता हूँ तो मुझे उतना डर नहीं लगता जितना आप लोगों के सामने हिन्दी में बोलने में लगता है, क्योंकि साहित्यिक शब्दावली से मेरा संबंध कम हो गया है। राजनैतिक शब्दावली का अभ्यास अच्छा हुआ है।

जेलों के हिन्दी प्रचार के अलावा बाहर भी मैंने कुछ प्रचार किया था। 1935 में एक समय ऐसा आया जब कि मैं उस समय के ज़िला बोर्ड के अध्यक्ष स्व० सरदार नारायण राजूजी के पास किसी स्कूल में हिन्दी प्रचारक की नौकरी दिलाने का आवेदन-पत्र लेकर गया था। मेरे और एक साथी श्री रामाराव ने भी, जो श्री आपटेजी के शिष्य थे, आवेदन-पत्र भेजा था। हम दोनों में स्पर्धा-सी हो गयी। मैं पहले दर्जे में उत्तीर्ण हुआ था और वे तीसरे दर्जे में। इसलिए श्री नारायण राजूजी ने कहा कि मुझे नौकरी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वह स्थान आख़िर श्री रामाराव को दिया गया और श्री नारायण राजूजी ने अपना खेद प्रकट करते हुए पत्र लिखा कि अगर मुझे वह स्थान दिया जाता तो उनपर अपनी जाति के पक्षपात का आरोप लगाया जाता। इसलिए उन्होंने वह पद श्री रामाराव को ही देना उचित समझा।

उसके बाद मैं स्वतंत्र रूपसे आलमूर, जिन्नूर, रयाली, राजमहेंद्री आदि केंद्रों में विद्यार्थियों को पढ़ाकर परीक्षाओं में भेजा करता था। बहुत-से विद्यार्थी मेरे पास पढ़कर परीक्षाओं में बैठते थे और उनमें से बहुत कम लोग अनुत्तीर्ण होते थे।

(किसी विद्यालय में हुए भाषण के आधार पर)

*

राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी

(श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख)

भारतीय संविधान में हिन्दी को संघ की अधिकृत भाषा के रूप में अंग्रेज़ी भाषा का स्थानापन्न स्वीकार किया ही जा चुका है। आज भारत की चौदह भाषाएँ राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हैं, परन्तु जब तक इन चौदह भाषाओं के समृद्ध तथा बहुविध साहित्य की प्रतिभा को एक माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए कोई एक भाषा इस देश की जनता अंगीकार नहीं करती, देश की सांस्कृतिक एकता और समन्वय केवल विद्वानों की एक कल्पना ही रहेगी। संस्कृति के उपादानों में चाहे कितनी ही एकता हो, भाषा की एकता के कारण उसमें अजनबीपन दिखाई पड़ने लगता है।

प्रश्न उठाया जाता है कि द्राविड़ परिवार की भाषाएँ हिन्दी से किसी प्रकार नहीं मिलतीं। भाषा को राजनीति का आयुध बनानेवाले लोग उसी साँस में यह भी कहते हैं कि न केवल उनकी भाषा अलग है वरन् उनकी संस्कृति भी अलग है, और हिन्दी की वकालत के रूप में दक्षिणवालों पर उत्तरवालों का साम्राज्य स्थापित करने का छद्म रूपसे प्रयास किया जा रहा है। भाषा और संस्कृति के नारे लगाकर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने की भूल भारत में अनेक बार की गयी है और उसके भयंकर परिणाम यहाँ की जनता को भोगने पड़े हैं। इस देश का विभाजन भी ऐसे ही नारों के परिणामस्वरूप हुआ।

राज्यों के पुनर्गठन के समय भाषा को आधार बनाकर एक भयंकर बवंडर खड़ा किया गया और परिणामस्वरूप रक्तपात हुआ। इसलिए ऐसी चर्चाएँ करते समय अन्त में निकलनेवाले परिणामों के बारे में हमें भली प्रकार सोच लेना चाहिए। यह भी जान लेना आवश्यक है कि क्या वास्तव में उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियाँ भिन्न हैं? क्या वास्तव में इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, जिससे उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियों के समन्वय का साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सके?

इतिहास बताता है कि उत्तर और दक्षिण के लोग भौगोलिक व्यवधानों के बावजूद भी हमेशा एक रहे हैं और सांस्कृतिक समन्वय की यह परम्परा बहुत प्राचीन है। ईसा से पूर्व सातवीं शताब्दी में ऋषि अगस्त्य ने सांस्कृतिक समन्वय के लिए दक्षिण प्रदेश में एक शिष्ट-मण्डल का नेतृत्व किया था। ऋषि अगस्त्य ने तमिल भाषा का विधिपूर्वक अध्ययन किया और इस भाषा को व्याकरण भी देने का प्रयास किया। तोलकाप्पियर के समय से दक्षिणवाले उत्तरवालों की संस्कृति से पूर्णरूपेण परिचित हो चुके थे। तमिल भाषा के अनेक महाकाव्य जैनों और बौद्धों द्वारा लिखे गये। 'शिलप्पधिकारम्' काव्य का लेखक इलंगो अडिगल स्वयं एक चेर युवराज था। तमिल के पाँच महाकाव्यों में 'मणिमेखलै' भी एक है। इसका लेखक सात्तनार था और वह बौद्धमत का अनुयायी था। उसी प्रकार जैन और बौद्ध विद्वानों ने तमिल भाषा के साहित्य-भंडार को सुन्दर काव्य-ग्रंथों से पूर्ण किया। इन जैन और बौद्ध साधुओं ने इस सांस्कृतिक समन्वय की परम्परा को आगे बढ़ाया। तमिल भाषा के समान ही कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में बौद्ध और जैन मतावलम्बियों ने प्रचुर मात्रा में ऐसे साहित्य का प्रणयन किया, जिसके द्वारा जैन और बौद्ध विचार दर्शनों को दक्षिण की भूमि में प्रतिष्ठित किया। संस्कृत साहित्य से भी इन भाषाओं में अनुवाद किये गये और इन भाषाओंका शास्त्रीय साहित्य संस्कृत से प्रभावित हुआ।

कालांतर में इसी प्रकार दक्षिण प्रदेश से प्रारंभ होनेवाले अनेक धार्मिक आंदोलनों क,

प्रभाव जितना दक्षिण में हुआ, उससे किसी प्रकार भी कम उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ा। आठवीं शताब्दी में दक्षिण के दो ब्राह्मणों ने समस्त भारतीय आध्यात्मिक जगत पर एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया। ये दो ब्राह्मण कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य थे, जिनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार वैष्णव तथा शैव मतों के प्रवर्तक दाक्षिणात्य आचार्य और मध्वाचार्य ने भी भक्ति-परम्परा और द्वैतवाद परम्परा ने न केवल दक्षिणी भाषाओं के साहित्य को प्रभावित किया, वरन् आज हम भारत की जिन चौदह भाषाओं को अपनी राष्ट्रभाषा मानते हैं, उन सभी के साहित्य को प्रभावित किया है। हिन्दी साहित्य के इतिहास को देखने से स्पष्ट होता है कि इस भाषा के इतिहास में सबसे अधिक समृद्ध अध्याय इन्हीं आचार्यों की परम्पराओं से प्रभावित होकर रचे गये। इसे कौन नहीं मानता कि पिछले सैकड़ों वर्षों से समस्त भारत पर दक्षिणवालों का आध्यात्मिक प्रभाव रहा है। यह नेतृत्व सारे देश ने स्वीकार किया और स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। इसलिए यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भाषा, वेश-भूषा और रहन-सहन के ढंगों में विभिन्नता होने के बावजूद भी भारत की संस्कृति एक है। वास्तव में हमारी इस सांस्कृतिक एकरूपता का रहस्य हमारी संस्कृति के चिन्मय स्वरूप में है; जिसकी सारे देश के संतों ने सृष्टि की है। अनेक जीवन-तत्वों को इतिहास की इतनी लम्बी अवधि में उत्तरवालों ने दक्षिणवालों से और दक्षिणवालों ने उत्तरवालों से ग्रहण किये हैं। वे हमारी समान-संपत्ति हैं। मेरी दृढ़ मान्यता है कि धर्म और जाति के भेदों के बावजूद भी इस देश की एक अखंड राष्ट्रीय संस्कृति है, जिसका निर्माण विभिन्न धर्मों और मतों का अवलम्बन करनेवाले भारतीयों ने स्वयं किया है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी सांस्कृतिक एकरूपता को पहचानें और आनेवाले युग के लिए एकता और आत्मीयता की एक मज़बूत बुनियाद क़ायम करें। इसमें सन्देह नहीं कि भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उपादान है, और भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति के जीवन का सामूहिक जीवन में और सामूहिक जीवन का व्यक्ति के जीवन में निष्पादन होता है। ऊपर से देखने में भारतीय संस्कृति में जो भिन्नता दृष्टिगत होती है, वह भी प्रधानतः भाषागत विभिन्नता ही है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति हम हिन्दी भाषा के प्रति अपने दृष्टिकोण में ऐतिहासिक तत्वों का समावेश करके ही कर सकते हैं।

हमारी संस्कृति एक है, केवल इतना मान लेने से काम नहीं चल जाता। उसे एक-स्वरता प्रदान करने का काम अभी बाकी है। इस स्वर को ध्वनित करने में जो भाषा सबसे अधिक उपयोगी हो सकती है, वह है हिन्दी भाषा। इस सत्य को सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गाधी ने पहचाना। उनकी ही प्रेरणा से वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई, और इस समिति के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन और तत्परता से कार्य किया, उसका सुपरिणाम दक्षिण भारत में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हिन्दी के प्रति दक्षिण की जनता में प्रेम और स्वीकार-भावना विद्यमान है। नयी पीढ़ी में अनेक विद्वान पैदा हो रहे हैं, जो मौलिक रूप से हिन्दी में ग्रंथों का प्रणयन करके ख्याति अर्जित कर रहे हैं। भाषाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की परम्परा प्रारंभ हो गयी है, और रूढ़िवादी लोग भी इस सत्य से परिचित होने लगे हैं कि यदि भारतीय संस्कृति को अभ्युत्थान के मार्ग पर अग्रसर होना और विभिन्न प्रदेशों के निवासियों को इस अभ्युत्थान में अपना समुचित योग प्रदान करना है, तो उन्हें एक राष्ट्रभाषा की अपरिहार्यता के नियम को स्वीकार करना होगा। मैं कामना करती हूँ कि राजनीतिक मतवादों से ऊपर उठकर भारतीय जन इस कठोर सत्य को स्वीकार करेंगे और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना सहयोग देंगे।

*

तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार

(श्री अवधनंदन)

तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार का श्रीगणेश सन् 1919 में ही हो चुका था, और इस प्रान्त के सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक थे स्वर्गीय श्री प्रतापनारायण वाजपेयी। वाजपेयीजी बिहार प्रान्त में पटना नगर के निवासी थे, और बड़े ही विद्वान, त्यागी, कर्मनिष्ठ तथा देशभक्त थे। उन्होंने अल्पकाल में ही तिरुच्चि के प्रायः सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का सौहार्द प्राप्त कर लिया। स्वर्गीय डॉ. स्वामीनाथ शास्त्री तथा श्री हालास्यम इनके विद्यार्थियों तथा मित्रों में थे।

वाजपेयीजी ने तिरुच्ची में अपना कार्य आरंभ भी नहीं किया था कि गांधीजी का प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ। वाजपेयीजी अपने पूरे जोश के साथ आन्दोलन में शामिल हो गये, और हालास्यम आदि अपने मित्रों के साथ गिरफ्तार होकर जेल चले गये। किन्तु उनका स्वास्थ्य जेल के कष्टों को भोगने के योग्य नहीं था। जेल में ही उन्हें यक्ष्मा के रोग ने ग्रस लिया और उनका स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरने लगा। तो भी निर्दय ब्रिटिश सरकार को उनपर दया नहीं आयी। आखिर 1923 में उन्हें जेल से रिहा किया गया और जेल से मुक्त होने के तीसरे ही दिन उनका देहावसान हो गया।

तमिलनाडु में हिन्दी का दीप जलानेवाले दूसरे सज्जन स्वर्गीय पंडित रघुवरदयालु मिश्र थे। वे 1920 के दिसम्बर में उत्तर प्रदेश से मद्रास आये और तंजावूर में अपना कार्य आरंभ किया। कई वर्षों तक वे यहाँ के कल्याणसुन्दरम हाई स्कूल में हिन्दी की शिक्षा देते रहे। अपने सुन्दर तथा मधुर बर्ताव के कारण मिश्रजी तंजावूर में ही नहीं, किन्तु सारे तमिलनाडु में अत्यन्त लोकप्रिय हो गये थे।

दक्षिण का सर्वप्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय भी तमिलनाडु में ही आरंभ हुआ था। यह विद्यालय ईरोड में श्री ई. वी. रामस्वामी नायकर (वर्तमान 'पेरियार') के संरक्षण में उन्हींके घर में आरंभ हुआ था। विद्यालय के सर्वप्रथम अध्यापक श्री देवदूत विद्यार्थी थे। उनके पश्चात् कुछ मास तक इस लेख के लेखक को उसका कार्य-भार उठाना पड़ा था। उस विद्यालय में शिक्षा पाये हुए छात्र अब भी अनेक केन्द्रों में हिन्दी प्रचार में संलग्न हैं। 1923 के अप्रैल या मई में इस विद्यालय का सत्र समाप्त हो गया और विद्यालय बंद हो गया।

तमिलनाडु का तृतीय प्रधान केन्द्र मदुरा था। पंडित देवदूत विद्यार्थी कुछ वर्ष तक यहाँ कार्य करते रहे, और उनके वहाँ से जाने के पश्चात् स्थानीय प्रचारकों ने वहाँ का कार्य-भार अपने ऊपर ले लिया। मदुरा में हिन्दी प्रचार के समर्थकों में स्वर्गीय श्री ए. वैद्यनाथ अय्यर का स्थान सबसे मुख्य था। उनका सारा परिवार चर्खा-भक्त तथा गांधीवादी था। उनके घर में हिन्दी को एक विशेष स्थान प्राप्त था, और बच्चे से बूढ़े तक सब लोग हिन्दी से प्रेम करते थे और इसे सीखते थे।

सन् 1923 में तिरुचिरापल्ली में हिन्दी प्रचार सभा की तमिलनाडु प्रान्तीय शाखा की स्थापना हुई, और मैं प्रान्तीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। उस समय तक कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता तथा स्कूल-कालिजों के विद्यार्थी ही हिन्दी की ओर आकर्षित हुए थे और हिन्दी सीखते थे। कुछ ख़ास-ख़ास स्थानों में और विशेष कर बड़े-बड़े शहरों में ही कार्य होता था। तिरुनेलवेली शहर में श्री नागेश्वर मिश्र कार्य करते थे; कोयमुत्तूर में कुछ स्थानीय प्रचारक कार्य करते थे। मन्नारगुडि में श्री कृत्तिवासजी, सात्तूर में श्री नटेश अय्यर, कुम्भकोणम में श्री रामचंद्र शास्त्री आदि प्रचारक वर्ग चलाते

थे। हिन्दी सीखनेवाले छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। प्रचार का सारा खर्च केन्द्र-सभा ही देती थी, और उसीसे प्रचारकों का वेतन दिया जाता था।

सन् 1928 के आरंभ में श्री क. म. शिवराम शर्मा तमिल शाखा कार्यालय का कार्य संभालने तिरुचि आये, और मेरा स्थान-परिवर्तन मद्रास को कर दिया गया। शिवरामजी कुछ साल तक शाखा का कार्य संभालते रहे। इसी समय रामनाथपुरम के राजा साहब को हिन्दी सीखने की इच्छा हुई, और शिवरामजी सभा के कार्य से छुट्टी लेकर रामनाथपुरम चले गये। उनके चले जाने के पश्चात् तिरुचि शाखा का कार्य कुछ शिथिल पड़ गया। सन् 1930 में तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा का पुनस्संगठन किया गया, और श्री रघुवरदयालु मिश्र उसके प्रथम मंत्री नियुक्त किये गये। पहले इसका दफ़्तर मदुरा में था, पीछे तिरुचि आ गया।

तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार को बढ़ाने, सुसंगठित करने तथा लोकप्रिय बनाने में सबसे अधिक परिश्रम मिश्रजी ने किया। उनके अथक् परिश्रम के कारण वहाँ के प्रायः सभी ज़िलों में हिन्दी के केन्द्र स्थापित हो गये! प्रान्त के अधिकांश स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई आरंभ हो गयी और हिन्दी छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गयी।

1937 में श्रीमान राजगोपालाचारीजी ने मद्रास राज्य (उस समय आंध्र प्रदेश भी इसमें सम्मिलित था) के सभी स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य बना दी थी। उसके फलस्वरूप तमिलनाडु की जनता में हिन्दी के प्रति उत्साह बढ़ गया था और लोग हज़ारों की संख्या में हिन्दी सीखने लग गये थे।

मिश्रजी दस साल तक बड़ी योग्यता तथा तत्परता से तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार का कार्य संभालते रहे। 1942 में उनका स्थान-परिवर्तन मद्रास को हो गया, और मैं उनके स्थान में कार्य करने के लिए तिरुचि भेजा गया। बयालीस का वर्ष ब्रिटिश सरकार के साथ संघर्ष का ज़माना था। देश में ज़ोरों का आन्दोलन चल रहा था, सरकार का प्रचण्ड दमन-चक्र जारी था। लोगों के हृदयों में आज़ादी की लहरें उठ रही थीं। उसका असर हिन्दी प्रचार पर भी पड़ना स्वाभाविक था। जनता के हृदय में हिन्दी सीखने के प्रति उत्साह बढ़ने लगा। सब जगहों से हिन्दी अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं के लिए माँग आने लगी। इस माँग की पूर्ति के लिए विद्यालय आरंभ किये गये और योग्य प्रचारक तैयार करने का कार्य आरंभ हुआ। इस तरह का सबसे पहला विद्यालय 1942 में कुम्भकोणम के पास दारासुरम में आरंभ किया गया; और उसके पश्चात महेन्द्रमंगलम, शिवगंगा, मन्नारगुडि, कोल्लुमांगुडी, तिरुचि आदि स्थानों में उसका सिलसिला चलता रहा। इन विद्यालयों में सैकड़ों प्रचारक तैयार किये गये। सर्वश्री रामानंद शर्मा, व्रजनंदन शर्मा, क. म. शिवराम शर्मा, चंद्रमौली आदि प्रमुख प्रचारकों ने समय-समय पर विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया। इनके पूर्व 1937-38 में भी विद्यालय के दो सत्र कोयंबत्तूर में चल चुके थे जिनमें प्रधान अध्यापक के पद पर श्री भालचंद्र आपटे तथा श्री व्रजनंदन शर्मा कार्य कर चुके थे।

इसी बीच 1947 में भारत का चिर-स्वप्न पूरा हुआ; और विदेशी शासन से उसे मुक्ति मिली। सैंतालिस तथा उसके बाद के कुछ वर्षों ने लोगों में अपूर्व उत्साह के चिन्ह देखे, और सभी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में विशेष प्रगति हुई। हिन्दी प्रचार के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई, और सैकड़ों प्रचारकों तथा प्रचारिकाओं ने राष्ट्रभाषा के संदेश को तमिलनाडु के कोने कोने में पहुँचा दिया।

इस उत्साहपूर्ण परिस्थिति से लाभ उठाकर सभा ने संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया। योग्य संगठकों की नियुक्ति हुई जिनका कार्य हिन्दी केन्द्रों में भ्रमण करना, प्रचारकों से संपर्क बढ़ाना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना तथा जनता का सहयोग प्राप्त करना था।

तिरुचि में सभा के लिए भवन की नींव भी इसी अवधि में डाली गयी थी। डालमिया सिमेन्ट कंपनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्रीमान जे. डालमिया ने तिरुचि में हिन्दी प्रचार भवन के लिए तीस हज़ार रुपये का दान दिया जिससे सभा के लिए एक एकड़ के अहाते में बढ़िया भवन बनाया गया। पिछले कई वर्षों से हिन्दी प्रचारक विद्यालय इस भवन में चलता है और यह स्थान तमिलनाडु में हिन्दी प्रचार का एक प्रधान केन्द्र बन गया है।

तमिलनाड के अधिकांश प्रचारकों की हिन्दी शिक्षा दक्षिण में ही रहकर हुई थी; अतएव यह आवश्यक समझा गया कि प्रतिवर्ष कुछ चुन हुए प्रचारकों को उत्तर भारत की किसी शिक्षण-संस्था में भेजकर हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाय। इस हेतु एक योजना बनायी गयी कि प्रतिवर्ष छह प्रचारकों को आगरा भेजकर उन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 'साहित्यरत्न' परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाय। प्रचारकों को छात्रवृत्ति देने के लिए श्री जयदयालजी डालमिया ने तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा को वार्षिक चार हज़ार रुपये देने का वचन दिया। उनके इस दान से तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष छह प्रचारक तमिलनाडु से हिन्दी के उच्च अध्ययन के लिए आगरा जाते रहे। पीछे चलकर यह महत्वपूर्ण कार्य अखिल भारतीय हिन्दी परिषद ने ले लिया और इस योजना को अखिल भारतीय रूप दे दिया।

तमिलनाडु में हिन्दी का प्रचार प्रधानतः नगरों में होता रहा है। ग्रामीण जनता के बीच इसका प्रचार आज भी नहीं के बराबर है। सभा की आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वह गावों में प्रचारकों को भेजकर हिन्दी सिखाने की व्यवस्था करती। इसीलिए हिन्दी का प्रचार नगरों तक और मुख्यतया अंग्रेज़ी शिक्षाप्राप्त लोगों के बीच तक ही सीमित रह गया। अब धीरे-धीरे इसकी दिशा बदल रही है और गावों के लोगों में हिन्दी सीखने की ओर रुचि बढ़ रही है।

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार की अनेक विशेषताओं में सबसे बड़ी विशेषता इस कार्य में स्त्रियों का सहयोग कहा जा सकता है। तमिलनाडु की महिलाओं ने हिन्दी के प्रचार में अभूतपूर्व उत्साह दिखाया और प्रायः सभी नगरों की महिला संस्थाओं तथा समाजों ने अपने कार्यक्रम में हिन्दी को प्रमुख स्थान दिया। उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप आज तमिलनाडु में हज़ारों अध्यापिकाएँ तैयार होकर भिन्न-भिन्न केन्द्रों में कार्य कर रही हैं।

यों तो प्रायः सभी केन्द्रों में वहाँ के प्रमुख व्यक्तियों ने अपने-अपने केन्द्र में हिन्दी प्रचार में सहयोग प्रदान किया, और बहुत-से लोग आज भी कर रहे हैं, पर तमिलनाडु के जिन व्यक्तियों ने इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया और जिनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उनमें मदुरा के स्व० श्री ए. वैद्यनाथ अय्यर का नाम सर्वप्रथम आता है। वे सच्चे देशभक्त, गांधीजी के समस्त रचनात्मक कार्यों में निष्ठा रखनेवाले और मदुरा में हिन्दी आन्दोलन के प्राणस्वरूप थे। तिरुचि के स्वर्गीय श्री श्रीनिवास अय्यर तथा कोयमुत्तूर के स्वर्गीय श्री गंगानायडु की हिन्दी सेवाएँ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दोनों तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की हैसियतों से वर्षों सभा की सेवा कर चुके थे। इनके देहावसान से तमिलनाडु के हिन्दी प्रचार को बहुत बड़ी क्षति पहुँची और संस्था के दो प्रधान सहायक खो गये। श्री श्रीनिवास अय्यर के निधन के बाद वेदारण्यम के सरदार वेदरत्नम सभा के अध्यक्ष चुने गये। वेदरत्नमजी तमिलनाडु के एक बहुत ही लोकप्रिय कांग्रेसी नेता हैं और गांधीजी के रचनात्मक कार्यों के स्तंभ स्वरूप रहे हैं। हिन्दी के प्रति उनका विशेष अनुराग है, और अच्छी तरह हिन्दी में बोलने की भी क्षमता रखते हैं। वे ही आजकल तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष-पद को सुशोभित कर रहे हैं। श्री एस. आर. शास्त्री वहाँ के वर्तमान प्रान्तीय मंत्री हैं।

*

हिन्दी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ शुभैषी एवं सर्वप्रथम दाक्षिणात्य दानी

श्री कांची कामकोटिपीठाधीश, जगद्गुरु पूज्यपाद श्री शंकराचार्यजी

जिन्होंने दक्षिण में हिन्दी प्रचार आंदोलन के लिए उसके आरंभ-काल में अपने अमूल्य आशीर्वाद के साथ रु. 100/- का दान दिया, जो हिन्दी प्रचार के लिए सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय दान हुआ।

दक्षिण में हिन्दी के सर्वोत्तम प्रचारक

संत विनोबा

जिन्होंने अपने भूदान-आंदोलन के सिलसिले में दक्षिण के चारों भाषा-प्रदेशों में पाद्‌यात्रा करते समय सर्वत्र अपने हिन्दी प्रवचनों द्वारा हिन्दी प्रचार आंदोलन की सर्वोत्तम सेवा की।

(चित्र—केन्द्र-सभा-भवन के द्वार पर संत विनोबा का प्रवचन)

केरल में हिन्दी प्रचार

(श्री एन. वेंकटेश्वरन)

पूर्व कथा

इस बात के कई प्रमाण मिलते हैं कि बहुत सालों के पहले से ही केरल में कहीं-कहीं हिन्दी या हिन्दुस्तानी का अध्ययन एक प्रकार से अवश्य हुआ करता था। पुराने ज़माने से लेकर उत्तर भारत के कई संन्यासी तथा तीर्थ-यात्री लोग कन्याकुमारी और रामेश्वरम की तरफ़ आया करते थे। उन तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए केरल के तिरुवितांकूर और कोचि देशी राज्यों में कई धर्मशालाएँ अथवा सरायें "गोसाई-मठ" के नाम से स्थापित हुई थीं। आजकल भी कहीं-कहीं उन पुराने मठों के खण्डहर मिलते हैं। उत्तर भारत के जो तीर्थयात्री लोग यहाँ आकर उन मठों में ठहरा करते थे, उन्हें गेहूँ, आटा, दाल, तरकारी वगैरह आहार की चीज़ें तत्कालीन राजा की सरकार की तरफ़ से मुफ़्त में दी जाती थीं। उन मुसाफ़िरों तथा साधु-संन्यासियों से बातचीत करने एवं उन्हें खाने-पीने की ज़रूरी चीज़ें दिलाने के लिए सरकार की तरफ़ से "द्विभाषी" नामक कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। उन द्विभाषी लोगों के लिए एक प्रकार की बोलचाल की हिन्दी या हिन्दुस्तानी में अपने यहाँ आनेवाले मेहमानों से बातचीत करना ज़रूरी था। इसलिए वे किसी प्रकार हिन्दी भाषा का अध्ययन अवश्य करते थे। मलयालम लिपि में हिन्दी या हिन्दुस्तानी पढ़ने-पढ़ाने का ज्ञान उन्हें ज़रूर प्राप्त था। उन द्विभाषियों की सहायता से अन्य साधारण लोग भी मनोरंजन के लिए थोड़ी-सी हिन्दुस्तानी पढ़ लेते थे। कम-से-कम बातचीत करने मात्र का कामचलाऊ ज्ञान पाने की कोशिश वे करते थे।

प्राचीन काल से तिरुवितांकूर के राजा लोग बड़े विद्याप्रेमी, धर्मनिष्ठ एवं कलाकुशल रहते थे। उत्तर भारत से आनेवाले प्रधान साधु-संतों का सत्संग पाने के लिए वे हिन्दुस्तानी सीखना आवश्यक समझते थे। इसलिए वे अपने दरबारों में हिन्दी विद्वानों का समुचित स्वागत-सत्कार करते थे। उन हिन्दी-पंडितों से हिन्दुस्तानी सीखने का भरसक प्रयत्न भी करते थे। इसलिए तिरुवितांकूर के पुराने राजा लोग हिन्दी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते थे।

सन् 1813, अप्रैल ता. 16 को तिरुवितांकूर राजवंश में एक राजा का जन्म हुआ था, जिन्होंने हिन्दी में कविता भी की। उनका नाम गर्भश्रीमान स्वातितिरुनाल श्री रामवर्मा राजा था। वे संस्कृत, तमिल, हिन्दी, अंग्रेज़ी, मलयालम, तेलुगु आदि विविध भाषाएँ जानते थे। उन्होंने प्रायः उन सभी भाषाओं में अच्छे-अच्छे गीत, कीर्तन और पद भी रचे हैं। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य त्यागराज के गीतों के बराबर महाराजा स्वातितिरुनाल के भी गीत मर्मज्ञों के बीच में मशहूर माने जाते हैं। उन राजा के रचे हिन्दी पद और गीत भक्तकवि सूरदास के पदों के बराबर कर्णमधुर एवं भावपूर्ण हुए हैं। राजा गर्भश्रीमान भी कृष्णभक्त कवि थे। उन्होंने हिन्दी में कुल चाल'स के करीब पद और गीत रचे हैं।

इसी तरह मलयालम साहित्य के प्राचीन-प्रसिद्ध हास्यकवि कुंचन नंबियार की कविता में भी उत्तर भारत से आनेवाले गोस्वामियों की बोली हिन्दी का सुन्दर एवं सरस अनुकरण कहीं-कहीं मिलता है। इससे अनुमान करना पड़ता है कि उनके ज़माने में भी केरल में हिन्दी जाननेवाले लोग अवश्य रहते थे।

प्राचीन काल के केरल के प्रायः सभी स्वतंत्र देशी राज्यों की सेनाओं में मराठा, राजपूत वगैरह उत्तर भारतीय लोगों को भी

अवश्य लिया करते थे। उनके साथ या अधीन यहाँ के निवासियों को पलटन में काम करना पड़ता था। इसलिए उन्हें हिन्दुस्तानी में बोलने की शक्ति हासिल करने की ज़रूरत पड़ती थी। उन दिनों सैनिकों के बीच में एक तरह की बोलचाल की हिन्दी भाषा का प्रचार होता था। फ़ौज के सिपाहियों के संपर्क में आनेवाले इने-गिने साधारण लोग भी उनकी भाषा सीखने का प्रयत्न करते थे।

मुगल बादशाह औरंगज़ेब के ज़माने से लेकर दक्षिणी रियासतों की फ़ौज के ओहदेदारों को उर्दू या हिन्दूस्तानी की थोड़ी-सी जानकारी रखना निहायत ज़रूरी हो गया था। मैसूर के बहादुर सुलतान हैदर अली और उनके बेटे टिप्पू ने मलबार, कोच्चिन जैसे देशों पर हमला किया, तो उसकी वजह से केरल में कहीं कहीं उर्दू भाषा जाननेवाले लोगों की तादाद में तरक्की हुए बिना नहीं रही। इसका सबूत तत्कालीन मलयालम भाषा में प्रचलित कतिपय तत्सम व तद्भव हिन्दी-उर्दू शब्दों से ज़रूर मिल सकता है।

मैसूर के सुलतान टिप्पू ने जब कोचिन राज्य पर चढ़ाई की थी, तब वहाँ के राजा को आख़िर उनके साथ समझौता करना पड़ा। उस समझौते के अनुसार तब के राजा ने अपने ख़ानदान के लोगों को उर्दू सिखाने के काम पर एक उर्दू मुंशी को नियुक्त करने की शर्त मान ली थी। उर्दू हरूफ़ में हिन्दुस्तानी भाषा सिखाने का काम करने के लिए तब से बराबर किसी एक उर्दू जाननेवाले मुसलमान को उक्त मुंशी के पद पर नियुक्त करने की प्रथा कोच्चिन में जारी रही। सन् 1930 तक इस मुंशी के पद पर कोई-न-कोई आदमी ज़रूर नियुक्त होता रहा और कोच्चिन के राजपरिवार के लोग उस मुंशी की सेवा से यथासंभव फ़ायदा उठाया करते थे। सन् 1931 के बाद ऐसे उर्दू मुंशी को नियुक्त करने की प्रथा बन्द हो गयी, क्योंकि उस वक्त के बूढ़े मुंशी का देहांत हो गया और सारे देश में हिन्दी प्रचार का आंदोलन ज़ोर पकड़ने लगा। इसलिए उक्त उर्दू मुंशी के बदले एक योग्य हिन्दी अध्यापक की नियुक्ति करना उचित समझा गया।

कोष़िक्कोड, कण्णनूर, कोच्चिन, कोल्लम, आदि के प्रायः सभी बन्दरगाहों पर उत्तर भारत से गुजराती, मारवाड़ी तथा मुसलमान व्यापारी लोग कई साल पहले आकर बस चुके थे। वे एक प्रकार की बोलचाल की हिन्दुस्तानी भाषा में यहाँ के निवासियों से बातचीत किया करते थे। इसलिए उनके साथ व्यापार करने के लिए यहाँ के कई लोगों को उनकी हिन्दुस्तानी भाषा का अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत हुआ। नतीजा यह निकला कि केरल के प्रमुख व्यापार-केन्द्रों के इर्दगिर्द रहनेवाले लोग एक प्रकार की टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी से वाकिफ़ होने लगे।

ऊपर की बातों से पता लगता है कि आधुनिक काल के हिन्दी प्रचार आन्दोलन के शुरू होने के कई साल पहले भी केरल में हिन्दी, उर्दू या हिंदुस्तानी भाषा का थोड़ा बहुत अध्ययन धार्मिक, राजनैतिक तथा व्यापारिक कारणों से अवश्य हुआ करता था। इसलिए केरल के लोगों की दृष्टि में हिन्दी कभी एकदम नयी भाषा नहीं रही। लेकिन संगठित एवं व्यवस्थित रूप से हिन्दी का प्रचार केरल में सिर्फ़ सन् 1922 से ही आरंभ हुआ।

मातृसंस्था

महात्माजी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना करके सचमुच एक बड़े भारी राष्ट्रनिर्माण का कार्य अवश्य पूरा किया है। आधुनिक हिन्दुस्तान के सभी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक दलों के लोग इस उपयोगी संस्था की प्रशंसा किये बिना नहीं रहते। महात्माजी के द्वारा संस्थापित रचनात्मक कार्य करनेवाली सैकड़ों संस्थाओं में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा भी एक आदर्श संस्था मानी जाती है।

इस मातृसंस्था दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की अब पाँच प्रान्तीय सभाएँ स्थापित हो चुकी हैं। उन प्रान्तीय सभाओं की तरफ़ से प्रत्येक प्रान्त में हिन्दी प्रचार का कार्य बड़ी सफलता के साथ किया जा रहा है।

केरल में हिन्दी प्रचार का प्रारंभ

इस मातृसंस्था की तरफ़ से यद्यपि मद्रास में सन् 1918 से हिन्दी प्रचार का काम शुरू हो गया था, तो भी केरल में प्रचार की दृष्टि से यह कार्य सिर्फ़ सन् 1922 से ही होने लगा। मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा ने सबसे पहले श्री के. एम. दामोदरन उण्णि को उत्तर भारत से बुलाकर सन् 1922 में केरल भेजा और आदेश दिया कि वे यहाँ पर हिन्दी प्रचार का कार्य शुरू करें। वे केरल के एट्टुमानूर नामक गाँव के निवासी थे। उत्तर भारत में संस्कृत भाषा का विशेष अध्ययन करने के लिए गये हुए थे। वहाँ कई सालों तक रहकर संस्कृत और हिन्दी का गहरा अध्ययन कर चुके थे। इसलिए उन्होंने हिन्दी प्रचार सभा का आदेश सहर्ष स्वीकार किया और केरल में आकर राष्ट्रभाषा का प्रचार करने लगे श्री दामोदरन उण्णि ने केरल के कई प्रधान केन्द्रों में भ्रमण करके वहाँ के लोगों को हिन्दी सीखने की ज़रूरत समझायी। वे स्वयं प्रत्येक केन्द्र में पाँच-छह महीनों तक रहकर वहाँ के उत्साही स्त्री-पुरुषों को हिन्दी पढ़ाने लगे। उनके हिन्दी वर्गों में बड़ी तादाद में लोग जाकर पढ़ते थे। अपने वर्ग के किसी होनहार विद्यार्थी को वे नये हिन्दी वर्ग चलाने का काम भी सौंप देते थे। उनकी सलाह और सहायता से प्रोत्साहित होकर कई नये प्रचारक इस क्षेत्र में काम करने लगे। इसलिए जब कभी वे अपने किसी एक केन्द्र का काम बीच में छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे, तब वहाँ का काम पूर्ववत् जारी रखने की ज़िम्मेदारी उन विद्यार्थियों पर छोड़ देने में कामयाब होते थे। उनके द्वारा संगठित हिन्दी केन्द्रों में कभी कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं रहा है। उनकी इस नीति के कारण नये-नये हिन्दी प्रचारक अलग-अलग केन्द्रों में जाकर स्वतन्त्र रूप से हिन्दी का प्रचार करने लगते। इस तरह श्री दामोदरन उण्णि ने अकेले ही अकेले बहुत-से हिन्दी केन्द्रों का संगठन मात्र नहीं किया, बल्कि संचालन मी खूब किया। वे संस्कृत और मलयालम के प्रकाण्ड विद्वान थे, अच्छे वक्ता और सरस अध्यापक थे। इसलिए उनके भाषणों से प्रभावित होकर बहुत-से लोग हिन्दी पढ़ने में दिलचस्पी दिखाते थे। उनकी मज़ेदार बातें सुनने के लिए कई प्रतिष्ठित सज्जन उनके वर्गों में शामिल हुआ करते थे। वे वास्तव में एक आदर्श हिन्दी प्रचारक थे। केरल के आधुनिक हिन्दी प्रचारकों में बहुत-से लोग ऐसे हैं, जो या तो श्री दामोदरन उण्णि के शिष्य हैं अथवा उनके शिष्यों की परम्परा के विद्यार्थी हैं। स्व० श्री उण्णिजी ही केरल के प्रथम प्रचारक माने जाते हैं।

सन् 1925 से मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा की तरफ़ से केरल में श्री दामोदरन उण्णि के अलावा श्री के. केशवन नायर, श्री के. आर. शंकरानन्दन, जैसे दो-चार नये हिन्दी प्रचारक भी नियुक्त हुए। उन प्रथम प्रचारकों के अथक परिश्रम से केरल के कतिपय केन्द्रों में संगठित रूप से हिन्दी प्रचार का काम बढ़ने लगा। कितने ही नये हिन्दी वर्गों का संगठन हुआ। हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं के लिए नये-नये केन्द्र खोले गये। जगह-जगह हिन्दी प्रचार के महत्व को समझाने के लिए प्रचार-सम्मेलन होने लगे। केरल के उत्साही युवकों को हिन्दी प्रचार सभा की तरफ़ से संचालित प्रचारक विद्यालयों में शामिल होकर पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देकर बुलाया गया। उन विद्यालयों में शामिल होकर पढ़ने के लिए केरल से बीसों युवक गये। अपनी शिक्षा पूरी करके वापस आने पर वे केरल के किसी केन्द्र में हिन्दी प्रचार का कार्य करने में मशगूल हो गये। इस प्रकार ज्यों-ज्यों केरल के हिन्दी केन्द्रों की संख्या बढ़ने लगी, त्यों-त्यों नये-नये उत्साही हिन्दी प्रचारक भी इस महान आंदोलन में स्वेच्छा से भाग लेने लगे।

सन् 1922 से सन् 1932 तक केरल में हिन्दी प्रचार का जो कार्य हुआ, उसका पूरा उत्तरदायित्व सीधे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का ही रहा था। इस बीच में सन्

1928 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रचार-मंत्री के पद पर कोच्चि के निवासी श्री डब्ल्यू पी. इग्नेशियस की नियुक्ति हुई। उन्होंने केरल के हिन्दी प्रचार कार्य को पूर्वाधिक संगठित एवं व्यवस्थित रूप प्रदान करने की कोशिश की। सर्वश्री पी. के. केशवन नायर, पी. के. नारायणन नायर, के. पी. नायर, जैसे केरल के प्रमुख प्रचारकों का कार्य इसी समय प्रारंभ हुआ। श्री इग्नेशियस के प्रयत्न के फलस्वरूप सन् 1928 में कोच्चि राज्य की विधान-सभा में हिन्दी प्रचार के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उस प्रस्ताव का आशय यह था कि कोच्चि रियासत के तमाम हाई-स्कूलों में अनिवार्य रूप से राष्ट्रभाषा हिन्दी पढ़ाई जाय। उस समय के शिक्षा-निर्देशक (डी. पी. ऐ.) श्री सी. मत्ताई ने उक्त प्रस्ताव से प्रेरित होकर कोच्चि के कई हाई-स्कूलों में ऐच्छिक रूप से हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था की। स्कूलों की हिन्दी पढ़ाई के लिए आवश्यक हिन्दी अध्यापकों को सभा ने ही प्रदान किया था। इस तरह दक्षिण भारत भर में सबसे पहले हाई-स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था करने का श्रेय कोच्चि सरकार को प्राप्त हुआ।

केरल में हिन्दी प्रचार का काम आशातीत सफलता के साथ बढ़ने लगा, तो सन् 1932 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने यहाँ का काम संभालने के लिए अपनी एक प्रादेशिक शाखा एरणाकुलम शहर में स्थापित की। उस शाखा के मंत्री के पद पर श्री ए. चन्द्रहासन नियुक्त हुए। उनके नेतृत्व में हिन्दी प्रचार का कार्य पूर्वाधिक बढ़ने लगा। नतीजा यह निकला कि थोड़े ही दिनों के बाद तिरुवितांकूर रियासत में हिन्दी प्रचार कार्य को संभालने के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की एक नवीन शाखा तिरुवनन्तपुरम शहर में खोलनी पड़ी। उस शाखा के मंत्री पं. देवदूत विद्यार्थी बनाये गये। एरणाकुलम में स्थापित शाखा की देख-रेख में कोच्चि और मलबार के हिन्दी प्रचार का कार्य संपन्न होने लगा और तिरुवितांकूर रियासत का काम तिरुवनंतपुरम की तरफ़ से संभाला जाने लगा। इन दोनों नवीन शाखाओं के फलस्वरूप केरल के कोने-कोने में नये-नये हिन्दी केन्द्रों का संगठन होने लगा। हिन्दी वर्गों की संख्या भी बेहद बढ़ गयी। सभा की परीक्षाओं में हज़ारों विद्यार्थी शामिल होने लगे। सभा के सवैतनिक प्रचारकों के अलावा कई उत्साही स्वतन्त्र प्रचारक भी निःस्वार्थ भाव से हिन्दी का प्रचार करने लगे। सन् 1932 से 1936 तक केरल के हिन्दी प्रचार कार्य में जो प्रशंसनीय प्रगति हुई, उसका सारा श्रेय सभा की एरणाकुलम और तिरुवनंतपुरम की शाखाओं को दिया जा सकता है। उन दिनों पुराने प्रचारकों के अलावा सर्वश्री सी. जी. अब्रहाम, पी. जी. वासुदेव, के. राघवन नायर, ए. एन. राघवन नायर, नारायण देव, सी. जी. गोपालकृष्णन, सी. आर. नाणप्पा, एम. नारायण मेनोन, जी. श्रीधरकुरुप, सी. एन. गोविन्दन, के पद्मनाभ पिल्लै, जी. नीलकण्ठन नायर, माधव कैमल, कृष्णदेव, आदि कई प्रमुख प्रचारक भी प्रशंसनीय कार्य कर रहे थे।

सन् 1935 में तिरुवितांकूर राज्य की विधान सभा में भी हिन्दी प्रचार के विषय में एक उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। उसके अनुसार राज्य के सभी स्कूलों में हिन्दी को भी पाठ्य-विषय में शामिल करना ज़रूरी हो गया। इस लिए वहाँ के शिक्षा-निर्देशक (डी. पी. ऐ.) श्री सी. वी. चन्द्रशेखरन ने रियासत के कई स्कूलों में हिन्दी को एक उपभाषा के तौर पर पढ़ाने का प्रबन्ध कर दिया। उन स्कूलों में सभा द्वारा तैयार किये गये हिन्दी प्रचारकों को ही नियुक्त किया गया।

मलबार के कुछ हाई-स्कूलों में भी 1936 से हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था होने लगी। इस तरह सार्वजनिक हिन्दी वर्ग के अलावा केरल के कई स्कूलों के वर्गों में भी हिन्दी की पढ़ाई का प्रबन्ध उन दिनों हो गया था।

सन् 1936 के बाद दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के आदेशानुसार आन्ध्र, तमिलनाड,

केरल और कर्नाटक की प्रान्तीय भाषाओं का स्वायत्त आधार पर संगठन किया गया। प्रत्येक प्रान्त का हिन्दी प्रचार कार्य वहाँ की प्रान्तीय सभा के नियन्त्रण में होने लगा।

स्वावलम्बी प्रान्तीय सभा

सन् 1922 से सन् 1932 तक केरल में हिन्दी प्रचार का कार्य मद्रास की दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ही कर रही थी। अपने कार्य के लिए आवश्यक धन-संग्रह सभा ज़्यादातर उत्तर भारत से ही किया करती थी। कुछ सवैतनिक प्रचारकों को नियुक्त करके तथा नये स्थानीय प्रचारकों को सहायता देकर यहाँ के हिन्दी-केन्द्रों की संख्या बढ़ाने में सभा को काफ़ी सफलता मिली। लेकिन दक्षिण के लोगों को भी इस राष्ट्रनिर्माण के महान कार्य में अधिकाधिक योग देने का मौका प्रदान करने के लिए सभा को दक्षिण के आन्ध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन चारों भाषावार प्रान्तों में अपनी शाखाएँ खोलने का निश्चय करना पड़ा। उसके अनुसार सन् 1932 में केरल के एरणाकुलम और तिरुवनन्तपुरम शहरों में दो शाखाएँ खोली गयीं। सभा की उन शाखाओं की तरफ़ से सन् 1934—35 तक केरल के हिन्दी प्रचार का कार्य संपन्न हो रहा था। उन शाखाओं के मंत्रियों, श्री ए. चन्द्रहासन और पं. देवदूत विद्यार्थी, ने केरल के कोने-कोने में पहुँचकर कई हिन्दी-केन्द्रों का संगठन किया, और हिन्दी प्रचारकों को यथासंभव सहयोग और सहायता देकर प्रोत्साहित किया। इसलिए शीघ्र ही हिन्दी प्रचारकों और हिन्दी वर्गों की संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

सन् 1934 से 1936 तक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने एरणाकुलम और तिरुवनन्तपुरम में अलग-अलग हिन्दी महाविद्यालयों का संचालन करके योग्य हिन्दी प्रचारकों को भी तैयार किया था। उन महाविद्यालयों में भरती होकर पढ़नेवाले कई छात्रों को सभा ने समुचित छात्रवृत्ति देकर मदद पहुँचायी थी। पंडित देवदूत विद्यार्थी, श्री ए. चन्द्रहासन, श्री पी. के. नारायण नायर, श्री एन. वेंकटेश्वरन आदि प्रचारकों ने उन महाविद्यालयों में पढ़ाने का कार्य भी किया था।

उन दिनों नागरकोविल, तिरुवनन्तपुरम, कोल्लम, कोट्टयम, वैकम, एरणाकुलम, तृश्शूर, चिट्टूर, ओट्टप्पालम, पेरुम्पलम, कोषिक्कोड, वडगरा, तलश्शेरी आदि कई केन्द्रों में जो हिन्दी प्रचार का कार्य हुआ, वह सचमुच प्रशंसनीय माना जाता था। वहाँ के प्रचारकों में श्री के. वासुदेव पिल्लै, स्वर्गीय श्री एन. श्रीधर, पं. नारायणदेव, श्री के. वी. नायर, श्री पी. के. नारायणन नायर, श्री के. केशवन नायर, श्री पी. के. केशवन नायर, श्री सी. जी. गोपालकृष्णन, श्री एन. वेंकटेश्वरन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

सन् 1935 में सभा ने अपनी तिरुवनन्तपुरम-शाखा को बन्द कर दिया और समूचे केरल में हिन्दी प्रचार कार्य को संभालने के लिए एरणाकुलम की शाखा को अपनी एकमात्र केरल-शाखा की पदवी प्रदान की। उसके मंत्री के पद पर पं. देवदूत विद्यार्थी काम कर रहे थे। श्री ए. चन्द्रहासन सभा के महाविद्यालय के प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए।

सन् 1936 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपने चारों प्रान्तों में स्वतन्त्र, स्वावलंबी प्रान्तीय सभाएँ क़ायम करने का निश्चय किया। उसके अनुसार तत्कालीन केरल-शाखा के मंत्री पं. देवदूत विद्यार्थी ने केरल के प्रमुख हिन्दी केन्द्रों में भ्रमण करके प्रान्तीय सभा की स्थापना के लिए आवश्यक सदस्यों को बनाया और उनसे चंदा, दान आदि वसूल करके सभा के लिए यथासंभव धन-संग्रह किया। उन सदस्यों का जो विराट सम्मेलन सन् 1936 जुलाई मास में एरणाकुलम में बुलाया गया था, उसीने प्रान्तीय सभा का संविधान स्वीकार करके अपने पदाधिकारियों का चुनाव किया और केरल प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की।

कोच्चि राज्य के अवकाशप्राप्त शिक्षा-निदेशक स्व० श्री सी. मत्ताई ही सर्वसम्मति से प्रान्तीय

सभा के अध्यक्ष चुने गये। प्रान्तीय सभा की कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार केरल के हिन्दी प्रचार कार्य को पूर्वाधिक व्यापक और व्यवस्थित रूप देने के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने पं. देवदूत विद्यार्थी को ही केरल के प्रान्तीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इस तरह सन् 1936 में जिस केरल हिन्दी प्रचार सभा का जन्म हुआ, वही अब तक केरल में हिन्दी प्रचार का कार्य बड़ी सफलता से करती आ रही है। इसलिए एक तरह से इस संस्था का इतिहास ही केरल में हिन्दी प्रचार का भी इतिहास कहा जा सकता है।

सभा का संविधान

केरल हिन्दी प्रचार सभा प्रजातंत्रात्मक संविधान के अनुसार अपने बहुमुखी कार्य संभाल रही है। हिन्दी प्रचार के महान कार्य में सहयोग और सहायता देने की इच्छा रखनेवाले सभी बालिग स्त्री-पुरुष निश्चित चंदा देकर इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे सदस्यों के तीन विराट सम्मेलन दक्षिण, मध्य, और उत्तर केरल मंडलों में प्रतिवर्ष बुलाये जाते हैं और सभा की व्यवस्थापिका समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। चुने हुए उन सदस्यों की व्यवस्थापिका समिति के द्वारा सभा के लिए एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति के बाकी ग्यारह सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उन सदस्यों में चार हिन्दी प्रचारक भी होते हैं। सभा के मंत्री की नियुक्ति दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ही करती है। सभा के कोषाध्यक्ष को नियुक्त करने का भार कार्य-कारिणी समिति को सौंपा जाता है। इस तरह कुल 16 सदस्यों की जो कार्यकारिणी समिति बनती है, वही व्यवस्थापिका समिति के आदेशानुसार इस संस्था को चलाने का काम संभालती है। यद्यपि सभा अपने बहुमुखी कार्यों के लिए केरल के लोगों से समय-समय पर चंदा, दान आदि वसूल करती है, तो भी दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ही आवश्यकता-नुसार अनुदान आदि देकर इस संस्था को अपने आर्थिक उत्तरदायित्व को पूरा करने का मौका देती है।

कार्यकलाप

केरल हिन्दी प्रचार सभा हिन्दी प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए अनेकों सवैतनिक एवं सहायक हिन्दी प्रचारकों को नियुक्त करती है। अपने संगठकों के द्वारा नये-नये हिन्दी केन्द्रों का संगठन करके, हिन्दी-प्रेमी-मंडल और शाखा-समितियाँ क़ायम करना भी सभा के कार्यक्रम में प्रधान माना जाता है। हिन्दी की प्रारंभिक तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रों में हिन्दी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों का संचालन भी यह सभा करती है। प्रमुख केन्द्रों में हिन्दी पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना करके हिन्दी-पढ़े लोगों की जानकारी बढ़ाने का प्रयत्न भी यह संस्था करती है। समय-समय पर हिन्दी सप्ताह, हिन्दी मेला, हिन्दी प्रचारक सम्मेलन, सार्वजनिक सम्मेलन आदि के ज़रिये जनता में हिन्दी सीखने की अभिरुचि बढ़ाने में प्रान्तीय सभा को काफ़ी सफलता मिली है।

सभा के अधीन दक्षिण केरल, मध्य केरल और उत्तर केरल के लिए अलग-अलग ज़िला-समितियाँ संगठित हैं। उनके कार्यालय क्रमशः तिरुवनन्तपुरम, एरणाकुलम, और कोझिक्कोड में हैं। प्रत्येक ज़िला-समिति के अधीन अनेकों शाखा-समितियाँ और हिन्दी प्रेमी मंडल भी कायम हुए हैं जिनके ज़रिये केरल के प्रायः सभी केन्द्रों में हिन्दी प्रचार का कार्य बड़े उत्साह से बढ़ता जा रहा है।

सभा हिन्दी परीक्षाओं के ज़रिये यहाँ के लोगों में हिन्दी की जानकारी को दृढ़ बनाये रखने का प्रयत्न करती है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की 'प्राथमिक', 'मध्यमा', 'राष्ट्रभाषा', 'प्रवेशिका', 'विशारद' और 'प्रवीण' जैसी विभिन्न परीक्षाओं के अलावा विश्वविद्यालय की 'विद्वान' परीक्षा के लिए भी विद्यार्थियों को तैयार करने का काम सभा के प्रचारक बड़े उत्साह से करते आ रहे हैं। इस

वक्त केरल में कुल एक हज़ार के करीब हिंदी प्रचारक काम करते हैं।

महाविद्यालय

हिन्दी की उच्च शिक्षा देकर योग्य अध्यापकों को तैयार करने के लिए सभा ने सन् 1947 से केरल के विभिन्न केन्द्रों में विशारद महाविद्यालय चलाने का काम किया है। ओट्टप्पालम, वेस्ट-हिल, अयिरुर, तृपूणित्तुरा, कोषिक्कोड, तिरुवनन्तपुरम, कोट्टयम, आट्टिंगल, चेंगन्नूर, मावेलिक्करा, हरिप्पाड, नागरकोविल, षोरणूर, कोष़ंचेरी, कण्णूर, नीलेश्वरम आदि केन्द्रों में जो विशारद महाविद्यालय चलाये गये, उनमें अध्ययन करके कुल 1379 विद्यार्थियों ने सभा की 'विशारद' परीक्षा दी। उनमें उत्तीर्ण सभी लोगों को स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का काम भी मिल गया है।

तिरुवनन्तपुरम, एरणाकुलम, तृपूणित्तुरा, पालघाट, ओट्टप्पालम, तलश्शेरी, कण्णूर, तृश्शूर, नीलेश्वरम, षोरणूर आदि केन्द्रों में सर्वोच्च हिन्दी परीक्षा 'प्रवीण' के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के वास्ते, प्रवीण विद्यालयों का भी संगठन हुआ। उन विद्यालयों में शामिल होकर लगभग 150 विद्यार्थियों ने 'प्रवीण' की उपाधि पायी है।

हिन्दी अध्यापकों तथा प्रचारकों को शिक्षण-कला का ज्ञान प्रदान करने के लिए सभा की तरफ़ से सन् 1951 से 1954 तक तिरुवनन्तपुरम और कोषिक्कोड केन्द्रों में प्रचारक विद्यालय चलाये गये। उनमें शामिल होकर कुल 163 प्रचारकों ने अपनी योग्यता बढ़ायी है।

हिन्दी परीक्षाएँ

केरल से हिन्दी परीक्षाओं में शामिल होनेवाले विद्यार्थियों की संख्या हमेशा बढ़ती रही है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है:—

सन् 1922 से सन् 1956 तक का ब्यौरा

परीक्षा का नाम	विद्यार्थी-संख्या
प्राथमिक	68,825
मध्यमा	72,579
राष्ट्रभाषा	40,357
प्रवेशिका	18,056
विशारद	9,194
प्रवीण	1,682

सभा की उपर्युक्त हिन्दी परीक्षाओं के अलावा तिरुवितांकूर विश्वविद्यालय तथा मद्रास विश्वविद्यालय की 'हिन्दी विद्वान' परीक्षाओं में उत्तीर्ण लोगों की संख्या भी कम नहीं है।

हिन्दी प्रचारक शिविर

केरल के हिन्दी प्रचारकों को एकसाथ मिलकर अपनी समस्याओं के विषय में चर्चा करने तथा साहित्य की जानकारी बढ़ाने के लिए समय-समय पर हिन्दी प्रचारक शिविर चलाने का काम प्रान्तीय सभा के द्वारा हुआ है। चालक्कुडी, चोव्वरा, अयिरूर, कालटी और पालघाट केन्द्रों में प्रचारक शिविर चलाये गये। उन शिविरों में शामिल होकर अनेकों प्रचारकों ने शिक्षा पायी। सभा ने अब प्रतिवर्ष कम-से-कम एक प्रचारक शिविर चलाने की योजना बनायी है। इन शिविरों में उत्तर भारत के हिन्दी विद्वान तथा राष्ट्रीय नेता-लोग भी पधारकर अपने उपदेशों तथा भाषणों से हिन्दी प्रचारकों को अनुगृहीत करते हैं।

सभा का सदर मुकाम

केरल प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा का प्रधान कार्यालय पहले एरणाकुलम, तृपूणित्तुरा, तृश्शूर ओट्टप्पालम, आदि केन्द्रों में समय-समय पर चलाया जाता था। लेकिन 1953 में सभा ने एरणाकुलम में अपने लिए निजी मकान और ज़मीन खरीद ली। उसके बाद इस संस्था का सदर मुकाम एरणाकुलम में ही स्थायी रूप से रहने लगा है।

पत्र-पत्रिकाएँ

केरल के प्रायः सभी हिन्दी केन्द्रों में हस्तलिखित हिन्दी मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करने

का प्रयत्न बराबर चलता रहा है। ऐसी पत्रिकाओं में कई उच्च कोटि के लेख, कहानियाँ और कविताएँ अवश्य प्रकाशित हुई हैं। लेकिन एक छपी हुई पत्रिका हिन्दी में निकालने का प्रयत्न सबसे पहले तृश्शूर के प्रचारक श्री जी. नीलकण्ठन नायर ने किया था। उनका 'हिन्दी-मित्र' नामक मासिक पत्र कुछ महीनों तक प्रकाशित होता रहा और किसी कारण से वह बन्द हुआ। कोट्टयम के प्रचारक श्री अभयंवेद आदि के प्रयत्न से 'विश्व-भारती' नामक एक हिन्दी मासिक पत्र के तीन अंक निकले। ओलवकोट के प्रचारक श्री पी. बालकृष्णन तथा श्री पी. नारायण की कोशिश से 'ललकार' नामक एक पत्रिका एक वर्ष तक प्रतिमास प्रकाशित होती रही। लेकिन उसका प्रकाशन भी शीघ्र बन्द हो गया। तिरुवितांकूर हिन्दी प्रचार सभा की तरफ़ से 'राष्ट्रवाणी' नामक एक हिन्दी-मलयालम-तमिल मासिक पत्रिका का प्रकाशन श्री के. वासुदेवन पिल्लै ने किया था। कोच्चि के प्रचारक श्री डी. विश्वनाथ मल्लय्या ने भी 'प्रताप' नामक एक मासिक पत्र के दो अंक निकाले। चेर्पु के प्रचारक श्री के. कुमार कुरूप ने 'राष्ट्रवाणी' नामक एक हिन्दी-मलयालम पत्रिका का प्रकाशन कुछ महीनों तक किया था। लेकिन संगठित रूप से प्रसिद्ध प्रकाशकों की तरफ़ से हिन्दी में कोई पत्रिका निकालने का प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ था। बड़े हर्ष की बात है कि कोष़िकोड से सुप्रसिद्ध मातृभूमि प्रकाशकों की तरफ़ से अभी "प्रभात" नामक हिन्दी पाक्षिक निकाला जा रहा है। आशा है, 'प्रभात' अपने प्रयत्न से केरल के हिन्दी प्रचार में तथा हिन्दी लेखकों, कवियों और समालोचकों को प्रोत्साहन देने में पूर्ण रूप से सफल निकलेगा।

हिन्दी प्रचार में सरकारी सहयोग

तिरुवितांकूर और कोच्चि की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के लिए हमेशा यथासंभव मदद पहुँचायी है। सन् 1950 में तिरु-कोच्चि सरकार ने अपने सभी स्कूलों में हिन्दी को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का निश्चय किया। अपनी इस प्रशंसनीय नीति को कार्यान्वित करने के लिए एरणाकुलम महाराजास कालेज के हिन्दी प्रोफ़सर श्री ए. चन्द्रहासन को हिन्दी एड्युकेशनल-आफ़ीसर के पद पर नियुक्त करके सरकार ने स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था करने में सफलता पायी। श्री ए. चन्द्रहासन के अथक परिश्रम से तिरु-कोच्चि के सभी स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति हुई और आवश्यकतानुसार हिन्दी अध्यापकों को तैयार करने का काम सभा को करना पड़ा।

तिरुवितांकूर विश्वविद्यालय की तरफ़ से 'हिन्दी विद्वान' परीक्षा चलाने का प्रबन्ध भी किया गया। कालेजों में 1936 से हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था हो चुकी थी।

आज केरल के प्रायः सभी हाई स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई होती है। मलबार को छोड़कर बाकी केन्द्रों के स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होती है और वह परीक्षा का भी विषय मानी जाती है। मलबार में भी हिन्दी पढ़ाने की सुविधा तो हर स्कूल में दी जाती है। बहुत जल्दी वहाँ के स्कूलों में भी हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाएगी, ऐसी आशा है।

तिरु-कोच्चि सरकार ने हिन्दी अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर-कोर्स चलाया है। एक हिन्दी-मलयालम कोष तैयार करने का प्रयत्न भी सरकार की तरफ़ से हो रहा है। हिन्दी प्रचार के लिए एक प्रदर्शनी-वैन (गाड़ी) भी सरकार ने खरीदी है।

उल्लेखनीय सहायक और सहयोगी

केरल के हिन्दी प्रचार को लोकप्रिय बनाने में यहाँ के प्रमुख हिन्दी कार्यकर्ताओं के अलावा कई महान राष्ट्र-सेवकों तथा नेताओं ने भी अपने सहयोग और सहायता से बड़ी प्रशंसनीय सेवा की है। केरल हिन्दी प्रचार सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष स्व० श्री सी. मताई, स्व० श्री चेंगनाशेरी परमेश्वरन पिल्लै और स्व० राव बहादुर नारायण पंडाले आदि महाशयों ने समय-समय पर अपनी बहुमूल्य

सेवाओं से हिन्दी प्रचार सभा और जनता को अनुगृहीत किया है। उनकी सेवाओं का संस्मरण करते हुए अनेकों लेख लिखे जा सकते हैं। सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एन. सुन्दरय्यर, श्री एम. अच्युतन वैद्यर, श्री टी. के. कृष्ण-मेनोन, डा० ए. आर. मेनोन, श्री आर. कृष्ण-अय्यर आदि महाशयों ने अपने प्रयत्नों से केरल के हिन्दी प्रचार को प्रोत्साहन और प्रगति प्रदान की है। श्री एन. सुन्दरय्यर ने ओट्टपालम में जो विशारद विद्यालय चलाया, उसके लिए लगभग तीन हज़ार रुपये का दान देकर सभा तथा विद्यार्थियों की बड़ी मदद की थी। राष्ट्रीय नेताओं में श्री के. केलप्पन, श्री जी. रामचन्द्रन, श्री के. पी. कुट्टिकृष्णन नायर, श्री ए. वी. कुट्टिअम्माळु अम्मा, श्री श्यामसुन्ददरदास, श्री पट्टम ताणु पिळ्ळै, श्री पनम्पिळ्ळी गोविन्द मेनोन जैसे कितने ही महाशयों के नाम हिन्दी प्रचार के कार्य में विशेष उल्लेखनीय हैं।

कोचि तथा तिरुवितांकूर के राजघरानों के लोगों ने भी हिन्दी प्रचार को अपनाकर काफ़ी मदद पहुँचायी है। केरल के तमाम स्त्री-पुरुषों ने हिन्दी को अपनाने में सर्वदा पूरा-पूरा उत्साह दिखाया है। यहाँ हिन्दी का विरोध अभी तक किसीने नहीं किया है। केरल की स्त्रियों ने पुरुषों की अपेक्षा हिन्दी सीखने में अधिक दिलचस्पी दिखायी है।

कवि, लेखक अनुवादक

केरल के हिन्दी विद्वानों में कई अच्छे लेखक, कवि और अनुवादक निकले हैं। उनमें सर्वश्री ए. चन्द्रहासन, ए. पद्मिनी, पी. के. केशवन नायर, नारायण देव, पी. जी. वासुदेव, एन. ई. विश्व-नाथन, एन. ई. मुत्तुस्वामी, ए. एन. राघवन नायर, आर. के. राबु, टी. पी. चेरु, सी. आर. नाणप्पा, के. रविवर्मा आदि कई महाशयों के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री ई. के. दिवाकरन पोट्टि ने हिन्दी के कितने ही उपन्यासों का मलयालम में अनुवाद किया। श्री भारती देवी विद्यार्थी ने मलयालम से हिन्दी में भी कुछ पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया है। श्री पी. एन. भट्टतिरी ने मलयालम की कई अच्छी कहानियों का हिन्दी में अनुवाद किया है। केरल के हिन्दी लेखकों में श्री पी. नारायण का नाम सबसे प्रधान माना जाता है। श्री वी. पी. जोसफ़, डॉ० के. भास्करन नायर, श्री एम. पी. माधव-कुरूप, श्री सुभद्रा तंपुरान आदि अनेकों उदीय-मान लेखक हिन्दी में सुन्दर रचनाएँ बराबर प्रकाशित करते रहते हैं। इनके अलावा और भी कई अच्छे साहित्य-रचयिता ऐसे हैं जिनके नाम जगह की कमी से यहाँ नहीं दिये जाते हैं।

'प्रभात' के संपादक और मलयालम के महान कवि श्री एन. वी. कृष्णवारियर हिन्दी के भी विद्वान और श्रेष्ठ लेखक हैं। उन्होंने सभा की 'विशारद' परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर अपनी योग्यता पहले ही प्रकट की थी। मलयालम के दैनिक समाचार-पत्र 'एक्सप्रेस' के सहकारी संपादक श्री के. पी. नंबियार भी हिन्दी के एक गण्य-मान्य लेखक हैं। उन्होंने सभा की 'विशारद' परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण होकर स्वर्ण-पदक भी पाया है। वे हिन्दी के प्रचार के लिए बराबर अपनी संपूर्ण शक्ति से मदद पहुँचाते आ रहे हैं। अपनी पत्रिका के ज़रिये उन्होंने हिन्दी प्रचारकों की सैकड़ों कठिनाइयाँ दूर करने की कोशिश की है। तिरु-कोच्चि राज्य के स्कूलों में पढ़ानेवाले अंशकालीन हिन्दी अध्यापकों के कष्टों को दूर करने का उन्होंने जितना प्रयत्न किया है, उतना शायद ही दूसरों ने किया होगा।

केरल हिन्दी प्रचार सभा के भूतपूर्व मंत्रियों में श्री ए. चन्द्रहासन, पं. देवदूत विद्यार्थी, श्री पी. के. नारायण नायर आदि महाशयों ने जो बहुमूल्य सेवाएँ की हैं, उनका पूरा-पूरा वर्णन करना संभव नहीं प्रतीत होता। सन् 1947 तक उन निस्वार्थ हिन्दी सेवकों ने अपनी प्रिय संस्था केरल हिन्दी प्रचार सभा की उन्नति के लिए अथक परिश्रम किया था। सन् 1947 से इन पंक्तियों के लेखक को अपने कमज़ोर कन्धों पर केरल हिन्दी प्रचार सभा के संचालन का भार उठाना

सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री पी. माधवन नायर, एम. पी., केरल में हिन्दी प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए तन-मन-धन से बराबर प्रयत्नशील रहते हैं। उनकी कृपा और कोशिश से ही सभा की इतनी उन्नति हुई है।

श्री सी. जी. गोपालकृष्णन, श्री सी. आर. नाणप्पा, श्री एन. सदाशिवन आदि संगठक केरल के हिन्दी प्रचार कार्य को संगठित और व्यवस्थित रूप देने में सर्वथा योग देते आ रहे हैं। भूतपूर्व संगठक श्री ए. वेलायुधन, श्री सी एन. कृष्ण-पिल्लै, श्री ए. वासुमेनोन, श्री एन. शंकरनकुट्टि मेनोन, श्री सी. एन. गोविन्दन, श्री नारायण दत्त, श्री के. आर. विश्वनाथ, श्री नारायण देव, श्री एम. पी. माधवकुरूप आदि महाशयों के प्रयत्न भी सराहनीय हैं।

प्रचार का भविष्य

केरल के लोगों को अनेकों भाषाएँ सीखने का विशेष मोह-सा है। वे प्राचीन काल से ही संस्कृत भाषा के अध्ययन के द्वारा अपनी मातृ-भाषा मलयालम की भी बड़ी उन्नति करते आये हैं। उनका विचार है कि एक भाषा सीखने से दूसरी भाषा को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँच सकती। वे समझते हैं कि प्रत्येक भाषा विकास-शील रहती है और एक-दूसरे के संपर्क में आ-कर अपनी वृद्धि मात्र करती है। इसलिए यहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह से अंग्रेज़ी का अध्ययन भी किया था। इसी तरह केरल के लोग आज हिन्दी भी सीख रहे हैं। मलयालम का साहित्य हिन्दी की अपेक्षा काफ़ी श्रेष्ठ हो चुका है। इसलिए हिन्दी के साहित्य की अपेक्षा उसकी सार्वदेशिकता के कारण ही यहाँ के लोग उसके प्रति आकर्षित हुए हैं। भारत की एकता को क़ायम रखने के लिए हिन्दी का अध्ययन उपयोगी होगा, इस ख्याल से केरल के लोगों ने कभी हिन्दी का विरोध नहीं किया है। निकट भविष्य में हिन्दी के ज़रिये केरल के लोग उत्तर भारत में ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर विराजमान होकर भारत-वर्ष की सेवा ज़रूर करेंगे, ऐसी आशा है।

*

कर्नाटक में हिन्दी प्रचार

(श्री पी. वेंकटाचल शर्मा)

सन् 1918 में राष्ट्रीय आन्दोलन ज़ोर पकड़ने लगा। पूज्य बापू के विचारों से देश प्रभावित हुआ। स्वतंत्रता-संग्राम के लिए विचारवान् नेता देश की जनता को तैयार कर रहे थे। इसी वर्ष में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का महाधिवेशन इंदौर में संपन्न हुआ जहाँ राष्ट्रपिता ने राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार की नींव डाली थी। जनता ने इस राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य का स्वागत किया। इस कार्य को संगठित रूप से संचालित करने का भार अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तरफ़ से राजर्षि बाबू पुरुषोत्तमदास टंडनजी के आग्रह पर, महात्मा गांधी जी ने वहन किया। दक्षिण भारत के राष्ट्रप्रेमी विचारवान् विद्वानों की एक टोली, जिसमें श्री पं. हरिहर शर्मा, श्री क. म. शिवराम शर्मा आदि थे, हिन्दी में प्रशिक्षण पाकर सम्मेलन कार्यालय, मद्रास, में काम करने के लिए नियुक्त होकर आये। इनकी सहायता के लिए श्री रामभरोसे श्रीवास्तव, श्री प्रताप नारायण वाजपेयी आदि कार्यकर्ता भी पूज्य टंडनजी द्वारा इस काम के वास्ते भेजे गये। पूज्य गांधीजी ने इस कार्य के लिए अपने पुत्र श्री देवदास गांधी को भेजा। क्रमशः कार्य विस्तृत होता गया। काम संभालने के वास्ते कुछ समय के लिए स्वामी सत्यदेवजी परिव्राजक पूज्य बापू के द्वारा भेजे गये।

इस तरह दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों के प्रधान नगरों में क्रमशः हिन्दी प्रचार का कार्य संगठित हो ही रहा था कि इतने में अखिल भारतीय कांग्रेस का महाधिवेशन आंध्र प्रांत के काकिनाड़ा शहर में सन् 1923 में संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन के अवसर पर प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन बुलाया गया था। इस अधिवेशन में हिन्दी प्रचार कार्य में संलग्न कार्यकर्ता भी सम्मिलित हुए थे। हिन्दी प्रचारकों की मुस्तैदी और कार्यदक्षता देखकर कर्नाटक के तत्कालीन नेता श्री गंगाधरराव देशपांडे, डॉ. ना. सु. हर्डीकर जैसे गण्य-मान्य व्यक्तियों के मन में हिन्दी प्रचार कार्य को संगठित रूप से कर्नाटक में संचालित करने का विचार आया। सन् 1924 में जब बेलगाँव में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ तब कर्नाटक के नेताओं ने हिन्दी प्रचार कार्य का आरंभ, हिन्दुस्तानी सेवादल के शिबिरों में कराके इसे एक व्यापक रूप दिया। इस तरह हिन्दुस्तानी सेवादल के शिबिरों में डॉ. ना. सु. हर्डीकर के प्रयत्नों से और उन्हींकी देखरेख में संगठित रूप से हिन्दी प्रचार का सूत्रपात हुआ। पं. हरिहर शर्माजी से परामर्श करके यह कार्य आरंभ किया गया था।

तब तक कर्नाटक में जो यत्किंचित् हिन्दी प्रचार का कार्य हो रहा था उसे एक संगठन के अंदर लाकर व्यवस्थित रूप से संचालित करने का भार पं. हरिहर शर्माजी को, जो तत्कालीन मद्रास कार्यालय के मंत्री थे, सौंपा गया। श्री सी. वें. शिवराम शर्मा ने, जो मद्रास से भेजे गये थे, मंगलूर में डॉ. कार्नाड सदाशिवरावजी के सहयोग से कार्यारंभ किया जिनको कार्य में पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति (आर्यमिशिनरी) का पूर्ण सहयोग भी मिला। तदुपरांत हरिहर शर्मा जी ने कुछ कार्यकर्ताओं को भेजा जिनमें श्री रामभरोसे श्रीवास्तव, स्व. पं. जमुनाप्रसाद, कृत्तिवास जी, पं. देवदूत विद्यार्थी, पं. सिद्धनाथ पंत जैसे दक्ष कार्यकर्ता थे। इन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के विभिन्न भागों में फैलकर डॉ. हर्डीकरजी की देखरेख में हिन्दुस्तानी सेवादल के शिबिरों में हिन्दी पढ़ाने का काम आरंभ किया। इसीके साथ-साथ

मंगलूर, हुबली, बेंगलूर, मैसूर, बेलगाँव आदि मुख्य केन्द्रों में कार्य का सिलसिला लगा। उपर्युक्त सभी स्थानों में ये कार्यकर्ता हिन्दुस्तानी सेवादल के शिबिरों में हिन्दी पढ़ाने के लिए पं. हरिहर शर्माजी के द्वारा भेजे गये थे, जिन्होंने डॉ हर्डीकरजी की देखरेख में काम शुरू किया था।

इसके कुछ समय बाद, निश्चित रूप से हिन्दी प्रचार कार्य के लिए ही पं. जमुनाप्रसाद मैसूर में तथा पं. सिद्धनाथ पंत बेंगलूर में नियुक्त हुए। कर्नाटक में इस कार्य को सुसंगठित रूप से चलाने में निम्नांकित सज्जनों से आशातीत सहायता मिली। वे ये हैं:—सर्वश्री गंगाधर राव देशपांडे, डॉ. ना. सु. हर्डीकर, आर. आर. दिवाकर, डॉ. सी. बी. रामराव, कर्पूर श्रीनिवास राव, सर. के. पी. पुट्टण्णचेट्टी, कार्नाड सदाशिव राव, डॉ. डी. के. भारद्वाज, उमाबाई कुंदापुर, पं. तारानाथ, मैसूर के वृद्ध पितामह वेंकट-कृष्णय्या, एम. लक्ष्मीनारायण राव, पी. आर. रामय्या आदि सार्वजनिक तथा डॉ. एन. एस. सुब्बराव, प्रो. ए. आर. वाडिया, प्रो. आगा मुहम्मद अब्बास शूस्तरी, जस्टिस शंकरनारायण राव आदि तत्कालीन उच्च सरकारी अधिकारी सज्जनों के नाम भी उल्लेखनीय हैं।

इस तरह सार्वजनिक तथा सरकारी सहयोग प्राप्त कर समूचे कर्नाटक में श्री पं. धर्मदेव विद्यावाचस्पति, आर्योपदेशक, श्री पं. जमुना प्रसाद श्रीवास्तव, श्री पं. देवदूत विद्यार्थी तथा श्री पं. सिद्धनाथ पंत जैसे उत्साही कार्यकर्ताओं ने हिन्दी प्रचार कार्य का संगठन किया तथा जगह-जगह हिन्दी प्रेमी मंडलियों का निर्माण किया। इन मंडलियों की तरफ़ से स्थानीय कार्य नियमित रूप से चलने लगा।

सन् 1925 में श्री पं. सिद्धनाथ पंत जी को मद्रास कार्यालय ने अपने अधिकृत कार्यकर्ता की हैसियत से बेंगलूर भेजा। उन्होंने बेंगलूर के नैशनल हाई स्कूल में अपना केन्द्र रखते हुए शहर में तथा इर्द-गिर्द में भी कार्य-संचालन किया। उनके इस कार्य में नैशनल हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री के. संपद्गिरि राव, श्री हेच. रामाराव, श्री निट्टूर श्रीनिवास राव, सुप्रसिद्ध साहित्यिक श्री देवड्ड नरसिंह शास्त्री, कर्नाटक के प्रसिद्ध पत्रकार 'विश्वकर्नाटक' साप्ताहिक के संपादक श्री टी. टी. शर्मा, 'सरस्वती' की संपादिका श्रीमती आर. कल्याणम्मा, क्यवसटन प्रेस के मालिक श्री के. नारायण अय्यंगार, 'डेमोक्रेटिक' साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्री एस. आर. एस. राघवन, प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता श्री के. टी. भाष्यम, स्व. वाजपेयं वेंकटेशय्या, कर्नाटक में प्रसिद्ध आर्यधर्मोपदेशक स्वामी सत्यानंदजी महाराज आदि सार्वजनिक नेताओं का सक्रिय सहयोग मिला।

यों चौमुखी प्रगतिप्राप्त कार्य का व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए श्री सिद्धनाथ पंत ने सन् 1927 के जुलाई मास में बेंगलूर में प्रथम अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सम्मेलन का संगठन किया।

इस सम्मेलन का अध्यक्ष-पद पूज्य महात्मा गांधी ने ग्रहण किया और उसका उद्घाटन पंडित महामना मालवीयजी के हाथों हुआ। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष की हैसियत से श्री कर्पूर श्रीनिवास रावजी ने अपने भाषण में एक राष्ट्रभाषा हिन्दी और एक राष्ट्रलिपि देवनागरी के लिए कर्नाटक में अनुकूल वातावरण निर्माण करने का जनता से अनुरोध किया। सम्मेलन के अध्यक्ष तथा उद्घाटक, दोनों ने अपने भाषणों में स्वागताध्यक्ष के विचारों को बड़ा महत्व दिया। पं. मालवीयजी ने अपने उद्घाटन भाषण के सिलसिले में विभिन्न भाषाओं के वाक्य-खंडों को नागरी लिपि में पढ़कर सबको सुनाते हुए यह प्रमाणित किया कि देवनागरी सभी भाषाओं के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। हिन्दी प्रचार के इतिहास में अतीव महत्वपूर्ण घटना है कि इसी सम्मेलन के अवसर पर मद्रास के हिन्दी प्रचार कार्यालय के नवसंगठित रूप 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की पहली बैठक बेंगलूर में संपन्न हुई। इस बैठक में सभा के आजीवन अध्यक्ष महात्मा गांधी, श्री पं. हरिहर

शर्मा, प्रधान मंत्री, श्री पं. हृषीकेश शर्मा, परीक्षा मंत्री, और श्री मो. सत्यनारायण, प्रचार मंत्री, ने भाग लिया। अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं में श्री पं. देवदूत विद्यार्थी, श्री पं. सिद्धनाथ पंत आदि थे। प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' को पृथक् करने का प्रस्ताव इसी बैठक में स्व. श्री सेठ जमनालाल बजाज ने पेश किया और वह सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।

सन् 1930 तक कर्नाटक में हिन्दी प्रचार अन्दोलन की जड़ जम चुकी थी और तभी सत्याग्रह-आन्दोलन ने भी ज़ोर पकड़ा। कर्नाटक के कांग्रेसी नेताओं के सहयोग से अधिकांश कार्य-कर्ताओं ने, जो मद्रास कार्यालय से भेजे गये थे, सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। बेंगलूर में कार्य का विस्तार काफ़ी होने पर श्री पंतजी को श्री जमुनाप्रसाद (जो छुट्टी पर थे) के स्थान पर मैसूर भेजा गया। उन्होंने अपनी स्वभावजन्य राष्ट्रीय उद्भावना के कारण ग्रीष्म हिन्दी प्रचार शिबिर के नाम से हिन्दी विद्यार्थियों का संगठन किया और शिबिर कार्यक्रम में सेवादल की व्यायाम-शिक्षा का भी समावेश किया। परिणाम-स्वरूप इस हिन्दी प्रचार शिबिर ने नमक-सत्याग्रह में भाग लेनेवाली टोली का रूप धारण किया। और पंतजी ने मैसूर के सर्वप्रथम सत्याग्रही दल का नेतृत्व ग्रहण करते हुए सत्याग्रह में भाग लेने के लिए हिन्दी प्रचार कार्य से छुट्टी ली।

इधर उनकी अनुपस्थिति में कार्य संभालने के लिए मद्रास से श्री पी. वेंकटाचल शर्मा को मैसूर भेजा गया जिन्होंने नये सिरे से उत्साह के साथ स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों की सहायता से मैसूर तथा पास-पड़ोस के केन्द्रों में प्रचार कार्य का संगठन किया। श्री शर्माजी के कार्य में समयोचित सहायता पहुँचनेवालों में निम्नांकित व्यक्तियों का सादर स्मरण किया जा सकता है:— प्रो. ए. आर. वाडिया, प्रो. आगा मुहम्मद अब्बास शूस्तरी, स्व. सुब्बनरसिंहय्या, ना. नागेश राव, अंबळे सुब्रह्मण्य अय्यर, अगरं रंगय्या, जंबुनाथन, श्रीमती सुशीलाबाई, श्रीमती लक्ष्मीबाई शंकरनारायणराव, प्रो. के. बी. माधव, टी. कृष्णमूर्ति आदि। कुछ समयके बाद जब श्री जमुनाप्रसाद लौटे और बेंगलूर में कुछ समय तक रहकर फिर चले गये तो मैसूर के कार्य को छोड़कर श्री वेंकटाचल शर्मा बेंगलूर के कार्य को संभालने के लिए जबलपुरवाले श्री टी. कृष्णस्वामी के साथ काम करने लगे। इस अवधि में अर्थात् सन् 1933 में मद्रास कार्यालय ने श्री हिरण्मय को मैसूर भेजा।

श्री पी. वेंकटाचल शर्मा बेंगलूर में रहते समय श्री अ. गो. रामचन्द्र राव के आग्रह पर श्री निट्टूर श्रीनिवासराव के द्वारा भेजे जाकर हासन में कार्य का संघटन नये सिरे से करने लगे। हासन में श्री टी. के सुब्बाराव ने कार्य का आरंभ कर दिया था। उनके परिश्रम से वहाँ हिन्दी प्रचार लोकप्रिय बन चुका था।

बेंगलूर में रहते हुए श्री जमुनाप्रसादजी ने तुमकूर का कार्य भी संगठित किया था। श्री आ. ति. श्रीनिवासराघवाचार्य ने वहाँ कार्य का सुंदर संगठन किया। तुमकूर में श्री के. रंगअय्यंगार, श्री टी. सुब्रह्मण्यम आदि नेताओं के परिश्रम से तथा श्री आ. ति. श्रीनिवासराघवाचार्य की लगन से और हासन में श्री अ. गो. रामचन्द्रराव, श्री अरकेरे सुब्बाराव, श्री ए. रंग अय्यंगार आदि प्रमुख नेताओं के सहयोग और श्री पी. वेंकटाचल शर्मा के अथक परिश्रम से तुमकूर और हासन के सरकारी हाई स्कूलों में क्रमशः सर्वप्रथम हिन्दी को प्रवेश प्राप्त हुआ।

उधर मंगलूर प्रदेश का कार्य भी प्रशंसनीय ढंग से प्रगति कर रहा था। मंगलूर के उत्साही कविहृदय श्री के. राघवाचार्य ने अपने सौजन्य-पूर्ण व्यवहार से मंगलूर ज़िले भर में 1931-32 के वर्षों में हिन्दी की विजय-पताका फहरायी। उनके पूर्ववर्ती आर्यमिशनरी श्री पं. धर्मदेव तथा पं. देवदूत विद्यार्थी के अथक परिश्रम से मंगलूर का क्षेत्र उर्वरा बन चुका था। श्री के. राघवा-चार्य के कार्यकाल में अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सम्मेलन का अधिवेशन बड़े पैमाने पर प्रो. ए. आर. वाडिया की अध्यक्षता में संपन्न

हुआ। इस सम्मेलन की सफलता चाहते हुए पूज्य महात्माजी ने यरवाड़ा जेल से श्री राघवाचार्य के नाम संदेश भेजा था जिसमें उन्होंने नागरी लिपि की सुंदर लिखावट सीखने का संदेश दिया था। श्री के. राघवाचार्य के कार्य को बढ़ावा देनेवाले व्यक्तियों में प्रमुख ये हैं:—श्री यू. केशवराव, केनरा हाई स्कूल, श्री वी. एन. बिजूर, श्री लक्ष्मणदेव विद्यार्थी, श्रीमती ललिताबाई सुब्बाराव आदि।

उधर पंडित सिद्धनाथ पंत ने सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में उत्तर कर्नाटक के ज़िलों में—धारवाड़, हुबली, कारवार, बेलगाँव, अदि केन्द्रों में जगह-जगह हिन्दीवर्ग चलाते हुए प्रचार कार्य का व्यापक संघटन किया। उस आंदोलन के शांत होने पर पंतजी को मद्रास कार्यालय ने 'हिन्दी-कन्नड कोश', 'स्वबोधिनी' आदि तैयार करने का कार्य सौंपा। सन् 1933 के अंत में पंतजी ने बेंगलूर में प्रचार कार्य का नये सिरे से संगठन हाथ में लिया। यों उन्होंने सारे कर्नाटक के लिए हिन्दी प्रचार संगठन में पूरी शक्ति लगायी जिसने सन् 1935 में अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सभा का रूप धारण किया। अब की बार उन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्य का विस्तार करते हुए हिन्दी साहित्य के अध्ययन करने के लिए अहिन्दीभाषी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का नया क़दम उठाया; और इस क़दम को बढ़ाने के लिए मद्रास के हिन्दी प्रचारक विद्यालय के प्रधानाचार्य पं. हृषीकेश शर्माजी की देखरेख में हिन्दी ज्ञानयात्री मंडल का संगठन किया। इस मंडल के द्वारा दक्षिण भारत के अनेकों विद्यार्थी-विद्यार्थिनियों ने उत्तर भारत की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाया और उच्च साहित्य का अध्ययन भी किया।

दूसरे वर्ष, अर्थात् सन् 1936 में, मद्रास सभा ने इस कर्नाटक संगठन को कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा के नाम से अधिकृत किया, और पंतजी को उसका मंत्री नियुक्त किया। अन्य पदाधिकारी यों चुने गये:—गौ. अध्यक्ष-सर के. पी. पुट्टण चेट्टि; अध्यक्ष-डॉ. सी. बी. रामराव; खज़ांची-श्री नारायण गोविन्द नायक। इस अवधि में सारे दक्षिण में पूज्य गांधीजी के आदेशानुसार मद्रास सभा की प्रांतीय शाखाओं का वैधानिक संगठन करने के लिए श्री काका साहब कालेलकर ने दक्षिण भारत भर में भ्रमण किया। श्री काका साहब के प्रस्ताव पर मद्रास सभा ने प्रांतीय शाखाओं का वैधानिक संगठन स्वीकार किया।

इस नये संगठन के फलस्वरूप जनता में हिन्दी का प्रचार बढ़ने लगा और सरकारी तथा नीम-सरकारी स्कूलों में हिन्दी का ऐच्छिक या अनिवार्य रूप से प्रवेश हो गया।

सन् 1937 को मद्रास में कांग्रेस का मंत्रि-मंडल देशपूज्य राजाजी के नेतृत्व में स्थापित हुआ जिसके अधीन तमिलनाडु, आंध्र, केरल और कर्नाटक के कुछ ज़िलों में हिन्दी प्रचार को पूर्वाधिक प्रोत्साहन मिला। स्कूलों में हिन्दी अनिवार्य हो गयी। लेकिन पड़ोसी मैसूर राज्य में ऐसी प्रगतिगामी सरकार के न होने से हिन्दी के प्रचार में उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। इसलिए बेंगलूर में स्थापित प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा के सदर दफ़्तर को बंबई कर्नाटक की राजधानी धारवाड़ ले जाना पड़ा। धारवाड़ में प्रांतीय सभा के नये पदाधिकारी यों चुने गये। अध्यक्ष: श्री आर. आर. दिवाकर, उपाध्यक्षा: श्रीमती उमाबाई कुंदापुर, कोशाध्यक्ष: श्री ए. जी. दोड्डमेटी, तथा पदेन मंत्री: पंडित सिद्धनाथ पंत रहे।

इधर मैसूर राज्य के अंदर प्रांतीय सभा के कार्य का उत्तरदायित्व संभालने के लिए सन् 1935-36 को बेंगलूर में मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति का मैसूर के प्रसिद्ध नेता श्री एच. सी. दासप्पा की अध्यक्षता में संगठन किया गया। मैसूर के प्रचारक श्री हिरण्मय को इस समिति का संचालक नियुक्त किया गया। उनके अदम्य उत्साह से बेंगलूर शहर के जयनगर विस्तरण में समिति के लिए भूमि प्राप्त हुई, और सन् 1947 में श्री सी. राजगोपालाचार्य ने

भारत सरकार के गवर्नर-जनरल की हैसियत से शिलान्यास किया। रियासत भर में कार्य धीरे-धीरे बढ़ने लगा और सरकारी स्कूल-कालेजों में भी हिन्दी मान्य हो गयी।

कालेज के स्तर में हिन्दी का प्रवेश कराने के लिए सभा के प्रसिद्ध प्रचारक प्रो. ना. नागप्पा ने अथक परिश्रम किया। श्री ना. नागप्पा सारे दक्षिण भारत के प्रप्रथम कर्नाटक के नवयुवक हैं, जिन्होंने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की छात्रवृत्ति पर बनारस में दो वर्ष रहकर हिन्दी में एम. ए. की उपाधि पायी और वहाँ से लौटते ही सभा को अपनी सेवाएँ दीं।

प्रांतीय सभा के सदर दफ़्तर को धारवाड़ ले जाने के पश्चात् इधर बंबई कर्नाटक के ज़िलों में जगह-जगह घूमकर स्थानीय नेताओं तथा शिक्षाणतज्ञों से परामर्श करके बंबई सरकार के मुख्य-मंत्री माननीय बालासाहेब खेर की सेवा में स्कूलों में हिन्दी का अनिवार्य प्रवेश संबंधी एक विस्तृत स्मृतिपत्र (मेमोरैण्डम) श्री सिद्धनाथ पंत ने पेश किया। श्री खेर साहब ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रतिनिधि श्री सिद्धनाथ पंत द्वारा प्रस्तुत इस स्मृतिपत्र के आधार पर समग्र बंबई राज्य के स्कूलों में अनिवार्य हिन्दी पढ़ाई की घोषणा की, और उसके मार्गदर्शन के लिए बंबई राज्य सरकार ने एक हिन्दी शिक्षण समिति का स्थापन किया। इस समिति में कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष श्री आर. आर. दिवाकर तथा मंत्री श्री सिद्धनाथ पंत सदस्य नामज़द हुए। बोर्ड के परामर्श के अनुसार स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई होने लगी, और तदर्थ स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होने लगी। धारवाड़ में हिन्दी प्रशिक्षण विद्यालय बड़े पैमाने पर 1937 के अंत में खोला गया जिसके प्रधानाचार्य श्री ना. नागप्पा नियुक्त हुए। अध्यापक वर्ग में श्री नागराज, श्री कृष्णानंत पै, पं. सिद्धगोपाल, आदि शामिल थे। इस विद्यालय के द्वारा सैकड़ों नवयुवक प्रशिक्षित होकर बंबई कर्नाटक के स्कूलों में आजकल हिन्दी अध्यापक नियुक्त हुए हैं। विद्यालय के स्थापित होते ही बंबई सरकारी हिन्दी बोर्ड ने 'हिन्दी शिक्षक सनद' नामक एक अध्यापनकला-परीक्षा चलायी जिसको आगे चलकर बोर्ड की उत्तराधिकारिणी पोतदार समिति ने परिष्कृत रूप से प्रतिष्ठित किया। महामहोपाध्याय प्रो. श्री दत्तोवामन पोतदार इस समिति के अध्यक्ष, श्रीमती पेरीन-बेन कैप्टन, मंत्री, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, बंबई, श्री मगनभाई देसाई, रजिस्ट्रार, गुजराती विद्यापीठ, अहमदाबाद, श्री गोपाल परशुराम नेने, मंत्री, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना, तथा पं. सिद्धनाथ पंत, मंत्री, कर्नाटक प्रांतीय सभा, धारवाड़, सदस्य रहे। इस समिति की सिफ़ारिश के कारण दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं को बंबई राज्य में आम तौर पर, और बंबई-कर्नाटक में ख़ास तौर पर विशेष महत्व मिला; हज़ारों की तादाद में सरकारी नौकर भी सभा की परीक्षाओं में बैठने लगे। आगामी चार-पाँच वर्षों में कर्नाटक प्रांत में परीक्षार्थी-संख्या पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ी जो अद्यावधि दक्षिण के अन्य तीन प्रांतों की कुल संख्या के मुकाबले में बढ़ती पर ही है।

सन् 1942 के 'भारत छोड़ो' आंदोलन से यद्यपि बंबई-कर्नाटक के क्षेत्र में कार्य को धक्का लगा, अर्थात् प्रांतीय सभा के कर्णधार सर्वश्री दिवाकर, उमाबाई कुंदापुर, डॉ. हर्डीकर तथा अंततोगत्वा प्रांतीय सभा के मंत्री सिद्धनाथ पंत नज़रबंद रहे तो कर्नाटक के अन्य ज़िलों में और मैसूर प्रदेश में भी प्रचार कार्य की प्रगति यथावत् बनी रही। तदनंतर सन् 1945 में प्रचार कार्य का नये सिरे से पुनस्संगठन होने लगा। उसी वर्ष वर्धा में संपन्न अखिल भारत हिन्दुस्तानी प्रचार सम्मेलन में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायण ने अपने साथियों के साथ भाग लिया। सम्मेलन के अध्यक्ष पूज्य महात्मा गांधी के आदेश पर हिन्दी प्रचार में 'हिन्दुस्तानी'

का प्राण-संचार करने के लिए उपस्थित कार्यकर्ता प्रतिज्ञाबद्ध हुए। परंतु उर्दू तथा नागरी अनिवार्य लिपियों में हिन्दुस्तानी का प्रचार करने के लिए कर्नाटक के मंत्री श्री पंत तथा उनके सहयोगी कार्यकर्ता पूर्णतया सहमत होते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर सके। क्योंकि कर्नाटक की जनता भाषा को हिन्दी के बदले हिन्दुस्तानी बनाने के पक्ष में होते हुए भी लिपि के मामले में एकमात्र देवनागरी लिपि का ही समर्थन करती थी। सन् 1946 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत-जयंती बापू की अध्यक्षता में अभूतपूर्व वैभव के साथ मनायी गयी जिसमें कर्नाटक के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने विशेष भाग लिया। इस महासमारोह में प्रांतीय मंत्री श्री पंत प्रदर्शनी शाखा के संयोजक और श्री पी. वेंकटाचलशर्मा साहित्य-कलाकार-सम्मेलन के संयोजक रहे। प्रांतीय सभा की उपाध्यक्षा श्रीमती उमाबाई कुंदापुर ने कर्नाटक प्रांतीय क्षेत्र के प्रचार कार्य का प्रतिवेदन जयन्ती-समारोह में प्रस्तुत किया।

सन् 1948 में दो लिपियों में हिन्दुस्तानी-वाला आन्दोलन अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका था। सारे दक्षिण में महात्माजी के आदेश के अनुसार दोनों लिपियों में हिन्दी का प्रचार थोड़ा बहुत हो चुका था। बहुत-से कार्यकर्ता अन्यमनस्क होते हुए भी महात्माजी के प्रति श्रद्धा रखते हुए हिन्दुस्तानी के प्रचार में लगे हुए थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने अपना नाम हिन्दी के बदले हिन्दुस्तानी में बदल लिया था। परन्तु प्रांतीय सभाओं ने केन्द्र-सभा का अनुसरण इस दिशा में नहीं किया। यों तो केन्द्र-सभा की मुद्रिका (Emblem) में सभा का नाम पूर्ववत ही रहा। और उसका उद्देश्य उसी मुद्रिका में 'एक राष्ट्रभाषा हिन्दी हो, एकहृदय हो भारतजननी' के रूप में अक्षुण्ण बना रहा। राष्ट्र-भाषा की यह भारी और सारी समस्या संविधान-सभा में चर्चास्पद पड़ी रही और उसका निर्णय शीघ्र ही होने को था। इस बीच में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष तथा संविधान-सभा के सदस्य सेठ गोविन्ददासजी ने दक्षिण भारत का तूफ़ानी दौरा करते हुए दक्षिण में हिन्दी प्रचार की गतिविधियों का प्रत्यक्ष नीरीक्षण किया। सेठजी के कर्नाटक-भ्रमण में प्रांतीय मन्त्री श्री पंतजी धारवाड़, बेंगलूर, हुब्ली आदि केन्द्रों में साथ रहे। बेंगलूर में मैसूर विधान परिषद् के अध्यक्ष श्री टी. सुब्रह्मण्यम ने, जो पीछे चलकर प्रांतीय सभा के अध्यक्ष हुए, हुब्ली में डा० हर्डीकर ने, तथा धारवाड़ में श्री आर. एस. हुक्केरीकर आदि नेताओं ने सेठजी से परामर्श कर देवनागरी हिन्दी को ही संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत कराने पर ज़ोर दिया। श्री सेठजी ने बेंगलूर और धारवाड़ के नगरसभा-भवनों में कर्नाटकियों के अतुल हिन्दीप्रेम की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। इसी बीच में प्रमुख कर्नाटकीय हिन्दी प्रचारक सर्वश्री सिद्धनाथ पंत, पी. वेंकटाचल शर्मा, ना. नागप्पा, गुरुनाथ जोशी आदि के प्रयत्नों से भारतीय देवनगरी परिषद संगठित हुई जो आगे चलकर देवनागरी के व्यापक प्रचार कार्य में समयानुसार प्रवृत्त होने लगी।

सन् 1951 को धारवाड़ में कर्नाटक हिन्दी प्रचार आन्दोलन की रजत जयन्ती मनायी गयी। अध्यक्ष-पद से बंबई सरकार के मुख्यमंत्री श्री बाला साहेब खेर ने प्रचारकों के अदम्य उत्साह की प्रशंसा करते हुए समयोचित सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। फलतः बंबई सरकार ने प्रांतीय सभा के भवन के लिए धारवाड़ में दो एकड़ भूमि का दान दिया, और सभा की शिक्षण-प्रवृत्तियों के लिए सरकार से अनुदान भी मिलने लगा।

अगले वर्ष अर्थात् 1952 के अन्त में प्रांतीय मंत्री श्री सिद्धनाथ पन्त स्वास्थ्य-सुधार के निमित्त छुट्टी पर गये; और इस छुट्टी की समाप्ति पर पंचभाषा कोष के संपादन-कार्य पर केन्द्रीय सभा ने उनको मद्रास बुलाया। श्री पन्त के स्थान पर काम करने के लिए 1953 में श्री रामकृष्ण नावड़ा धारवाड़ आये जो सन् 1955 के मध्य भाग तक कार्य-निरत रहे। उनके समय में प्रारंभिक

परीक्षाओं का प्रांतीयकरण हुआ जिसके लिए कई वर्षों से प्रयत्न हो रहा था। अर्थात् प्रारंभिक परीक्षाओं का संचालन-भार प्रांतीय सभा को सौंपा गया। कुछ समय बाद श्री नावड़ा को विशेष कार्य पर केन्द्रीय सभा ने अखिल भारतीय हिन्दी परिषद के संचालनार्थ आगरा भेज दिया, और उनकी जगह श्री पी. वेंकटाचल शर्मा को प्रांतीय मन्त्री नियुक्त किया, जो उस पद पर 1956 के उत्तरार्द्ध तक कार्य-निरत रहे। इस अवधि में प्रांतीय सभा का नया चुनाव हुआ। तदनुसार अध्यक्ष श्री टी. सुब्रह्मण्यम की जगह पर श्री एस. निजलिंगप्पा अध्यक्ष चुने गये।

प्रांतीय सभा भवन का शिलान्यास बंबई के राज्यपाल डॉ. हरेकृष्ण मेहताब के द्वारा संपन्न हुआ, जहाँ कार्यालय, मुद्रणालय, विद्यालय आदि के लिए विविध भवन अब बनने लगे हैं। भवन-निर्माण का यह कार्यक्रम 1956 में स्वीकृत प्रांतीय सभा की सप्तपदी योजना के अन्तर्गत किया गया। इस योजना का उद्घाटन, श्री पी. वेंकटाचल शर्मा की कार्यावधि में कर्नाटक विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा राजभाषा-आयोग के सदस्य रैंगलर डी. सी. पावटे की अध्यक्षता में केन्द्र-सरकार के वाणिज्य-मन्त्री श्री डि. पी. करमरकर के हाथों हुआ। भवन-निर्माण, मुद्रणालय, तथा 'भारतवाणी' के प्रकाशन-कार्य का भी श्रीगणेश हुआ।

सन् 1956 के अन्त में श्री शर्माजी के धारवाड़ छोड़ने पर उत्तर मैसूर के संगठक श्री श्रीकंठमूर्ति को प्रांतीय मन्त्री का कार्य सौंपा गया। आजकल मैसूर राज्य के खादी ग्रामोद्योग मंडल के प्रमुख श्री जि. वि. हळ्ळीकेरी सभा के अध्यक्ष हैं। प्रांतीय सभा की साहित्य-समिति के चैरमेन पं. सिद्धनाथ पन्तजी सभा की मुख-पत्रिका 'भारतवाणी' के प्रधान संपादक हैं। प्रचार कार्य के संगठन के लिए श्री टी. बी. केशवराव, बल्लारी, श्री ए. वी. श्रीनिवासमूर्ति, बेंगलूर तथा श्री गोविंदनायक, धारवाड़, इन तीन संगठकों को नियुक्त किया गया है।

श्री श्रीकंठमूर्ति केन्द्र-सभा के एक अनुभवी कार्यकर्ता हैं। आपने मद्रास शहर में, संगठक की हैसियत से उत्तर मैसूर के ज़िलों में काम करते हुए पर्याप्त अनुभव पाया है। इसके अलावा चित्तूर तथा बेंगलूर के विद्यालयों के प्रधान अध्यापक की हैसियत से भी आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, इन सबसे तथा अपने संगठकों के पूर्ण सहयोग से कर्नाटक के कार्य को प्रगतिशील बनाने में आप सफल होंगे, ऐसी आशा है। आपके अब तक की कार्यावधि में मैसूर के राज्यपाल श्री जयचामराज ओडेयार की अध्यक्षता में अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचार सम्मेलन का समारोह सफलता के साथ दावणगेरे में संपन्न हुआ।

आशा है कि भावी कार्य कर्नाटक के विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए प्रचारक-बंधुओं तथा अनुभवी एवं पुराने कार्यकर्ताओं की सहायता से इतोप्यधिक वृद्धि करेगा।

*

दक्षिण में हिन्दी परीक्षाएँ

(श्री एस. महालिंगम)

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं के इतिहास के बारे में लिखते हुए मुझे वह दिन याद आता है जब मैं 'प्राथमिक' परीक्षा में तंजावूर केन्द्र से बैठा था। स्व० श्री रघुवरदयालुजी मिश्र मेरे हिन्दी अध्यापक थे; अध्यापक ही नहीं, मेरे लिए वे पिता-तुल्य थे और मार्गदर्शक भी। मैं दूसरे या तीसरे फ़ारम में पढ़ता था। उन दिनों हिन्दी की पढ़ाई निःशुल्क थी। विद्यार्थी से अध्यापक को शुल्क मिलना तो दूर, अध्यापक को ही मिठाई और हलुवा देकर विद्यार्थियों को इकट्ठा करना पड़ता था। कम-से-कम हम विद्यार्थियों को मिश्रजी से रोज़ वर्ग के पहले और वर्ग के बाद मिठाई, पूरी, फल आदि अवश्य ही मिला करते थे।

एक दिन हमारे पंडितजी ने कहा, "देखो बच्चो! अब तुम लोगों के लिए इलाहाबाद से परीक्षा का प्रबन्ध होनेवाला है। हरेक को चार-चार आना परीक्षा-शुल्क देना होगा।" हम लोग वैसे तो गरीब थे ही। अगर घरवालों से हिन्दी के लिए पैसा माँगते तो शायद डाँट-डपट ही मिलती। इसलिए हमने कह दिया, "परीक्षा देने को तैयार हैं, पैसा तो नहीं दे सकेंगे।"

पंडितजी हमारी कठिनाई को समझ गये और इसकी सूचना उन्होंने प्रधान कार्यालय को दे दी। जल्दी ही उत्तर आया कि परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन लिखने के लिए कागज़ परीक्षार्थियों को खुद लाना होगा। बड़ी खुशी के साथ हमने इस शर्त को मंजूर किया। यह परीक्षा 1922 में हुई और इसका नाम था 'प्राथमिक'। अभी तक हिन्दी की पहली परीक्षा का यही नाम चला आ रहा है।

'प्राथमिक' के बाद 'प्रवेशिका' परीक्षा आयी। आजकल की 'मध्यमा' उन दिनों में 'प्रवेशिका' कहलाती थी, जिसमें दो प्रश्नपत्र थे। उसके बाद तीसरी परीक्षा 'राष्ट्रभाषा' आयी। आज भी यह नाम जारी है। अंतिम परीक्षा यही थी और इसमें आजकल के जैसे दो प्रश्नपत्र ही थे। एक विशेषता यह थी कि 'राष्ट्रभाषा' के लिए हम लोग 'मिलन', 'नूरजहाँ' (नाटक) आदि उच्च श्रेणी की किताबें पढ़ते थे। 'तिलिस्माती मुन्दरी' नामक उर्दू शब्दों से भरी एक किताब भी उस परीक्षा के लिए नियत थी। उनमें से कितना हम जैसे बच्चे समझ सके, यह अलग बात है।

'राष्ट्रभाषा' के बाद 'तुलसी-रामायण' नामक एक विशेष परीक्षा कुछ समय तक चली, जिसमें सिर्फ़ 'रामचरितमानस' पर प्रश्न पूछे जाते थे। वह परीक्षा तो हमारे बूते के बाहर थी। उसमें अधिक-से-अधिक प्रान्त-भर में आठ-दस बैठा करते थे।

इन परीक्षाओं के प्रमाण-पत्रों पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, के अधिकारियों के व मद्रास-शाखा के संचालक व परीक्षा-मंत्री के हस्ताक्षर होते थे। सन् 1926 में सभा का नाम 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय' से बदलकर 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' हुआ, और तब से प्रारंभिक परीक्षाओं के नाम 'प्राथमिक', 'मध्यमा' और 'राष्ट्रभाषा' पड़े। तब से प्रमाणपत्रों पर सभा के परीक्षा-मंत्री और प्रधान मंत्री के हस्ताक्षर दिये जाने लगे।

दक्षिण भारत के केन्द्रों में प्रचार करने योग्य हिन्दी प्रचारक तैयार करने के लिए हिन्दी प्रचारक विद्यालय पहले ईरोड में सन् 1922

में और बाद को राजमहेन्द्री और मद्रास में चलाये गये। सभा की 'राष्ट्रभाषा' में उत्तीर्ण लोगों को इन विद्यालयों में शिक्षा दी गयी। इनके लिए 'हिन्दी प्रचारक' परीक्षा चलायी गयी। इसमें उत्तीर्ण लोगों को "हिन्दी प्रचारक" सनद दी गयी। उस समय प्रचारक के पाठ्यक्रम में शिक्षा-शास्त्र, बाल-मनोविज्ञान, पाठशाला-प्रबंध, भाषा-शिक्षण, तुलनात्मक व्याकरण व सामान्य ज्ञान शामिल नहीं थे। साहित्य ही प्रधानतः पढ़ाया जाता था। सन् 1930 में 'हिन्दी प्रचारक' परीक्षा में साहित्य के साथ शिक्षण-कला का एक प्रश्न-पत्र जोड़ा गया। 1946 में 'हिन्दी प्रचारक' परीक्षा के दो खंड बनाये गये, साहित्य और प्रशिक्षण। 'प्रवीण' परीक्षा ही यह साहित्य-खंड माना गया। प्रशिक्षण में शिक्षा के सिद्धांत, पाठशाला प्रबंध, शिक्षा-मनोविज्ञान, शिक्षण-पद्धति, भाषा-शिक्षण तुलनात्मक व्याकरण आदि विषय रखे गये। प्रशिक्षण के तीन लिखित पत्र व एक मौखिक पत्र इस समय हैं।

सन् 1930 में सभा ने यह अनुभव किया कि हिन्दी में एक उपाधि-परीक्षा भी चलायी जानी चाहिए। इसमें उत्तीर्ण लोगों को ही 'हिन्दी प्रचारक विद्यालय' में शामिल किया जाना चाहिए। इस उपाधि-परीक्षा का नाम "राष्ट्रभाषा-विशारद" रखा गया। इसमें पाँच लिखित पत्र थे। इसके पाठ्यक्रम में प्राचीन और आधुनिक पद्य, नाटक, गद्य, निबन्ध, कहानियाँ, व्याकरण, साहित्य का इतिहास आदि सम्मिलित थे। पहली बार चलायी गयी इस परीक्षा में 33 परीक्षार्थी बैठे। इसमें उत्तीर्ण लोगों के लिए पदवीदान का समारंभ मद्रास में सन् 1931 में हुआ, जिसमें आचार्य काका साहब कालेलकर ने अभिभाषण दिया। पदवीदान-समारंभ का सिलसिला तभी से शुरू हुआ। उपाधिपत्रों पर सभा के संस्थापक व आजीवन अध्यक्ष पू० महात्माजी के हस्ताक्षर रहते थे।

अब तक 'सभा' के बाईस पदवीदान-सामारंभ हुए हैं, जिनके भाषणकर्त्ताओं की सूची यों है:—

1931	आचार्य काका कालेलकर
1932	प्रोफ़सर मोहम्मद आग़ा शुस्तरी
1933	पंडित रामनरेश त्रिपाठी
1934	बाबू प्रेमचन्द
1935	पंडित सुन्दरलाल
1936	बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन
1937	जनाब याकूब हसन सेठ
1938	श्रीमती सरोजिनी नायुडु
1939	श्री बालगंगाधर खेर
1940	डॉक्टर पट्टाभि सीतारामय्या
1941	आचार्य विनोबा भावे
1942, 1943	जनाब सैयद अब्दुल्ला ब्रेल्वी
1946	राजकुमारी अमृत कौर
1948	डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन
1949	आचार्य विनोबा भावे
1950	श्री रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर
1952	श्री श्रीप्रकाश
1953	श्री ए. जी. रामचंद्र राव
1954	श्री बी. रामकृष्ण राव
1955	श्री एन. सुन्दरय्यर
1956	राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद
1957	श्री जगजीवनराम

❀ सन् 1933, 36 और 46 के पदवीदान-समारंभों में पूज्य महात्माजी ने अध्यक्षासन ग्रहण किया।

सन् 1936 में सभा का नया संविधान बना और उसमें परीक्षा-सम्बन्धी बातों में सलाह देने के लिए शिक्षा-परिषद की स्थापना हुई। इस परिषद के लिए प्रचारकों के द्वारा सदस्य चुने जाते थे और आज भी वही क्रम जारी है। सन् 1933 में परिषद् ने अनुभव किया कि सभा की 'राष्ट्रभाषा' और 'राष्ट्रभाषा-विशारद', दोनों के बीच में श्रेणी व पाठ्यक्रम के ख्याल से काफ़ी अन्तर है। इसलिए दोनों के बीच में "राष्ट्रभाषा विशारद चुनाव" नामक परीक्षा रखी गयी। इसमें एक प्रश्नपत्र था। सन् 1937 में चुनाव परीक्षा को हटाकर 'राष्ट्रभाषा' परीक्षा की श्रेणी बढ़ा दी गयी। इसके अनुसार 'राष्ट्रभाषा' में तीन लिखित प्रश्न-पत्र रखे गये। परिवर्तित 'राष्ट्रभाषा' में उत्तीर्ण होने पर सीधे 'विशारद' में बैठने की अनुमति दी जाने लगी।

सन् 1939 में इस क्रम को रद्द कर 'प्रवेशिका' परीक्षा रखी गयी; जिसमें दो लिखित पत्र और मौखिक परीक्षा थी। 'प्रवेशिका' में उत्तीर्ण होने पर ही 'विशारद' में बैठने की अनुमति देने का निश्चय हुआ। 'राष्ट्रभाषा-विशारद' में चार लिखित पत्र व मौखिक परीक्षा का प्रबन्ध इसीके साथ किया गया। सन् 1948 में शिक्षा-परिषद ने निश्चय किया कि सभा की उच्च परीक्षाओं में हिन्दी के साथ-साथ प्रादेशिक भाषा की भी जाँच होनी चाहिए; क्योंकि सभा की निश्चित नीति थी कि दक्षिण के लोगों को हिन्दी के अध्ययन के कारण अपनी प्रादेशिक भाषा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके अनुसार 'प्रवेशिका' और 'विशारद' में प्रान्तीय भाषा का एक पत्र जोड़ दिया गया। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और मराठी, इन पाँचों भाषाओं में से किसी एक को परीक्षार्थी चुन सकते हैं। प्रान्तीय भाषा की पाठ्य पुस्तकें चुनने में परीक्षा-मंत्री की मदद करने के लिए हरेक भाषा की एक सलाहकारिणी समिति नियुक्त की गयी। 'प्रवेशिका' में उत्तीर्ण होने के बाद 'विशारद' में बैठने के लिए एक साल की अवधि आवश्यक बनायी गयी।

सन् 1939 में 'विशारद' से ऊपर 'विशेष योग्यता' नामक एक परीक्षा कायम हुई; जिसमें तीन पत्र रखे गये—प्राचीन पद्य, आधुनिक पद्य और उर्दू (हिन्दुस्तानी साहित्य) इनमें उत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी के 'विशारद' प्रमाण-पत्र पर दर्ज कर दिया जाता था कि अमुक विषय में विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण हैं। 'हिन्दी प्रचारक' सनद पाने के लिए विशेष योग्यता के तीनों खण्डों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य कर दिया गया।

सन् 1948 में शिक्षा-परिषद की सिफ़ारिश पर 'विशारद' से ऊँची श्रेणी की 'राष्ट्रभाषा-प्रवीण' नाम की एक उपाधि-परीक्षा कायम की गयी। इसके 4 खण्ड थे। प्राचीन साहित्य, आधुनिक साहित्य, हिन्दुस्तानी साहित्य, और प्रादेशिक भाषा व सामान्य ज्ञान। सन् 1939 में निश्चय हुआ कि 'राष्ट्रभाषा', 'प्रवेशिका' व विशारद में खड़ी बोली की किताबें ही पढायी जानी चाहिए; व्रजभाषा, अवधि आदि में लिखे प्राचीन पद्य न रखे जाएँ। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया।

सन् 1949 में 'प्रवीण' के छह खण्ड बना दिये गये—प्राचीन पद्य, आधुनिक पद्य, हिन्दुस्तानी साहित्य, प्रादेशिक भाषा, समाज-विज्ञान और भाषा-विज्ञान। 'विशेष योग्यता' परीक्षा की अब आवश्यकता नहीं रही। क्योंकि उसके तीनों खण्डों को 'प्रवीण' में स्थान दिया गया। सन् 1953 फ़रवरी तक हिन्दुस्तानी साहित्य में उर्दू लिपि में जवाब लिखने के तीन प्रश्न अनिवार्य थे। बाद को वे प्रश्न ऐच्छिक बना दिये गये। 'प्रवीण' के छह खण्ड 'हिन्दी प्रचारक' सनद परीक्षा के भी अंग बना दिये गये।

यद्यपि 'प्रवेशिका' में उत्तीर्ण होकर एक साल के बाद ही 'विशारद' में बैठने का नियम जारी था, फिर भी देखा गया कि परीक्षार्थी परीक्षा-तारीख से तीन-चार महीने पहले ही अपना अध्ययन शुरू करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अधिकतर परीक्षार्थी अधूरी तैयारी के साथ 'विशारद' में बैठते थे और अकसर

अनुत्तीर्ण हो जाते थे। अनुत्तीर्ण होने पर उनका उत्साह घट जाता था। उत्तीर्ण होनेवालों का भाषा-ज्ञान भी कम रहता था। इसलिए काफ़ी सोच-विचार के बाद निश्चय किया गया कि 'विशारद' परीक्षा के दो हिस्से कर दिये जाएँ—पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध। पूर्वार्द्ध में हिन्दी के दो पत्र व प्रादेशिक भाषा का एक पत्र और उत्तरार्द्ध में हिन्दी के तीन पत्र व मौखिक शामिल किया गया। इस नयी व्यवस्था के अनुसार परीक्षार्थियों को अपनी पढ़ाई को दो हिस्सों में बाँटकर पढ़ने की सुविधा मिली। 'प्रवेशिका' के बाद एक वर्ष रुके रहने की दिक़्क़त भी हट गयी। जब से यह नया क्रम शुरू हुआ तब से परीक्षा-फल भी पहले से अधिक अच्छा निकलने लगा है। इस परिवर्तन के साथ 'प्रवेशिका' और 'विशारद उत्तरार्द्ध' में कुछ प्राचीन पद्य भी शामिल किये गये।

'प्रवीण' की ऊँची श्रेणी को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा में बैठने के लिए मान्यता-प्राप्त विद्यालय में नियमानुसार हाज़िरी देकर अध्ययन करना अनिवार्य बनाया गया। कुछ समय बाद कई हिन्दी प्रचारकों के सुझाव पर 'विशारद' में उत्तीर्ण होकर दो वर्ष बाद, या 'विशारद' में उत्तीर्ण होकर कम-से-कम एक वर्ष तक किसी हाई स्कूल में हिन्दी अध्यापक के पद पर कार्य करने पर खानगी तौर पर 'प्रवीण' में बैठने की अनुमति जारी की गयी।

सन् 1945 में पू. महात्माजी ने राष्ट्र-भाषा हिन्दी का नाम हिन्दुस्तानी रखा और यह इच्छा प्रकट की कि हिन्दी पढ़नेवालों को जहाँ तक हो सके नागरी और फ़ारसी, दोनों लिपियाँ सीखनी चाहिए। इस नीति के अनुसार सभा ने अपनी सभी परीक्षाओं में उर्दू लिपि को ऐच्छिक रूप से पढ़ने की गुंजाइश कर दी। 'प्राथमिक', 'मध्यमा' और 'राष्ट्रभाषा' में दस अंक के उर्दू लिपि का एक-एक ऐच्छिक प्रश्न जोड़ दिया गया। 1947 से 'प्रवेशिका' व 'विशारद' में 15 अंक का एक-एक ऐच्छिक प्रश्न पत्र जोड़ दिया गया।

हिन्दी परीक्षाओं को अधिक लोकप्रिय बनाने व उनकी व्यवस्था को और सुचारु बनाने के उद्देश्य से 1948 में 'आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ' के केन्द्रस्थान विजयवाड़ा से आन्ध्र के केन्द्रों में परीक्षा चलाने का कार्य शुरू हुआ। 1954 में कर्नाटक प्रान्त के केन्द्रस्थान धारवाड़ में परीक्षा-विभाग की शाखा खोली गयी, जहाँ से आजकल उस प्रान्त के केन्द्रों में प्रारंभिक परीक्षाएँ चलाने का कार्य किया जाता है। इन शाखाओं के संबंध में पाठ्यक्रम, प्रश्नपत्र, जाँच, श्रेणी आदि का नियंत्रण पूर्ववत केन्द्र-सभा से किया जाता है।

इन परीक्षाओं में उत्तर-पुस्तकों की जाँच का प्रबन्ध वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। हर प्रधान परीक्षक के अन्तर्गत आठ से दस तक सहायक परीक्षक काम करते हैं, और उनको कुल करीब एक हज़ार उत्तर-पुस्तकों की जाँच का निरीक्षण करना है। जाँच का कार्य सुचारु रूप से करने तथा उसमें समानता लाने के लिए प्रधान परीक्षक अपने सहायकों को आवश्यक सूचनाएँ देते हैं। परीक्षा-फल तैयार करने के लिए प्रधान परीक्षकों की बैठकें होती हैं। 'प्रवीण' व 'प्रचारक' परीक्षाओं की हरेक उत्तर-पुस्तक दो-दो परीक्षकों से अलग-अलग जाँची जाती है, और बाद को उन परीक्षकों की बैठकें होती हैं। परीक्षा-फल पर विचार कर स्वीकार करने का काम सभा की परीक्षा-समिति का है।

परीक्षाओं के केन्द्र हाइस्कूलों में या कालिजों में होते हैं; जिनके प्रधान अध्यापक परीक्षाओं के मुख्य व्यवस्थापक होते हैं। उच्च परीक्षाओं के केन्द्र मुख्य-मुख्य शहरों में ही होते हैं। 'प्रवीण' के केन्द्र और भी सीमित हैं।

इन परीक्षाओं की लोकप्रियता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। हर साल इन परीक्षाओं में बैठनेवालों की संख्या एक लाख से अधिक हो गयी है, जिसमें स्त्री-पुरुष, स्कूल-कालेज के शिक्षार्थी, अध्यापक, वकील, सरकारी कर्मचारी आदि शामिल हैं।

नीचे दिये हुए आंकड़े इन परीक्षाओं की लोकप्रियता के द्योतक हैं:—

साल	केन्द्र	आवेदक	
		प्रारंभिक	उच्च
1922 से 30	73	9,116	32
1931 से 35	394	30,710	2,166
1936 से 40	578	70,987	4,152
1941 से 45	528	65,162	5,022
1946 से 50	645	2,55,318	26,885
1951	622	84,391	13,619
1952	690	78,927	15,772
1953	664	75,884	13,182
1954	657	73,369	14,444
1955	686	81,674	16,951
1956	690	98,499	16,869
1957	692	1,00,721	17,218
1958 (फ़रवरी)	698	52,530	9,014
		10,77,288	1,55,326
		कुल आवेदक	12,32,614

पं० हृषीकेश शर्मा, श्री मो. सत्यनारायण, श्री अवधनन्दन, श्री रघुवरयालु मिश्र और श्री एस. महालिंगम ने अब तक सभा के परीक्षा-मंत्री के पद पर काम किया है। स्व० श्री पीसपाटि सुब्बाराव ने भी तात्कालिक रूप से कुछ समय तक इस पद पर काम किया था।

सभा की 'विशारद', 'प्रवीण' व 'प्रचारक' परीक्षाओं को आन्ध्र, मद्रास, केरल व मैसूर की सरकारों ने मान्यता दी है, और इन राज्यों के स्कूलों में हिन्दी अध्यापक बनने के लिए इनमें उत्तीर्ण होना आवश्यक माना गया है।

केन्द्र-सरकार से भी शीघ्र ही इन परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त करने की कोशिश हो रही है। हमें आशा है कि जल्दी ही यह मान्यता मिल जाएगी, जिससे इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण लोग हिन्दी के द्वारा सरकारी काम चलाने के योग्य माने जाएँ।

*

दक्षिण में हिन्दी विद्यालय

दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का कार्य ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी बढ़ती गयी। यह भी सोचा गया कि दक्षिण में, जहाँ की भाषाएँ हिन्दी से सर्वथा भिन्न हैं, हिन्दीभाषी प्रान्तों से हिन्दी प्रचारकों को लाकर हिन्दी प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना कठिन ही नहीं, वरन् अव्यावहारिक भी है। यहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं को उत्तर भारत में हिन्दी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। किन्तु बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए सबसे उत्तम यही समझा गया कि दक्षिण भारत में ही कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए विद्यालय चलाये जाएँ।

इसलिए दक्षिण भारत का पहिला विद्यालय सन् 1922 में तमिलनाडु में कोयमुत्तूर ज़िले के ईरोड़ शहर में खोला गया। पं० अवधनंदन इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। उसी समय दूसरा विद्यालय आन्ध्र के राजमहेंद्री शहर में खोला गया। पं० हृषीकेश शर्मा तथा पं० रामानंद शर्मा इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे। इस विद्यालय में आन्ध्र के अनेक होनहार युवकों ने शिक्षा पायी, जिनमें सर्वश्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, सोमयाजी वेंकट शिवराम शर्मा, भट्टारम वेंकटसुब्बय्या, उन्नव वेंकट अप्पय्या वगैरह प्रमुख प्रचारकों के नाम उल्लेखनीय हैं।

उसके बाद सन् 1924 में मद्रास में एक केंद्रीय विद्यालय खोला गया, जो 1932 तक चलता रहा और जिसमें सभा की तब की सर्वोच्च परीक्षा 'राष्ट्रभाषा-विशारद' तथा 'हिन्दी प्रचारक सनद' की पढ़ाई होती रही। सर्वश्री पं० हृषीकेश शर्मा, पं० अवधनंदन, मो. सत्यनारायण, नागेश्वर मिश्र तथा अन्य प्रमुख प्रचारक अध्यापन का कार्य करते थे। इस विद्यालय में दक्षिण भारत भर के कई प्रमुख प्रचारकों ने शिक्षा पायी, जिनमें सर्वश्री एस. आर. शास्त्री, सिद्धनाथ पंत, चंद्रहासन, जी. सुब्रह्मण्यम, स्व० राघवाचारी, हिरण्मय, मधुगिरि नारायणाचार, पिंगल लाजपतिराय वगैरह मुख्य-मुख्य प्रचारक थे। यह विद्यालय काफ़ी सफल रहा।

1933 में मद्रास विद्यालय के साथ-साथ दक्षिण के चारों प्रान्तों में ये विद्यालय खोले गये :—

प्रान्त	शहर	प्रधान अध्यापक
तमिलनाडु	मन्नारगुड़ी	स्व० पं. रघुवरदयाल मिश्र
आन्ध्र	विजयवाड़ा	श्री भालचन्द्र आपटे
कर्नाटक	बेंगलूर	श्री रामानंद शर्मा
केरल	एरणाकुलम	श्री चन्द्रहासन

इनमें विजयवाड़ा विद्यालय में 'राष्ट्रभाषा विशारद' की पढ़ाई के साथ-साथ 'हिन्दी प्रचारक' उपाधि-परीक्षा के लिए भी दो सत्र चलाये गये। सर्वश्री पं० रामानंद शर्मा और पं० अवधनंदन विजयवाड़ा के हिन्दी प्रचारक विद्यालय के क्रमशः प्रधान अध्यापक रहे।

विजयवाड़ा विद्यालय ने आन्ध्र के दूसरे खेवे के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य प्रचारकों को शिक्षा प्रदान की। उनमें से अधिकतर प्रचारक आज तक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनमें सर्वश्री यलमंचिलि वेंकटेश्वर राव, स्व० कंचर्ले वेंकटकृष्णय्या, वारणासी राममूर्ति, पुट्टेबु

सत्यनारायणमूर्ति, पोट्लूरि नागभूषणम, गुंटुपल्लि राजगोपालम्, पल्लेकोंड़ वेंकटसुब्बय्या वगैरह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

स्थानीय रूप से और दीर्घ काल के लिए मद्रास तथा विजयवाड़ा में ही हिन्दी प्रचारक विद्यालय चले हैं। वैसे प्रादेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समय-समय पर आन्ध्र तथा दक्षिण के प्रायः सभी केंद्रों में हिन्दी प्रचारक विद्यालय चले हैं। उनका विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

कार्य-काल	स्थान	प्रधान अध्यापक
1938-1940	मद्रास	श्री भालचन्द्र आपटे
1940-41	धारवाड़	,, (1940)
1942	अनंतपुर	,,
1943-44	धारासुरम (तमिलनाडु)	श्री रामानंद शर्मा
1945-46	विजयवाड़ा	,,
1946-49	मद्रास	श्री भालचन्द्र आपटे
1949-58	तिरुच्चि	,, (1940 तक)
	,,	श्री चन्द्रमौली (1950 से 1957 तक)
	,,	श्री तेजनारायणलाल (1957 से)
1949-57	विजयवाड़ा	श्री क. म. शिवराम शर्मा (1949-52)
	,,	श्री सोमनाथ (1952-1953)
	,,	श्री भालचन्द्र आपटे (1953-56)
	,,	श्री तेजनारायणलाल (1956-57)
1951-58	हैदराबाद	श्री भालचन्द्र आपटे (1951)
	,,	श्री तेजनारायणलाल (1951-56)
	,,	श्री भालचन्द्र आपटे (1956-58)
1950-51	तिरुवनंतपुरम	श्री सोमनाथ
1950-52	चित्तूर	श्री श्रीकंठमूर्ति
1952-55	विद्यावन	श्री यलमंचिलि वेंकटेश्वरराव
1955-58	तेनाली	श्री बोयपाटि नागेश्वरराव
1957-58	विजयनगरम	श्री चिर्रावूरि सुब्रह्मण्यम

हिन्दी विशारद विद्यालय भी समय-समय पर आन्ध्र देश के विभिन्न स्थानों में चलाये गये :—

1941-42	अनंतपुर	श्री भालचन्द्र आपटे
1944-1946	कसनूर	श्री राघवेंद्रराव (1944)
	,,	श्री चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा (1945-46)
1945-46	विजयवाड़ा	श्री रामानंद शम
1946-47	कडपा	श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा (1946)
	,,	श्री पी. नारायण (1947)
1948-58	तेनाली	श्री बोयपाटि नागेश्वरराव

कार्य-काल	स्थान	प्रधान अध्यापक
1950-51	गांधीआश्रम (कोमरवोलु)	श्री सूरपनेनि सुब्बय्या (1950)
		श्री आ. राघवेन्द्र राव (1951)
1950-52	विनयाश्रम	श्री दशिक सूर्यप्रकाशराव
1950-53	वरंगल	श्री चंद्रभट्ट अप्पन्न शास्त्री
1950-52	अनकापल्लि	श्री दुव्वूरि कामेश्वराव (1950-51)
	,,	श्री कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा (1952)
1952-58	चित्तूर	,, (1952-54)
	,,	श्री अड़वि श्रीकृष्णमूर्ति (1954-58)
1950-53	राजमहेंद्री	श्री नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु
1955-58		श्री अट्लूरि रामाराव (1955)
		श्री के. सत्यनारायण (1956-58)
1955-58	विजयवाड़ा	श्री यलमंचिलि लक्ष्मय्या (1955)
		श्री के. सत्यनारायण (1956)
	,,	श्री मोटूरि वेंकटेश्वरराव (1956-1958)
1955-58	विजयनगरम	श्री चिर्रावूरि सुब्रह्मण्यम
1955-58	कर्नूल	श्री नं. शोभनाद्राचार्युलु (1955-1956)
		श्री पागा वेंकोबराव (1956-58)
1955-58	अनंतपुर	श्री टी बी. सुब्रह्मण्य शास्त्री
1956-58	ओंगोल	श्री डी. कामेश्वर राव

आंध्र प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों में निम्नलिखित प्रकार प्रवीण विद्यालय चल रहे हैं:—

	केन्द्र	प्रधान अध्यापक
1.	तणुकु	श्री मो. माणिक्यांबा देवी
2.	विजयवाड़ा	श्री वे. राधाकृष्णमूर्ति
3.	अनंतपुर	श्री चं. अप्पन्न शास्त्री
4.	तेनाली	श्री बोयपाटि नागेश्वरराव
5.	चित्तूर	श्री बी. वी. काशीराम शास्त्री
6.	राजमहेन्द्री	श्री के. सत्यनारायण
7.	कडपा	श्री टी. हनुमंत रेड्डी

—'भैया'

*

हिन्दी प्रचार में नाटक-प्रदर्शन का महत्व

(श्री आर. श्रीरामचन्द्र)

"काव्येषु नाटकं रम्यम्"—श्रव्य काव्य की अपेक्षा अत्यंत प्रभावोत्पादक होने के कारण दृश्य काव्य मानव हृदय में तुरंत आनंद उत्पन्न कर सकता है। श्रव्य काव्य का आधार अमूर्त है। इसलिए वह बोधगम्य नहीं है। दृश्य काव्य का आधार मूर्त है। मूर्त और प्रत्यक्ष ही का बोध साधारण मानव बुद्धि को आसानी से होता है। इसी कारण से काव्यों में नाटक रमणीय माना गया है।

सांसारिक यातनाओं से मानव-मन अधीर होता है। तब कोई न कोई मनोविनोद ही हृदय का भार उतार सकता है। प्राचीन काल से प्रत्येक भारतीय धर्म की शरण लेकर मानसिक शांति प्राप्त करने का यत्न करता आया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि ही भारतीय नाटक की रचना का मुख्य उद्देश्य माना गया है। वैदिक कर्मकांड तथा धार्मिक कर्तव्यों का प्रचार करने के लिए सामाजिक उत्सवों पर अभिनयात्मक नृत्य और संवाद का व्यवहार एक साधारण बात थी। जब नाटक-प्रदर्शन धर्म का प्रचार करने का एक साधन माना गया है, तब वह हिन्दी प्रचार का भी एक रचनात्मक साधन अवश्य माना जा सकता है।

जब से हिन्दी भाषा का ज्ञान, देश-प्रेम और देश-सेवा का प्रतीक माना गया, तब से आसेतु हिमाचल राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार का क्षेत्र फैलता गया। महात्मा गान्धी की अध्यक्षता में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की स्थापना हुई। दक्षिण में उसकी प्रांतीय शाखाएँ भी बन गयीं। बड़े पैमाने पर, हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के कार्य-क्रम में नाटक-प्रदर्शन भी एक प्रमुख साधन माना गया। अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कई सज्जन मनोविनोद के लिए नाटक-प्रदर्शन का विचार करके ही हिन्दी नाटक पढ़ने लगे। कुछ अभिनेता तो अपनी मातृ-भाषा में हिन्दी का संवाद लिख लेते थे। हिन्दी प्रचारकों को हिन्दी की लिपि सिखाते ही हिन्दी प्रेमियों में रुचि और उत्साह बनाये रखने के लिए स्व० द्विजेंद्रलाल राय के हिन्दी में अनूदित नाटक पढ़ाने की ज़बरदस्त आवश्यकता पड़ती थी। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने हिन्दी प्रचार में नाटक-प्रदर्शन का महत्व बताने के उद्देश्य से नाटक-प्रदर्शन की अंतरप्रांतीय स्पर्धा को प्रधानता दी। इस स्पर्धा से अभिनय करनेवाले हिन्दी प्रचारकों को प्रोत्साहन मिला।

जब आंध्र प्रांत में 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' की शाखा के रूप में 'आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ' की स्थापना हुई तब, उसके भूतपूर्व मंत्री स्व० पी. वें. सुब्बाराव जी ने कुछ हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी प्रचारकों को एकत्रित करके 'आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार नाटकदल' की स्थापना की। नाटक-प्रदर्शन के प्रति हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी प्रचारकों में इतनी रुचि उत्पन्न हुई कि वे बड़ी लगन के साथ नाटकदल के क्रिया-कलाप में भाग लेने लगे। मनोविनोद के लिए लालायित होना मानव मन का मनोवैज्ञानिक सत्य है। अहिन्दी प्रांतों के कई लोग अर्थ न मालूम होने पर भी मन बहलाने के लिए हिन्दी सिनिमा देखते हैं। हिन्दी फ़िल्म भी दक्षिण भारत की जनता में हिन्दी सीखने की रुचि उत्पन्न करके एक तरह से हिन्दी प्रचार में हाथ बँटा रहे हैं। इसी मनोविनोद की प्रेरणा से स्थानीय हिन्दी प्रेमी मंडलियों का ध्यान भी नाटक-प्रदर्शन की ओर खिंच गया। उनके कार्य-कलापों में नाटक-प्रदर्शन को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। कुछ हिन्दी प्रेमी-

मंडलों के नाटकदल हिन्दी नाटकों का अभिनय करने लगे। 1940 में आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार नाटकदल ने 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' के वार्षिकोत्सव के अवसर पर नाटक-प्रदर्शन की अंतरप्रांतीय स्पर्धा में भाग लेकर "शाहजहाँ" नाटक का अभिनय किया। पहले-पहल एलूर में अन्य नाटकदलों को नाटक-प्रदर्शन की स्पर्धा में 'आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार नाटकदल' ने हराया। सभा की तरफ़ से 'धूप-छाँह' (भाग्य-चक्र) नाटक का अभिनय किया गया। श्री भालचंद्र आपटे सूरदास पात्रधारी थे। 'सूरदास' के मधुर संगीत ने दर्शकों को मुग्ध कर दिया। फिर भी 'आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार नाटकदल' से प्रदर्शित 'शाहजहाँ' नाटक का ही हाथ ऊँचा रहा। शाहजहाँ के पात्रधारी श्री गा. सूर्यनारायण राव, औरंगज़ेब के पात्रधारी श्री वा. पद्मनाभम जहाँनारा के पात्रधारी श्री दाडी गोविन्द राजुलु, जसवंतसिंह के पात्रधारी श्री नं. रामकृष्ण राव, दारा के पात्रधारी श्री वो. वें. सिंगराचार्य, मुराद के पात्रधारी श्री चि. लक्ष्मीनारायण शर्मा, दिलदार के पात्रधारी श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या आदि के चतुर अभिनय के फलस्वरूप 'आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार नाटक दल' विजयी हुआ। इस लेख के लेखक को भी उक्त नाटक में मुहम्मद पात्र का अभिनय करने का मौका मिला। औरंगज़ेब के दरबार के दृश्य ने दर्शकों की आँखों में चकाचौंध पैदा कर दी। इसके बाद उसी नाटकदल के सदस्यों को फिर सफलता के साथ 'चन्द्रगुप्त' नाटक अभिनय करने का बहुत बड़ा श्रेय मिल गया।

नाटक-प्रदर्शन का महत्व यहाँ तक बढ़ गया कि हर एक हिन्दी-प्रेमी-मंडली के वार्षिकोत्सव के अवसर पर किसी न किसी नाटक का प्रदर्शन होने लगा। हिन्दी प्रेमी मंडलियों के सदस्य भले ही मंडल की बैठकों में भाग नहीं लेते हों नाटक-प्रदर्शन देखने के लिए तो अवश्य पधारते थे। इस प्रकार नाटक-प्रदर्शन ऐसे सज्जनों को आकृष्ट करता था; जिन्होंने हिन्दी की बारहखड़ी भी न सीखी थी। हिन्दी प्रेमी मंडल हिन्दी सीखनेवाले छोटे-छोटे लड़कों से हिन्दी नाटकों का प्रदर्शन कराते थे। आवश्यकता के अनुसार अभ्यास करने के कारण उनकी हिन्दी में शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण भी होता था। नाटक-प्रदर्शन को देखने पर विद्यार्थियों में हिन्दी सीखकर अभिनय करने की असीम रुचि उत्पन्न होती थी। राजमहेंद्री की स्थानिक हिन्दी प्रेमी मंडली के वार्षिकोत्सव के अवसर पर "एक ही क़ब्र में", "प्रायश्चित्त", "एक घूँट" आदि एकांकी नाटकों का अभिनय किया गया। श्री वे. आंजनेय शर्मा, श्री दि. सत्यनारायण, श्री चि. लक्ष्मीनारायण शर्मा तथा श्री वे. राधाकृष्णमूर्ति के साथ लेखक को भी नाटक-प्रदर्शन में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भीमवरम के हिन्दी प्रेमी दल की ओर से कुछ हिन्दी प्रेमी बड़ी सफलता के साथ "राजमुकुट" नाटक का अभिनय करते रहे।

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के मंत्री श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या और संगठक श्री वे. आंजनेय शर्मा, दोनों ने नाटक-प्रदर्शन को हिन्दी प्रचार कराने का एक प्रधान साधन बनाने का निश्चय किया। तुरंत आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ का एक नाटक-विभाग भी खुल गया। उस विभाग के कार्यकर्ताओं ने 'पुजारिन" और "देवदास" नाटकों का, अभिनय करने की पक्की तैयारी कर ली। सन् 1942 में कृष्णा ज़िला हिन्दी नाटक मंडली की स्थापना हुई; जिसने नये-नये कलाकारों को प्रोत्साहित किया। उसका पहला प्रदर्शन "मेवाड़-पतन" का था, जिसमें श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, श्री गुप्ता नरसिंहम, श्री पेरुमाळ्ळु, श्री यलमंचि लक्ष्मय्या, श्री चि. लक्ष्मीनारायण शर्मा, श्री अट्लूरि रामाराव, श्री मैनेप्पल्लि सीतारामय्या आदि ने अपनी-अपनी अभिनय-कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उक्त नाटक मंड लीने "महात्मा ईसा" और "राजमुकुट" का भी कई जगह सफलता-

अभिनय किया है, जिनमें सर्वश्री यलमंचलि वेंकटेश्वरराव, अडुसुमिल्लि कृष्णमूर्ति, कोल्लिपर रामचन्द्रय्या, काज वेंकटेश्वर राव, यलमंचिलि अर्जुनराव, अट्लूरि रामाराव, अट्लूरि राजय्या, कोडालि उमामहेश्वरराव, पोट्लूरि शिवन्नारायण, वल्लभनेनि सुब्बाराव, स्व० गुत्ता सुब्बाराव, मिक्किलिनेनि सुब्बाराव, पोट्लूरी नागभूषणम, पो. सुब्बाराव और पो. हनुमंत राव आदि ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है।

आंध्र राष्ट्र हिन्दी नाटक मंडली ने आंध्र रचयिता श्री चोडवरपु रामशेषय्या के हिन्दी नाटक "मंत्री रामय्या" का अभिनय जग्गय्यपेटा में प्रदर्शित कर बड़ी प्रशंसा प्राप्त की है। उक्त मंडली से तेलुगु नाटक "ईनाडु" का हिन्दी रूपान्तर "आज" नाटक भी विजयवाड़ा में सफलापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।

एलूरु की हिन्दी प्रेमी मंडली की तरफ़ से कई शहरों में 'शाहजहाँ' नाटक का प्रदर्शन किया गया है; जिसमें 'शाहजहाँ' पात्रधारी श्री शीलं ब्रह्मय्या का अभिनय देखते ही बनता है।

मछलीपटणम की बृन्दावन हिन्दी नाटक मंडली ने करीब सन् 1933 में ही 'उस पार' 'चन्द्रगुप्त' 'मेवाड़-पतन' आदि नाटकों का प्रदर्शन किया। उस मंडली की तरफ़ से 'चन्द्रगुप्त' में श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्याजी ने चाणक्य-पात्र का ऐसा सफल अभिनय किया कि स्व. प्रेमचन्द और श्री काका कालेलकर साहेब ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। उसी नाटक में दाडि गोविंदराजुलु नायुडु ने मुरा का और तोट वेंकटेश्वर राव ने हेलन का क्या ही अच्छा अभिनय किया था!

राजमहेंद्री, गणपवरम, अमलापुरम, नेद्याल, आदि शहरों में 'पुजारिन' का सफल अभिनय किया गया। नूज़िवीडु, एलूरु, पालकोल्लु, विजयवाडा, पेनुगोंडा, तेनाली, बापट्ला, चीराला, नेल्लूर, गूडुरु आदि शहरों में "देवदास" नाटक का भी बड़ी सफलता के साथ अभिनय किया गया। देवदास-पात्रधारी श्री वे. आंजनेयशर्मा ने त्यागमय प्रेम का, पार्वती-पात्रधारी श्री अट्लूरि रामाराव ने यथार्थ प्रेम का, चुन्नीलाल-पात्रधारी श्री वे. राधाकृष्णमूर्ति ने स्वार्थमय और बनावटी मित्रता का, बूढ़े ज़मीन्दार-पात्रधारी श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या ने सरस सहृदयता और रसिकता का, धर्मदास-पात्रधारी श्री चि. लक्ष्मीनारायण शर्मा ने देवदास के प्रति उत्तर-दायित्वपूर्ण प्रेम का अभिनय करने में अपनी प्रतिभा प्रकट की। इस प्रकार नाटक-प्रदर्शन के फलस्वरूप 'आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ' और स्थानीय हिन्दी प्रेमी मंडलों की संख्या बढ़ती गयी। सदस्यता-शुल्क और अनुदान के मद्दे बड़ी रक़म भी इकट्ठी होती रही।

अभिनेताओं को हिन्दी अभिनय करते देखकर और संवाद करते सुनकर अहिन्दी प्रांत के दर्शक मन की एकाग्रता के कारण हिन्दी शब्दों का ठीक उच्चारण सीख सकते हैं। नाटक-प्रदर्शन के महत्व का यह एक अच्छा फल है। जब नाटक-प्रदर्शन के साथ दर्शकों का मनोयोग होता है, तब वे भी हिन्दी सीखने की रुचि का अनुभव करते हैं। रुचि से प्रेरित होकर लगन के साथ अभिनय करने की तैयारी करने से हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी विद्यार्थियों की भाषा-संबन्धी योग्यता बढ़ सकती है। दर्शकों में हिन्दी प्रचार को आगे बढ़ाने की दिलचस्पी भी पैदा होती है। इस तरह नाटक-प्रदर्शन हिन्दी प्रचार के लिए अनुकूल और उत्साहपूर्ण वातावरण उत्पन्न कर सकता है। आये दिन हाइस्कूलों और विद्यालयों के वार्षिकोत्सवों के अवसर पर हिन्दी नाटक का प्रदर्शन अवश्य होता है। इसलिए हिन्दी प्रचार में रचनात्मक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी नाटक-प्रदर्शन का बहुत बड़ा महत्व स्पष्ट होता है।

*

उद्भवजी की अभिनयकुशलता

चाणक्य के वेष में उन्नवजी

दक्षिण की हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ

(श्री रा. शारंगपाणि)

महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित हिन्दी प्रचार आंदोलन जब दक्षिण में ज़ोर पकड़ने लगा तब उस आंदोलन के अग्रणियों को सहज ही आनंद होने लगा। उन्होंने अपने आनंद का अनुभव समस्त दक्षिण में फैले हुए अपने अन्यान्य साथियों और सहयोगियों के साथ ही करना चाहा।

प्रचारकों ने चाहा कि विभिन्न केन्द्रों में प्रचार की परिस्थितियों, प्रगति के विवरणों और अपने-अपने अनुभवों के संबन्ध में वे आपस में चर्चा करें और आगे का कार्यक्रम बनाने में उससे लाभ उठाएँ।

हिन्दी सीखनेवाले लोगों ने चाहा कि अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा हिन्दी की कुछ पत्र-पत्रिकाएँ भी पढ़ें और अपनी हिन्दी योग्यता बढ़ा लें।

प्रचार-आंदोलन के संचालकों ने अपनी सेवाओं को कुछ व्यापक, सबल एवं सामान्य रूप देने के लिए एक सक्षम साधन चाहा।

बस, सबों की इच्छाओं और माँगों की पूर्ति करते हुए प्रचार-आंदोलन को व्यापक एवं सामान्य रूप देकर पुष्ट करने के उद्देश्य से मद्रास से एक हिन्दी पत्रिका चलाने पर सब जगह ज़ोर दिया गया।

किसी आंदोलन की सिद्धियों पर उत्सव मनाना, उसकी प्रगति के विवरण प्रकाशित कर लोगों को प्रोत्साहित करना, खुले तौर पर उसकी समस्याओं की चर्चा करना, उसे एक सामान्य रूप देकर व्यापक बना देना, ये सब आखि़र प्रचारतंत्र के ही भिन्न-भिन्न पहलू होते हैं। और प्रचार-आंदोलन के लिए पत्रिका से बढ़कर सहज साधन और क्या हो सकता था? किसी भी सार्वजनिक आंदोलन के प्रचार-पक्ष के सबल साधनों में पत्रिका ही सर्वप्रथम होती है। और यह बात हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय, मद्रास, के अधिकारी, जिनके द्वारा ही उन दिनों दक्षिण में हिन्दी प्रचार का कार्य संचालित होता था, खूब जानते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत दूरदर्शिता के साथ निश्चय किया कि दक्षिण में हिन्दी प्रचार आंदोलन के पोषण के लिए मद्रास से एक हिन्दी पत्रिका चलायी जाए। फलस्वरूप, संवत् 1979 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन (जनवरी, 1923, में) मद्रास में 'हिन्दी प्रचारक' का जन्म हुआ।

वैसे तो 'हिन्दी प्रचारक' को दक्षिण से निकली पहली हिन्दी पत्रिका नहीं कहा जा सकता। उसके जन्म से क़रीब तीन साल पहले ही हिन्दुस्तानी सेवादल की तरफ़ से डॉक्टर एन. एस. हार्डिकर के संपादकत्व में 'स्वयंसेवक' नामक हिन्दी अंग्रेज़ी पत्रिका हुब्ली से निकलने लग गयी थी, जो क़रीब दस साल तक चलती रही। फिर उसी समय मद्रास के साहूकारपेट से कांग्रेस-प्रचार के लिए उत्साही हिन्दी विद्वान श्री क्षेमानंद राहत के संपादकत्व में निकले हिन्दी साप्ताहिक 'तिलक' का भी उल्लेख होना चाहिए।

यद्यपि ये पत्रिकाएँ कुछ पहले से चलने लगीं थीं, तथापि हिन्दी प्रचार के लिए संचालित दक्षिण की प्रथम हिन्दी पत्रिका होने का श्रेय 'हिन्दी प्रचारक' को ही मिल सकता है। सरलता और स्पष्टता से विभूषित 'प्रचारक' का वह प्रथमांक भी बहुत सुंदर निकला था। उसके सादे आवरण के मुख-पृष्ठ पर हिन्दी-हिन्दुस्तानी का झंडा लिये भारतमाता का एक साधारण रेखा-चित्र अंकित था, जो यह संकेत करता था कि हिन्दी भारतमाता की, याने भारतीय एकता की वाणी है। उसके

नीचे संपादक और प्रकाशक के नाम यों मुद्रित थे :—

संपादक :
हृषीकेश शर्मा तैलंग।
प्रकाशक :
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्यालय,
ट्रिप्लिकेन, मद्रास।

आवरण के भीतरी पृष्ठ पर 'हिन्दी प्रचारक' के तीन मुख्य उद्देश्य यों घोषित किये गये थे :— "1. दक्षिण भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी का प्रचार करना, 2. दक्षिण के आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन प्रांतों में ज़ोर-शोर से शांतिपूर्वक हिन्दी प्रचार का आंदोलन और संगठन करना, और 3. दक्षिण भारत के सरकारी तथा देशी राज्यों के स्कूल-कालेजों, विश्वविद्यालयों और जातीय संस्थाओं तथा समाजों के (प्रांतीय कार्यों को छोड़कर) देशव्यापी कार्यों में हिन्दी-हिन्दुस्तानी को उचित स्थान दिलाना।..." पत्रिका के उस प्रथमांक में प्रकाशित अपने शुभ संदेश में मातृसंस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, के तब के प्रधान मंत्री श्री व्रजराज ने दक्षिण में काम करनेवाले हिन्दी प्रचारकों से अपील की थी— "...उतना शक्तिशाली काम करें कि शीघ्र ही सम्मेलन को दक्षिण भारत में अपना काम समाप्त कर उन-उन प्रांतवासियों के हाथों में हिन्दी प्रचार का कार्य सौंपने का सुअवसर प्राप्त हो।..."

उपर्युक्त दोनों उद्धरण हिन्दी प्रचार आंदोलन की रीति-नीति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उद्धरण से स्पष्ट है कि दक्षिण में हिन्दी प्रचार आंदोलन का उद्देश्य आरंभ से ही यह रहा है कि संस्कृत के या अरबी-फ़ारसी के क्लिष्ट शब्दों से लदी शैलियों से बचकर सही राष्ट्रभाषा की सामान्य शैली ही का प्रचार करें, सो भी आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रान्तों में ही, और यह शांतिपूर्वक। इससे भी महत्वपूर्ण बात उस पहले उद्धरण के अंतिम खंड में है जहाँ स्पष्ट बतलाया गया है कि प्रान्तीय कार्यों को छोड़कर देशव्यापी कार्यों में हिन्दी-हिन्दुस्तानी को उचित स्थान दिलाना भी हिन्दी प्रचार आंदोलन का एक मुख्य उद्देश्य है। इससे स्पष्ट कर दिया गया था कि हिन्दी का प्रचार प्रांतीय भाषाओं के प्रतिद्वंद्वी माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि उनके सहायक, सेवक तथा पूरक माध्यम के रूप में ही होगा। यही कारण था कि उस घोषणा में प्रांतीय कार्यों को छोड़कर देशव्यापी कार्यों के लिए ही हिन्दी की आवश्यकता बतलायी गयी। दूसरे उद्धरण में, श्री व्रजराज की अपील शायद इस इच्छा से प्रेरित थी कि हिन्दी प्रचार आंदोलन पर कहीं साम्राज्यवाद का दोषारोपण न हो जाए। और यह कितनी दूरदर्शिता की बात ठहरी!

'हिन्दी प्रचारक' के घोषित उद्देश्य व्यापक ज़रूर थे, लेकिन उनके अनुसार कार्य का विकास तो धीरे-धीरे ही हो सका! इस विकास-क्रम को अनेकों अवधियों तथा अवस्थाओं में बाँट सकते हैं।

प्रारंभिक अवस्था में, याने सन् 1923 से 1926 तक, सभा के एक सुयोग्य एवं सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता पंडित हृषीकेश शर्मा ने 'हिन्दी प्रचारक' का संपादन किया। पंडितजी के संपादन-काल में प्रचारक को एक सुन्दर मासिक पत्रोचित रूप-रंग एवं विषय-विधान का ढाँचा मिला। शुरू में कुछ समय तक 'हिन्दी प्रचारक' पाक्षिक के रूप में, और कुछ समय तक बड़े आकार में निकलता था। उस समय सभा का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारतीय हिन्दी विद्यार्थियों के सम्मुख सरल हिन्दी साहित्य उपस्थित कर उनका हिन्दी ज्ञान बढ़ाने का था। तब के 'हिन्दी प्रचारक' में उत्तर भारतीयों के लेख पढ़ने को खूब मिला करते थे।

'प्रचारक' की दूसरी अवस्था में, याने 1927 से 1928 तक, पंडित देवदूत विद्यार्थी उसके संपादक रहे। इस दूसरी अवस्था में दक्षिण भारतीय हिन्दी प्रचारकों तथा विद्यार्थियों के लेख 'प्रचारक' में प्रकाशित होने लगे।

'प्रचारक' की तीसरी अवस्था 1928 से शुरू हुई। तब तक हिन्दी विद्यार्थियों के हिन्दी ज्ञान की वृद्धि करना 'हिन्दी प्रचारक' का प्रथम ध्येय रहा। लेकिन 1928 से 'हिन्दी प्रचारक' सचमुच 'प्रचारक' बनने लगा; तभी से उसमें आंदोलन के संगठन-संबन्धी समाचार भी प्रकाशित होने लगे। प्रचार-पक्ष को उपयोगी एवं सक्षम बनाने के विचार से उसमें एक अंग्रेज़ी विभाग भी जोड़ा गया। इस विभाग का सफल संपादन श्री डबल्यू. पी. इमेशियस द्वारा होने लगा जो उस समय सभा के प्रचार-मंत्री नियुक्त हुए थे। पत्रिका के हिन्दी विभाग का संपादन-कार्य श्री मोटूरि सत्यनारायण के कुशल हाथ में आ गया। इस प्रकार पाँच वर्ष समाप्त कर लेने पर 1928 में 'प्रचारक' पूरे अर्थ में दक्षिण भारतीयों का पत्र हो गया; क्योंकि उसमें लेख आदि तो उन दिनों दक्षिणियों के ही निकल रहे थे, और अब उसका संपादन भी दक्षिण भारतीयों के द्वारा होने लगा!

1931 से 'प्रचारक' का संपादन सभा के तब के प्रधान मंत्री श्री हरिहर शर्मा और प्रचार-मंत्री श्री मो. सत्यनारायण द्वारा होने लगा। बाद, इस संपादन-कार्य को और भी सुव्यवस्थित रूप देने के लिए सर्वश्री हरिहर शर्मा, हृषीकेश शर्मा, अवधनंदन, मो. सत्यनारायण और नागेश्वर मिश्र, इन पाँच लोगों का एक संपादक-मंडल नियुक्त हुआ।

तब तक उपयोगिता और व्यापकता की दृष्टि से 'हिन्दी प्रचारक' बहुत आगे बढ़ चुका था। सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विज्ञापन, सभा की परीक्षाओं के फल, तत्संबंधी सूचनाएँ, दक्षिण भारत के भिन्न-भिन्न केन्द्रों के हिन्दी विवरण, विद्वान लेखकों के प्रचार-संबंधी लेख अंग्रेज़ी और हिन्दी में, हिन्दी विद्यार्थियों और प्रेमियों के चित्र, सभा के वार्षिक कार्यविवरण तथा सब श्रेणियों के हिन्दी प्रेमियों के लिए उपयुक्त लेख, कहानियाँ आदि प्रकाशित कर 'हिन्दी प्रचारक' सभी दृष्टियों से सभा का 'मुख-पत्र' कहलाने योग्य हो गया था।

दस वर्ष समाप्त होने पर, 1933 में 'हिन्दी प्रचारक' का दशाब्दि-उत्सव मनाया गया। इस सिलसिले में 'विशाल भारत' के तब के संपादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदी की अध्यक्षता में ता. 27-4-1933 की शाम को मद्रास हिन्दी प्रचार विद्यालय में एक बड़ा समारोह हुआ जिसमें श्री वी. वी. श्रीनिवासय्यंगार, श्री रा. कृष्णमूर्ति 'कल्कि', डॉक्टर पी. वरदराजुलु नायुडु, श्री रुक्मिणी लक्ष्मीपति आदि अनेकों गण्य-मान्य नेताओं ने उपस्थित होकर 'प्रचारक' को बधाइयाँ दीं।

मद्रास हाईकोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वी. वी. श्रीनिवासय्यंगार ने उस अवसर पर अपने भाषण में कहा—"अंग्रेज़ी के राष्ट्रभाषा होने की आशा रखना अब नितांत असामयिक है; वह कभी हो नहीं सकती। बरछी के बल से ज़बरदस्ती करने पर भी आज वह असंभव है। अपनी निजी राष्ट्रभाषा के बिना कोई जनसमुदाय राष्ट्र नहीं कहला सकता।...ऐसी राष्ट्रभाषा का व्यापक प्रचार करने में 'हिन्दी प्रचारक' का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं उसकी उत्तरोत्तर उन्नति चाहता हूँ।"

दशाब्दि-उत्सव में अध्यक्षासन से भाषण करते हुए श्री बनारसीदासजी ने कहा—"थोड़े वर्षों के बाद ऐसा समय आनेवाला है जब हिन्दी प्रचारक तथा हिन्दी प्रचार सभा की आवश्यकता ही न रहेगी। उस समय आपकी यह सभा दक्षिण भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन का रूप धारण कर लेगी, और हिन्दी भाषा के ही नहीं, साहित्य के भी प्रचार में वह अपने जन्मदाता अखिल भारत हिन्दी साहित्य सम्मेलन से भी अधिक काम कर दिखाएगी।"

बनारसीदासजी का यह विचार दक्षिण के हिन्दी प्रचारकों के मन में ज़ोरों से काम करने लगा। तब तक उनका ध्यान मुख्यतया हिन्दी भाषा के प्रचार पर ही रहा करता था; तब से हिन्दी साहित्य के पठन-पाठन में भी वे दिल-चस्पी लेने लगे। फलस्वरूप साहित्य और संस्कृति के क्षेत्रों में उत्तर और दक्षिण के बीच

आदान-प्रदान-आंदोलन को अब विशेष प्रोत्साहन मिलने लगा। और यह प्रवृत्ति 'हिन्दी प्रचारक' के तब के अंकों में भी खूब प्रतिबिंबित होने लगी।

दक्षिण की साहित्यिक तथा सांकृतिक विशेषताओं के संबंध में 'हिन्दी प्रचारक' में कई लेख प्रकाशित होने लगे। लेकिन सभा की तरफ़ से इस प्रवृत्ति को उचित मान्यता एवं उपयुक्त रूप देने का प्रयत्न तो जनवरी, 1938, में ही किया गया जब कि सभा की ओर से 'दक्षिण भारत' नामक शुद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया। 'दक्षिण भारत' को शुरू करने के पहले दिसंबर, 1937, के अंक से 'हिन्दी प्रचारक' का प्रकाशन बंद किया गया था। 'दक्षिण भारत' का संपादन सर्वश्री काका कालेलकर, पट्टाभिसीतारामय्या, संजीव कामत, ए. रामय्यर, अवधनंदन, एन. सुंदरय्यर, आर. आर. दिवाकर, मो. सत्यनारायण और भालचंद्र आपटे, इन नौ विद्वानों के एक मंडल द्वारा होने लगा, जिसके अध्यक्ष थे श्री काका कालेलकर। थोड़े ही दिनों में 'दक्षिण भारत' दक्षिण के साहित्य और संस्कृति की हिन्दी वाणी बन गया। लेकिन हिन्दी में शुद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्र होने के कारण दक्षिण में उसका अधिक प्रचार नहीं हो सका। इसके अलावा, सभा को भी अपने मुख-पत्र और प्रचार-माध्यम 'हिन्दी प्रचारक' को बंद कर देने के कारण बहुत कठिनाई हो रही थी। ऐसी हालत में निश्चय किया गया कि 1939 से 'दक्षिण भारत' त्रैमासिक पत्र बना दिया जाए और प्रचार-माध्यम के तौर पर 'हिन्दी प्रचार समाचार' के नाम से एक मासिक का प्रकाशन शुरू किया जाए।

त्रैमासिक के रूप में 'दक्षिण भारत' बहुत समय तक नहीं चला; एक साल के अंदर ही बंद हो गया।

लेकिन, अब नवंबर, 1952, से 'दक्षिण भारत' फिर से मासिक के रूप में निकलने लगा है। उसका संपादन-कार्य आजकल श्री मो. सत्यनारायण और श्री ए. रमेश चौधरी के सुयोग्य हाथों में है। हिन्दी पत्र-जगत में आज वह दक्षिण के साहित्य और संस्कृति का दक्ष व्याख्याता ही नहीं, दाक्षिणात्यों की मौलिक हिन्दी रचनाओं का प्रसिद्ध परिचायक भी हो गया है। आधुनिक युग की अच्छी पत्रिका के अनेकों अंगों एवं स्तंभों से सुसज्जित होकर 'दक्षिण भारत' आज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उसके संपादक श्री मो. सत्यनाराण के समर्थ मार्ग-दर्शन में और उसके सह-संपादक श्री रमेश चौधरी के—जो स्वयं अच्छे पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार एवं नाटककार हैं—सफल संचालन में उसका उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित है।

1937 के अंत में 'हिन्दी प्रचारक' के बंद हो जाने के बाद दक्षिण में हिन्दी आंदोलन के समाचार के प्रसार का कोई सक्षम साधन नहीं रहा। 'दक्षिण भारत' शुद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका होने के कारण उसमें प्रचार-समाचार के प्रकाशन की गुंजाइश नहीं थी। दक्षिण भारत भर में फैले हुए हिन्दी के समस्त प्रचारकों, परीक्षार्थियों तथा प्रेमियों तक सभा की मुख्य-मुख्य सूचनाएँ भी समय पर पहुँचाने में कठिनाई होती थी। इस कारण सभा के संगठन में कुछ अवांछनीय शिथिलता आने लगी, तो सभा के संचालकगण सचेत हो गये। परिणामस्वरूप, सभा के प्रचार-माध्यम के तौर पर जनवरी, 1939, में 'हिन्दी प्रचारक' का पुनर्जन्म हुआ 'हिन्दी प्रचार समाचार' के नाम से। 'हिन्दी प्रचार समाचार' में उसके नाम के अनुरूप शुरू-शुरू में प्रचार-समाचार ही मुख्यतया प्रकाशित होता था; लेकिन जब 'दक्षिण भारत' का प्रकाशन बंद कर दिया गया, तो 'समाचार' में ही कुछ साहित्यिक तथा सांस्कृतिक सामग्री भी प्रकाशित होने लगी।

परंतु यह स्थिति बहुत समय तक न रह सकी; द्वितीय महायुद्ध के शुरू हो जाने के बाद

देश में अनेकों आवश्यक वस्तुओं की तरह कागज़ के मामले में भी महँगाई और तंगी की हालत दिन-ब-दिन बढ़ने लगी। 'हिन्दी प्रचार समाचार' को अच्छे कागज़ पर छापकर काफ़ी पृष्ठों और सज-धज के साथ प्रकाशित करना कठिन ही नहीं, असंभव भी हो गया। यही नहीं, लड़ाई के उन दिनों हिन्दी प्रचार सभा और उसके कार्यकर्ताओं को अंग्रेज़ी सरकार संशयात्मक दृष्टि से ही देखा करती थी। फिर, 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन के सिलसिले में सभा के प्राणस्वरूप प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायणजी को तब की विदेशी सरकार ने क़ैद कर वेलूर जेल में नज़रबंद कर दिया। ऐसी हालत में, सभा कुछ अनाथ-सी हो गयी; उसके सब कार्यकलाप मंद पड़ गये। इस दुर्दशा का प्रभाव सभा के मुख-पत्र 'हिन्दी प्रचार समाचार' पर भी खूब पड़ा। लाचारी की उस हालत में 'समाचार' बिना किसी सज-धज या आवरण या साहित्यिक लेख के ही निकलने लगा। सभा की अत्यावश्यक सूचनाओं का प्रचार मात्र उन दिनों उसका उद्देश्य रहा। धीरे-धीरे युद्ध की समाप्ति के साथ देश में कुछ राजनैतिक स्थिरता आने लगी, तो राष्ट्रीय सरकार की चर्चा भी चलने लगी। उस अनुकूल वातावरण में हिन्दी आंदोलन फिर से पनपने लगा। तब तक सत्यनारायणजी भी रिहा होकर सभा का काम फिर से संभालने लग गये। श्री रघुवरदयालुमिश्र, श्री के. जी. हरिदास, श्री एस. आर. शास्त्री, श्री भालचंद्र आपटे श्री पि. वेंकटाचल शर्मा आदि सभा के सुयोग्य एवं अनुभवी कार्यकर्ताओं ने उसके संपादन-कार्य में क्रम से योग दिया। फलस्वरूप, 'हिन्दी प्रचार समाचार' का विकास ज़ोरों से होने लगा। और तब देश की राजनैतिक गति-विधि के अनुकूल 'हिन्दी प्रचार समाचार' क़रीब एक साल तक 'हिन्दुस्तानी प्रचार' के नाम से भी निकलता था।

इस बीच में केन्द्र और प्रांतों में राष्ट्रीय सरकारें भी बन गयीं। तब हिन्दी आंदोलन की प्रगति के पथ पर कोई बाधा न रही। मद्रास की कांग्रेस सरकार के तब के मुख्य मंत्री श्री टंगटूरि प्रकाशम पंतुलु ने अपनी सरकार के प्रचार-विभाग की तरफ़ से एक हिन्दी मासिक पत्र भी चलाने का निश्चय किया। श्री मो. सत्यनारायण जी के सहयोग से मद्रास सरकार के उस मासिक पत्र 'दक्खिनी हिन्द' का प्रथम अंक जनवरी, 1947, में प्रकाशित हुआ। उसके संपादक थे हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान, सुयोग्य साहित्यसेवी और सुरुचिपूर्ण लेखक श्री रामानंद शर्मा।

दक्षिण के हिन्दी प्रचार क्षेत्र में श्री रामानंद शर्मा का व्यक्तित्व कई दृष्टियों से विशिष्ट रहा है। सच पूछा जाए, तो श्री रामानंद शर्मा व्यक्ति क्या हैं, स्वयं एक जंगम विद्यापीठ हैं, उच्च साहित्य के उत्तम संस्थान हैं। यह कहने में कोई विशेष अत्युक्ति नहीं कि साहित्यिकता उनकी एक संक्रामक विशिष्टता है। आज दक्षिण के हिन्दी प्रचार क्षेत्र के अनेकों अग्रगण्य अध्यापक और लेखक कभी-न-कभी श्री शर्मा जी के शिष्य रह चुके हैं। उन दिनों रामानंद जी दक्षिण में हिन्दी अध्यापकों की अपेक्षा हिन्दी लेखकों को तैयार करने में अधिक दिलचस्पी लेते थे। उनके शिष्यों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके कम-से-कम आठ-दस अच्छे लेख हिन्दी की प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित न हुए हों।

ऐसे सात्विक एवं सक्षम साहित्यिक और आलंकारिक एवं मधुर-मनोहर शैली के अद्वितीय लेखक श्री रामानंद शर्मा जब 'दक्खिनी हिन्द' के संपादक हुए, तो आश्चर्य नहीं कि वह पत्र सरकारी प्रचार से बढ़कर साहित्य एवं संस्कृति का प्रचार ज़ोरों से करने लगा। इस संपादन-कार्य में उनका सहायक रहने का सौभाग्य मुझे (इस लेख के लेखक को) मिला। उनके पास और साथ रहकर काम करते-करते मैं उनकी कार्यक्षमता, साहित्यिक रुचि और आलंकारिक शैली पर मुग्ध-मोहित हो गया; उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी। आज पत्रकारिता में मैं उन्हींको अपने गुरु मानता हूँ। अपने उन पूज्य गुरु और उनकी महानता को याद करता हूँ, तो

अपनी क्षुद्रता भी मुझे याद आती है। तब इस भावुक हृदय से भक्तिपूर्ण नम्रता और कृतज्ञता की वाणी आप-ही-आप ही निकलती है :—'तस्मै श्रीगुरवे नमः'।

रामानंदजी जैसे सुयोग्य संपादक के होते हुए भी 'दक्खिनी हिन्द' चिरंजीवी नहीं रह सका; सरकारी नीतियों की आँधी में पड़कर 1953 में उसने प्रकाशन-जगत से छुट्टी ली।

इस बीच में, शब्द-शिल्पी श्री रामानंद शर्मा की संक्रामक साहित्यिकता और प्रभावकारी पत्रकारिता की अमर ज्योति ने दक्षिण में अनेकों दीप जला दिये थे। दक्षिण के साहित्य और संस्कृति के विषय में हिन्दी में लिखने की आतुरता लोगों में बढ़ गयी थी। इसके परिणाम-स्वरूप दक्षिण के विभिन्न हिन्दी केन्द्रों से कितनी ही हस्तलिखित पत्रिकाएँ तथा मुद्रित पत्रिकाएँ निकलने लगीं! ओलवक्कोट के प्रचारक श्री बालकृष्णन तथा श्री पी. नारायण के संपादकत्व में प्रकाशित 'ललकार' एक वर्ष तक दक्षिण के हिन्दी साहित्य-जगत को सचमुच ललकारती ही रही!

उसके पहले ही केरल प्रांत से प्रकाशित हिन्दी पत्रिकाओं में श्री जी. नीलकण्ठन नायर के 'हिन्दी मित्र', श्री अभयंवेद की 'विश्वभारती', तिरुवितांकूर हिन्दी प्रचार सभा की 'राष्ट्रवाणी', श्री डी. विश्वनाथ मल्या के 'प्रताप' आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। इनमें, केरल की सर्वप्रथम हिन्दी पत्रिका के नाते 'हिन्दी मित्र' का नाम मशहूर हो गया है। संगठित रूप से अब 'मातृभूमि प्रकाशकों' की तरफ़ से गत 1956 से 'युग-प्रभात' नामक हिन्दी पाक्षिक का प्रकाशन होने लगा है। आधुनिक पत्रकारिता के अनेकों अंगों से आभूषित इस सचित्र पाक्षिक का संपादन श्री एन. वी. कृष्ण वारियर और श्री के. रवि वर्मा द्वारा बड़ी कुशलता के साथ हो रहा है। आज केरल प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा, एरणाकुलम, की तरफ़ से प्रकाशित हिन्दी मासिक 'केरल भारती' (संपादक : श्री एन. वेंकटेश्वरन) भी साहित्यिक आदान-प्रदान के सत्कार्य में लगी हुई है।

हैदराबाद का हिन्दी दैनिक पत्र 'हिन्दी मिलाप' तो काफ़ी मशहूर है ही। वहाँ से प्रकाशित 'दक्षिण भारती' (संपादक: पंडित भीष्मदेव), 'कल्पना' (संपादक: श्री आर्येन्द्र शर्मा) और 'अजंता' (हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा का प्रकाशन—संपादक: श्री वंशीधर विद्यालंकार) का भी इस सिलसिले में उल्लेख होना चाहिए। दक्षिण के हिन्दी क्षेत्र में साहित्यिक रुचि के संवर्द्धन में इनका भी प्रबल हाथ रहा है। विजयवाड़ा से प्रकाशित हिन्दी मासिक 'शिक्षक' ने श्री दोनेपूडि राजाराव के संपादकत्व में अक्टूबर, 1950, से मई, 1952, तक दक्षिण के हिन्दी विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों की बड़ी सेवा की। हिन्दी शिक्षा के क्षेत्र में आंध्र को विशेष रूप से प्रोत्साहित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था। अब पिछले साल से नास्तिकवाद के प्रचार के लिए विजयवाड़ा से 'इनसान' नामक मासिक पत्रिका श्री लवणम के संपादकत्व में निकल रही है।

कर्नाटक से प्रकाशित पत्रिकाओं में 'हिन्दी वाणी' (संपादक : श्री पी. आर. श्रीनिवासन) और कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा की 'भारतवाणी' (संपादक: श्री सिद्धनाथ पंत और श्री श्रीकंठमूर्ति) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 'हिन्दी वाणी' एक साल तक विद्यार्थी-जगत की सेवा करती रही। 'भारतवाणी' की गिनती अच्छी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिकाओं में होनी चाहिए।

तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा द्वारा तिरुच्चिरापल्ली से प्रकाशित 'हिन्दी पत्रिका' कई दृष्टियों से एक उच्च कोटि की शैक्षणिक पत्रिका ही नहीं, दक्षिण से प्रकाशित एक बहुत पुरानी हिन्दी-तमिल पत्रिका भी रही है। इसकी लोकप्रियता और सफलता का श्रेय मुख्यतया उसके पुराने संपादक श्री रघुवरदयालु मिश्र और प्रोफ़ेसर ए. रामय्यर को है। उसकी मुहावरेदार

भाषा, चुनी हुई हिन्दी-तमिल पर्यायवाची कहावतें, सटीक लेख, रोचक कहानियाँ आदि द्वारा श्री मिश्रजी ने 'हिन्दी पत्रिका' को बहुत लोकप्रिय बना दिया। बाद श्री अवधनंदन, श्री जी. सुब्रह्मण्यम, श्री एस. आर. शास्त्री आदि ने अपने कुशल संपादन द्वारा उसकी लोकप्रियता को अक्षुण्ण रखा है। बालोपयोगी हिन्दी मासिक के रूप में मद्रास से 'चन्दामामा' का सफल प्रकाशन दक्षिण की हिन्दी पत्रकारिता के लिए अत्यंत गर्व और गौरव की बात है। उसकी अपार लोकप्रियता हिन्दी जगत के लिए आश्चर्य की बात हो गयी है। मद्रास से प्रकाशित 'निर्मला' (संपादक : श्री विश्वनाथ और श्री पी. एल. त्रिपाठी) साहित्यिक आदान-प्रदान में हाथ बँटा रही है।

सामाजिक, धार्मिक या सांप्रदायिक सेवा और प्रचार के लिए प्रकाशित पत्रिकाओं में 'स्त्रीधर्म', 'अदिति', 'ब्रह्मविद्या', 'पूर्णबोध' 'नृसिंहप्रिया' आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 'स्त्रीधर्म' महिला-जगत की सेवा के लिए डॉक्टर मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, श्री शारदादेवी हृषीकेश आदि से संपादित एक बहुभाषी पत्रिका थी, जो कई वर्षों तक चली। श्री अरविन्दाश्रम, पुदुचेरी, की मासिक पत्रिका 'अदिति' बहुत गंभीर, ओजपूर्ण योग-संबन्धी है। 'ब्रह्मविद्या' का प्रकाशन क़रीब 1929 से थियोसोफ़िकल सोसाइटी, अड्यार-मद्रास, द्वारा कई साल तक होता रहा। मध्वसंप्रदाय के प्रचार के लिए श्री श्रीरंगम भीमाचार द्वारा संपादित 'पूर्णबोध' नामक पत्रिका हिन्दी और कन्नड़ भाषाओं में, लेकिन देवनागरी लिपि में, 1926 से क़रीब तीन साल तक निकलती थी। 'नृसिंहप्रिया' (संस्कृत-तमिल-हिन्दी मासिक पत्रिका) विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के प्रचार के लिए प्रोफ़ेसर ए. श्रीनिवासराघवन से संपादित होकर पुदुक्कोट्टै से प्रकाशित होती थी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दी को दक्षिण के राजनैतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक एवं सांप्रदायिक जीवन में भी किसी-न-किसी रूप में कभी-न-कभी कुछ-न-कुछ स्थान मिल चुका है, और दक्षिण की पत्रिकारिता भी उससे अछूती नहीं रही है।

1953 में 'दक्खिनी हिन्द' के बंद हो जाने पर मैं (इस लेख का लेखक) फिर सभा की सेवा में आ गया, और तब 'हिन्दी प्रचार समाचार' का संपादन-कार्य मुझे सौंपा गया। तब से 'समाचार' की वर्तमान अवस्था मानी जा सकती है। श्री रामानंद शर्मा के सहायक रहकर पत्रकारिता के संबन्ध में मैंने जो कुछ सीखा था, वह सब प्रयोग करके पत्रिका चलाने का अवसर तब से मुझे मिला। 'समाचार' में कुछ रोचक एवं उपयोगी स्तभों को जोड़कर उसकी सेवा के क्षेत्र और क्षमता का अधिकाधिक विकास-वर्द्धन करने पर विशेष ध्यान दिया गया, तो 'समाचार' की लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि दो-तीन साल के अंदर ही उसकी ग्राहक-संख्या बढ़कर तिगुनी हो गयी। इस प्रकार उसकी लोकप्रियता बढ़ाने में उसके 'प्रश्न और उत्तर' 'साहित्य-संसद', 'विचार-विमर्श', 'मधुवन', 'ग्रंथसार', 'गत मास की घटनाएँ, 'विज्ञान-वार्ता', 'सभा-समारोह' आदि कुछ स्तंभों का बहुत बड़ा हाथ रहा है।

इस स्तंभ योजना के संबंध में एक ज़रूरी बात याद रखने की है। पहले, हिन्दी पत्रकारिता में साहित्यिकता ही अधिक होती थी, सर्वांगीणता बहुत कम। पत्र-पत्रिकाओं में, यहाँ तक कि दैनिकों में भी, कबीर, सूर, तुलसी, रहीम, मीरा, प्रसाद, प्रेमचंद आदि की जितनी चर्चा होती थी, उतनी राजनैतिक, सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक या व्यापारिक संवादों और समस्याओं की नहीं। आज तो स्थिति बहुत-कुछ सुधर गयी है; तथापि पर्याप्त सुधार अब तक भी नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज भारत में 1254 पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी में प्रकाशित होती हैं; लेकिन उनमें खेल-कूद, विज्ञान, कला, विधि और सार्वजनिक प्रशासन के विषयों पर प्रकाशित होनेवाली पत्रिका

कोई नहीं है। अन्य विषयों के बीच इनको महत्वपूर्ण स्थान देनेवाली पत्रिकाएँ भी नहीं हैं। यह केवल चिन्ताजनक नहीं, शोचनीय विषय भी है। जिस भाषा को हमारे संविधान में राजभाषा की उपाधि दे दी गयी है, उसमें ऐसी कमी का होना शुभसूचक नहीं है। राजभाषा के रूप में हिन्दी की स्वीकृति के बाद हिन्दी पत्रकारों और पत्र-पत्रिकाओं पर कुछ विशेष उत्तरदायित्व आ पड़ा है। विधि और प्रशासन के लिए आवश्यक, सक्षम एवं सुबोध पारिभाषिक शब्दों का परिचलन जब तक देश में सर्वत्र ही सहज-संभव नहीं किया जाएगा, तब तक राजभाषा हिन्दी की स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। विधि और प्रशासन के मामलों में एक-एक शब्द के चार-चार अर्थ नहीं हो सकते। इसलिए पारिभाषिक शब्दों की गठन तथा परिचलन जितना मुख्य होता है, उतना ही मुख्य है उनका स्तरीकरण भी। इसलिए, इस दिशा में भी हिन्दी की थोड़ी बहुत सेवा करने के विचार से ही 'समाचार' की वर्तमान स्तंभ-योजना बनायी गयी है।

आज 'समाचार' जो कुछ है, वह सर्वविदित है; उसकी विशेषताओं के संबंध में मैं स्वयं कुछ कहना नहीं चाहता। अगर उसमें कुछ प्रशंसनीय अंश हो, तो उसका श्रेय मेरे प्रख्यात प्रधान तथा महान मार्गदर्शक श्री मोटूरि सत्यनारायणजी को, मेरे पूज्य गुरुदेव श्री रामानंद शर्मा को, मेरे समर्थ सहयोगी श्री गुप्ता नारायणदास को और 'समाचार' के कुशल लेखकों को है; उसकी सब त्रुटियों के लिए मैं स्वयं ज़िम्मेवार हूँ, और उनके लिए अत्यंत नम्रतापूर्ण क्षमा-याचना के सिवा और क्या करूँ?

संभव है कि इस लेख में दक्षिण की कुछ और मुख्य हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख छूट गया हो। छूट का कारण मेरी अधूरी जानकारी ही है, न कि किसीके प्रति अनादर का भाव। अतः अपनी इस कमी के लिए भी मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

* * *

दूसरा भाग

(इस भाग के सभी लेखों के लेखक हैं श्री मोटूरि सत्यनारायण।)

राष्ट्रसेवी दंपति—सभा के प्राण

श्री मोटूरि सत्यनारायण और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सूर्यकान्ता देवी

जिनका मंगलमय संयोग दक्षिण में राष्ट्रभाषा-प्रचार-आंदोलन की श्रीवृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की संवृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

राष्ट्रसेवी परिवार के बीच राष्ट्रपति

राष्ट्रसेवी श्री सत्यनारायणजी के परिवार के साथ राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद का वात्सल्यपूर्ण संबंध है। चित्र में राष्ट्रपति के बायीं तरफ़ श्री सत्यनारायणजी और दायीं तरफ़ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सूर्यकांता देवी बैठे हुए दर्शित हैं। पीछे और आगे उनके पुत्र-पुत्रियाँ हैं। (बायीं ओर से)—पीछे 1. कु. उषा, 2. चि. कृष्ण मोहन, और 3. कु. ज्योत्स्ना खड़े हैं। आगे 1. चि. रवि, 2. चि. प्रताप, 3. कु. कस्तूरी, और 4. कु. सुजाता घुटने टेके बैठी हैं।

*प्रजातंत्र भारत में भाषावार राज्य

भारत एक बहुत बड़ा भूखंड है। दो खंडों में विभाजित होने पर भी आज इसकी आबादी चीन को छोड़कर दुनियाँ के किसी भी देश से कम नहीं है। इसकी आबादी रूस और अमेरिका दोनों की मिली हुई आबादी से भी बड़ी है। 1951 की मर्दुमशुमारी के अनुसार 36,12,61,624 मनुष्य इस देश में रहते हैं। यह 1,22,17,200 वर्ग मीलों में बँटा हुआ है। इस देश में सभी तरह की आबहवा मिलती है और बहुत पुरानी जाति के लोग रहते हैं।

हमारा देश जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी-बड़ी समस्याएँ भी हमारे सामने हैं। अब तक इस देश के सामने हिन्दू-मुसलमानों का सांप्रदायिक संघर्ष एक बहुत बड़ी समस्या था। लाख कोशिश करने पर भी हम उसे हल नहीं कर पाये। आखिर उसका हल हमें अपने देश को मुसलमान-हिन्दुस्तान और हिन्दू-हिन्दुस्तान के तौर पर दो खंडों में विभाजित करने से ही मिला।

सांप्रदायिक संघर्ष के बाद हमारे देश में भाषा की समस्या को लेकर काफ़ी वाद-विवाद शुरू हुआ। बहुत बड़ा देश होने के कारण यह स्वाभाविक है कि हमारे देश के लोग अपने-अपने प्रदेशों में अपनी-अपनी भाषाएँ बोलें और ये भाषाएँ मुहावरा, ध्वनि, रचना को लेकर एक-दूसरे से अलग हों। पिछले 50 वर्षों से हमने अपनी भाषाओं को ज़्यादा सुगठित और प्रामाणिक बनाने का प्रयत्न किया। हम आज सर जार्ज ग्रियर्सन की रिपोर्ट में बतायी सैकड़ों भाषाओं के बीच में बँटे हुए नहीं हैं। हमारे देश में आज कुल 12 भाषाएँ हैं। प्राचीनतम भाषा संस्कृत तथा जगह-जगह फैली हुई अन्य भाषाएँ और उर्दू को मिलाकर कुल 14 भाषाओं को हमने माना है। यही मान्यता संविधान की अष्टम सूची में दर्ज है। संविधान-सभा ने भारत की प्रादेशिक भाषाओं के तथा संघ-सरकार की भाषा के बीच का जो संबन्ध तथा संघ-सरकार की भाषा तथा प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग का जो निर्णय किया, उसका ब्यौरेवार उल्लेख विधान के 17 वें अध्याय में दिया गया है।

वैसे तो भाषा एक साधनमात्र है। उसके द्वारा एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बोलने की सुविधा मिलती है। हमारे जीवन में प्रायः सभी क्षेत्रों में इस सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। एक-दूसरे की भाषा को समझने की सुविधा से हम एक-दूसरे के नज़दीक आते हैं। जो हमारे नज़दीक होते हैं और हमारी भाषा समझते हैं, उन्हें हम अपने भाई की तरह मानते हैं और उसके अनुसार हम अपना पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक गठ-बन्धन कर लेते हैं। अगर हमारे देश के लोग सहज ही सभी प्रदेशों में समझी जानेवाली किसी एक भाषा को अपनी प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ समझ लेते, तो भाषा के प्रश्न को लेकर हमारे देश में इतनी चखचख नहीं होती। पता नहीं, वह ज़माना कब आयेगा जब कि इस देश के निवासी अपनी भाषा के साथ-साथ देश की सामान्य भाषा को भी समझ सकें। ऐसा प्रयत्न तो हम लोगों का 50 वर्षों से जारी है। लेकिन वांछित परिणाम के अनुपात में जितनी सफलता की उम्मीद थी, अब तक हमको नहीं मिली। इस बीच में मराठी, गुजराती, बंगला, हिन्दी, पंजाबी आदि पड़ोसी भाषाओं और संघ की भाषा हिन्दी के बीच में प्रतिदिन संघर्ष चलता आ रहा है।

---

* इस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित ये छहों लेख 1953 के 'दक्षिण भारत' के कुछ अंकों से उद्धृत हैं।

बंगाली और बिहारी अपने प्रदेश की सरहद के निर्णय के बारे में बहुत पुराना झगड़ा जारी किये हुए हैं। पंजाबी और हिन्दी के बीच में झगड़ा कम नहीं हो रहा है। हिन्दी और मराठी के बारे में मध्यप्रदेश के कार्यकर्ताओं में हमेशा कानाफूसी रहती है। सिरोही के मसले को लेकर राजस्थान तथा गुजरात के बीच में कम झगड़ा नहीं है।

तमिल और तेलुगु के बीच में झगड़ा बहुत ही पुराना है, जिसके फलस्वरूप आन्ध्र के लोग अपना प्रान्त अलग कराना चाहते हैं; कर्नाटक और मराठी सदियों से पड़ोसी होने पर भी आज अपने-अपने हक़ों के बारे में ऐसे जागरूक हैं कि समय आवे तो लड़ पड़ें। कन्नड़ तथा तेलुगु लोगों के बीच में बल्लारी ज़िले को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ, वह अब तक शान्त नहीं हुआ है। क्या, भाषा हमें अपनेजीवन की सुविधा के लिए और सेवा के साधन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों के साथ झगड़ा करने के लिए भी चाहिए?

अगर हमें एक की जगह दो भाषाएँ मालूम हों और दोनों के द्वारा हम अपने तथा अपने समाज की सेवा कर सकते हों, तो क्या नुक़सान होगा? हम इतने अनुदार क्यों हैं कि अपने पड़ोसियों को, जो हमसे भिन्न भाषा बोलते हैं, अपनेसे जुदा समझते हैं? हम उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में क्यों मिलाना चाहते हैं, जो भाषा के अनुसार हम समझते हैं कि हमें मिल सकता है? इसके अवश्य कुछ कारण होंगे। इस मनोवृत्ति की वजह से जो अवांछनीय मनोमालिन्य पैदा हो रहा है, उसे दूर करना हमारा धर्म है। उन कारणों में एक प्रधान कारण यह हो सकता है कि भाषा के द्वारा हम अपने देश के प्रजातन्त्र का संगठन करना चाहते हैं और चूँकि हमारे क्षेत्र की प्रजा एक ख़ास भाषा बोलती है, इसलिए इसके संगठन में उसका क्षेत्र द्विभाषी क्षेत्र हो, तो निश्चित नेतृत्व के अन्दर नहीं आ सकता। इसलिए हमें अपने क्षेत्र को अपनी भाषा से बाँधना चाहिए। एक दूसरा कारण यह हो सकता है कि चूँकि हमारे राज्य की आमदनी कम है, इससे द्विभाषी प्रान्तों की मिश्रित भाषा-भाषी जनता को भी अपने राज्य के अन्दर मिलायें, तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है और उस आमदनी के द्वारा जनता का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमें अपनी-अपनी भाषा का राज्य क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। एक तीसरा कारण यह है कि हम प्रजातंत्र का मतलब संख्या मानने लग गये हैं। संख्या में हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब तक ज़्यादा संख्या में हमारे आदमी न हों तब तक राजकीय सत्ता हमें नहीं मिल सकती। पिछले चुनाव में तो देखा गया कि प्रजातंत्र की बुनियाद में संख्या का बल क्या है। इस तरह अपनी तथा अपने हिमायतियों की संख्या बढ़ाने की मनोवृत्ति भाषा क्षेत्र में भी आ गयी है। अगर किसी भाषा के बोलनेवाले ज़्यादा संख्या में मिलें, तो वे अपनेको बलवान मानते हैं। हम चूँकि मानते हैं कि मातृभाषा के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, इसलिए इसके द्वारा अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं या शायद हमारी भाषा के झगड़े में किसी जगह पर तीनों कारण मौजूद हैं, तो किसी जगह पर दो और किसी जगह पर एक। हाँ, संख्या का मोह सबसे बलवान है।

जब हम प्रदेश का मतलब देश में रहनेवाली जनता से मानते हैं, तो यह ठीक ही है कि देशवासियों की संख्या को प्रधानता दें। लेकिन इस प्रधानता का उद्देश्य सेवा होना चाहिए, शोषण नहीं। जब तक जनतंत्र पर आधारित संविधान के अनुसार राजनैतिक नेता सत्ता प्राप्त करते हैं, और यह सत्ता, फ़रक चाहे जितना नगण्य हो, अधिकसंख्यक तथा अल्प-संख्यक मतों के ऊपर निर्भर है, तब तक संख्या की प्रधानता रहेगी ही। पता नहीं कि जनतंत्र में संख्या का महत्व कभी घटेगा कि नहीं। अतः संख्या की उपेक्षा करना वर्तमान राजनैतिक क्षेत्र में असंभव है।

हमारा देश इस समय 29 राज्यों में बँटा हुआ है और इन 29 राज्यों में 12 भाषाएँ प्रचलित हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनमें एक ही भाषा को मान्यता मिली है, कुछ में दो को, कुछ में तीन को और कुछ में चार को। भारत के राज्यों का और उनकी भाषाओं का ब्यौरा यों है :—

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या	भाषाएँ
उत्तर प्रदेश	1,12,523	6,32,54,118	हिन्दी
बिहार	70,368	4,02,18,916	,,
बंबई	1,15,570	3,59,43,559	मराठी, गुजराती, कन्नड़
मद्रास	1,27,768	5,69,52,332	तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम
मध्य प्रदेश	1,30,323	2,13,27,898	हिन्दी तथा मराठी
पंजाब	37,428	1,26,38,611	पंजाबी
पश्चिमी बंगाल	29,476	2,47,86,683	बंगला
उडीसा	59,869	1,46,44,293	उड़िया
आसाम	54,084	91,29,442	असामी
राजस्थान	1,28,424	1,52,97,979	हिन्दी
मध्यभारत	46,710	79,41,642	,,
विंध्य प्रदेश	24,600	35,77,431	,,
भोपाल	6,921	8,38,107	,,
सौराष्ट्र	21,062	41,36,005	गुजराती
कच्छ	8,461	5,67,825	,,
जम्मू-कश्मीर	82,258	43,70,000	कश्मीरी
मैसूर	29,458	90,71,678	कन्नड़
हैदराबाद	82,313	1,86,52,964	तेलुगु, मराठी, कन्नड़
तिरुवितांकूर-कोचि	9,155	92,65,157	मलयालम, तमिल
हिमाचल प्रदेश	10,600	9,89,437	हिन्दी तथा पंजाबी
पेप्सू	10,099	34,68,631	पंजाबी
दिल्ली	574	17,43,992	हिन्दी
अजमेर	2,425	6,92,506	,,
सिक्किम	2,745	1,35,646	हिन्दी
कूर्ग	1,593	2,29,255	कन्नड़
बिलासपुर	453	1,27,566	हिन्दी
अंदमान-निकोबार	3,143	30,963	,,
त्रिपुरा	4,049	6,49,930	बंगला
मणिपुर	8,620	5,79,058	असामी

ऊपर के आँकड़े अगर फिर भाषावार बाँटे जायें, तो परिणाम लगभग इस प्रकार होगा :—

भाषा	जनसंख्या
हिन्दी	15 करोड़ 50 लाख
तेलुगु	3 ,, 20 ,,
मराठी	3 ,, 0 ,,
तमिल	2 ,, 80 ,,
बंगला	2 ,, 56 ,,
कन्नड़	2 ,, 0 ,,
उड़िया	1 ,, 50 ,,
पंजाबी	1 ,, 40 ,,
गुजराती	1 ,, 30 ,,
मलयालम	1 ,, 40 ,,
असामी, मणिपुरी	1 ,, 0 ,,
कश्मीरी	44 ,,
	36 करोड़ 10 लाख

जब भाषावर राज्य बनेंगे, जैसा कि इस वक्त माँग की जा रही है, और उपरोक्त संख्या के अनुसार राज्य बनाये जायँगे, तो इसका यह मलतब नहीं कि उन राज्यों में दूसरे भाषा-भाषी नहीं रहेंगे। भाषावार प्रान्त जब बनेंगे, तो उन द्विभाषियों को भी अपनी प्रादेशिक भाषा को ही मानना पड़ेगा और उसीमें कारोबार चलाना पड़ेगा—ऐसा एक मत है। दूसरा मत यह है कि प्रत्येक भाषा-भाषी को अपनी मातृभाषा का उपयोग करने का हक भी रहेगा, बशर्ते कि उनकी तादाद काफ़ी हो। मिसाल के लिए दक्षिण भारत को ही ले लिया जाय। कन्नड़, तेलुगु, तमिल तथा केरल प्रान्तों में अपने पड़ोसी प्रान्तों के भाषा-भाषी काफ़ी तादाद में बसे हुए हैं। हाँ, वे बिखरे हुए अवश्य हैं, जैसे कि मैसूर में करीब 25 फ़ी सदी ग़ैर-कन्नड़ी हैं। केरल में करीब 15 फ़ी सदी गैर-मलयाली हैं। तमिलनाडु में करीब पचास लाख गैर तमिल हैं। आन्ध्र में काफ़ी तादाद में तमिल और कन्नड़ी हैं। इससे यह स्पष्ट है कि इसके पहले भाषा का कोई सवाल नहीं था। जीविका के सवाल ने लोगों को दूसरे प्रान्तों में बसने को बाध्य किया था। इतिहास की घटनाओं ने भी बाज़ाब्ता भाषावार प्रान्तों को बनने नहीं दिया।

प्रजातंत्र में राजसत्ता प्राप्त करने के लिए तथाकथित प्रजासेवकों की इच्छा जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे नयी समस्याएँ भी पैदा होती जाती हैं, जिनमें सबसे बड़ी और ज़्यादा उलझी हुई समस्या आजकल भाषा की है।

ऊपर के आंकड़ों से मालूम होता है कि ऐसे राज्यों की संख्या जिन्होंने हिन्दी अपनी प्रादेशिक भाषा मान ली है कुल 11 हैं और उनकी जन-संख्या साढ़े पन्द्रह करोड़ है। बाकी 21 करोड़ लोग 11 भाषाओं तथा 18 राज्यों के बीच में बँटे हुए हैं। इनमें अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाय, तो असाम की संख्या सबसे छोटी है—करीब एक करोड़ की है; उसके बाद उड़िया की; गुजराती और मलयालम डेढ़ करोड़ से भी कम; उसके बाद बाकी भाषाओं की। फ़र्ज किया जाय कि हरेक प्रांत ने अपना-अपना काम अपनी-अपनी प्रांतीय भाषा में चलाना शुरू कर दिया, लोगों के बीच में अपनी प्रांतीय भाषा की आत्मीयता इतनी बढ़ गयी कि वे अपने-अपने प्रांत के लिए अधिक-से-अधिक सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करने लगे और ऐसी आत्मीयता हिन्दी भाषा-भाषियों में भी उतनी ही मात्रा में आ गयी जितनी कि दूसरे प्रांतों में हैं, तब क्या होगा? क्या हिन्दी के सामने दूसरी भाषाएँ टिक सकेंगी? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें पाना हो, तो पार्लमेंट का ही उदाहरण ले सकते हैं। वर्तमान पार्लमेंट के कुल सदस्यों की संख्या इस वक्त कोई 485 है, वे नीचे लिखे अनुसार भाषावार बँटे

हिन्दी	...	210
तेलुगु	...	43
मराठी	...	40
तमिल	...	37
बंगला	...	34
कन्नड़	...	26
पंजाबी	...	20
उड़िया	...	20
मलयालम	...	18
गुजराती	...	17
असामी	...	14
कश्मीरी	...	6

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि कोई बड़े-बड़े पाँच प्रान्त मिल करके भी हिन्दी प्रदेश के बराबर नहीं हो सकते। यह ज़ाहिर है कि पार्लमेंट में ही सारी राजसत्ता निहित है। उसी से सब क़ानून निकलते हैं और उसी के द्वारा सारा शासन चलता है, सभी राज्यों को शक्ति और मदद प्राप्त होती है। उस हालत में भाषावार बँटे हुए भारत में अपनी-अपनी भाषा की आत्मीयता के साथ राज्यों के प्रतिनिधि प्रत्येक वस्तु को भिन्न देखने लगें, तो हमारा सारा राजनैतिक जीवन बहुत ही कठिन, कलुषित तथा दुखदायी हो जायगा।

हिन्दुस्तान में दक्षिण भारत ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भाषाओं का अधिक-से-अधिक झगड़ा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी भाषा-भाषी प्रान्तों से ही भाषावार राज्यों के बँटवारे की माँग है। अगर भाषावार राज्य इन भाषा-भाषियों के लिए बन जायँ, तो इस समय बंबई, मैसूर, तिरुवितांकूर-कोचि, मद्रास, कुर्ग, हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश कुल 7 राज्यों के स्थान पर चार राज्य हो जाएँगे और एक-एक राज्य की जनसंख्या डेढ़ करोड़ और तीन करोड़ों के बीच में रहेगी। यह माँग बहुत पुरानी है। इस माँग को सकारण मानकर महात्मा गाँधी तथा कांग्रेस ने भी यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिए वादा किया था। लेकिन इस बीच में ही अपनी-अपनी सरहदों के और बंबई, मद्रास जैसे शहरों के ऊपर अधिकारों के प्रश्न को लेकर इतने झगड़े उठ खड़े हुए कि इस सवाल को हाथ में लेते ही हमारे देश के नेता भयभीत हो रहे हैं। इस स्थिति के लिए वे ही लोग जिम्मेवार हैं जो भाषावार राज्यों की माँग करते हैं। इस झगड़े की बुनियाद को दूर करना उतना ही आवश्यक है जितना कि भाषावार राज्य स्थापित करना। यह काम कौन करे? हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर इस समस्या के हल की ज़िम्मेदारी डालना तो बहुत ही अनुचित है।

तनिक इस बात पर भी विचार किया जाय कि क्या हमारे लिए यह अत्यावश्यक है कि हम अपने को एकभाषा-भाषी एकाइयों में बाँट ही लें? क्या अपने सफल राजनैतिक जीवन के लिए और देश के आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास के लिए एकभाषा-भाषी प्रान्त लाभकारी सिद्ध होंगे? एक प्रान्त में दो-तीन भाषा-भाषी निवासियों के होने से क्या झगड़ा बढ़ता ही रहेगा? इसपर भी हमें अवश्य सोच लेना चाहिए। हमारा देश बहुभाषा-भाषी है; बहुभाषा-भाषी ही रहेगा। भाषाओं को मिटाकर उसे एकभाषा-भाषी बनाना असंभव ही नहीं, पागलपन है। अपनी भाषा के प्रति प्रेम दर्शाने के लिए दूसरी भाषा पर द्वेष व्यक्त करने की मनोवृत्ति भी देश के लिए विघातक है। लेकिन किया क्या जाय? एक-एक राज्य के लिए चार-चार भाषाओं में शासन-कार्य चलाना भी तो मुश्किल है। देश-भर के लोगों की एक आम भाषा जब तक न हो, तब तक इस मसले को रोक रखना भी हानिकारक है। इसलिए कोई उपाय करना अत्यावश्यक है। वास्तव में हमारी इन दिक़्क़तों के मूल में ही एक बहुत बड़ी अड़चन है सत्ता प्राप्त करने की जल्दबाज़ी। यह कैसे कहा जाय कि जिन राज्यों में भाषा की एकता है, वे विकास के पथ पर अग्रसर हैं। उड़ियावालों को अपना राज्य मिले सोलह साल हो गये। इससे उस भाषा की कितनी वृद्धि हुई और उस भाषा का उपयोग उस राज्य के शासन-कार्य में कहाँ तक हो रहा है? बँगला और असामी भाषाओं के भी अपने-अपने राज्य क़ायम हैं। उनको कहाँ तक लाभ मिला? क्या ये भाषाएँ अन्य भाषाओं से कहीं आगे बढ़ी हैं? हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं की स्थिति क़रीब-करीब एक-सी है। आज भी सब जगह अँग्रेज़ी ही राज कर रही है। शासन के कार्य के लिए हम अपनी भाषा का नाम लेते हैं, लेकिन सुविधा अंग्रेज़ी का ही उपयोग करने में है। भाषावार नये प्रान्त बन जाने से तुरन्त ही किसी भाषा को नया पद मिल सकता हो, सो बात नहीं। अतः भाषावार प्रान्त के पहले देशीय भाषाओं की तरक़्क़ी पर विचार करना अत्यावश्यक है।

यह भी ज़रूरी है कि हम देशी भाषाओं की तरक़्क़ी पर एकसाथ विचार करें और उन्हें इस लायक़ बनावें जिससे कि वे अंग्रेज़ी का स्थान ही नहीं, बल्कि हमारे सारे कार्यों को चलाने के लिये संपन्न माध्यम बन सकें।

सब से पहले अपने पड़ोसी भाषा-भाषियों के प्रति प्रेम और सम्मान की, सब भाषाओं के स्तर को एक ही मानने की, और हिन्दुस्तान की सभी भाषाएँ अपनी ही हैं, ऐसा समझने की मनोवृत्ति का प्रत्येक भारतवासी में पैदा होना अत्यावश्यक है। ऐसी भावना सिर्फ़ उपदेश से या सदिच्छा से ही पैदा नहीं होगी, बल्कि भाषाओं के सामूहिक विकास की योजना के कार्यक्रम से ही बन सकती है। यह स्पष्ट है कि अलग-अलग भाषा-इकाइयों से जितना फ़ायदा होगा, उतना न हो तो कुछ-न-कुछ नुक़सान अवश्य होगा। इसे दूर करना हो तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक भाषा की इकाई में ऐसे द्विभाषा-भाषियों को भी स्थान दें जिससे कि हमें अपने पड़ोसियों के प्रति सद्भावना को बढ़ाने और दूसरों की भाषाओं के प्रति अधिक आदर दिखाने का मौक़ा मिल सके।

कहा जाता है कि भाषावार प्रान्तों के बँटवारे के पीछे एक दूसरा सिद्धान्त यह भी है कि अपने देश के शासन-क्षेत्र का विकेन्द्रीकरण हो। यह विकेन्द्रीकरण हमारे आर्थिक, नैतिक और सांस्कृतिक सुसंगठन के लिए आवश्यक है। इससे हमारा शासन-क्षेत्र ही विकेन्द्रित नहीं होगा, बल्कि हमारा राजनैतिक क्षेत्र और साथ ही आर्थिक क्षेत्र भी विकेन्द्रित होगा। इस विकेन्द्रीकरण से हमारी शक्ति बढ़ेगी। हमारा प्रजातंत्र ज़्यादा सफल होगा। इस सिद्धांत से होनेवाला दोष तभी दूर हो सकता है कि हमारा प्रत्येक प्रान्त अपनी भाषा के साथ-साथ एक दूसरी भाषा को अवश्य सीखने तथा काम में लाने का भी प्रबन्ध करे। जो हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त हैं, वहाँ पर सभी पढ़े-लिखे लोगों को एक प्रादेशिक भाषा का सीखना अनिवार्य बना दिया जाय। जो अहिन्दी भाषा-भाषी हैं, उन्हें एक पड़ोसी भाषा को सीखना अत्यावश्यक मानना चाहिए। विकेन्द्रीकरण की योजना में हमारा कोई प्रान्त ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भाषावार संगठन की दृष्टि से भी वह अपना काम चलाने में असमर्थ न हो जाय।

इस समय हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जो रकबे की दृष्टि से ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हैं। जब ऐसे राज्यों में एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, तो नेतृत्व की विविधता बढ़ जाती है, जैसा कि मद्रास, बंबई तथा हैदराबाद में इस समय हैं। मद्रास में 4, बंबई में 3, और हैदराबाद में 3 भाषाओं के क्षेत्र हैं। इनके लिये अलग-अलग कांग्रस कमेटियाँ भी हैं और दूसरे राजनैतिक दलों के संगठन भी भाषावार ही बने हुए हैं। जब कि सारे राज्यशासन कार्य के लिये एक ही को नेतृत्व प्राप्य है तब भिन्न-भिन्न भाषाओं के दलों के नेताओं में उसके लिये होड़ चलती है। नंबर की अधिकता से ही इसका निश्चय होता है। इस होड़ का एकमात्र कारण यही है कि हमारे राजनीतिक सत्ता ही नहीं, बल्कि हमारी सारी आर्थिक सत्ता और शासन-सत्ता भी इस समय हद से ज़्यादा केन्द्रित है। इसका विकेन्द्रित होना अत्यावश्यक है। विकेन्द्रीकरण से ही ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, जिससे नेतृत्व संख्या द्वारा प्राप्त करने की होड़ कम हो सकती है।

हमारी सारी सत्ता, जहाँ तक राज्यों का सवाल है, विधान-सभाओं में निहित है। इन विधान-सभाओं में भिन्न-भिन्न भाषाओं के सदस्य अपने-अपने प्रदेश से चुनकर आ जाते हैं। मसलन, मद्रास की विधान-सभा को लिया जाय। इसमें 375 सदस्य हैं—140 आन्ध्र भाषाभाषी, 190 तमिल भाषाभाषी, 30 सदस्य मलयालम भाषाभाषी, और क़रीब 15 सदस्य कन्नड़ भाषा-भाषी हैं। जब चारों प्रान्तों के सदस्य अपनी-अपनी मातृभाषा में बोलने के हक़ पर ज़ोर देते हैं, तो सभा का चलना मुश्किल हो जाता है। अपनी भाषा के साथ-साथ सिर्फ़ एक और भाषा

सीखना किसी सदस्य के लिए आसान हो सकता है। लेकिन तीन-तीन भाषाओं का सीखना और उसमें बोलना मुश्किल ही नहीं, बल्कि असंभव भी होगा। इसके बजाय अगर मद्रास राज्य की विधान-सभा में तमिल और तेलुगु भाषाभाषी ही रहें, तो एक-दूसरे की भाषा सीखने में उनको अधिक समय नहीं लगता। तेलुगु और तमिल उन दोनों की तादाद पाँच करोड़ के लगभग हैं और बाक़ी के 70 लाख की। कन्नड़ और मलयालम के दोनों छोटे टुकड़े कन्नड़ तथा केरल प्रान्तों में मिल जायँ, और सुविधा की दृष्टि से चार भाषाओं के बजाय दो ही भाषाएँ हों, तो काम कितना आसान हो जायगा! इसपर अवश्य सोचा जाना चाहिए।

अगर हमारे सारे शासन के कार्य विकेंद्रित हों और लोकसभा में सिर्फ़ भिन्न-भिन्न महत्व की बातों पर नीति का ही निर्णय हो, तो यह काम और आसान हो जायगा। यही बात हैदराबाद और बम्बई के लिये भी लागू हो सकती है। इसके भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों को पड़ोसी भाषाओं के प्रति आदर दिखाने और उनको सीखने का भी मौका मिलेगा। आखिर तमिल और तेलुगु में कितना फ़र्क है, कन्नड़ और मराठी में कौन बड़ा अन्तर है? मलयालम और तमिल में विशेष भिन्नता कहाँ है? यह सब सिर्फ़ दृष्टिकोण तथा भावना की बात है। भाषा के द्वारा सेवा ही हमें करनी हो, तो एक से अधिक भाषाएँ सीखने में नुकसान नहीं, लाभ है।

इसी तरह सारे बंबई राज्य का भी प्रबन्ध हो सकता है। बंबई राज्य की आबादी साढ़े तीन करोड़ में इस समय लगभग 50 लाख कन्नड़ भाषा-भाषी हैं। कन्नड़ भाषा-भाषी टुकड़ा कर्नाटक में मिल जाय, तो कुल 3 करोड़ की आबादी रह जाती है जो मराठी तथा गुजराती भाषा-भाषी है। मराठी और गुजराती भाषाएँ सदियों से सगी बहनों की तरह रही हैं। दोनों भाषा-भाषी एक-दूसरे के प्रान्त में लाखों की तादाद में पाये जाते हैं। ख़ासकर मराठी भाषा-भाषी गुजरात में काफ़ी संख्या में हैं, जैसे कि तेलुगु भाषा-भाषी तमिल प्रान्त में हैं। विकेन्द्रित ढंग पर वर्तमान बंबई द्विभाषी प्रान्त बनाया जाय, तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। किसी न किसी समय हैदराबाद को तो विकेन्द्रित होना ही पड़ेगा। बंबई तथा मद्रास अपनी-अपनी राजधानी बनाकर दो द्विभाषी प्रान्त हो जायेंगे, तो सिर्फ़ प्रश्न कर्नाटक और केरल का रह जाता है। वे दोनों प्रान्त अधिकतर समुद्र-तट पर हैं, और साथ ही मिले हुए भी। वे उपर्युक्त कार्रवाई से अपने-आप प्रान्त बन जाते हैं। बेंगलूर और तिरुवनन्तपुरम स्वयं काफ़ी बड़े केन्द्र हैं। इन दोनों शहरों को राजधानियाँ बनाकर ये दोनों प्रान्त अपने-अपने शासन का कार्य बखूबी चला ले सकते हैं।

इस तरह 14 करोड़ की आबादी चार प्रान्तों में बँटे, तो दक्षिण की राजनैतिक सत्ता भाषावार संतुलित होगी। वह स्वयंपूर्ण तथा काफ़ी बलवान भी होगी। हाँ, इन द्विभाषी प्रान्तों का संगठन व शासन कैसे हो, इसपर विचार करना ज़रूरी है।

वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग कहलाता है। हमारी सारी राजनैतिक विचार-धारा यहीं आकर रुक गयी है। हमें असंभव मालूम होता है कि हम प्रजातंत्र से भी उपयोगी और फलदायी कोई दूसरी सर्वमान्य तथा कल्याणकारी राजनैतिक व्यवस्था की कल्पना कर सकें। प्रजातन्त्र के नाममात्र से कुछ लोगों का जोश उमड़ पड़ता है। राजनैतिक क्षेत्र में साम्यवाद के साथ आज प्रजातंत्रवाद की घमासान लड़ाई है। साम्यवाद का उद्गम अर्थ-नीति में है, तो प्रजातन्त्र का उद्गम राज्य-व्यवस्था को लेकर इन दोनों वादों का लक्ष्य एक ही है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुँचने के साधन में काफ़ी भिन्नता है। प्रजातंत्रवाद का

यह दावा है कि प्रजातंत्र की व्यवस्था के द्वारा लोक-कल्याण की प्राप्ति बहुत आसान है। लेकिन साम्यवादियों का कहना है कि प्रजातंत्र द्वारा सबका कल्याण होना असंभव है; सबका कल्याण तो साम्यवाद के द्वारा ही हो सकता है। इन दोनों वादों के समर्थन में हमारे सामने कई तरह के देशों के उदाहरण पेश हैं। पहले का ज़बर्दस्त उदाहरण आज अमेरीका का है; तो दूसरे का रूस और चीन। इन दोनों वादों के समर्थकों ने अपनी सारी ताक़त लगाकर दुनियाँ को अपनी तरफ़ खींचने का संकल्प किया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए सब तरह के साधन काम में लाये जाते हैं। जहाँ अनुनय-विनय अथवा तर्क से काम नहीं चलता, वहाँ पर ज़बर्दस्ती और हिंसा का उपयोग भी होता है। लेकिन इन दोनों का कथन यही है कि दुनियाँ एक बार उनका वाद मान ले, तो यह साबित हो सकेगा कि उनके वाद में कितना बल है।

रूस ने 35 साल के पहले हिंसापूर्ण क्रान्ति के द्वारा अपनी पुरानी जंजीर तोड़ दी। चीन ने भी हाल ही में लंबे अर्से तक तरह-तरह की यातनाओं को सहने के बाद साम्यवाद को मानकर उसका गुण-गान करना शुरू किया।

ब्रिटेन की, जिसने अपनेको ज़बर्दस्त प्रजातंत्रवादी मान रखा था, दूसरे महासंग्राम ने कमर तोड़ दी। आज वह अमेरीका का छोटा भाई हो गया है। कहते हैं कि साम्यवादी तथा प्रजातंत्रवादी, इन दोनों का लक्ष्य विश्व का कल्याण है; लेकिन वह होगा तलवार के बल पर। अहिंसा में उनका विश्वास है; लेकिन वह तलवार चलाने और उसके बल पर अमन कायम होने के बाद ही। सत्ता प्राप्त करने, उसके ही बल पर ज़िन्दा रहने का स्वभाव साम्यवाद और प्रजातंत्रवाद में निहित है।

तीसरा वाद भारत की पुरानी संस्कृति तथा परंपरा को लेकर महात्मा गांधी ने शुरू किया। वह है—"सर्वोदयवाद"। इस दुनियाँ को महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन है अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा जीवन का धर्म है; सत्याग्रह मनुष्य का अपना एक ज़बर्दस्त शस्त्र है, जो अहिंसा के आचरण तथा स्थापन के काम में आता है। इस धर्म तथा आयुध के द्वारा मनुष्यों का जो समाज स्थापित होगा, वह सर्वोदय समाज होगा। इस समाज में शोषण के लिए जगह नहीं है। सत्ता तथा अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं। स्वावलंबन तथा परस्परावलंबन ही इसके पाये हैं।

वर्तमान समय में विज्ञान के सहारे फ़ासला जितना कम होता जा रहा है, दुनिया के रहनेवाले एक-दूसरे के जितने नज़दीक होते जा रहे हैं, उतना ही, बलवान जाति के निर्बल जाति को दबाने तथा शोषित करने का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। यह किसी वाद से दूर नहीं होगा—न प्रजातंत्रवाद से, न साम्यवाद से। अगर वह दूर हो सकता है, तो एक ही वाद से। वह है—"सर्वोदयवाद"

सर्वोदय किसी भी तरह के केन्द्रीकरण के खिलाफ़ है, चाहे वह अर्थ-सत्ता का हो, या राजनीति का। हमारी अर्थ-सत्ता तथा राज-सत्ता जब तक विकेन्द्रित नहीं होगी, तब तक शोषण का ख़तरा दूर नहीं हो सकता। न बौद्धिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आतंक से ही व्यक्ति बच सकेगा, न मानव व्यक्तित्व के सुचारु तथा समान रूप से विकास की ही आशा हम रख सकेंगे। इसलिए सर्वोदय सिद्धान्त को अमल में लाने के लिए सबसे पहले विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए भारत की ही व्यवस्था को लिया जाय। आज भारत में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर केन्द्रीकृत राज्य की व्यवस्था है। उसका विधान भी उसी तरह का है। उसकी अर्थ-नीति भी वही है और उसके राजनैतिक दल भी इन्हीं सिद्धान्तों के पोषक हैं।

भारत सरकार का आजकल जो 450 करोड़ रुपये का बजट बनता है, उसमें तीन चौथाई केन्द्रीकृत व्यवसाय के द्वारा प्राप्त होता है। इन 450 करोड़ रुपयों को उचित (या

अनुचित ?) रूप से बाँटने के लिए करीब 485 व्यक्ति सदस्यों के रूप में पार्लमेंट में बैठते हैं। इन्हीं के द्वारा इन रुपयों का बँटवारा होता है; और इन्हीं रुपयों के बल पर हमारी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक सत्ता का ये संचालन करते रहते हैं। हाँ, ये सभी जनता के प्रतिनिधि अवश्य हैं और यह सारा रुपया भी जनता से प्राप्त होता है।

आज हिन्दुस्तान की जनता किसी-न-किसी रूप में अपनी सामाजिक व्यवस्था तथा शान्ति और सुख के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पीछे प्रति वर्ष रु. 20/- के करीब कर देती है, जिसमें रु. 10/- अमन-चैन बनाये रखने और रु. 8/- व्यवस्था को बनाये रखने में खर्च होता है। सिर्फ़ रु. 2/ ही उसके अर्थ-साधन के मार्गों को बढ़ाने में खर्च होता है। केन्द्रीकृत व्यवस्था का फल यह होता है कि प्रतिदिन जनता पर अप्रत्यक्ष कर बढ़ता जा रहा है और जनता की कर देने की ताक़त कम होती जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम अपने देश की व्यवस्था के लिए किस वाद का अवलंबन करें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जनता की ताक़त कैसे बढ़ाएँ, जिससे इस देश का प्रत्येक नागरिक पूर्ण व्यक्ति बन सके और अपने देश की और अपने अड़ोस-पड़ोस की रक्षा कर सके, देश में परस्परावलंबन बढ़ सके और परावलंबन से देश बच सके। यह काम विकेन्द्रीकरण को छोड़कर किसी और कार्य से होना असंभव है।

अगर हम भाषा को लेकर, संप्रदाय को लेकर, वर्ग को लेकर या ऐसे किसी ज़रिये से राजनैतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह देश के लिए ख़तरा ही साबित होगा। भाषावार राज्य अगर हम बनाना चाहते हैं, तो इसलिए नहीं कि एक भाषा-भाषी इस देश में दूसरे भाषा-भाषी को दबा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि भाषा के नाम को लेकर कोई अपने प्रांत या समाज का ऐसा संगठन न कर पाये कि उस बाजी में हम अपनी भाषा से सत्ता प्राप्त करने में पिछड़ न जायँ। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आज हम अपने देश की वर्तमान राज-व्यवस्था को देखते हैं, तो हमें वह बहुत बेतुकी, बेढंगी, और अनुचित अगर जल्दी न सम्हले, तो ख़तरनाक भी मालूम होती है।

इस देश में कुछ ऐसे-ऐसे बड़े प्रांत हैं, जिनकी आबादी 6 करोड़ के लगभग है और कुछ ऐसे भी प्रांत हैं, जिनकी आबादी ढाई लाख से भी कम है। इन दोनों को भारत के विधान के अनुसार एक ही तरह की व्यवस्था, एक ही तरह की सत्ता प्राप्त है। इन विषमताओं में अधिकांश को अंग्रेज़ लोग दे गये। विधान को बनाते समय, उस वक़्त की हालत को देखते हुए इन विषमताओं को दूर करना असंभव न हो, तो कठिन अवश्य मालूम हुआ। उदाहरण के लिए मद्रास राज्य ले लिया जाय। मद्रास की आबादी 5,79,52,332 है। उसका रक़बा 1,27,768 है। इस रक़बे में चार मुख्य भाषाएँ—तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ बोली जाती हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या तमिल की है। उसके बाद तेलुगु की है। मलयालम की संख्या कम और कन्नड़ की सबसे कम है।

मद्रास राज्य की विधान-सभा में 375 सदस्य हैं, जिनमें तमिल प्रदेश से 190, तेलुगु प्रदेश से 140, मलबार से 30 और कर्नाटक से 15 के करीब हैं। जब 375 लोग विधान-सभा में राज्य की व्यवस्था के बारे में विचार करने के लिए बैठते हैं, तो उनकी भाषाएँ तथा उनकी समस्याएँ भिन्न होने के कारण, तथा एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र से बिलकुल अपरिचित होने के कारण बड़ी कठिनाई पैदा होती है।

मद्रास राज्य की वर्तमान आमदनी 66 करोड़ रुपया है। इस 66 करोड़ रुपये को बाँटने और उसके द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का आकर्षण मद्रास की विधान-सभा में नहीं होता, तो शायद बहुत कम लोग विधान-सभा में पहुँचते और अपनी-अपनी टोली बनाकर राज-सत्ता को अपने कब्ज़े में करने के लिए कोशिश करते। किसी-न-किसी तरह के झगड़े पैदा कर

देश के शान्तिपूर्ण वातावरण में बाधा ही पहुँचाते। इस केन्द्रीकरण के कारण ही नेतृत्व के लिए होड़ बढ़ती जा रही है। इसी से हमारे देश की राजनीति बहुत ही कलुषित तथा भयंकर होती जा रही है। जब तक जनता से इकट्ठा होनेवाले कर को बाँटने का अधिकार विकेन्द्रीकृत नहीं किया जाय, तब तक हमारी राज-व्यवस्था में शांति नहीं पैदा हो सकती।

विकेन्द्रीकरण ऐसा भी न हो जिससे हम कमज़ोर पड़ जायँ। विकेन्द्रीकरण का एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम अपने-अपने प्रांत में निश्चित रूप से छोटे-छोटे रक़बों में अपने प्रांतों का विभाजन कर उसके द्वारा अपनी सारी ताकत लगाकर उस प्रदेश में अधिक-से-अधिक संपत्ति बढ़ाने और समाज को सुसंगठित करने और उसे सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रयत्न करें, और ऐसा भी प्रयत्न करें जिससे कि वह प्रदेश-स्वावलंबन के सिद्धांत के आधार पर संगठित हो सके—अर्थात् खाने-पीने, कपड़े, निवास आदि के लिए दूसरे प्रदेशों के ऊपर निर्भर न रहे।

उदाहरण के लिए मद्रास राज्य इस सिद्धांत के आधार पर आसानी से सात मंडलों में विभाजित हो सकता है।

रकबा और आबादी के अनुसार इनका स्वरूप नीचे लिखे अनुसार होगा :—

मंडल	रक़बा (एकड़)	आबादी
1. **पूर्व आन्ध्र :**		
श्रीकाकुलम	24,88,931	21,05,847
विशाखपट्टणम	33,14,434	20,71,671
पूर्व गोदावरी	36,36,573	24,06,352
	94,39,938	**65,83,870**
2. **मध्यान्ध्र :**		
पश्चिम गोदावरी	19,29,460	16,97,892
कृष्णा	22,39,187	17,79,760
गुंटूर	36,93,743	25,42,244
कर्नूल	50,15,222	12,64,154
	1,28,77,612	**72,84,050**
3. **दक्षिण आन्ध्र :**		
नेल्लूर	50,94,191	17,93,774
चित्तूर	37,69,290	18,08,725
अनन्तपुर	42,92,129	13,60,727
बल्लारी	37,64,342	12,40,988
कड़पा	37,94,524	11,61,713
	2,07,14,476	**73,65,927**
4. **उत्तर तमिलनाडु :**		
उत्तर आर्काट	29,78,241	28,62,155
दक्षिण आर्काट	26,93,158	27,66,468
सेलम	45,12,923	33,74,284
चेंगलपट	19,58,792	18,39,896
	1,21,43,114	**1,08,42,803**

मंडल	रक़बा (एकड़)	आबादी
5. मध्य तमिलनाडु :		
तंजावूर	23,92,405	29,79,754
तिरुचिरापल्ली	35,23,474	29,42,225
कोयमुत्तूर	45,44,160	32,94,849
नीलगिरि	6,28,196	3,12,172
	1,10,88,235	**95,79,000**
6. दक्षिण तमिलनाडु		
रामनाथपुरम	30,88,194	20,78,750
मदुरै	31,10,045	28,84,994
तिरुनेल्वेली	27,76,057	24,47,949
	89,74,296	**74,11,693**
7. पश्चिम तीर		
मलबार	37,13,105	47,58,886
दक्षिण कन्नड़	25,64,668	17,46,118
	62,76,773	**65,05,004**

उपरोक्त मंडल इस दृष्टि से बनाये गये हैं कि वे भौगोलिक दृष्टि से स्वाभाविक और आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकें और साथ ही अपने खाने-पीने तथा जीवन की अन्य सामग्रियों के लिए परावलंबी न हों। मंडलों का रकबा इतना है जिससे कि उसका संगठन तथा संचालन अनावश्यक रूप से ख़र्चीला न हो। इन मंड़लों के विभाजन में स्थानीय भाषा का पूरा ख्याल रखा गया है। हाँ, तीसरा व सातवाँ मण्डल ज्यादा द्विभाषी है जिसका उपाय किया जा सकता है।

फ़र्ज किया जाय कि इन मंडलों के द्वारा जितनी आमदनी सरकार को मिलती है, जैसे कि भूमि-कर, सिंचाई-कर, रहदारी कर आदि, उसे खर्च करने के लिए उन मंडलों को दे दिया जाय, तो इस वक्त की सत्ता बहुत कुछ विकेन्द्रित हो सकती है।

प्रत्येक मंडल का संचालन भी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा आसानी से हो सकता है। प्रत्येक मंडल के लिए एक ऐसी परिषद बनायी जाय, जिसमें विधान-सभा के सभी सदस्य, ज़िला बोर्ड प्रेसिडेंट, पंचायतों के प्रतिनिधि आदि रहें और राज्य के मंत्रि-मंडल से संबंधित एक मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष रहें, तो बहुत-सा कार्य आसानी से ही नहीं, बल्कि अच्छे रूप से भी चल सकेगा। उपरोक्त मण्डल भाषावार राज्य के सिद्धान्त के अनुकूल भी साबित होंगे।

आजकल अपनी-अपनी भाषा के ऊपर जो ज़ोर दिया जाता है, उसका अर्थ यह समझा जाता है कि अपने पड़ोसियों की भाषा सीखना अनावश्यक ही नहीं, बल्कि अनुचित भी है। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि हमारे सभी द्विभाषी प्रान्तवासी अपनी तथा अपने पड़ोसी की भाषा जिसके साथ उनका गहरा ताल्लुक़ है, सीख लें? इसमें क्या आपत्ति हो सकती है जिससे जहाँ एक भाषा से काम नहीं चलता, वहाँ पर हम द्विभाषी बन जायँ? आपत्ति तो कुछ नहीं; अगर है, तो यही कि हमारी इच्छा नहीं है।

वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमारे राज्यों का पुनर्विभाजन अवश्य होना चाहिये। बड़े-बड़े राज्यों का, जिनकी आबादियाँ व रकबे

करोड़ों में हैं, बँटवारा विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों पर हो जाना चाहिये। छोटे-छोटे राज्यों का विलीन होना ज़रूरी है। मसलन, नीचे लिखे राज्यों की तुलना उपर्युक्त मण्डलों से की जाय।

इनमें से कोई राज्य हमारे तीसरे मण्डल से बड़ा नहीं है, न किसीकी आबादी ही हमारे चौथे, पाँचवें मण्डल से बड़ी। हाँ, किसी-किसी का रकबा बड़ा अवश्य है, जैसे मैसूर, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा कच्छ। इन इलाकों में पहाड़ और जंगल ज्यादा हैं। आमदनी और उत्पत्ति के साधनों को दृष्टि में रखा जाय, तो कोई भी राज्य इन मण्डलों से बड़ा नहीं होगा। अगर ये सभी राज्य स्वावलम्बी राज्य बन सकते हैं, तो उपर्युक्त मण्डल स्वावलम्बी क्यों नहीं बन सकते?

यह सच है कि सिर्फ़ रकबा और आबादी से ही राज्यों की व्यवस्था स्थिर नहीं होती। कुछ ऐसे शहर हैं जो रकबा व आबादी कम होने पर भी शिक्षण, संस्कृति, व्यापार और भौगोलिक स्थिति से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापित होंगे— जैसे कि इस समय दिल्ली है। उन्हें अलग-अलग राज्य बनाये जाने के प्रस्ताव पर भी विचार होना चाहिये।

भारत के दूसरे और तीसरे वर्ग के कुछ राज्य

	रकबा (एकड़ों में)	आबादी
मैसूर	1,88,53,120	90,71,678
सौराष्ट्र	1,34,79,680	41,36,005
पेप्सू	64,63,360	34,68,631
तिरुवितांकूर-कोच्चि	58,59,200	92,65,157
विंध्य प्रदेश	1,57,44,000	35,77,431
दिल्ली	3,67,360	17,43,992
हिमाचल प्रदेश	67,84,000	9,89,437
मणिपुर	55,16,800	5,79,058
कच्छ	54,15,040	5,67,825
भोपाल	44,29,840	8,38,107
अजमेर	15,52,000	6,92,506
त्रिपुरा	25,87,360	6,49,930
कुर्ग	10,19,520	2,29,255
बिलासपुर	2,89,920	1,27,566

इन आकंडों से साफ़ ज़ाहिर ोता है कि दूसरे और तीसरे वर्ग के राज्यों में कितने ही ऐसे राज्य हैं जो उपर्युक्त मण्डलों से बहुत छोटे हैं; कुछ तो आधे से भी कम हैं। फिर भी उनकी अपनी धारासभाएँ हैं, बजट हैं, और दूसरे सब इंतज़ाम हैं। इससे स्पष्ट है कि हमें अपने सारे भारत के राज्यों के विभाजन के बारे में नये सिरे से सोचना चाहिये। उत्तम तो वही होगा कि आबादी, भाषा और रकबे को ख्याल में रखते हुए हिन्दुस्तान को मण्डलों में बाँटा जाय, और हमारी सारी राजसत्ता का केन्द्रीकरण छोटे तथा बड़े राज्यों की आर्थिक तथा अन्य विषमताओं को लेकर नहीं, बल्कि विकेन्द्रीकरण-पद्धति पर समानताओं को लेकर संतुलित किया जाय। इसका संतुलन एक ही दृष्टि से नहीं, बल्कि कई दृष्टियों से होना चाहिये। इसपर विश्लेषणात्मक विचार अगले लेख में किया जायगा।

भारत के विधान में आधार सूत्र के तौर पर यह लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान के स्वायत्त, प्रजास्वामित्वपूर्ण गणराज्य में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विश्वास, आराधना तथा अभिव्यंजन की स्वतंत्रता, अवसर और स्तर की समनता प्राप्त होगी, और साथ ही गणराज्य सभी नागरिकों के बीच में भ्रातृत्व बढ़ायेगा और व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता का पोषक रहेगा। एक तरह से यह राष्ट्र का महासंकल्प है, इसलिये प्रत्येक नागरिक को इसे अपना संकल्प भी मानना चाहिए। अगर राष्ट्र का यही संकल्प है, तो इस संकल्प की सिद्धि के लिये हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हमने अब तक इस संकल्प को सिर्फ़ लिपिबद्ध ही किया है, उसकी सिद्धि के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। इस संकल्प की सिद्धि के लिये प्रत्येक नागरिक को अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की ढाल इस तरह बनानी चाहिए, जिससे कम-से-कम संघर्ष से उसका ज़्यादा-से-ज़्यादा कल्याण हो। जहाँ तक हमारे सामाजिक न्याय और उससे प्राप्त होनेवाले नागरिकों के अधिकारों का सवाल है, हमने विधान के निर्देशों में तथा बुनियादी अधिकारों में स्पष्ट कर दिया है। धारा 11 में इस प्रकार उल्लिखित है:—

"सब नागरिकों को:—

(क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का,

(ख) शान्तिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का,

(ग) संस्था या संघ बनाने का,

(घ) भारत राज्य-क्षेत्र में अबाध संचरण का,

(ङ) भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का,

(च) संपत्ति के अर्जन, धरण और व्ययन का, तथा

(छ) कोई वृत्ति, उप-जीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।"

प्रजातंत्रपूर्ण राज्य के द्वारा हमें क्या मिलेगा, इसका स्पष्टीकरण तो हम लोगों ने कर दिया; पर वह कैसे मिल सकता है, इसका कोई भी स्पष्टीकरण अब तक नहीं हुआ है। प्रजातंत्रात्मक गणराज्य एक राजनीतिक विचार-धारा है। इसके पीछे जो परंपरा, अनुभव, संगठन तथा व्यवहार है, उसके अनुसार इसमें से अच्छा परिणाम भी निकल सकता है, अच्छे और बुरे का मिश्रित परिणाम भी मिल सकता है। प्रजातंत्र समाज के संगठन का एक साधन है। लेकिन उसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक का कल्याण है, जिसमें उसका पूर्ण व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो और उस प्रस्फुटन के विकास में ही उसकी बौद्धिक और मानसिक शक्तियों की वृद्धि, अर्थात् उसे आध्यात्मिक और भौतिक स्वावलंबन के लिये अवसर मिले।

राष्ट्रीय संकल्प में जिस न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख है, उसमें बल तभी आ सकता है, जब कि उसके पूरे अर्थ समझनेवाले व्यक्ति उसपर अमल करें और उस पर औरों से अमल कराने के लिये अपनी सारी शक्ति लगावें। किसी भी देश में, और खास करके भारत जैसे विशाल देश में, यह संभव नहीं है कि सारी जनता—सभी उम्र की, सभी स्तरों की और सब स्थितियों की—इस संकल्प का अंतरार्थ समझकर उसपर अमल कर सके। इसलिए अमल करानेवाले समझदारों के हाथ में ही इस संकल्प के आचरण का सूत्र-संचालन आ जाता है। इस संचालन को निष्पक्ष तथा निस्वार्थ रूप से निभाने, अपने देश के निवासियों के जीवन को सुखदायी बनाने का काम किसी वर्ग का होना चाहिए।

इसी कारण देश की नीति का सूत्र-संचालन जिनके हाथ में रहता है, वह मध्यम-वर्ग कहलाता है। क्योंकि, पढ़े और बेपढ़े के बीच में, धनी और ग़रीब के बीच में, बलवान तथा निर्बल के बीच में न्याय कराकर निश्चित नीति द्वारा जनता से स्वीकार्य तथा स्वीकृत सिद्धान्तों

के अनुसार राजनीति, समाजनीति तथा अर्थ-नीति निभाने का धर्म और उत्तरदायित्व इस मध्यम वर्ग के लोग अपने सिर पर ले लेते हैं। देश की परिस्थिति के अनुसार, चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, इस मध्यम वर्ग का रूप बदलता रहता है।

यह स्पष्ट है कि सदियों से, चाहे वह किसी सम्राट का राज हुआ हो, या प्रजातंत्र के सिद्धांत का राज हो, या साम्यवाद का राज्य हो, लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा रहा है, और रहेगा भी। उसे कोई दूर नहीं कर सकता। जब एक ही श्रेणी के मध्यम वर्ग के लोगों के हाथ में उत्तरदायित्व रहता है, तो दूसरी श्रेणी के लोग उसे छीनने की कोशिश करते हैं। एक ज़माने में इस छीना-झपटी के पीछे पशु-बल रहता था, तो आजकल बुद्धि-बल तथा संख्या का बल रहता है—फ़रक इतना ही है। किसी-न-किसी बल के आधार पर एक समूह दूसरे समूह पर कब्ज़ा कर मध्यम वर्ग का स्थान प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रजातंत्रवाद सिर्फ़ राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर समाज का संगठन करने का प्रयत्न करता है, तो साम्यवाद देश की आर्थिक स्थिति को आधार मानकर आर्थिक समानता प्राप्त कराने का वादा करता है। दोनों वाद जनता को सब तरह की स्वतंत्रता देने और भ्रातृत्व बढ़ाने का विश्वास दिलाते हैं। इन वादों के नेता जो मध्यम वर्ग के होते हैं, सत्ता द्वारा ही अपने-अपने वाद को बलिष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन उनकी आन्तरिक प्रेरणा में अपने-अपने वाद व वर्ग या समूह का बल बढ़ाने का विचार मिट नहीं सकता। क्योंकि सत्ता-प्रधान विचारधारा की किसी-न-किसी तह में इस आकांक्षा का छिपा रहना स्वाभाविक है। संगठन-प्रधान किसी वाद के लिए बल अत्यावश्यक होता है। सूत्र-संचालन करनेवाले व्यक्ति की दृष्टि से जब अपने वाद के पोषण के लिए अपनी सत्ता को बलिष्ठ बनाना है, तो यह सम्भव है कि वे न्याय, स्वतंत्रता और समानता को निष्पक्ष होकर न देख पावें। इसलिए सिद्धान्तों की रक्षा के लिए कभी-न-कभी किसी स्थिति में पहुँचने के बाद संघर्ष आवश्यक हो जाता है। इस संघर्ष के पहले सिद्धांतों की चर्चा होती है; उनकी रक्षा के लिए जोश का तकाज़ा होता है।

पुराने ज़माने में अपने-अपने आश्रयदाता स्वामी के प्रति जो भक्ति होती थी, वह आजकल सिद्धांतों की रक्षा के नाम से किसी दल के नेता के प्रति हो जाती है। इस भक्ति में विवेक जितना ही कम होगा, उतना ही दलपति तानाशाही की तरफ़ बढ़ेगा। ऐसे विवेक को बढ़ाने का सच्चा प्रयत्न ही प्रजातंत्र के विकास का पोषक रहेगा। जो दल इस विवेक के निर्भय आचरण में रोड़े अटकायगा, वह दल देश को गड्ढे में गिरायगा। अतः यह स्पष्ट है कि विवेकपूर्ण मध्यम वर्ग पर ही देश का भवितव्य निर्भर है।

मनुष्य के लिये निश्चित धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। इन चारों में अर्थ के ऊपर ही वर्तमान युग अधिक ज़ोर देता है। इसलिए इस अर्थ के संपादन में ही मनुष्य अपने धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति देखने लगा है। कम-से-कम परिश्रम से ज़्यादा-से-ज़्यादा अर्थ प्राप्त करने की तरफ़ ही वर्तमान युग के मध्यम वर्ग का ध्यान है। विज्ञान व राजसत्ता के सहारे अर्थ-संपादन को बढ़ाना वर्तमान सभ्यता का ध्येय है। इस ध्येय-सिद्धि के लिए जो प्रलोभन प्रस्तुत किये जाते हैं, उनसे अपने-आप आर्थिक विषमताएँ पैदा हो जाती हैं। इन प्रलोभनों के फलस्वरूप एक बार आदमी आर्थिक बल प्राप्त करता है, तो उसे कायम रखने की कोशिश करता है। ऐसे अर्थ-सत्ताधारियों को जब बुद्धि-सत्ता व राज-सत्ता का सहारा मिल जाता है, तो ये विषमताएँ कायम हो जाती हैं। ग़रीब की ग़रीबी को बढ़ाने और धनी के धन की वृद्धि करने में ये विषमताएँ मददगार हो जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि मध्यम वर्ग के आर्थिक कार्यक्रम में पहला क़दम सामूहिक संपत्ति बढ़ाने में सर्वोदय की दृष्टि रहे।

किसी आर्थिक कार्यक्रम में लाभ उठानेवालों की संख्या घटती जाय और थोड़े लोगों का लाभ बढ़ता जाय, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस कार्यक्रम में सर्वोदय हो रहा है; और उससे जनता में असंतोष ही बढ़ेगा।

असंतुष्ट जनता असहन की मात्रा बढ़ने पर ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती है। तब उसे रोकना असंभव हो जाता है; और जब उसका विस्फोटन हो जाता है, तो उसमें से नया मध्यम वर्ग पैदा होता है। इसको रोकने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि आर्थिक कार्यक्रम विकेन्द्रीकृत हो। राजसत्ता, आर्थिक सत्ता और बौद्धिक सत्ता, इन तीनों क्षेत्रों में इस विकेन्द्रीकरण की कसौटी तो विषमताओं को कम करने और संतोष को सर्वव्यापी बनाने में ही है।

उपरोक्त विचारधारा अगर सही मानी जाय, तो यह नहीं कहा जा सकता कि आज की राज-व्यवस्था केन्द्रीकृत नहीं है। हमारे भारत के विधान के अनुसार भी हमारी राज-सत्ता और आर्थिक सत्ता बहुत ही केन्द्रीकृत है। इस सत्ता को विकेन्द्रित कर देश का आर्थिक बल बढ़ाने, समाज की सामूहिक तथा बौद्धिक शक्ति को विकसित करने के लिए अभी तक कोई योजना नहीं बनी है।

हमारी पंचवर्षीय योजना भी इस केन्द्रीकृत शक्ति को बढ़ाने की दिशा में ही तैयार हुई है। पंचवर्षीय योजना में, विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर देश को आगे बढ़ाने के लिए उसमें ढूँढ़ने से भी बीज नहीं मिलेंगे। हमारी पंचवर्षीय योजना तो पश्चिमी देशों की योजना की एक असफल नक़ल मात्र है। इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों में समुचित मात्रा में जोश नहीं दीख रहा है। इसका कारण यही है कि इसको बनानेवालों ने न वास्तविकता की तरफ़ ध्यान दिया, न वास्तविक दृष्टिकोण ही उनको मिला। विकेन्द्रीकृत ढंग पर अगर वे सारी योजना बनाते, देश के गाँवों को छोटे-छोटे समूहों में बाँटकर उनकी आवश्यकताओं को देखकर, उनकी आर्थिक, सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकास के लिए योजना बनाने और ऐसी योजना का सार्वदेशिक ढंग पर समन्वय करते, तो योजना ज़्यादा व्यावहारिक और लाभकारी होती। सर्वोदय सिद्धांत को आधार मानकर योजना न बनाने के कारण योजनाकारों में यह दृष्टि लुप्त हो गई।

सारी योजना को देखने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि योजना की दृष्टि, आर्थिक वृद्धि की तरफ़ ही है, समस्त भारतवासियों के कल्याण की तरफ़ बिलकुल नहीं। जगह-जगह पर यही लिखा गया है कि किस कार्यक्रम को बढ़ाने से कितने पैसे की वृद्धि होगी। सच्ची प्रणाली तो वह होती है, जिसमें भिन्न-भिन्न स्तर भिन्न-भिन्न स्थिति और भिन्न-भिन्न स्थानों के निवासियों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाय और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करने के अवसर उन्हें दिये जायँ।

स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 6 वर्ष गुज़रने पर भी आज हिन्दुस्तान ढाई सौ करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मँगाता है। अपने देशवासियों के द्वारा पैदा की गयी कोई सात सौ करोड़ रुपये की संपत्ति बाहर भेजकर कोई नौ सौ करोड़ रुपये की संपत्ति मँगा रहे हैं, जिसमें कपड़ा बुनने के लिए 140 करोड़ रुपये का कपास ही मँगाते हैं। देश से बाहर जानेवाली इस संपत्ति की बाढ़ को रोकने का प्रयत्न पहले होना चाहिये।

हिन्दुस्तान गाँवों में बसा है। आज भी 85 प्रतिशत भारतवासी गाँवों में बसते हैं। पिछले सौ वर्षों में हिन्दुस्तान के शहर अवश्य बढ़ गये हैं। किसी-किसी की आबादी तो बहुत बढ़ गयी है। गत 10 वर्षों में मद्रास, कलकत्ता, बंबई, कानपुर की आबादी तो दुगुनी, तिगुनी हो गयी है। अर्थात् गाँवों से लाखों लोग काम और कमाई की खोज में शहरों में आकर बसने लगे हैं। दूसरे शब्दों में, सरकार की अर्थ-नीति गाँववालों के लिए घातक साबित हुई है। इस घातक नीति को रोककर गाँवों की वृद्धि की तरफ़ ध्यान देने के लिए सभी दलवाले कहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी योजना नहीं बनी है, जिसके द्वारा गाँवों के ग़रीबों को शहर की तरफ़

जाने से रोककर उनकी जीविका का प्रबन्ध गाँवों में ही किया जाय। ऐसा प्रबन्ध तभी हो सकता है, जब हमारी सारी योजना के लिए गाँव आधार-बिन्दु हो।

आज भी अगर हम चाहें, तो अपने राज के विधान में परिवर्तन किये बगैर भी सर्वोदय दृष्टि से योजना बना सकते हैं। ऐसी योजना के लिए आवश्यक है कि आज हिन्दुस्तान के गाँवों को छोटे-छोटे समूहों में, जिनमें स्वावलंबन का ख्याल हो, विभक्त किया जाय और उन समूहों का संगठन उनकी आबादी, आवास, अन्न तथा वस्त्र की उत्पत्ति, ग्रामोद्योग तथा अन्य आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए छोटे-छोटे मंडलों के द्वारा किया जाय। इन मंडलों में भाषा का भी ख्याल रखा जाय, जिससे कि एक से अधिक भाषा-भाषियों के एक ही मंडल में रहने से कार्य में बाधा न पहुँचे। इस तरह की योजना से प्रजातंत्र सच्चा प्रजातंत्र बनेगा और साम्यवाद सच्चा साम्यवाद होगा; और ऐसे संगठन से होनेवाले परिणाम सर्वोदयकारी अवश्य साबित होंगे।

आज भाषावार प्रान्तों की माँग इसलिए बढ़ गयी है कि प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर राज चलाने में मिश्रित प्रांत बाधक साबित हो रहे हैं। किसी भी प्रांत को जब वह द्विभाषी या त्रिभाषी हो, तो एकदम एकभाषी बनाना असंभव हो जाता है। न यही संभव हो सकता है कि एक राज्य के बहुसंख्यक लोगों की भाषा को सभी अल्पसंख्यक भाषा-भाषी लोगों को सिखायी जा सके। सार्वदेशिक दृष्टि से पारस्परिक प्रेम तथा सहन का उपदेश दें, तो उसका परिणाम यही निकलेगा कि अल्पसंख्यक भाषा-भाषी लोग राज-व्यवस्था में भाग लेने से वंचित हो जायेंगे या कुछ मतलबी लोग भाषा के नाम से सत्ता प्राप्त करने के लिये तरह-तरह के कामों में लग जायेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे मंडलों के संगठन में भाषा का ख्याल अवश्य रखा जाय। ऐसे मंडलों के द्वारा उत्पादित संपत्ति का भी केन्द्रीकरण होना हानिकारक है। इन मंडलों से उत्पन्न संपत्ति का कम-से-कम अंश मंडलों के बाहर जाना चाहिये। जो अंश जाय, उसके विनिमय में अवश्य कोई दूसरा माल उस मंडल में आ ही जाना चाहिये। तभी चलकर मंडल स्वावलंबी बन सकते हैं और अपनी अपनी संपत्ति को बढ़ाने में उत्साही हो सकते हैं। मसलन, बिहार प्रान्त का उदाहरण लिया जाय। इस प्रान्त की कुल आबादी चार करोड़ से ज्यादा है। यहाँ की सरकार की आमदनी कुल 30 करोड़ रुपये सालाना है। यहाँ की राष्ट्रीय आय एक व्यक्ति के पीछे रु. 150 है। कई अन्य प्रान्तों की कहानी इससे अच्छी नहीं। मद्रास राज्य की तुलना उससे की जाय, तो आंकड़े इस प्रकार हैं:—

कुल आबादी 570 लाख है।

प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी रु. 255 है।

यह आमदनी उद्योगों से भरे हुए बंबई और कम आबादी वाले मध्य प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रान्तों से अधिक है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिये। इसका कारण यही हो सकता है कि संपत्ति उत्पन्न करने के वास्ते हमारे देश में एक सार्वदेशिक, सामूहिक, सामाजिक तथा स्थानीय दृष्टि से कोई समग्र योजना अब तक नहीं बनी है। जब तक इस दृष्टि से योजना नहीं बनेगी, हमारे देश की संपत्ति की वृद्धि की मात्रा बढ़ नहीं सकती और सार्वदेशिक कल्याण के लिये उपयोगी नहीं हो सकती।

ऐसे विकेन्द्रीकृत पद्धति के ऊपर आर्थिक सत्ता बढ़ाने के लिये हमारे देश में जो बाधक मनोवृत्तियाँ तथा शक्तियाँ हैं, वे सिर्फ़ राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सभी क्षेत्रों में हैं। उनमें कुछ तो राजनीतिक सत्ता के भूखे हैं और कुछ आर्थिक सत्ता के लोलुप हैं। लेकिन एक बार जनता को सर्वोदय-सिद्धान्तों के ऊपर आधारित योजना का दृष्टिदान मिल जाय, तो वह स्वयं उन वृत्तियों में कटिबद्ध होकर लग जायगी और उन शक्तियों को अपने कल्याण के रास्ते से हटायेगी।

भारत का नया नक्शा

राज्य पुनर्गठन अधिनियम के
अनुसार भारत के राज्य और क्षेत्र
जम्मू और कश्मीर
पश्चिम पाकिस्तान
पंजाब
दिल्ली
उत्तर प्रदेश
लखनऊ
नेपाल
भूटान
असम
शिलांग
राजस्थान
जयपुर
अजमेर
बिहार
पटना
पश्चिम बंगाल
कलकत्ता
भुज
राजकोट
मध्य प्रदेश
भोपाल
बम्बई
नागपुर
उड़ीसा
कटक
बंगाल की खाड़ी
बर्मा
बम्बई
हैदराबाद
आंध्र प्रदेश
मैसूर
बंगलोर
मद्रास
अरब सागर
लक्षद्वीप
केरल
मद्रास
त्रिवेंद्रम
श्रीलंका
कोलम्बो
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को सुदृढ़ करके राज्यों की सामान्य समस्याओं का सौजन्यपूर्ण हल ढूँढने में योग देने के विचार से देश-भर के राज्य कुछ मंडलों में संबद्ध कर दिये गये हैं। दक्षिण मंडल परिषद में आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और केरल शामिल हैं। परिषद के अध्यक्ष और संघ-सरकार के गृह-मंत्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ता. 12-7-'57 को मद्रास के सभा-भवन में पधारे थे, जब प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायण ने सभा की तरफ़ से उनका स्वागत करके सभा ' मंडल-योजना और रीति-नीतियों से उनको परिचित कराया।

वर्तमान युग में जागृत नागरिक अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं के अलावा जिन और विषयों पर ध्यान देता है, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय राजनीति है। राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी सत्ता है। उस आकर्षण में सेवाभाव तथा लोकप्रियता की अपेक्षा अधिकार का स्थान ज़्यादा है। यह अधिकार जहाँ अधिक-से-अधिक केन्द्रीकृत होकर मिलता है, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिये अधिक-से-अधिक छीना-झपटी तथा हिंसा होती है। केन्द्रीकृत राज्य-व्यवस्था से ही केन्द्रीकृत सत्ता पैदा होती है। इस सत्ता को बनाये रखने का सबसे बड़ा साधन राज्य की आर्थिक व्यवस्था है।

संसार में इस समय जितने राज्य हैं, उन सब ने एक ही तरह की आर्थिक व्यवस्था को मान रखा है। अपने उद्योग-धंधों से पैदा होनेवाली संपत्ति को बढ़ाने में, उस बढ़ी हुई संपत्ति को दूसरों की आवश्यकताओं के अनुसार बेचने में और उससे अपनी साख बढ़ाकर एक दूसरे पर प्रभुत्व प्राप्त करने में इस समय बड़ी होड़ लगी है। इस होड़ में आगे बढ़कर जो देश संसार पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, उनमें अमेरिका तथा रूस सबसे आगे हैं। दुनिया के सब राष्ट्र इस समय उनकी शक्ति के कायल हो गये हैं। इस तरह की ज़बर्दस्त केन्द्रीकृत शक्ति प्राप्त करने के लिये वे अपने देश में जो नीति निभाते हैं, उसकी तरफ़ ध्यान देने से पता चलेगा कि जनता की तथाकथित सरकार सत्ता प्राप्त करने के लिये मनुष्यों का सहारा नहीं, बल्कि यंत्रों का सहारा लेती है। यन्त्रों के तथा अन्य कृत्रिम साधनों द्वारा अधिक-से-अधिक खाद्य पदार्थ उत्पन्न करना, कारख़ाने चलाना, पैदावार बढ़ाकर माल का ढेर लगाना, दूसरे देशों के साथ व्यापार कर अपनी साख बढ़ाना और उसके ज़रिये राजनैतिक सत्ता बढ़ाना —यह आजकल की केन्द्रीकृत शक्ति की एक विशिष्टता है। इस तरीके से तो आम लोग माल पैदा करनेवाले नहीं, किन्तु माल ख़रीदनेवाले हो जाते हैं। ख़रीदनेवालों की संख्या बढ़ाना ही आजकल के शासनकर्त्ताओं का उद्देश्य मालूम होता है। अगर इसी तरह की नीति चले और वह निभ जाय, तो संसार में यंत्र के द्वारा अधिक-से-अधिक माल पैदा कर बेचने की क्षमता जिस देश में अत्यधिक होगी, उसी देश का बोलबाला होगा और उसी देश के हाथ में राजनैतिक शक्ति चली जायगी। दूसरे शब्दों में, ठीक समय पर रोक-टोक तथा नियंत्रण न हो, तो निश्चय ही सभी देशों के शासन तानाशाही की तरफ़ बढ़ेंगे। उनको रोकने के वास्ते सबसे अच्छा उपाय यही है कि हमारी अर्थनीति, राजनीति तथा शासन-नीति का झुकाव सर्वोदय की तरफ़ हो और देश के निवासी प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर अमल करने और अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास प्राप्त करने की तरफ़ आगे बढ़ें। अगर संतुलित नीति न हो, तो यह ख़तरा एक ही राष्ट्र के प्रदेश के बीच में भी पैदा हो सकता है।

प्रजातंत्र के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए भारत की वर्तमान राज्य-व्यवस्था का विश्लेषण करें, तो यह स्पष्ट हो जायगा कि यद्यपि हिन्दुस्तान का शासन इस समय प्रजातंत्र के साँचे में ढला है, लेकिन उसमें 'तंत्र' ज्यादा है और 'प्रजा' कम। वाक़ई में प्रजातंत्र एक साधन है। साध्य तो देश के प्रत्येक नागरिक और नागरिकता का पूर्ण विकास है। प्रजातंत्र के साँचे में उन सभी तत्वों का सम्मिलन होना चाहिये, जिनके द्वारा देश का प्रत्येक नागरिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्वावलंबन प्राप्त कर सके और उस स्वावलम्बी सामाजिक जीवन द्वारा समाज तथा राज्य की सेवा कर सके। इस समय भारत का जो शासन है, उसका रूप यों है। सारा हिन्दुस्तान 29 राज्यों में बँटा हुआ है, जिनमें 26 स्वयं-शासित राज्य हैं और 3 राज्य केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं। अर्थात् 26 राज्यों में वयस्कों के मत प्राप्त विधान-सभायें काम कर रही हैं।

कुल आबादी में लगभग आधे लोगों को अर्थात् साढ़े सत्रह करोड़ लोगों को मत देने का हक प्राप्त हो चुका है। केन्द्रीय सरकार का कार्य चलाने के लिये जनता के प्रतिनिधियों की दो सभाएँ हैं। एक में, जो 'लोकसभा' कहलाती है, 485 प्रतिनिधि हैं और दूसरी में, जिसको 'राज्य-सभा' कहते हैं, 204 प्रतिनिधि हैं। 26 राज्यों में जो राज्य-सभाएँ हैं, उनमें कुल मिलाकर कोई 4000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। इनमें कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनके मतदाताओं की संख्या 3½ करोड़ तक है और जिनके प्रतिनिधियों की संख्या 400 से अधिक है; कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जिनके मतदाताओं की संख्या 20 लाख से भी कम है और 100 से भी कम प्रतिनिधियों से विधान-सभा बनी हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि राज्यों का इस वक्त जो निर्माण है, वह बिलकुल असंतोषजनक ही नहीं, बल्कि अनिष्टकारी भी है। स्मरण रहना चाहिये कि इनमें प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल या राज-प्रमुख हैं। ओहदे और स्तर को देखते हुए उनकी सलाह और सत्ता में कोई फ़रक नहीं हैं। इन राज्यों में किसी-किसी की आमदनी एक-दो करोड़ है, तो किसी-किसी की आमदनी 60-65 करोड़ तक भी है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कुछ राज्यों के मंत्रिमंडलों के हाथ में बहुत बड़ी सत्ता है, तो कुछ के हाथ में सत्ता बिलकुल नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि हमारे राज्यों के निर्माण पर नये सिरे से विचार हो। राज्य हमारे बहुत बड़े भी न हों और छोटे भी न हों। संविधान के अनुसार अधिकांश राजसत्ता राज्यों में ही निहित है, इसलिये राज्यों के बीच में असमानता होने से राज-सत्ता के संतुलन में फ़रक हो सकता है। सच है कि राज्यों के बहुत छोटे-छोटे होने पर काफ़ी दिक्क़तें पैदा हो सकती हैं। शासन-कार्य में सफ़ाई तथा चुस्ती की कमी हो सकती है। संतुलित राज्य-सत्ता के आधार पर हमारे राज्यों का पुनर्निर्माण करने के संबंध में अवश्य विचार होना चाहिये।

इस पुनर्निर्माण की योजना में सबसे बड़े महत्व का सवाल भाषा का है। जनता की भाषा तथा जनतंत्र के बीच में निकट संबंध है। सारे राज्य का कारोबार जनता की भाषा में ही चले, तो उससे बड़ी सहूलियत ही नहीं, बल्कि राज्य तथा प्रजा के लिये बड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है।

एक ज़माना था जब कि हमारे देश के विदेशी शासक हिन्दुस्तान को अनगिनित भाषाओं का देश कहते थे, अनेक जातियों और धर्मों का अड्डा मानते थे। देश में उन्होंने इस आधार पर प्रतिगामी शक्तियों को उभाड़ा और बढ़ाया भी। महात्मा गाँधी जी के मार्ग-दर्शन तथा नेतृत्व में स्वराज्य प्राप्त करने की क्रिया में ही उनकी अधिकांश ऐसी शक्तियाँ नष्ट हो गयीं। आज भारत के संविधान में 12 ही लोकभाषाएँ स्वीकृत हैं। इनमें 11 ऐसी भाषाएँ हैं, जिनमें किसीके भी बोलनेवालों की संख्या एक करोड़ से कम नहीं है; 9 ऐसी भाषाएँ हैं, जिनके बोलनेवालों की अपनी-अपनी 14 विधान-सभाएँ हैं, जिनमें प्रान्तीय भाषा को छोड़कर दूसरी भाषा को काम में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे की तालिका में एकभाषी राज्य दर्शाये गये हैं:—

एकभाषा-भाषी राज्य

राज्य	रक़बा	जनसंख्या	संसद-सदस्य	वि. सभा-सदस्य	भाषा
उत्तर प्रदेश	113,409	632,15,742	86	430	हिन्दी
बिहार	70,330	402,25,957	55	330	हिन्दी
प. बंगाल	30,775	245,10,308	34	238	बंगला
राजस्थान	1,30,207	152,90,697	20	160	हिन्दी

राज्य	रक़बा	जनसंख्या	संसद-सदस्य	वि. सभा-सदस्य	भाषा
उड़ीसा	60,136	146,45,946	20	140	उरिया
पंजाब	37,378	126,41,205	18	126	पंजाबी
असाम	54,084	90,43,707	12	108	असामी
तिरुवितांकूर-कोचि	9,144	92,80,425	12	108	मलयाळम
मध्य भारत	46,178	79,54,154	11	99	हिन्दी
मैसूर	29,489	90,74,272	11	99	कन्नड़
जम्मू व कश्मीर	82,258	43,70,000	6	—	कश्मीरी
सौराष्ट्र	21,451	41,37,359	6	60	गुजराती
विन्ध्य प्रदेश	24,600	35,77,431	6	60	हिन्दी
पेप्सू	10,078	34,93,685	5	60	पंजाबी

हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनकी विधान-सभाओं में तीन-चार भाषाओं तक बोलने-वाली जनता के भी प्रतिनिधि हैं। इससे प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी समस्याओं को पेश करने में काफ़ी दिक्कत होती है। बहुभाषा-भाषी राज्य और उनकी विधान--सभाओं के सदस्यों की संख्या नीचे की तालिका में दी गयी है :—

बहुभाषा-भाषी राज्य

भाषा	बम्बई		हैदराबाद		मध्य प्रदेश		मद्रास	
	सदस्य		सदस्य		सदस्य		सदस्य	
	संसद	वि. सभा	संसद	वि. सभा	संसद	वि. सभा	संसद	वि. सभा
गुजराती	14	98	—	—	—	—	—	—
मराठी	24	168	7	49	11	88	—	—
कन्नड़	7	49	4	28	—	—	3	15
तेलुगु	—	—	14	98	—	—	28	140
तमिल	—	—	—	—	—	—	38	190
मलयालम	—	—	—	—	—	—	6	30
हिन्दी	—	—	—	—	18	144	—	—
कुल	45	315	25	175	29	232	75	375
रक़बा	1,11,434		82,168		1,30,272		1,27,790	
जन-संख्या	3,59,56150		1,86,56,108		21,24,7,533		5,70,16,002	
कुल मतदाता	1,67,64,763		90,42,244		1,12,32,070		2,70,17,652	

इससे स्पष्ट हो जाता है कि बहुभाषा-भाषी राज्यों का फिर से बँटवारा हो और देश के सभी राज्य एकभाषा-भाषी बनें, तो वे बिलकुल छोटे नहीं पड़ेंगे। इस तरह हिन्दुस्तान के राज्यों का पुनर्निर्माण भाषा की दृष्टि से मुश्किल या अनिष्टकारी नहीं होगा।

एकभाषा-भाषी राज्य बनाने पर उनकी सरहदों की रेखा खींचने से आज की स्थिति में कमी-बेशी हो सकती है। चूँकि सभी राज्यों की आबादी और आमदनी काफ़ी मात्रा में है, इसलिए आपस के समझौते से ही सीमा-रेखा-निर्णय की कठिनाई दूर हो सकती है। सरहदों के निश्चित हो जाने पर उपरोक्त आँकडों में थोड़ा-बहुत फ़रक भी हो सकता है। लेकिन यह फ़रक बहुत कम मात्रा में होगा।

यह भी आवश्यक है कि हमारे राज्यों के बीच में श्रेणी का फ़रक मिट जाय। पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के राज्य सिर्फ़ पुरानी स्थिति को जारी रखने तथा पैदा होनेवाली नयी समस्याओं से बचने के लिए ही है। नये सिरे से जब बँटवारा होगा, तो सभी राज्य एक ही श्रेणी के हो जायँगे। इस बँटवारे का प्रधान उद्देश्य जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, उद्योग-धंधे और जीवन की आवश्यक सामग्रियों में स्वावलंबन होना चाहिये। इस स्वावलंबन को साधने एवं आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विकास को बनाये रखने के लिए, भाषा साधन बनेगी। इस नये बँटवारे में भाषा के अनुसार हिन्दी के लिए जो राज्य बनेगा, वह हिन्दी के लिए एक ही राज्य नहीं होना चाहिये। वर्तमान समय केहिन्दी के जो राज्य हैं—अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, मध्यभारत, अजमेर, भोपाल आदि—सब मिल करके नये राज्यों के रूप में आयेंगे। जिन लोगों ने हिन्दी को अपनी प्रादेशिक भाषा मान लिया है, उनकी संख्या लगभग 15,00,00,000 है। इस सारी आबादी को मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तथा मध्य भारत के नाम से पाँच प्रांतों में बाँटने की योजना हो सकती है। वर्तमान मध्य प्रदेश, मराठी इलाके के हट जाने पर भी, काफ़ी बड़ा प्रान्त रहेगा। मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल तथा जमुना के दक्षिण के उत्तर प्रदेश के जिले, मिर्जापुर, फ़तेपुर, जालौन, हमीरपुर तथा झाँसी मिलाकर एक अच्छा प्रान्त बनेगा जो मध्य भारत कहलायगा। राज्यों के इस पुनर्निर्माण में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिये जिससे कि 500 प्रतिनिधियों की लोक-सभा में किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व एक दशांश से ज़्यादा न हो। याने किसी भी राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिये। न कोई ऐसा राज्य ही होना चाहिये जिसके प्रतिनिधियों की संख्या 20 से कम हो। इससे केन्द्र में तथा प्रान्तों में भी राजकीय तथा आर्थिक सत्ताओं में संतुलन रहेगा।

भाषावार राज्य के खिलाफ़ सब से बड़ी दलील यह है कि देश में भाषा के नाम पर प्रान्तीयता बढ़ेगी और देश की एकता नष्ट हो जायगी। जब सारा देश भाषावार बँटेगा, तब उसकी राष्ट्रभाषा बनाने के काम में रुकावट आ जायगी। प्रत्येक भाषा अपनी-अपनी उन्नति करने की कोशिश में लग जाएगी और कुछ समय के बाद अपना-अपना बल बढ़ाकर एक-दूसरे के खिलाफ़ हो जाएगी। अंग्रेज़ों ने सारे हिन्दुस्तान को अविभाज्य बनाये रखने के लिये जो महात्वपूर्ण काम किया, उसे मिटाने के लिये भाषावार प्रान्त स्थायी घातक बन जायेंगे। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भाषावार प्रान्तों से इतने झगड़े बढ़ जायँगे कि सारे देश को अविभाज्य बनाये रखने में कठिनाई पैदा होगी। ये सारे भय इस समस्या के सब पहलुओं पर ठीक विचार न करने से ही पैदा होते हैं। हिन्दुस्तान की एकता के लिए एक भाषा की तथा एक नेतृत्व की जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक आवश्यकता संतुलित राज-सत्ता की है। जनसत्ता, जन-संस्कृति को बनाये रखने तथा बढ़ाने के लिए है, न कि भाषा के नाम पर आर्थिक, सामाजिक तथा स्थानगत शक्तियों के केन्द्रीकरण के लिए।

भारतीय संघ के राज्यों का भाषावार पुनर्विभाजन

सन् 1951 की जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर

जनसंख्या : 35,68,29,485—रक़बा : 12,69,640 वर्गमील

भाषा	राज्य का नाम	राज्य या राज्यान्तर्गत प्रदेशों के नाम	कुल रक़बा (वर्गमीलों में)	राज्य की कुल जन-संख्या
हिन्दी	उत्तर प्रदेश (पाँच ज़िले छोड़कर)		90,000	5,52,15,742
,,	बिहार		70,330	4,02,25,947
,,	मध्य भारत	मध्य भारत, भोपाल, बिन्ध्य प्रदेश, जमुना के दक्षिण के पाँच ज़िले	1,00,368	2,03,65,318
,,	मध्य प्रदेश (सिर्फ़ हिन्दी प्रदेश)		98,272	1,32,47,532
,,	राजस्थान	राजस्थान, अजमेर	1,32,624	1,59,89,169
तेलुगु	आन्ध्र	मद्रास, हैदराबाद, मैसूर	1,10,089	3,28,49,344
मराठी	महाराष्ट्र	बम्बई, हैदराबाद, मध्यप्रदेश	1,16,200	3,23,76,600
तमिल	तमिलनाडु	मद्रास	50,060	2,88,33,492
बंगला	बंगाल	बंगाल, सिक्किम	33,159	2,49,48,033
कन्नड़	कर्नाटक	मैसूर, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, कूर्ग	69,102	1,88,14,220
पंजाबी	पंजाब	पंजाब, पेप्सू, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश	58,060	1,72,46,276
गुजराती	गुजरात	बम्बई, सौराष्ट्र, कच्छ	73,409	1,58,90,715
ओरिया	ओरिसा	ओरिसा	60,136	1,46,45,946
मलयाळम	केरल	तिरुवांकूर कोचीन राज्य, मद्रास	14,916	1,40,39,011
असामी	असाम	असाम, मणिपुर, त्रिपुरा	97,672	1,02,60,371
कश्मीरी	कश्मीर	कश्मीर	92,680	—

1. इस तालिका में दिये गये राज्यों में किसी-किसीका रकबा बढ़ सकता है, किसीका घट भी सकता है। अन्दाज़ा बहुत हद तक सही रखा गया है।
2. आबादी के आंकड़े भी लगभग लाखों की संख्या तक सही हैं।
3. सारे आंकड़े भाषावार प्रदेशों में रहनेवाली आबादी के हैं, उन प्रदेशों में प्रादेशिक भाषा बोलनेवालों के नहीं।
4. कश्मीर की आबादी इसमें नहीं दी गयी है।
5. दिल्ली, अन्दमान और निकोबार का रक़बा 3,793 तथा आबादी 17,75,013 है, जो इसमें जोड़ा नहीं गया है।
6. रकबा और आबादी के आंकड़े भारतीय सरकार की रिपोर्ट से लिये गये हैं।

समस्त भारतीय भाषाओं की आत्मा एक होने पर भी उनके स्वरूप अलग हैं। हमारी भाषाओं के बारे में 'एकम् सत् विप्रा बहुधा वदन्ति' शतशः चारितार्थ होता है। अतः हमें इस बात का स्मरण रखना होगा कि हिन्दुस्तान की सभी प्रान्तीय भाषाएँ मिटकर किसी भी समय एक सामान्य भाषा के लिए स्थान नहीं बनायेंगी। प्रान्तीय भाषाओं के साथ-साथ और प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर और प्रान्तीय भाषाओं की सहायता तथा सहयोग के द्वारा ही देश की राष्ट्रभाषा बनेगी, इसी सिद्धान्त को भारत के संविधान ने माना है। अनुच्छेद 351 में इसी सिद्धान्त का ज़िक्र है। इस बात का डर सर्वथा अनावश्यक है कि भाषावार राज्य बनने से देश का नुकसान होगा। बल्कि हमें विश्वास इस बात का होना चाहिए कि भाषावार राज्य बनने से देश की भाषाएँ, संस्कृति के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी समृद्ध होगी। इस समृद्धि के लिए जो कार्यक्रम होना चाहिए उसमें अगर कोई विलंब या अड़चन है तो यही है कि सिवाय हिन्दी और बंगला के बाकी प्रान्तीय भाषाओं का जनसत्ता की दृष्टि से उपयोग नहीं हो रहा है।

वे अभी तक अपने अस्तित्व तथा ओजस्विता से परिचित नहीं हैं और कुछ हद तक राष्ट्रभाषा हिन्दी के विस्तार तथा प्रसार से डरती भी हैं। इसलिये सबसे पहले उन्हें बल प्राप्त होना चाहिए और उनका भय दूर कर देना चाहिए। और उन्हें इस बात का बल मिल जाना चाहिए कि सभी प्रान्तीय भाषाएँ अपने-अपने दायरे में अंग्रेज़ी को तुरन्त हटा सकें और अपने राजनैतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक जीवन में जिसपर इस समय अंग्रेज़ी का आतंक छाया हुआ है, अपना स्थान ले सकें। जब तक हमारे प्रादेशिक जीवन तथा कार्य-कलापों से अंग्रेज़ी को हटाकर प्रान्तीय भाषा उसका स्थान न लेगी, तबतक राष्ट्रभाषा का स्थान सुरक्षित तथा सुदृढ़ नहीं हो सकता। इस कार्य में एक सर्वमान्य कार्यक्रम बनाकर सभी प्रान्तीय भाषाओं को तुरन्त इसपर अमल करने के काम में लग जाना चाहिए। इसमें हिन्दी भाषा-भाषियों को अग्रसर होना चाहिए। उनका पहला काम अपने देश की अन्य प्रान्तीय भाषाओं की सहायता और सहयोग से अपनी भाषा हिन्दी को पुष्ट कर अपने ही राज्यों से अंग्रेज़ी को हटा देने का है। इसी तरह का काम अन्य भाषा-भाषिओं को भी करना चाहिए।

भाषा का सबसे बड़ा प्रयोजन अपने अड़ोस-पड़ोस के साथ संपर्क बनाये रखने का है। जैसे-जैसे हमारा संपर्क विस्तृत होता जाता है, दूसरे भाषा-भाषियों के साथ संपर्क में आकर नयी भाषायें सीखने की आवश्यकता बढ़ती जाती है। इस तरह की आवश्यकता किसी एक निश्चित भाषा-क्षेत्र में रहनेवाले बहुत कम लोगों को पड़ती है। सरहद में रहनेवालों को छोड़कर बाकी लोगों में 10 से 15 फ़ी सदी लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी भाषा सीखने तथा बोलने की आवश्यकता अपने नित्य जीवन में पड़ती हो। उसका दूसरा प्रयोजन अपने ज्ञान तथा मस्तिष्क के विकास को बढ़ाने में है। इस प्रयोजन से भी साधारणतया अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा से कोई 10 या 15 फ़ी सदी से ज़्यादा लाभ नहीं उठाते। इस समूह में से अधिकांश लोग स्कूल, कालेजों के द्वारा शिक्षा-प्राप्त विद्यार्थी या विद्वान होते हैं। उसका तीसरा प्रयोजन सार्वदेशिक शासन, व्यवस्था, संस्थाओं तथा जीवन के साथ संपर्क बढ़ाने में है। इससे लाभ उठानेवाले किसी निश्चित भाषा-समूह के 5 या 10 फ़ी सदी से ज्यादा नहीं होते। उसका चौथा प्रयोजन धार्मिक तथा व्यावसायिक कारणों से समय-समय पर सफ़र करने में है। इससे फ़ायदा उठानेवाले भी बहुत कम लोग होंगे। कुल मिलाकर किसी भाषा-क्षेत्र में रहनेवालों में उपरोक्त सब प्रयोजनों से फ़ायदा उठानेवाले 20 या 30 फ़ी सदी से ज़्यादा नहीं होंगे। इस 30 फ़ी सदी को छोड़कर बाकी 70 फ़ी सदी के लिये प्रान्तीय भाषा में ही साक्षरता

प्राप्त करना अनिवार्य है। उस हालत में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार तथा विस्तार के लिये देश की अधिक शक्ति लगनी चाहिये और उसके साथ-साथ ही राष्ट्रभाषा का प्रयोजन भी सध जाना चाहिये।

इस सवाल को लेकर कुछ प्रान्तों में काफ़ी चर्चा चल रही है कि संविधान में जिस हिन्दी का उल्लेख है वह प्रान्तीय हिन्दी से भिन्न है। इस वाद के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय हिन्दी अभी तक बनी नहीं। सिर्फ़ राष्ट्रीय हिन्दी का दिशा-दर्शन तथा स्वरूप-निर्णय ही विधान में दर्ज हुआ है। राष्ट्रीय हिन्दी का जो स्वरूप होगा, उसमें सारा राष्ट्र प्रतिबिम्बित होगा और सारे राष्ट्र के प्रयत्न से ही उसका विकास तथा समृद्धि होगी। उनका यह भी कहना है कि अब सिर्फ़ राष्ट्रभाषा के लिए सुविधा तथा व्यापकता की दृष्टि से हिन्दी पहले मान ली गयी है। हिन्दी शब्द से जिस भाषा का बोध होता है, वह आज कुछ इने-गिने पढ़े-लिखे शिष्ट जन-समाज तक ही सीमित है। हिन्दी आज किसी एक प्रान्त के बहुजन की प्रामाणिक भाषा नहीं, उससे आज ऐसे काम ही लिये जा सकते हैं जिनसे हमारे राजनैतिक, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसलिए उसे प्रादेशिक भाषा के तौर पर भी काफ़ी तरक्की करनी है। उसकी वर्तमान तरक्की तो इस समय कुछ प्रान्तों, कुछ शहरों तथा संस्थाओं तक ही सीमित है। ऐसे लोग जो इस समय उसे अपनाकार राष्ट्रभाषा के रूप में देखते हैं, उनका विश्वास उसके अधिक-से-अधिक व्यापक होने और सर्वसुलभ तथा सर्वमान्य होने में है। इस विश्वास के अनुसार स्थिति के बनने में अभी काफ़ी समय लगेगा। ऐसी स्थिति के बनने के पहले हिन्दी के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि सभी प्रान्तीय भाषाओं के क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। उससे बहुत बड़े परिवर्तन होंगे।

प्रादेशिक भाषा के साथ-साथ अन्तर्प्रादेशिक या राष्ट्रभाषा के तौर पर हिन्दी जो काम आयेगी, उसका क्षेत्र निश्चित है। वह हमारी केन्द्र-सरकार के कार्यकलाप में और अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार में काम आयगी। इसके अलावा हिन्दी से जो और काम लिया जा सकता है, उसका स्पष्टीकरण करना मुश्किल है। उसकी व्यापकता और साहित्यिक क्षमता ही उसको दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश दिला सकती है। हिन्दी उसी हद तक दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश कर सकती है जिस हद तक प्रादेशिक भाषाएँ उपयोगी साबित होंगी या समझौते से हिन्दी के लिए अपने क्षेत्र स्वीकार कर लेंगी। जैसे विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के तौर पर काम आना, निश्चित शासन के दायरे में काम आना, प्रादेशिक, उच्च तथा अन्य विभागों में, जिनका अन्तर्प्रान्तीय न्यायालयों से सम्पर्क हो, काम आना आदि है। स्तर, स्थान तथा विकास की दृष्टि से भारत की सभी प्रान्तीय भाषाएँ समान ही हैं। उनमें कोई ऊँची और कोई नीची नहीं है। इसलिये उनकी तरक्की का काम भी समान रूप से ही होना चाहिये।

जब प्रत्येक भाषा के अपने-अपने अलग प्रान्त बनेंगे, तब कुछ लोगों का भय है कि प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ाने का कार्य राज्य-सरकारों के हाथों में आ जाय। उस हालत में अखिल भारतीय दृष्टि से प्रादेशिक भाषाओं से जो मदद राष्ट्रभाषा को मिलनी चाहिये, या प्रादेशिक भाषाओं के साथ राष्ट्रभाषा का जो समन्वय होना चाहिये, या प्रादेशिक भाषा-भाषियों को भी अपनी इच्छा से आवश्यकतानुसार राष्ट्रभाषा को अपनाना चाहिये, उस काम में अधिक दूरदर्शिता न दिखायी जाय। लेकिन अखिल भारतीय कार्य में जो भाषा काम आयगी, उसके लिये वर्तमान हिन्दी को सिर्फ़ बुनियाद मान लिया गया है। देश के कार्य-कलाप की जैसी-जैसी उन्नति होती जायगी और नये-नये शब्द प्रचार में आने लगेंगे, उन्हें राष्ट्रीय हिन्दी में सम्मिलित कर लेना पड़ेगा, जो हिन्दी की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं की दृष्टि से भी सर्वमान्य समझे जायें। भारत के संविधान के हिन्दी अनुवाद के विषय में इस

सिद्धांत पर अमल किया गया है। संविधान के हिन्दी अनुवाद में कितने ही ऐसे शब्द हैं जो भारत की सभी प्रान्तीय भाषाओं में चल सकते हैं। इन भारत-व्यापी शब्दों को सर्वमान्य अर्थ देकर हिन्दी भाषा में बैठाया गया है। यही काम हमारे शासन, शिक्षा तथा विज्ञान के शब्दों के चुनाव के सम्बन्ध में भी होना चाहिये।

एक ज़माना था, इस देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। संस्कृत ने प्राकृत तथा प्रादेशिक भाषाओं से कितना ग्रहण किया, उसीका इतिहास संस्कृत भाषा का इतिहास है। संस्कृत के प्रतिष्ठित पर्यायवाची कोष (अमरकोश) में जो शब्द दिये गये हैं, उनकी ठीक छानबीन की जाय तो वे सभी पर्यायवाची शब्द उसी तरह या उससे किसी विकृत रूप में किसी-न-किसी प्रादेशिक भाषा में मिलेंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रख्यात कोषकार अमरसिंह का भारत की सभी प्रादेशिक भाषाओं के साथ निकट संबन्ध था या उनके सहयोगियों ने उन शब्दों को इकट्ठा कर उनकी मदद की थी। यह भारतीय भाषाओं के समन्वय तथा संस्कार के संबंध में एक अमूल्य तथा अनोखा उदाहरण है। इतना बड़ा काम कर हमारे पूर्वजों ने भारतीय संस्कृति का और भाषा-समन्वय का एक उच्चतम सोता बनाये रखा। क्या अपार तथा अनगिनत सुविधाओं के होते हुए भी विद्वान अमरसिंह के उदाहरण को आज हम लोग दुहरा नहीं सकते ?

महाभारत के ज़माने से अब तक जितने महासंग्राम हुए हैं, उनमें प्रायः अधिकांश युद्ध किसी-न-किसी अन्याय को रोकने के लिए हुए हैं। न्याय और अन्याय के बीच की बारीक रेखा पहचानने और उसका निश्चय करने के लिए जो कसौटी काम में लायी जाती है, वह बदलती आयी है। उस कसौटी का मापदंड जनसाधारण का विवेक नहीं, बल्कि शिष्ट समाज का विवेक रहा है। संघर्ष तथा संग्राम के लिए बहुधा या तो कोई आर्थिक प्रश्न होता है, या कोई ऐसे सिद्धान्त, जिनको किसी प्रबल शक्ति का सहारा मिला हो।

पिछली सदियों में जितनी लड़ाइयाँ हुईं, वे चाहे संसार के किसी भी कोने में हुई हों, किसी जाति या राज्य की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए हुईं। इन लड़ाइयों में लाखों आदमी इस विश्वास के साथ लड़कर कट मरे कि वे अपने राज्य की श्रेष्ठता, अपने राज्य तथा जाति की श्रेष्ठता कायम रखने, अन्यायी के अत्याचार को रोकने के लिये प्राणत्याग कर रहे हैं। ऐसे प्राणत्याग के पीछे, कह नहीं सकते कि सिर्फ़ मूर्खता या पाशविकता थी। ऐसे त्याग के पीछे यह अवश्य कहना पड़ेगा कि मूर्खता और पाशविकता के साथ बहुत बड़ी भावना भी रहती है। उस भावना को उभाड़ने और उसके द्वारा पाशविक शक्ति के साथ पूरा काम लेने की क्रिया, ऐसे विशिष्ट समाज के द्वारा ही होती रही है, जो स्वयं किसी-न-किसी सिद्धान्त के पोषण में स्वाहा होना आवश्यक समझता है। मनुष्य की जो स्वाभाविक कमज़ोरियाँ हैं, उनमें अपनी मूल जाति, वंश, परिवार, धर्म, संस्कृति तथा भाषा के प्रति कर्तव्य आदि भावनाएँ बहुत ज़बर्दस्त होती हैं। इन स्वाभाविक कमज़ोरियों को उभाड़ने से, मनुष्य की भावना बहुत ही प्रबल हो जाती है। यह भावना ही इन कमज़ोरियों का पोषक है। इन कमज़ोरियों को दूर कर, उन्हें समन्वय कर समस्त मानव समाज के कल्याण की सिद्धि में लगाने के लिए ही एकेश्वरवाद, एकधर्मवाद तथा एकराज्यवाद चल पड़े हैं। "वसुधैव कुटुम्बकम्" की उक्ति का प्रचार जो भारत में हुआ, उसका फैलाव इस समय सारे संसार में भी हो रहा है।

सदियों से भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक एकता का प्रचार होने पर भी राजनीतिक एकता नहीं थी। भाग्य की बात है कि आज सारे भारत के निवासियों ने एक संविधान स्वीकार कर अपनेको

एकसूत्रित कर लिया है। यह सूत्र मज़बूत तभी तक रहेगा और विधान भी भारत के निवासियों को एक बनाये रख सकेगा, जब तक कि हम अपने परंपरागत उच्चतम आदर्श तथा सांस्कृतिक एकता की दुहाई देने के साथ-साथ देश के निवासियों की कमज़ोरियों को पहचान लें और उन्हें दूर करने के उपायों पर भी विचार करें। कोई भी विशाल देश बलवान अवश्य होता है। लेकिन उसके विस्तार की ताकत में उसकी विच्छिन्नता के भी बीज छिपे पड़े रहते हैं। उनको पहचानना और उन बीजों को बीनकर दूर फेंकना विवेकी नेतृत्व का कर्तव्य होता है। आज भारत में उमड़नेवाले स्वभाषा-प्रेम को ठीक तरह से न सम्हाला जाय, तो उसके एकता के विच्छेद में सहायक हो जाने का अंदेशा सहज होगा। यह भारत की खुशनसीबी है कि अपनी-अपनी भाषा के कट्टर प्रेमियों ने भी देश की सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ राजनैतिक एकता को संलग्न कर बनाये रखने का दृढ़ संकल्प किया है। हमारे संविधान ने, जो प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित है, भाषा और संस्कृति के रक्षण का भी आश्वासन दिया है। इससे भी स्वभाषा-प्रेम को पुष्टि मिली है। अतः हमारा यह धर्म हो जाता है कि स्वभाषा के प्रति प्रेम-भावना की शक्ति को उसके विकास और उन्नति में लगाएँ, और उस उन्नति को प्रान्तीय रूप न देकर सार्वदेशिक मान लें।

भारत के नागरिकों का संयुक्त संकल्प दृढ़तम ही नहीं, बल्कि हमारे भारतीय जीवन को संपन्न तथा समन्वयकारी बनाने की दिशा में भी सक्षम होना चाहिए। 26 जनवरी, 1950, को भारत के समस्त नागरिकों ने अपनी आवाज़ बुलंद कर अपना संकल्प यों पढ़ा :—

हम, भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :—

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक—**न्याय**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की— **स्वतंत्रता**
प्रतिष्ठा और अवसर की— **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता सुनिश्चित करनेवाली— **बन्धुता**
बढ़ाने के लिए

इस संकल्प के द्वारा इस भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।

इस महासंकल्प में देश की एकता की मज़बूत जड़ें छिपी पड़ी हैं। इस संकल्प का एक-एक अक्षर हमारे पारदर्शी नेताओं की दूरदर्शिता का परिचायक है। इस संकल्प के द्वारा स्वतंत्रता, समता, न्याय तथा पारस्परिक बंधुता का हमने एक-दूसरे को आश्वासन दिया है। व्यक्ति की गरिमा को भी हमने माना है।

संविधान में, इस संकल्प के साथ-साथ हमने अपने कुछ मूल अधिकारों को भी सुनिश्चित किया है, जो देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हैं। इन अधिकारों में भाषा तथा संस्कृति का भी ज़िक्र है। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के पाठ यों हैं :—

(1) भारत के राज्य-क्षेत्र तथा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पानेवाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसीके आधार पर वंचित न रखा जाएगा।

(3) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक लोगों को अपनी रुचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और शासन का अधिकार होगा।

(4) शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

जो मूल अधिकार इन अनुच्छेदों के द्वारा प्राप्त हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि देश के नागरिकों को अपनी-अपनी भाषा तथा संस्कृति को बनाये रखने और बढ़ाने का पूरा अधिकार है। मूल अधिकारों के साथ-साथ राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भी संविधान के भाग 4 में उल्लिखित हैं। इनमें अनुच्छेद 45 का पाठ यों है :—

राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध लगाने का प्रयास करेगा।

इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि सन् 1960 के अंदर सरकार की तरफ़ से ऐसा प्रबंध होगा जिससे देश के चौदह वर्ष की उम्र के सब बालक-बालिकाएँ साक्षर और शिक्षित हो जाएँ। तब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षित बनाने के लिए कौन कौन-सी भाषाओं को माध्यम बनाया जाएगा। इसका जवाब संविधान ने अपनी अष्टम सूची के द्वारा दिया है, जिसमें 14 भाषाओं का उल्लेख है। उनके नाम यों हैं :— 1. असमिया, 2. ओरिया, 3. उर्दू, 4. कन्नड़, 5. कश्मीरी, 6. गुजराती, 7. तमिल, 8. तेलुगु, 9. पंजाबी, 10. बंगला, 11. मराठी, 12. मलयालम, 13. संस्कृत और 14. हिन्दी।

उपरोक्त भाषाओं में संस्कृत तथा उर्दू ऐसी भाषाएँ हैं, जो किसी राज्य या प्रदेश की भाषाएँ नहीं कही जा सकतीं। अतः हिन्दुस्तान की जन-भाषाओं की संख्या कुल 12 होती है, जो साक्षरता और शिक्षा के माध्यम हो सकती हैं।

इसके अलावा संविधान का सत्रहवाँ भाग भारत की भाषा-संबंधी समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। इस भाग में भारत की संघ-सरकार की भाषा हिन्दी, और लिपि देवनागरी मानी गयी है। इसमें जो अंग्रेज़ी इस समय भारत सरकार के कार्य-कलापों में काम आ रही है, उसकी कालावधि निश्चित की गयी है। यह कालावधि कुल पंद्रह वर्ष की है; अर्थात् 1965 के बाद भारत सरकार के कार्य में अंग्रेज़ी का व्यवहार नहीं होगा, उसके स्थान पर हिन्दी राजभाषा के तौर पर बैठायी जायगी। इसके लिए देश तैयार हो और समुचित रूप से हिन्दी का विकास, विस्तार और प्रचार हो जाय, तो पंद्रह वर्ष के पहले भी अंग्रेज़ी हट सकती है। इसकी जाँच तथा परिवर्तन की सिफ़ारिश करने के लिए विधान के शुरू होने के पाँच वर्ष के उपरांत और दस वर्ष के बाद, अर्थात् सन् 1955 और 1965 में राष्ट्रपति के द्वारा आयोग (कमीशन) बैठाये जायेंगे, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 344 में इस प्रकार है :—

"राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक सभापति और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित भिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जैसे कि राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया भी आदेश परिभाषित करेगा।"

इस आयोग का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को वह नीचे लिखी बातों पर सिफ़ारिश करे :—

1. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग।

2. संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसीके लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्ध।

3. अनुच्छेद 348 में वर्णित न्यायालय संबंधी प्रयोजनों में से सब या किसीके लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा।

4. संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किये जानेवाले अंकों के रूप।

5. संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उसका प्रयोग।

6. अन्य कोई विषय, जिनके बारे में राष्ट्रपति आदेश करें।

प्रादेशिक और राजभाषा के बीच में होनेवाले संभाव्य संघर्ष का अनुमान कर संविधान कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा गठित आयोग अपनी सिफ़ारिश करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति के साथ लोकसेवाओं के बारे में अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्यायपूर्ण दावों और हितों का पूरा ध्यान रखेगा। इस आयोग की सिफ़ारिशों को संसद की लोक-सभा और राज्य-परिषद की एक संयुक्त समिति छानबीन करेगी और अपनी राय सरकार को जता देगी, जिसपर सरकार अपना निदेश निकालेगी।

अंग्रेज़ी को हटाकर अपनी प्रादेशिक भाषा को प्रादेशिक उपयोग के लिए रखने के संबंध में भी संविधान में उल्लेख है; अर्थात् जब तक कि उस राज्य के विधान-मंडल विधि द्वारा निश्चय न करें, तब तक अंग्रेज़ी का स्थान प्रांतीय भाषा या हिन्दी नहीं ले सकेगी। इसके अलावा किसी राज्य में उपयोग में आनेवाली कोई भाषा अल्पसंख्यकों की होने पर भी उसके राज्य की भाषा माने जाने का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 347 में है, जो इस प्रकार है:—

"तद्विषयक माँग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि किसी राज्य के जन समुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जानेवाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाय, तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वत्र अथवा उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे, राजकीय अभिज्ञा दी जाय।"

इस अनुच्छेद के द्वारा यह स्पष्ट है कि कोई भी भाषा अपनी सख्या के बल से दूसरी भाषा को नहीं दबा सकेगी।

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में व्यवहृत होनेवाली भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 स्पष्ट कर देता है। इस स्पष्टीकरण में पंद्रह वर्ष तक अंग्रेज़ी भाषा का स्थान मज़बूत बनाया गया है। पंद्रह वर्ष के पहले कोई परिवर्तन—अर्थात् अंग्रेज़ी का स्थान प्रादेशिक भाषा या हिन्दी को देने की दिशा में—करना हो, तो वह संसद के द्वारा ही हो सकेगा। संसद में भी कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना रखा नहीं जा सकेगा। अगर कोई प्रस्ताव रखा भी जाय, तो उसके लिये, अनुच्छेद 351 में उल्लिखित आयोग की सिफ़ारिश और संसद की संयुक्त समिति की राय प्राप्त होने के बाद ही राष्ट्रपति मंजूरी देगा। इसका यह मतलब है कि हमारे देश के नेता यह मानते हैं कि और क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा भले ही शीघ्रता से काम आय, लेकिन न्याय के क्षेत्र में, अर्थात् न्यायालयों में कोई भारतीय प्रादेशिक भाषा या हिन्दी तब तक काम न आ सकेगी, जब तक उसकी विकसित स्थिति का और उसके सक्षम होने का विश्वास न्याय के क्षेत्र में काम करनेवालों को न हो जाय। इस भाग में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक और है, जो 350 में उल्लिखित है। वह इस प्रकार है:—

"किसी व्यथा के निवारण के लिये संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य में प्रयोग होनेवाली किसी भाषा में अभिवेदन (दरख्वास्त) देने का, प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।"

अर्थात् कोई भी नागरिक, चाहे वह जिस राज्य में रहता हो, अपनी दरख्वास्त अपनी भाषा में भारत के किसी भी राज्य के अधिकारी के सामने पेश कर सकता है। दरख्वास्त की भाषा राज्य की नहीं है, इस कारण दरख्वास्त उपेक्षित या तिरस्कृत नहीं होगी। इसका अर्थ यही समझा जायगा कि भारत की भाषाओं का, सभी राज्यों में समान रूप से सम्मान होगा। एक राज्य के निवासी तथा अधिकारी अपनी भाषा के साथ-साथ देश की दूसरी भाषाओं को भी समान स्तर देंगे। इस भाग के पूरे तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की भाषाओं के पेचीदे

सवाल पर विधान के निर्माताओं ने पूरा ध्यान दिया, और उससे पैदा होनेवाली समस्याओं का हल भी ढूँढ निकाला। इस हल को प्रस्तुत करने में भारतवासियों की, अपनी-अपनी भाषा के प्रति भावना, उसके उपयोग का स्थान तथा सीमा और विकास, उनके क्रमबद्ध विकास के लिये आवश्यक समय का ख्याल भी रखा गया है। इन सभी अनुच्छेदों से नीचे लिखे निष्कर्ष निकल सकते हैं :—

1. वर्तमान समय में अंग्रेज़ी को, जो हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में तानाबाना बना हुआ है, वर्तमान स्थान से हटाकर, उसके स्थान पर भारतीय भाषाओं को बैठाने के लिए एक कार्य-क्रम चाहिये, जिसकी पूर्ति पंद्रह वर्षों में होनी चाहिए।

2. भारत की 14 भाषाओं का स्तर तथा स्थान एक ही है। अगर किसीका अधिक उपयोग और किसीका कम होता है, तो उसका कारण स्थिति तथा सुविधा ही है।

3. अंग्रेज़ी का स्थान प्रादेशिक भाषाओं को देने के लिए जनता के प्रतिनिधियों के विधान-मंडल की सम्मति चाहिये।

4. प्रादेशिक भाषाओं का विकास प्रदेश के निवासियों तथा राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है। केन्द्र की सरकार सिर्फ़ हिन्दी के विकास के लिए ही प्रयत्न करेगी। हिन्दी का विकास समस्त देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक उन्नति के विकास के साथ संलग्न है।

5. हिन्दी भाषा को राजभाषा के तौर पर कायम करने के लिए हिन्दी भाषा-भाषियों की ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा-भाषियों की राय और सहमति अत्यावश्यक है।

6. सन 1955 में तथा 1960 में एक-एक आयोग बैठाया जायगा, जिसकी सिफ़ारिश पर ही भारतीय भाषाओं के उपयोग का विस्तार हो सकेगा।

7. पंद्रह वर्ष की कालावधि के बाद भी संसद को अधिकार है कि अंग्रेजी भाषा को कुछ निश्चित प्रयोजनों के लिए रखे।

8. हमारे देश की शिक्षा में उच्च स्तरों में सामानता होने के कारण सभी प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति, स्तर तथा स्थिति भिन्न नहीं होगी।

9. हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक जीवन छोटे-छोटे दायरों में न बँटने के कारण सुशिक्षित नागरिकों की अभि-व्यक्ति समान रूप से बढ़ेगी और उसमें काफ़ी समानता आ जायगी।

10. ऊपर के निष्कर्षों के आधार पर हिन्दी के विकास का दिशादर्शन, जो अनुच्छेद 351 में आ गया है, इस प्रकार है :—

"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः इस अनुच्छेद में उल्लिखित भाषाओं तथा अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

आज भाषा की वृद्धि का प्रयत्न जिस अनु-पात में सांस्कृतिक क्षेत्र में हो रहा है, उसकी सहबद्धता दूसरे क्षेत्रों के साथ नहीं है। इस समय जन-समाज तथा शिष्ट समाज में जो चैतन्य है, उसकी अभिव्यक्ति भाषा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ रही है। रेडियो, समाचार-पत्र, तथा सिनेमा भारतीय भाषाओं को ज़्यादा प्रामाणिक और व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। लेकिन आज अंग्रेज़ी जिस तरक़्क़ी के बल पर हमारे देश में ही नहीं, बल्कि कई देशों में अपनी विजय-पताका फहरा रही है, उसको देखते हुए हमें यह कहना पड़ेगा कि अंग्रेज़ी का वर्तमान स्थान लेने के लिए सभी भारतीय भाषाओं को मिलकर बहुत ही संगठित

प्रयत्न करना पड़ेगा। भाषा, वैसे तो शिक्षा, शासन तथा सामाजिक कार्य-कलापों में पारस्परिक विचार-विनिमय के तथा सांस्कृतिक कार्य-कलापों की अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर काम आती है। सारे हिन्दुस्तान में परंपरागत सांस्कृतिक एकता होने के कारण ऊपर की प्रवृत्तियों में आनेवाले काफ़ी शब्द सार्वदेशिक रूप में पहले ही से मौजूद हैं। इसलिए हिन्दुस्तान में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम आनेवाले समान-रूपी तथा समान अर्थवाले शब्द अगर इकट्ठे किये जायँ और उन्हें हिन्दुस्तान की राजभाषा में अनिवार्य तौर पर जोड़ दिया जाय और उन्हें हिन्दी के वर्तमान व्याकरण की रचना के आधार पर भाषा के गठन तथा व्यापन में लाया जाय, तो राजभाषा में यथाशीघ्र अन्य भारतीय भाषाएँ भी प्रतिबिंबित होंगी।

भाषा के आधार पर हिन्दुस्तान के राज्यों को फिर से तकसीम किया जाय और 29 राज्यों के बदले 16 राज्य, जैसे कि इसके पहले कहा गया, बनाये जायँ, तो बहुत मुमकिन है कि भाषा और भाषा के बीच में स्पर्धा पैदा हो। इस स्पर्धा को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि प्रत्येक भाषा-राज्य में उसकी सभी पड़ोसी भाषाओं को सीखने की सुविधा हो। ज़रूरत पड़े, तो उच्च विद्यालयों में उन भाषाओं के साहित्य और शिक्षण का भी प्रबंध किया जाय। उसका पूरा खर्च प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी तरफ़ से दे। पड़ोसी भाषाओं के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं को सीखने का भी प्रबंध अवश्य सभी विश्व विद्यालयों में होना चाहिए जिनके सिखाने का प्रबंध भारत की संघ-सरकार की तरफ़ से हो। ऐसी हालत में सभी भाषाओं को समान सम्मान, स्तर तथा स्थिति मिलने के कारण आपस की स्पर्धा बहुत कम हो जायगी; और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा यह होगा कि एक-दूसरे के सम्मिलन से भारतीय भाषाएँ समृद्ध होंगी और उनकी सारी समृद्धि एकता की तरफ़ जायगी और साथ ही संभवतः कुछ वर्षों में अंतर्प्रान्तीय कार्य तथा दृष्टि के सभी शिक्षित नागरिक, अपनी तथा राजभाषा को ऐसे काम में लाने लग जायँगे कि उनकी मातृभाषा की ही पहचान न हो सके।

जहाँ तक हो सके, ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि प्रांतीय भाषा और राजभाषा के बीच में कोई संघर्ष ही न पैदा हो। इसके लिए चाहे जो समय लगे या त्याग करना पड़े। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि प्रांतीय भाषाओं की भी उन्नति की योजना राजभाषा की उन्नति की योजना के साथ-साथ बने और सभी राज्य तथा संघ सरकार भारतीय भाषाओं की उन्नति का एकसाथ प्रयत्न करें। यह उन्नति सभी दशाओं में होनी चाहिए। शासन के क्षेत्र में जो इस वक्त अंग्रेज़ी काम आ रही है, उसकी जगह पर स्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार प्रांतों में प्रांतीय भाषा तथा अंतर्प्रांतीय व्यवहार में राजभाषा को स्थान मिलना चाहिए।

अंग्रेज़ी का स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी अड़चन इस वक्त भारतीय भाषाओं की साहित्य-क्षमता की कमी के साथ भारतीय लिपियों की भी कमी है। छपाई, मुद्रा-लिपि, शीघ्र लिपि और विद्युत् लिपि के क्षेत्रों में अंग्रेज़ी भाषा तथा लिपि ने कमाल की तरक्की की है। यह तरक्की सभी भारतीय लिपियों में एकसाथ होना तो असंभव है। इस समय हिन्दुस्तान में कुल 10 लिपियाँ हैं, जो इस प्रकार हैं:— 1. नागरी, 2. बंगला, 3. ओरिया, 4. तेलुगु, 5. तमिल, 6. कन्नड़, 7. मलयालम, 8. गुजराती, 9. पंजाबी और 10. फ़ारसी। इनमें बंगला और असामी लिपियाँ करीब-करीब एक हैं, जिनको काम में लानेवालों की संख्या कोई साढ़े तीन करोड़ है। मराठी और हिन्दी के लिए नागरी लिपि ही काम आती है। कश्मीरी और उर्दू के लिए फ़ारसी लिपि काम आती है। तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में इतनी समानता है कि प्रयत्न करने पर वे दोनों एक लिपि हो सकती हैं। उस हालत में कम-से-कम 9 लिपियों का उपयोग हिन्दुस्तान में जब होगा, तो इन सबका विकास एकसाथ होना बहुत

ही कठिन होगा। भाग्यवश हिन्दुस्तान की सभी प्रांतीय भाषाओं की वर्णमाला एक है। इससे लिपियों के उपयोग के लिए काम में आनेवाले यंत्रों में अधिकतर समानता हो सकती है। अक्षरों के भिन्न होने पर भी कठिनाई अधिक नहीं पड़ेगी। भारतीय वर्णमाला के आधार पर भारतीय लिपियों को प्रामाणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोई योजना तुरंत बन जानी चाहिए। इस आशा में—कि किसी-न-किसी समय हिन्दुस्तान में एक लिपि हो जायगी, वह नागरी होगी और अन्य भारतीय लिपियाँ अपने-आप लुप्त हो जाएँगी—भारतीय लिपियों के विकास की उपेक्षा करना बड़ा ही खतरनाक होगा। जनता की भावना भाषा की तरफ़ जितनी ज़ोरदार है, उतनी ही ज़ोरदार लिपि के संबंध में भी हो सकती है। इसलिए भारतीय लिपियों को मिटाकर एक लिपि के प्रचार करने की कोशिश करना बरों के छत्ते को छेड़ना जैसा ही होगा।

इसमें संदेह नहीं कि हिन्दुस्तान के लिए एक सामान्य लिपि की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति यथाशक्ति शीघ्र करनी भी चाहिए। कुछ लोग एक लिपि की बात जब सोचते हैं, तो यह समझते है कि दूसरी सब लिपियों को मिटाकर उनके स्थान पर किसी एक लिपि को स्थापित करना है। यह विचार बिलकुल ग़लत है। जहाँ तक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शासन के क्षेत्रों का सवाल है, वहाँ एक सामान्य लिपि का उपयोग अभी से हो सकता है, राष्ट्रीय साक्षरता के बाद नहीं। भारत की संघ-सरकार की लिपि के तौर पर विधान ने नागरी लिपि को माना है। इसलिए संघ-सरकार के या भारत के किसी भी राज्य की सरकार के नौकर के लिए नागरी लिपि सीखना अनिवार्य बना देना चाहिए, जिससे कि कोई व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संघ-सरकार की भाषा हिन्दी या किसी भी भाषा के लिए नागरी लिपि काम में ला सके या नागरी लिपि का कोई भी मज़मून आसानी से पढ़ सके। उस हालत में सारे राज-काज में आनेवाले पत्र-व्यवहार के लिए या भारतीय सरकार से ताल्लुक रखनेवाले इश्तहार और इज़हारों के लिए एक लिपि प्रांतीय लिपि के साथ काम आ सकती है। धीरे-धीरे शिक्षित समाज इस लिपि से परिचित हो जायगा और प्रांतीय लिपि के साथ नागरी लिपी का प्रचार होता जायगा। 10-15 वर्ष के अर्से में हम भी यह आशा रख सकते हैं कि सारे हिन्दुस्तान के पढ़े-लिखे लोग अपनी लिपि के साथ-साथ नागरी लिपि से भी परिचित हो जाएँ, ताकि हिन्दुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही लिपि में सर्वसाधारण नाम लिखे जा सकें, और केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से आनेवाले नोट, टिकट, इश्तहार या कोई ऐसी चीज़ पढ़कर लोग उसका अर्थ समझ सकें। यह कोई मुश्किल का काम नहीं है। इसमें उदारता, सहृदयता तथा सहानुभूति के साथ लोगों की सीमाओं को और उनकी आवश्यकताओं को समझकर काम करने का सवाल है। ऐसा न करें और एक लिपि के उत्साही प्रांतीय लिपियों के खिलाफ़ बढ़ने लग जाएँ, तो एक लिपि का होना तो दूर, एक भाषा के होने में भी ख़तरा हो जायगा।

6

राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हिन्दुस्तान जैसी उन्नति करता जा रहा है, उसको देखते हुए यह स्पष्ट मालूम होता है कि भारत का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। भारत की वर्तमान स्थिति की तुलना जब हम संसार के दूसरे राष्ट्रों से करते हैं, तब और भी उत्साहित होते हैं। प्रायः संसार के सभी बड़े-बड़े राज्य किसी-न-किसी समस्या में फँसे हुए हैं। रूस की अवस्था कामरेड स्टालिन के देहावसान के बाद गिरती जा रही है। किसी समय ऐसा मालूम हुआ कि चीन अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच पर अग्रासन ग्रहण करेगा और साम्यवादी राज्यों का

नेता बनेगा। शायद हज़ारों वर्षों की पुरानी सभ्यता तथा संस्कृति को नये सांचे में ढालना चीन को कष्टतर मालूम हो रहा है। इसलिए उसका भी स्थान ऊँचा होने में समय लगेगा। अमरीका सबसे ज़्यादा बलिष्ठ, संपन्न और साथ ही लालची होने के कारण उसका नेतृत्व स्वीकार करने में दूसरे राज्यों को अवश्य दिक्कत होगी। पिछले महायुद्ध के बाद यूरोप के बड़े बड़े राज्य तहस-नहस हो गये हैं। मध्य एशिया और पूर्वी देशों की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं कि संसार के किसी उच्च सिद्धान्त की रक्षा के लिए वे त्याग कर दिशा-दर्शन करा सकें। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश है, जिसे लोकपूज्य महात्मा गांधी के वारिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व का भाग्य मिला है। इसलिए हिन्दुस्तान को संसार के राज्यों के बीच में अग्रस्थान प्राप्त करने और उसको कायम रखने में औरों की अपेक्षा ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त हैं।

स्वराज्य प्राप्त करने के बाद देश-भर में अन्न-संकट एक बड़ी समस्या हो गयी थी। धीरे-धीरे देश के नेताओं ने उसे हल कर लिया। संभवतः दो तीन साल के अन्दर अन्न-संकट की समस्या फिर से सिर न उठायेगी। अन्न-संकट की समस्या के अधिकांश कारण थे देश की गरीबी, व्यापारियों की बेईमानी और अन्न के वितरण में अव्यवस्था। अब वितरण ज़्यादा व्यवस्थित हो गया है। पर देश के गरीबों को भरपेट अब भी अन्न नहीं मिल रहा है। हिन्द सरकार ने काफ़ी दूरदर्शिता के साथ काग़ज़ी धन के ऊपर ज़्यादा नियंत्रण रखना शुरू किया है। प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार बना हुआ संविधान अमल में आया, और देश-भर के बालिग़ मतदाताओं ने अपने प्रतिनिधियों को चुना; और राज्य के प्रतिनिधियों ने अपनी ज़िम्मेदारी सम्हालना शुरू किया है। वह एक तरह से आज प्रजातंत्र हिन्दुस्तान में सौ फ़ी सदी अमल में है और वह ठीक तरह से आज़माया जा रहा है। अपनी सीमाओं के अन्दर वह कार्य भी अच्छा कर रहा है। लेकिन इस प्रजातंत्र के द्वारा प्राप्त होनेवाले अधिकारों के महत्व को कुछ नेताओं ने ज़रूरत से ज़्यादा समझा। उसे सेवा-क्षेत्र का ज़रिया न बनाकर सत्ता-प्राप्ति का मार्ग बनाना शुरू किया। फलतः आज देश के सामने प्रादेशिक, सांप्रदायिक और भाषाओं की समस्याएँ उपस्थित हुई हैं। जो समस्याएँ इस समय देश के सामने हैं, उनमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तथा कठिनतर समस्या भाषावार राज्यों की है। ता. 1 अक्टूबर को भाषावार सिद्धान्त के अनुसार आन्ध्र के लिए अलग राज्य अमल में आयेगा। कर्नाटक के लिए अलग राज्य बनाने की कोशिश में तीव्रता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संयुक्त महाराष्ट्र बनाने के प्रयत्नों में महाराष्ट्र के नेता अग्रसर हैं। ऐक्य केरल की आवाज़ भी बुलंद होती जा रही है। यद्यपि भाषा की यह समस्या अधिकतर दक्षिण भारत की ही है, फिर भी उसका असर सारे हिन्दुस्तान के ऊपर पड़ेगा ही। इस समस्या के साथ दक्षिण हिन्दुस्तान की करीब 15 करोड़ जनता का संबंध है। इसलिए इसपर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। छोटी समस्या जब उग्र रूप धारण करती है, तो उसपर अग्र नेताओं को अवश्य ध्यान देना पड़ता है। उसकी शक्ति अनावश्यक खर्च होती है। इसलिए जहाँ तक हो सके यथाशीघ्र इस समस्या को समझना, और उसके लिए सर्वमान्य हल ढूँढना आवश्यक है।

वैसे तो हिन्दुस्तान की भाषा समस्या किसी प्रदेश या समूह या क्षेत्र से संबंध रखनेवाली नहीं है, वह तो समूचे देश से ताल्लुक रखनेवाली है। स्वतंत्र होने के बाद सारे देश के लोग अंग्रेज़ी से, जिसके भार से वे दो सौ वर्ष से दबे पड़े हैं, अपनेको मुक्त करना चाहते हैं। आज अंग्रेज़ी का आतंक सारे हिन्दुस्तान पर, सभी प्रदेशों, समूहों और क्षेत्रों में, समान रूप से छाया हुआ है। इसलिए जब देश को अंग्रेज़ी से मुक्ति मिलेगी, तब उसका स्थान लेनेवाली भाषाएँ सभी भारतीय भाषाएँ होंगी। अंग्रेज़ी अपनी गद्दी पर किसी एक भाषा को

बैठाकर नहीं जायेगी; न कोई एक भाषा बिना और सब भाषाओं को राज़ी किये उस गद्दी पर बैठ ही सकती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि देश इस बात पर विचार करे कि अंग्रेज़ी का स्थान भारतीय भाषाएँ कैसे ले सकती हैं, और अपनी कमियों को कैसे पूरा कर वे संपन्न हो सकती हैं।

यह सच है कि अंग्रेज़ी को फैलाने में ब्रिटिश सरकार की मदद ज़बरदस्त थी। उसी मदद से वह इस देश में पनपी, फैली और जम गयी। वह सरकार उस समय सार्वभौमिक थी। जनता का या जनता के प्रतिनिधियों का उसके साथ कोई संबंध नहीं था। लेकिन आज जो सरकार हिन्दुस्तान में संविधान के अनुसार कायम हुई है, उसमें सार्वभौमिक अधिकार किसी एक का नहीं है; वह जनता को प्राप्त है। इसलिए सरकार के वे पूरे अधिकार अब भिन्न-भिन्न राज्यों में बँटे हुए हैं, जो भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के बीच में फैले हैं। जब जनता के प्रतिनिधि अपने राज्य को सम्हालने लगेंगे, तो सहज ही उसके लिये अपनी भाषा का उपयोग करना चाहेंगे। तब भाषा-भाषा के बीच में, प्रान्त-प्रान्त के बीच में और केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के बीच में संघर्ष शुरू होना स्वाभाविक है। अगर आज अंग्रेज़ी को न हटाया जाय, तो यह संघर्ष कुछ दिन तक स्थगित हो सकता है, लेकिन उसे हटाना किसी समय आवश्यक है ही। उसका प्रयत्न अगर आज से न करें, तो अंग्रेज़ी को हटाना आगे और भी मुश्किल साबित होगा। इसलिए हिन्दुस्तान की भाषा-समस्या को अंग्रेज़ी बराये नाम भारतीय भाषाएँ मानना चाहिए, न कि अंग्रेज़ी बराये नाम हिन्दी मराठी या बंगला या और कोई एक भाषा। इन्हीं सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर भारत के संविधान ने संघ-राज्य की भाषा हिन्दी को प्रान्तीय भाषाओं के साथ पिरोया। सिद्धान्ततः यह ठीक ही नहीं, बल्कि एक अत्यावश्यक और अनिवार्य कार्य है। अभी से उसे संपन्न करने के लिए एक अमली कार्यक्रम का होना बहुत ज़रूरी है। सार्वदेशिक तथा सामूहिक ढंग पर यह कार्य जब तक नहीं संपन्न होगा, तब तक यह समस्या और ज़्यादा उलझती जायेगी।

इसी तरह के विचारों से प्रेरित होकर अभी हाल ही में पूना यूनिवर्सिटी की तरफ़ से उसके उपाध्यक्ष डा० जयकर ने भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक सम्मेलन बुलाया। इसमें कुछ सरकारी प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तीन दिन तक इस समस्या की भिन्न-भिन्न पहलुओं पर बहस हुई। यद्यपि यह देश के सामने स्पष्ट नहीं आया कि इस सम्मेलन का परिणाम क्या होगा, और उसमें अमली कार्य-क्रम क्या प्रस्तुत किया गया, फिर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि कन्नड़ भाषा के धुरंधर विद्वान श्री मास्ति वेंकटेश्वर अय्यंगार, भाषा-विज्ञान के प्रकांड पंडित डा० सुनीत कुमार चटर्जी जैसे कुछ मनीषियों ने इसपर ध्यान देना शुरू किया है। भारतीय भाषाओं के अनन्य प्रेमी डा० रघुवीर ने अध्यक्ष-पद से इस सम्मेलन का दिशा-दर्शन कराया। इस सम्मेलन में हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं के संबंध, उनके विकास के बारे में भी समुचित चर्चा हुई और विद्वान प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार स्पष्ट रखे। श्री वेंकटेश अय्यंगार ने इस बात पर आपत्ति भी उठायी कि हिन्दी राष्ट्रभाषा न कही जाय, उसे सिर्फ़ सरकारी भाषा कहा जाय। यद्यपि सम्मेलन भारतीय भाषा-विकास-परिषद के नाम से मशहूर हुआ था, तथापि उसके बारे में कहा यही जाना चाहिए कि उसमें, प्रान्तीय भाषाओं का भविष्य हिन्दी के साथ कैसे संलग्न होगा, इस बात पर अधिकतर विचार-विनिमय हुआ। वह सम्मेलन सफल हुआ। बार-बार विश्वास दिलाने पर भी प्रादेशिक भाषावादियों का भय दूर नहीं हो रहा है। जब कभी कोई हिन्दी भाषा-भाषी हिन्दी के विकास और विस्तार की तरफ़ देश का ध्यान आकृष्ट करते हैं, तो लोगों का भय बढ़ता जा रहा है इसका एकमात्र कारण यही है कि लोगों का यह ख्याल है कि प्रजातंत्र की शक्ति आजकल

कार्य-संचालन की सुविधा और क्षमता के विचार से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का कार्य-क्षेत्र पंद्रह मंडलों में विभाजित किया गया है। ऊपर के चित्र में सभा के मंत्रियों के साथ मंडल-संगठक भी दर्शित हैं।

बायीं ओर से—(बैठे) 1. श्री एस. श्रीकंठमूर्ति (मंत्री, कर्नाटक प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा), 2. श्री एस. आर. शास्त्री (मंत्री, तमिलनाडु हिन्दी प्रचार सभा), 3. श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या (मंत्री, आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ), 4. श्री मो. सत्यनारायण (प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा), 5. श्री अवदनंधन (संयुक्त मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा), 6. श्री एन. वेंकटेश्वरन (मंत्री, केरल प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा), 7. श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा (मंत्री, हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ) और 8. श्री एस. महालिंगम (सभा के परीक्षा-मंत्री) **(खड़े)** 1. श्री तंगप्पन (संगठक, दक्षिण तमिलनाडु मंडल), 2. श्री चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा (संगठक, पूर्वांध्र मंडल), 3. श्री चंद्रभट्ट अप्पन्न शास्त्री (संगठक, दक्षिणांध्र मंडल), 4. श्री ए. वी. श्रीनिवासमूर्ति (संगठक, पूर्व मैसूर मंडल), 5. श्री ए. पी. वेंकटाचारी (संगठक, उत्तर तमिलनाडु मंडल), 6. श्री जी. सुब्रह्मण्यम (संगठक, पूर्व तमिलनाडु मंडल), 7. श्री एस. चंद्रमौली (संगठक, पश्चिम तमिलनाडु मंडल), 8. श्री सी. जी. गोपालकृष्ण (संगठक, उत्तर केरल मंडल), और 9. श्री सी. आर. नाणप्पा (संगठक, दक्षिण केरल मंडल)

दक्षिण भारत के
15 मंडलों में विभक्त कार्यक्षेत्र का परिचय

मंडल	जनसंख्या (लाखों में)	साक्षर (लाखों में)	हिन्दी जाननेवाले (लाखों में)	हिन्दी प्रचारक	1955 के परीक्षार्थी (हज़ारों में)
1. पूर्व आन्ध्र	65·8	7·9	1·90	323	5
2. मध्य आन्ध्र	72·8	13·4	4·02	877	6
3. दक्षिण आन्ध्र	64·6	9·1	2·10	213	6
4. उत्तर तमिलनाडु	108·4	16·8	1·92	221	3
5. मध्य तमिलनाडु	95·2	18·6	4·06	374	5
6. दक्षिण तमिलनाडु	74·1	16·4	3·00	364	4
7. दक्षिण केरल	50·0	30·0	5·86	511	5
8. मध्य केरल	42·0	28·0	5·28	306	2
9. उत्तर केरल	48·1	14·8	3·08	334	2
10. उत्तर मैसूर व कुर्ग	50·0	12·5	1·61	202	7
11. पूर्व मैसूर	51·4	12·8	2·46	244	7
12. पश्चिम कर्नाटक	67·0	13·4	4·74	469	26
13. उत्तर कर्नाटक	60·0	10·0	1·06	13	1
14. तेलंगाना	80·0	13·3	1·36	81	1
15. मद्रास शहर	14·2	4·3	1·75	307	4
कुल	943·6	221·3	44·29	4839	84

जनसंख्या-बल के द्वारा ही आंकी जाने लगी है; और तथाकथित हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या और लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए प्रजातंत्र के नाम से दूसरी भाषाएँ कुचली न जायँ। यही शंका इस भय के मूल में है। इसी कारण से जब कभी पार्लिमेंट या किसी और जगह पर हिन्दी की चर्चा चलती है, तो दूसरे प्रान्तवासी चकित हो उठते हैं।

इस समय जनमत बनाने के काम में सब से बड़ा ज़बर्दस्त साधन समाचार-पत्र हैं। भारत के वर्तमान पत्रों में अंग्रेज़ी पत्रों की धाक अब भी ज्यों-की-त्यों है। अंग्रेज़ी पत्रों का दिशा-दर्शन तथा प्रेरणा से ही प्रादेशिक भाषाओं के पत्र अपनी विचार-दिशा को निश्चय करते हैं। अंग्रेज़ी पत्र तथा अंग्रेज़ी पत्रकारों के लिए हिन्दी के हितैषी होना बहुत मुश्किल है। उनमें कुछ तो अंग्रेज़ी को बहुत उँची दृष्टि से देखते हैं, और हिन्दी की न्यून स्थिति के ऊपर उनकी सहानुभूति है। लेकिन उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त होना कठिन है। इस अंग्रेज़ी के गढ़ को तोड़ने का काम न हिन्दी अकेले कर सकती है, न प्रादेशिक भाषा ही। हिन्दी तथा सभी प्रादेशिक भाषाएँ मिलकर इस गढ़ के ऊपर धावा बोल सकती हैं; और उसके क्षेत्र पर कब्ज़ा कर सकती हैं। अतः आज हिन्दी आंदोलन का मतलब भारतीय भाषाओं का आंदोलन ही समझा जाना चाहिए। हिन्दी का प्रान्तीय भाषा के तौर पर भी अस्तित्व है। वह कुछ इने-गिने प्रान्तों में है। समस्त भारत में जो उसका अस्तित्व है, वह तो प्रादेशिक भाषाओं को लेकर ही है। इसलिए प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति ही हिन्दी की उन्नति है। उसको अलग कर न तो भारतीय सरकार उसका विकास कर सकती है, न हिन्दी भाषा-भाषी। सब मिलकर ही उसे उस स्थिति पर पहुँचा सकते हैं, जिस स्थिति पर पहुँचने से ही वह सर्वमान्य सार्वदेशिक भाषा हो सकती है।

इसलिए हमें, प्रत्येक भारतीय को, भाषा, साहित्य तथा संस्कृति का कार्य करने के लिए संस्थाओं, समाज तथा सरकार के सामने यह दृष्टि रखनी होगी कि सभी भारतीय भाषाएँ समान हैं। उनकी स्थिति और स्तर, मान और सम्मान बराबर हैं। उन सबकी वृद्धि समान रूप से होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम के तौर पर सभी भारतीय भाषाओं को समान रूप से उन्नति कर लेनी चाहिए। इन सभी भारतीय भाषाओं की उन्नति के समतल से ही हमारी भारतीय हिन्दी निकल आयेगी, जिसके द्वारा अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार होगा, केन्द्रीय सरकार का कार्य चलेगा, संसद में बोलचाल, विचार-विनिमय की भाषा निकल आयेगी। हिन्दुस्तान के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में विचार-विनिमय के लिए अन्तर्प्रान्तीय वाणी होगी, और उसके द्वारा सभी भारतीय भाषाएँ अपनी-अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक उत्कृष्टता का अभिव्यंजन करेंगी। इसके लिए योजना चाहिए। योजना सार्वदेशिक होनी चाहिए। इस योजना में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के बीच में अधिक-से-अधिक लेन-देन होना चाहिए, समझौता चाहिए, सहनशीलता चाहिए। इस योजना को बनाने के लिए देश के उच्चकोटि के विद्वानों का सहयोग चाहिए। इसके प्रचार के लिए प्रचारकों की शक्ति चाहिए, और सरकार तथा जनता के अधीन सब साधनों का सम्मिलित उपयोग चाहिए; और इस योजना को अमल में लाने के लिए केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों का पूरा सक्रिय सहयोग तथा धन और शक्ति चाहिए।

*

वाङ्मय और उसके वाहन

विश्व-वाङ्मय के प्रांगण में भारतीय वाङ्मय का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इस विशिष्टता का मुख्य कारण उसका अत्यधिक प्राचीन होना ही नहीं, बल्कि उसका विशेष तेजस्वी और स्वयंपूर्ण होना भी है। कहा जाता है कि भारतीय वाङ्मय का प्रारंभ वेदों से हुआ। यह भी कहा जाता है कि भारत के चारों वेदों में जो वाङ्मय शब्दबद्ध है, वह उस समय की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति का परिचायक है। प्राचीनकाल में जिस समाज की रचना हुई और उस रचना के अन्तर्गत बौद्धिक, मानसिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों का जो विकास हुआ, उस विकास के लिए जिन प्रतीकों का अवलंबन लिया गया, उन प्रतीकों में जैसे-जैसे गुण, शक्ति, स्फूर्ति तथा रूप आदि भरे गये, उन्हींका वर्णन वेदों में पाया जाता है। वह वर्णन इतना आकर्षक, शक्तिशाली, कलापूर्ण तथा कल्पनामय है कि उससे कोई भी मनुष्य प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इस वाङ्मय की रचना हुए दस हजार वर्ष से अधिक हो गये। इस रचना में रचनाकारों ने प्रायः सभी तरह के ज्ञान को कूट-कूटकर भर दिया है। उस समय जो ज्ञान प्राप्त हो सकता था, जिसके द्वारा मनुष्य-समाज का उत्थान हो सकता था, उसे इन वेदों में समाविष्ट किया गया है।

ज्ञान सभी क्षेत्रों का है; बौद्धिक, मानसिक, व्यापारिक तथा व्यावहारिक ही नहीं, बल्कि समाज को भिन्न-भिन्न कर्तव्यों के पालन के लिए जिन विषयों के ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें भी वेदों में अंकित किया गया है। वेद के रचनाकारों की जानकारी की व्यापकता, अनुभव की अगाधता, अभिव्यक्ति की सुन्दरता, विस्तार की सीमा को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है; यह भी मानना पड़ता है कि साधारण मनुष्यों द्वारा इस तरह का कार्य होना असंभव है, और इसी कारण वेदों को अपौरुषेय कहने के साथ उन्हें सभी तरह के ज्ञान का उद्गम भी माना गया है।

इन वेदों में जिन सिद्धांतों का उत्तम विवेचन है, उत्कृष्ट चरित्रों की कल्पना तथा वर्णन है, प्रकृति, उसके स्वभाव तथा सुन्दरता का हृदयंगम चित्रण है, व्यक्ति-धर्म, समाज-धर्म तथा राज-धर्मों का स्पष्टीकरण है, और इन सभी धर्मों के पालन के लिए जिस तरह के संगठन तथा व्यवस्था का प्रतिपादन है, उसको ध्यान में रखते हुए यही कहा जायगा कि समस्त विश्वकोषों में सबसे प्रधान तथा प्रथम विश्वकोष का निर्माण भारत देश में हुआ, और आज भी उस कोष में प्रतिपादित सिद्धांत, गुण, तथ्य तथा व्यवस्था हज़ारों वर्षों के गुजरने पर भी हमारे लिए वैसी ही अनुकरणीय है, जैसी कि उस समय मानी गयी थी।

जिस भाषा में हमारे वेदों की रचना हुई, वह वैदिक संस्कृत कहलाती है। वेदों के समय की संस्कृत भाषा तथा लौकिक संस्कृत भाषा के काव्यकाल में और कालिदास आदि कवियों की संस्कृत भाषा में बड़ा अन्तर है। यह कहना मुश्किल है कि जिन रचयिताओं ने वेदों की रचना की, उन्होंने अपनी भाषा को संस्कृत का नाम दिया होगा या नहीं। वेदों की रचना के बाद जो रचनाएँ हमारे देश में हुईं, उनमें अधिकांश प्राकृत भाषा में हुई थीं। प्राकृत को अपने वाङ्मय का आधार बनाने पर उसके विशेष परिष्कृत होने के बाद ही हमारे देश की भाषा उत्तम काव्यों के साहित्य का वाहन बनकर पुष्ट बनी। उसमें अत्यधिक पुष्ट भाषा को ही हम उच्चतम संस्कृत कहते हैं। इसलिए जिस संस्कृत को हम भारतीय भाषाओं की माता मानते हैं, वह एक प्राकृतिक भाषा नहीं, बल्कि सामासिक भाषा है। इसलिए संस्कृत हमारे देश के पंडितों तक ही सीमित रही; जनसाधारण

में सहज रूप से नहीं फैल सकी। प्रायः संसार की सभी सामासिक भाषाओं का अंत में यही हाल होता है।

हमारे वैदिक वाङ्मय में चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद् शामिल हैं। इन रचनाओं में जिन शाश्वत सत्यों का वर्णन है, वे बहुत ही गूढ़ तथा क्लिष्ट और सूत्रबद्ध भाषा में निहित पड़े हैं। उनको जनता तक पहुँचाने के लिए देश के विद्वानों ने यह आवश्यक समझा कि इन तथ्यों के मर्म तथा उनके अनुष्ठान सरल भाषा में लिखकर जनता तक पहुँचाये जायँ। इसी कारण सरल संस्कृत में महाभारत तथा रामायण की रचना हुई। सरल संस्कृत भी प्राकृत भाषा न होने तथा सामासिक होने के कारण सर्वसाधारण जनसमाज में प्रवेश न कर पायी। ज्ञान से वंचित जनता उच्चवर्गीय बुद्धिजीवी समाज के लिए भाररूप ही नहीं हो जाती, बल्कि उसके उपद्रवी बन जाने की भी संभावना रहती है। किसी-न-किसी रूप में जनता के पास ज्ञान का पहुँचना अत्यावश्यक है। उच्च वर्ग के ज्ञानी पंडितों ने जनता को कर्मण्य, सेवाभावी, शान्तिप्रेमी तथा पोषक बनाने के लिए उन्हींकी बोलियों में भारत के आदि वाङ्मय की विशिष्टताओं को शब्दबद्ध और छंदोबद्ध किया। ये विशेषताएँ हम देशव्यापी, लोकप्रिय, विराट ग्रन्थ रामायण व महाभारत में पाते हैं। फलतः आज हम प्रायः भारत की सभी भाषाओं में इन दोनों महाकाव्यों का अनुवाद देखते हैं। भारत के अपौरुषेय वेदों के ज्ञान का निचोड़ इन दोनों काव्यों में दिया हुआ है। आज ये दोनों काव्य संसार के उत्तम ग्रंथों में ही नहीं गिने जाते, बल्कि सभी तरह की स्थिति तथा स्तर के नर-नारियों के लिए शांति तथा शक्ति, भक्ति तथा मुक्ति के साधन-से हो गये हैं। महाभारत के रचयिता वेदव्यास और रामायण के रचयिता वाल्मीकि एक तरह से भारतीय भाषाओं में जनसंस्कृति तथा वाङ्मय के आदि स्रष्टा कहे जा सकते हैं। उसके पहले के वाङ्मय के रचयिताओं में न किसीके नाम का पता है, न उनके प्रदेश व जाति आदि की खबर है। अपने नाम तथा अपनी कीर्ति की आकांक्षा छोड़कर इन रचयिताओं ने रचनाओं की कीर्ति में ही अपनेको भी अमर बनाया।

प्राचीन काल की हमारी संस्कृति— आध्यात्मिक, आधिभौतिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक—इसी तरह हमारे पुराणों में अवतरित हुई। हम उस समय की परिस्थितियों के अनुसार सीमित अर्थ में, अपने पुराणों को भारतीय विश्वकोष (एनसैक्लोपीडिया) कह सकते हैं। उसी विश्वकोश को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिभावान साहित्यकारों ने उसे देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवादित किया। विश्वकोषरूपी ये भारतीय महाग्रंथ, अर्थात् रामायण और महाभारत इस समय भारत की प्रायः सभी भाषाओं में अनुवादित हुए हैं। कहीं-कहीं अनुवादकारों ने मूल कथा-वस्तु को यथा-तथा रखकर अपनी-अपनी प्रतिभा के अनुसार सुसज्जित कर उसे अधिक रसमयी, कलामयी तथा काव्यमयी बनाया; और पात्रों के विश्लेषण तथा चित्रण में अपनी-अपनी कल्पना से भी काम लिया।

यही कारण है कि कोई तुलसीकृत हिन्दी रामायण को वाल्मीकि रामायण से भी सुंदर मानते हैं, और कोई-कोई संस्कृत के महाभारत से भी तेलुगु महाभारत को सुंदर मानते हैं। अनुवाद की विशेषताओं तथा सुंदरता का कारण रचयिता की कल्पना के साथ-साथ उस भाषा की विशेषता भी हो सकता है। रचयिता की शैली की सरसता, शब्दों की प्रौढ़ता, कल्पना की सुंदरता, ध्वनि-समुच्चय का संयोग भी अधिकांश में कारण हो सकते हैं। आज अपनी-अपनी भाषा में रचित इन महाग्रंथों से प्रवाहित संस्कृति-स्रवन्ती में अवगाहन कर भारत की जनता भाषा में विभिन्न होने पर भी संस्कृति में एकता का अनुभव करती है। इस एकता में जितना तथ्य है, उतनी ही वास्तविकता विभिन्नता में भी है। यह विभिन्नता उतनी ही प्राचीन है, जितनी कि हमारी एकता है। हमारी संस्कृति-

स्रवन्ती की मूलधारा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही भाषा में रूपांतरित उसकी अभिव्यक्ति भी है।

उदाहरण के लिए ब्रजभाषा में वर्णित रासलीला को लें। रासलीला के दर्शन बंगाल, असाम, उड़ीसा में वहाँ के भाषाभाषी, भाषा की दृष्टि से मूल वस्तुओं के एक न होने पर भी अपनी भाषाओं में करते हैं। रूपांतरित अभिव्यक्ति में उस-उस प्रदेश के लोगों को वह ज़्यादा बुद्धिगम्य, हृदयगम्य होगी, और वे ज़्यादा संतुष्ट होंगे। रासलीला के ब्रजभाषा में लिखे हुए पाठ से जितना आनंद और सुख ब्रजभूमि के निवासी प्राप्त कर सकते हैं, उतना आनंद तेलुगु जनता ब्रजभाषा में रासलीला देखकर नहीं प्राप्त कर सकती। तेलुगु जनता के लिए या तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए पोतना-द्वारा रचित भागवत का दशम स्कन्ध चाहिये, या क्षेत्रय्या के सुन्दर पद चाहिये। अतः देश की एक भाषा के प्रचार में या भाषाओं के समन्वय में इस वस्तुस्थिति को भूलने से बड़ा ही खतरा पैदा होगा, और इस वस्तुस्थिति के अनुकूल वातावरण पैदा करने से अत्यधिक लाभ मिलेगा।

जन-साहित्य के जिन महारथियों ने अपने भगीरथ-प्रयत्न से संस्कृत की मूल स्रवन्ती को जनता-जनार्दन तक पहुँचाने की कोशिश की, उन्होंने प्रायः भारत की सभी भाषाओं में एक सर्वसाधारण सिद्धांत को अपनाया। वह सिद्धांत यह है कि भाषा का स्वरूप, शैली, शब्द तथा समास में तथा रचना के विस्तार में वैसे ही शब्द प्रयोग में लाये जायँ, जिन शब्दों को जनता आसानी से ग्रहण कर सकती है, उच्चारण कर सकती है, और उसे धारण कर मनन तथा पचन कर सकती है।

प्रादेशिक भाषाओं के सभी प्रतिभावान रचयिता संस्कृत के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। फिर भी उन्होंने अपनी रचना में इस बात का अधिक-से-अधिक ध्यान रखा कि वे ही शब्द अपनी रचना के काम में लाये जायँ जो देश के लिए सहज और प्राकृतिक हों, कठिन और सामासिक न हों, संस्कृत के धुरंधर विद्वान होते हुए भी तुलसी और सूर, विद्यापति और बिहारी ने अपने काव्यों में संस्कृत के सामासिक शब्दों तथा वर्ण-समुच्चयों का प्रयोग नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि भाषा, जिसका एकमात्र प्रयोजन यह है कि वह जनता के पास ज्ञान पहुँचावे और मनुष्य के लिए वैयक्तिक तथा सामाजिक विकास के लिए सामग्री प्रस्तुत करे, और मनुष्य के स्वांतःसुख के लिए षट्रसपूर्ण भोजन परोसे, व्यावहारिक तथा व्यापारिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक सुविधाएँ प्रस्तुत करे, सर्वसाधारण मनुष्य के लिए ऐसी सुविधाएँ पैदा करें जिससे वे अपनी-अपनी अन्तर्निहित शक्ति तथा प्रतिभा के अनुसार विभिन्न-क्षेत्रों में अपनी अभिव्यक्ति द्वारा विकास प्राप्त कर सकें।

विचारों तथा उमंगों से उत्प्रेरित प्रतिभावान मनुष्य की अभिव्यक्ति ही वाङ्मय है। समर्थ कलाकार के द्वारा सहज तथा संपादित शक्ति से उत्पन्न की हुई लिपिबद्ध सामग्री का संकलन ही साहित्य है। इस सामग्री को जन-समाज तक पहुँचाने की आकांक्षा होना प्रत्येक साहित्यकार के लिए स्वाभाविक है। इस लिपिबद्ध सामग्री को जनसमाज तक पहुँचाने का वाहन ही भाषा है। कुछ साहित्यकार ऐसे हैं, जो स्वांतःसुखाय लिखते हैं। कुछ साहित्यकार ऐसे भी हैं, जो बहुजनसुखाय या बहुजनहिताय साहित्य का निर्माण करते हैं। एक ज़माना था, जब स्वांतःसुखाय साहित्य अधिक निर्मित होता था; साहित्य में अन्तरानुभूति की ही अभिव्यक्ति अधिक झलकती थी। लेकिन शिक्षा, संस्कृति, पढ़ने-लिखने में अनुराग के बढ़ते-बढ़ते साहित्य के क्षेत्र में भी, स्वांतःसुखाय के बजाय, बहु-जनसुखाय की नीति, ज़्यादा अमल में आने लगी। वे ही साहित्यकार आजकल सफल तथा लोकप्रिय समझे जाते हैं, जो बहुजनसुखाय की नीति अख्तियार करते हैं। लोकतंत्र की नींव दृढ़ होते-होते तथा इसके विस्तार के बढ़ते-बढ़ते साहित्य का लक्ष्य भी निश्चित होता जायगा,

और उसका निर्माण भी उसी दिशा में होगा, जिसमें वह बहुजनसुखाय व प्रयोजनाय साबित हो। साहित्यकार, चाहे जिस भाषा को अपना वाहन बनावे, उसको यह स्मरण रखना चाहिए कि अपने वाहन को ऐसा अच्छा तथा स्फूर्तिवान बना दे, जिससे कि उसके द्वारा वह लाखों-करोड़ों लोगों के बीच में पहुँचकर उनका प्रिय बन सके और उन्हें अपना संदेश सुना सके।

इस तरह का कार्य तभी हो सकता है, जब कि वे अपनी भाषा को सरल बनाकर, अपनी अभिव्यक्ति को सीधी और स्पष्ट रख सकें; और साथ ही अपनी वस्तु को सरल तथा साधारण मनुष्य के लिये बोधगम्य बना सकें। यह कार्य सामासिक भाषा के द्वारा नहीं हो सकता; न ऐसी भाषा के द्वारा ही हो सकता है, जो कृतक है और जो सर्वसाधारण लोगों की जिह्वा पर चढ़ नहीं सकती। हाँ, ऐसी भाषा का शिष्ट जनसमाज के दैनिक व्यवहार द्वारा परिष्कृत होना भी ज़रूरी है। हमारे देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं में, जो संत-साहित्य जनता के उपयोग के लिये लिखा गया है, वह इसके लिए एक उदाहरण हो सकता है, जो करोड़ों नर-नारियों की जिह्वा पर आसानी से चढ़ गया है। आज गाँव-गाँव में तुलसी, सूर, मीरा की रचनाएँ हिन्दी प्रान्तों में सुनने को मिलती हैं। दूसरे प्रान्तों में भी वहाँ के संत-कवियों की रचनाएँ बे-पढ़े लोग कंठस्थ कर लेते हैं। इसका रहस्य इन रचनाओं की भाषा के सरल होने में है और उनके काव्यों के यथासंभव कठिन शब्द तथा समास या संधि से मुक्त होने में भी। इसका रहस्य इस बात में भी है कि इन रचनाओं में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है, उनसे जनता परिचित ही नहीं, बल्कि उसका अर्थ भी समझती है, और उसकी सुन्दरता का विश्लेषण भी कर सकती है; उसका आनंद भी ले सकती है; क्योंकि उनकी रचनाओं की भाषा जनता के बीच में छायी हुई होती है।

भारतीय भाषाओं तथा साहित्य के पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थान के सिलसिले में यह विचार-धारा चल पड़ी है कि हमें संपन्न साहित्य के लिए अधिक-से-अधिक शब्द संस्कृत से लेने चाहिए। लोगों का यह ख़्याल है कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल से प्रान्तीय भाषाओं के लिए, चूँकि कामधेनु का काम देती आयी है, इसलिए हमें सभी आवश्यकताओं के लिए वहीं से शब्द प्राप्त हो सकते हैं। पिछले पचास या सौ वर्षों से प्रान्तीय भाषाएँ अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक उससे शब्द लेती आयी हैं। इस बात की कोशिश अब तक बहुत कम हुई है कि जो शब्द संस्कृत से प्रान्तीय भाषाओं में आये हैं, वे सभी भाषाओं में एक ही रूप या अर्थ में प्रयुक्त हों। अनुभव से यह मालूम होता है कि संस्कृत ही के शब्द भारत की भिन्न-भिन्न भाषाओं में आज भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो रहे हैं। उस हालत में संस्कृत के ही शब्दों को आधार मानकर, भारतीय भाषाओं के शब्द जैसे समानरूपी हैं, वैसे समानार्थी भी हैं—ऐसा कहना मुश्किल है। यह स्थिति इसलिए पैदा हुई कि आज तक सार्वदेशिक साहित्य के सृजन के लिए सामूहिक प्रयत्न नहीं हुआ। पहली बार यह कार्य भारत के विधान के अनुवाद से प्रारंभ किया गया। फलतः हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं में विधान का जो अनुवाद हुआ, उनमें जो शब्द आये, उनका रूप तथा अर्थ यथा-संभव एक-सा बनाने का प्रयत्न किया गया; और इस कार्य को भारतीय भाषाओं के विद्वान तथा विशेषज्ञों ने अपने एक प्रतिनिधित्वपूर्ण सम्मेलन में सम्पन्न किया।

वैसे तो संस्कृत एक सामासिक भाषा है। उसके अधिकांश शब्द जुड़े हुए, नियमबद्ध तथा प्रौढ़ हैं और उन शब्दों का उपयोग मुद्दत से होता आया है। संस्कृत भाषा तथा उसके शब्द आज कुछ इने-गिने पंडितों की ही संपत्ति रह गये हैं। यदि इन शब्दों को जनता तक पहुँचाना हो, तो जनता की—सर्वसाधारण जनता की शक्ति तथा सीमाओं का भी ख़्याल रखना होगा। उनकी शक्ति तथा सीमाओं का ख़्याल रखते हुए यह अवश्य कहना पड़ेगा कि संस्कृत के तत्सम

शब्दों की अपेक्षा तद्भव शब्द जनता आसानी से ग्रहण कर सकती है। इसी कारण से हमारे देश के मध्यकालीन संत-कवियों ने जनता के लिए जो साहित्य रचा उसमें अधिक-से-अधिक तद्भव शब्दों का उपयोग किया गया। यथासंभव तत्सम शब्दों को अपनी रचनाओं से अलग रखे। इस कारण उनकी रचनाएँ बहुत व्यापक ही नहीं हुईं, बल्कि लोकप्रिय भी बनीं। लोकतन्त्र के इस युग में यह नीति हमारे लिए अनुकरणीय ही नहीं, बल्कि अत्यावश्यक भी है। अतः हमें हिन्दुस्तान में एक भाषा के प्रचार के लिए—वह चाहे संघ-भाषा के रूप में हो, या राजभाषा के रूप में, या राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हो—तत्सम शब्दों के साथ-साथ तद्भव शब्दों का भी यथासंभव सामंजस्य स्थापित कर उन्हें सार्वदेशिक पैमाने पर व्यापक बनाना होगा। तभी हमारी राष्ट्रभाषा—राजभाषा या संघभाषा—जनता के लिए सुलभ तथा सेवा के लिए उत्तम साधन तथा शक्तिवान बन सकती है। भारतीय भाषाओं में जो अमर साहित्य छिपा पड़ा है उसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण मनुष्य का उत्थान ही रहा है। उसमें मनुष्य को उत्तम नागरिक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, वे सब गुण भरे पड़े हैं। मनुष्य की नैतिक, बौद्धिक, मानसिक शक्तियों को दृढ़तम तथा उन्नतिशील बनाने के लिए आवश्यक सभी तरीके काम में लाये गये हैं।

हमारे साहित्य का प्रथम तथा प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि वह भाषा के वाहन से साहित्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित हो, और विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त करे। हृदय की भावना की तरंगों में उल्लोलित रसों में सिक्त होकर उनके हानिकारक प्रभावों से मुक्त हो; जीवन की भिन्न-भिन्न स्थितियों में पैदा होनेवाली उलझनों को पारकर अपने इर्दगिर्द के वातावरण के प्रकोप से बचकर, नैतिकता के आधार पर सात्विक तथा मधुरतापूर्ण व्यवहार का अभ्यास कर जीवन के लिये अत्यावश्यक मनोरंजन तथा आनंद के लिये आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करे; और इन सभी की सहायता से जीवन-नौका में बैठकर सुरक्षित जीवन-यात्रा करे। मानव को इस लक्ष्य की तरफ़ आकृष्ट करने और वहाँ तक पहुँचाने के लिये साहित्य के सृजन में कितने ही तौर-तरीके काम में लाये गये हैं, जिसका असली रूप साहित्यिकों ने अपनी सहज शक्ति तथा संचित साहित्य-ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत किया है।

साहित्य का जो इतिहास हमारे देश में मिलता है, वह प्रायः काल के अनुसार या कलाकारों की श्रेणी के अनुसार मिलता है। यह ठीक है, जहाँ तक हमारे देश की किसी एक निश्चित भाषा के इतिहास का सवाल है; लेकिन जब भारत की सभी भाषाओं के इतिहास का संकलन या संपादन हम करना चाहते हैं, तो हमें अवश्य अपने साहित्य का विश्लेषण तथा विभाजन विभिन्न रूप से करना पड़ेगा। मोटे तौर पर उसका विभाजन इस रूप में हो सकता है—

1. संत-वाणी, 2. ईश्वर-दर्शन, 3. ज्ञान-दीपिकाएँ और 4. भक्ति-धारा। इन विषयों के द्वारा प्रतिभावान साहित्यकारों ने मनुष्य के जीवन के चरम लक्ष्य को निर्धारित करने की कोशिश की। संतवाणी के द्वारा मनुष्य की नैतिक शक्ति बढ़ी। भक्ति-धारा के द्वारा उसने भावना की उत्तुंग तरंगों में तैरकर उदात्त गुणों के अवलंबन के साथ सशक्त गुणों का सान्निध्य प्राप्त किया। ज्ञान-दीपिकाओं के प्रकाश से उसने अपनी बौद्धिक शंकाओं का समाधान कर, दर्शन धाराओं से परिचित होकर ईश्वर के अंचल में स्थान प्राप्त किया। ईश्वर-दर्शन संबंधी साहित्य के द्वारा ईश्वर की तेजस्विता तथा आभा का साक्षात्कार कर सच्चे ज्ञान से अपनेको प्रदीप्त रखा।

इन चारों मुख्य तत्वों में निहित साहित्य कुछ बुद्धिप्रधान है, कुछ हृदयप्रधान है, कुछ मन-प्रधान है और कुछ समाजप्रधान। मनुष्य के जीवन को चरम लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए जो तौर-तरीके अख्तियार किये गये हैं, उनमें साहित्य के विभिन्न साधन—जैसे काव्य-धारा, अमर-लेखन, मानस-पट तथा पड़ोसी भाव—

साहित्य के इन उद्यानों में विहार कराकर हमारे साहित्यकारों ने अपने पाठकों को अधिक-से-अधिक विनय, विधेयता तथा कलाप्रियता सिखायी है—जैसे हमारे नाटक, एकांकी, कथा-कहानी तथा उपन्यास-लेखन के द्वारा मानस-पट पर विभिन्न प्रकार के चित्रों को चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे कि चिंताशील मनुष्य का मन, आवश्यक तथा अनावश्यक ज्ञान का विश्लेषण कर सके और आवश्यक ज्ञान को स्वीकार कर सके। काव्यधारा में भी क़रीब-क़रीब यही बात है। उसमें अधिक विशेषता यही है कि ध्वनि-सामंजस्य, शब्द-सौष्ठव तथा सभ्यता का सम्मिश्रण है। काव्य-धारा में पद्यों के द्वारा मानस-पट पर खेलने के लिए जो चित्र बनाये गये हैं, उसी तरह गद्य में भी काफ़ी लेखन हमारे साहित्यकारों ने किया है, जो हमारे लिए अमर-लेखन का काम देता है।

हमारे साहित्यकारों ने सिर्फ़ मनुष्य को ज्ञान के प्रकाश में कर्त्तव्य का पालन कराते हुए जीवन के चरम लक्ष्य तक ले जाने की कोशिश ही नहीं की है, बल्कि, जब वह पस्तहिम्मत और निर्वीर्य होता है, भाषा और साहित्य के द्वारा उसमें साहस भरने तथा वीर्यवान बनाने का भी प्रयत्न किया है। यह सारा प्रयत्न हमारी वीर परंपराओं के वर्णन में भरा पड़ा है। इन सबके होते हुए भी मनुष्य में जब तक कि पड़ोसी-भाव ओत-प्रोत न हो, तो वह मनुष्य का उत्तम स्वभाव नहीं प्राप्त कर सकता। उससे संबंध रखनेवाला साहित्य भी हमारी भाषा में कम नहीं है। यह विवेचन आज का नहीं है। हमारा साहित्य बहुत ही पुराना है तथा वह सदियों से सजीव रहता आया है; और इन सबका संदर्शन अगर हम करना चाहें, तो महाभारत तथा रामायण में कर सकते हैं। इन महा काव्यों के विस्तार में संतवाणी, भक्ति-धारा, ईश्वर-दर्शन, ज्ञान-दीपिकाएँ, कथा-कहानी, पड़ोसी-भाव भरपूर मिल जाते हैं। जनपदीय मनोरंजन के लिए भी इनमें कितनी ही मनोरंजक सामग्री मिल जाती है। वीर-परंपरा के संदर्शन भी हो जाते हैं। इसीलिए आज भी हमारे साहित्य में महाभारत और रामायण अमर हैं। इन महा-काव्यों के रचनेवालों ने अपनी भाषा को सरल, सीधे और तद्भव शब्दों से परिपूर्ण करने की कोशिश की है। उसके द्वारा अब भारत के भविष्य के साहित्य-निर्माण की भी नींव पड़नी चाहिए, ताकि हमारा साहित्य इने-गिने पंडितों के लिए ही नहीं, बल्कि सर्वसाधारण जनता के लिए भी सुगम तथा सुलभ हो, और लोकतंत्र की सफलता के लिए रास्ता साफ़ रख सके।

प्राचीन तथा आधुनिक वाङ्मय के रूप और विस्तार में काफ़ी भिन्नता होती जा रही है। हमारे प्राचीन वाङ्मय का झुकाव अधिकतर आध्यात्मिकता की तरफ़ रहता है। वर्तमान युग का यह तकाज़ा है कि साहित्य के द्वारा अधिक-से-अधिक भौतिक विज्ञान भी प्राप्त हो। आधिभौतिक विज्ञान से संबंध रखनेवाले कितने ही ऐसे शास्त्र हैं, जिनकी जानकारी के बिना वर्तमान युग में किसी भी देश का नागरिक अपने कर्तव्यों को पूर्णतया अदा नहीं कर सकता! प्रत्येक भाषा में वैज्ञानिक साहित्य का अनुपात आध्यात्मिक साहित्य की तुलना में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। जहाँ हमारा आध्यात्मिक ज्ञान अधिकांश में कल्पना, विश्वास तथा अनुभूति के ऊपर अवलंबित है, वहाँ भौतिक विज्ञान, वस्तु और उसके स्वभाव तथा प्रयोजन की तरफ़ हमारा ध्यान खींचता है। चूँकि आज भौतिक ज्ञान का हमारी मानसिक संस्कृति से बहुत कम संबंध है, इसलिए हम अपनी भाषा में दूसरे प्रदेशों की भाषाओं के शब्द भी भरते जा रहे हैं। इन शब्दों के संचय तथा उपयोग में भी हमें बहुजनहित की दृष्टि रखनी पड़ेगी। इस बात की आशा रखना और ज़िद्द करना असंगत ही नहीं, बल्कि हानिकारक है कि हम भौतिक विज्ञान संबंधी सभी शब्द अपने प्राचीन साहित्य से ही प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे; अथवा हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी।

*

*साहित्यिक समन्वय

आपकी स्वागतकारिणी समिति का मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि इस साहिती सम्मेलन का अध्यक्षपद ग्रहण करने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया है। कल इसी जगह अखिल हैदराबाद हिन्दी प्रचार सम्मेलन हुआ था। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर साहिती सम्मेलन भी सम्पन्न हो रहा है। प्रचार सम्मेलन के साथ-साथ साहिती सम्मेलन का आयोजन होना कुछ असगत-सा लगता है। यह साहिती सम्मेलन, मैं मानता हूँ कि केवल हिन्दी साहित्य के साथ ही संबंधित नहीं रहेगा, बल्कि मेरे ख्याल से यह सम्मेलन, जैसा कि स्वागतकारिणी समिति की कल्पना है, और जिसे आप सब मानते हैं, न केवल हिन्दी साहित्य से अपनेको संबंधित रखता है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। इस तरह के सम्मेलन इसके पहले भी दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के प्रसिद्ध स्थानों में कितनी ही बार होते आये हैं। लेकिन उन सब सम्मेलनों की अपेक्षा उत्तर और दक्षिण के संगमस्थल हैदराबाद शहर में इस सम्मेलन का होना बहुत बड़ा महत्व रखता है।

हैदराबाद नगर केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक तथा समन्वयात्मक साहित्य की दृष्टि से भी भारत का सदियों से एक बड़ा केन्द्र रहा है, धर्म और दर्शन की क्रीड़ा-भूमि रही है, कला का क्षेत्र रहा है और यहाँ पर साहित्य के विविध अंगों का सृजन होता रहा है। ढाई हज़ार वर्ष पूर्व इस भूमि पर बुद्ध तथा जैन धर्म के उन्नायकों ने मनुष्य की बौद्धिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को जाग्रत कर सब धर्मों में समन्वय पैदा करने की जो कोशिश की, उसके द्वारा उत्कृष्ट दार्शनिक साहित्य का सृजन कर उन्होंने दर्शन-शास्त्र के कई नवीन रूपों के दर्शन करवाये। चित्र, शिल्प तथा साहित्य-कला के जिन उच्च शिखरों के संदर्शन करवाये; अपने रचनात्मक तथा समन्वयकारी कार्य-कलापों द्वारा उच्चतम मानव-संस्कृति की जो आधार-शिलाएँ रखीं, उन्हें अगर इतिहास के पन्नों से हटा दिया जाय, तो भारत के दक्षिणापथ के इतिहास की पृष्ठ-भूमि ही हमारी आँखों से ओझल हो जाएगी।

प्रकृतिमाता ने बड़ी खूबी से भारत को भौगोलिक दृष्टि से भी दो हिस्सों में विभाजित किया है। इन दोनों हिस्सों में कितनी ही समानताएँ हैं! भारत की उत्तर दिशा में शाश्वत प्रहरी-रूप से स्थित उत्तुंग हिमालय पर्वत ने अपनी सहज भव्यता तथा गंभीरता के द्वारा ही नहीं, बल्कि प्रकृतिजन्य अनेक सुविधाओं के द्वारा भी अपनी छाया में रहनेवाले मानव-पुत्रों को सुसंस्कृत बनाया; उसने अपने हृदय को विदीर्ण कर गंगा, यमुना जैसी पुनीत नदियों को जन्म दिया और बाद में इन्हीं नदियों के तट पर भारत की कला, संस्कृति, तथा जीवन संबंधी उत्तम साहित्य का सृजन तथा पालन होता रहा है। भारत की मणिमेखला जैसी उत्तर और दक्षिण को विभाजित करनेवाली पर्वतश्रेणी ने भी, जिसमें बिन्ध्य हमारा गौरीशंकर कहा जा सकता है, अपनी छाया में एक उच्च संस्कृति को जन्म देकर उसका संवर्धन किया है। इस पर्वतश्रेणी ने भी गंगा और यमुना-जैसी दो पुनीत नदियों को जन्म दिया है, जिनका हम प्रतिदिन गोदावरी और कृष्णा के नामों से संस्मरण करते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में अवस्थित मध्य प्रदेश भी हमारे लिए उसी तरह पुनीत तथा स्फूर्ति-दायी रहा है, जैसे कि गंगा और यमुना के बीच में अवस्थित ब्रह्मावर्त। यह हैदराबाद नगर इन दोनों महानदियों के बीच में बसा

* ता. 14-2-'54 को हैदराबाद में हुए सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से श्री मो. सत्यनारायण का दिया हुआ भाषण।

हुआ है। समय की रफ्तार के साथ इस शहर ने न मालूम कितने ही ऊँचे-नीचे उतार-चढ़ाव देखे, ऊँचे शिखर देखे, और आज भी यह शहर बड़े फ़ख्र के साथ यह दावा कर सकता है कि वह हिन्दुस्तान की दूसरी राजधानी बनने लायक़ है।

कृष्णा, गोदावरी के बीच में स्थित मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी परंपरा यह भी रही है कि उसने भारत की पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व मार्गी भूमि से जो उत्तमताएँ प्राप्त कीं, उन्हें हज़म किया। इतना ही नहीं, उन्हें उत्तमोत्तम प्रकार से रूपान्तरित कर दक्षिणापथ को देकर उनका प्रचार किया। इसके साक्षीरूप में इस मध्य प्रदेश की भाषाएँ, यहाँ की संस्कृति तथा यहाँ की जातियाँ साक्षात मूर्तिमान रूप में खड़ी हैं। यहाँ का वातावरण भी इसीके अनुकूल है। यहाँ पर रहनेवाले कितने ही नागरिक बहुभाषा-भाषी हैं। हैदराबाद राज्य के प्रधान मंत्री श्री बूर्गुला रामकृष्णरावजी इस समन्वित संस्कृति तथा शक्ति के एक ज्वलंत उदाहरण हैं। सहनशक्ति और सौहार्द, दूरदर्शिता तथा गंभीरता, व्यापक और समग्र दृष्टि, समभाव एवं न्याय-निष्ठा, भाषा-प्रेम और ज्ञान आदि अनेक गुण आज नेतृत्व के लिए आवश्यक समझे जायँ, जैसे कि समझे जाने चाहिए, तो आपके मुख्य मंत्री संपूर्ण राष्ट्रीयता और उत्तम भारतीयता के प्रतिनिधि समझे जा सकते हैं। यहाँ पर कितने ही विद्वान उसी श्रेणी के विराजमान हैं। इन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए इस साहिती सम्मेलन का यहाँ पर संपन्न होना, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय साहित्य-समन्वय है, बहुत ही उचित और वर्तमान समय के अनुकूल है।

जब से भारत स्वतंत्र हुआ, तब से हमारे देश के कर्मठ नेताओं ने अपने ही संविधान के अनुसार देश के शासन की बागडोर संभालना शुरू किया। शासन की बागडोर इन नेताओं के हाथ में आते ही देश के चारों ओर से कितनी ही नयी आवाज़ें उठी हैं, जिनमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने साहित्य की आवाज़ सब से बड़ी ज़बर्दस्त सुनाई दे रही है। स्वतन्त्रता प्राप्त होने के पहले भी यह आवाज़ यदा-कदा सुनायी देती थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के मुख्य ध्येय को छोड़कर इसकी तरफ़ ध्यान देना देश के लिए कुछ कठिन-सा हो गया था।

पिछले 8 साल से स्वभाषा और स्वसंस्कृति के संवर्धन की दिशा में जो कार्य हुआ है, वह कोई संतोषजनक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि आज भी इस देश के कई उद्भट विद्वान, शासक, वक्ता तथा विज्ञ लोग भारतीय भाषाओं को अपने विचारों और लेखन का माध्यम नहीं बना पा रहे हैं। डेढ़ सौ साल तक जिस अंग्रेज़ी ने इस देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता को अवरुद्ध कर रखा, भारतीय भाषाओं को दबा रखा, शक्तिवान और तेजस्वी कार्यकर्ताओं को अपने इंद्रजाल में फँसा रखा, उसीका आज भी बोलबाला है। अपनी मातृभाषा में बोलने, लिखने तथा साहित्य की सृष्टि करनेवालों को देश के स्वतंत्र होने पर भी उपयुक्त सम्मान नहीं मिलता। उनका मोल-तोल अंग्रेज़ी के अध्ययन से ही किया जाता है। इस वातावरण को देखते हुए सर्वसाधारण का यह मानना सहज है कि हमारे बौद्धिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेज़ी का आतंक अभी तक शिथिल नहीं हुआ है। इसके कितने ही कारण हैं। इन कारणों में सबसे ज़बर्दस्त कारण यह है कि हमारे विचारों में अभी तक यह स्पष्टता नहीं आयी कि हमारे सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जीवन में प्रादेशिक तथा सार्वदेशिक भाषा का स्थान कैसा होना चाहिए; न अभी तक इस बात पर स्पष्ट मत स्थिर कर सके हैं कि हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए।

हम में से बहुत-से लोग यह मानते हैं कि हमारे देश से यदि अंग्रेज़ी एकाएक हटा दी जाय, तो देश की रीढ़ ही टूट जायगी। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी को मिलना चाहिए, जिसे कि हमने भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया है। इधर भाषाविषयक राष्ट्रवाद ने कुछ बातों को

और भी उलझा रखा है। हमारे बीच से अंग्रेज़ी को हटाने पर उसका स्थान प्रादेशिक भाषा को ही मिल सकता है। उस दशा में प्रादेशिक भाषा की सम्मति तथा सहायता के बिना राजभाषा का विकास व वृद्धि नहीं हो सकती। इसलिए प्रादेशिक तथा सार्वदेशिक भाषा के बीच का संबंध जब तक स्पष्ट नहीं होता, तब तक कोई कार्यक्रम बनाया नहीं जा सकता।

भारतीय भाषाओं के समन्वय के ऊपर विश्लेषण करते समय हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि आखिर हमारी यह भाषा-समस्या है क्या? भारत की विधान-सभा ने जो संविधान बनाया, जिसके अनुसार हमारा देश इस वक्त शासित हो रहा है, उसकी अष्टम सूची में 14 भाषाओं का उल्लेख है, जिनमें भारत की पश्चिम समुद्र तीर की 4 भाषाएँ—अर्थात् गुजराती, मराठी, कन्नड़ और मलयालम, पूर्वसमुद्र-तीरस्थ 4 भाषाएँ—अर्थात् तमिल, तेलुगु, उड़िया और बंगाली, हिमालय के पूर्वी तथा पश्चिमी छोरों पर स्थित असाम, कश्मीर और पंजाब प्रदेशों की तीन भाषाएँ—अर्थात् असामी, कश्मीरी और पंजाबी तथा भारत की अन्तर-प्रान्तीय भाषा संस्कृत और इसके साथ-साथ उर्दू, कुल 13 भाषाएँ हैं। इन 13 के अलावा 14 वीं भाषा हिन्दी है। हिन्दी का उल्लेख इस अष्टम सूची में इसलिए है कि वह एक प्रादेशिक भाषा भी है, जिसे इस समय उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अजमेर, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, तथा मध्य प्रदेश ने अपनी प्रादेशिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया है।

यह मानी हुई बात है कि विंध्य प्रदेश से नीचे की भाषाएँ अधिकतर प्राचीन, सुसंपन्न तथा शक्तिशालिनी हैं। मराठी, कन्नड़ और तेलुगु, इन तीनों भाषाओं ने एक हज़ार वर्ष से भी अधिक समय तक एकसाथ रहकर अभी तक अपनी स्वतंत्रता और मौलिकता निभा रखी है। तेलुगु और मराठी भाषाओं ने अपनी सर्वांगीण व्यापकता से पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के छोरों को मिलाया है, और कन्नड़ भाषा ने अपनी प्राचीनता तथा उदारता से द्राविड़ और संस्कृत शैलियों में सामंजस्य स्थापित किया है। तमिल ने अपनी अखंड प्राचीनता से शुद्धीकरण तथा शक्तिमत्ता की दृष्टि से भारत की अन्य सब भाषाओं में अग्रणीय स्थान प्राप्त किया है।

द्राविड़ भाषामंडल की बुनियाद पर हमारे देश की दक्षिण-पश्चिमी भाषा मलयालम ने संस्कृत को असाधारण ढंग से अपनाकर काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की संस्कृति की अखंडता की जो विजयपताका फहरायी, उससे कौन अपरिचित है? तीन विराट समुद्रों के संगम पर उदित यह भाषा और इस भाषा-प्रदेश के निवासियों ने एकता, संस्कृति और सहृदयतापूर्ण साहचर्य-भाव के लिए जो एक बेजोड़ मिसाल पैदा की, वह संस्कृति-प्रचार की दृष्टि से अद्वितीय है। सदियों से दक्षिण की भाषाओं ने न केवल अपनी स्वतंत्रता तथा मौलिकता बनाये रखी, बल्कि नित्यप्रति बढ़नेवाली अपने प्रदेशों की सभ्यता और संस्कृति के संवर्द्धन को अभिव्यक्त करने के लिए अपने-आपको एक समर्थ वाहन भी बनाये रखा है।

हम भारत की सभ्यता तथा संस्कृति को अखंड और अविभाज्य मानते हैं। हमारी जितनी प्रादेशिक संस्कृतियाँ हैं, उन्हें सार्वदेशिक संस्कृति की उप-धाराएँ या सार्वदेशिक संस्कृति की प्रादेशिक धाराओं के संगम के रूप में देखते आये हैं। हम सदियों से धर्म, दर्शन, साहित्य, सामाजिक संप्रदाय, सामाजिक न्याय तथा आचार-विचारों में समन्वय प्राप्त करने का प्रयत्न करते आये हैं। यह सारा समन्वय प्राचीन-काल में संस्कृत भाषा के द्वारा होता आया है। संस्कृत भाषा के निर्माण, विकास तथा वृद्धि का भी विश्लेषण किया जाय, तो हमें पता लगेगा कि प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इस भाषा के निर्माण के लिए कैसे-कैसे महान प्रयत्न किये, और उसे किस तरह संपन्न किया।

प्रामाणिक व्याकरण तथा प्रामाणिक ध्वनियों में सामंजस्य पैदा करनेवाले भाषा-ऋषि पाणिनी ने व्याकरण शास्त्र की रचना कर जो काम किया,

वह अभूतपूर्व है। पाणिनी ने सार्वदेशिक पैमाने पर जिन शब्दों को प्रामाणिक रूप दिया, उन्हें तथा उनके अतिरिक्त सारे देश में इधर-उधर छितरे हुए शब्दों का वर्गीकरण कर आद्य कोष-कार अमरसिंह ने उन्हें छन्दोबद्ध करने का जो प्रयत्न किया, उसकी मिसाल दुनिया की किसी भी भाषा में क्या मिल सकती है? हमारे भारतीय इतिहास में कितने ही ऐसे प्रसंग आये हैं, जब कि हमारे देश के उच्चकोटि के विद्वानों ने देश की संस्कृति, भाषा तथा धर्म की अनेकता में से एकता की धारा पैदा करने का प्रयत्न किया था। उनकी दृष्टि जितनी लौकिक थी, उतनी ही वैज्ञानिक थी; जितनी वैज्ञानिक थी, उतनी ही व्यापक थी; जितनी व्यापक थी, उतनी ही उदार और सर्वोदयकारी थी।

आज हमारे देश की भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में भी राजनीति ने अपना पाँव फैला रखा है। एक सौ साल से अपनी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते-लड़ते हम राजनैतिक दाँव-पेंचों के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि अपने देश के हरेक प्रश्न को राजनीतिक दृष्टि से ही देखते हैं। वर्तमान समय में भाषा के प्रश्न को लेकर देशवासियों का लहू जैसा गरम हो जाता है, वह देश के भविष्य के लिए कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। यदि हमने राजनीति में अपनी भाषा को महत्व दिया है, तो उसके पीछे यह भावना है कि हम उसे जनता की भाषा होने के कारण अपने साहित्य, अपनी संस्कृति, और अपने शासन की माध्यम बनाना चाहते हैं। प्रजातंत्र में यह होना अनिवार्य ही नहीं, बल्कि अवश्यंभावी भी है।

हमें ऐसी परिस्थिति जल्दी पैदा करनी होगी कि हमारे देश के किसी भी कोने में ऐसी आवश्यकता महसूस न हो कि हमारे शासन, व्यवहार, व्यापारिक क्षेत्र तथा जनता के साथ पारस्परिक सहयोग में अंग्रेज़ी का उपयोग करना पड़े। उसका इस समय जो स्थान है, उसे प्रदेशों में प्रादेशिक भाषाओं और अखिल भारतीय मामलों में हिन्दी को देना होगा। हमारा ध्येय यही होगा कि प्रादेशिक तथा अखिल भारतीय कार्य-कलापों में जिन भाषाओं का उपयोग किया जायगा, उनमें परस्पर किसी तरह का संघर्ष नहीं होने पावे, वरन् वे अपनी भिन्न-भिन्न प्रांतों में फैली हुई बहनों की तरह समन्वय पैदा करने का प्रयत्न करें।

जब हम अपनी प्रादेशिक भाषा को शासन तथा विधि-विधानों के कार्यों की वाहिका बनाते हैं, तब हमारे राज्य कितने बड़े होने चाहिए, किस भाषा के क्षेत्र के लिए कितने-कितने बड़े या छोटे राज्य होने चाहिए—इसका निश्चय करने की कसौटी भाषा नहीं होगी, बल्कि हमारी प्रादेशिक राज्य-व्यवस्था होगी। यह व्यवस्था देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के आर्थिक, राज-नैतिक संतुलन को लेकर और साथ ही अंतर-राज्यीय तथा सार्वदेशिक प्रश्नों को लेकर ही की जायगी। इसलिए यथासंभव उन व्यक्तियों का जिनका संबंध सिर्फ़ भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के निर्माण और प्रचार से है, उन्हें अपनी दृष्टि इस क्षेत्र में राजनीतिक नहीं रखनी चाहिए; उसे वैज्ञानिक और अखिल भारतीय दृष्टि से सामूहिक रखनी चाहिए।

जिन-ग्रंथों तथा साहित्य के सहारे भारत अपने-आपको सुसभ्य तथा सुसंस्कृत मानता है, उनके ऊपर किसी प्रान्तविशेष का अधिकार नहीं है; न यही कहा जा सकता है कि हमारे देश के वैदिक तथा काव्य साहित्य के निर्माता अमुक प्रांत के निवासी थे और उन्होंने अमुक भाषा में अपने विचार साहित्य द्वारा व्यक्त किये। इसी तरह हमारे देश की शिल्प कला, स्थापत्य-कला तथा चित्र-कला के संबंध में भी यही बात कही जायगी कि भारत भूमि के प्रत्येक प्रदेश में जो प्राचीनतम कलाओं की स्फूर्तिदायिनी कृतियाँ दीखती हैं, वे सब उसी प्रदेश के रहनेवालों द्वारा बनायी हुई नहीं हैं। इस प्रकार जब हमारी सारी प्राचीन परम्परा एक, अखंड तथा अविभाज्य है, तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे उसी रूप में अविभाज्य रहने दें और देश की सभी उत्तमताओं को समस्त भारत

की संपत्ति के रूप से स्वीकार करें। प्रादेशिकता व सांप्रदायिकता के आधार पर उसको फिर से खंड-खंड रूप में बाँटने का प्रयत्न न करें।

तथागत बुद्ध और तीर्थंकर महावीर ने अपने आचरण तथा उपदेशों से उस समय के समाज में जो विप्लव पैदा किया, उसीको उच्चतम बौद्धिक रूप देकर यहाँ के आचार्यों ने व्यवस्थित दर्शन-द्वारा शैव, वैष्णव आदि सिद्धांतों के क्रमबद्ध साहित्य के रूप में लिपिबद्ध किया। सुदूर दक्षिण के आचार्य आदिशंकर का देश-प्रेम उतना ही महान है, जितना कि उनकी मेधा-शक्ति। अगर ऐसा नहीं होता, तो वे अपनी 32 वर्ष की छोटी आयु में अनेक कष्टों के साथ बीहड़ जंगलों, वेगवती नदियों को पार कर सारे देश की यात्रा कर चारों दिशाओं में चार धर्मों का निर्माण नहीं करते; अद्वैत सिद्धांत के रूप में एकेश्वरवाद का महासाम्राज्य देश की चारों दिशाओं में स्थापित नहीं होता।

उनके बाद के आचार्य श्री रामानुज, मध्व तथा वल्लभ ने दक्षिण से उत्तर की तरफ़ भक्ति की मंदाकिनी बहाकर, देश के नर-नारियों को जीवन-शोधन तथा संसार से तिरने का महान मार्ग बताया। अगर इस आचार्य-चतुष्टय में चतुर्थाचार्य श्री वल्लभ, जो आन्ध्र के थे, नहीं पैदा होते, तो कहना मुश्किल है कि महाकवि सूरदास को कहाँ से स्फूर्ति मिलती। और रामानुज-परम्परा में पैदा हुए आचार्यों ने उत्तर में राम-भक्ति का प्रवाह बहाकर लोगों को भक्ति-प्रवाह में नहाने का अवसर नहीं दिया होता, तो महाकवि तुलसीदास इतने विश्वविख्यात कैसे होते? जब हम अपनी चारों ओर फैली हुई जनपदीय तथा विशवर्गीय संस्कृति की तरफ़ दृष्टिपात करते हैं, तो महाराष्ट्र के संत पुरुष—तुकाराम, नामदेव तथा रामदास—का प्रसार दक्षिण और उत्तर के चारों ओर बढ़ता हुआ देखते हैं। इन सब परम्पराओं को देखने पर हमारा हृदय गद्गद् हो उठता है; हमारा आत्मविश्वास दृढ़तम हो जाता है; हमारे ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं; हमारा मानस-पट हज़ारों प्रकार के कल्पना-चित्रों से अंकित हो उठता है; हमारा उत्साह बढ़ जाता है; हमारी आँखों के सामने दीखनेवाली कठिनाइयाँ अपने आप काफ़ूर हो जाती हैं।

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है। भारत के विश्वविद्यालयों में आजकल जिस शिक्षा की, जिस ज्ञान की चर्चा है, उसमें संस्कृति की अपेक्षा विज्ञान का ज़्यादा महत्व है। इस वैज्ञानिक युग में भाषा और संस्कृति का स्थान हमारे विश्वविद्यालयों में से लुप्त होता जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि भाषा और संस्कृति, साहित्य और कलाओं के लिए जनता स्वयं अपना प्रबन्ध कर ले, और आवश्यकता के अनुसार उसके लिए राजाश्रय प्राप्त कर ले। हमारी भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के कार्य-कलाप के लिये यह आवश्यक है कि भिन्न-भिन्न प्रदेशों में पारस्परिक सौहार्द तथा संबंध बढ़ाते हुए सांस्कृतिक दृष्टि से एक अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त करें। जहाँ प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अपनी-अपनी जनता के संपर्क से पनपती तथा बढ़ती है, वहाँ उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी अड़ोस-पड़ोस की भाषाओं से भी निकटतम संबंध रखे। इसके लिए हमें भाषा, साहित्य तथा संस्कृति के संवर्द्धन के कार्य में संलग्न अखिल भारतीय भाषापीठ चाहिए, जिनके द्वारा साहित्य-प्रेमियों और निर्माताओं का कल्याण हो सकता हो और हमारे देश की जनता की सेवा हो सकती हो।

जब हम भाषा-पीठों की कल्पना करते हैं, तब उनके द्वारा भारत की राष्ट्रीयता को और सार्वदेशिक संस्कृति को पुष्ट करनेवाले साहित्य के सृजन की आशा रखते हैं; भारतीय भाषाओं के साहित्य-समन्वय का आयोजन करना चाहते हैं। इसके द्वारा हम अपने तेजोमयी प्राचीन संस्कृति का समुद्धार करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के सम्मेलनों में वह दिशा-दर्शन प्राप्त हो, जिसके द्वारा भारत की एकता बढ़े, राष्ट्रीयता दृढ़ हो, संस्कृति का विकास हो, और भारत के प्राचीन वैभव का प्रकाश विश्वव्यापी हो।

ैदराबाद हिन्दी प्रचार सम्मेलन

ा. 7-7-56 को हैदराबाद हिन्दी प्रचार सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने सभा व
सेवाओं की प्रशंसा की और कहा—'...उस वक्त (1918) से आज तक यह काम बड़े उत्साह के साथ चलता आ
रहा है और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने न केवल प्रचार का काम किया है, बल्कि बहुत-से उपयोगी
साहित्य का निर्माण भी किया है, जिसके द्वारा प्रचार में काफ़ी मदद मिली है।' ऊपर के चित्र में
राष्ट्रपति के अलावा डॉ. चेन्ना रेड्डी (सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष, श्री बी. गोपाल रेड्डी (आंध्र
के मुख्यमंत्री) और श्री बी. रामकृष्ण राव (हैदराबाद के मुख्यमंत्री) भी दर्शित हैं।

दावणगेरे-सम्मेलन

ता. 19-1-1957 को दावणगेरे में संपन्न छठे अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचारक सम्मेलन का उद्घाटन मैसूर के राज्यपाल महाराजा श्री जयचामराज बहादुर के हाथों हुआ। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायण ने सम्मेलन के अध्यक्षासन से भाषण देते हुए भारत की सामासिक संस्कृति के विकास के माध्यम के रूप में हिन्दी की आवश्यकता बतायी।

छठे अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचारक सम्मेलन, दावणगेरे, के उद्घाटनकर्ता महाराजा श्री जयचामराज ओडेयार बहादुर (राज्यपाल, मैसूर) के दोनों तरफ़ उद्घाटन-सभाध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा (मुख्य मंत्री, मैसूर) और सम्मेलनाध्यक्ष श्री मो. सत्यनारायण (प्रधान मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास) दर्शित हैं।

*हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान

मैं इस सम्मेलन की स्वागतकारिणी समिति का आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मेलन के छठे अधिवेशन का अध्यक्ष चुना। मेरे मान्य मित्र श्री हल्लीकेरी की आज्ञा मेरे लिए यद्यपि शिरोधार्य थी, फिर भी मैंने अपनी स्वीकृति भेजते समय काफ़ी पसोपेश का अनुभव किया; क्योंकि मैं जानता था कि इस पद के लिए न तो मेरे पास आवश्यक विद्वत्ता है, न मैंने ऐसे सम्मेलनों के महत्व के अनुकूल अपने व्यक्तित्व का ही निर्माण किया है। फिर भी आपके लोकप्रिय, सहृदय तथा समर्थ मुख्य मंत्री श्री निजलिंगप्पा का एक पुराना साथी होने के कारण धैर्य मिला। उनका सहारा, मुझे विश्वास था, इस कार्य को संपन्न करने में मुझे अवश्य मिलेगा। मैसूर कितने ही प्रकार के विचारों, विचारकों तथा आगंतुकों का आश्रय रहा है। मैसूर राज्य अपनी प्रगति के लिए सारे भारत में मशहूर है। यह भाग्य की बात है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन आज के इस राज्य के राज्यपाल और पूर्व-मैसूर के महाराजा साहब के करकमलों से हुआ है। उनकी लोकप्रियता तथा देश-प्रेम का यह एक उदाहरण है कि हिन्दुस्तान के प्रायः सभी महाराजा अब अपने घर ही के महाराजा रह गये हैं; लेकिन मैसूर के महाराजा सारे कर्नाटक प्रदेश के महाराजा के रूप में विद्यमान हैं। आज भी वे हमारे महाराजा हैं और राज्यपाल भी हैं। हमारे जनतंत्र के तथा हृदय-तंत्र के भी शासक होने के नाते वे हमारे लिए बड़े सम्माननीय हैं। उन्होंने जिस उदारता के साथ इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, उसके लिए मैं इस अध्यक्ष-पीठ से उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

जिस प्रदेश में यह सम्मेलन हो रहा है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ़ जब हमारा ध्यान जाता है तब, सहसा कितनी ही घटनाएँ हमारे सामने चित्रवत् खड़ी हो जाती हैं। उन चित्रों को देखते यह कहना पड़ेगा कि इस प्रदेश का अपना एक अभिन्न संबंध समूचे दक्षिण भारत के साथ रहा। ईसा के पूर्व कुछ शतियों से लेकर 18-वीं शताब्दी के अन्त तक सारे दक्षिण भारत के इतिहास की तरफ़ जब हम ध्यान देते हैं, तो हमें यह मालूम होता है कि दक्षिण भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेश संस्कृति, साहित्य, सामाजिक स्थिति तथा राजनीति की दृष्टियों से एक-दूसरे से अभिन्न रहे हैं; विशेषकर वर्तमान कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश का अटूट संबंध रहा है। तमिल तथा कर्नाटक की सीमाएँ भाषा तथा इतिहास की दृष्टि से बाँधना मुश्किल है। अगर आज सारा दक्षिण भारत चार प्रांतों में बँटा हुआ है, तो इसके कारण कुछ ऐतिहासिक हैं और कुछ भौगोलिक। एक हज़ार वर्ष के पहले मशहूर 'कन्नड़ कालिदास' और कर्नाटक कवि-कुल-चक्रवर्ती पंप महाकवि और पोन्न महाकवि आन्ध्र की मध्य भूमि वेंगिनाडु से आ सकते थे, तो आज क्यों नहीं? क्या आज यह संभव नहीं है कि कोई कवि या लेखक कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में समान रूप से अपनी प्रतिभा दिखा सके? कर्नाटक के महाकवि के संबन्ध में जो कहा जाता है कि वे आन्ध्र से आये, वही आन्ध्र के आदिकवि नन्नयभट्ट जो वाक्-अनुशासक के नाम से प्रख्यात हैं, उनके संबन्ध में भी कहा जाता है—उन्होंने पंप-महाभारत से अपने आन्ध्र-महाभारत की रचना में काफ़ी सहायता ली थी। कुछ विद्वानों का मत है कि उनका

*ता. 19-1-'57 को दावणगेरे में संपन्न छठे अखिल कर्नाटक हिन्दी प्रचारक सम्मेलन के अध्यक्ष-पद से श्री मो. सत्यनारायण का दिया हुआ भाषण।

जन्म स्थान कन्नड़ प्रान्त में था। आन्ध्र महाभारत में कितने ही ऐसे शब्दों, मुहावरों तथा शैली की झलक है जिसमें पंप-महाभारत की कन्नड़ की छाप मिलती है। वास्तव में ब्रिटिश राज के पूर्व, 18-वीं सदी के अन्त तक कन्नड़ तथा तेलुगु भाषाओं के उच्च साहित्यों में कोई फ़रक नहीं था– लिपि एक थी, राज्य तथा राज्याश्रय भी एक था, धार्मिक विचारों का आदान-प्रदान था।

ब्रिटिशवालों की राजनीति तथा आधुनिक विज्ञान से संबंधित यंत्रों की सुविधाओं ने दोनों के बीच में एक नया पर्दा डाल रखा है। अगर इस पर्दे के पीछे की पूरी साहित्यिक पृष्ठभूमि का अध्ययन किया जाए, तो हम यह सहसा कह उठेंगे कि इन दोनों भाषाओं में अन्तर ही क्या है। सदियों तक पश्चिम समुद्र से लेकर पूर्व समुद्र तक की भूमि एक ही संस्कृति, एक ही सामाजिक स्थिति, एक ही साहित्य तथा एक ही लिपि के प्रभाव से सनी हुई थी। क्या आज भी ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है, तो फिर रुकावटें क्या हैं? इन प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है।

इस कथन से कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि कर्नाटक प्रांत का जैसा संबंध आंध्र प्रांत से रहा, वैसा संबंध तमिल प्रांत तथा केरल से भी नहीं रहा होगा; महाराष्ट्र से उसका ऐतिहासिक या सांस्कृतिक गठबंधन शायद नहीं था; गुजरात से उसका संबंध प्राचीन काल से ही नहीं रहा होगा। सच पूछा जाए, तो आज समूचे दक्षिण भारत की ही नहीं बल्कि समूचे भारत की वर्तमान सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थिति की ऐसी कितनी ही तहें हैं जिनके ताने-बाने में भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आये हुए लोगों की संस्कृति के धागे पड़े हुए हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि कितनी ही सदियों तक इस भू-भाग पर राज्य करनेवाले शातवाहन, चोल, पूर्वी तथा पश्चिमि चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, होयसला, काकतीय आदि दक्षिण भारत के ही हो सकते हैं, इसमें संदेह है। फिर भी आज हमारे इस विश्वास को कोई हिला नहीं सकता कि उन जातियों के वंशजों की हम संतान और अनुयायी हैं, जिन्होंने अपने बाहुबल तथा भुजबल के द्वारा दक्षिण भारत के राजनैतिक तथा सांस्कृतिक जीवन को विकसित किया और हमारे सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक आचार-विचारों को प्रभावित किया। तब क्या कोई यह कह सकता है कि इनमें से कौन कर्नाटकी था, कौन आंध्र था, कौन तमिल था और कौन महाराष्ट्रीय था? क्या कोई यह कह सकता है कि इन शासकों, अधिनेताओं तथा आचार्यों की दी हुई थाती पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार नहीं है? कौन इस बात को मानने के लिए तैयार है कि बसवेश्वर अकेले कर्नाटक की ही संपत्ति हैं? कौन इस बात को नहीं जानता कि कर्नाटक ने अपने प्रदेश में केरल के शंकराचार्य तथा तमिलनाडु के रामानुजाचार्य के शिष्यों को आश्रय दिया और उन दोनों धर्मों को बढ़ाया? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यह कह दे कि तुंगभद्रा नदीतट पर स्थापित जिस विजयनगर साम्राज्य ने आंध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक के सामूहिक जीवन को लगभग छह सौ साल तक अपने परिपुष्ट संगठन के द्वारा सांस्कृतिक धाराओं से परिप्लावित किया, वह किसी एक ख़ास प्रांत की अपनी संपत्ति है और सबकी संपत्ति नहीं है? कृष्णा के दक्षिण में प्राचीन संस्कृति, कला तथा विशेषताओं के वैभव को ज्यों-का-त्यों देखकर उत्तर भारत के निवासी आज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो उसका कारण यह नहीं है कि आंध्र, कर्नाटक तथा तमिल के भुज-बल तथा बुद्धि-बल ने अपनेको संगठित कर आततायियों के आक्रमण को रोक दिया।

भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही विंध्याचल से दक्षिण का भू-भाग 'दक्षिणापथ' कहलाता रहा है। उत्तरी भारत को 'आर्यावर्त' कहा गया है। तब से लेकर अब तक उत्तर और दक्षिण के बीच के इस विभेद का एक बहुत बड़ा कारण भूगोल रहा है। विंध्याचल तथा उससे सटी हुई पर्वतमाला और इन पहाड़ों से

निकलनेवाली पश्चिमवाहिनी नदियाँ नहीं होतीं, तो हिन्दुस्तान का इतिहास ही कुछ और बन जाता। हिमालय से निकलनेवाली गंगा और जमुना का जितना महत्व है, उतना आज पश्चिमी पहाड़ों से बहनेवाली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का क्यों नहीं है? जो महत्व हमारे साहित्य में हिमालय को मिला है, वही इन दो महासागरों के बीच में फैली हुई पर्वतमालाओं को क्यों नहीं मिला है? भारतीय संस्कृति के विकास में क्या दक्षिण भारत ने कम महत्व का कार्य किया? क्या यह सच नहीं है कि केरल प्रांत के निवासी शंकराचार्य ने समूचे हिन्दुस्तान पर अपनी अपार विद्वत्ता तथा बुद्धिमत्ता की छाप डाली? क्या तमिल प्रांत के महान आचार्य-पुरुष रामानुज के टक्कर के कोई विद्वान तथा समाज-सुधारक सारे भारत में कहीं ढूँढ़ने पर भी मिल सकते हैं? पश्चिमी समुद्रतीरस्थ उडुपि-निवासी मध्वाचार्य के अनुयायियों ने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, उनका प्रभाव सीमित क्यों है? मध्य कर्नाटक के जनधर्म के प्रवर्तक बसवेश्वर की वाणी आज भी कर्नाटक तथा आंध्र के कुछ प्रदेशों की सीमाओं का उल्लंघन कर सुदूर उत्तर तक क्यों नहीं फैली है? क्या यह सच नहीं है कि आंध्र-निवासी होते हुए भी आचार्य वल्लभ ने उत्तर भारत को अपनाकर समूचे पश्चिमी तथा उत्तरी भारत पर अपना असीम प्रभाव डाला है? इतने प्रभावशाली विद्वानों और शक्तिशाली धर्म-प्रवर्तकों की भूमि होते हुए भी दक्षिण भारत को वह प्रधानता क्यों नहीं मिली है, जो उत्तर के धर्म-प्रवर्तकों तथा विद्वानों को मिली है? इसका भी कारण अधिकतर भूगोल ही है।

पश्चिम में पंजाब और राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, और हिमालय की तराइयों से लेकर विंध्याचल की घाटियों तक की भूमि अगर पठार न रहती और दक्षिण भारत के जैसे पहाड़ों तथा नदियों से घिरी रहती, तो उत्तर को—आर्यावर्त को—इतनी प्रसिद्धि नहीं मिलती। सारे भारत के रकबे में यह भूमि लगभग आधे से अधिक है। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए यह भू-भाग बहुत ही अनुकूल रहा है। जो धर्म जनानुकूल तथा लोकप्रिय रहता है, उसका प्रचार भी शीघ्र हो जाता है। अगर उसे राजाश्रय भी मिले, तो फिर कहना क्या? यही कारण है कि जब कभी किसी भी धर्म का जन्म हुआ या कोई भी धर्म फैलने लगा तब उत्तर भारत की असंख्यक जनता में ही उसका शीघ्रातिशीघ्र प्रचार हुआ। साथ-ही-साथ इन्हीं अनुकूलताओं ने जल्दी-जल्दी परिवर्तन के लिए भी वहाँ सुविधाएँ पैदा कर दीं।

दक्षिण और उत्तर के बीच अबाध संचार कठिन होने के कारण यह फल हुआ कि कोई भी धर्माचार्य उत्तर भारत की दक्षिणी सीमा को लाँघकर, अर्थात् विंध्याचल को पारकर दक्षिण में आया, तो यहीं पर जम गया, वापस नहीं गया।

यह कर्नाटक भूमि जैन धर्म का सदियों तक क्रीड़ास्थल रही है। लाखों श्रमणों, श्रावकों तथा श्राविकाओं को इस भूमि ने आश्रय दिया था। जैन धर्म के प्रवर्तकों तथा राजाओं ने संस्कृति के क्षेत्र में इस प्रदेश में जो कार्य कर दिखाया है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करने देश के कोने-कोने से लाखों यात्री आज भी आते हैं। जैनों ने पत्थर छेद-छेदकर अपनी उच्चतम कल्पनाओं को रूप दिया। कल्पना एवं कौशल में बारीकी तथा विराटता में उनकी कृतियाँ बेजोड़ हैं। अगर जैन श्रमण तथा श्रावक इस दक्षिणापथ में नहीं आते, तो यह कहना मुश्किल है कि कर्नाटक तथा तमिलनाडु की भाषाओं एवं साहित्यों के रूप कैसे होते? वास्तव में जैन तथा बौद्ध धर्मों ने प्राकृत भाषाओं के द्वारा अपने जिन विचारों का प्रचार किया और जिन्हें लिपिबद्ध कर साहित्य का निर्माण किया, उनको अलग कर दें, तो द्राविड़-कुल की कही जानेवाली दक्षिण की चारों भाषाएँ अपने साहित्य-निक्षेप से क़रीब-क़रीब ख़ाली हो जाएँगी। वास्तव में इन चारों भाषाओं की, अर्थात् कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम की सीमाएँ भी भूगोल ही के कारण बँध गयी हैं।

महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई पर्वतपंक्ति, अर्थात् पश्चिमी घाट ने दक्षिण भारत को क़रीब-क़रीब दो भागों में बाँट दिया। नीलगिरि ने अपनेसे सटे हुए भूभाग को अलग कर केरल को कर्नाटक से तथा कर्नाटक को तमिलनाडु से जुदा कर दिया। इसी पर्वत के कारण संचार में कठिनाई होने से भाषा-प्रदेशों की सीमाएँ भी बँध गयीं। अन्यथा तमिलनाडु से कर्नाटक और कर्नाटक से आंध्र पृथक नहीं हो सकते थे, जैसे भाषा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बिहार अलग नहीं रहा है। राजाओं तथा राजाश्रित सेनाओं ने भी संचार के अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से विवश होकर अपने-अपने राज्य स्थापित किये। इन सहज तथा स्वाभाविक रुकावटों के कारण उन्नीस तथा बीसवीं सदियों की प्रवृत्तियों ने अपना-अपना क्षेत्र निश्चित किया। संस्कृति, धर्म, इतिहास तथा साहित्य की दृष्टि से एक होते हुए भी आज दक्षिण भारत चार प्रांतों में बँटा हुआ है। एक-दूसरे की भाषाओं के बहुत नज़दीक होते हुए भी दक्षिण भारत के निवासी अपनेको अलग-अलग भाषा-भाषियों के रूप में देखना चाहते हैं। छोटे-छोटे भेदों को बढ़ाकर एक-दूसरे के बीच में दीवार बनाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि लोग अपना-अपना संगठन क्षेत्रीय दृष्टि से कर लेना चाहते हैं। यद्यपि वे जानते हैं कि क्षेत्रीयता को बहुत दूर तक फैलाना ख़तरे से ख़ाली नहीं है, फिर भी चूँकि क्षेत्रीयता राजनैतिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से आज अनुकूल पड़ रही है, इसलिए उसका सहारा लेना चाहते हैं। अगर क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता की दुश्मन है, तो उसे तोड़ने के लिए सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि अपनी क्षेत्रीयता की निकटस्थ सीमा को पार कर दें। दक्षिण भारतीय अपने प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षेत्रीयता, अपनी संकुचित प्रादेशिकता को दूर कर उससे विशाल प्रादेशिकता अर्थात् दक्षिण भारत के साथ अपना संबंध जोड़ लें। अपनी क्षेत्रीय हदबंदी को तोड़कर, प्रादेशिक हदबंदी के निर्णय के लिए न लड़कर समूचे दक्षिण भारत को अपना लें ताकि आगे उनकी अपनी ही करतूतों से ऐसी कोई परिस्थिति पैदा न हो कि छोटे-छोटे दायरों में बँटने से दम घुटने लग जाए।

कन्नड़ के आदिकवि पंप का शुरू किया हुआ महाप्रस्थान, हमें याद रखना चाहिए, बीच में कभी बंद न हुआ। आज भी समूचे कर्नाटक प्रान्त में लाखों तेलुगुभाषी और तेलुगु प्रान्त में कन्नड़भाषी पाये जाते हैं। तमिलनाडु अपनेसे तेलुगु लोगों को हटा दे और आंध्र ढूँढ़-ढूँढ़कर तमिल लोगों को हटा दे, तो दोनों का एकदम दिवाला निकल जाएगा। इन साहित्यिकों, संस्कृति-पोषकों व सेवकों तथा धर्म-प्रचारकों का इतिहास उस ज़माने का है जब देश में आवागमन बड़ा ही कठिन कार्य था; लेकिन आज जब कि यात्रा की अनगिनत सुविधाएँ हैं, तो प्रादेशिकता कुछ दिन के बाद बंदीख़ाना-सी मालूम होगी। इससे हमारी संस्कृति, साहित्य तथा विवेक-शक्ति की धाराएँ भी क्षीण होती जाएँगी।

भारत की एकता के लिए जिस दृष्टिकोण की तथा साधनों की आवश्यकता है, उनमें सबसे पहला स्थान पड़ोसी-प्रेम को मिलना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अपने स्वजनों में अड़ोस-पड़ोस के लोगों को सम्मिलित नहीं कर सकता, वह सच्चा और संपूर्ण देश-प्रेमी नहीं कहा जा सकता। जैसे आज वर्णभेद, वर्गभेद, धर्म-भेद तथा कुल-भेदों का हम मनसा, वाचा, कर्मणा उन्मूलन करना चाहते हैं, उसी तरह से भाषा-भेद की दीवारों को भी तोड़ने का यत्न होना चाहिए। हम प्रतिदिन भले ही राष्ट्रीयता का मंत्र जपें, संकल्प पढ़ें, अंजलिबद्ध होकर अर्घ्य भी छोड़ दिया करें, लेकिन अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों को अपनाये बग़ैर हम राष्ट्रीयता प्राप्त नहीं कर सकते।

भारत एक राष्ट्र है; वह अविभाज्य है। उसके संबंध में हमने संविधान-द्वारा 26 नवंबर, 1949, के दिन ऐसा संकल्प किया है:—

"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गण-राज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए,

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए,

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान-सभा में आज तारीख़ 26 नवंबर, 1949, ईस्वी, (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

इस संकल्प से स्पष्ट है कि हमने भारत को अपनाया है। भारत के निवासियों के संपूर्ण समाज को आत्मसात् करने के लिए हमने अपना प्रयत्न शुरू कर दिया है। लेकिन अब तक यह हमारा भावनापूर्ण संकल्प मात्र रहा है, हमारे इस संकल्प की सिद्धि के संबंध में प्रयत्न वैयक्तिक, सामाजिक तथा राजनैतिक होना चाहिए। हमने राजनैतिक दृष्टि से जितने कदम उठाये, उनमें सबसे अच्छा तथा शक्तिशाली कदम भारत की भाषावार राज्य-रचना है। एक ही भाषा-भाषी जनता भिन्न-भिन्न राज्यों में बँटे रहने के कारण जो दिक्कतें पैदा होती हैं, उनका जितना अनुभव कर्नाटक-वासियों को हुआ, शायद ही उतना और किसी प्रान्त के निवासियों को हुआ होगा। ता. 1 नवंबर, 1956, के पहले कन्नड़ भाषा-भाषी पाँच राज्यों में बँटे हुए थे। वे सब संगठित होकर आज एक विशाल राज्य में आ गये हैं। हमारी राष्ट्रीयता के महायज्ञ का यह प्रथम प्रारूप है। इसके सहारे से अब हम अपने यज्ञ के कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं।

इस देश में कितने ही ऐसे देशभक्त अब भी हैं जो भाषावार प्रांतों के विरुद्ध हैं। हमारे देश के कुछ नेता भी भाषावार प्रांतों के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ दुविधा में पड़े हुए हैं। उनके मन में यह चिंता है कि लोगों का स्वभाषा-प्रेम कहीं भाषाद्रोह के रूप में परिणत न हो जाए और लोग अपने अड़ोस-पड़ोस के भाषा-भाषियों के ऊपर धावा करने न लग जाएँ। स्वराज्य के लिए भाषा कोई सेवा-साधन न बनकर राज-सत्ता के पिपासुओं के हाथ में कहीं हथियार न बन जाए। स्वभाषा-प्रेम का मतलब कहीं प्रदेश-प्रेम न समझा जाए। इन सभी आशंकाओं के लिए कहीं-कहीं काफ़ी प्रमाण भी मिलते हैं। इसलिए अब उन स्वभाषा-प्रेमियों के सामने एक चुनौती-सी है, जिन्होंने भाषावार राज्य-पुनर्गठन के लिए आंदोलन किया था; और उनका यह धर्म है कि वे इन आशंकाओं को दूर कर दें।

भाषावार प्रांतों के आंदोलन का ज़बरदस्त अड्डा दक्षिण भारत ही रहा है। मराठी, तेलुगु और कन्नड़ भाषा-भाषियों ने इस आंदोलन का अधिकतर नेतृत्व किया था। अब तीनों भाषा-भाषियों का पहला धर्म यह है कि वे स्वभाषा-प्रेम का मतलब अपनी ही भाषा का प्रेम न समझें और अपने अड़ोस-पड़ोस के लोगों की भाषाओं को भी अपना लें। अगर इस दिशा में वे कार्य करने लग जाएँ, तो उनका अपना सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक इतिहास साथ देगा।

यह सच है कि भाषा का जनता के साथ बहुत बड़ा गहरा संबंध रहता है। हमारे कौटुंबिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में सदियों से परंपरागत तौर पर आये हुए शब्द हमारे हृदयों में ऐसे घर कर जाते हैं जिनके स्थान में दूसरी भाषाओं के पर्यायवाची हम ले ही नहीं सकते; अगर ले भी लेते हैं, तो उनके साथ समस्त जनता के समरस होने में काफ़ी समय लग जाता है। उन शब्दों को अपनाते समय अपने और पराये का संघर्ष आ गया, तो उससे बचना कठिन हो जाता है। प्राचीन

काल से यह सिद्धांत स्वाभाविक मान लिया गया है कि भाषा तथा साहित्य के ऐसे भिन्न भिन्न स्तर होने चाहिए जो समस्त जनता की मानसिक स्थिति, शिक्षा तथा संस्कृति के अनुकूल पड़ें और साथ ही हमारे जीवन-क्षेत्र के भिन्न-भिन्न प्रांगणों में तथा स्थितियों में उनका उपयोग हो। यही कारण है कि हमारे साहित्य का भी वर्ग तथा वर्णानुसार विभाजन हुआ है। वेद, उपनिषद, तथा ब्राह्मणों से संबंधित साहित्य हमेशा कुछ निश्चित वर्गों अथवा वर्णों या समूहों के लिए सीमित रहा है, जिनका पठन-पाठन हमारे उच्चतम धार्मिक जीवन के लिए आवश्यक समझा गया। उसी साहित्य की एक निचोड़ जनोपयोग के लिए पुराणों के रूप में जन-भाषाओं में प्राप्त है। उच्चतम धार्मिक जीवन के लिए जिस साहित्य की आवश्यकता थी, उसे परिष्कृत, अभेद्य तथा नियमबद्ध भाषा में आबद्ध किया गया। जनसमुदाय के लिए उपयोगी साहित्य के निर्माण तथा प्रचार का कार्य ऐसी भाषाओं में किया गया जो आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय विशेषताओं को लेकर मोड़ी जा सके। ऐसी कितनी ही मोड़ें हो गयीं जिन्होंने हमारे देश में भाषा-भेदों को जन्म दिया। यही क़रीब-क़रीब हमारे देश की प्रादेशिक भाषाओं तथा बोलियों का इतिहास है। उनके इतिहास के निर्माण में भूगोल ने भी साथ दिया, जिसका उल्लेख इसके पहले एक बार किया जा चुका है।

दक्षिण भारत की भाषाएँ और इतिहास उसके नेताओं के सहस्रों वर्षों के संघर्ष का परिणाम है; देश के चारों कोनों से आये हुए धार्मिक विचारों और उनके प्रचार का परिणाम है। जैसे कि यह निश्चय करना मुश्किल है कि दक्षिण भारत के कौन नागरिक आर्य, कौन द्राविड तथा कौन वनवासी संतान हैं, वैसे ही यह भी निश्चय करना मुश्किल है कि भाषा तथा साहित्य के कौन से हिस्से आर्य कुल के, कौन-से द्राविड कुल के तथा कौन-से सेमेटिक कुल के संप्रदायों के हैं। भाषाशास्त्र के अगाध जल में कोई गोता लगाये और भिन्न-भिन्न शब्दों के साथ उसकी अलग-अलग मुलाक़ात हो सके, तो वे शब्द अपनी-अपनी बड़ी-बड़ी दिलचस्प कहानियाँ सुना सकेंगे। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ जातियों, वंशों, गाँवों, पहाड़ों, नदियों, नालों और शिलामूर्तियों से भी हम सुन सकेंगे। किसी-किसी शब्द से हम ऐसी कहानी भी सुन सकेंगे जिससे हमारे हृदय में ऐसी भावना पैदा हो कि उसकी रक्षा के लिए हम अपना सर्वस्व भी त्याग करने के लिए तैयार हों। कभी-कभी कुछ शब्दों के साथ हमारा गहरा संबंध होने के कारण उनको लेकर जनता में बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ भी छिड़ जाती हैं, क्योंकि हमारे देवी-देवताओं और आकांक्षाओं की सिद्धि के साधन इन्हीं शब्दों में बसते हैं।

यद्यपि यह भावना बहुत अच्छी है, फिर भी हमारे लिए कभी-कभी बड़ी हानिकारक बन जाती है, जब कि उसके अलग-अलग रूपों से हम प्रेम करते हैं और उनकी सामूहिक तथा समन्वयात्मक शक्ति का विस्मरण करते हैं, और जब हम इस बात की जानकारी नहीं रखते कि हमारे सभी शब्द, भाषा और साहित्य की श्रृंखला की भिन्न-भिन्न कड़ियाँ हैं। यह स्पष्ट है कि नदी के प्रवाह की प्रत्येक बूंद किसी भी जगह पर गिरकर जल के विराट रूप का भाग बनकर यात्रा करती हुई नदी के अखंड प्रवाह का हमें दर्शन कराती है। अगर विजयवाड़ा में कृष्णा के किनारे खड़े होकर मैं तुंगभद्रा, भीमा आदि नदियों के अनुदान को कृतज्ञता के साथ स्वीकार न करूँ, तो मेरी अज्ञानता को क्षमा करने के लिए अपार उदारता की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं, जो अपने सोते-से बहती हुई उपनदियों के पानी को ग्रहण करती हैं, बढ़ती जाती हैं और अपने नाम नहीं बदलतीं। कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं, जो कई उपनदियों के संगम के परिणाम से अपना एक नया नाम धारण करती हैं। हमारी नदियाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी तो ऐसी नहीं हैं। उत्तर भारत की नदियाँ इसके

विपरीत हैं, जैसे कि जमुना गंगा में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है।

बिहार पार करने के बाद गंगा का कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी इन नदियों का अपना-अपना महत्व है। जो नदियाँ अपना अस्तित्व खोकर नये रूप ग्रहण करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, वे विशालकाय तथा विस्तृत भी होती हैं। हमारे देश की भाषाओं की भी मिसाल उनके साथ दी जा सकती है। हिन्दी, जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, करीब-करीब अपनी प्रादेशिकता को खोयी हुई गंगा-जैसी है। निरंतर बहनेवाली जीवनदी जैसी होने के कारण हिन्दी ने सदियों से आयी हुई सांस्कृतिक धाराओं को भी अपना लिया। आज वह दावा करती है कि समूचे हिन्दुस्तान को भी अपनाने की वह क्षमता रखती है। बहुत हद तक हिन्दी के बारे में यह सच है। राष्ट्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। समूचे राष्ट्र के स्वीकार कर लेने के बाद वह कोई प्रादेशिक भाषा नहीं रही।

कई लोगों का यह ख्याल है कि हिन्दी उत्तर भारत के लोगों की मातृभाषा है। क्योंकि वह आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा आधे पंजाब की प्रादेशिक भाषा के तौर पर भी स्वीकार कर ली गयी है। इस तरह इन सभी प्रदेशों का रकबा साढ़े पाँच लाख वर्गमील और आबादी 16 करोड़ की हो गयी है। भू-विस्तार तथा जन-संख्या में आज उसका चालीस प्रतिशत का हक़ हो गया है। इसलिए कुछ लोगों के मन में यह डर समा गया है कि हिन्दी के द्वारा उत्तर भारत दक्षिण भारत के ऊपर राज करेगा; चार भाषाओं के बीच में बँटे हुए 2½ लाख वर्गमील के भू-विस्तार के दक्षिण भारत को, अपनी दस करोड़ आबादी को लेकर किसी-न-किसी समय उत्तर भारत का लोहा मानना पड़ेगा। इन आलोचकों को इस बात की जानकारी नहीं कि समूचे उत्तर भारत में आज भी पढ़े-लिखे लोगों की संख्या 11% से कम है। दक्षिण भारत में साक्षरों की संख्या प्रतिशत में उससे क़रीब दुगुनी है, अर्थात् 20% है, जिसमें केरल की 37·34, मसूर की 19·4, आन्ध्र की 12·97 और मद्रास की 21·98 फ़ी सदी भी शामिल है। किसी भी राजकाज में अगर किसी विषय को महत्व दिया जा सकता है, तो संख्या को नहीं, बल्कि साक्षरता, विवेक तथा बुद्धि-बल को ही। इन तीनों विषयों में कभी भी दक्षिण भारत ने अपनी हार नहीं मानी है।

अगर दक्षिण भारत आज अपने पड़ोसी प्रांतों को साथ लेकर चल सके, जिसमें उड़ीसा और महाराष्ट्र भी शामिल किये जा सकें, तो संख्या में भी वह उत्तर भारत से कम नहीं होगा। इसलिए यह समझना व्यर्थ है कि संख्या-बल से दक्षिण की कोई हानि हो सकती है। ऐसे आलोचकों को एक बात का ख्याल और रखना चाहिए। वह यह है कि तथाकथित हिन्दी प्रदेशों में आज भी दसों बोलियाँ ऐसी बोली जाती हैं, जो हिन्दी से उतनी ही दूर हैं जितनी मराठी से हिन्दी है, या उड़िया से हिन्दी है। तथाकथित हिन्दी प्रान्तों में साक्षरता कम होने के कारण तथा विकसित हिन्दी में उच्चतम पुराना साहित्य न होने के कारण सहज ही उन प्रांतों ने अपनी अपनी बोलियों को प्रधानता न देकर प्रदेश तथा राष्ट्र के हित में एक भाषा मान ली है। इससे यह न समझा जाए कि व्रजभाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, बुन्देली जैसी मज़बूत साहित्य-संपन्न बोलियाँ कभी मिट सकती हैं। वास्तव में पंजाबी भी वर्तमान हिन्दी के इतनी ही नज़दीक है जितनी कि व्रजभाषा या अवधी। फिर भी आज यह भारत की चौदह मुख्य भाषाओं में एक मान ली गयी है और इसे एक सर्वांग-सुंदर भाषा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह उत्तर भारत की जनता के सामने भी प्रादेशिक भाषा तथा राष्ट्र-भाषा का सवाल आता ही है। जब आता है तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। जब हिन्दी राष्ट्रभाषा के तौर पर राष्ट्र-सम्पत्ति हो जाएगी, तब उसका कलेवर इतना बढ़ेगा और

स्वरूप इतना बदलेगा कि वह प्रतिदिन निरंतर दूसरी भाषाओं के संपर्क में आकर हिन्दी प्रदेशों की बोलियों से जुदी ही होती जाएगी, और समूचे हिन्दुस्तान की समीप भाषाओं से संपर्क रखना और उनसे शब्द-संपत्ति का संचय करना, संविधान के अनुसार उसके लिए अत्यावश्यक माना गया है। इस तरह से बढ़ते-बढ़ते आज की हिन्दी-गंगा भारत के संस्कृति-सागर में आकर मिलेगी, तो उसकी कायापलट हो जाएगी। फिर वर्षा के रूप में उसी महासागर से उठकर भारत की समस्त भू-संपत्ति को उर्वरा बनाएगी और समूचे देश के लिए एक आम भाषा को जन्म देगी। यही राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम भारतीय संविधान की धारा 351 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है :—

351—हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्दग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।

अकसर लोग यह सवाल करते हैं कि बहुत ही प्राचीन तथा साहित्य-संपन्न दूसरी भाषाओं को छोड़कर हिन्दी को सार्वदेशिक भाषा का पद क्यों दिया गया है। क्या तमिल-जैसी प्राचीन भाषा, बंगला-जैसी संपन्न भाषा, तेलुगु, कन्नड़ व मराठी-जैसी विस्तृत व सामासिक भाषाओं से कोई भाषा इस पद के लिए लायक़ नहीं थी? इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि हिन्दी बीसवीं सदी की भाषा है। वह इतनी पुरानी नहीं है कि वह तथाकथित पंडितों की कट्टरपंथी में जकड़कर उसके विद्यार्थियों को परेशान कर दे। हिन्दी में विद्रोह और विकास के कई बीज पड़े हुए हैं जिनकी आज बड़ी ज़रूरत है। उर्दू, फ़ारसी और अरबी के शब्दों को अपनाकर वह सांप्रदायिकता की चहारदीवारी से मुक्त हो गयी है। बहुत ही सरल, बोधगम्य शब्दों को अपनाकर समूचे हिन्दुस्तान को आत्मसात् कर प्रादेशिकता की संकीर्णता के बाहर निकल आयी है। ऋषि दयानंद की वाणी बनकर समाज-सुधार का प्रतीक हो गयी है। पंजाब से लेकर बिहार तक के पढ़े-लिखे लोगों की ज़बान पर चढ़कर आज वह बुद्धिजीवी समाज की वाणी बन गयी है। इस भाषा की जड़ें जनता में हैं। इसका धड़ भारत की सामासिक संस्कृति है। इसकी शाखाएँ सभी प्रदेशों में फैली हुई हैं। इसके फूल देश के भिन्न-भिन्न प्रांतों में फैले हुए विद्वान हैं। इसका फल भारतीय एकीकरण है, जो प्रत्येक भारतीय का अपेक्षित लक्ष्य है।

भाषावार राज्य-पुनर्रचना के बाद अंतर-प्रादेशिक भाषा के तौर पर इस समय जो अंग्रेज़ी काम कर रही है, उसको बनाये रखने के संबंध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं; क्योंकि अब यह सवाल नहीं रहा कि प्रत्येक प्रांत में शिक्षा, शासन आदि का माध्यम क्या हो? अब इसमें संदेह कहाँ रहा है कि प्रादेशिक भाषा अपना समुचित स्थान प्राप्त करेगी? अब सवाल इतना ही रह गया है कि अंतर-प्रादेशिक; अर्थात् सार्वदेशिक माध्यम कौन-सा होगा? अंग्रेज़ी के द्वारा हिन्दुस्तान ने बहुत पाया। आज भारत संसार के देशों में अपना सिर ऊँचा किये खड़ा है और उसकी आत्मा को विश्व के भिन्न-भिन्न देश पहचानने लगे हैं, तो उसकी वाणी का अंग्रेज़ी होना कुछ हद तक सत्य है। इससे कोई कह दें कि आज भारत की आत्मा अंग्रेज़ी आवरण को ओढ़ने के लिए तैयार है, तो वह ग़लत है। उसकी आत्मा का रूप-निर्णय करने तथा उसे व्यक्त करने के लिए हम

अंग्रेज़ी का सहारा ले रहे हैं, इसमें कुछ सच्चाई है। ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, जो संसार को भारत की आत्मा के दर्शन करा दें। यह काम आज अंग्रेज़ी के द्वारा हो रहा है, तो कल रूसी, जापानी तथा अन्य भाषाओं के द्वारा भी होना अत्यावश्यक होगा। इससे स्पष्ट है कि इस तरह के कार्य के लिए हम अपनी देशी भाषाओं के स्थान में अंग्रेज़ी को स्वीकार कर लें। भारतीय आत्मा के प्रकाश को अंग्रेज़ी के द्वारा विदेशों में फैलाने के लिए देश को मज़बूर करें। संयोगवश आज अंग्रेज़ी हमारे बीच में जो जम गयी है, वह तात्कालिक और अस्थायी है। उसे अपना वर्तमान स्थान छोड़कर वही स्थान लेने के लिए तैयार होना चाहिए, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत उसे देने को तैयार हो।

कई लोगों का ख्याल है कि आज हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी—पढ़े-लिखे लोग काफ़ी तादाद में हैं और वे भी दक्षिण भारत में ज़्यादा हैं। इस संबन्ध में सरकारी आंकडों से जो जानकारी मिलती है, उससे वस्तुस्थिति का दूसरा ही मूल्यांकन होता है। 'मेट्रिक' तक पढ़े-लिखे लोगों की संख्या कुल हिन्दी प्रांतों में 14,19,390; बंबई में 4,54,707; बंगाल में 6,04,111; आंध्र में 2,27,671; कर्नाटक में 2,39,016; तमिलनाडु में 3,36,525 और केरल में 2,01,253 है। किसी भी प्रांत में अपनी-अपनी भाषा के साक्षरों की संख्या इससे पन्द्रह गुनी से कम नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अंग्रेज़ी-पढ़े-लिखे लोग आज हमारे देश की राज-सत्ता के अधिकारी अवश्य हैं; लेकिन जन-सत्ता की स्थापना के बाद शीघ्र ही यह स्थिति बदल जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। अगले चुनाव के बाद सन् 1962 के पहले लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज़ी का स्थान, उसको बढ़ाने का कार्य तो दूर रहा, ज्यों-का-त्यों बनाया रखा भी नहीं जा सकता। उसी प्रकार हज़ार कोशिश करने पर भी जन-भाषाओं के उपयोग को न तो कम किया जा सकता है और न उसके प्रति लोगों के उत्साह की बाढ़ को रोका ही जा सकता है। अतः यह विवेक की बात है कि अपने अंतर-प्रादेशिक और सार्वदेशिक उपयोग के लिए किसी देशी भाषा ही को चुना जाए। और वह भाषा हिन्दी को छोड़कर दूसरी नहीं हो सकती।

कुछ आलोचकों के मन में यह डर समाया हुआ है कि धीरे-धीरे जिस तरह अंग्रेज़ी ने अपनी प्रांतीय भाषाओं के स्थान को हड़प लिया, उसी तरह हिन्दी भी किसी-न-किसी समय प्रादेशिक भाषाओं का स्थान छीन लेगी। इसका जवाब आजकल अपनी-अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम है, वही दे सकता है। हमारी प्रादेशिक भाषाएँ भी कुछ कमज़ोर तो नहीं हैं। भारतीय संविधान की अष्टम सूची के अनुसार इस समय कुल 14 भाषाओं को मान्यता मिली है, जिनके फैलाव, जन-संख्या तथा रक़बे के हिसाब से उनके बल का पता लगाया जा सकता है। हमारी प्रादेशिक भाषाएँ अधिकतर सागरतीरस्थ हैं; सिर्फ़ असमिया, कश्मीरी तथा पंजाबी पार्वतीय हैं। उर्दू तथा संस्कृत अखिल भारतीय हैं। हिन्दी मध्यदेशीय है। इसकी ब्यौरेवार तालिका यों है—

भाषा का नाम	वर्गमील	जन-संख्या (लाखों में)
पश्चिम सागरीय—		
गुजराती	71,456	161
मराठी (बंबई शहर मिलाकर)	1,16,484	317
कन्नड़	72,730	190
मलयालम	14,980	136

भाषा का नाम	वर्गमील	जन-संख्या (लाखों में)
पूर्व सागरीय—		
बंगला	34,590	265
उड़िया	60,110	146
तेलगु	1,12,500	322
तमिल	50,170	300
मध्यदेश की भाषाएँ—		
हिन्दी-उर्दू (पंजाबी के साथ)	5,41,570	1,610
पार्वतीय भाषाएँ—		
असमिया	81,040	97
कश्मीरी	92,780	44

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि हमारी कोई प्रादेशिक भाषा, ख़ासकर जो दक्षिण की है, इतनी कमज़ोर नहीं है कि जिससे उसके लुप्त हो जाने का डर हो; बल्कि धीरे-धीरे उसके शक्तिशाली बनने का विश्वास किया जा सकता है, जिससे कि प्रत्येक प्रादेशिक भाषा अपना-अपना अनुदान सार्वदेशिक भाषा को देकर सार्वदेशिक साहित्य तथा संस्कृति को परिपुष्ट बना सके।

यह निर्विवाद है कि भारतीय संस्कृति एक है और अविभाज्य है; लेकिन उसकी संपूर्णता और शक्ति-शालीनता का मूल्यांकन किसी भाषा तथा समाज के सीमित मूल्य के द्वारा नहीं हो सकता। उसका पूर्ण मूल्यांकन उसके समग्र रूप के दर्शन से ही किया जा सकता है। हमारी जितनी क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं, वे सब भारतीय संस्कृति के भिन्न-भिन्न अंग हैं। हमारी ललित कलाएँ, भाषाएँ, आचार-विचार तथा साहित्य का बाह्य रूप भिन्न मालूम होने पर भी उनमें एक अभिन्न एकता है, जैसे शरीर का कोई अंग उससे अलग नहीं किया जा सकता और शरीर की सुन्दरता उसके परिपुष्ट अंगों के द्वारा ही झलक सकती है।

भाषावार राज्य-पुनर्रचना के बाद हमें शीघ्र इस दिशा में भी कदम उठाना चाहिए कि हम अपनी सांस्कृतिक पुनर्रचना का भी आयोजन करें। देश के हृदयों को संगठित कर, एक सूत्र में बाँधने के लिए भाषा से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता। संगीत, साहित्य तथा ललित-कलाओं के द्वारा विभिन्न लोगों को दृष्टि-दान दिया जा सकता है। यह कार्य और साधनों से नहीं हो सकता। उस दृष्टि का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम छोटे दायरे से बड़े दायरे में पहुँचें। प्रादेशिकता से ऊपर उठ जाने के बाद हमारी दूसरी मंज़िल अन्तर-प्रादेशिक भ्रातृभाव ही हो सकती है, जिसका एकमात्र प्रादुर्भाव सच्ची और संपूर्ण राष्ट्रीयता ही होगा। इस दिशा में द्रुतगति से काम करने के लिए हिन्दी प्रचारकों तथा हिन्दी प्रेमियों को गाँव-गाँव में अपना काम फैला देना चाहिए। राष्ट्रभाषा का प्रचार हमारे लिए एक साधन है, हमारा साध्य राष्ट्रीय एकीकरण है। जिस वेग से इस समय कर्नाटक में यह काम हो रहा है, वह बधाई का पात्र है। जो उन्नति यहाँ हिन्दी प्रचार कार्य में हुई है, उसके लिए मैं कर्नाटक की संस्थाओं और प्रचारकों को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि पश्चिम कर्नाटक ने इस कार्य में अपना नेतृत्व स्थापित किया है। हम आशा रखते हैं कि विशाल मैसूर का राज्य इस कार्य को बढ़ाने में ऐसा कदम उठाएगा जो सारे देश के लिए एक उदाहरण-सा साबित हो।

* * *

स्वतंत्र भारत के स्फूर्ति-स्रोत

वर्तमान युग का जब से उदय हुआ है, तब से सारा भारतवर्ष इसी एक बात के लिये व्यस्त रहा है कि अंग्रज़ों के हाथ से अपना राज्य कैसे वापस ले ले। इसके लिए उसने कई मौलिक उपाय अपनाये और बगैर खून-ख़राबी के आज उसने जो सफलता प्राप्त की, वह उसके इतिहास में एक बेजोड़ नज़ीर बन गयी है। महात्मा गान्धी का अहिंसक सत्याग्रह कुछ लोगों को 'पागल का सपना' मालूम हुआ और कुछ लोगों ने उसे एक 'पॉलिसी' ही समझा। हमारी यह राजनैतिक स्वतंत्रता अहिंसा और सत्याग्रह का फल है या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम है, यह विवादास्पद विषय इतिहास-लेखकों के लिए छोड़ दिया जाय, और इस स्वतंत्रता के उदय के अवसर पर अपने भावी स्फूर्ति स्रोतों का यहाँ दिग्दर्शन कराया जाय, तो बेहतर होगा। वाक़ई में, लड़ाई के तरीक़े ढूँढ़ना आसान है, लड़ाई करना भी कुछ हद तक आसान है। लड़ाई की तैयारी में काफ़ी सहूलियतें भी मिल जा सकती हैं। लेकिन अमन और चैन की योजनाएँ बनाना और उन्हें अमल में लाने की तैयारी करना कठिन काम हो जाता है। इस आज़ादी के लिए हमें जितनी तपस्या करनी पड़ी है, संभव है उससे कहीं ज़्यादा तपस्या उसके फल-भोग के समय करनी पड़े। महज़ राजनैतिक आज़ादी सच्ची आज़ादी नहीं होती। सच्ची आज़ादी तो वही कहलाती है, जो मनुष्य को हर तरह की तकलीफ़ों से, ख़तरे और ख़ौफ़ से, अभाव और अभियोगों से मुक्त कर दे। अर्थात् प्रत्येक मनुष्य भर-पेट खाना खाए, तन के लिए काफ़ी कपड़ा पाए, निर्भीक होकर अपनी और अपने समाज की सेवा कर सके, स्वस्थ और सफल जीवन के साधनों को सरलता से प्राप्त कर सके—इन सबके लिए हम स्वतंत्र भारत में सफल आयोजनाएँ बना सकते हैं। उन्हें सफलता के साथ चालू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पीछे कोई स्थायी ताक़त लगी न रही, तो अंदेशा है कि वे अस्थिर और अस्थायी रूप धारण कर लें।

सबसे बड़ी ताक़त, अणु-बम से भी ज़बर्दस्त ताक़त, 'भावना' मानी जाती है। इस भावना-प्रवाह के कई मुक्तस्रोत हैं, जो बाहरी रूप से विभिन्न दिशाओं में बहते हुए भी, अंदर से एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इनमें से कुछ शारीरिक स्रोत हैं; कुछ सामाजिक और कुछ सांस्कृतिक कहे जा सकते हैं। मनुष्य की इस भावना को जाग्रत करने के प्रयत्न हमेशा चलते ही रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की छाती में मधु-चक्र-सा भावनाओं का गट्टर जो पड़ा रहता है, वह बहुत ही ज़िन्दा होता है। हलके झोंके से ही उस छत्त की मक्खियाँ जोश के साथ फड़-फड़ा उठती हैं। ये मक्खियाँ मानव-समुदाय की बहुत बड़ी पूँजी हैं, जो उद्गारों के रूप में निकलती रहती हैं। इन्हें संयम में रखकर सरल और सही रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तभी जीवन का सच्चा स्वाद प्राप्त हो सकता है। जैसे मधु मक्खियाँ अपनी रानी के साथ लगी रहती हैं, वैसे ही इन ज़ज़बातों के लिए भी एक आकर्षक आश्रय की ज़रूरत होती है। यह आश्रय आकर्षक हो, सच्चा हो और स्वाभाविक भी हो; साथ ही इसमें स्थायित्व भी हो। तभी इनसे वह ताक़त पैदा होगी, जो हमें कठिनाइयों के पार पहुँचाकर, सुखी बना सके।

इस प्रवाह को ठीक रास्ते पर चलाने से जितना सुख मिलता है, उसके बहक या भड़क जाने से उतना ही दुःख भी प्राप्त हो सकता है। अगर हमारे स्रोत का केंद्र अच्छा और सच्चा

※ अगस्त, 1947, के 'दक्खिना हिन्द' में प्रकाशित लेख

रहा, तो हमारा समाज और देश, साहित्य और संगीत, सौजन्य और सरसता, सुख और संपत्ति, प्रेम और भक्ति, चेतना और शक्ति से फूलता-फलता रहेगा। अतः आज़ाद भारत में हमें इस बात की खोज करनी होगी कि भावनाओं का हमारा वह स्रोत कहाँ केन्द्रित हो। भविष्य की कल्पना में व्यक्ति प्रधान हो या समाज, इस पर काफ़ी समय से वाद-विवाद चल रहा है। इसका कारण यह है कि भारत ने व्यक्ति को प्रधान बनाकर विश्व-संस्कृति के समन्वय की तरफ़ रास्ता तैयार किया है, तो पश्चिम के देशों ने समाज की प्रधानता के नीचे व्यक्ति को दबोचकर संस्कृति-समन्वय की नींव डाली है। भारत के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने अतीत को एकदम भूल जाय और भविष्य की रचना में दूसरों का मुँह ताका करे।

भारत की उस संस्कृति में व्यक्ति किसी कल-कारख़ाने का पुर्जा मात्र नहीं है, वह खुद एक बड़ा कारख़ाना है; वह किसी प्रकाश की भूली-भटकी किरण नहीं, बल्कि खुद एक प्रकाश-गृह है; वह किसी चित्र की अस्पष्ट रेखा नहीं, बल्कि स्वयं संपूर्ण चित्र है। अर्थात् भारत का व्यक्ति किसी वस्तु का हिस्सा नहीं; बल्कि खुद वस्तु का पूर्णांश है। इसलिए हमारी संस्कृति में व्यक्ति को ही ईश्वर बनाया गया है और ईश्वर को व्यक्ति में देखने की कोशिश की गयी है। अतः इस संस्कृति के मूल में व्यक्ति ही केंद्रित है और वह व्यक्ति सारे समाज और राष्ट्र का बोझ उठाये चलता है। समाज भी उसकी उपेक्षा नहीं करता, प्रत्युत् आदर की दृष्टि से देखता है। हमारे यहाँ समाज और व्यक्ति में विरोध नहीं रहा, बल्कि दोनों के बीच समन्वयकारी शक्तियाँ ही काम करती रहीं। अगर अपने देश का सच्चा कल्याण हम चाहते हैं, तो इसी संस्कृति के आधार पर भावी भवन का शिला-न्यास करना होगा। उसके शरीर, उसके दिल और दिमाग के पोषण के लिये सामग्री एकत्र करना ही हमारी पहली और प्रधान प्रवृत्ति होनी चाहिए। उसकी शिक्षा और दीक्षा के लिये, उसे स्वस्थ और समर्थ रखने के लिये हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।

भारत की सभ्यता का सबसे बड़ा और ज़बरदस्त पोषक केन्द्र परिवार ही रहता आया है। यही वह पालना है जहाँ हृदय की तरंग-राजियों का परिमार्जन और परिवर्द्धन, परिवर्तन और प्रसार होता रहता है। और इस केन्द्र का प्रधान आकर्षक आश्रय, मधु-चक्र की रानी की तरह, हमारी 'माता' है। जिस परिवार में मातृप्रेम का आदान-प्रदान नहीं होता, माता की आराधना और भक्ति नहीं होती, वह परिवार दुःख के सागर में गोते लगाता है। माता के प्रति प्रेम पैदा होना परिस्थितियों का प्रभाव ही नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है। अगर इस सहज सत्य को हम मान लें, जो हमारे लिये बुनियादी सत्य है, तो इसीको हम राष्ट्र के सामने आदर्श के रूप में उपस्थित कर सकते हैं।

हृदय की रस-तरंगों का अंतिम और संयत रूप प्रेम होता है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन भक्ति में मिलता है; उसका क्रियात्मक रूप आराधना या पूजा है। इन तीनों प्रवृत्तियों का सक्रिय व्यापार ही समाज का मानसिक व्यापार बने। उसके लिए स्त्री को माता के रूप में वर्तमान धरातल से उठाकर ऊँचाई पर ले आना होगा; और इस वक़्त माता के प्रति हमारी जो ममता और मोह है, उसे श्रद्धा और भक्ति में बदल देना होगा। माता की रक्षा के लिए जो ताक़त चाहिए, वह इस श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त हो जाएगी। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस माता की रक्षा के लिए इस देश के कोटि-कोटि वीरों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। उन्होंने माता को ही सर्वशक्ति दायिनी मानकर उसकी पूजा की है। इसी माता को कल्पना और भावना का सूर्य मानकर उन्होंने प्रकाश प्राप्त किया है। अब इस ताक़त का पुनरुत्थान ही हमारे भावी कल्याण की पहली सीढ़ी बनेगा।

हमारे प्रेम और मोह का दूसरा स्रोत हमारे रहने के स्थान पर प्रवाहित होता है। यह धरती

ही हमारे शरीर का पोषण करती है। इसलिये गरीब-से-गरीब और धनी से-धनी आदमी अपने जन्म-स्थान से अपार प्रेम रखता है; अपनी दयनीय दुर्गति में भी उससे लिपटा रहता है; उसे छोड़कर सुख-स्वर्ग में भी वह जाना नहीं चाहता। न पैसे की लालच, न तोप-तलवार का ज़ोर और न चालाकी का छल-बल ही उसको अपने जन्म-स्थान से डिगा सकता है। यह परिस्थितियों का प्रभाव नहीं, बल्कि स्वभाव का परिणाम माना जा सकता है। इस शक्ति को भी—धरती के प्रति इस अनंत प्रेम-धारा को भी—मामूली धरातल से उठाकर उन्नत लोक में ले आना होगा; और धरती-माता के प्रति प्रेम और भक्ति की परिधि जब सारे भारत को घेर लेगी, तभी इसका भविष्य उज्ज्वल और स्थायी हो सकता है। इस प्रकार माता की पूजा से हमारे हृदय की रसतरंगें सुख-संगीत में स्पंदित होंगी और धरती-माता की अर्चना से हमारी शारीरिक शक्तियाँ पुष्ट और परिवर्द्धित होंगी।

हमारी संस्कृति का एक तीसरा स्रोत यह रहा है कि मनुष्य का हृदय अपने सह-मानवों के लिये ही नहीं, बल्कि प्राणिमात्र के लिए भी प्रेम और दया का भाव अपनेमें जाग्रत रखे। यह भारतीय संस्कृति की एक ऐसी विशेषता रहती आयी है कि इस भूत-दया के ऊपर जितने वाद-विवाद हुए, गति-प्रगति हुई, जितने आंदोलन हुए, उन सबका एक ही स्थायी परिणाम हुआ है—गो-सेवा। गौ के प्रति अधिक-से-अधिक प्रेम और भक्ति दर्शाकर भारतीयों ने अपनेको धन्य माना है। गौ भारत की संस्कृति में सबसे ऊँचा स्थान रखती आयी है।

हमारी इस आराधना के क्रम में माता ही प्रधान रही। जन्मदात्री माता की तरह, धरित्री और गौ को भी हमने मातृस्थान ही दिया। इसका सबसे प्रधान और पहला कारण यह है कि जैसे माता हमारे सभी उत्तम संस्कारों की स्फूर्ति का केंद्र है, वैसे ही हमारे शारीरिक संगठन और उसके सम्यक् विकास के लिए गौ अत्यंत आवश्यक है। माता के बाद निःस्वार्थ सेवा करनेवाली दूसरा प्राणी गौ ही है। वह गाय अहिंसा, त्याग और सेवा की अनुपम मूर्ति है उसमें जितनी उपयोगिता है, उतनी ही अहिंसा भी है। उसकी उपयोगिता से हमारे हृदय में कृतज्ञता के भाव पैदा होते हैं और उसकी अहिंसा से करुणा का संचार होता है।

स्वतंत्र भारत के भविष्य के रेखा-चित्र में गाय के लिये एक प्रधान स्थान होना चाहिये; क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो यंत्र-युग की कुत्सित कलुषता और पैशाचिक क्रूरता को मुलायम करके उसके आतंक और आक्रमण को एक हद में रख सकती । वही हमारे वैयक्तिक, पारिवारिक और जातीय जीवन को संपूर्ण, सुगठित और स्निग्ध भी बनाये रख सकेगी।

वह हमारी प्राचीनतम संस्कृति व संपत्ति का प्रतीक है। वह हमारी ग्राम्य व सरल सभ्यता का प्रतिनिधि है; पहले-पहल सभ्यता के हाथ में मनुष्य-समाज को अपना अमृत पिलाकर निस्वार्थ सेवा का पाठ सिखाया है।

इन त्रिमाताओं के गौरव में भारत का गौरव निहित है। इनकी उन्नति में ही हमारी उन्नति है। इनके संपूर्ण एवं सुखी जीवन में ही हमारी समृद्धि है। वाक़ई हमारा तिरंगा झंडा, जो इस वक्त हम लोगों के धार्मिक, राजनैतिक संघर्षों के परिणामस्वरूप उड़ने लगा है, हमारे लिये इतना स्फूर्तिदायी नहीं हो सकता, जितना वह झंडा हो सकता है, जिसके ऊपर इन त्रिमाताओं की मूर्ति अंकित रहे।

हमारे तिरंगे झंडे का हरा रंग माता के श्यामांचल का, हरी-भरी भूमि का और गाय के हरे चारेगाह का प्रतीक हो; उसका गाढ़ा केसरिया रंग सीमंतिनी माता के सिंदूर का प्रतीक माना जाए; उसकी सफ़ेदी गाय के धवल दूध की धार बहावे; उसका सुदर्शन-चक्र हृदय के मधु-कोश की समता करे और उसकी धारियाँ रस-तरंगों का रूप धारण कर लें। और तब हम गर्व से कहें—

"झंडा ऊँचा रहे हमारा!"

*

दक्षिण की भक्ति-परंपरा और सूरदास[*]

एक बार किसी उत्तर भारतीय विद्वान से बात हो रही थी। उन्होंने दक्षिण भारत की सभ्यता का उल्लेख कर कहा कि आख़िर आपके देश में भी वे ही राम और कृष्ण पूजे जाते हैं, जिनका जन्म उत्तर भारत में हुआ था। उन्हींके मंदिर समूचे देश में फैले हुए हैं। अगर राम और कृष्ण नहीं होते, तो आपके प्रदेश का धर्म क्या होता और मंदिर कहाँ बनते? यद्यपि बात बहुत सच्ची और सीधी थी, फिर भी मैं एक दाक्षिणात्य होने के कारण इस कटाक्ष को आसानी से सह नहीं सका था।

मैंने जवाब दिया कि आपका कहना सच है। उसका जवाब मैं आपको यही दे सकता हूँ कि भारत की धरती रत्नगर्भा कहलाती है। रत्न तो हर कहीं नहीं मिलते। यद्यपि समझा जाता है कि सारे भारत की धरती में रत्न भरे पड़े हैं, फिर भी बहुत कम लोगों को यह भाग्य प्राप्त है कि धरती में गड़े हुए रत्नों की खोज़ करें, उनका ठीक परिष्कार करें उनकी चमक की तरफ़ दुनियाँ का ध्यान आकृष्ट करें और उनकी क़दर बढ़ावें। ऐसे लोग हर कहीं पैदा नहीं होते। जब पैदा होते हैं तो सदियों तक उनका प्रभाव नहीं जाता है। जब उन रत्नों की चमक फीकी पड़ जाती है तभी नये रत्नों की खोज में जिज्ञासु निकल पड़ते हैं।

राम और कृष्ण इस देश के बहुत बड़े रत्न अवश्य थे। उनके चरित्रों को परिष्कृत कर उन्हें समाज के बीच में चमकाने का सफल प्रयत्न दाक्षिणात्य संस्कृतियों के द्वारा ही हुआ है। मैंने उस विद्वान से यह भी पूछा—"कहिए तो सही कि दाक्षिणात्य आचार्य-चतुष्टय अगर विंध्य के उस पार पैदा नहीं होते, तो इस देश के दर्शन, वेद-वेदांत, ज्ञान तथा भक्ति-परंपरा की क्या दशा होती। श्री शंकराचार्य अपने अद्वैत-सिद्धांत को गौरीशंकर जैसे ऊँचे धर्मशिखर नहीं बनाते, श्री रामानुजाचार्य तथा श्री मध्वाचार्य दर्शनशास्त्र के निगूढ तत्वों का सारामृत भारतीय समाज को भक्ति-परंपरा के द्वारा घोल-घोलकर नहीं पिलाते, हमारे कनिष्ठ आचार्य श्री वल्लभाचार्य, जो आंध्र-प्रांत के थे, पैदा नहीं होते, तो कहिये हिन्दू धर्म की व हिन्दी साहित्य की क्या दशा होती! हिन्दी साहित्य का जो मध्ययुग है, जिसे आप सबसे ज्योतिर्मय मानते हैं, उसके निर्माता आप किसको मानते हैं? वल्लभ-संप्रदाय तथा उसके अष्टछाप कवियों का अनुदान आप हिन्दी साहित्य के मध्य-युग की साहित्य-सृष्टि से अलग कर दें, तो कहिये कितनी बचत आप निकाल सकते हैं?

मेरा उत्तर पाकर मेरे विद्वान मित्र ने अपने कल्पना-पट पर एक बार हिन्दी साहित्य का चित्र खींचकर देखा और कहा कि आप ठीक कहते हैं। दक्षिण की भक्ति-परंपरा अगर उत्तर को नहीं मिलती, तो उत्तर के लिए असंभव था कि वह अपने धर्म का पुनस्संगठन कर पाता, या वह दूसरे धर्मों का मुक़ाबला ही कर पाता, या अपने साहित्य की चरमसीमा ही देख पाता। हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग तो वही रहा है जिसमें उसकी भिन्न-भिन्न बोलियों में प्रेम-साधना से उत्प्रेरित होकर भक्ति-सागर में गोता लगाते हुए सूर, तुलसी, मीरा, गुरु नानक आदि भक्त कवियों ने सारे उत्तर भारत की तप्त भूमि को उदात्त प्रेम-जल से सींचा है।

मेरे विद्वान मित्र के इस उत्तर से मेरा हृदय गदगद् हुआ। जीवन के धर्म और लक्ष्य पर खोजकर एक निष्कर्ष निकालने के कार्य में इस भारत भूमि में हज़ारों लोग मर मिटे हैं। इस खोज के कार्य में कितने ही लोग संन्यासी हुए, संत हुए, त्यागी हुए और बड़े पंडित हुए।

[*] मद्रास की 'साहित्यानुशीलन-समिति' में सभापति के पद से पठित भाषण

इन सब श्रेणियों के जिज्ञासुओं की दिशा एक ही थी; वह थी ईश्वर-सान्निध्य की प्राप्ति। हज़ारों वर्ष तक बहुत-से भिक्षुक और भिक्षुकियों ने संन्यास लेकर अपने शरीर तथा मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये हजारों यातनाएँ सहीं। श्रमण-संस्कृति के प्रवर्तकों ने अपने शरीर को बहुत मामूली ज़रूरतों से भी वंचित रखकर उसे एकदम सूखा तथा रसहीन बनाने की कोशिश की, जिससे उन्हें ईश्वर-प्राप्ति हो। करीब एक हज़ार वर्ष तक इन साधु-संतों ने समस्त भारतभूमि पर अपने संन्यास, साधुता, त्याग तथा तपोवृत्ति का आतंक मचा रखा। त्याग और तप की अग्नि के द्वारा उन्होंने अपने-आपको तपाया। उसे देखकर सामान्य जनता को उनपर श्रद्धा तो हो गयी, लेकिन उनके रास्ते पर चलना उसे दुष्कर मालूम हुआ। इसलिये संन्यास और तप के मार्ग से जो धर्म देश के कोने-कोने में फैला, उसके आतंक से जनता भयभीत-सी रही। धर्म-साधक, धर्माचार्य, धर्म-संचालक तथा धर्म-अनुयायियों की अलग-अलग श्रेणियाँ बनीं। धर्म, जिसका अर्थ सारे समाज को एक ही चौखट में कसना है, ऐसे ढंग से फैल न सका जिससे समाज का चौखट कसा जा सके और सारे समाज की दृष्टि एकसूत्रित तथा एकान्वित हो सके। इस देश ने वेद-वेदान्तों के बड़े-बड़े पंडित पैदा किये, जिन्होंने लोक-कल्याण के लिये ईश्वर से प्रार्थना की; लेकिन वे स्वयं लोक-कल्याण नहीं कर सके। उच्च कोटि के धर्माचार्यों ने वेदों, उपनिषदों तथा उत्कृष्ट धर्म-ग्रंथों की व्याख्या की। उन्होंने धर्म के नाम पर बहुत बौद्धिक वाग्विलास किया। इनके क्लिष्ट प्रतिपादन का विश्लेषण न जनता तक पहुँचा, न इनके साहित्य-सौध में साधारण जनता प्रवेश कर सकी। इसलिये पंडित तथा पामर जनता के बीच में खाई-सी बनी रही। जहाँ राजाओं ने जनता में धर्म और संप्रदाय के प्रति विश्वास बढ़ाने की कोशिश की, वहाँ विज्ञान के आचार्यों ने बलवा किया। इसमें कितने ही राजाओं की रीढ़ टूट गयी। इसी तरह सदियों तक त्यागी और तपस्वी, पंडित और आचार्य, शक्तिशाली प्रवर्तक और प्रचारक जनता में धर्म के स्थापन तथा व्यापन के लिये बहुत प्रयत्न करके भी सफल नहीं हुए।

तर्क की कसौटी पर कसकर, बुद्धि की पैनी छुरी से तराश कर, सफलता के साथ किसीने सच्चे धर्म की तहों की खोज इस संसार में की है, तो उसका श्रेय एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है; और वे हैं श्री शंकराचार्य। श्री शंकराचार्य का जन्म केरल में सन् 788 में हुआ था। उन्होंने अपने समय के प्रचलित बौद्ध धर्म का खंडन कर अद्वैतवाद की स्थापना की।

श्री रामानुजाचार्य ने जो सन् 1017 में तमिल प्रांत में पैदा हुए, अपने समय के सारे धार्मिक विचारों का मंथन कर एक नया संप्रदाय विशिष्टाद्वैत के नाम से चलाया। दक्षिण भारत के इस द्वितीय आचार्य के आविर्भाव के बाद वैष्णव धर्म का नया संप्रदाय चलानेवाले श्री मध्वाचार्य सन् 1159 में कर्नाटक में पैदा हुए।

तदुपरांत आंध्र प्रांत के गोदावरी तीरवासी एक पंडित-वंश मेंश्री वल्लभाचार्य पैदा हुए। इनका जन्म सं. 1535 में हुआ। इन्होंने अपने समय के सब संप्रदायों तथा सारे धार्मिक साहित्य का अनुशीलन करने के बाद शुद्धाद्वैत संप्रदाय की स्थापना की। अर्थात् करीब सात सौ वर्ष तक जिस धर्म तथा संप्रदाय-परंपरा का मंथन भारत में होता रहा, उसका फल आचार्य वल्लभ को मिला। उनकी शिक्षा-दीक्षा बनारस में हुई; इसलिये भाषा, धर्म, साहित्य तथा संस्कृत का ज्ञान उन्होंने उत्तर भारत में पाया। लेकिन उन्हें सच्चे धर्म की प्रेरणा तो अपने प्रांत दक्षिण में ही मिली। पंडित-प्रवरों से शास्त्रार्थ करते-करते उन्होंने कई बार सारे भारत की जय-यात्रा की। उन्हें अपनी एक यात्रा में दक्षिण भारत के अभूतपूर्व साम्राज्य की राजधानी विजयनगर में पंडित-सभा में शास्त्रार्थ करने का अवसर मिला था। उस समय वैष्णव धर्म का पक्ष लेकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता से प्रतिवादियों की दलीलों

का जो खंडन किया, उसका विजयनगर के सम्राट राजा कृष्णदेवराय पर गहरा असर पड़ा। श्री कृष्णदेवराय ने आचार्य वल्लभ का सुवर्णाभिषेक किया। आचार्य वल्लभ ने रामानुज तथा मध्व-संप्रदायों के प्रवर्तकों से प्रेरणा पाकर वैष्णव धर्म को अपनाया। इनका संप्रदाय शुद्धाद्वैत कहलाता है। इनकी आराधना का मार्ग पुष्टिमार्ग कहा जाता है। अद्वैतवाद की माया को अस्वीकार कर उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व और सान्निध्य को सच्चा माना। आचार्य रामानुज के आत्मोत्सर्ग में मनुष्य की सहज शक्तियों का ह्रास और निस्सहायता देखी, हृदय की अनुभूति के द्वारा उन्हें पाने के लिए आराधना को साधन बनाकर ईश्वर के अस्तित्व और सान्निध्य पर अपने विश्वास को पुष्ट किया। वास्तव में वैष्णव धर्म का यह रूप, जिसे आचार्य वल्लभ ने प्रस्तुत किया, सर्वमान्य, सर्वग्राह्य और सर्वसुलभ है।

हजारों वर्षों से ईश्वर के साक्षात्कार के संबंध में यह विवाद चला आ रहा है कि ईश्वर बुद्धिगम्य है या हृदयगम्य। इस बात पर अभी तक निष्कर्ष नहीं हो पाया कि ईश्वर ज्ञान गम्य है या भक्तिगम्य। यह भी चर्चा अब तक समाप्त नहीं हुई कि ईश्वर-प्राप्ति के लिए तप और त्याग की आवश्यकता है या कर्म और सेवा की। इस उधेड़बुन से बाहर निकलते-निकलते हज़ारों व्यक्तियों के जीवन बीते।

धर्म के सच्चे विश्लेषण के लिए यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य को सच्चा धर्म ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, तीनों शक्तियों का समन्वय करना अत्यावश्यक है। इस विश्लेषण में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन तीनों का समन्वय एक ही व्यक्ति में होना मुश्किल है।

ये तीनों शक्तियाँ स्वावलंबी भी हैं और परस्परावलंबी भी। इसलिए किसी संप्रदाय में किसी शक्ति की प्रधानता है, तो किसी संप्रदाय में किसी और का बोलबाला है। मनुष्य में इन तीनों के एक के बाद एक का क्रमिक विकास हो सकता है—किसीका कम, किसीका ज़्यादा और किसीका बिलकुल नहीं। इसी विश्लेषण को अगर हम जीवनशास्त्र की दृष्टि से देखें, या वैज्ञानिक दृष्टि से विचारें, तो हमें इसका अनुभव होगा कि मनुष्यों की श्रेणियाँ भी तीन तरह की हो सकती हैं—एक ज्ञानप्रधान, दूसरा हृदय-प्रधान और तीसरा विश्वप्रधान या ईश्वरप्रधान। इनका एक और विश्लेषण हो सकता है: एक के द्वारा आत्मान्तर्मुखी शक्ति का आभास, दूसरे के ज़रिये बहिर्मुखी शक्ति का विकास और तीसरे में अमानुषिक शक्ति का सहवास। इन सभी विश्लेषणों में मुख्य केन्द्र मन है, शरीर पात्र है और बुद्धि दिग्दर्शिका है। किसी विज्ञान-वेत्ता ने सच कहा है—"अगर मनुष्य के गठन से मन को हटाया जाय, तो उसमें बचेगा कुछ नहीं। उसकी सारी पीडाएँ मन ही की वजह से हैं। उसका शारीरिक रोग, सांसारिक कष्ट, सामाजिक यातनाओं के मूल में मन ही है। इन सभी पीड़ाओं से बचने के लिए मनुष्य समाज का तथा संसार का सुधार करना छोड़ दे और अपने ही मन का सुधार कर ले, तो उसे सुख तथा आनन्द की कुंजी मिल जायगी। वह अपने सारे शारीरिक तथा मानसिक चैतन्य को आनन्द की प्राप्ति के लिए सद्वृत्तियों में लगा सकता है।"

हमारी सारी संस्कृति तथा सदियों से आयी हुई परंपराओं में उपरोक्त कथन की सचाई भरी पड़ी है। इस सचाई की मान्यता तथा आचरण ही हमारा भक्तिमार्ग है। मनुष्य के हृदय में पैदा होनेवाली उत्तुंग रस-तरंगें बहुत महत्व रखती हैं। संस्कार तथा संसर्ग, स्तर तथा स्थिति के अनुसार इन तरंगों से पीड़ा भी पैदा हो सकती है, सुख भी। हृदय के स्पंदन तथा स्फोटन, परिमार्जन तथा प्रतिक्रियाओं से बचाकर हृदय को प्रफुल्लित रखने, विकसित बनाने और दुखोत्पादक प्रतिक्रियाओं से बचाने का प्रयत्न ही ईश्वर के रास्ते में ले जाता है। मन में पैदा होनेवाली कामनाओं तथा भिन्न-भिन्न वृत्तियों को रोकने में विशिष्ट सुख तथा उदात्त आनन्द का अनुभव

ही समर्थ हो सकता है, और संतोष दे सकता है। इससे मनुष्य का मन कामनाओं की कृमिभूमि बनने से बच जाता है। अन्यथा असंख्य कामना-कृमियों से मनुष्य, असह्य उपद्रव का अनुभव करता है। इसलिये उदात्त भक्ति का परिणाम यह होना चाहिये कि वह मनुष्य के हृदय को प्रेम की रस-तरंगों से लबालब भरा रखे और मनुष्य अपनी कामनाओं की सिद्धि अपने शरीर में नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वरूप में देखे। इस तरह की भक्ति से मनुष्य को सिर्फ़ संतोष और शांति ही नहीं मिलती, बल्कि अपनी साधना तथा विश्वास को पुष्ट बनाने का अवसर भी मिल जाता है।

भक्तिमार्ग भारतीय साहित्य में बहुत पुराना है। उसका किस समय किस प्रकार का प्रचार था, इसका इतिहास काफ़ी लंबा है। बौद्ध साहित्य में महायान के नाम से, इस्लाम साहित्य में सूफ़ी परम्परा के नाम से, ईसाई धर्म में कैथोलिज़्म के नाम से उसका बड़ा महत्व है। प्रायः सभी धर्मों ने भक्ति को अन्तर्यामी शक्तियों का पोषक माना है और मनुष्य के जीवन-तत्वों को समन्वयकारी के रूप में स्वीकार किया है और उसे बिना तारतम्य या भेद के सारे मनुष्य-समाज के तारण का यन्त्र स्थिर किया है। अगर फ़रक है तो यही कि किसीको कोई सहारा भाता है तो किसीको और कोई।

हिन्दी साहित्य में भक्तियुग के साहित्य का स्थान बहुत ऊँचा है। 15-वीं सदी तक साहित्य का जो सृजन हुआ, वह हिन्दी साहित्य का उदय-काल ही कहा जायगा। इसका मध्याह्न-काल तो भक्ति-साहित्य से ही शुरू हुआ। ब्रज की बोली में कृष्ण-भक्ति, अवध की बोली में राम-भक्ति का साहित्य-निर्माण हुआ। उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व और पश्चिम का ही समन्वय नहीं हुआ, बल्कि सारे भारत की भक्ति-धाराओं का संगम भी हुआ। इस साहित्य में सूरदास का, जो कृष्णभक्ति-रस के एक सफल पोषक थे, बहुत बड़ा स्थान है। वे अन्धे थे, लेकिन वे जन्म से ही अपनी आँखों से वंचित नहीं थे। इन्होंने कृष्ण के जीवन-चरित्र, लीलाओं तथा जीवन की घटनाओं को अपने मानसिक चक्षु के सामने रखकर जो साहित्य रचा, वह अभूतपूर्व है। इस सिलसिले में उपरोक्त धर्म-विश्लेषण का यहाँ एक बार और ज़िक्र किया जाय, तो अनुचित नहीं होगा। उसी विश्लेषण के अनुसार सूरदास की साधना आध्यात्मिक, तुलसीदास की आधिभौतिक और कबीरदास की आधिदैविक कही जा सकती है। इन तीनों भक्त-महाकवियों ने तीनों दिशाओं में अपनी-अपनी अपूर्व प्रतिभा दिखायी। कबीर की रचनाओं में मनुष्य की आधिदैविक शक्ति का सहवास मिलता है, तो तुलसीदास के काव्यों से जीवन की आधि-भौतिक वस्तु-स्थिति का ज्ञान। सूरदास की कविता से पाठक रस की लहरों में अपने ही घट में गोते लगाते हुए आनन्द प्राप्त करता है। ये तीनों महाकवि क़रीब-क़रीब समकालीन थे।

सूरदास अष्टछाप के कवियों में प्रथम कवि थे। वे आचार्य वल्लभ के प्रथम शिष्य थे। वे वल्लाभाचार्य द्वारा स्थापित मंदिर में हरि-संकीर्तन किया करते थे। अष्टछाप के कवियों में सूरदास के बाद परमानंददास, कुंभनदास और कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी, चतुर्भुजदास, नन्ददास—ये चारों वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विट्ठलनाथजी के शिष्य थे।

महाकवि सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य के जीवन के संबंध में भी यहाँ कुछ संकेत करना अप्रासंगिक न होगा। आचार्य वल्लभ का जन्म उनके माता-पिताओं के काशीयात्रा करते समय रायपुर के समीप (वर्तमान मध्य प्रदेश) हुआ। उनके पिता का नाम लक्ष्मणभट, माता का नाम एल्लम्मगारु था। उनके पूर्वज गोदावरी के तटवर्ती कांकरवाड़ा नामक गाँव के निवासी थे। उनके घर का नाम कंभंपाटिवारू था। वे समस्त विद्याओं में निष्णात होकर 10 वर्ष की उम्र में ही अपने अपार पांडित्य से बड़े-बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा देते थे। उन्होंने सारे भारत की तीन बार यात्रा की। एक बार की यात्रा में, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, शैव पंडितों

को हरा देने के बाद वे विशिष्टाद्वैत तथा द्वैत संप्रदायों के विद्वानों के संपर्क में आये। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वैष्णव संप्रदाय के लोग आचार्य की गद्दी पर श्री वल्लभाचार्य को बिठाना चाहते थे। लेकिन श्री वल्लभाचार्य ने इनकार कर दिया। उसी समय वे 'जगत्-गुरु' 'श्रीमत-आचार्य' 'महाप्रभु' की उपाधियों से भूषित हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपनी विजय-यात्रा में श्री वल्लभाचार्य द्वैत तथा विशिष्टाद्वैत संप्रदायों के कितने ही भक्तों के संपर्क में आये होंगे और दक्षिण की भक्ति-परंपरा से प्रभावित हुए होंगे। मध्व-संप्रदाय की कृष्ण-भक्ति में एक विशिष्टता यह है कि कृष्ण की पूजा बालक के रूप में होती है। कन्नड़ भाषा के पुरन्दरदास आदि कितने ही कृष्णभक्तों के गीतों में कृष्ण की बाललीलाओं का वर्णन है। कन्नड़ की कई कविताएँ माता का वात्सल्य, बालक की चंचलता, मातृभाव, सखाभाव तथा वात्सल्यभाव से ओतप्रोत हैं। आज भी मध्वों में कृष्णपूजा कृष्ण के बालक के रूप में ही होती है।

विशिष्टाद्वैत के भक्तों में ईश्वर के प्रति अन्य भावों के साथ-साथ दांपत्य भाव भी प्रचलित है। श्रीविल्लिपुत्तूर का 'आण्डाल' इसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। श्री आण्डाल की प्रेम-साधना को अपनी कथावस्तु बनाकर श्री राजा कृष्णदेवराय ने स्वयं तेलुगु में एक महाकाव्य की रचना की, जिसका नाम "आमुक्तमाल्यदा" है। 'शरणागति' सिद्धांत का बड़ा ही आदर विशिष्टाद्वैत में है, जिससे भक्ति की विनय का विकास होता है और अहंकार का दमन; इसके अलावा दाक्षिणात्य वैष्णव-संप्रदाय में कितनी ही ऐसी परिपाटियाँ हैं, जिनसे वल्लभाचार्य प्रभावित हुए होंगे और जिनका अनुकरण उनके संप्रदाय के मंदिरों की नित्य आराधना में पाया जाता है। श्री वल्लभाचार्य ने अपने इस भक्ति-संप्रदाय की तरफ़ उत्तम कवियों को आकृष्ट कर हिन्दी साहित्य को ही नहीं भरा, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, सारे राजस्थान और पूरे गुजरात पर अपनी धाक जमा दी। आज भी इन प्रदेशों में उनके संप्रदाय के करोड़ों अनुयायी हैं। श्री वल्लभाचार्य तथा उनके वंशजों के द्वारा स्थापित मंदिरों तथा बैठकों में गत चार सौ साल से भक्ति-वर्षा से करोड़ों भक्तों के हृदय प्लावित होते आये हैं।

दाक्षिणात्य वैष्णव संप्रदाय की भक्ति में जो वात्सल्य, माधुर्य तथा दासभाव हैं, वह सूरदास की कविताओं में कूट-कूटकर भरे पड़े हैं। शरणागति-सिद्धांत का नीचे लिखा पद कितना ज्वलंत उदाहरण है!

"प्रभु! मेरे औगुन चित न धरो।
समदरसी प्रभु नाम तिहारौ, अपने पनहि करो॥
इकलौहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परौ।
यह दुविधा पारस नहिं जानत, कंचनकरत खरौ॥
इक नदिया इक नार कहावत मैलौ नीर भरौ।
जब मिलिकै दोउ एक बरन भये सुरसरि नाम परौ॥
एक जीव इक ब्रह्म कहावत "सूरस्याम" झगरौ।
अब की बेर मोहिं पार उतारौ नहिं पन जात टरौ॥

सूरदास अन्धे होकर भी नृत्य और गायन के कितने प्रेमी थे और उन्हें नाम-समन्वय का कितना अच्छा ज्ञान था, उसे हम इस पद में देख सकते हैं।

अब मैं नाच्यौ बहुत गुपाल।
काम-क्रोध कौ पहिरि चोलना कंठ विषय की माल॥
महा मोह के नूपुर बाजत, निंदा सब्द रसाल।
भरम भरयौ मन भयौ पखावज, चलत कुसंगत चाल॥
तृस्ना नाद करत घट भीतर, नाना विधि दै ताल।
माया कौ कटि फैंटा बाँध्यो, लोभ तिलक दै भाल॥

कोटिक कला काँछ देखराई, जल-थल सुध
नहिं काल ।
"सूरदास" की सबै अविद्या दूर करो
नंदलाल ॥

मातृहृदय का यह कितना सुन्दर वर्णन है—

जसोदा हरि पालनै झुलावै ।
हलरावै, दुहराइ मलहावै, जोइ सोइ कछु
गावै ॥
मेरे लाल कौं आउ निंदरिया, काहै न आन
सुवावै ।
तु काहै न बेगि-सी आवै, तो कौं कान्ह
बुलावै ॥
कबहुँ पलक हरि मूँद लेत हैं, कबहुँ अधर
फरकावै ।
सोवत जानि मौन ह्वै कै रहि करि-करि सैन
बतावै ॥
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि, जसुमति
मधुरै गावै ।
जो सुख "सूर" अमर मुनि दुरलभ,
सो नंद भामिनि पावै ।

शरारती बालकृष्ण का रूप किस तरह दरशाते हैं, देखिए :—

मैया! मैं नहिं माखन खायौ ।
ख्याल परै ये सखा सबै मिलि, मेरे
मुख लपटाये ॥
देखि तुही छींके पर भाजन, ऊँचे धरि
लटकायौ ।
तुही निरखि नान्हे कर अपने; मैं कैसे कर
पायौ ॥
मुख-दधि पोंछ बुद्धि इक कीन्हीं, दौना
पीठ दुरायौ ।
डारि साँटि मुसकाइ जसोदा, स्यामहि
कंठ लगायौ ॥
बाल-विनोद मोद मन मोहयौ, भक्ति
प्रताप दिखायौ ।
"सूरदास" यह जसुमति कौ सुख, शिव
विरंचि नहिं पायौ ॥

सूरदास के गीत-सागर में हज़ारों ऐसे मोती मिलते हैं जिनके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वे बड़े पारखी पंडित थे। भिन्न-भिन्न मानसिक वृत्तियों के द्रष्टा ही नहीं, बल्कि रसोन्माद के स्रष्टा भी थे। अगर वे किसी सरस कथात्मक काव्य की रचना करते, तो उनकी कविता की दीप्ति इतनी नहीं होती। अच्छा ही हुआ कि उन्होंने तुलसीदास जैसे एक महाकाव्य को रचकर पुरानी कथा को अपनी प्रतिभा से नये चौखट में डालकर उसे अधिक कीमती बनाने की कोशिश नहीं की।

जिन तीन स्तंभों पर धर्मरूपी महल खड़ा है, आध्यात्मिक उनमें पहला है आधिभौतिक दूसरा, और आधिदैविक तीसरा है। इसी महल में हमारा भारतीय साहित्य बसा है, इसी विवेचन के अनुसार—काल या क्रम के ही अनुसार नहीं, बल्कि स्थान तथा मूल्य के अनुसार भी—सूरदास हिन्दी के प्रथम महाकवि और भारत के कविसूर्य कहलाएँगे। संयोग की बात है कि हिन्दी के प्रथम अमरकवि सूर ने स्वयंप्रकाशित कृष्ण की, तुलसी ने परिवार की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाशित राम की, कबीर ने निराकार और निर्गुण ईश्वर की उपासना की। इन त्रिमूर्तियों ने मानव जाति को भक्ति की तीन अमूल्य धाराएँ प्रदान कीं। तीनों के मिलने से ही साहित्य-त्रिवेणी बनेगी। आश्चर्य की बात है कि इन तीन भगीरथों ने इतने कम समय में इतनी अगाध और अपार साहित्य-गंगा बहायी। यह सारा कार्य कुल पचास वर्षों में हुआ (सं. 1550 से 1600 तक)। उसके बाद 400 वर्ष बीते, लेकिन इन तीनों में से किसीकी जोड़ का कवि आज तक पैदा नहीं हुआ है। क्यों पैदा हो? जो भण्डार इन तीनों से मिला है, उसीको संसार ठीक अपना लें, तो क्या पर्याप्त नहीं है?

*ज्ञान, विज्ञान और जन-संस्कृति

आजकल यह एक प्रथा-सी बन गयी है कि जहाँ-जहाँ राजनीतिक सभाएँ होती हैं, वहाँ-वहाँ वैज्ञानिक सम्मेलनों की भी आयोजना की जाय। ऐसी प्रथा आन्ध्र राज्य में बहुत चल पड़ी है। इन सम्मेलनों का यही मक़सद है कि आम लोग सुसंस्कृत बनें और उनमें ज्ञान-विज्ञान का प्रचार हो।

भारत को ज्ञान-विज्ञान में सबसे प्राचीन होने का गौरव प्राप्त है। हमारे ज्ञान का स्वरूप बड़ा विशाल है। इस विराट रूप का दर्शन करना ही हर भारतीय का लक्ष्य है। उसका यह विश्वास है कि वह अपने कुटुंब, समाज एवं देश को माध्यम बनाकर ईश्वर के विश्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। यह विश्वास परंपरागत है। उसका यह भी पक्का विश्वास है कि जीवन को सफल बनाने के लिये इससे अच्छा दूसरा माध्यम हो नहीं सकता। भारत की संस्कृति का मूलाधार यही विश्वास है। ज्ञान-विज्ञान का चरम लक्ष्य ईश्वर का साक्षात्कार है। वहाँ पहुँचने का मार्ग मानव-सेवा है और उसका वाहन है शरीर। उसको प्रेरित करनेवाली है चेतना और उसे ठीक रास्ते पर चलानेवाला साधन उसकी विचक्षणता, याने विवेक है। इस विवेक का आधार वह स्वयं और उसके चारों ओर का समाज है। व्यक्ति की चेतना निरंतर बहनेवाली नदी की तरह है। यह चेतना अगर विवेक को साथ ले सकी, तो कोई ऐसा काम नहीं, जिसे वह संपन्न नहीं कर सके।

शरीर, मन, और बुद्धि—इन तीनों के साथ बहती हुई जब यह चेतना गतिशील होती है, तो उसका प्रयोजन लाभदायी हो जाता है। हमारा पारम्परिक प्राचीन भारतीय विज्ञान सूरज की किरणों की तरह सारे देश में फैला हुआ है। हर एक को उसकी ताक़त के मुताबिक कुछ-न-कुछ वह प्रकाश मिलता ही है। तो भी समाज में, उसके संग्रह में काफ़ी तर-तम भेद दिखायी देता है। इस भेद को, जहाँ तक हो सके, कम करके सबको ज्ञान के समतल पर लाना इन 'वैज्ञानिक सम्मेलनों' का मुख्य उद्देश्य है।

हज़ारों बरस बीत गये, हमारे भारतीय ऋषि-मुनियों ने जीवन के रहस्य को समझने के लिए तपस्या की। उसीके फलस्वरूप वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ हमें दे गये। हर एक व्यक्ति के जीवन में इन चारों पुरुषार्थों के लिए स्थान है। अगर इस युग की भाषा में इसका अर्थ करना हो, तो धर्म का मानी आचरण, अर्थ का मतलब संपत्ति की प्राप्ति, काम का अर्थ सुख की साधना और मोक्ष, वह निवृत्ति-जन्य आनंद जो उक्त तीनों के समन्वय से प्राप्त होता है, कहा जायगा। साधारण मानव इन चारों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न में उसे दिन-प्रतिदिन जो संघर्ष करना पड़ता है, वही हमें आये दिन जगत में देखने को मिलता है।

अर्थोपार्जन एवं सुख की प्राप्ति में हम सबसे ज़्यादा सचेत हैं। उसके द्वारा हम अपने तथा निकट के व्यक्तियों के लिये संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न में ही हमारी सारी मुसीबतों की जड़ समायी हुई है। अर्थ और काम की साधना में जब मानवों के प्रयत्न परस्पर टकराते हैं, तब उसे संभालकर सामाजिक जीवन की व्यवस्था करना राजनीति का उद्देश्य होता है। इस व्यवस्था के लिये आवश्यक आचरण का नाम ही धर्म है। धर्म और मोक्ष केवल व्यक्तिगत हैं। अर्थ और काम आधे व्यक्तिगत हैं। हमें इस ज़माने में इन

---

*मई, 1953, में विजयवाड़ा में संपन्न सांस्कृतिक सम्मेलन के सभापति-पद से दिये गये तेलुगु भाषण का हिन्दी रूपान्तर।

पुरुषार्थों की ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि आदमी की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उन्नति का समन्वय समाज के साथ हो सके। जब तक हम इन चारों पुरुषार्थों का ठीक-ठीक मानी नहीं समझते और उसपर अमल करने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक राजनीतिक अथवा सामाजिक न्याय की नींव नहीं डाली जा सकती।

आज हम लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम ऐसी कोशिश करें कि इन सनातन शब्दों का अर्थ इस युग के अनुरूप हो सके।

यह युग लोकशाही का युग है। अब राजा-महाराजाओं का ज़माना लद गया। राज्य किन्हीं थोड़े व्यक्तियों की बपौती नहीं रहा। मंत्रियों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे भी जनता ने उन्हें दिये हैं। धन-दौलत, अनाज़, ज़मीन आदि जो भी हमें कुदरत ने बख्शा है, हम चाहते हैं कि उसपर सबका अधिकार हो। हमारा संविधान इस बात पर ज़ोर देता है कि मान एवं प्रतिष्ठा, धन व दौलत, योग्यता और ज्ञान हासिल करने का सबको समान मौका मिले। इस नये संविधान के अनुसार धन का बल, शासन का बल, और समाज का बल सबको समान रूप से मिला है।

पुराने ज़माने में यह सब कुछ थोड़े लोगों के हाथों में केंद्रित था। उन्होंने ज्ञान-विज्ञान को पोशीदा रखकर जनसाधारण को उससे वंचित रखा था। उसके प्रकाश को सीमित कर उसपर नियंत्रण रखा गया। इससे सर्वसाधारण की पहुँच वहाँ तक न हो सकी। कभी यह ज्ञान राज-महलों में क़ैद था, तो कभी पहाड़ों की कंदराओं तक महदूद और कभी ग्रंथों की ऐसी भाषा में उलझा हुआ था, जो जनसाधारण की समझ के बाहर थी।

अब लोगों को जैसे राजनीतिक शृंखलाओं से मुक्ति मिली है, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि वे धीरे-धीरे अज्ञान के अंधकार से भी बाहर निकल सकें। लोगों को प्रकाश में लाने के लिए राज, समाज और सुसंस्कृत व्यक्ति, तीनों की तरफ़ से प्रयत्न होना चाहिए।

'संस्कृति' शब्द विज्ञान की तरह केवल व्यक्तिवाची न होकर समष्टिवाची भी है। जो व्यक्ति समाज में रहकर उसके नियमों का पालन करते हुए उसकी सेवा में अपना सब कुछ अर्पित कर देते हैं, वे अपने-आप ही सुसंस्कृत होते हैं। इसी संस्कृति को सर्वत्र व्याप्त करने के लिए समाज अनेक प्रकार के नियमों का विधान करता आया है।

इसलिए संस्कृति और विज्ञान, दोनों का समन्वय करके दोनों को एकसाथ बढ़ाना होगा; तभी समाज का सर्वतोमुखी विकास हो सकेगा। अच्छे संस्कार के लिए विनय, अर्थात् नम्रता यानी शिष्टता की आवश्यकता है। जो लोग खुद इस संस्कार से युक्त नहीं होते, उनपर राज्य विधान के द्वारा नियंत्रण रखता है। इसीको 'विधेयता' कहते हैं। यही कारण है कि बुज़ुर्ग लोग 'विनय-विधेयता' पर ज़्यादा ज़ोर देते आये हैं। इसे, समाज को विशेष रूप से अपनाना हो, तो बहुत आवश्यक है कि उसे सुसंस्कृत व्यक्तियों का सद्-व्यवहार और संयमी नेताओं का समाज में मार्ग-दर्शन मिले।

'विनय विधेयता' का एकमात्र लक्ष्य शांति का विस्तार है। इसीलिये दुनियाँ के सभी धर्मों ने एकस्वर से घोषणा की है कि उनका अंतिम ध्येय 'शांति-प्राप्ति' ही है। हिन्दू अपने धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान के अंत में 'ओं शांतिः शांतिः शांतिः' का पाठ करते हैं।

मुसलमान जब एक-दूसरे से मिलते हैं तो 'सलाम आलेकुम' कहते हैं। अरबी में 'सलाम' का अर्थ 'शांति' है। 'इस्लाम' शब्द 'सलाम' से ही बना है।

ईसाई भी 'आमीन' कहकर शांति की अभिलाषा करते हैं।

बौद्ध और जैन आदि प्राचीन धर्मों में भी 'मंगल सुत्त तथा चत्तारि मंगलं' द्वारा शांति की ही उद्घोषणा की गयी है।

हिन्दुओं के सभी संस्कार मनुष्य की पैदाइश से लेकर उसकी ज़िंदगी-भर हर एक अवसर पर इसी एक शांति की प्रेरणा देते हैं। इस तरह हम मन की शांति, गृह-शांति और ग्रह-

शांति भी चाहते हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि मानव का चरम लक्ष्य शांति है।

सवाल यह है कि आदमी इस शांति को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय अहिंसा ही है। जब तक अहिंसा का अनुकरण नहीं होगा, तब तक कोई भी शांति नहीं पा सकता। महात्मा गांधी हमें जो अहिंसा का अस्त्र दे गये, वह पुराणों में वर्णित 'नारायणास्त्र' से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इस अहिंसा तक पहुँचने के लिए सबसे पहले उसकी पवित्रता में श्रद्धा होना ज़रूरी है।

जिस प्रकार शरीर के लिये आहार, आवास, और आच्छादन की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन के विकास के लिए भावों की प्रेरणा, आवेग और साथ-ही-साथ भाव-समन्वय भी आवश्यक है। काम, क्रोध, मोह आदि जन्म-जात गुण हैं। जब तक हम उनको अपने वश में नहीं करते, तब तक पुरुषार्थ साध नहीं सकते। हमारे विचारों का मूल्य समाज-सापेक्ष होता है, उनकी कीमत आसपास के वातावरण तथा आदर्श शुद्धि के अनुसार बदलती भी रहती है। जो व्यक्ति दुनियादारी की बातें अधिक जानता है, अगर उसमें आदर्श की निष्ठा न रही, तो उसके अहंकारी बनने और बदी का शिकार होने की पूरी संभावना रहती है। अतः हमें जानना होगा कि जीवन का आदर्श क्या है? बुद्धि-गम्य तथा हृदय-गम्य सारा ज्ञान क्रमशः हमारी जिज्ञासा और अनुभूति के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हमारे शास्त्र और काव्य ऐसे हों जो हममें उत्तम जिज्ञासा और अनुभूति को जन्म देकर उन्हें बढ़ा सकें।

अक्सर यह सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति की परवरिश एक साधारण कुटुंब में होती है, वह ऐसी तीक्ष्ण जिज्ञासा एवं अनुभूति का भागी कैसे हो सकता है?

अगर सच पूछा जाय, तो वे सारे बीज हमारे सामाजिक जीवन में विद्यमान हैं जो हमारे भावावेग और भावोन्माद पर नियंत्रण करके उनका समन्वय कर सकें। पग-पग पर हमारे सम्मुख ऐसी बातें हुआ करती हैं जो हमारी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। यदि हम चाहते हैं कि हर एक नागरिक को इसका लाभ मिले, तो संस्कारी पुरुषों तथा ऐसी सांस्कृतिक सभाओं का कर्तव्य है कि ऐसे भावों और विचारों को वे काव्य और कला के द्वारा प्रस्तुत करें।

जो आदमी अच्छा नागरिक बनना चाहता है, उसकी जिज्ञासा और रसानुभूति को जागृत करने की शक्ति हमारे नित्य के जीवन में मातृ-भक्ति, गो-भक्ति, और देश—भक्ति में भरी पड़ी है। हमारे कौटुंबिक जीवन में—जिसमें माता केन्द्र-बिन्दु है—प्रेम, करुणा और सहृदयता आदि को पनपने का पूरा मौका मिलता है। गौमाता बिना माँगे अपना अमृत पिलाकर हमें इस बात की शिक्षा देती है कि अयाचित दानशीलता, साधुता और प्राणिमात्र के प्रति सहयोग से क्या होता है। इसी प्रकार, पुरुषार्थ बढ़ाने और धन दौलत पैदाकर अपना कीर्ति-स्तंभ खडा करने का मूलाधार भूमि है। भूमि हमारी तीसरी माता है। मनुष्य, माता का दूध जब से छोड़ता है, तब से जीवन की अन्तिम घड़ी तक वह गाय के दूध पर निर्भर रहता है। उसके शरीर की रक्षा में भूमि-जन्य अन्न सहायक होते ही हैं।

अगर हम इस त्रिमातृत्व के प्रति जागरूक होकर अपना कर्तव्य निभावें, तो जीवन के लिए ज़रूरी सभी जानकारी अपने-आप प्राप्त हो जाती है। मनोविज्ञान, समाज-विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान—इन सबका सामूहिक रूप ही विज्ञान का सच्चा और विराट रूप है। इसका संपूर्ण परिचय पाकर ही हर सुसंस्कृत व्यक्ति तुष्ट हो सकता है।

भूमि के प्रति जो आभार उमड़ पड़े, वही देशभक्ति है। मनुष्य के प्रति उठनेवाले प्रेम का उद्गम ही मातृ-भक्ति से है। गोभक्ति वही है जो समस्त प्राणियों के प्रति अनुराग का झुकाव पैदा करे। शहरी हों या देहाती, नौकरी करते हों अथवा खेती-बारी—इन तीनों का आश्रय हम नहीं छोड़ सकते। इन तीनों माताओं को छोड़कर परिंदों की नाईं थोड़ी देर आसमान में भले ही घूम लें, मगर अंत में भोजन के लिए ज़मीन पर आना ही होगा।

अर्थ-शास्त्र, समाज-शास्त्र, रसायन-शास्त्र, राज-नीति-शास्त्र, मनोविज्ञान-शास्त्र आदि जितने भी शास्त्रों का परिचय हमें पाना होता है, उन सबका आधार यह मातृत्रय ही है। तीस बरस तक लगातार समाज सागर का मंथन करनेवाले गरलकंठ महात्मा जी ने दुनियाँ को जो संदेश दिया, उसका सारांश इस मातृत्रय की भक्ति में समाया हुआ है।

ऐसी सांस्कृतिक सभाओं के बारे में हमारी यह धारणा रहती है कि यहाँ नाटक, संगीत, कवि-सम्मेलन आदि का आस्वादन मिलेगा। यह ठीक भी है। फिर भी इनका अपना कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। जो साहित्य निरुद्देश्य है और पाठक को सुसंस्कृत नहीं बनाता, वह निरा शब्दों का जाल है। जो काव्य मनुष्यत्व की गरिमा का भाव नहीं बढ़ाता, वह भी कागजों का एक पुलिंदा है। उन कवियों, नाटक-कर्ताओं तथा लेखकों का परिश्रम व्यर्थ है, जो सामयिक विषयों का शाश्वत सत्य के साथ समन्वय करके मानव जाति को ऊपर नहीं उठाता। जिन्हें ईश्वर ने प्रतिभा दी है, और जिन्हें विज्ञान, संस्कृति, कला के क्षेत्र में पहुँचने का मौका मिला है, उन्हें चाहिए कि अपना सारा ज्ञान समाज की उन्नति में लगा दें।

हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमेशा 'ॐ सहानाववतु, सहनौ भुनक्तु, सहवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै' मंत्र पढ़ा था। ईश्वर हमारी एकसाथ रक्षा करे, वह हमें बढ़ाकर तेजस्वी बनावे, हमारा ज्ञान तेजोमय हो, हमारे कोई शत्रु न हों—यही इस मंत्र का अर्थ है। उनका यह आदेश था कि यह समझ कर पढ़ो। अनुभूति के साथ उच्चारण करो। ऋग्वेद का यह मंत्र देखिये जो हमें साम्य और सहानुभूति की शिक्षा देता है—

"संगच्छध्वं, संवदध्वं, संवोमनांसि जायताम्"
—हम एक-दूसरे के साथ चलें, साथ बोलें, तथा हम सबका मन एक हो।

संस्कृति का संबंध सारी मानव जाति के साथ है। देश, काल और समाज के अनुसार वह नहीं बदलती। संस्कृति वही है जो त्रैकालिक होती है। लेकिन कभी-कभी समाज की अस्त-व्यस्तता तथा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण ही ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि हम एक ही सत्य को अनेक रूपों में देखने लगते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा—'एकम् सत्, विप्रा बहुधा वदन्ति'—सत्य एक ही है, मगर ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव के आधार पर उसकी अनेक व्याख्याएँ करते हैं।

इससे मालूम होता है कि हमारी संस्कृति में वे सारे मन्त्र, उन मन्त्रों को अमल में लानेवाले तंत्र और प्रणालियाँ मौजूद हैं, जिनसे हम तेजस्वी बनें और सबके कल्याण में प्रवृत्त हों। अब यन्त्रों का निर्माण करना बाकी है। मगर यदि ये यंत्र व्यक्ति, समाज और राज का समन्वय कर सर्वोदय को जन्म नहीं दे सके, तो सभा-सम्मेलन बेकार साबित होंगे। सर्वोदय की साधना के लिए आवश्यक सभी मंत्र, तंत्र एवं यंत्र इसके पहले ही गांधीजी हमें दे गये हैं। उनके उपदेशों का विस्मरण न करके, हर एक अपनी ताक़त-भर उनपर अमल कर सका, तो बहुत जल्दी ही सारा देश ज्ञान-विज्ञान से जगमगा उठेगा और वह अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करेगा।

ज्ञान-विज्ञान व संस्कृति मनुष्य की सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत पराक्रम की वस्तुएँ नहीं हैं। उनका अंतिम लक्ष्य समाज-उद्धार है। ज्ञानी-विज्ञानी और सुसंस्कृत मनुष्य इस उद्धरण के कार्यक्रम का माध्यम है। चूँकि प्रतिभा ईश्वरीय देन है, इसलिए उसे उसकी संतान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर की संतान में उच्च-नीच का भेद नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति या समूह को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। प्रजा-तंत्र में जनता ही ईश्वर का दूसरा रूप इसलिए बुद्धिगम्य ज्ञान और अनुभवगम्य संस्कार को जनता की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि वह जनता-जनार्दन सेवागम्य है। इस कार्यक्रम के द्वारा ज्ञान-विज्ञान का सच्चा प्रचार और जन-संस्कृति का समन्वय हो सकता है। प्रजातंत्र का अंतिम लक्ष्य सर्वोदय को छोड़कर और क्या हो सकता है?

*

*जन-गणना और जन-भाषाएँ

सर जार्ज ग्रियर्सन भारतीय भाषा-गणना के पितामह समझे जाते हैं। उन्होंने भाषा-गणना के साथ-साथ भारतीय भाषा-स्वरूप, शास्त्र, तथा श्रेणी-विभाजन का भी बहुत अच्छा अध्ययन किया था। आज भी इस विषय पर उनके ग्रंथ उत्तम तथा उपयुक्त समझे जाते हैं। उन्होंने उत्तर भारतीय भाषाओं का काफ़ी विश्लेषण के साथ अध्ययन किया था। भारत की जनगणना में भाषावार गणना का उन्होंने जो अध्ययन किया, उसका ब्यौरा Linguistic Survey of India नाम की पुस्तक में मिलता है। यह पुस्तक क़रीब 10 ज़िल्दों में छपी है। इस पुस्तक में भिन्न-भिन्न भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों, भाषाओं के कुलों तथा गोत्रों के संबंध में जिस छान-बीन तथा खूबी के साथ वर्णन मिलता है, उसे अद्वितीय ही कहा जा सकता है।

इस कार्य के हुए करीब साठ वर्ष से अधिक हुए; लेकिन अब तक न इस कार्य में, न इस दिशा में, न कोई विशेष रूप से गवेषणा हुई, न नयी जानकारी ही प्राप्त हुई। उस ज़माने में बर्मा तथा वर्तमान पाकिस्तान भी हिन्दुस्तान के साथ था; और हिन्दुस्तान की पूरी आबादी तब भी 31,30,00,000 से ज़्यादा नहीं थी। सर ग्रियर्सन ने अपने श्रेणी-विभाजन के अनुसार कुल हिन्दुस्तान में बोली जानेवाली भाषाओं को संख्या में 854 ठहराया। मोटे तौर पर 1911 की जनगणना के अनुसार उन्होंने हिन्दुस्तान की भाषाओं को तीन हिस्सों में बाँटा। उनके श्रेणी-विभाजन के अनुसार भारतीय-आर्य भाषाओं के बोलनेवाले 23,28,22,511, द्राविड़ भाषाओं के बोलनेवाले 6,27,18,961 और असाम-बर्मा सरहद की भाषाएँ बोलनेवाले 1,04,35,187 थे।

सर जार्ज ग्रियर्सन द्वारा इस भाषा-पैमाइश का जितना अच्छा कार्य हुआ, उसका, कुछ क्षेत्रों में, उतना बुरा असर भी रहा। दुनिया के लोगों में यह विचार फैला कि हिन्दुस्तान में हर कोस पर भाषा बदलती है; और हिन्दुस्तान इस कारण न तो भाषा की दृष्टि से एक हो सकता है, न एक भाषा का प्रचार ही इस देश में हो सकता है। हिन्दुस्तान को बहुभाषा-भाषी अशिक्षितों का देश सिद्ध करने में अंग्रेज़ों का अपना स्वार्थ रहा। इससे भाषाओं के संबंध में शिक्षित समाज को न तो ठीक जानकारी मिलती रही, न इस सवाल को हल करने के लिए कोई उपाय ही सोचा गया। इसलिए लोगों के मन में यह धारणा बैठ गयी कि जिन अंग्रेज़ों ने इस देश को राजनैतिक दृष्टि से एक बनाये रखा, उनकी भाषा अंग्रेज़ी के द्वारा इस देश की राजनैतिक तथा सांस्कृतिक एकता बनी रह सकती है। इसका मुख्य कारण यह भी था कि सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दुस्तान की एकता को आवश्यक समझने तथा उसकी अविभाज्यता को देखनेवाले लोगों के मत की अपेक्षा राजनैतिक दृष्टि से एकता स्थापित करनेवाले अंग्रेज़ी-शिक्षित प्रशासकों का मत प्रबल रहा।

पिछले 50 वर्षों में दो मुख्य घटनाएँ हुईं। एक बर्मा का हिन्दुस्तान से अलग होना और दूसरा उत्तर-पश्चिमी प्रान्त का हिन्दुस्तान से कट जाना। ग्रियर्सन की 854 भाषाओं में आधी से अधिक भाषाएँ इन्हीं प्रान्तों की थीं।

पिछले 50 वर्षों में हमारे भाषासंबन्धी तथा राजनीतिक क्षेत्रों में जो आंदोलन हुए, उनमें राष्ट्रभाषा का आंदोलन बड़ा ही लोकप्रिय तथा संगठित रहा। महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से इस आंदोलन ने पुष्टि पायी। विन्ध्य को

* अगस्त, 1954, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख

पारकर दक्षिण भारत की चारों दिशाओं में यह छा गया। स्वराज प्राप्त करने के बाद देश की एकता को मज़बूत बनाने और उसे शक्तिशाली बनाने के लिए कितनी ही बातों का स्पष्टीकरण होता गया। शिक्षा के प्रचार के बढ़ते-बढ़ते शिक्षा के माध्यम का सवाल भी देश के सामने आ गया। छोटी-छोटी उपभाषाओं तथा बोलियों का बल लुप्त होता गया और साहित्य तथा स्थान-बल के आधार पर लोगों ने अपनी-अपनी भाषा का प्रदेश निश्चित कर लिया। उसके बाद भाषा की अपेक्षा भाषा-प्रदेशों को अधिक प्रधानता मिलने लगी, क्योंकि स्वराज्य में देश के सभी नागरिक अपने-अपने प्रदेश के राज्य को भी समझने और उसकी रेखा खींचने लगे। आज भी यद्यपि 1951 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 720 देशी भाषाएँ, और 63 विदेशी भाषाएँ बोलनेवाले हैं, तो भी इन विदेशी भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या 2,26,251 से ज़्यादा नहीं है। इतनी भाषाओं के होते हुए भी हिन्दुस्तान के संविधान में संविधान-सभा के निर्णयानुसार 14 ही भाषाएँ गिनायी गयी हैं, जिनमें संस्कृत और कश्मीरी भी शामिल हैं, जिनके बोलनेवाले क्रमशः 555 और 5086 हैं। बाकी 12 भाषाओं के बोलनेवालों की सख्याएँ यों हैं:—

हिन्दी	14,99,44,311
तेलुगु	3,29,99,916
मराठी	2,70,49,522
तमिल	2,65,46,764
बंगला	2,51,21,674
गुजराती	1,63,10,771
कन्नड़	1,44,71,764
मलयालम	1,33,80,109
उड़िया	1,31,53,909
असामी	49,88,226
कुल	32,39,72,607

ऊपर की सारिणी के अनुसार संविधान-सभा द्वारा स्वीकृत भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या कुल 32,39,72,607 है। अर्थात् संविधान-सभा के द्वारा स्वीकृत भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं के बोलनेवाले 3,29,06,787 लोग स्वीकृत भाषाओं के प्रदेशों में फैले हुए हैं।

हिन्दी के नाम से जो संख्या दी गयी है, उसमें उर्दू, हिन्दुस्तानी, पंजाबी और पहाड़ी भाषा-भाषियों की संख्या भी सम्मिलित है। ध्यान रहे कि जब जनगणना हो रही थी, तब तथाकथित हिन्दी-प्रदेशों में इस बात का आंदोलन चल रहा था कि देश की एकता के नाते भिन्न-भिन्न बोलियों के बोलनेवाले सभी लोग अपनी भाषा हिन्दी ही लिखवाएँ। इस कारण से भी हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ गयी।

देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है देश भर के लोगों में देश के प्रति विशुद्ध प्रेम तथा अपनापन पैदा होना। अगर आज हिन्दी राष्ट्रभाषा मान ली गयी, वह इसलिए नहीं कि वह किसी प्रांतविशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती है और सारे देश के लोग उसे अपना सकते हैं।

हिन्दी को देश ने, संविधान ने तथा जनता ने भारत की राष्ट्रभाषा मानी और साथ-ही-साथ उसके विकास तथा वृद्धि के लिए देश की 12 मुख्य भाषाओं को साथ लेकर सहशक्ति प्रदान करने का आदेश दिया। इसी आदेश का ब्यौरा धारा 351 में मिलता है। दूसरे शब्द में, देश ने हिन्दी को भारतीय भाषा-पुनरुत्थान-आंदोलन का नेता बनाया। आज अगर अंग्रेज़ी को, जिसकी नींव इस देश में काफ़ी गहरी और मज़बूत है, उखाड़ फेंकना है, तो वह काम हिन्दी अकेली नहीं कर सकती। उसे आज हिन्दुस्तान के उत्तोलक का काम करना चाहिए, जिससे उसके सहारे सभी भारतीय भाषाओं का ऐसा उत्थान हो कि वे भारत के सभी प्रदेशों तथा राज्यों का काम संभाल सकें तथा जनता की सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकें।

*भारत के राज्य और भारतीय भाषाएँ

भारत के संविधान के अनुसार आज भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ माना जाता है। वह आज 29 राज्यों में बँटा हुआ है, जिनमें प्रथम श्रेणी के 10, दूसरी श्रेणी के 9 और तीसरी श्रेणी के 10 राज्य हैं। सभी श्रेणियों के राज्यों के लिए दो-एक के सिवाय अपने-अपने विधान-मंडल हैं। इन राज्यों के राज्यक्षेत्र भी निश्चित हैं। कुल 12,70,000 वर्गमील के रक़बे के हमारे बड़े देश में 36 करोड़ से अधिक लोग बसते हैं। इन राज्यों में चार राज्य ऐसे हैं, जिनका कि रक़बा एक लाख वर्गमील से अधिक है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी आबादी सवा छह करोड़ से ज़्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश। कुछ ऐसे भी हैं, जिनका रक़बा पाँच सौ वर्गमील से भी कम है, जैसे बिलासपुर। कुछ राज्य तो दस हज़ार वर्गमील से भी कम हैं; जैसे कच्छ, तिरुवितान्कूर-कोच्चि, अजमेर, सिक्किम, कुर्ग, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान आदि, जो आबादी की दृष्टि से बहुत छोटे हैं। भोपाल, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, अजमेर, सिक्किम, कुर्ग, बिलासपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और अंडमान राज्यों में किसीकी भी आबादी दस लाख से ज़्यादा नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है। विधान के अनुसार तीसरी श्रेणी के सभी राज्यों की आर्थिक-व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेदार है। दूसरी श्रेणी के राज्यों में असाम, सौराष्ट्र, पेप्सू राज्यों में प्रत्येक की आमदनी 10 करोड़ रु. से कम है; उड़ीसा और मध्य भारत की 10 करोड़ रु. से थोड़ी ज़्यादा है, जब कि बम्बई और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक की आमदनी 60 करोड़ रु. से भी ज़्यादा है। मद्रास और बिहार की आमदनी लगभग 35 करोड़ रु. है। इन सभी राज्यों की कुल आमदनी 400 करोड़ रु. से कम है, जब कि केन्द्र-सरकार की आमदनी 400 करोड़ रु. से भी अधिक है। इस ब्यौरे से साफ़ है कि भारत यद्यपि राज्यों का संघ कहलाता है, तथापि उसके इन राज्यों में न तो आर्थिक समानता है और न कोई अन्य समानता ही। सिवाय समान नामकरण के और कोई समानता इनमें नहीं मालूम होती। अगर हिन्दुस्तान को सच्चे अर्थ में राज्यों का संघ कहलाना है, तो इन राज्यों के आर्थिक और राजनीतिक स्तरों में, जहाँ तक संभव हो, राज्य-राज्य के बीच कुछ-न कुछ समानता होनी ही चाहिए। अन्यथा हमारे विधान ने जिस दृष्टि से हिन्दुस्तान को राज्य-संघ माना है, वह सर्वथा निरर्थक समझा जायगा।

वर्तमान समय में भारत के जो राज्य हैं, उन सबका अपना इतिहास है। वे न किसी ख़ास योजना के अनुसार बने हैं और न बनाये गये हैं। वे हमारे माज़ी शासकों की देन हैं। उन्होंने परिस्थिति, आवश्यकता तथा अनुकूलता के अनुसार उन्हें बनाये रखा। वैसे तो स्वराज्य के पहले हमारे इन राज्यों की संख्या सैकड़ों में गिनी जाती थी। हिन्दुस्तान के अग्रतम निर्माता स्वनामधन्य स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की दीर्घदर्शिता तथा दृढ़ संकल्प ने देश-भर में बिखरे हुए राज्यों को एकसूत्र में गूँथकर उनकी संख्या कम कर दी। हमारे संविधान के अनुसार सारा देश राष्ट्रपति के अधीन है। प्रथम श्रेणी के राज्य राज्यपालों के अधीन, दूसरी श्रेणी के राज्य राजप्रमुखों के अधीन, और तीसरी श्रेणी के राज्य केन्द्रीय प्रशासन के अधीन शासित हो रहे हैं। इन राज्यों में परस्पर किसी तरह की समानता न होने के कारण हमारे आर्थिक, राजनैतिक तथा जनता के क्षेम को बढ़ानेवाले कार्य-कलापों में काफ़ी असमानताएँ आ गयी हैं। किसी-किसी राज्य में तीन-तीन चार-चार भाषाओं

*जनवरी, 1954, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख।

के बोलनेवाले लोगों के बसने के कारण भी काफ़ी कठिनाइयाँ पैदा हो रही हैं, जिनकी वजह से हमारे देश के नेता तथा भाग्यनिर्माता दत्तचित्त होकर जनता का कल्याण साधने में अपनेको असमर्थ पा रहे हैं। कुछ राज्य बहुत बड़े हैं; इसलिए वहाँ का शासन-कार्य बड़ा ही ढीला तथा अव्यवस्थित हो रहा है। कुछ राज्य बहुत छोटे होने के कारण स्वयंपोषक होने में अपनेको असमर्थ पा रहे हैं। यदि किसी राज्य में जनता की अत्यधिक संख्या अड़चन-रूप है, तो किसी राज्य में न्यूनतम संख्या अड़चन रूप साबित हो रही है। वर्तमान ब्यौरे के अनुसार देखा जाय, तो करीब 28 करोड़ लोग पहली श्रेणी के 10 राज्यों में, 7 करोड़ लोग दूसरी श्रेणी के 9 राज्यों में, करीब एक करोड़ लोग तीसरी श्रेणी के बाकी 10 राज्यों में बसते हैं। इन राज्यों का श्रेणी-विभाजन भी हमारे अंग्रेज़ बहादुरों की करामात का परिणाम है। इस श्रेणी-विभाजन में न कोई सिद्धांत है, न कोई तर्क। इसलिए यह श्रेणी-विभाजन हमारे लिए केवल निरर्थक ही नहीं, बल्कि उपद्रवरूप भी है। इन असमानताओं के कारण देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लोगों में घोर असंतोष फैला हुआ है। इस असंतोष के मूल में कहीं-कहीं अपने प्रदेशों को अधिक-से-अधिक खुशहाल बनाने की अपेक्षा अपने-अपने राज्यों को बनाये रखने या बढ़ाये रखने की महत्वकांक्षा छिपी हुई है।

स्वराज्य प्राप्त करने के बाद जब से राज्य-शक्ति जनता के हाथ में गयी, तब से भिन्न-भिन्न प्रदेशों से भारत के राज्यों के पुनर्विभाजन का नारा बुलंद हो गया। इस नारे ने अधिकांश प्रदेशों में भाषावार प्रांतों के साधन को हथियाया है। किसी-किसी जगह पर यह नारा इतना अधिक बुलंद हो गया है कि उसपर केवल ध्यान देना ही आवश्यक नहीं है; बल्कि उन्हें संतोष देना भी अत्यावश्यक हो गया है। भारत सरकार ने इन सभी बातों पर विचारकर अपनी राय ज़ाहिर करने के लिए हाल ही में एक आयोग बैठाया है, जो हमारे राज्यों के पुनर्विभाजन के संबंध में जननायकों का मत लेकर राज्यों से परामर्श कर, 1955 के जून तक अपनी एक रिपोर्ट पेश कर देगा, जिसपर विचार करने के बाद केन्द्र-सरकार अपना मत बनाकर, पुनर्विभाजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगी।

साधारणतः लोग यह मानते हैं कि भाषावार प्रान्तों का आन्दोलन देश के साहित्यिक और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है; और साथ ही उसमें प्रजातंत्र के यंत्र को सफलता के साथ चलाने के लिए प्रजा की वाणी को एक शक्तिशाली साधन बनाने का उद्देश्य भी छिपा हुआ है। यह सच है कि इस प्रजातंत्र को सुदृढ बनाने के लिए शासन-व्यवस्था तथा जनता के मानसिक तथा आर्थिक क्षेम की दृष्टि से जनता की भाषा को अधिक-से-अधिक प्रधानता देना आवश्क है। यह भी सच है कि प्रजातंत्र के यंत्र का माध्यम प्रजा की वाणी ही हो सकती है। विदेशी भाषा के द्वारा इस यंत्र को चलाना अस्वाभाविक ही नहीं है, बल्कि इसे गतिहीन बनाना भी है। इसलिए प्रत्येक प्रदेश की सरकार की व्यवस्था का माध्यम प्रादेशिक भाषा ही होनी चाहिए और साथ ही उस प्रदेश की जनता की शिक्षा, संस्कृति तथा साहित्य का माध्यम भी प्रादेशिक भाषा ही होनी चाहिए। इस कारण इस बात पर ध्यान देना आवश्क हो जाता है कि राज्यों के पुनर्विभाजन में प्रादेशिक भाषा का ख्याल अवश्य रखा जाय, और जहाँ तक हो सके हमारे प्रत्येक राज्य में भाषाओं के बीच में संघर्ष न होने पावे; और जहाँ एक ही राज्य के दो भिन्न-भिन्न भाषाभाषी उसे न अपना सकें, वहाँ उन्हें अलग कर देना चाहिए।

भारतीय संविधान ने हिन्दुस्तान की 14 भाषाओं को प्रामाणिक भाषाओं के तौर पर स्वीकार किया है, जिनमें दो भाषाएँ सार्वदेशिक और बाकी 12 भाषाएँ प्रादेशिक हैं। इनमें कश्मीरी बोलनेवालों की संख्या जो 40 लाख से ज़्यादा नहीं है, हटायी जाय, तो सारा हिन्दुस्तान

11 भाषाओं के बीच में बंट जायगा; अर्थात् दूसरे शब्दों में एक भाषा के लिए एक राज्य दिया जाय, तो कुल 11 राज्य बनेंगे। इन 11 राज्यों को भाषावार बना दिये जाने पर यदि उनकी आबादी, रक़बे और आर्थिक व्यवस्था पर ख्याल किया जाय, तो बहुत ही असमानताएँ पायी जाएँगी। इन 11 भाषाओं में 4 भाषाएँ पश्चिमी समुद्र तीर की और 4 पूर्वी समुद्र तीर की हैं, तो 3 भाषाएँ देश के उत्तरी भाग के मैदानों और पार्वतीय प्रदेशों की हैं। एक तो उत्तर से ठेठ विंध्य पर्वत तक फैली हुई है। उत्तर-पश्चिमी भाषा पंजाबी और उत्तर-पूर्वी भाषा असामी प्रदेशों की जनसंख्या क्रमश: डेढ़ करोड़ तथा एक करोड़ है। असाम प्रांत की आधी जनता की भाषाएँ भिन्न-भिन्न हैं। उत्तरी भूभाग का बाक़ी रक़बा जो पाँच लाख वर्गमील से भी ज्यादा है, जिसमें साढ़े पंद्रह करोड़ लोग बसते हैं, हिन्दी भाषाभाषी माना जाता है—अर्थात् सारे हिन्दुस्तान में कुल 40 फ़ी सदी रक़बा हिन्दी भाषाभाषियों को मिल जाता है; और बाक़ी 60 फ़ी सदी रक़बा 10 भाषाभाषी अपने बीच में बाँट लेते हैं। इन 10 भाषाभाषियों में सबसे कम रक़बा मलयाली प्रदेश को मिलता है, जिसकी आबादी क़रीब डेढ़ करोड़ और क्षेत्रफल 15 हज़ार वर्गमील है। इससे स्पष्ट है कि भाषावार प्रान्तों के वाद में यह तर्क बिलकुल टिक नहीं सकता कि एक भाषा के लिए एक ही राज्य होना चाहिए। इससे यह भी स्पष्ट है कि भाषावार प्रान्तों का आन्दोलन उसी हद तक उचित तथा आवश्यक समझा जायगा, जब तक कि किसी भाषा के बोलनेवालों की संख्या तथा उनके भूभाग से यह साबित न हो जाय कि उन भाषाभाषियों के राज्य आर्थिक दृष्टि से सक्षम और शासन की दृष्टि से सुविधाजनक हैं।

भाषावार प्रान्तों के आन्दोलन को अगर हम स्वीकार करते हैं, तो इसके पीछे हमारी यह दृष्टि है कि कोई भी भाषाभाषी प्रदेश ऐसा छोटा न रह जाय कि उसे हमेशा दूसरे राज्यों या संघ-राज्य के अनुदान का मुहताज रहना पड़े। आंकड़ों से पता चलता है कि क्षेत्रफल में हमारा सबसे छोटा राज्य केरल और आबादी में सबसे छोटा राज्य असाम बनेगा। केरल का क्षेत्रफल 15 हज़ार और आबादी डेढ़ करोड़ और असम का क्षेत्रफल 54 हज़ार और आबादी करीब एक करोड़ की है। इसके अलावा हमारे राज्यों की स्थिति और स्वरूप का एक दूसरा पहलू भी है। हमारे वर्तमान राज्यों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिनमें कि बसनेवाली जनता की बस्तियाँ बहुत घनी हैं, जैसे तिरुवितान्कूर-कोचि में एक वर्ग मील में 1014, बंगाल में 800, मद्रास में 600 और बिहार में 572 लोग बसते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं, जो बहुत फैले हुए हैं, जहाँ पर जनता की बस्तियाँ इतनी घनी नहीं हैं, जैसे राजस्थान में प्रत्येक वर्गमील में 117, विंध्य प्रदेश में 145, असाम में 67, मध्य भारत में 171 लोग बसते हैं। इससे यह साफ़ है कि हमारे राज्यों का पुनर्विभाजन न तो किसी राज्य या प्रदेश के क्षेत्रफल को ख्याल में रखकर निश्चित किया जा सकता है और न आबादी के आंकड़ों को लेकर; फिर भी इन दोनों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यह मानी हुई बात है कि हमारी आबादी के आँकड़े बदलनेवाले हैं। आम तौर पर हर दसवें साल में हर एक राज्य की आबादी 10 से 15 फ़ी सदी तक बढ़ जाती है। लेकिन हमारा भूभाग तो अपरिवर्तनीय है। इसलिए हमारे राज्यों का पुनर्विभाजन भाषाओं को ध्यान में रखते हुए निश्चित भूभाग का ही होगा, और प्रत्येक राज्य के पीछे कितना भूभाग रहना चाहिए और उसकी सीमाएँ कैसे निश्चित करनी चाहिए, उन सीमाओं के अन्तर्गत जो भूभाग स्थित हैं, उनकी सहज संपत्तियाँ क्या हैं, उन सहज संपत्तियों का यथेष्ट उपयोग करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता की उन्नति कैसे हो सकती है, इन्हीं बातों को दृष्टि में रखकर राज्य के पुनर्विभाजन के सिलसिले में

विचार किया जा सकता है; दूसरे शब्दों में हमारे देश के राज्यों का पुनर्विभाजन उन प्रदेशों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक प्रदेश के रक़बे के अनुसार होगा; और वही उत्तम सिद्धान्त साबित होगा, जिससे छोटे स्वयंपोषक प्रदेश का रक़बा या आबादी राज्य के परिमाण के लिए मापमान हो।

हमारे संविधान के अनुसार समस्त देश की राज-व्यवस्था संसद के सुपुर्द है। संविधान को बदलने, किसी देश की राजसत्ता को छोटी या बड़ी बनाने तथा राजसत्ता का व्यापक उपयोग करने का संपूर्ण अधिकार संसद में निहित है। संसद को यह अधिकार भिन्न-भिन्न प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त होता है। व्यवहृत संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का गहरा संबंध राज्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ रहता है, अर्थात् किसी राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों का संबंध संसद की सदस्यता के साथ जुड़ा हुआ रहता है। राज-सत्ता के उपयोग तथा उसकी न्यूनाधिकता के लिए हम राज्य को ही इकाई मान लें, तो किसी राज्य के उसके प्रतिनिधियों की संख्या के अनुपात में बलवान या कमज़ोर होने की संभावना हो सकती है। यह स्वाभाविक है कि किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य अपने-अपने राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा चुने हुए संसदीय सदस्यों से यह आशा रखें कि केन्द्रीय सरकार से वे अधिक-से-अधिक मात्रा में अपने राज्य को सहायता पहुँचावें। इससे स्पष्ट है कि जिस किसी भी प्रदेश से अधिक-से-अधिक प्रतिनिधि पार्लमेंट में पहुँच जाते हैं, जिनकी संख्या ऐसे छोटे राज्यों की संख्या से 5-10 गुना कम हो जाती है, उन राज्यों को अवश्य इस बात का डर रहता है कि उनकी संख्या-जनित कमज़ोरी से कहीं नुकसान न हो जाय। वर्तमान संसद के सदस्यों का राज्यवार विभाजन किया जाय, तो ऐसे डर के लिए काफ़ी स्थान रहता है। इस समय संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्याएँ इस प्रकार हैं—

उत्तर प्रदेश	...	86
बिहार	...	55
मद्रास	...	46
बम्बई	...	45
पश्चिम बंगाल	...	34
आन्ध्र	...	28
मध्य प्रदेश	...	28
हैदराबाद	...	25
राजस्थान	...	20
उड़ीसा	...	20
पंजाब	...	12
असाम	...	12
तिरुवितान्कूर-कोचि	...	12
मैसूर	...	11
मध्य भारत	...	11

बाकी राज्यों में किसीके भी सदस्य 10 से ज्यादा नहीं हैं। प्रजातंत्र का परिणाम प्रजा द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित राज-शासन है। हमारे सारे देश के लगभग सभी राज्यों के शासन में हमारे संविधान के अनुसार एकतंत्रता नहीं है। उसके कुछ हिस्सों में अविभक्त तंत्रता है, जो संसद के द्वारा नियंत्रित है, और कुछ हिस्सों में विभाजित तंत्रता है, जो राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा नियंत्रित है। देश की जैसी स्थिति है, और उसकी जैसी आवश्यकताएँ हैं तथा जनतंत्र के द्वारा उससे जिन प्रयोजनों की अपेक्षा की जाती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए एकतंत्रता प्रजातंत्र सिद्धान्तों के लिए अनुकूल नहीं है। विकेन्द्रीकृत राजतंत्र प्रजातंत्र के लिए अत्यन्त अनुकूल ही नहीं, बल्कि अधिकाधिक प्रयोजनकारी भी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे विधान-निर्माताओं ने भारत को राज्यसंघ माना; उसकी सत्ता को केन्द्रीकृत बनाने से इनकार कर दिया, यद्यपि आज वह सत्ता अधिक-से-अधिक केन्द्रीकृत होती जा रही है। इसी कारण देश में चारों ओर से विकेन्द्रीकरण की माँग आ रही है। अगर भाषावाद की दलीलों पर ध्यान देकर भाषा को ही अत्यधिक प्रधानता दी जाय और

सारा देश भाषावार राज्यों में बँट जाय, तो इन विभिन्न भाषाभाषी राज्यों से जब संसद के लिए प्रतिनिधि चुने जायँगे तब संसदीय सत्ता किस प्रकार होगी?

हिन्दुस्तान के विधान के द्वारा स्वीकृत 12 भाषाओं के प्रतिनिधि यों होंगे :—

हिन्दी	...	210
तेलुगु	...	43
मराठी	...	40
तमिल	...	37
बंगला	...	34
कन्नड़	...	26
पंजाबी	...	20
ओरिया	...	20
मलयालम	...	18
गुजराती	...	17
असमी	...	14
कश्मीरी	...	6

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि पाँच बड़े भाषाभाषी राज्य मिलकर भी हिन्दी प्रदेश के बराबर नहीं हो सकते। भाषा की अस्मिता से संसद में राजसत्ता का पल्ला ही नहीं उलट जायगा, बल्कि भिन्न-भिन्न भाषाभाषी प्रदेशों के बीच में असंख्य कठिनाइयाँ भी पैदा हो जायँगी।

संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन विधान-मण्डलों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। राज्यपाल तथा राजप्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सारे राजशासन की बाग़डोर राज्य के प्रधान मंत्री के हाथ में रहती है, जो अधिक-से-अधिक संख्यक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। इसलिए हमारे राजनीतिक वातावरण में लोग अपने-अपने दृष्टिकोण को भाषावार बनावें, तो उससे केवल बड़ी हानि ही नहीं, बल्कि खतरा होने की भी संभावना है।

संसदीय शक्ति के बंटवारे के संबन्ध में भाषावार दृष्टिकोण से जो ब्योरा ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि देश की राजनैतिक सत्ता, संख्या की दृष्टि से अधिकाधिक हिन्दी राज्यों में निहित है। भाषावार प्रांत बननेवाले प्रादेशिक राज्यों की प्रादेशिक भावना के लिए यह सत्ता जैसे काम आ सकती है उसी तरह उसे दबाने के लिए भी वह काम में लायी जा सकती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिन्दी भाषाभाषी प्रदेशों के प्रति अहिन्दी भाषाभाषी प्रदेश पहले ही से सशंकित हैं। जब हिन्दी केन्द्रीय सरकार की राजभाषा बनायी गयी तब वह संविधान के द्वारा एक सार्वदेशिक भाषा के तौर पर सामने आयी। भविष्य में जब वह अंतर-प्रान्तीय व्यवहार के काम में लायी जायगी तब यह शंका और भी बढ़ जायगी। संभव है कि ठीक तौर से देश की राजनैतिक और आर्थिक दशा राज्यों के बीच में संतुलित न हो, और देश को उन्नति की तरफ़ बढ़ने में यह एक नयी समस्या बनकर रुकावट डाले।

यह भी संभव है कि भाषावार प्रान्तों के आर्थिक तथा राजनैतिक पहलुओं की ओर समुचित ध्यान न देने के कारण राष्ट्रभाषा का कार्य कहीं कुंठित न हो जाय, और प्रादेशिक तथा सांप्रदायिक संस्कृति को भाषा का आधार मानकर लोग सार्वदेशिक एकता तथा भारत की समस्त संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार में बाधाएँ डालें। छोटे राज्यों की माँगें एक अल्पसंख्यक की समस्या में परिवर्तित होकर देश के प्रगतिशील कामों में विघ्न पहुँचाएँ। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्यों के पुनर्विभाजन-संबन्धी उपरोक्त मनोतत्व को निर्मूल करने के लिए आवश्यक उपाय ढूँढे जायँ और साथ ही सार्वदेशिक एकता तथा भाषा-समस्या को इन राजनैतिक समस्याओं से परे रखा जाय।

इसके लिए एक उपाय यही हो सकता है कि भाषा की समस्या को सांस्कृतिक तथा साहित्यिक रूप दिया जाय जिससे देश का प्रत्येक नागरिक देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं के बीच में अधिक फ़रक न पावे और उन्हें अपनी समझकर अपना ले। वे नागरिक जो साक्षर नहीं हैं या एक से अधिक भाषाएँ सीखने में असमर्थ हैं और जिन्हें एक से अधिक भाषाएँ सीखने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी भी समय यह मालूम न हो

कि अपनी भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा से परिचित न होने के कारण उनके व्यावहारिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक कार्यकलाप में बाधा पहुँच रही है। अर्थात्, दूसरे शब्दों में किसी प्रदेश से संबन्ध रखनेवाले कार्यकलाप में प्रादेशिक भाषा का ही उपयोग हो।

हमारे राज्यों का पुनर्विभाजन आर्थिक व राजनैतिक समता को ध्यान में रखते हुए किया जाय, जिससे कि राज्य-राज्य के बीच में अल्प और अधिक संख्यक समस्या के रूप में संघर्ष न पैदा हो। हमारी देशभक्ति तथा भाषा-भक्ति के बीच में समन्वय हो, अर्थात् प्रत्येक नागरिक सारे भारत को अपना माने और वह प्रादेशिक राज्य में रहकर भी अपनी प्रादेशिक भाषा के द्वारा सेवा कर सके—यानी प्रादेशिक राज्य-भक्ति के साथ स्वभाषा-भक्ति का कोई संबंध नहीं होना चाहिये, क्योंकि हमारी वैयक्तिक भाषाओं के भिन्न-भिन्न होते हुए भी जिस प्रदेश में हम रहते हैं उस प्रदेश की भाषा को सीखकर उसके द्वारा अपना कार्य-कलाप चलाना नागरिकों के कर्तव्यों में पहला और श्रेष्ठ समझे।

आर्थिक तथा राजनीतिक असमानताओं का आवश्यक हल ढूँढ़ने पर भी भाषाधारित राज्यों के द्वारा एक नयी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। वह है, अल्पसंख्यक भाषा-भाषियों की। भारत-भर के राज्यों में रहनेवाले लोगों की मातृभाषाओं का अगर हिसाब किया जाय, तो किसी-किसी राज्य में ग़ैर-प्रादेशिक भाषा को मातृभाषा के तौर पर बोलनेवालों की संख्या काफ़ी मिलेगी। हमारी जन-गणना की रिपोर्ट में इस बात का ब्यौरा देखा जा सकता है। किसी-किसी राज्य में विभिन्न भाषाभाषियों की संख्या 20 से 25 फ़ी सदी तक है। ख़ुशकिस्मती से अब उनकी तरफ़ से ऐसी कोई माँग नहीं है, जिसके अनुसार उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को कोई विशेष प्रबंध करना पड़े। यह तो भिन्न-भिन्न राज्यों के बीच में बसनेवालों का पारस्परिक संबन्ध है। इसके अलावा भिन्न-भिन्न राज्यों की सीमाओं में बसनेवाले लोगों के सवाल अलग हैं। विभाषा-भाषी होने के कारण अपनी-अपनी भाषा के अनुसार दूसरे राज्यों के नागरिक बनने के लिए अपनी माँग पेश करते हैं।

राज्यों की भाषा-सीमा का संघर्ष आये दिन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। बंगाल-बिहार, उड़ीसा-बंगाल, उड़ीसा-तेलुगु, तमिल-तेलुगु, तेलुगु-कन्नड़, गुजराती-मराठी आदि सीमा-समस्याएँ कभी-कभी ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेती हैं। उत्तम तो यही है कि इन समस्याओं को हल करने के लिए जल्दबाज़ी न की जाय, और देश-भर में सार्वदेशिक दृष्टि बढ़ाकर भिन्न-भिन्न भाषाभाषियों को अपनी-अपनी भाषा सीखने के लिए सुविधाएँ दी जायँ। यह तभी हो सकता है, जब कि इस भाषा-समस्या को राज्यों के दायरों से हटाया जाय, और केन्द्रीय सरकार उसे अपने हाथ में ले ले। इसके लिए एक विशेष योजना बनायी जानी चाहिए, जिसके अनुसार भारतीय संविधान के द्वारा स्वीकृत किसी भी भाषा को सीखने और उसके द्वारा अपना काम चलाने के लिए देश के नागरिकों को सुविधा प्राप्त हो।

हमारे राज्यों का पुनर्विभाजन जब भाषा-धारित दृष्टि से होगा, तब हमारे विश्वविद्यालयों के शिक्षा-मंत्रालयों और राज्यों के शिक्षा-विभागों के कार्य-स्वरूप में भी काफ़ी परिवर्तन होगा। इसलिए अब एक ऐसी सार्वदेशिक योजना बन जानी चाहिए जिसके सिद्धान्त तथा कार्य-प्रणाली से देश के नेता सहमत हों। इस योजना में नीचे लिखी बातें समाविष्ट हो सकती हैं:—

1. पर्याप्त मात्रा में माँग होने पर किसी भी प्रदेश में भारत के किसी दूसरे प्रदेश की भाषा को मातृभाषा के तौर पर सीखने और उसके द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएँ पैदा की जायँ।

2. प्रत्येक प्रादेशिक राज्य में उसकी सीमा के पास की प्रादेशिक भाषाओं की शिक्षा का स्कूलों में प्रबंध किया जाय।

3. सभी विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के सीखने और उनका साहित्यिक अध्ययन करने के लिए सुविधाएँ प्राप्त हों।

4. हिन्दुस्तान की किसी भी भाषा को नागरी लिपि के द्वारा सीखने और नागरी लिपि में लिखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो।

5. ऐसी योजना बनायी जाय, जिससे कि नागरी सभी भारतीय भाषाओं के लिए मुद्रण-लिपि बने, और आवश्यकतानुसार प्रान्तीय लिपि को लिखने के काम में लाया जाय, जिससे कोई भी नागरिक एक सौ अक्षर सीखकर दोनों लिपियों से परिचित हो, और दोनों लिपियों का उपयोग कर सके।

6. केन्द्रीय सरकार का मंत्रालय एक ऐसा नया विभाग खोले, जिसके द्वारा भारतीय भाषाओं का विकास किया जा सके, और भारतीय भाषाओं के समन्वय तथा सामंजस्य की दिशा में विशेष रूप से कार्य किया जा सके।

7. भारत के विधान-मंडलों, न्यायालयों तथा उच्च शिक्षा के वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम आनेवाले शब्दों का भारत-भर में एक रूप हो सके; अर्थात् इन क्षेत्रों में काम आनेवाले शब्द सार्वदेशिक रूप ग्रहण कर सकें।

8. देश की जनता को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भोजन देनेवाला विशाल वाङ्मय जो प्रादेशिक भाषाओं में है, उसका अनुवाद किया जाय और इस अनुवाद में अधिक-से-अधिक शब्दों के सारूप्य पर ध्यान रखा जाय जिससे पड़ोसी भाषाओं में ही नहीं, बल्कि दूर की भारतीय भाषाओं में भी निर्मित होनेवाले साहित्य तथा प्रांतों की सांस्कृतिक प्रगति तथा प्रवृत्तियों से सारे भारत के लोग समान रूप से परिचित होकर दूसरी भाषाओं के लिए अपने मन में प्रेम पैदा कर सकें और जहाँ तक हो सके अपने मन से दूसरी भाषा के प्रति द्वेष की मनोवृत्ति को दूर कर सकें।

वैसे तो हिन्दुस्तान की सारी भाषाएँ एक-दूसरे के साथ गहरा संबंध रखती हैं। उनका साहित्य चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, उसकी गति-प्रगतियों में काफ़ी समानता है। इस समय भी कितने ही ऐसे शहर और कस्बे हैं, जहाँ के लोग तीन-तीन, चार-चार भाषाएँ बिना कष्ट के बोलते हैं। पता भी नहीं कि उनकी स्वभाषा क्या है? हैदराबाद, मद्रास, बंगलोर, बम्बई, कलकत्ता आदि शहर इसके लिए ज्वलन्त उदाहरण हैं। सीमा प्रदेशों में रहनेवाली जनता, चाहे वह साक्षर हो, चाहे निरक्षर, प्रायः द्विभाषा-भाषी होती है। इसका कारण यह है कि भाषा की दृष्टि से हमारी जनता अब तक कभी भी अपनेको दूसरों से भिन्न नहीं मानती थी। प्रादेशिक, राजनीतिक चैतन्य के कारण फ़िलहाल यह भिन्नता पैदा हुई है। इस भिन्नता को दूर करने के लिए और प्रादेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रादेशिक भाषा के उपयोग का, और सार्वदेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वदेशिक भाषा के उपयोग का निर्णय कर इन दोनों का विकास एकसाथ समुचित रूप से करना चाहिए। इसलिए हमारे राज्यों का विभाजन प्रादेशिक भाषा को ध्यान में रखकर प्रादेशिक आवश्यकताओं को देखते हुए होना चाहिए। जहाँ तक हो सके भाषा के क्षेत्र में प्रादेशिकता से बचने का प्रयत्न होना चाहिए।

*

संघ-भाषा हिन्दी और संघ-सरकार

देश के वर्तमान विधान के अनुसार अधिक-से-अधिक राजनीतिक तथा आर्थिक गठन सार्वदेशिक पैमाने पर होने लगा है। हमारी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियाँ अधिकांश में केन्द्रीकृत होने के कारण उस गठन की चर्चा अधिकतर संसद में ही पायी जाती है। यह स्वाभाविक है कि छत्तीस करोड़ जनता द्वारा नियोजित 500 (लोकसभा के सदस्य) और 29 राज्यों के 217 प्रतिनिधि (राज्य-सभा के सदस्य) जिस संसद में एकसाथ रहकर देश की उन्नति से संबंध रखनेवाली विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करते हैं, उसकी प्रवृत्तियाँ देश-भर के लोगों के लिये आकर्षण के केन्द्र बन जायँ और समाचार-पत्रों तथा संवाद-दाताओं की दृष्टि भी संसद के कार्य-कलापों पर ही अधिकतर केन्द्रित हो। इसका अधिकांश कारण यही है कि आज केन्द्रीय सरकार अपने विधान तथा परिस्थितियों के अनुसार प्रादेशिक राज्यों से बढ़कर बलिष्ठ है। हमारे देश के सबसे ज्यादा बलवान तथा विशाल राज्य उत्तर प्रदेश के बजट से भी केन्द्रीय सरकार का बजट छह गुना ज्यादा बड़ा है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष खर्च होनेवाली रक़म इतनी ज्यादा रहती है कि वह कुल राज्य-सरकारों द्वारा खर्च होनेवाली रक़म से तीन गुना ज्यादा है। केन्द्रीय सरकार का साधारण बजट, डाक व तार विभाग, रेलवे तथा देश की उन्नति में प्रतिवर्ष लगनेवाली पूँजी, सबको मिलाकर कुल बारह सौ करोड़ रुपये से कम का नहीं होता। यह रक़म सारे राज्यों की आय की रक़म से चार गुना अधिक है। इसके अलावा प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये किसी-न-किसी मदद के रूप में राज्यों को केन्द्र देती रहती है। फिर, कितनी ही ऐसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, जिनसे प्रतिदिन केन्द्र-सरकार की शक्ति तथा प्रभाव बढ़ता ही जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना बनायी गयी, जिसके द्वारा पाँच वर्षों में दो हज़ार उनहत्तर करोड़ रुपये की रक़म खर्च होगी। इसमें से अधिकांश रुपया केन्द्रीय सरकार ही अपनी आय, संचित निधि या लोक-ऋण से खर्च करेगी। आज केन्द्र-सरकार के मातहत लाखों मुलाज़िम हैं। इन मुलाज़िमों में कितने ही लाख मुलाज़िम, बड़ी-बड़ी रक़में पानेवाले, दिल्ली तथा उसके आसपास रहते हैं। इन मुलाज़िमों के बीच में वेतन के या किसी-न-किसी और रूप में करोड़ों रुपये प्रतिमास वितरित होते रहते हैं। दिल्ली का राज-दूतावास भी एक ज़बर्दस्त तथा प्रभावशाली हिस्सा है, जिसके द्वारा भी दिल्ली तथा दिल्ली के राजनीतिज्ञों का प्रभाव बढ़ता रहता है। इस दूतावास द्वारा भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च होते हैं। इन सभी कारणों से आज दिल्ली भारत के शिरोमणि ही नहीं, बल्कि उसके सिर के रूप में है, जहाँ से सारे देश में प्रभाव तथा प्रकाश की किरणें फैलती रहती हैं। कुछ ऐतिहासिक तथा प्रकृति-जन्य परिस्थितियों के कारण दिल्ली का यह प्रभाव बना है, बना रहेगा, और बढ़ता भी रहेगा। इस संपत्ति-केन्द्रीकरण के प्रभाव का परिणाम आगे क्या निकलेगा, कहना मुश्किल है।

दिल्ली शहर हिन्दुस्तान के ऐसे राज्यों के बीच में बसा हुआ है, जिनका हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की लड़ाइयों के साथ बहुत बड़ा सम्बन्ध रहा। सैकड़ों वर्षों से हिन्दुस्तान की यह उत्तर-मध्य भूमि संस्कृति का ही नहीं, बल्कि संघर्ष का भी क्रीड़ा-क्षेत्र रही है। कितने ही राज्य इस भूमि में उठे और गिरे। कितने ही वीरों ने अपने रक्त से सींचकर इसे उर्वरा

* जून, 1954, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख

बनाया, और करोड़ों नर-नारियों के लिये यह नगर स्फूर्ति का सोता बना रहा। इस उत्तर-मध्य-भूमि के उच्च वर्ग के लोगों ने अपनी बुद्धि तथा भुज-बल से ही नहीं, बल्कि अपने ज्ञान तथा तेज से भी अपने नेतृत्व को कायम रखा। गंगा और यमुना नदी के पावन जल से सिंचनेवाली इस उर्वरा भूमि ने अकाल का शायद ही कभी सामना किया हो।

इस इतिहासप्रसिद्ध भूमि को अपनी प्रकृतिसिद्ध संपत्तिबल ही नहीं, बल्कि संख्याबल भी काफ़ी मात्रा में प्राप्त है। यह कितने ही आक्रमणों के शिकार होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से सैकड़ों वर्षों से एक रहा है। अकबर के ज़माने में सारा हिन्दुस्तान, सिवाय दक्षिण के, राजनीतिक दृष्टि से क़रीब-क़रीब एक सूत्र में गूँथा गया था। शासन के ढंग में भी एकता आ गयी थी। इसके बाद भी मुगलों ने कभी जनता के सहकार से, कभी उसके असहकार के बावजूद भी उसे कायम रखने की कोशिश की थी। अंग्रेज़ों ने भी उत्तर भारत को, जो बंगाल से लेकर राजस्थान तक, हिमालय की तराइयों से विंध्य की पर्वतश्रेणी तक फैला हुआ है, एक माना, उसकी राजनीतिक शक्तियों को पहचाना और उसके द्वारा अपनी भी ताकत को मज़बूत बनाने के लिए अपनी राजधानी को वे कलकत्ते से दिल्ली ले गये। भारत की राजधानी दिल्ली को सुविशाल तथा सुदृढ़ नगर बनाने के लिए अरबों रुपये अंग्रेज़ों ने खर्च किये; साथ ही पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लाखों युवकों को अपनी सेना में भर्ती करके उनके बल से भी अपने साम्राज्य को कायम रखने की कोशिश की। इन सभी तथा अन्य कई कारणों से उत्तरीय भारत को काफ़ी मात्रा में स्थान-बल, संख्या-बल तथा राज-बल प्राप्त होता रहा।

मुगलों के राज्यकाल में सारे उत्तरी भारत में स्थानीय भाषा-सारूप्य को आधार बना कर फ़ारसी-अरबी शब्द सम्मिश्रित एक नयी भाषा फैलाने की कोशिश हुई। शासकों ने उच्च वर्गों के लोगों को अपनी तरफ़ खींचकर और उन्हें उर्दू नाम की इस भाषा में शिक्षित बनाकर बहुत हद तक अपने कार्य में सफलता भी प्राप्त की। इसका फल यह हुआ कि काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य भारत व उत्तर के कितने ही प्रदेशों में मुसलमानों के समय में उर्दू अधिकतर अदालती और अफ़सराना भाषा बन गयी और फल यह हुआ कि इस भाषा के दबाव में उच्चतम साहित्य की जननियाँ तथा संस्कृति की वाहिनियाँ—कितनी ही स्थानीय भाषाएँ, जैसे मैथिली, भोजपुरी, अवधी, व्रज, पंजाबी, राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी आदि सिर्फ़ जनपदीय बोलियाँ रह गयीं, और राजनीतिक तथा साहित्यिक प्रयोजनों के लिए ऊपर उठ नहीं पायीं। बीसवीं सदी की नवीन राष्ट्रीयता के प्रवाह ने जहाँ उत्तर भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनता को तैयार किया, वहाँ साथ-ही-साथ प्राचीन संस्कृति की प्रेरणा ने फ़ारसी-अरबी के शब्द-मिश्रित साहित्य को उठाकर फेंक देने के लिए प्रोत्साहित किया। परिणाम यह हुआ कि आज उसी खड़ी बोली पर, जिसपर उर्दू बनी थी, स्थित एक नये निर्माण को, जो सहित्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है, हिन्दी के नाम से राष्ट्रभाषा मानकर हम पिछले पैंतीस वर्षों से उसका प्रचार कर रहे हैं।

इसी खड़ी बोली तथा उसकी सहेलियों को नागरी में लिपिबद्ध देखने के उद्देश्य तथा उत्साह से ही कुछ प्रख्यात भाषा-प्रेमियों ने आज से साठ वर्ष पहले नागरीप्रचारिणी सभा कायम की थी। इसी सभा ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन को सन् 1910 में जन्म दिया। सम्मेलन का कार्य पहलेपहल उत्तर भारत तक ही सीमित था। हमारे दूरदर्शी राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने हिन्दी प्रचार आंदोलन की उत्तरीय प्रादेशिक सीमाओं को काट दिया। उसे प्रादेशिक आंदोलन होने से बचाकर राष्ट्रीय रूप दे दिया, उसके द्वारा एकता तथा राष्ट्रीयता के प्रवाह को देश के दक्षिण, पश्चिम तथा पूर्व भागों में बहाने के लिए नदी-नाले बनवाये। तब से लेकर अब तक राष्ट्रपिता

की अनन्य तपस्या तथा त्याग-महिमा के कारण लाखों नर-नारी सभी प्रांतों में हिन्दी के प्रेमी हो गये—इस विश्वास के साथ कि हिन्दी भारत की एकता तथा राष्ट्रीयता को दृढ़ बनाने के लिए मज़बूत कड़ी बनेगी, और देश को सार्वदेशिक जन-संस्कृति तथा साहित्य के समन्वय के लिए एक मज़बूत साधन मिलेगा। देश के सभी राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया, और एकनिष्ठा से काम किया। अहिन्दी प्रांतों में कर्मठ कार्यकर्ताओं की निष्ठा तथा तपस्या का यह फल निकला कि आज 'हिन्दी' नामक शब्द में एक महान शक्ति तथा प्रभाव अवतरित हुआ है। इस देश के लाखों नर-नारियों का आज भी यह विश्वास है कि इस शक्ति और प्रभाव का उपयोग देश के समस्त निवासियों को न्यायोचित तथा समान रूप से प्राप्त होगा।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के विभिन्न प्रांतों में जो नये आंदोलन चल पड़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली तो क्षेत्रीय भाषा आंदोलन रहा है। देश को शासन की सुविधा के लिए भाषावार राज्यों में विभाजित करने की नीति कांग्रेस ने पहले ही मंजूर की थी। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए देश को शक्ति-शाली बनाने के हेतु अपनी भाषा के प्रति प्रेम पैदा करना, और उसके द्वारा जनता का विदेशी सरकार के ख़िलाफ़ मोर्चा बनाना आवश्यक था। इसी ज़माने में भारत की विभिन्न भाषाएँ संपन्न हुईं, और उनका साहित्य भी काफ़ी बढ़ गया। क्षेत्रीय भाषा प्रेम के अंकुर भी ऐसे पैदा हुए कि धर्म की अस्मिता की तरह भाषा की भी अस्मिता प्रबल हो गयी। अड़ोस-पड़ोस में रहनेवालों की भाषा की पूछताछ होने लगी। स्वराज्य प्राप्त करने के बाद इस आंदोलन ने नया ज़ोर पकड़ा, और देशी राज्यों के पुनस्संगठन के कारण धीरे-धीरे भाषा की इकाइयाँ हो गयीं। अब तो मध्य प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद को छोड़-कर प्रायः बाकी सभी राज्य एकभाषा-भाषी माने जाने लगे हैं। बहुभाषा-भाषी राज्यों के साथ-साथ अन्य राज्यों की समस्याओं के संबंध में विस्तृत रूप से विचार कर एक रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र-सरकार की तरफ़ से राज्य पुनस्संगठन आयोग भी नियुक्त होकर काम कर रहा है। इस समय की जैसी स्थिति है, उसे ध्यान में रखते हुए यह अवश्य मानना पड़ेगा कि हमारे देश के अधिकांश प्रादेशिक राज्य आगे अपनी-अपनी भाषाओं के नामों से ही जाने जाएँगे।

यह भी निश्चित है कि भाषावार राज्यों की योजना में हिन्दुस्तान की 12 प्रादेशिक भाषाएँ अपने-अपने राज्यों में अच्छी उन्नति भी पाएँगी। हमारी प्रादेशिक भाषाओं की विशेषता यह है कि वे देश की चारों ओर फैली हुई हैं। उनमें चार भाषाएँ—अर्थात् गुजराती, मराठी, कन्नड़ और मलयालम—पश्चिमी समुद्र से परिवेष्टित और उसके पहरेदार हैं। चार और भाषाएँ—अर्थात् तमिल, तेलुगु, उड़िया, और बंगला—पूर्व समुद्र से परिवेष्टित होकर भारत का पहरा दे रही हैं। तीन भाषाएँ—अर्थात् असामी, पंजाबी और कश्मीरी—देश का उत्तरी पहरेदार हिमालय की तराइयों में स्थित हैं। इन सभी भाषाओं के बीच हिन्दी बसी हुई है। यही कारण है कि आज विधान के अनुसार अष्टम सूची में वह एक क्षेत्रीय भाषा के तौर पर भी दर्ज की गयी है। चूँकि हिन्दी को माननेवालों की संख्या तथा उनके निवास-क्षेत्र की स्थिति और उसका सारे देश पर प्रभाव के कारण देश के नेताओं की सम्मति हिन्दी के अनुकूल हो गयी, इसलिए देश ने उसे सार्वदेशिक भाषा के रूप में ही नहीं माना, बल्कि संघ-सरकार की भाषा के तौर पर भी स्वीकार किया; और संविधान के निर्माताओं ने हिन्दी को अन्य प्रादेशिक भाषाओं की मदद से सार्वदेशिक स्थान तथा रूप प्राप्त करने के लिए 15 वर्ष की अवधि दे दी। उद्देश्य यह था कि इन 15 वर्षों में हिन्दी पहले अपने निजी राज्यों में शक्तिशाली बनेगी और अंग्रेज़ी का स्थान प्राप्त करेगी। साथ-ही-साथ दूसरी भाषाएँ भी अंग्रेज़ी को हटाकर अपने-अपने राज्य में अंग्रेज़ी का स्थान प्राप्त कर लेंगी। उसके बाद सहज रूप से राजनीतिक, संसदीय तथा

प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए वह केन्द्र में और अन्तर्राज्यीय कार्यकलाप में व्यवहार का माध्यम बनेगी। लेकिन आज तक न इस दिशा में कोई योजना बनी है, न कोई कार्य हुआ है, न देश ही इसके लिए तैयार किया गया है। कुछ हद तक यही कहना पड़ेगा कि इन साढ़े चार वर्षों में विधान के द्वारा निश्चित संघ-भाषा हिन्दी के विकास तथा उपयोग के लिए कोई भी उल्लेखनीय कार्यक्रम नहीं बना।

पिछले दिनों संसद के बजट-सत्र में केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय के ख़र्च की रक़म की माँग पर जो बहस हुई, उसमें हिन्दी के विकास तथा प्रचार की धीमी चाल के विषय को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। मंत्रालय की कड़ी आलोचना भी हुई। इस आलोचना का केन्द्रबिन्दु यही था कि शिक्षा-मंत्रालय ने केन्द्रीय कार्यकलाप में हिन्दी का प्रवेश नहीं कराया। अंग्रेज़ी का स्थान ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। कुछ सदस्यों ने 'हिन्दुस्तानी' शब्द की भरपूर निंदा की, तो कुछ सदस्यों ने शिक्षा-मंत्रालय की शिकायत की कि वह अब भी उर्दू का पक्षपात कर रहा है।

संविधान के अमल में आने के बाद यह समझा गया कि भाषा के नाम तथा स्वरूप के संबंध में विवाद ख़तम हो गया है। नाम हिन्दी का स्वीकार कर लिया गया है। स्वरूप का निर्वचन धारा 351 में हो गया है। अब पुराने विवाद को उठाने से समय का अपव्यय ही नहीं होगा, बल्कि पुरानी शंकावृत्ति फिर से जाग उठेगी। यह देश के लिए न तो हितकर है, न कार्य के लिए बल पहुँचानेवाला है। यह सारा विवाद फिर से इसलिए उठ खड़ा हो रहा है कि हिन्दी के कुछ अदम्य उत्साही लोगों के दिमाग में अभी स्थिति की स्पष्टता नहीं है। आज स्पष्ट स्थिति यह है कि हिन्दी एक क्षेत्रीय भाषा है, और साथ ही सार्वदेशिक भाषा का स्थान भी उसे लेना है। आज सार्वदेशिक भाषा शासन तथा प्रशासन के लिए अंग्रेज़ी है। उसका स्थान अगर हिन्दी को लेना है, तो अंग्रेज़ी ने जो प्रादेशिक भाषाओं का स्थान लिया है, उन्हें पहलेपहल वह स्थान वापस मिल जाना चाहिए। जिस अनुपात में प्रादेशिक भाषाएँ अंग्रेज़ी को हटाती जाएँगी और अपना स्थान प्राप्त करती जाएँगी, उसी अनुपात में हिन्दी प्रादेशिक भाषा के तौर पर अपने राज्यों में अपना स्थान प्राप्त करती जाएगी।

यह कार्रवाई कुछ हद तक हिन्दी प्रान्तों में आजकल होने लगी है; क्योंकि वहाँ पर बहु-भाषा-भाषियों की समस्या नहीं है। लेकिन यह देश के दूसरे राज्यों में पूरा-पूरा नहीं हो पा रहा है; क्योंकि वहाँ पर बहुभाषा-भाषियों की समस्या अब भी ज्यों-की त्यों है। अगर हिन्दी को अंग्रेज़ी का स्थान प्राप्त करने के लिए योजना बनानी है, तो उस योजना की पहली अवस्था यही होनी चाहिए। राज्यों के सारे शासन तथा प्रशासन के कार्यों में अंग्रेज़ी का स्थान प्रादेशिक भाषाओं को, जिनमें हिन्दी भी शामिल है, प्राप्त हो।

इस योजना की दूसरी अवस्था यह होगी कि प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति के होते-होते और उनके न्यायोचित स्थान प्राप्त करते-करते सार्वदेशिक हिन्दी भी सामाजिक तथा वैधानिक कार्यों में प्रविष्ट करती जाएगी। यह कार्य जितनी तेज़ी के साथ बढ़ता जाएगा, उतनी ही तेज़ी के साथ संघ-भाषा हिन्दी का भी विकास होगा, और संघ-भाषा हिन्दी भी अंग्रेज़ी का स्थान प्राप्त करती जाएगी। लेकिन इस समय कठिनाई यह है कि हिन्दी को संघ-भाषा बनाने की इस योजना में न तो प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग के लिए कोई स्थान है, न उनकी उन्नति के संबंध में कोई विचार है। अगर ज़ोर है, तो हिन्दी को केन्द्र में आगे बढ़ाने के संबंध में ही है। तब तो यही समझा जाएगा कि इसका अधिकांश कारण राष्ट्रीय भावना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भावना तथा क्षेत्रीय बल है और स्थानीय बल से ही ऐसा कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह हिन्दी के प्रति दुर्दम्य उत्साह का एक प्रमाण मात्र समझा जा सकता है। लेकिन वास्तविक कार्य-योजना बने बिना इस उत्साह से लाभ होना तो दूर बल्कि नुकसान ही

होगा। इसलिए सभी देशीय भाषाओं को अपने-अपने स्थान पर बिठाने का प्रयत्न किये बिना अगर हमारा सारा उत्साह हिन्दी को संघ-भाषा के स्थान पर बैठाने में ही लग गया, तो संभव है कि क्षेत्रीय भाषा हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में एक बार फिर से संघर्ष पैदा हो जाय। इससे देश को बड़ा नुकसान होगा, और राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए हम अपनी केन्द्रीकृत शक्ति को भाषा के क्षेत्र में काम में लाएँगे, तो हमारी राष्ट्रीयता ही खतरे में पड़ जाएगी।

संघ-भाषा के प्रसंग में उर्दू और हिन्दी का विवाद अभी फिर से ज़ोर पकड़ रहा है। इस तरह का विवाद अनावश्यक ही नहीं, बल्कि देश के क्षेम के लिए बहुत ही बाधाजनक है। उर्दू भी देश की 14 भाषाओं में स्थान पा चुकी है, और देश की सभी भाषाओं का स्थान संविधान के द्वारा सुरक्षित किया गया है। अगर किसी प्रांत के कुछ लोग, चाहे वे मुसलमान हों या दूसरे, उर्दू का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सरकार का धर्म हो जाता है कि उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करे। जब उर्दू अलग भाषा ही मानी गयी है, और उसकी रक्षा तथा अध्ययन के लिए अलग तौर से लोग सुविधाएँ माँगते हैं, तब उर्दू के साथ हिन्दी की होड़ कैसे? हिन्दी में कुछ ऐसे शब्दों के आ जाने से, जो उर्दू भाषा में भी आ जाते हैं, वह हिन्दी निकृष्ट नहीं होती। आज भी हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में हज़ारों ऐसे शब्द मौजूद हैं, जो अरबी-फ़ारसी के कहे जा सकते हैं। लेकिन इस देश के इतिहास के दौरान ने उन्हें इन भाषाओं में स्थायी स्थान प्रदान कर दिया है। वे इन प्रादेशिक भाषाओं के शब्द हो गये हैं। उनको पहचानना और वर्गीकरण करना अब तो भाषा-शास्त्र का ही विषय हो गया है। कोई भी प्रादेशिक भाषा इन उर्दू शब्दों को चुनकर फेंक देने का आंदोलन नहीं कर रही है। तब सिर्फ़ हिन्दी में ही यह आंदोलन क्यों हो? जब देश में सांप्रदायिक कारणों से उर्दू को बहुत बड़ा बल प्राप्त था, तब इस तरह के आन्दोलन के लिए कुछ स्थान था। आज तो वह भी नहीं है। न आज उर्दू हमारे किसी प्रदेश के शासन या साहित्य की भाषा है, न संस्कृति की ही भाषा। अगर है भी, तो नित्य प्रतिदिन बदलनेवाली परिस्थितियों ने हिन्दी को प्रविष्ट कराना शुरू कर दिया है। ऐसी हालत में यह हिन्दी-उर्दू विवाद अनावश्यक ही नहीं, बल्कि हानिकारक भी है।

जब तक कि संघ-भाषा हिन्दी परिस्थितियों तथा अनुकूल समय के बल से और देशवासियों की स्वेच्छा तथा सहज प्रेरणा से सार्वदेशिक भाषा नहीं बनेगी, और तत्परिणाम से ही संघ-भाषा के रूप में विकसित नहीं होगी, तब तक किसी भी प्रादेशिक या केन्द्रीय सरकार के बल से उसे लोगों के ऊपर लादना उसकी गति को रोकना ही होगा। कम-से-कम यह कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा व केन्द्रीय सरकार के शासन तथा प्रशासन के क्षेत्रों में एकदम नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जितनी अत्यधिक अनुकूलताएँ, आकर्षण तथा वास्तविक वातावरण पैदा किया जा सकता हो, किया जाना चाहिये। ऐसी व्यापक योजनाएँ बन जानी चाहिए, जिससे देश में अपनी-अपनी भाषा के प्रति प्रेम रखनेवाले भावुक लोगों के हृदय की शंकाएँ दूर हों। परिस्थितियों के प्रभाव के कारण हिन्दी से अपरिचित होकर सेवा में लगे हुये सरकारी मुलाज़िमों को काफ़ी सुविधाएँ देकर जब तक हिन्दी सिखायी न जायगी, और हिन्दी के स्वरूप तथा साहित्य के संबंध में उदारतापूर्ण मनोवृत्ति न दिखायी जाएगी, तब तक हिन्दी के प्रचार की गति में तेज़ी लाने में कठिनाई पैदा हो जाएगी।

केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय का मुख्य कार्य देश की शिक्षा-संबंधी योजनाओं में मार्ग-दर्शन कराना रहा है। हमारे विश्वविद्यालय, कालेजों तथा हाईस्कूलों की उच्च शिक्षा को देशव्यापी कार्य में विद्वानों के सहयोग से समन्वय प्राप्त करना तथा विज्ञान व इतिहास आदि कार्यों पर अनुसंधान आदि कराना रहा है। संयोगवश संघ-भाषा हिन्दी के प्रचार तथा विकास का कार्य भी शिक्षा-मंत्रालय को दिया गया है, जो वास्तव में

उनका नहीं है। संघ-भाषा के तौर पर हिन्दी की शिक्षा एक ऐसा विशेष कार्य है, जो अधिकतर अहिन्दी राज्यों से ही संबंध रखता है। हिन्दी राज्यों में हिन्दी का प्रादेशिक भाषा के तौर पर जो विकास तथा उन्नति होती है, उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार करें, जिससे हिन्दी के प्रति और हिन्दी सीखने के लिए लोगों में उत्साह पैदा हो। दूसरा काम हिन्दी को संघ-भाषा के तौर पर समुन्नत बनाने के लिये सार्वदेशिक पैमाने पर योजनाएँ बनानी हैं, जिनके द्वारा कानून की कितनी ही किताबों तथा संसद की विधियों और विधेयकों का अनुवाद कराना है। इस समय जो ज्ञान अंग्रेज़ी द्वारा शिक्षित समाज को लभ्य है, उसे देशीय भाषाओं तथा हिन्दी में लभ्य बनाने के लिये आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करना है; और साथ ही, देश में भाषा तथा साहित्य-संबंधी उन्नतिशील धाराओं को ध्यान में रखते हुए उनकी विशेषताओं तथा विशिष्टताओं को समान रूप से सारे देश में बाँटने की योजना बनानी है। यह कार्य ऐसा ऊँचा और साथ ही महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा-मंत्रालय, या किसी भी मंत्रालय का कोई एक विभाग अपने ऊपर नहीं उठा सकता। इस महत्वपूर्ण कार्य को सुसंपन्न करने के लिये या तो एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जाय, या कोई ऐसा आयोग बैठाया जाय, जो भारतीय भाषा-आयोग कहलाये। इस आयोग में ऐसे विद्वान तथा अनुभवी भाषाशास्त्रियों को नियुक्त किया जाय, और उन्हें ऐसे अधिकार दिये जायँ, ताकि इस आयोग के द्वारा यह कार्य सुसंपन्न हो। संघ-सरकार ने कितने ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिये अलग-अलग आयोग बैठाये हैं, जैसे वित्त-आयोग, कर-आयोग, राज्य-पुनर्व्यवस्थीकरण-आयोग आदि-आदि। लेकिन ये सभी आयोग कुछ खास कार्यों के लिये बने हैं। उनकी कालावधि भी बहुत कम रही है। भारतीय भाषा-आयोग का काम इतनी जल्दी नहीं होगा। उसे 1965 तक, और आवश्यकता पड़ने पर उसके बाद भी काम करना पड़ेगा, ताकि देश के भिन्न-भिन्न राज्यों से जैसे-जैसे सुविधाओं की माँग आती रहेगी, वैसे-वैसे उस माँग की पूर्ति वह करता जाय, और आवश्यक शब्द और साहित्य देने का प्रयत्न करता जाय। इस आयोग को इस बात का भी अधिकार दिया जाय कि वह यह निश्चय करे कि किस हद तक अन्तर्राष्ट्रीय शब्द उच्च शिक्षा तथा विधान के काम में लाये जाने चाहिये।

इस समय संघ-भाषा हिन्दी की उन्नति के लिये प्रदेशों में जो कार्य हो रहा है, उसके अलावा केन्द्र-सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों द्वारा भी कुछ कार्य हो रहा है। यह कार्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा समितियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा; न ऐसा कार्य देश के लिये स्वीकार्य ही होगा। इसलिये यह सारा कार्य भारतीय भाषा-आयोग को सौंप देना चाहिये। इस आयोग में भिन्न-भिन्न भाषाओं के जानकार ही न हों, वरन् भारतीय भाषा-शास्त्र के प्रकांड विद्वान भी हों, जिनकी विद्वत्ता तथा प्रभाव का असर देश के विभिन्न भाषा-भाषी मान सकें। बड़ा अच्छा हो कि ऐसा आयोग 1954 में ही बन जाय, देश के विभिन्न क्षेत्रीय भाषा-भाषियों तथा भारत के विभिन्न राज्यों में रहनेवाले अल्प-संख्यक भाषा-भाषियों को पूरा विश्वास हो जाय, और संघ-भाषा का काम तेज़ी के साथ आगे बढ़े। जब तक यह समझा जायगा कि संघ-भाषा का काम संकीर्ण और क्षेत्रीय दायरे में हो सकता है, वह देशव्यापी उत्साह के लिये पात्र न होगा। संघ-भाषा की व्यापकता तथा प्रदेशों में संघ-भाषा की मान्यता तथा विस्तृति जुगल कार्य हैं। वे एक-दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते। दोनों को एक ही साथ चलाना चाहिए, बढ़ाना चाहिये, और बढ़ने देना चाहिये। ऐसा न होकर जब क्षेत्रीय हिन्दी भाषा-भाषियों की शक्ति, प्रभाव तथा दबाव से सिर्फ़ केन्द्रीय सरकार में हिन्दी का व्यापन होने लगे, तब न हिन्दी के लिये संघ-भाषा के तौर पर जन-सम्मति मिलेगी, न उसकी गति ही निरवरोध होगी।

*

राष्ट्र की भाषाएँ और राष्ट्रीयता

देश की राष्ट्रीयता सिर्फ़ व्याख्यानों से मज़बूत नहीं होती, न वह दलीलों से ही मज़बूत की जा सकती है। वह मज़बूत होती है तब, जब कि हम विभिन्नता लानेवाली शक्तियों से बराबर लड़ते जायँ, और ऐसे कार्यों को छोड़ दें जिनके द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन के भिन्न-भिन्न दायरों में फूट पैदा होती है। जब तक हम अपनी राष्ट्रीयता के नाम से अंग्रेज़ों से लड़ते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा ध्येय था, तब तक हमें अपनी कमज़ोरियों का पता नहीं रहता था। अपनी सारी सांप्रदायिकता, प्रान्तीयता तथा अन्य कितनी ही तरह की विभिन्नताओं को अपने राष्ट्रीय पुनरुद्धारण का पाया बनाकर, अपने दुश्मन से लड़ने के लिए ताक़त प्राप्त करते थे। जिन्हें उस ज़माने में हमने अपनी ताक़त बढ़ाने के लिए पाया बनाया, वे ही आज हमारी कमज़ोरियों की बुनियाद साबित हो रही हैं। भारत की समन्वयकारी शक्तियों को हज़म न कर सकने के कारण हमने हिन्दुस्तान के दो टुकड़े बनाये, और आवश्यकता पड़ने पर अब इस बात के लिये तैयार भी होने लगे हैं कि अपने शरीर के उस दूसरे टुकड़े से किसी भी समय भिड़ जायँ। महज़ राजनीतिक दृष्टि ख्याल में रखने के कारण हम भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान भी भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा रहा था; सिर्फ़ दृष्टिभेद तथा मतभेद के कारण ही उसने अपने-आपको अलग बना लिया था। वह भूखंड हिन्दुस्तान का तब तक साथ नहीं दे सकता, जब तक हम अपनी सारी राष्ट्रीय दृष्टि, कार्यक्रम और संकल्प में दूरदर्शिता और उदारता न ले आवें, और विशाल और उदारतापूर्ण राष्ट्रीयता को न अपनाएँ। जिन परिस्थितियों में हिन्दुस्तान के दो टुकड़े हुए, उनपर इस समय विचार करना तथा समझ लेना अनावश्यक है। अंग्रेज़ों की कूटनीति के साथ-साथ भारत की राष्ट्रीयता में उस समय कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ मौजूद थीं, जिनके कारण हम ऐसे लाचार हो गये कि अपने देश का एक तिहाई हिस्सा अपनेसे अलग होते देखते रह गये। उन कमज़ोरियों में, जिन्हें याद करना अनावश्यक और दूर करना आवश्यक है, उनमें एक तो है धार्मिक सांप्रदायिकता और दूसरी है भाषा-संबंधी नीति। हिन्दी-उर्दू के विवाद ने भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा तथा भीषण रूप ग्रहण किया, जैसा कि हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक विवाद ने। महात्मा गांधीजी ने अपनी दूरदर्शिता से हिन्दुस्तानी आंदोलन चलाकर दोनों के बीच में समझौता करने के लिये एक हल ढूँढ निकाला था। हमने अपनी अदूरदर्शिता से उसे ठुकरा दिया। उनका हल अगर हम मान लेते, तो शायद ही पाकिस्तान बनता, और हिन्दुस्तान संसार के राष्ट्रों में बहुत ही बड़ा मज़बूत तथा शक्तिशाली भी साबित होता।

भारत की संविधान-सभा में जिन समस्याओं को लेकर कटुतापूर्ण बहस हुई और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुईं, जिनके द्वारा बड़ी-बड़ी आशंकाएँ पैदा हुईं, उनमें बहुत बड़ा महत्व भाषा-संबंधी चर्चाओं को दिया जा सकता है। संविधान-सभा के सदस्यों में सबसे अधिक सदस्य कांग्रेसी थे। कांग्रेस दल की बैठकों में भाषा-समस्या को लेकर बहुत बड़ी चर्चाएँ हुई थीं।

राजभाषा का नाम हिन्दी हो या हिन्दुस्तानी, अंग्रेज़ी की कालावधि भारत में कितने वर्ष तक हो, हिन्दी में अन्तर-राष्ट्रीय अंक इस्तेमाल हों या नागरी, शासन व न्यायालय के क्षेत्रों में हिन्दी का कब से प्रवेश हो, हिन्दी का

* फ़रवरी, 1954, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख।

स्वरूप किस तरह से निश्चित किया जाय, हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में सामंजस्य कैसे बिठाया जाय, हिन्दी और हिन्दीवालों की राजनीतिक सत्ता घटाकर सभी भाषाओं को समान अधिकार किस तरह दिये जायँ— इन सब बातों के ऊपर हफ़्तों चर्चा चली। कितनी ही बार मत लिये गये, और मत भी ऐसे मिले, जिससे यह नहीं कहा जा सकता था कि कोई निर्णय बहुमत से हो सका। वर्तमान राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद और केन्द्र-सरकार के भूतपूर्व मंत्री तथा उच्चकोटि के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी अय्यंगार को ही यह श्रेय दिया जाना चाहिये कि उन्होंने भिन्न-भिन्न भाषावादियों के तुमुल युद्ध को हमेशा के लिए बन्द करने के उद्देश्य से एक हल पेश किया, जिसे संविधान-सभा ने स्वीकार किया था। उसी हल के भिन्न-भिन्न रूप आज भारत के संविधान के सत्रहवें अध्याय में पाये जा सकते हैं।

इस भाषा-समस्या की कुँजी के रूप में संविधान में धारा 351 बनायी गयी, और उसके अनुसार भारत सरकार का कर्तव्य बनाया गया कि वह हिन्दुस्तान की भाषा-समस्या को हल करने के हेतु कार्यक्रम बनावे और उसे कार्यान्वित करे। इस धारा का पाठ नीचे लिखे अनुसार है:—"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए तथा जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिये मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।"

भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी के बारे में यह निर्णय सबसे उत्तम कहा जा सकता है; पर इस उत्तम निर्णय से भी कुछ लोगों को असंतोष हुआ। संविधान के अमल में आने पर भी कभी अंकों को लेकर, कभी कालावधि को लेकर और कभी भाषा के स्वरूप को लेकर असंतोष प्रकट होता रहता है। यद्यपि यह असंतोष इस वक्त ढीला-सा हो गया है, फिर भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

इस निर्णय के खिलाफ़ असंतोष प्रकट करनेवाले व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए भारत के लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अखिल भारतीय हिन्दी परिषद की स्थापना के समय सन् 1949 में अपने विचार यों प्रकट किये:— "संविधान-सभा ने राष्ट्रभाषा के विषय में निर्णय कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ व्यक्तियों को इस फ़ैसले से दुख हुआ; कुछ संस्थाओं ने भी इसका विरोध किया है। परन्तु जिस प्रकार और बातों में मतभेद हो सकता है, उसी प्रकार इस विषय में यदि कुछ मतभेद है और वह बना रहे, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

संविधान में कई ऐसी बातें हैं, जिनसे सबको संतोष होना असंभव है। परन्तु एक बार यदि कोई चीज़ संविधान में शामिल हो जाय, तो उसे स्वीकार कर लेना सबका कर्तव्य है; कम-से-कम तब तक जब तक कि ऐसी स्थिति पैदा न हो जाय, जिसमें सर्वसम्मति से या बहुमत से फिर कोई दूसरी तबदीली न हो जाय।

हमें यह मानना पड़ेगा कि जब हिन्दी के भक्त उसको राष्ट्रभाषा की पदवी दिलाना चाहते थे, उस समय उनके असमर्थ रहने का कारण केवल यही था कि हिन्दी का प्रचार उस उच्च दृष्टि, उदारता और उत्साह से नहीं हुआ, जैसा कि होना चाहिये था। अब, जब कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा की पदवी मिल गयी है, (यद्यपि कुछ वर्षों के लिए विदेशी भाषा के साथ-साथ उसको यह गौरव प्राप्त हुआ है) हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रभाषा की उन्नति बढ़ाये, और उसकी सेवा करे, जिससे सारे भारत में वह बिना किसी संकोच या संदेह के स्वीकृत हो सके। हिन्दी का पट महासागर

की तरह विस्तृत होना चाहिए, जिसमें और भाषाएँ मिलकर अपना बहुमूल्य भाग दे सकें। राष्ट्रभाषा न तो किसी प्रान्त की है, न किसी जाति की ही; बल्कि वह सारे भारत की भाषा है, और उसके लिये यह आवश्यक है कि सारे भारत के लोग उसको समझ सकें, और अपनाने का गौरव हासिल कर सकें।

यह कहना अनावश्यक है कि महात्मा गाँधीजी की, भारत को समग्र तथा संपूर्ण राष्ट्र देखने की सदिच्छा और भारत को एक तथा अविभाज्य और शक्तिशाली बनाने का सरदार वल्लभभाई पटेल का वज्र संकल्प सिद्ध करने के लिए वर्तमान पीढ़ी को अवश्य कोशिश करनी चाहिए।

हिन्दी-उर्दू के झगड़े के बाद इस समय भारत की प्रान्तीय भाषाओं तथा हिन्दी का संघर्ष ज़ोर पकड़ता जा रहा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा बंगाल के साथ हिन्दी प्रान्तों को जैसी पड़ोसी भावना बनायी रखनी चाहिए, और जिस सौहार्द के साथ अपने राज्यों की सरहदों के मसलों को हल कर लेना चाहिए, वे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये संभव है कि हिन्दी भाषा के साथ इस समय जो राजनीतिक सत्ता लगी हुई है, जिसके द्वारा आज हिन्दी भाषाभाषी प्रान्त शक्तिशाली समझे जाते हैं, उससे हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने या उसके कार्य को आगे बढ़ने में काफ़ी विलम्ब और बहुत बड़ी अड़चन पैदा हो। अब, जब कि हिन्दी राष्ट्रभाषा मान ली गयी है, भाषा के नाम से अपने प्रांगणों को ज़्यादा फैलाने का काम कम-से-कम हिन्दी प्रान्तवासियों को नहीं करना चाहिए। हिन्दुस्तान की एकता तथा संपूर्ण राष्ट्रीयता का तकाज़ा है कि हिन्दी प्रान्तवासी दूसरी प्रान्तीय भाषाओं तथा राज्यों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करें।

संविधान को अमल में आये पूरे चार साल हो गये। एक वर्ष के बाद धारा 344 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के द्वारा एक आयोग बैठाया जायगा, जो सारे हिन्दुस्तान में घूमकर राष्ट्रभाषा की तरक्की की जाँच करेगा, और अंग्रेज़ी का स्थान राष्ट्रभाषा कहाँ तक ले सकती है, और उसके लिये किस हद तक अनुकूल वातावरण तथा परिस्थितियाँ हैं, इसपर अपनी रिपोर्ट देगा। इस आयोग के लिए अभी से आवश्यक तथा अनुकूल वातावरण पैदा करना ज़रूरी है।

हाल ही में भारत सरकार ने उड़ीसा के राज्यपाल श्री फ़ज़लअली की अध्यक्षता में एक आयोग बैठाया है। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान के राज्यों के पुनर्वर्गीकरण पर विचार करना है। इस पुनर्वर्गीकरण का तकाज़ा अधिकतर भाषा-राष्ट्रवादियों की तरफ़ से ही होता है। मद्रास, बंबई, हैदराबाद आदि राज्यों को, जो वर्तमान समय में बहुभाषा-भाषी हैं, तोड़कर प्रादेशिक भाषाओं के अनुसार उन्हें फिर से निर्मित करने का आंदोलन इस समय ज़ोरों पर है। फ़ज़लअली-आयोग को इस आंदोलन पर अवश्य ध्यान देना पड़ेगा। साथ-ही-साथ, उस आयोग को इस आंदोलन पर भी ध्यान देने को मजबूर किया जायगा कि राज्यों की द्विभाषी सरहदों को वहाँ के नेताओं तथा जनता की माँग के अनुसार फिर से निश्चित करे। जब इस माँग को ज़ोरदार बनाने की कोशिश की जायगी, तब संभव है कि भाषा-दुर्मोह का बहुत बड़ा ज़हर फैलाया जायगा। इससे स्वाभाविक है कि देश का वातावरण भाषा तथा संस्कृति के क्षेत्र में भी कहीं क्षुब्ध और कलुषित न हो। राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रभाषा-वादियों का कर्तव्य है कि वे ऐसे भाषा-दुर्मोह के असरों से देश को बचायें और उसे तथाकथित राजनीतिज्ञों तक ही सीमित रखें।

राष्ट्रभाषा के स्वरूप के निर्माण में संविधान की धारा 351 के अनुसार जो कार्य भारतीय सरकार को करना है, उसमें सबसे बड़ा महत्व प्रांतीय भाषाओं के, राष्ट्रभाषा पर क़लम लगाने के कार्य को दिया जा सकता है। वैसे तो साधारणतः प्रादेशिक भाषाओं को बढ़ाने का कार्य राज्यों के सुपुर्द समझा जाता है। यह भी माना जाता है कि राष्ट्रभाषा के विकास का कार्य केन्द्र-सरकार के सुपुर्द है। इसमें जो तथ्य है,

वह इसी अंश तक सीमित है, जहाँ तक प्रादेशिक भाषाओं के उपयोग का सवाल है। लेकिन उनके सम्यक विकास का तथा विकसित भाषाओं से राष्ट्रभाषा को मदद पहुँचाने का कार्य केंद्रीय सरकार ही कर सकती है, और उसे करना भी चाहिये। इसके लिए यह आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति के लिए एक मंत्रालय क़ायम करे और एक अलग मंत्री को भी नियुक्त करे तथा उसके द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में भी समन्वय लाने का प्रयत्न करे। यह काम जितनी जल्दी हो जाय, देश के लिए उतना ही अच्छा है।

हिन्दुस्तान का इतिहास ऐसे कितने ही उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कई प्रख्यात साम्राज्यपति भी अपने राज्य के अंतर्गत सभी भाषाओं को समान दृष्टि से देखा करते थे और उन्हें अपनी सारी शक्ति लगाकर बढ़ाते थे। उदाहरणार्थ, दक्षिण के एक शक्तिशाली साम्राज्य विजयनगर को ही लिया जाय। इस साम्राज्य की कालावधि में उसके राज्यक्षेत्र की तीनों भाषाएँ अर्थात् तेलुगु, कन्नड़ तथा तमिल समान रूप से पनपीं और प्रौढ़ हो गयीं तथा साहित्य की दृष्टि से भी बहुत ही पुष्ट हुईं। इस साम्राज्य के सबसे बड़े भाषापोषक कृष्ण-देवराय के विषय में यह कहना मुश्किल है कि उन्होंने किस भाषा की सेवा अधिक की और किसकी कम। उन्होंने किसी भाषा के साथ पक्षपात नहीं किया; बल्कि तीनों भाषाओं और उसके साथ संस्कृत के भी प्रकांड पंडित और कवि बनकर, उन्होंने अपने राज्यक्षेत्र के शिक्षित समाज के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। भाषा-प्रेम के सिलसिले में उनकी सहिष्णुता तथा समभाव नेताओं के लिए अनुकरणीय है—खासकर हिन्दी भाषा-भाषी नेताओं के लिये।

एक भाषा के प्रचार के बहाने एकता पैदा करने तथा राष्ट्रीयता कायम करने की मुग़ल तथा अंग्रेज़ साम्राज्यवादियों ने पिछली सदियों में कम कोशिश नहीं की थी। लेकिन वह कोशिश देश की आबहवा की आत्मा नहीं थी; इसलिए वह नाकामयाब रही। न तो मुगलों की फ़ारसी पनपी, न अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी ही फैली। वैसे ही धर्माचार्यों की संस्कृत भी जड़ पकड़ न सकी।

इतिहास के पन्ने उलटने से इस तरह के उदाहरण दूसरे मुल्कों में भी कम नहीं मिलेंगे। प्रादेशिक भाषा की रचना में भी जनता में समन्वय के सबूत में अनगिनत उदाहरण मिलेंगे। याद रखना चाहिए कि भाषाएँ जनता की हैं, और जनता के लिए हैं। जनता के सीमित एवं असीमित अपनाने की शक्ति से ही वे बनती-बिगड़ती हैं। भाषाओं के लिए जनता नहीं बदली जा सकेगी। संख्या, शक्ति, प्रचार तथा राजसत्ता का बल पाकर भाषाओं के स्वरूप में थोड़ा-बहुत परिवर्तन अवश्य हो सकता है; मगर जनता को साथ लेकर ही—उसे छोड़कर नहीं। अगर कोई भी भाषा किसी दूसरे प्रांत पर ज़बर्दस्ती मढ़ दी जाय, तो वह उसे उठाकर फेंक ही नहीं देगा, बल्कि उसका ऐसा विरोध करेगा जिससे दूसरे अच्छे-अच्छे कार्य भी आगे बढ़ने से रुक जायँगे।

भाषा के कितने ही उपयोग हैं। भाषा के माध्यम से ज्ञान का उपार्जन करने, रस-पिपासा को तृप्त करने तथा समाज में कलाप्रियता बढ़ाने का काम एक है, जो साहित्य के भिन्न-भिन्न अंग तथा उपांगों के द्वारा होता है। उसका दूसरा काम यह है कि जन-समाज को राजनैतिक, अर्थनैतिक तथा सामाजिक कामों के लिये शिक्षित बनाकर, उन्हें चैतन्यपूर्ण नागरिक बनाये। एक तीसरा कार्य यह है कि देश को सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा सुशासित बनाने के लिए एक स्वयंपूर्ण तथा शक्तिशाली माध्यम बनाये। यह ज़रूरी नहीं है कि ये सारे कार्य, अर्थात् ये तीनों प्रकार के कार्य एक ही भाषा के ज़रिये हों। इसके लिये स्थिति तथा स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न भाषाओं का उपयोग होना चाहिए। स्थिति तथा स्थान के अनुसार ही भिन्न-भिन्न राज्यों में राष्ट्रभाषा का स्थान निश्चित

होगा। इसलिये भाषा के प्रश्न को लेकर देश में विभिन्नताएँ पैदा करना देशप्रेम का सबूत नहीं कहा जा सकता।

वर्तमान समय में सबसे बड़ी आवश्यकता, देश के लिये समग्र तथा संपूर्ण राष्ट्रीयता है। राष्ट्र-भावना को जगाने तथा राष्ट्रीयता की जड़ को मज़बूत करने के लिये सभी तरह के उपकरणों से काम लेना चाहिये। सामान्यतया भाषा से राष्ट्रीयता बढ़ सकती है, राष्ट्रीयता मज़बूत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसमें बहुत संदेह है कि एक भाषा से ही राष्ट्रीयता पैदा हो सकती है; अगर ऐसी बात होती, तो एक ही भाषा के बोलनेवाले हिन्दू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ते; एकभाषा-भाषियों के बीच में ही इतने अनगिनत मतभेद तथा संघर्ष देखने को नहीं मिलते, जैसा कि इस समय हो रहा है। इसलिये पहले राष्ट्र-भावना पैदा हो और देश-भर में राष्ट्रीयता पनपे। उसे बढ़ाने के लिये ही राष्ट्रभाषा को संपूर्ण बनाकर उसका माध्यम बनाया जाय।

राज्यों के पुनर्वर्गीकरण में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात प्रदेश की आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि है, जिससे भारत का प्रत्येक राज्य बखूबी स्वयंपोषक तथा स्वयंशासित हो सके और दूसरे राज्यों के साथ हर दृष्टि से उसमें संतुलन पैदा हो सके। संख्या-जनित सत्ता को काम में लाकर, राष्ट्रीयता के बहाने राष्ट्रभाषा के प्रचार को आगे बढ़ाने से देश की एकता नहीं बढ़ेगी, बल्कि बिगडेगी। इसलिये जब हम राष्ट्रभाषा की कल्पना करते हैं, तब उसके स्वरूप के दर्शन में देश की चौदहों भाषाओं से आभूषित और सभी प्रादेशिक भाषाओं से गठित और सारे राष्ट्र की प्रतिनिधित्वपूर्ण विशेषताओं से आच्छादित मूर्ति का आभास हमें मिलना चाहिए। यही हमारा ध्येय हो और इसी ध्येय को सामने रखकर राष्ट्र-भाषा के नाम से हिन्दी का कार्य करनेवाले प्रत्येक कार्यकर्ता काम करे, तभी हम महात्मा गान्धी जी के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं।

तथाकथित हिन्दी प्रदेशों से भी स्थानीय भाषाओं के महत्व की माँग की आवाज़ आने लगी है। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, व्रजभाषा, राजस्थानी आदि बोलियाँ हिंदी के स्वरूप को पूर्ण करनेवाली समझी जाती हैं। इन बोलियों में काफ़ी पुराना तथा प्रौढ़ साहित्य है। यह कहना मुश्किल है कि अशिक्षित जन-समाज हिन्दी की सभी बोलियों को आसानी से समझता है या बोलने के काम में ला सकता है। इन बोलियों में काफ़ी भिन्नता होने के साथ उनका साहित्य संपन्न होते हुए भी, उनके नाम पर राज्य स्थापित नहीं किये जा सकते, क्योंकि उनका दायरा छोटा है और इन बोलियों के प्रदेशों के राजनीतिक नेता उन्हें प्रधानता नहीं देना चाहते और उनको हिंदी के अंग मानकर, हिंदी के द्वारा ही अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन यह आसान नहीं कि ये बोलियाँ मिट जाएँ और यह भी आसान नहीं कि इन बोलियों की उपेक्षा की जाय। वे अवश्य आगे भी सदियों तक बोलचाल के काम में आयेंगी। जैसे-जैसे देश में शिक्षा और साक्षरता बढ़ती जायगी, वैसे-वैसे उनकी उपयोगिता की परिधि भी छोटी होती जायगी। उनका साहित्य पुरातत्व के विद्यार्थियों का विषय हो जायगा। इन बोलियों के साहित्य तथा नित्य प्रति बदलने-वाले हिन्दी के साहित्य में मेल जोड़ना, उन्हें बनाये रखना और उसे बढ़ाते जाना हिन्दी प्रांतवासी शिक्षित समाज के लिए एक बहुत बड़ी कठिन समस्या होगी; फिर भी प्रांतीय बोलियों, प्रादेशिक भाषाओं तथा प्राचीन भाषाओं के संपर्क तथा सान्निध्य को बनाये रखते हुए हिन्दी के राष्ट्रभाषा के स्वरूप को निर्मित करना होगा। इस निर्माण में जो वर्ग जल्द-बाज़ी व हठ करेगा या ज़ोर ज़बर्दस्ती दिखाएगा वह देश का अहित करेगा। मुमकिन है कि अंत में जाकर राष्ट्रीयता के समग्र स्वरूप के हित में प्रादेशिक भाषाएँ ही हिन्दी के संपूर्ण स्वरूप को प्रभावित करें तथा निर्धारित करें। उस हालत में हिन्दी प्रांतवासी यदि अपनी प्रांतीय

भाषा के मोह से उसके निर्माण में अपनी प्रादेशिक संकीर्णता के कारण अड़ जायँ, तो उन्हें मज़बूर होकर, प्रादेशिक हिन्दी तथा राष्ट्रभाषा हिन्दी के बीच में रेखा खींचनी पड़ेगी।

आज हिंदी का जो साहित्य है वह सिर्फ़ कुछ प्रदेशों की संस्कृति का ही वाहक है। उसमें प्राप्त होनेवाला सामाजिक या ऐतिहासिक साहित्य केवल एक-तरफ़ा है। इससे दूसरे प्रदेश के निवासी उस साहित्य से परिचित होकर अपनेपन का अनुभव नहीं करते। इस त्रुटि को दूर करने के लिए देश के विभिन्न प्रदेश के लोगों की भी रस-पिपासा तृप्त करनेवाली घटनाओं, कल्पनाओं, प्राकृतिक दृश्यों तथा परंपराओं से पूरित साहित्य का भी सम्मिलन हिंदी साहित्य में होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ गंगा का वर्णन पढ़कर उत्तर तथा दक्षिण की सांस्कृतिक भावनाएँ उमड़ पड़ती हैं, वैसे ही गोदावरी तथा कावेरी के वर्णन से भी रससिक्त भावनाएँ वहाँ उमड़ पड़नी चाहिए। इससे हमारी राष्ट्रीय भावना ही पूर्ण न होगी, बल्कि राष्ट्रभाषा की कल्पना भी। तभी हिंदी "भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सकेगी।"

धारा 351 में एक महत्वपूर्ण वाक्य और है। वह यह है—"हिन्दी की आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्तानी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए बढ़ेगी।" इस हिन्दुस्तानी शब्द के संबन्ध में अब तक न हिन्दीवालों ने कुछ सोचा, न गैर-हिन्दीवालों ने। हिन्दुस्तानी नाम की किसी भाषा का भी उल्लेख संविधान की 8-वीं सूची में नहीं है, जिसमें भारत की प्रमुख 14 भाषाओं का उल्लेख है। तब यह सोचना पड़ेगा कि यह हिन्दुस्तानी क्यों और इससे क्या मतलब है? इस हिन्दुस्तानी से वही मतलब है, जिसे महात्मा गाँधी अपने भाषा-सामंजस्य-सिद्धांत के द्वारा साधना चाहते थे। इस हिन्दुस्तानी में वह सारा कार्यक्रम निहित है कि जिसे महात्मा गाँधी ने पाकिस्तान बनने के पहले देश के सामने पेश किया था।

हिन्दुस्तानी के खिलाफ़ जो दलीलें पेश की जाती थीं, उनमें सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त दलील यह थी कि हिन्दुस्तानी नाम की कोई भाषा नहीं है। जब वह बनेगी, तब उसमें विदेशी भाषा फ़ारसी और अरबी का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। भारत की प्राचीन भाषाओं और प्रांतीय भाषाओं की मदद हिन्दुस्तानी प्राप्त नहीं कर सकेगी। इस दलील में जो बल है उसकी अपेक्षा हिन्दुस्तानी शब्द को अस्वीकार करनेवालों के दल की संख्या में ही ज़्यादा बल था, इसलिए हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा या राजभाषा के तौर पर स्वीकृत नहीं हो सकी। अगर इस दलील में कोई तथ्य हो, तो उस तथ्य को दूर करने, भारत की सामासिक संस्कृति की आत्मा को बनाये रखने के वास्ते धारा 351 में यह साफ़ कहा गया है कि हिन्दी की आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना, हिन्दुस्तानी और अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात् करते हुए बढ़ेगी। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यही हो सकता है कि प्रत्येक भारतीय भाषा अपनी-अपनी आत्मा को सुरक्षित रखते हुए अपने रूप, शैली और पदावली का अनुदान हिन्दी को दे सकेगी। यह अनुदान हिन्दुस्तानी नाम से जो भाषा वर्षों से प्रचलित तथा लोकप्रिय रही है, उससे भी भरपूर प्राप्त करना हिन्दी का कर्तव्य होगा। हमारी भाषाओं के इतिहास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या इस तरह भाषाओं द्वारा अपनी आत्मीयता सुरक्षित रखते हुए एक-दूसरे को आत्मसात् करने का प्रकरण है। यह भारत की प्राचीन परिपाटी और परंपरा के अनुसार है। यही हमारे सामाजिक, धार्मिक तथा दार्शनिक संस्कृति के इतिहास का निचोड है, हमारे जीवन के विधान का कार्यक्रम है। यही मानवकल्याण का सुखद तथा सुरक्षित मार्ग है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की देन है।

* * *

राजभाषा-आयोग के अध्यक्ष और सदस्य

राष्ट्रपति-द्वारा नियुक्त राजभाषा-आयोग में अध्यक्ष श्री बालगंगाधर खेर के अलावा कुल बीस सदस्य थे, जिनमें भारत की प्रत्येक प्रमुख भाषा का कम-से-कम एक प्रतिनिधि भी शामिल था। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायण भी उस आयोग के एक सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जब मद्रास आये थे, तब वे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा में भी पधारे थे, जहाँ प्रधान मंत्री श्री मो. सत्यनारायण ने सभा की तरफ़ से उन सबका सोत्साह स्वागत किया।

'वुडलैंड्स होटल' में मद्रास के विविध दलों और क्षेत्रों के नेताओं ने राजभाषा-आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का स्वागत-सत्कार किया।

हिन्दी का चतुर्मुखी रूप

भाषा-समस्या को लेकर जो दंगल हो गया था, उसपर कई समझौते हुए। वे समझौते भिन्न-भिन्न पहलुओं और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय हित-साधन को लेकर हुए और साथ ही भारत के अंतिम लक्ष्य, यानी अनेकता से एकता पैदा करने और एकता से अनेकता को साधने की नीति से भी हुए। जिस हिन्दी प्रचार को 1918-20 में स्वराज्य-प्राप्ति के साधन के रूप में शुरू किया गया था, वही स्वराज्य-प्राप्ति के बाद झगड़े का कारण होता नज़र आया। उस झगड़े से उस समय बचने के लिए विधान में एक धारा जोड़ दी गयी, जिसके अनुसार विधान के अमल में आने के पाँच वर्ष के अन्दर एक आयोग बैठाना आवश्यक था। आज वह आयोग नियुक्त हो गया और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया।

राजभाषा-आयोग की नियुक्ति के पहले और बाद को भी यह देखा जा रहा है कि चारों तरफ़ भाषा-समस्या को लेकर फिर आँधी चल गयी है। वे सभी पुरानी बातें फिर से दुहरायी जा रही हैं। अंग्रेज़ी के कुछ पक्षपाती, अहिन्दी प्रान्तों के विश्वविद्यालयों के उपाध्यक्ष अंग्रेज़ी का गढ़ मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रादेशिक भाषाओं का झगड़ा लेकर कितने ही लोग अंग्रेज़ी और हिन्दी को हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को सुरक्षित करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इन छह वर्षों में केवल हिन्दी-हिन्दुस्तानी का झगड़ा ही कम हुआ नज़र आ रहा है। हिन्दुस्तानीवाले परिवर्तित परिस्थिति तथा वातावरण में अपनेको ठीक जमाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। इस राजभाषा-आयोग की नियुक्ति से सबसे ज़्यादा भयभीत दक्षिण भारत मालूम हो रहा है। जब आयोग देश-भर में दौरा करने लगेगा, तब यह स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रदेश में इस भाषा-समस्या ने कौन-सा रूप धारण कर रखा है।

स्पष्ट है कि हरेक प्रयोजनपूर्ण आंदोलन की अपनी-अपनी अलग दशाएँ होती हैं। ऐसे आंदोलन के विकास में देश की परिस्थिति, उपयोगिता की व्यापकता और लक्ष्य की अवधि को ध्यान में रखते हुए ऐसी दशाओं का आना ज़रूरी है। सामान्य भाषा के प्रचार का हमारा आन्दोलन भी इससे बच नहीं सका। पहले-पहल जब यह शुरू हुआ तब राष्ट्रभाषा प्रचार का आन्दोलन कहलाता था, क्योंकि राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता हमारा लक्ष्य था। इसीको ध्यान में रखकर माहात्मा गान्धी ने हिन्दी-प्रचार आंदोलन की प्रादेशिक सीमा को तोड़कर उसे देश की चारों ओर फैला दिया। पहले-पहल 1918 में हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में विन्ध्य पार कराया गया। विन्ध्य के दक्षिण के प्रदेशों ने उसे स्वराज्य की संदेश-वाहिका मानकर स्वीकार कर लिया। कन्याकुमारी से लेकर हैदराबाद तक, बुरहानपुर से लेकर बेलगाँव तक के क्षेत्र ने, जो ढाई लाख वर्गमील में फैला हुआ है, उसका स्वागत किया। इस आंदोलन के ख़िलाफ़ कुछ दिन तक आवाज़ अवश्य उठा करती थी। कहीं-कहीं ज़बरदस्त विरोध भी हुआ था। लेकिन दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा जैसी सुसंगठित संस्था ने अपनी व्यवस्था और नीति से उस विरोध को मिटा दिया। उसने बड़ी दूरदर्शिता के साथ प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार तथा उत्थान का कार्य भी अपने ऊपर ले लिया। आज उसके प्रचारक, जो हज़ारों की तादाद में फैले हुए हैं, हिन्दी और अपनी प्रादेशिक भाषा के जानकार समझे जाते हैं और उन दोनों की सेवा करते हैं। इससे दक्षिण भारतीयों को विश्वास हो गया कि प्रादेशिक

* नवंबर, 1955, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख

भाषाओं को लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। इस तरह प्रादेशिक भाषा तथा राष्ट्रभाषा के स्थान और स्तर के संबन्ध में जो गलतफ़हमी थी, वह दूर हो गयी।

सामान्य भाषा के हमारे आन्दोलन में दूसरी अवस्था भाषा के नाम तथा स्वरूप पर भीषण मतभेद से सम्बन्ध रखती है। 1941 से लेकर क़रीब दस वर्ष इसपर काफ़ी बहस हुई। महात्मा गांधी ने स्वयं देश को सलाह दी कि देश की सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी कहलाये। वह सरल हिन्दी या सरल उर्दू हो सकती है। अर्थात् सरल हिन्दी या सरल उर्दू को हिन्दुस्तानी नाम देना पसन्द किया, जिसे वह राष्ट्रभाषा कहते थे। विधान की धारा 351 में हिन्दुस्तानी शब्द को भी स्थान देकर विधान के निर्माताओं ने हिन्दुस्तानी से समझौता कर लिया। इस धारा में यह निर्देश है कि हिन्दी अपनी आत्मा को खोये बिना हिन्दुस्तानी तथा विधान के द्वारा स्वीकृत भारत की चौदह भाषाओं से, जिनमें हिन्दी भी सम्मिलित है सहायता प्राप्त करते हुए अपना स्थान प्राप्त करे। इस सहायता में रूप, शैली और पदावली का भी उल्लेख है और अन्य भाषाओं से शब्दों को लेना भी मना नहीं है।

भारत की चौदह भाषाओं की सूची में, जो संविधान की अष्टम सूची के नाम से विख्यात है, संस्कृत का भी उल्लेख है और उर्दू का भी, जिसके अपने प्रदेश अब तक स्पष्ट नहीं हो सके हैं। बाक़ी बारह भाषाओं के अपने-अपने प्रदेश हैं। उत्तर की हिन्दी, पंजाबी और कश्मीरी के अपने-अपने राज्य हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश की भाषा असमिया का भी अपना राज्य है। शेष सागरीय भाषाओं के भी अपने-अपने राज्य हैं, जिनमें चार पश्चिमी सागर के तीरस्थ हैं—गुजराती, मराठी, कन्नड़ और मलयालम; तथा चार पूर्वी सागर-तट की हैं—बंगाली, उड़िया, तेलुगु और तमिल। अतः इन राज्यों के द्वारा अपना बल बढ़ाने के लिए ये भाषाएँ अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश कर रही है। इसी कारण हमारी भाषाएँ अब राजनीतिक प्रयोजनों के लिए क्षेत्रीय हो गयी हैं। इन क्षेत्रीय भाषाओं में हिन्दी भी मान ली गयी है, क्योंकि उसका अपना क्षेत्र है और उस नाम से हिन्दी भाषा-भाषी भी अपने-अपने राज्यों के क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी का क्षेत्र विशाल है। सारे भारत में उसको 40 प्रतिशत भूमि प्राप्त है। तेलुगु और मराठी को क्रमशः 10 प्रतिशत भूमि प्राप्त है। बाक़ी भूमि शेष नौ भाषा-भाषियों के बीच में बँटी हुई है। क्षेत्रीय भाषा होने की वजह से दूसरी प्रादेशिक भाषाओं का हिन्दी की ओर संदेह की दृष्टि से देखना स्वाभाविक है। इस संदेह को दूर करने के उद्देश्य से ही धारा 351 में यह निर्देश दिया गया है कि हिन्दी अपने विकास के लिए अधिक-से-अधिक सहायता प्राप्त करे।

हिन्दी के विकास में दो क्षेत्रों से मदद प्राप्त होना अनिवार्य है—हिन्दी क्षेत्र तथा अहिन्दी क्षेत्र। राष्ट्रभाषा के आन्दोलन में सबसे बड़ी और विकट समस्या क्षेत्रीय हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का समन्वय है। पारस्परिक सहानुभूति और सहनशीलता के बिना यह समन्वय प्राप्त नहीं हो सकता। अतः हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं की वृद्धि तथा समृद्धि के एकसाथ होने में ही राष्ट्रीय हिन्दी का विकास निहित है। हिन्दुस्तान की सभी क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति समान रूप से होनी चाहिए। उन्हें समान रूप से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उनके स्तर भी एक-से होने चाहिए। इसीमें देश की भाषा-समस्या का हल है।

देश की सामान्य भाषा का आन्दोलन अब तक तीन अवस्थाओं से गुज़र चुका है; अब चौथी अवस्था से गुज़र रहा है। पहली अवस्था थी राष्ट्रभाषा का आन्दोलन। वह राष्ट्रीयता की जागृति तथा प्रचार के लिए काम आया। सेठ देश ने सफलता के साथ चलाया। किसी भी प्रान्त में उस समय राष्ट्रभाषा का कोई विरोध

नहीं था, जब कि यह स्पष्ट था कि वह प्रादेशिक भाषा के स्थान में नहीं, बल्कि एक सार्वदेशिक भाषा के तौर पर लोगों को उपलब्ध होगी। दूसरी अवस्था थी हिन्दुस्तानी का आन्दोलन। वह राष्ट्रभाषा आन्दोलन का एक साम्प्रदायिक पहलू है। वह तब तक जिन्दा रहेगा जब तक हमारे देश से साम्प्रदायिकता समूल नष्ट न हो जायेगी। तीसरी अवस्था हिन्दी बनाम प्रादेशिक भाषाओं से सम्बंधित है। यह हमारा भाषा-पहलू है। यह तब तक बना रहेगा जब तक प्रादेशिक भाषाओं को क्षेत्रीय हिन्दी अपनाकर आत्मसात् न कर ले। चौथी अवस्था राजभाषा का आन्दोलन है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा संकटमयी है। यह आन्दोलन हमारे देश के पढ़े-लिखे बुद्धि-जीवियों से ताल्लुक़ रखता है, जो विशेषतः सरकारी नौकरी पर निर्भर हैं और उस नौकरी के लिए अधिक-से-अधिक राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। यही कारण है कि राजभाषा से संबन्ध रखनेवाले मामलों पर विचार करने के लिए राजभाषा-आयोग जब बैठाया गया, तब हिन्दी-विरोधी शक्तियाँ फिर से उठ खड़ी हुईं। अहिंदी क्षेत्रों में रहनेवालों को यह डर है कि अगर हिन्दी सरकारी माध्यम बना दी गयी, तो क्षेत्रीय हिन्दी-वालों के साथ स्पर्धा करना कठिन है।

यह डर अधिक-से-अधिक दक्षिण भारत में फैला हुआ है। इसके दो मुख्य कारण हैं—एक तो यह कि इस समय सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी नौकरियों में दक्षिण भारतीयों ने अपनी पढ़ाई तथा परिश्रम के कारण अच्छी संख्या में स्थान पाये हैं। सरकारी तथा ग़ैर-सरकारी नौकरियों में अंग्रेज़ी माध्यम के द्वारा जो काम करना पड़ता है, उससे वे सुपरिचित ही नहीं, बल्कि उसमें योग्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी परिश्रम भी किया है। फलतः आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता आदि शहरों में लाखों की संख्या में फैलकर वे अपनी जीविका चला रहे हैं। हिन्दी शीघ्र न सीख सकने के डर से या हिन्दी माध्यम द्वारा दूसरे लोगों के साथ स्पर्धा करने के लिए समर्थ न बन सकने के संदेह से उनपर यह भय छाया हुआ है। वे चाहते हैं कि हिन्दी के सरकारी माध्यम बनने में जितना विलम्ब हो, उतना ही अच्छा है। दूसरा कारण है कि दक्षिण की भाषाएँ हिन्दी भाषा के इतने समीप नहीं, जितने कि उत्तर तथा पश्चिमी भारत की भाषाएँ हैं। तमिल के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की अपेक्षा और अधिक है। तमिल भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में काफ़ी कठिनाई पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए काफ़ी समय की ज़रूरत है; और साथ ही ज़रूरत है तमिल भाषा तथा उसके शब्द-स्वरूप को भी प्रभावित करने की। यह काम होगा अवश्य, लेकिन समय लगेगा। दक्षिण के बाक़ी तीनों प्रांतों में हिन्दी के ख़िलाफ़ इतना विरोध नहीं; फिर भी सही विरोध का पता तब चलेगा जब यह सवाल आएगा कि सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेज़ी के बदले हिन्दी की आवश्यकता पड़ेगी। और इस विरोध का न होना भी अस्वाभाविक है, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है, और विश्वविद्यालयों की उपाधियों के बल पर ही आज सरकारी नौकरी मिलती है। दक्षिण में इसके पहले जब कभी विरोध हुआ, वह हिन्दी सीखने के ख़िलाफ़ तो नहीं हुआ। अब भी जो हो रहा है, वह हिन्दी सीखने के ख़िलाफ़ नहीं। यह विरोध न तो राष्ट्रभाषा के ख़िलाफ़ है, न हिन्दुस्तानी के और न हिन्दी के। यह विरोध है राजभाषा के खिलाफ़, क्योंकि राजभाषा में योग्यता का प्रमाण ही सरकारी नौकरी के लिए प्रवेश-पत्र माना जाएगा। इसलिए यह सवाल सांस्कृतिक नहीं, सामाजिक नहीं, भाषा-संबंधी भी नहीं, बल्कि है लोगों की जीविका का। इसी कारण इसमें अधिक-से-अधिक आवेग तथा आवेश की मात्रा है। इसको दूर करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को विशेष रूप से पढ़ने के लिए

प्रोत्साहन दिया जाए और उनकी कठिनाई दूर करने के लिए उपाय ढूँढे जाएँ, और चूँकि यह सरकारी काम है, इसलिए उनकी मदद के लिए जितना खर्च किया जा सकता हो, किया जाए।

राष्ट्रभाषा का प्रचार चारों दृष्टियों से, जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है, इस समय सारे देश में हो रहा है। ये चारों दृष्टियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं; विरोधी नहीं। इन चारों दृष्टियों से जितना अधिक काम करेंगे, उतना ही देश का कल्याण होगा। इसलिए राष्ट्रभाषा-प्रचार का हमारा कार्य चतुर्मुखी ही नहीं, बल्कि चतुरंगी भी होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्रभाषा का कार्यकर्ता इन चारों रंगों में, अर्थात् राष्ट्रभाषा, हिन्दुस्तानी, हिन्दी और राजभाषा के रंगों में, अपने लक्ष्य को देख सके और अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी सिद्धि के लिए काम कर सके।

अब प्रश्न यह है कि हिन्दी के इस चतुर्मुखी रूप का विकास कैसे हो और इन चतुरंगी क्षेत्रों में क्या कार्य किया जाय। इस प्रश्न पर विचार करते समय हमारे सामने भाषा के विकास के साथ-साथ शिक्षा का माध्यम भी आ जाता है। इस समय सारे हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी है। विश्वविद्यालय आयोग तथा अन्य प्रभावशाली जनमत ने एक स्वर से घोषित किया है कि हमारे देश की शिक्षा का माध्यम देशी भाषा होना चाहिए। धीरे-धीरे अंग्रेज़ी का स्थान देशी भाषा को मिलना चाहिए। यह विदित है कि अंग्रेज़ी इस समय सारे देश में फैली हुई है। प्रायः हमारी शिक्षा, प्रशासन, साहित्य तथा संस्कृति के रंगों में उसको एकाधिपत्य प्राप्त है। हमारे साहित्य तथा संस्कृति-प्रेमियों तथा भाषा और शिक्षा-प्रेमियों के ऊपर उसका गहरा प्रभाव है। आज लोकमत का तक़ाज़ा है कि हिन्दुस्तान के सार्वदेशिक तथा सांस्कृतिक रंगों से अंग्रेज़ी हट जाय और उसका स्थान प्रादेशिक भाषाओं के बीच में आवश्यकता तथा अनुकूलता के अनुसार बँट जाय। लोकमत का यह भी तक़ाज़ा है कि अंतर्प्रान्तीय तथा सार्वदेशिक उपयोग के लिए एक भारतीय भाषा को आगे बढ़ाया जाय जो प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त देश-भर में व्याप्त हो जाय और अंग्रेज़ी का जो इस सार्वदेशिक स्थान है, उसे वह प्राप्त कर ले। यह भी स्पष्टतया विधान के द्वारा स्वीकृत है कि हमारे देश की सार्वदेशिक प्रयोजनों के लिए हिन्दी ही केंद्रीय सरकार की भाषा हो जायगी। उसकी कालावधि भी निश्चित हो गयी है। विधान के अनुसार 1965 के पहले अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी को ग्रहण कर लेना ही चाहिए।

देश की वर्तमान स्थिति तथा तौर-तरीक़े के अनुसार विधान में उल्लिखित संघ-सरकार की भाषा हिन्दी अपना स्थान तभी प्राप्त कर सकती है जब कि उसका हमारी उच्च शिक्षा के साथ गहरा संबंध हो।

हिन्दी हमारे देश की प्रादेशिक भाषा भी है और सार्वदेशिक भाषा भी। प्रादेशिक भाषा होने के कारण दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के साथ उसकी होड़ नहीं हो सकती। प्रादेशिक भाषा का कर्तव्य निभाते-निभाते ही इसे सार्वदेशिक भाषा के तौर पर विकसित होना होगा और उसे अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण करना होगा जो स्वाभाविक तौर पर हो। प्रादेशिक भाषाओं के साथ स्नेह तथा प्रेमपूर्ण साहचर्य प्राप्त हो। प्रादेशिक हिन्दी भाषा-भाषियों के सतत निष्ठापूर्ण प्रयत्न से ही प्रादेशिक हिन्दी को सार्वदेशिक स्थान प्राप्त हो सकता है। राष्ट्र की एकता तथा उसकी प्रतिष्ठा को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी तथा ग़ैर-हिन्दी प्रांतों में अधिक-से-अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान हो और उसके बाद देश-भर की जनता के बीच में राष्ट्रीय संस्कृति की स्रवंती का विस्तार हो।

*हिन्दुस्तानी का मसला

मेरी यह खुश क़िस्मती न रही कि और लोगों की तरह मैं यह कह सकूँ कि मैंने बचपन में हिन्दी या उर्दू सीखी। मेरी खुश किस्मती यह रही कि मैंने अपने बचपन में अपनी ज़बान तेलुगु सीखी। हिन्दी मैंने किताबों के ज़रिये ही सीखी है। जिस ज़माने में मैं यह भाषा सीखता था, उस वक्त हमसे कहा गया था कि हमारी राष्ट्रभाषा के नाम हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी, तीनों हैं। इसलिए हम लोगों ने दक्षिण में इस भाषा को तीनों नामों से पहचाना और प्रचार किया। मैं चाहता हूँ कि आगे इसको हिन्दुस्तानी के नाम से चलाया जाय। उस ज़माने में हिन्दी ही का नाम लिया गया था, और उसकी वजह यह थी कि हमारा काम हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, के साथ जोड़ दिया गया था। इसलिए हमने राष्ट्रभाषा को हिन्दी के नाम से चलाया और नागरी लिपि के ज़रिये यह काम आगे बढ़ाया। अफ़सोस है, हम न फ़ारसी लिपि का ज़्यादा प्रचार कर सके और न उर्दू नाम का ही बहुत प्रचार कर पाये।

अब तक मैं इस कांग्रेस में जो सुनता आ रहा हूँ, उससे मुझे डर-सा हो गया है कि पिछले 25 सालों में हम लोगों ने राष्ट्रभाषा या क़ौमी ज़बान के नाम से जो काम किया है, वह कहीं फ़ज़ूल तो नहीं गया! 25, 26 साल तक दिलो-जान से काम करने के बाद आज हमको इस बात की जानकारी करायी ही क्यों जा रही है, या इसके ऊपर शक क्यों पैदा हो रहा है कि हमारी क़ौमी ज़बान क्या हो, उसका नाम क्या हो, वह किस लिखावट में लिखी जाय? लेकिन मैंने अपने तर्जुबे पर जब ख़याल किया और सारी कार्रवाई पर नज़र दौड़ायी, तो कम-से-कम मेरे मन में ऐसा शक जम न पाया कि हमारा काम, जहाँ तक दक्षिण भारत का सवाल है, गलत रास्ते पर हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि दक्षिण भारत के लोगों की भाषा न हिन्दी है, न उर्दू। दक्षिण भारत ने इस हिन्दी भाषा को अपनाया है, तो एक ही ख़याल से; वह यह कि देश में एकता पैदा होगी और उसके ज़रिये सारे हिन्दुस्तान को एक बनाकर रखा जा सकेगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दक्षिण में हम लोगों को मालूम है कि हिन्दी और उर्दू के बीच में झगड़ा है और यह झगड़ा रोज़ बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम इस झगड़े से अछूता रहना चाहते थे। हमने अपने काम के वास्ते यह ज़रूरी समझा कि हम हिन्दी और उर्दू मानी जानेवाली दोनों भाषाओं से अपना तअल्लुक बनाये रखें और दोनों को इस कदर अपनावें, जिससे किसीको समझने में हमें तकलीफ़ न हो। उत्तर हिन्दुस्तान में बोली जानेवाली उस भाषा को हमने राष्ट्रभाषा माना, जो सब जगह पर बराबर चल सकती है, जिसको सीखने से हम अपनेको उस इलाके की किसी भी जगह पर ग़ैर न महसूस करें। चूंकि

---

* ता. 26, 27 फ़रवरी, 1945, को वर्धा में महात्मा गान्धी की सदारत में हुए हिन्दुस्तानी सम्मेलन में श्री मो. सत्यनारायण का दिया भाषण, जिसको सुनकर अंजुमन-ए-तरक्क़ी-ए-उर्दू, दिल्ली, के सेक्रटरी मौलाना डा० अब्दुल हक़ ने कहा था :—"हिन्दुस्तानी, यह लफ़्ज़ बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, लेकिन कोई नमूना नहीं है। आल इन्डिया रेडियो ने यह सवाल किया कि यह हिन्दुस्तानी क्या है? छह आदमियों की तकरीरें भी हुईं, लेकिन इन सबकी ज़बान अलहदा थी। आज इतने दिनों के बाद मुझे एक नमूना मिला है; यह सत्यनारायणजी, सेक्रटरी, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, की तक़रीर है। इनकी ज़बान सुनकर मुझे हैरत हुई।...मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ।"

इस झगड़े से हमारा कोई संबंध न रहा, इसलिए दोनों शैलियों के बीच की और दोनों को जोड़नेवाली ऐसी एक शैली को चलाने में हम लोग कामयाब रहे।

राष्ट्रभाषा का सवाल सिर्फ़ उन्हीं प्रांतों के लिए लागू है जहाँ के लोग हिन्दी या उर्दू नहीं जानते हैं। इन सूबों में करीब 20 करोड़ लोग रहते हैं। हिन्दुस्तानी 20 करोड़ लोग समझते हैं, तो और 20 करोड़ लोगों में इसके प्रचार की ज़रूरत है। हमें इस मामले में जतन और सही तरीके के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने यह समझा कि हम अपने देश में जिस भाषा का प्रचार करें, हम जो किताबें बनावें, और जो इम्तहान चलावें, वे इस तरह के हों कि हिन्दी और उर्दू से अलग न हों।

अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए हमने इम्तहानों का एक सिलसिला भी चला रखा है। इन इम्तहानों को हमने तीन मंज़िलों में बाँटा है। पहली मंज़िल में हमने उन्हीं किताबों को रखा है जो हिन्दुस्तानी की सही कसौटी पर कसी जा सकती है। दूसरी मंजिल में हमने अपनी तरफ़ से कुछ हिन्दी और उर्दू कहलानेवाली शैलियों की किताबें रखी हैं। तीसरी मंज़िल में हमने पढ़नेवालों को छूट दे दी है कि जिस शैली में वे पढ़ना चाहें, उस शैली में पढ़ें और उसके ज़रिये इम्तहान दें। अपने इस तरीके से हम यह मानते हैं कि हम भाषा की शैली के मसले को आसानी से तय कर लेंगे और दूसरे लोगों के सामने भी एक अच्छी मिसाल रख सकेंगे।

इसमें हमको सबसे ज़्यादा मदद इस चीज़ से मिली है कि हमने अपने काम को दूसरे सूबों से अलगकर रखा है। 1927 तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन की हमपर देखरेख थी। उसके बाद हम अपने पैरों पर खड़े हुए। उस वक्त से हमारा काम सिर्फ़ फैलता ही नहीं जा रहा है, बल्कि सब तरह से तरक्की भी करता जा रहा है। किसी ख़ास सूबेवाले जिस ख़ास शैली को अपनाये हुए हैं, अगर कहें कि उसी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए, तो हम नहीं मान सकते। क्योंकि राष्ट्रभाषा का तर्ज़ और राष्ट्र-भाषा की बनावट और लिखावट सारे देश से तअल्लुक रखती है, किसी एक सूबे से नहीं। इसलिए हम राष्ट्रभाषा उसीको मानते हैं जिसको सारी कौम मंजूर करे। राष्ट्रभाषा का सवाल हमारे देश में इसलिए उठा है कि हम अपनेको राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उसे कायम रखना चाहते हैं। इसलिए उनके तर्ज़ और तरीके में सारी कौम की ताक़त न हो, तो वह हमारे लिये काम की नहीं होगी। यही वजह है कि इन्दौर साहित्य सम्मेलन के 1935 के जलसे में महात्मा गान्धी ने राष्ट्रभाषा की सही तस्वीर खींचने के ख़याल से एक ठहराव पास कराया था; हम उसी ठहराव के मुताबिक अपना काम अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन, पीछे हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उस ठहराव में तब्दीली की और उसके मुताबिक अमल करना भी छोड़ दिया। तब से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नज़र सही और फैली हुई क़ौमियत की न रही। चूँकि हमारा हमेशा यही मक़सद रहा है और रहेगा भी कि हमें इस मुल्क में ज़बर्दस्त क़ौमियत कायम करनी है और हमें अपनी सारी कुरबानियाँ उसीके लिए करनी हैं, इसलिए हम किसी नामसे, या किसी लिखावट से ख़ास मुहब्बत रखने के लालच से अपने मंज़िले-मकसूद को ही खोना नहीं चाहते। इसलिए अब तक हम जिस राष्ट्रभाषा को हिन्दी कहते आये हैं, अगर सारा मुल्क यह कहे कि हमारी कौमी ज़बान का नाम हिन्दुस्तानी होना चाहिए, तो हमें उसे हिन्दुस्तानी कहने में ज़रा भी एतराज़ नहीं होगा।

आख़िर यह सारा झगड़ा क्यों? जब हमारा पक्का इरादा है कि हमें एक बनना है, एक बनने के लिए ही ये सारी मुसीबतें उठानी हैं, तब दोनों लिखावटें व तर्ज़ सीखने में तकलीफ़ क्यों माननी चाहिए? अभी हमारे एक भाई (श्री आनन्द कौसल्यायन) ने कहा कि वह उर्दू की लिखावट में बड़ी तेज़ी के साथ लिख सकते

हैं। जब उनको तेज़ी से लिखना पड़ता है, तब उर्दू में ही लिख लेते हैं। उनके इस कथन से मेरे ऊपर यह असर पड़ा कि जब लिखने का काम उर्दू में तेज़ी से हो सकता है, तो उर्दू लिखावट ही लिखने के काम में क्यों न लायी जाय? यह ज़रूर सोचने की बात है कि हम अपने पढ़ने की लिपि नागरी और लिखने की लिपि उर्दू क्यों न रखें? इससे हमारी दो लिपियों का और तहज़ीबों का अच्छा मेल होगा। लोग कहते हैं कि रोमन लिपि बहुत सहल है। लेकिन वे इसका ख़याल नहीं रखते कि रोमन लिपि के लिखने के चार तर्ज़ हैं—दो छापने के और दो लिखने के। इन चारों को अलग-अलग सीखना पड़ता है। लिखने के काम में वे जिस लिपि को लाते हैं, उसको छापने के काम में नहीं लाते। तो क्या रोमन लिपि बरतनेवालों का नुकसान हो रहा है? अगर लिपि एक ही रखने का सवाल, साइन्स को माननेवाले बड़े-बड़े दिमागी रोमन लिपिवालों के सामने नहीं है, तब हमारे ही सामने वह क्यों आए?

अंग्रेज़ी में जब नया जुमला शुरू होता है, तो बड़े हरूफ़से शुरू करते हैं। लेकिन, अब तक किसी अंग्रेज़ीदाँ ने उसपर आवाज़ नहीं उठायी। आज हम छोटी-छोटी बातों पर अपना वक्त जाया करने बैठे हैं। रोमन लिपि के लिखने, छापने और तलफ़्फ़ुज़ में कई ऐब हैं; लेकिन रोमन लिपिवाले उनको सुधारने के लिये न तैयार हैं न हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्या इसका सबब महज़ यही नहीं है कि यह सारी बात उनके साथ मुद्दत से चली आयी है और उनकी तवारीख़ में मिली हुई है? इसलिए इसके किसी ऐब को छोड़ना नहीं चाहते। अगर हमें भी अपनी तवारीख़ बनानी है और उसपर फ़ख्र करना है, तो हर हमेशा हमें अपनेको आपस में एक-दूसरे के साथ जोडने का खयाल करना चाहिए, जुदा करने का नहीं।

वाक़ई दक्षिण भारतीयों को हिन्दुस्तानी सीखने में बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दक्षिण की भाषाओं का शुमाली हिन्दुस्तान से बहुत कम मेल है। फिर भी पिछले 26 सालों में लाखों लोगों ने यह भाषा सीखी है और उन्होंने इसपर लाखों रुपये भी खर्च किये हैं। आज भी उसके लिये सब तरह की कुरबानियाँ करने के लिये तैयार हैं। उत्तर हिन्दुस्तान अपने किसी सूबे के छोटे से झगड़े को लेकर सारे मुल्क को मुसीबत में क्यों डाले? शुमाली हिन्दुस्तान के लोग इस मामले में सही-सही नज़र रखने में कमज़ोरी दिखा रहे हैं। सिर्फ़ क़ौमियत के ख़याल से ही सारे मुल्कने इसको अपनाया है। मगर वह क़ौमियत इस आपस की फूट से हमसे खिसकती नज़र आ रही है, इससे हमारी यह सारी मेहनत फ़जूल जाएगी। मुश्किल यह है कि उत्तर हिन्दुस्तान के लोगों की कुछ आदत-सी हो गयी है कि वे हमेशा दूसरे लोगों को हिदायत किया करते हैं और दूसरे लोगों की वे कम सुनते हैं। जब तक दूसरे लोग उनकी भाषा और उसका तर्ज़ सीखते हैं, तब तक वे खुश रहते हैं; लेकिन दूसरे लोगों का जब ज़रा भी अडंगा मालूम होता है, तो बेचैन हो जाते हैं। जहाँ पर एक बार दिल मिल गये, वहाँ सभी मसले अपने-आप हल हो जाएँगे। इसी तरह से भाई-भाई के बीच का मसला हल किया जाना चाहिए। उसके लिये दूसरा रास्ता ही नहीं है। क्या, हम लोग इसपर ठंडे दिल से सोचकर हल करने का एक क़ायमी रास्ता निकाल नहीं सकते?

जिस तर्ज़ को लेकर हिन्दी अदब बन रहा है, उससे मेरे ख़याल में, देश की जनता बहुत दूर होती चली जा रही है। आजकल की हिन्दी में लोगों को साथ ले चलने के लिये जैसी आसानी जाहिए, वह कम होती चली जा रही है। वह ज़्यादातर पंडिताऊ बन रही है और रोज़-ब-रोज़ मुश्किल होती जा रही है। उसको काफ़ी आसान बनाने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि लोगों में ज्यादा अलफ़ाज़ जो चलते हैं, वे काम में लाये जायँ। हिन्दुस्तान की और भाषाओं में, जैसे बंगला,

तेलुगू और तमिल में भी 15 सालों के पहले इस तरह के झगड़े उठे। क्योंकि पंडितों ने भाषा को अपने काबू में रखना चाहा, जनताने बगावत की। नतीजा यह हुआ कि आज़ ये सारी भाषाएँ जनता के ज्यादा नज़दीक खिंचती चली आ रही हैं। अगर हिन्दी में ज्यादा संस्कृत भर दी जाय, या अरबी-फ़ारसी भर दी जाय, तो यह खतरा ज़रूर हिन्दी या उर्दू के सामने भी आयेगा। इसलिए उसको आसान-बनाना चाहिए। जैसे दूसरी भाषाओं को जनता ने पंडितों के चंगुल से बचाया, वैसे हिन्दी को भी बचाना चाहिए। अगर हिन्दी वालों को यही मंजूर है कि उसे ऊँची और पंडिताऊ रखनी है, तो वे अपनी हिन्दी को कायम रख सकते हैं। लेकिन उसको आसान बनाना है, तो उसको सब लोगों के मंजूर करने लायक बनाना पड़ेगा। और भाषाओं की बनिस्बत हिन्दी के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेवारी आ जाती है। और ज़बानों की बनिस्बत शुमाली हिन्दुस्तान में एक बड़ा मसला यह है कि उसके हर डेढ़ सौ, दो सौ मील के फ़ासले में ज़बान बदलती रहती है। इसलिए, किसी फिरके की ज़बान को तरजीह देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। न यही आसान मालूम होता है कि किसी खास फिरके की जबान को छोड़ने के लिये कहा जाय। असल में इस सवाल को हल करने की ज़िम्मेवारी उन्हीं लोगों के ऊपर है, जिनको हर रोज़ कोई परायी ज़बान बरतनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक दूसरे सूबेवालों का सवाल है, जिन्होंने राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी माना है, उन्हें तो दूसरे ही ढंग से काम करना पड़ेगा। उनके उन मुख्तलिफ सूबों और मुख्तलिफ फ़िरकों में रोज़ चलनेवाले सभी लफ़्ज़ों व तर्ज़ों की जानकारी हासिल करना मुश्किल है। अपने सूबे की भाषा सीखने और सिखाने का मक़सद शुमाली हिन्दुस्तान का अपना है। वह जिस तर्ज़ का प्रचार करना चाहे करे; क्योंकि वह उनके लिये अपने घर की भाषा का सवाल है। मगर उनका इसपर ज़ोर देना कहाँ तक मुनासिब है कि अपनी सहूलियत और ख्वाहिश के माकूल जिस भाषा को वे मानते हैं, वही भाषा सारे मुल्क की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसलिए, फ़िलहाल जैसी हिन्दी उत्तर हिन्दुस्तान खासकर यू. पी. और बिहार की आम ज़बान और अदब की ज़बान बन रही है, उसकी वे अच्छी तरह तरक्की करते जाएँ। लेकिन जहाँ तक कौमी ज़बान का सवाल है, उसके बनाने में सब की राय और सब का हाथ होना चाहिए। अगर यह राय किसी एक खास सूबे को पसंद न आवे, तो उसकी वजह से राष्ट्रभाषा का रास्ता बदल नहीं सकता। उसका रास्ता वही होगा जो आम हो, जो सबका हो। इसलिए, इस सवाल के ऊपर हम लोगों को पूरी तरह सोच लेना चाहिए।

मैं यहाँ पर एक बात से आप लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ। वह यह कि दक्षिण भारत भी कोई कमज़ोर सूबा नहीं है। उसकी सभ्यता काफ़ी पुरानी है। उसकी भाषा और उसका अदब हिन्दी उर्दू से भी काफ़ी पुराना है। हज़ारों वर्षों की कशम-कश में उसने अपनेको एक-दूसरे के साथ जोड़कर एक सा बनाने की कोशिश की है। उसके इतिहास में, खासकर धर्म के इतिहास में, इस तरह के सैकड़ों मसले पेश आये। बाज़ वक्त उसके इतिहास में ऐसे भी वाकये गुज़रे हैं, जो लोगों में सैकड़ों बरसों तक छोटी-छोटी बातों पर खून की नदियाँ बहाने के बाइस हुए हैं। मसलन, शैव और वैष्णव का झगड़ा लीजिए या जैन और वैष्णव का झगड़ा लीजिए। इन मसलों को हल करने के वास्ते दक्षिण के लोगोंने काफ़ी मेहनत की और बड़ी समझदारी से काम लिया। जब शैव और वैष्णवों का झगड़ा दूर होता नज़र नहीं आया, तो लोगों को समझाकर शिव और विष्णु के मंदिर एकसाथ बनवा दिये। शिव और विष्णु के मिले हुए नाम भी, जैसे शिवनारायण, शंकरनारायण वगैरह, चालू किये। आज सारे दक्षिण में जहाँ कहीं भी आप देखें शैव और वैष्णव-मंदिर एकसाथ नज़र

आयेंगे, हम लोगों को इस बात की तकलीफ़ उठानी पड़ेगी कि ऐसे बुनियादी लफ़्जों की एक फ़ेहरिश्त बनावें और उससे एक नया तर्ज़ चलावें जो सभी सूबों के और फ़िरकों के लोगों को मंजूर हो। मैं उसी तर्ज़ को हिन्दुस्तानी कहूँगा और उन्हीं लफ़्ज़ों को हिन्दुस्तानी लफ़्ज मानूँगा। इस तरह का काम हम लोगों ने अपने ऊपर छह साल के पहले ही उठाया था। हिन्दी और उर्दू में चलनेवाले बुनियादी लफ़्जों की हमने एक फ़ेहरिश्त बनायी, जिसको हम बेसिक हिन्दुस्तानी मानते हैं। बेसिक हिन्दुस्तानी की पहली सीढ़ी बुनियादी ज़रूरतों के ज़ाहिर करने के काबिल होनी चाहिए। अगर हमें ऐसी एक फ़ेहरिश्त मिल जाय, जिसके सहारे हम अपनी सारी बुनियादी ज़रूरतों को ज़ाहिर कर सकें, और जिसके इस्तेमाल करने का तरीका भी सभी लोगों के मंजूर करने लायक बनाया जाय, तो हमारा मसला बहुत-कुछ हल हो जायेगा। इसलिये हम लोगों ने करीब बीस लाख शब्दों में से बुनियादी ज़रूरतों को ज़ाहिर करनेवाले ऐसे चार हज़ार शब्द इकट्ठे किये हैं, जिनके सहारे हम कौमी ज़बान की शक्ल-सूरत की तस्वीर अपने सामने खींचना चाहते हैं और उसके मुताबिक उसका प्रचार करना चाहते हैं। उसका पहला हज़ार छपकर तैयार है।

मैं यहाँ पर यह साफ़-साफ़ कह देना चाहता हूँ कि चूँकि राष्ट्रभाषा का सवाल हिन्दुस्तान के सब सूबों का है। इसलिये ऐसी फ़ेहरिश्त गैर-हिन्दीवालों के काम की होगी। वे सूबे भी, जहाँ हिन्दी-उर्दू-बोली जाती है, उससे फ़ायदा उठाना चाहें, तो ज़रूर उठा सकते हैं। लेकिन उनके लिये लाज़िमी नहीं है, क्योंकि उनका सवाल अपने घर की भाषा का है, न कि राष्ट्र-भाषा का।

आप लोगों को इस बात को भी याद रखना चाहिए कि हिन्दुस्तान की सभी ज़बानों में हिन्दुस्तानी लफ़्ज मौजूद हैं। अपनी भाषा तेलुगु में मैंने ऐसे लफ़्ज ख़ुद इकट्ठे करवाये हैं। उनकी तादाद पाँच हज़ार की है। हाल ही में मैंने एक मज़मून अपनी ज़बान में लिखा, जिसमें इस बात की कोशिश मैंने की कि उसका हर तीसरा शब्द हिन्दुस्तानी का हो और अपने सूबे के लोगों से मैंने पूछा कि वे इस बात को साबित करें कि वे हिन्दुस्तानी शब्द हैं, तेलुगु के नहीं। याने पाँच हज़ार लफ़ज तेलुगु में ऐसे घुल मिल गये हैं मानों वे तेलुगु के ही लफ़्ज हों। ऐसी हालत में उन्हें गैर-तेलुगु कहना नामुमकिन है। तेलुगु में इतने हिन्दुस्तानी के शब्दों के होने का सबब शायद हैदराबाद रियासत का ताल्लुक हो सकता है। सबब चाहे कुछ भी हो, मराठी, गुजराती, बंगला, उडिया, कन्नड़, सिंधी आदि भाषाओं में हिन्दुस्तानी के लफ़्ज़ भरे पड़े हैं। जब हमारी राष्ट्रभाषा की पूरी शकल बनेगी, तब उसमें इन सभी लफ़्जों से काम लेना पड़ेगा और उनको राष्ट्रभाषा में जगह देनी पड़ेगी।

राष्ट्रभाषा के महल के बीच का दालान शुमाली हिन्दुस्तान का होगा, तो उसके अगल-बगल के कमरे और सूबों के होंगे। हाँ, सारा महल हिन्दुस्तानी कहलाएगा। जो कोई भी हिन्दुस्तानी उसमें जाएगा, वह किसी-न-किसी जगह पर अपना भी एक कमरा पायेगा। सारा महल सारे मुल्क का होगा, और सारा मुल्क इस महल का। मैं मानता हूँ कि इस महल के बनाने की ज़्यादा ज़िम्मेवारी यहाँ जो पंडित और आलिम इकट्ठे हुए हैं, उनकी है और इस काम को पूरा करने के ख़याल से ही आप लोग यहाँ आये हैं। जब आप इस काम में हाथ डालेंगे, तो पहले इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो सबसे बड़ा दालान बनेगा, उसमें अपने सूबे के किसी भी फ़िरके का, किसी भी जात का, किसी तर्ज़ का ध्यान न छूटे। वह सारे शुमाली हिन्द का सच्चा और पूरा नुमाइन्दा बने, इसी ख्याल से आप यहाँ आये भी होंगे। जिस वक्त आपका दालान बनेगा, हम सब जो आपके छोटे भाई हैं अपने-अपने फर्ज़ अदा करेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आप उस महल के बनाने का काम जल्द-से-जल्द शुरू कर दें।

*

सामान्य भाषा और सामान्य लिपि

को राज-भाषा बनाने का सबसे अधिक बलवान कारण यही समझा जाता है कि हिन्दी वर्तमान भारत की भाषाओं की बड़ी बहन है और वह अपनी स्थिति तथा समृद्धि से अपनी छोटी बहनों से भरपूर मदद ले सकेगी। यही कारण है कि इसके विकास तथा वृद्धि के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि वह भारत की वर्तमान भाषाओं से आवश्यक सहायता ले; इसका निर्देश भी धारा 351 में निहित है। यह स्पष्ट है कि भारत की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा साहित्य का स्वरूप भी करीब-करीब समान है। यद्यपि दक्षिण की भाषाएँ ध्वनि तथा शब्द-सामंजस्य में उत्तर की भाषाओं से कुछ भिन्न हैं, तथापि उनकी अर्थात् दक्षिण की भाषाओं की सांस्कृतिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि में भिन्नता नहीं है।

निश्चय है कि हिन्दी 1965 के अन्दर भारतीय संघ-सरकार की राजभाषा बनेगी। यह भी निश्चय है कि संघ-सरकार की भाषा की हैसियत से उसकी काफ़ी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस देश के बुद्धिजीवी जन-समुदाय पर उसका प्रभाव भी बढ़ता जायगा। लेकिन इसका निश्चय करना कठिन है कि वह कभी समस्त भारत के जन-समुदाय की परिचित भाषा हो सकती है। जनता की परिचित भाषा होना तो बहुत दूर की बात है, उससे भी नज़दीक की बात हिन्दुस्तान के साक्षर लोगों की परिचित भाषा होना है। इसमें भी सफलता होने में कई लोगों को संदेह हो सकता है। लेकिन किसी-न किसी समय, हो सकता है कि बहुत शीघ्र, भारत के विभिन्न भाषा-क्षेत्रों में रहनेवाले पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी लोगों की परिचित भाषा बने। इसी दिशा में उसे अधिक से अधिक द्रुतगति के साथ आगे बढ़ना है।

यह कार्य हिन्दी तथा ग़ैर-हिन्दी भाषा-भाषियों के सामूहिक प्रयत्न से ही सफलता के साथ हो सकता है। लोगों का यह विश्वास रहा है कि 'हिन्दी' शब्द से पैदा होनेवाली राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सार्वदेशिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए ऐसी योजनाएँ बनेंगी, जिनमें किसी भी प्रदेश के निवासियों को यह कहने का मौक़ा न मिले कि देश की एकता तथा राष्ट्रीयता को मज़बूत करनेवाली इस शक्तिशाली हिन्दी आंदोलन से उनका कोई नुक़सान हो रहा है। इस विश्वास को बनाये रखना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। हिन्दीवालों को स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दी का विकास क्षेत्रीय हिन्दी भाषा-भाषियों के द्वारा ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हिन्दी भाषा-भाषियों द्वारा भी होना चाहिए और होगा भी। जब कभी इस विकास की दशा में होनेवाले परिवर्तनों के 'अरुचिकर रूपों' को क्षेत्रीय हिन्दीवाले देखते हैं, तब उनको कष्ट होता है। यह कष्ट स्वाभाविक होने पर भी अनावश्यक अपनेपन के मोह से होता है। हिन्दी क्षेत्रों को इस दिशा में अपार बल प्राप्त होने के कारण इस (हिन्दी) के रूप को कोई विकृत नहीं कर सकेगा। क्षेत्रीय हिन्दी की परंपरा भी ऐसी रही है कि अपने क्षेत्र के विराट रूप को ध्यान में रखते हुए उसकी विविधता बनी रही है।

इसी दिशा में और इसी प्रकार हिन्दी का विकास हो। तभी चलकर वह भाषा देश की समन्वित संस्कृति की अभिव्यक्ति का सक्षम माध्यम, अर्थात् सच्ची सामान्य भाषा बन सकेगी।

कुछ दृष्टियों से हिन्दी भाषा के प्रचार की अपेक्षा नागरी का प्रचार अधिक आवश्यक समझा जाना चाहिये। प्रचार के साथ-साथ भारत के विभिन्न भाषाओं का उत्तम साहित्य

※ अगस्त, 1955, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख

नागरी लिपि में प्राप्त होना चाहिये। आज हिन्दुस्तान में नागरी और उससे मिलती-जुलती-लिपियाँ भिन्न-भिन्न भाषा-क्षेत्रों में प्रचलित हैं, जैसे गुजराती, पंजाबी तथा असामी आदि। इनसे दक्षिण की लिपियाँ विशेष रूप से भिन्न अवश्य हैं। उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम नागरी से स्वरूप में भिन्न हैं। उर्दू नागरी से बहुत भिन्न है। लेकिन उसका प्रचार तो नहीं हो रहा है। स्वरूप में भिन्न होने पर भी भारत की सभी भाषाओं की वर्ण-माला तथा ध्वनि-पद्धति एक ही है। अतः देश के पढ़े-लिखे लोग नागरी लिपि सीख जायँ, तो भारत में एक सामान्य लिपि होने का रास्ता भी खुल जायगा।

कुछ लोगों का यह मानना है कि नागरी-लिपि का पढ़ना-लिखना और छपना सरल नहीं है। उसके अक्षर भी संख्या में अधिक हैं; यह सर्वथा ग़लत है। सबसे अधिक कठिन रोमन-लिपि का सीखना है। उसके द्वारा लिखना-पढ़ना सीखने के लिए चार प्रकार के अक्षर सीखने पड़ते हैं। उनकी संख्या भी कुल 104 है। सिर्फ़ रोमन लिपि के पढ़ सकने से ही कोई अंग्रेज़ी पढ़ना सीख नहीं सकता। अगर नागरी लिपि सीख लें, तो कोई भी भारतीय भाषा लिख और पढ़ सकता है। अनुभव से यह देखा गया है कि नागरि लिपि के उपयोग से पढ़ने-लिखने के समय में छपाई तथा कागज़ के व्यय में काफ़ी किफ़ायत होगी।

यह सिद्ध हो चुका है कि समान्य लिपि का उपयोग देश के लिये बड़ा ही लाभकारी है। देश का प्रत्येक पढ़ा-लिखा आदमी अपनी लिपि के साथ-साथ नागरी भी जान ले, तो देश के नागरिकों को सरकारी कारोबार से परिचित होने में सुविधा प्राप्त होगी। रेल, तार, डाक, यातायात, बैंक, केन्द्रीय आयकर, सूचना, प्रसार जैसे जन-सेवा के विभागों को अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाने में सहूलियत होगी। संसार के विभिन्न देशों से आनेवाले यात्रियों को भारत के एक राष्ट्र होने का विश्वास होगा। यह सारा कार्य प्रान्तीय लिपियों के सुरक्षित होते हुए भी हो सकता है।

सामान्य लिपि को एक अतिरिक्त लिपि के तौर पर सीखने में लोगों पर कोई भार भी नहीं पड़ेगा। यह समझना ठीक नहीं कि दो-दो लिपियाँ सीखना प्रान्तीय लिपिवालों के लिये मुश्किल है। क्या अंग्रेज़ी के लिये चार तरह की लिपियाँ लोग सीख नहीं रहे हैं? क्या यह कठिन हो सकता है कि प्रान्तीय लिपि हाथ से लिखने के काम में आये और राष्ट्रीय लिपि पढ़ने के काम में आवे। पढ़ने और लिखने की लिपि में हमेशा अन्तर बना रहता है। यह अन्तर प्रान्तीय और राष्ट्रीय लिपियों में थोड़ा और रह सकता है। इससे फ़ायदा यह होगा कि नागरी लिपि में छपी और लिखी चीज़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक पढ़ी जायगी और प्रान्तीय लिपियों के तरह-तरह के टाइप मुद्रालेखन-यंत्र तथा अन्य यंत्र बनाने और उनके द्वारा अलग छपाई का प्रबंध करने में जो आजकल करोड़ों रुपयों का राष्ट्रीय धन खर्च होता है, उसकी बचत होगी।

*

राजभाषा और राजसेवक

पिछले आठ सालों में, स्वराज्य प्राप्त करने के बाद, भारत ने जो अभूतपूर्व उन्नति करके दिखायी है, उसकी सारे संसार ने मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा की है। अपने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में उसकी प्रगति द्रुत गति से चालू है। उसका नेतृत्व कितने ही क्षेत्रों में संसार के कई राज्यों ने स्वीकार किया है। भारत के वर्तमान एकैक नेता दूरदर्शी प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रगति का जो रास्ता बनाकर दिखाया है, उसपर चलते-चलते अवश्य भारत अपने लक्ष्य तक पहुँचेगा, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उसके लिए निश्चित किया था। आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रों में उसकी एकता आज सुरक्षित है और अखण्ड है। वर्तमान संविधान के अन्तर्गत उसकी राजनीतिक एकता मज़बूत है ही। इस संविधान के द्वारा जनसत्ता की सुदृढ़ नींव पड़ी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो महात्मा गांधी के दिशादर्शन में प्रर्याप्त रूप में बलिष्ठ हो चुका था, वह देश के प्रशासन तथा सर्वांगीण प्रगति को मज़बूत हाथों से सम्भाले हुए है। फिर भी उसके सामने कितनी ही ऐसी समस्याएँ हैं जिनके द्वारा उसकी एकता के टूटने का भय हो सकता है। राजनीतिक शक्ति एक ऐसी वस्तु है जिसका केंद्रीकरण भी अनुचित है और विकेन्द्रीकरण भी ख़तरे से खाली नहीं है। संविधान के अनुसार उसकी राजनीतिक शक्ति संसद और राज्यों की विधान-सभाओं के बीच में बंटी हुई है। आज उसके उनतीस राज्य हैं, जिनमें लगभग पच्चीस राज्यों में विधान-सभाएँ हैं। इन विधान-सभाओं के अपने-अपने अधिकार हैं, जो संविधान में विवरित तथा सुनिश्चित हैं। ये 28 राज्य ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़े और कुछ बहुत छोटे हैं। कुछ राज्य बहुभाषा-भाषी हैं तो कुछ राज्य एकभाषा भाषी। अपनी जनसंख्या तथा अर्थ-सत्ता से कुछ राज्य बहुत बलवान हैं, तो कुछ बहुत ही कमज़ोर और छोटे हैं। इन राज्यों के पीछे के विविध प्रकार की विषमता को दूर करने के लिए किसी-न-किसी समय एक उपाय अवश्य करना ही था। करीब एक वर्ष हुआ कि भारत सरकार ने भारत के राज्यों की पुनर्रचना के संबंध में रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग बनाया, जो राज्य-पुनर्रचना-आयोग के नाम से प्रसिद्ध है, और इस आयोग ने गत पिछले सितंबर के अन्त में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों का A. B. C. वर्गीकरण मिट जायेगा और सभी राज्य 29 से घटकर 16 राज्यों में परिवर्तित हो जायेंगे। राज्य का क्षेत्र सीमित करने के लिए भाषा का आधार मान लिया गया है; लेकिन सिर्फ़ बम्बई राज्य को द्विभाषी राज्य के रूप में रखने की सिफ़ारिश की गयी है। इस आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार दक्षिण में पाँच राज्य बनेंगे—तमिल, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र और हैदराबाद; पूर्व में ओडीसा, बंगाल तथा असाम, पश्चिम में बम्बई और विदर्भ, उत्तर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और कश्मीर। देश ने तथा संसद के सदस्यों ने आयोग की इन सिफ़ारिशों का समर्थन किया है। इन सिफ़ारिशों का सिर्फ़ पंजाब, आन्ध्र तथा बम्बई में विरोध हो रहा है। बम्बई में मराठी-भाषी द्विभाषी राज्य में रहना पसंद नहीं करते। वे महाराष्ट्र प्रान्त अलग चाहते हैं और बम्बई को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। आन्ध्र लोग हैदराबाद के तेलुगु प्रदेशों को मिलाकर विशाल आन्ध्र बनाने के पक्ष में हैं। पंजाब के सिक्ख पंजाबी-भाषियों का अलग प्रान्त बनाने के

* जनवरी, 1956, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख

पक्ष में हैं। कांग्रेस का अधिकारपीठ इन भिन्न मतों के बीच में समस्थल देखने की कोशिश में लगा हुआ है।

राज्य-पुनर्रचना-आयोग की सिफ़ारिश के अनुसार जब 16 राज्य बनेंगे, तब उनका विस्तार तथा जनसंख्या नीचे दिये अनुसार होगी। भाषावार एकाइयों के आंकड़े भी नीचे की तालिका में दिये जाते हैं:—

	राज्य का नाम	भाषा का नाम	वर्गमील	जनसंख्या (लाखों में)
1.	मद्रास	तमिल	50,170	300
※2.	आन्ध्र	तेलुगु	64,950	209
※3.	हैदराबाद		45,300	113
4.	उड़िसा	उड़िया	60,140	146
5.	बंगाल	बंगाली	34,590	265
6.	केरल	मलयालम	14,980	136
7.	कर्नाटक	कन्नड़	72,730	190
※8.	बम्बई	मराठी, गुजराती	151,360	402
9.	विदर्भ	मराठी	36,880	76
10.	असाम	असामी	89,040	97
※11.	पंजाब	पंजाबी व हिन्दी	58,140	172
12.	उत्तर प्रदेश	हिन्दी	113,410	632
13.	बिहार	,,	66,520	385
14.	मध्य प्रदेश	,,	171,200	261
15.	राजस्थान	,,	132,300	160
16.	कश्मीर	कश्मीरी	92,780	44

※ आंध्र और हैदराबाद राज्यों को मिलाकर विशालांध्र के रूप में परिवर्तित किया गया, तो उसका रक़बा 1,12,050 वर्गमील होगा और उसकी आबादी 3,22,00,000 होगा।

※ उसी तरह जब सारा महाराष्ट्र एक बनेगा, तब उसका विस्तार 1,16,484 वर्गमील होगा और आबादी 3,17,00,000 होगी।

※ जब गुजरात बंबई से अलग किया जायगा, तब उसका विस्तार 71,456 वर्गमील होगा और उसकी आबादी 1,61,00,000 की होगी।

※ पंजाब प्रांत में पंजाबी भाषा-भाषियों की संख्या प्राप्त नहीं है। यह समझा जाता है कि पंजाबी तथा हिन्दी इस प्रदेश में साथ-साथ चलेंगी।

अब तो करीब-करीब यह निश्चित हो गया है कि हमारे देश के राज्यों की पुनर्रचना होगी। इन राज्यों का प्रधान आधार भाषा ही होगा। इन राज्यों की संख्या तथा विस्तार के अनुसार नयी विधान सभाएँ बनायी जायेंगी। इन विधान सभाओं में जानेवाले सदस्य राज्य की जनता के प्रतिनिधि होने के कारण, उन-उन राज्यों की भाषा में ही अपनी कार्रवाई चलाना पसन्द करेंगे। हिन्दुस्तान की 12 प्रादेशिक भाषाओं की अपनी-अपनी इकाइयाँ अलग बनेंगी। अर्थात् ग्यारह भाषाओं के लिए अलग-अलग ग्यारह राज्य और प्रादेशिक हिन्दी के लिए पाँच राज्य बनेंगे। अर्थात् हिन्दुस्तान की जनता राज्यों के अनुसार जब विभक्त होगी, तब हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों की संख्या पंजाब को भी मिलाकर लगभग सोलह करोड़ की होगी और बाकी बीस करोड़ दस राज्यों में विभक्त होंगे। इन दस राज्यों में सबसे बड़े राज्य विस्तार तथा जनसंख्या के अनुसार संयुक्त महाराष्ट्र तथा विशाल आन्ध्र के होंगे। इनमें से एक-एक का विस्तार $1\frac{1}{4}$ लाख से अधिक वर्गमील का और जनसंख्या $3\frac{1}{4}$ करोड़ की होगी।

राज्यों की पुनर्रचना की व्यवस्था के बाद सब से बड़ी कठिन समस्या अन्तर-प्रादेशिक माध्यम के संबंध में हो सकती है। यद्यपि संविधान में अन्तर-प्रादेशिक माध्यम हिन्दी मान ली गयी है, तो भी हिन्दी को अभी अंग्रेज़ी का स्थान लेने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। इस समय अंग्रेज़ी ने प्रादेशिक भाषाओं के स्थान पर कब्ज़ा कर रखा है और साथ ही वह अन्तर-प्रादेशिक माध्यम का भी काम दे रही है। जब प्रादेशिक भाषाएँ अपना स्थान वापस प्राप्त करेंगी और हिन्दी को अन्तर-प्रादेशिक कार्य के लिए अपना सहायक बनाती जायेंगी और अंग्रेज़ी को सुदूर अन्तर-राष्ट्रीय माध्यम का काम सौंपेगी, तब हिन्दुस्तान की भाषा-समस्या हल होगी। इस समस्या के हल करने में काफ़ी समय लगने की संभावना है। इस कार्य में बड़े ही विवेक संयम और उदारता-पूर्ण सहनशक्ति की भी आवश्यकता है। संविधान के अनुसार यह सारा कार्य 1965 तक समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन कितने ही अनुभवी विद्वान नेता यह महसूस करने लगे हैं कि इसके लिए अब से कम-से-कम 20 साल और लगेगा—अर्थात् यह कार्य 1975 तक ही समाप्त हो सकेगा। इस भाषा-संबंधी समस्या में जो कठिनाइयाँ हैं, वे अनगिनत हैं। आज देश के विद्वान जनसेवक अंग्रेज़ी भाषा के द्वारा देश का कार्य संभाल रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग अपनी पीढ़ी में अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी को देकर और उस परिवर्तन से होनेवाले भार को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि उनकी पीढ़ी के बाद ही यह परिवर्तन हो। न तो वे स्वयं हिन्दी सीखकर अपना काम चलाने के पक्ष में हैं, न इसके पक्ष में ही कि सरकार इस संबंध में कोई ज़ोर-ज़बर्दस्ती करे।

सारे राज्य का कार्य इस समय तीन क्षेत्रों में बँटा हुआ है—(1) वैधानिक, (2) न्याय-संबंधी, (3) प्रशासन। हमारी विधान-सभाएँ राज्यों की नयी रचना के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा अपना काम करेंगी; अतः हिन्दी की बहुत मदद नहीं कर सकतीं। हमारे अन्य न्यायालयों का कार्य अधिकतर प्रादेशिक राज्यों के साथ सम्बन्धित होगा। वे हिन्दी की बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। प्रशासन में 11 राज्यों की कार्रवाई प्रादेशिक भाषाओं के द्वारा होगी। अतः वे हिन्दी के विकास तथा विस्तार में भी मदद देने की स्थिति में नहीं होंगे। हिन्दी राज्यों में भाषा का जो विकास होगा, वह प्रादेशिक ही होगा। उच्चतम न्यायालय में हिन्दी तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी उच्च न्यायालयों का कार्य तथा संसद का कार्य भी हिन्दी में नहीं चलेगा। संसद का कार्य हिन्दी में होने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि उसके 725 सदस्यों में मुश्किल से 350 सदस्य हिन्दी प्रान्तों के होंगे और बाक़ी सदस्य विभिन्न प्रदेशों के होंगे। ऐसी हालत में हमारे अन्तर-प्रादेशिक माध्यम हिन्दी की उन्नति कैसे होगी? अगर हम

भारत के अन्तर-प्रादेशिक माध्यम एक देशीय भाषा को नहीं बना सकें, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? क्या अंग्रेज़ी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाकर हम अपने देश की उन्नति कर सकते हैं? यह स्पष्ट है कि अंग्रेज़ी को अपना राष्ट्रीय माध्यम बनाने से देश की बहुमुखी उन्नति रुक जायगी।

अगर हमें अंग्रेज़ी का गढ़ तोड़कर हिन्दी को उसके स्थान पर प्रस्थापित करना है, तो प्रादेशिक भाषाओं के अपने-अपने अधिकार पूर्णतया सुरक्षित रखते हुए हिन्दी को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना होगा। अंग्रेज़ी का गढ़ इस देश में तब तक बना रहेगा जब तक हमारे देश के विश्वविद्यालय उसे अपनी शिक्षा का माध्यम बनाये रखेंगे। राष्ट्रीय पुनरुत्थान के इस युग में स्वभावतः कितने ही विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम देशीय भाषा बनाने के लिए तैयार हैं और हिन्दी को भी अनिवार्य भाषा के तौर पर सिखाने के पक्ष में हैं। विश्वविद्यालय-आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा-आयोग की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय देशीय भाषाओं का विकास तथा उपयोग करने के पक्ष में हैं। लेकिन यह कार्य हो कैसे सकेगा? इसके लिए कोई स्पष्ट कार्यक्रम, कालावधि, काल-योजना बनानी पड़ेगी। यह जितनी जल्दी बन सके, उतनी जल्दी बन जानी चाहिए।

हिन्दुस्तान के भाषावार प्रान्तों के बन जाने के कारण और विश्वविद्यालय भी स्वयं-शासित संस्थाएँ मानी जाने के कारण भी पृथकता की जो नयी परिस्थिति पैदा हुई है, उसे दूर करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि हिन्दुस्तान की एकता को दृढ़ बनानेवाले जितने सूत्र हैं उनको जोड़ा जाए और उन्हें ऐसा मज़बूत बनाया जाय कि उनके टूटने की नौबत ही न आए। एकता को मज़बूत बनाये रखने के जितने ज़रिये हैं, उनमें सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ज़रिया राजसेवकों का सेवा-क्षेत्र है। आज सारे हिन्दुस्तान में लाखों की तादाद में राजसेवक फैले हुए हैं। ये सेवक कुछ तो प्रादेशिक सरकारों के अन्तर्गत हैं, तो कुछ संघ-सरकार के। कम-से-कम एक करोड़ सेवक ऐसे होंगे जो अपनी जीविका सीधे राजसेवा के द्वारा, या राजसत्ता से प्राप्त सहायता के द्वारा चलाते हों। यह कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार के यातायात-विभाग में ही जिसमें रेलवे भी शामिल है, लगभग 10 लाख मुलाज़िम हैं। बाकी सभी महकमों में कम-से-कम 20 लाख मुलाज़िम और होंगे। साधारण गाँव के राज-सेवक से लेकर राजधानी में काम करनेवाले राज्य-सचिव तक के सेवकों का हिसाब किया जाय, तो एक करोड़ सेवक अवश्य होंगे। इनका वर्गीकरण भी श्रेणीबद्ध है। प्रादेशिक सरकारों तथा संघ-सरकार के अन्तर्गत उच्च पद पर काम करनेवाले सेवकों की अपनी अलग श्रेणी है, जो पुराने ज़माने में ऐ. सी. एस. (इण्डियन सिविल सर्विस) कही जाती थी। आज ऐ. ए. एस. (इण्डियन अड्मिनिस्ट्रेटीव सर्विस) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी तरह समूचे हिन्दुस्तान के कानून तथा नियंत्रण के लिए पुलिस का एक उच्च वर्ग है, जो ऐ. पी. एस. कहलाता है, जिसका अर्थ इण्डियन पुलिस सर्विस है। इसी तरह ऐ. एफ़. एस. (इण्डियन फ़ारिन सर्विस—भारतीय विदेश सेवा) आदि अखिल भारतीय सेवकवर्ग हैं। इन उच्च वर्गों से संबंध रखनेवाले सेवकों का चुनाव-संघ राज-सेवा-आयोग के द्वारा और प्रादेशिक राज-सेवकों का चुनाव प्रादेशिक सेवा-आयोग के द्वारा हो रहे हैं। प्रायः इस समय प्रत्येक प्रादेशिक राज्य के लिए एक सेवा-आयोग है। जनतंत्र के इस ज़माने में इसमें संदेह नहीं कि जनभाषा के द्वारा ही कार्य होगा। प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम के द्वारा ही आगे से अत्यधिक जनसेवा होने की संभावना है, होना भी निश्चित है। ऐसी हालत में प्रादेशिक राज्यों के कार्य में प्रादेशिक सरकारों के राज-सेवकों तथा संघ-सरकार के राजसेवकों के बीच में बहुत फ़ासला रह जाने की संभावना है। जो राज-सेवक सरकार के अधीन रहेंगे, उनके सेवाक्षेत्र में अगर परिवर्तन हो जाय, अर्थात्

उन्हें संघ-शासन में या और एक राज्य से दूसरे राज्य में तबादिला हो जाय, तो सेवा-नियम तथा सुविधाओं में भी परिवर्तन आ सकता है। इसलिए ज़रूरी है, यथासंभव हिन्दुस्तान में अपनी-अपनी श्रेणी के अनुसार सभी राजसेवक एक ही तरह की सुविधाएँ प्राप्त करें और एक ही तरह के आयोग के द्वारा चुने जायँ; अन्यथा प्रादेशिक सरकारों तथा संघ-सरकार के सेवकों के बीच में समानता तथा समस्थिति पैदा होने में कठिनाई आ सकती है।

इस समय संघ-भर में संघ-राजसेवा-आयोग तथा प्रादेशिक राजसेवा-आयोगों के द्वारा प्रायः प्रतिवर्ष 1 लाख सेवक चुने जाते होंगे। इस चुनाव में कम-से-कम 25 लाख व्यक्ति भाग लेते होंगे। और ये सभी व्यक्ति, स्पष्ट है, कि सरकार के द्वारा मान्यता-प्राप्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण या विश्वविद्यालयों में शिक्षित होंगे। हमारे विश्वविद्यालयों तथा शिक्षणालयों में जो शिक्षा मिलती है, उसका हमेशा यह ध्येय रहा है कि सरकार के लिए कर्मचारियों को तैयार किया जाय। जब से मेकाले ने अंग्रेज़ी राज को कायम रखने के लिए अंग्रेज़ी की मज़बूत नींव डाली, तब से अब तक यही नीति चालू रही। इन 120 सालों में मेकाले की नीति ने अंग्रेज़ी का जो गढ़ बना रखा था, उसे तोड़ना स्वराज्य के नेताओं के लिए नामुमकिन हो गया। विदेशी भाषा अंग्रेज़ी में राजकाज होते रहने के कारण राजसेवक तथा साधारण जन-समाज के बीच में खाई-सी बन गयी। इसलिए राजसेवकों की शिक्षा का माध्यम जब तक नहीं बदलेगा और वह देशीय भाषा का माध्यम नहीं होगा, तब तक यह संभव नहीं कि राजसेवक जनता के सच्चे सेवक बन सकें और समूचे राजसेवकों की दृष्टि बदल सकें।

वास्तव में हिन्दुस्तान की भाषा-समस्या जितनी कठिन समझी जाती है, उतनी है नहीं। उसकी आठ सागरीय भाषाएँ और चार पार्वतीय भाषाएँ हैं। अर्थात् चार पश्चिमी तीर की भाषाएँ, जो उत्तर से दक्षिण तक हिन्दुस्तान के पश्चिमी में फली हुई हैं, वे क्रमशः गुजराती, मराठी, कन्नड़, और मलयालम हैं। चार पूर्व समुद्र की तीरस्थ भाषाएँ हैं जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं, जो हिन्दुस्तान के पूर्व भाग में समुद्र तक सीमित हैं। वे हैं क्रमशः बंगला, ओड़िया, तेलुगु और तमिल। चार भाषाएँ हिमालय के अंचल में हैं, जो क्रमशः कश्मीरी, पंजाबी, हिन्दी और असामी हैं। इन चारों में हिन्दी ही ऐसी है, जो हिमालय से विंध्याचल तक भारत के मध्य भाग में फैली हुई है। बाक़ी तीनों भाषाएँ बहुत ही सीमित प्रदेश में फैली हुई हैं। इन 12 भाषाओं के अलावा 2 भाषाएँ और हैं जिन्हें संविधान ने स्वीकृत किया। लेकिन वे किसी ख़ास प्रदेश की भाषाएँ नहीं हैं। वे हैं संस्कृत तथा उर्दू। भौगोलिक दृष्टि से इन बारह भाषाओं का अपना-अपना क्षेत्र है और उनमें से कइयों के क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हैं। इनकी अपनी-अपनी राजधानियाँ हैं। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से उनके बोलनेवालों के अलग-अलग केन्द्र हैं। ऐसे केन्द्र इनके होते हुए भी कुछ शहर तथा इलाके ऐसे हैं जहाँ ये प्रमुख भाषाएँ अपनी-अपनी पड़ोसी भाषाओं के साथ मेल-जोल, बढ़ाती हुई प्रादेशिक संस्कृति का समन्वय करती हुई राष्ट्रीय संस्कृति की स्रवंती में योगदान करती रहती हैं। ऐसे केन्द्र आसानी से गिने जा सकते हैं। ऐसे केन्द्रों के नाम दक्षिण से उत्तर तक यों गिनाये जा सकते हैं:—मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली। मद्रास सदियों से तेलुगु, तमिल और मलयालम का केन्द्र रह चुका है। हैदराबाद में कन्नड़, मराठी, तेलुगु और उर्दू भाषाएँ पनपी हैं। बम्बई केन्द्र में गुजराती और मराठी भाषाओं के अलावा हिन्दी का भी काफ़ी प्रचलन है। नागपुर मराठी और हिन्दी का केन्द्र रह चुका है। कलकत्ता सदियों से बंगला, ओड़िया, असामी और हिन्दी का केन्द्र रहा है। दिल्ली तो हिन्दी का ही अड्डा कहा जा सकता है। ये सभी केन्द्र, जहाँ पर हिन्दुस्तान की प्रादेशिक

संस्कृति की धाराएँ मिलती रही हैं और भारतीय संस्कृति के रूप में परिणत होती रही हैं, हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय केन्द्र कहे जा सकते हैं। अतः राष्ट्रीय दृष्टि से राजसेवकों के चुनाव के लिए भी सर्वथा योग्य सिद्ध होंगे। संयोगवश ये सभी केन्द्र बहुत ही पुराने तथा विस्तृत शिक्षण के तथा विश्वविद्यालयों के भी केन्द्र रहे हैं।

इस समय संघ-सरकार के कर्मचारियों का चुनाव संघ-राजसेवा-आयोग के द्वारा हो रहा है। उसका एकमात्र केन्द्र दिल्ली है। सारे देश के लिए आवश्यक राजसेवकों का चुनाव एक ही केन्द्र से होने की वजह से उसमें कई तरह की असुविधाओं तथा त्रुटियों के आ जाने की संभावना है। इसलिए भिन्न-भिन्न प्रान्तों के उम्मेदवार कभी-कभी उसमें पक्षपात का भी आरोप करते हैं। अतः इस आयोग के कार्य का विकेन्द्रीकरण होना वांछनीय ही नहीं, बल्कि ज़रूरी भी है। संघ-राजसेवा-आयोग का यह सारा कार्य सभी केन्द्रों से हुआ करे, तो बड़ी सुविधा होगी। भाषावार जब राज्य बनेंगे, तब उनमें कुछ ऐसे भी राज्य होंगे, जो संख्या तथा शक्ति की दृष्टि से बहुत छोटे होंगे। यह स्पष्ट है कि केरल, असाम, ओड़ीसा और कश्मीर जनसंख्या की दृष्टि से छोटे ही कहे जायेंगे। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब और राजस्थान पर्याप्त रूप में बड़े नहीं कहे जा सकते। इसलिए इन राज्यों के लिए अलग राजसेवा-आयोग भाररूप ही होंगे। छोटे-छोटे राज्यों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय भी ज़रूरी नहीं कहे जा सकते। अतः यह उचित होगा कि उक्त छह केन्द्रों के बीच में राजसेवा-आयोगों का कार्य नीचे लिखे अनुसार बाँटा जाय :—

1. मद्रास—मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिन्दी।
2. हैदराबाद—तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उर्दू, हिन्दी।
3. बम्बई—गुजराती, मराठी, कन्नड़, हिन्दी।
4. नागपुर—मराठी, तेलुगु, हिन्दी।
5. कलकत्ता—बंगला, ओड़िया, असामी,
6. दिल्ली—कश्मीरी, पंजाबी, उर्दू और

जो केन्द्र ऊपर दिये गये हैं, इन केन्द्रों में राजसेवा-आयोग की परीक्षाएँ लेने के लिए अच्छे परीक्षक भिन्न भिन्न भाषाओं के भी प्राप्त हो सकते हैं; और साथ ही सुविधा तथा दूर की दृष्टि से उम्मेदवारों के लिए ये सभी केन्द्र बड़े ही अनुकूल साबित होंगे।

उक्त केंद्रों में प्रादेशिक सरकारों तथा संघ-सरकार के सेवकों का चुनाव साथ-साथ हो सकता है। उन केन्द्रों के द्वारा ऐसे सभी सेवकों का चुनाव हो सकता है, जो प्रशासन की दृष्टि से आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रदेशों में भेजे जा सकते हैं और अनुभव तथा सेवा की अवधि के अनुसार उच्च पदों पर नियुक्त हो जाने की क्षमता रखते हैं। इन आयोगों के द्वारा न्यायालयों उच्च शिक्षण-संस्थाओं तथा प्रादेशिक सरकारों के प्रशासन के लिए उच्च कर्मचारियों का चुनाव हो सकता है। जब तक इस देश में अंग्रेज़ों का राज्य था, वे राजसेवकों को अपने राज्य का इस्पाती चौखट कहते थे। आज इन राजसेवकों के द्वारा उस इस्पाती चौखट को बनाये रखना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क इतना ही है कि यह राष्ट्र का इस्पाती चौखट होगा और समय-समय पर फूटनेवाली विस्फोटक वृत्तियों का करारा जवाब देगा।

भारतीय भाषापीठ चाहिए*

एक ज़माना था जब कि प्रत्येक पढ़े-लिखे व्यक्ति से आशा रखी जाती थी कि वह अपनी भाषा और साहित्य से अच्छी तरह परिचित हो। भाषा को अपनी संस्कृति, ज्ञान तथा व्यवहार का माध्यम बनाना और वाक्शक्ति के द्वारा समाज की सेवा कर सकना शिक्षा का अंतिम ध्येय समझा जाता था। भारत में कवि, पंडित, साहित्यकार तथा वक्ताओं का बड़ा सम्मान रहा है। एक से अधिक भाषाओं की जानकारी विशेष योग्यता समझी जाती रही है। प्राचीन भारत तथा मध्ययुगीन भारत के शिक्षण-केन्द्रों में भाषा के अध्ययन को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता था। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों लोगों के बीच में बोली जानेवाली भाषाओं का सुसंगठन जैसे किया गया, वैसे किसी भी देश में मिलना कठिन है। प्राकृत भाषाओं पर आधारित संस्कृत का शब्द-नियंत्रण तथा तत्कालीन समस्त भाषाओं का अध्ययन कर सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण की रचना करनेवाले पाणिनि की मिसाल दुनिया के किसी दूसरे देश में मुश्किल से मिलेगी।

मुसलिम शासन के ज़माने में भी भारत में भाषाओं पर कम ध्यान नहीं दिया गया। हिन्दुस्तान की भिन्न-भिन्न भाषाओं से शब्द लेकर भारतीय भाषाओं के आधार पर मुसलिम शासकों तथा देश के पंडितों ने जो उर्दू बनायी, उसे भी देश के लिए आम भाषा-प्रचार का नहीं, बल्कि भाषा-समन्वय का एक ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है। हमारे मुसलिम शासक और मौलवीगण फ़ारसी लिपि पर ज़ोर नहीं देते, तो आज उर्दू के नाम पर शायद ही इतना विरोध खड़ा होता। भारत के धर्म-संस्थापकों ने तथा उनके प्रचारकों ने भावना-समन्वय के साथ भाषा-समन्वय का भी एक अद्भुत कार्य किया। पिछले ज़माने के लक्ष्य, आवश्यकताएँ तथा परिस्थितियाँ कुछ दूसरी ही थीं। फिर भी भाषा-समन्वय के क्षेत्र में आज भी इतनी विशाल तथा दृढ़तम पृष्ठभूमि मिल सकती है कि भारतीय भाषाविद् ऋषिवर पाणिनी के ज़माने में जो कार्य हुआ था, उसका नूतन दिशानिर्देश नये सिर से शुरू हो सके। आगे भारत की भाषाओं के द्वारा दिल और दिमाग़ को तृप्त रखनेवाली साहित्य-सृष्टि ही नहीं, बल्कि समस्त भारतीयों की मामूली ज़रूरतों की पूर्ति भी होनेवाली है। आज भारत केवल भौगोलिक दृष्टि से ही एक नहीं, जैसा कि वह हमेशा रहा है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी एक नहीं, जिसके निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने अथक परिश्रम किया, बल्कि राजनैतिक दृष्टि से भी एक हो गया है, जो इसके इतिहास में पहला अवसर कहा जा सकता है। यह राजनैतिक एकता भारतीय जनतंत्र पर आधारित है, क्योंकि आज भारतीय जनता के हाथ में ही शासन की बागडोर आ गयी है। आज भारत का सारा शासन जनता के नाम से किया जा रहा है और जनता के कल्याण के लिए ही किये जाने का प्रयत्न हो रहा है। यह सारा शासन जनता के द्वारा तभी होगा जब कि जनता को अपनी भाषा द्वारा अपना सारा कारोबार करने की शक्ति मिले और उसकी भाषा में भी आवश्यक क्षमता आ जाय।

पिछले सौ वर्षों में भारतीय भाषाओं का जैसा अध्ययन होता रहा और उनकी जो तरक्की हुई, उनका जैसा विकास तथा संगठन हुआ, उसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। उसका एकमात्र कारण तत्कालीन भारत पर शासन करनेवाले अंग्रेज़ शासकों की उपेक्षा है। यही नहीं, बल्कि इन अंग्रेज़ शासकों ने देश की शिक्षा तथा ज्ञान के लिए एक नया साधन ढूँढा और

* दिसंबर, 1953, के "दक्षिण भारत" में प्रकाशित लेख।

उन्होंने इसके लिए अपनी भाषा अंग्रेज़ी को माध्यम बनाया। इसका असर यह हुआ कि भारतीय भाषाएँ दब गयीं और प्रांतीय भाषाओं में निष्णात व्यक्तियों का शिक्षित तथा सुसंस्कृत समाज के द्वारा अनादर हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आज देश के शिक्षण तथा ज्ञान के अड्डे समझे जाते हैं। उनमें जो शिक्षा तथा ज्ञान हमारे देशवासियों को प्राप्त होता रहा है, वह भारतीय भाषाओं के द्वारा नहीं, बल्कि विदेशी भाषा के द्वारा होता रहा है। स्वराज्य प्राप्त होने के बाद भी इन विश्वविद्यालयों ने अपनी पुरानी नीति नहीं बदली। न बदलने का एक सबसे बड़ा तथा ज़बरदस्त कारण यह बताया जाता है कि भारतीय भाषाएँ आज शिक्षा के माध्यम के लिए उपयुक्त नहीं। कहते हैं कि उपयुक्त बन जाने के बाद ही भाषा का माध्यम बदला जा सकता है, तब तक अंग्रेज़ी ही शिक्षा का माध्यम बनी रहेगी। इस दलील में आज के हमारे शिक्षा-शास्त्रियों तथा शिक्षा-अधिकारियों का भारतीय भाषाओं के प्रति अनादर ही व्यक्त नहीं होता, बल्कि उनको विकसित बनाने के संबन्ध में भी उनकी अनिच्छा झलकती है। एक दूसरा कारण हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में मदद नहीं पहुँचाने का यह भी है कि आज हमारे विश्वविद्यालय सांस्कृतिक शिक्षण-केन्द्र नहीं बल्कि, सांकेतिक (वैज्ञानिक) शिक्षण-केन्द्र हैं। आज हमारे विश्वविद्यालयों में मिलनेवाली शिक्षा अधिकतर वैज्ञानिक समझी जा सकती है। इस वक्त हमारे विश्वविद्यालयों की नीति वैज्ञानिक शिक्षण को बढ़ाने की भी है। फलतः विज्ञान के विषयों को—जैसे कि रसायन-शास्त्र, पदार्थ-विज्ञान, यंत्र-शास्त्र, स्थापत्य-शास्त्र आदि—लेकर स्नातक बननेवालों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि भाषा तथा संस्कृति की शिक्षा नगण्य-सी बन रही है। सच है कि आज देश की व्यवस्था, शासन तथा उद्योग-धंधे आदि अनेक आवश्यकताओं को देखते हुए वैज्ञानिक शिक्षा की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं दीखता कि हमारे विश्वविद्यालय देश के भाषा तथा संस्कृति-प्रेमियों की आशाओं को पूरा कर सकें।

स्वराज्य प्राप्त होने के बाद जिन समस्याओं को लेकर देश में एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ है, उनमें भाषाओं की समस्या भी एक है। भाषा के प्रश्न को लेकर आज देश कितनी ही तरह के झगड़ों में फँसा हुआ है। भाषा के नाम से अल्पसंख्याकों का प्रश्न, सरहदी प्रश्न, पिछड़ी हुई भाषाओं का प्रश्न, पड़ोसी भाषाओं का प्रश्न तथा राष्ट्र व प्रान्तीय भाषाओं का संघर्ष दिन-ब-दिन पेचीदा होता जा रहा है। इन सभी सवालों ने कुछ राजनैतिक नेताओं के लिए नया ही अखाड़ा तैयार कर दिया है।

जहाँ भाषा का आत्मविकास तथा सेवा के माध्यम के तौर पर उपयोग करना चाहिए था, लोग उसे झगड़े का माध्यम बना रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि जनता का स्वभाषा के प्रति प्रेम और इस प्रेम से उत्पन्न होनेवाली ममता और उसका कुछ महत्वाकांक्षियों द्वारा दुरुपयोग। अन्यथा यह आवश्यक नहीं कि भाषा के सवाल को लेकर सर्वत्र इस तरह की लड़ाई छिड़ जाय। लेकिन इस वस्तुस्थिति की उपेक्षा करना भी वांछनीय नहीं है और न इस समस्या को संतोषजनक तरीके से हल किये बिना टाला जा सकता है। इस हल के द्वारा प्रादेशिक भाषाओं तथा सार्वदेशिक भाषा के स्थान तथा स्तर का संतुलन और सामंजस्य भी होना चाहिए।

अब तक हिन्दी का प्रचार सार्वदेशिक भाषा के तौर पर होता रहा है। उसमें हिन्दी भाषा पर ही अधिकाधिक ज़ोर दिया गया है, उसके व्यापक उद्देश्य अथवा उसके सार्वदेशिक स्वरूप पर नहीं। इससे प्रादेशिक भाषाभाषियों के मन में शंका तथा भय उत्पन्न हो गया है कि सार्वदेशिक भाषा के महत्व के बोझ के नीचे कहीं प्रादेशिक भाषाएँ दब न जायँ। भारत में कुछ प्रादेशिक

भाषाएँ ऐसी हैं जो बहुत पुरानी होने के साथ उच्च कोटि के साहित्य से संपन्न हैं। वे भाषाएँ तथा उनमें निर्मित वह प्रांजल साहित्य इन प्रदेशों के लोगों के आत्मविकास के लिए स्फूर्ति तथा जीवन-स्रोत का काम देता आया है। उन भाषाओं के द्वारा उनकी कितनी ही पीढ़ियों ने पुष्टि और तुष्टि पायी है। इसलिए अपनी-अपनी भाषा के साथ ममता रखना उनके लिए स्वाभाविक ही है।

प्रादेशिक भाषाओं में दक्षिण की भाषाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण की चारों भाषाएँ—तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलमालम—काफ़ी पुरानी हैं और उनके साहित्य भी बहुत पुराने हैं। तमिल का पुराना साहित्य, जो इस समय मिलता है, 2,000 वर्ष पुराना है, तो बाक़ी भाषाओं का साहित्य भी कम-से-कम 1,500 वर्ष पुराना है ही। इन चारों भाषाओं के गठन में भी काफ़ी समानता तथा सारूप्य है। ये भाषाएँ हिन्दुस्तान की अन्य प्रादेशिक भाषाओं से कुछ शब्दों की ध्वनियों, व्याकरण, वाक्य-रचना तथा शब्दों के स्वरूप में भी काफ़ी भिन्नता रखती हैं। लेकिन इन भाषाओं में जो साहित्य मौजूद है, उसकी आत्मा दूसरी प्रादेशिक भाषाओं से अधिक भिन्न नहीं।

आन्ध्र के विभाजन के बाद तेलुगु भाषा के पोषण के लिए भी एक अलग राज्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो मद्रास राज्य की अस्सी फ़ी सदी जनता तमिल भाषा से परिचित है। कन्नड़ के लिए मैसूर तथा मलयालम के लिए तिरुवितांकूर-कोच्चि राज्य से पोषण मिलेगा ही। भाषा पर आधारित राज्य क़ायम होने के बाद इन चारों भाषाओं के लिए अलग-अलग राज्य बनेंगे। उनके बोलनेवालों की तादाद कोई 10 करोड़ और रक़बा ढाई लाख वर्गमील का होगा।

भाषावार प्रान्तों में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर राज्य सुशासित, विकसित तथा सफल बनाने के लिए सुविधाएँ अवश्य प्राप्त होंगी। लेकिन भिन्न-भिन्न प्रदेशों के लिए भाषा के आधार पर राज्य निर्मित होने के बाद अगर उन्हें एकसाथ मिलाये रखने और उनको सार्वदेशिक बनाये रखने का उद्योग बराबर न किया जाय, तो इन भाषावार प्रान्तों में से ख़तरा भी पैदा होने की संभावना है। हिन्दुस्तान की एकता उसके भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सहयोग से ही बनी रह सकती है। यह सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब कि प्रदेशों का पारस्परिक सम्बन्ध—सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक—बढ़ता रहे और वह स्वेच्छा से राजनैतिक बन्धन में परिवर्तित होता रहे। इस बन्धन को मज़बूत तथा स्थायी बनाने के लिए सब आवश्यक उपाय किये जाने चाहिए। इन उपायों में अत्यावश्यक तथा अच्छा उपाय यही है कि हिन्दुस्तान की भिन्न-भिन्न भाषाओं और उनके साहित्य का समन्वय किया जाय और उसमें अधिक-से-अधिक सारूप्य पैदा किया जाय। यह कार्य कुछ सरकार के द्वारा हो सकता है, तो कुछ जनता के द्वारा; कुछ प्रादेशिक राज्यों के द्वारा हो सकता है, तो कुछ केन्द्र सरकार के द्वारा भी। जहाँ अब तक हिन्दी देश की भौगोलिक एकता को सच्ची बनाने के लिए राजनैतिक एकता क़ायम करने का दावा करती आ रही है, वहाँ अब उसे प्रान्तीय भाषाओं की समस्त उन्नति को भी अपने में आत्मसात् करते हुए भारत का साक्षात्कार कराने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। यह कार्य कुछ केन्द्रीकृत पद्धति पर हो सकता है, तो कुछ विकेन्द्रीकृत पद्धति पर भी। विकेन्द्रीकरण से ही कार्य शीघ्रता से सम्पन्न होगा। लेकिन इस कार्य की अधिकाधिक संपन्नता दक्षिण भारत के सहयोग से ही हो सकती है। अतः अब समय आ गया है कि दक्षिण भारत की चारों भाषाओं का एक-दूसरे के साथ मेल-जोल बढ़ाया जाय और इस मेल-जोल को हिन्दी के द्वारा पुष्ट किया जाय। इस तरह दक्षिण भारत में विकसित होनेवाली हिन्दी दक्षिण भारत की भाषाओं की संस्कृति तथा साहित्य से प्रभावित होगी। वह भारत के अन्य प्रदेशों के साथ भी मेल-जोल बढ़ाती हुई हिन्दुस्तान की भाषाओं के समन्वय-

कार्य को संपन्न कर सकेगी। यह कार्य तभी हो सकता है जब कि इस कार्य के लिए सारे दक्षिण भारत के लिए एक अलग भाषापीठ का निर्माण किया जाय, जिसका एकमात्र उद्देश्य दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास में योग देना, यहाँ पर साक्षरता बढ़ाना, उसके साहित्य-सृजन में योग देना, साहित्य का एक-दूसरे के बीच में आदान-प्रदान करवाना, और हिन्दी के माध्यम से विभिन्न प्रांतों के साहित्य-स्रष्टाओं से परिचित कराना आदि-आदि हो।

हिन्दुस्तान में 80 फ़ी सदी से अधिक जनता गाँवों में बसती है। गाँवों में रहनेवाले बच्चों के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये प्रारंभिक शिक्षा के निमित्त ख़र्च होते हैं। इस प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त कर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में जानेवाले विद्यार्थी 10 फ़ी सदी भी नहीं रहते। जो 10 फ़ी सदी उच्च शिक्षा में जाते हैं, वे भी शहरों में ही बस जाते हैं। फलस्वरूप धीरे-धीरे गाँवों में उनकी जड़ें टूटने लगती हैं। इस तरह शहर के शिक्षित समाज तथा ग्रामीण समाज के बीच में सांस्कृतिक स्तर की जो खाई पड़ी है, उसे पाटना मुश्किल हो रहा है। देश के उत्पादक कार्यों में लगा हुआ ग्रामीण समाज गाँवों में रहकर ही अपनी शिक्षा की वृद्धि कर सकता है तथा नगरों में बसनेवाला समाज अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षा का कार्य आगे बढ़ा सकता है। इन गाँवों में बसने वाले लोगों की आवश्यकताएँ भी शहर के नागरिकों की आवश्यकताओं से भिन्न हैं। खेतीबारी, दस्तकारी तथा छोटे-छोटे कुटीर-धन्धों में लगे हुए लोगों को आध्यात्मिक, मानसिक तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ज्ञान चाहिए, उसे प्राप्त करने के, तरीक़ों, कालावधि तथा अवस्थाओं में काफ़ी फ़र्क है, और उन्हें उन्हींके स्थान पर उनकी आवश्यकता तथा सुविधा के अनुकूल शिक्षा भी मिलनी चाहिए। इसमें उनकी मातृभाषा अधिक काम आएगी, और राजनैतिक शिक्षा के लिए ही सार्वदेशिक (हिन्दी) शब्दों की जानकारी की भी आवश्यकता होगी। इस काम के लिए देश के चारों ओर चार भाषापीठ बनें, तो उनकी प्रादेशिक शाखाएँ अलग हो सकती हैं। प्रादेशिक भाषाओं तथा संस्कृति का समन्वय हिन्दी के द्वारा हो सकता है। इसी तरह प्रांतीय भाषा तथा हिन्दी की जानकारी युगल तौर पर लोगों को होती जायगी।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने पिछले वर्षों में करीब-करीब इसी तरह का कार्य किया है। अब इस सभा के साथ चारों प्रान्तों में चार शाखाएँ भी हैं, जो भाषा के प्रचार में लगी हुई हैं। इन शाखाओं की नीति भी प्रान्तीय भाषा तथा सार्वदेशिक भाषा का समान रूप से प्रचार करना, उनके बीच में समन्वय पैदा करना, उनकी उपयुक्तता की निश्चित व्याख्या करना और उनके स्थान तथा महत्व को बढ़ाते रहना है। दक्षिण भारत की भौगोलिक एकाई, भाषा के सारूप्य के साथ यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का बहुत साथ दिया है। उसे इस कार्य में जो सफलता मिली, उसे जारी रखने, बढ़ाने और देश की एकता को बनाये रखने के लिए उसकी नींव मज़बूत करना बहुत ज़रूरी है।

प्रजातंत्र के युग में प्रजा की भाषा की उन्नति, प्रचार तथा विकास जो होगा, उसमें प्रांतीय सरकार का हाथ अवश्य रहेगा। लेकिन भिन्न-भिन्न भाषाओं की उन्नति का पूरा फायदा उठाकर उनमें मेल-जोल बढ़ाने और समन्वय बढ़ाने का काम केन्द्रीय सरकार का होगा। शासन तथा राज-सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार देश में भिन्न-भिन्न एकाइयों को जोड़कर देश के एकता-सूत्र को मज़बूत बनाने का काम केन्द्रीय शक्तियों का होगा। इसलिए केन्द्र-सरकार को चाहिए कि देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रादेशिक भाषाओं की एकाइयों का संगठन करें और उनके द्वारा समन्वय पैदा करें और इस समन्वय को सार्वदेशिक रूप दें। जैसे दक्षिण भारतीय इतिहास चारों प्रांतीय भाषाओं के साथ ताने-बाने की तरह मिला हुआ है, उसी तरह पूर्व भारत के ओरिसा, बंगला तथा असमिया भाषा-

भाषियों का भी। उनकी भाषाओं में भी काफ़ी सारूप्य तथा समानता है। इस कारण से पूर्वी प्रदेशों की जनता के उपयोग के लिए पूर्वी भाषाओं का एक पीठ होना चाहिए। उसका भी संगठन पूर्व भारत भाषापीठ के नाम से हो जाय, तो बहुत अच्छा है। यह कार्य गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के शांतिनिकेतन के द्वारा हो सकता है, जो इस वक्त शासन के द्वारा अधिकार-संपन्न संस्था है।

इतिहास के अभिज्ञाता जानते हैं कि हमारे पश्चिम भारत के महाराष्ट्र तथा गुजराती भाषा-भाषी प्रांतों के इतिहास में भी उन्हें प्रायः एक-साथ रहने का मौका मिलता आया है। सैकड़ों वर्षों से इन दोनों पश्चिमी समुद्रतीरस्थ प्रांतों ने अपनेको एक-दूसरे के साथ निकट लाने तथा मिलाये रखने का सफल प्रयत्न किया है। इन दोनों भाषाभाषियों में भी अधिकांश लोग इस समय एक ही राज्य के अंतर्गत हैं। अगर दोनों एक-दूसरे के सहयोग से हिन्दी के साथ आबद्ध होने के लिए एक पश्चिमी भारतीय भाषापीठ बना सकें, तो बड़ा ही उत्तम होगा। यह काम बंबई के भारतीय विद्याभवन के द्वारा भी हो सकता है। हाँ, विद्याभवन को अपने उद्देश्य और कार्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। राष्ट्रभाषा प्रचार और प्रांतीय भाषा तथा साहित्यिक संस्थाएँ इसके साथ सम्बद्ध की जा सकती हैं। इस तरह समुद्रतीरस्थ नौ प्रादेशिक भाषाओं का, भारत की अर्द्धभूमि की भाषा हिन्दी के साथ दृढ़ सम्बंध होगा।

यह पूछा जा सकता है कि इस समय हमारे ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो विश्वविद्यालय मौजूद हैं, वे इस काम को अपने ऊपर उठा नहीं सकते? हमारे सभी विश्वविद्यालयों में जब प्रादेशिक भाषा शिक्षा का माध्यम होगी, तब क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती? हमारे भौतिक शास्त्रों के साथ-साथ समाजशास्त्र भी समान महत्त्व के साथ पढ़ाये जाएँगे, तो क्या हमारी भाषा तथा संस्कृति अपने-आप नहीं बढ़ेगी? इन विश्वविद्यालयों से निकलनेवाले विद्वान, पंडित तथा भिन्न-भिन्न स्तर के अध्यापक तथा अन्य समाज-सेवी जो होंगे, उनके द्वारा यह काम नहीं होगा? इसलिए भाषा, संस्कृति तथा साहित्य के प्रचार के लिए शिक्षा का माध्यम बनाना काफ़ी है। इनके लिए *अलग संस्थाएँ बनाने की आवश्यकता* ही क्या है?

इसका उत्तर यों दिया जा सकता है। हमारे विश्वविद्यालयों का, जिनकी संख्या इस समय 20 से अधिक है, (जो आगे आवश्यकता के अनुसार बढ़ती भी जाएगी) अपना एक अलग इतिहास है; उनका साँचा भारतीय नहीं है। वे अंतरराष्ट्रीय साँचे में ढले हुए हैं। उनका लक्ष्य भी ज्ञान-विज्ञान में अंतरराष्ट्रीय स्तर प्राप्त करने का है। भाषा का अध्ययन और संस्कृति उनकी प्रधान दृष्टि नहीं, बल्कि गौण दृष्टि है। प्रकृति, प्राकृतिक-धर्म समाज-विज्ञान, मनुष्य-शास्त्र, मनुष्य-स्वभाव आदि विषयों की जानकारी कराना इन विश्वविद्यालयों का प्रधान लक्ष्य है। भाषा व साहित्य जिनके साथ मनुष्य की छिपी हुई हृदय-ग्रंथियों का निकट संबंध है, उनके दायरे की चीज़ नहीं। अगर है भी, तो उनको उस व्यापकता के साथ फैला नहीं सकते जिसका असर गाँव-गाँव तक पहुँचे। अगर इस काम को वे प्रधानता देना भी चाहें, तो हमारे शास्त्रीय विज्ञान की सेवा के कार्य में कसर रह जाएगी। इसलिए उन्हें शिक्षण के कार्य तक ही अपनेको महदूद रखना चाहिए।

आँकड़ों से पता लग सकता है कि हमारे विश्वविद्यालय आजकल हमारे पाँच फ़ी सदी विद्यार्थियों के भी शिक्षण-केंद्र नहीं बन पाये हैं। उनको अपना दायरा बढ़ाने में अनगिनत कठिनाइयाँ भी हैं। एक दूसरे कारण से भी यह संभव नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय जनता के बीच में नहीं बसते। वे बड़े-बड़े शहरों तथा महानगरों में हैं। उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जनता को उनके पास जाना पड़ता है, वे जनता तक नहीं पहुँच सकते। उनका विकेन्द्रीकरण भी असंभव काम है; क्योंकि वे समाज

की सेवा के लिए भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञों को ही तैयार नहीं करते, बल्कि सरकारी काम करने के लिए अफ़सरों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी तैयार करते हैं। देश की सरकारी तथा नीम सरकारी संस्थाएँ भी अपने कार्यकर्त्ताओं के लिए इन्हीं विश्वविद्यालयों पर निर्भर रहती हैं। अतः इन विश्वविद्यालयों में उन्हीं वर्गों के लोग शामिल होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनका भरपूर उपयोग करते हैं और जो अधिकतर मुलाज़िम बनना चाहते हैं। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि मुलाज़िमों को अपना स्थान छोड़कर उन जगहों में बसना पड़े, जहाँ उनको नौकरी मिलती है। इससे स्पष्ट है कि हमारे सभी विश्वविद्यालय मध्यम वर्गों के उपयोग के लिए ही हैं, अर्थात् मुलाज़िमत के द्वारा समाज-सेवा में लगे रहनेवाले वर्गों के लिए हैं, सर्वसाधारण ग्रामीण जनता के लिए नहीं, जिसका अपना स्वतंत्र पेशा है और जो मध्यम वर्गों के लिए अन्न-वस्त्र आदि उत्पादन कार्य में लगी रहती है। अतः प्रादेशिक तथा मण्डलीय ढंग पर भारतीय भाषापीठ बनना अत्यावश्यक है जिसके द्वारा गाँवों, तथा कस्बों में भाषा तथा साहित्य का प्रचार हो सकता है।

मंडलीय भाषापीठों से कितने ही काम लिये जा सकते हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिये जा रहे हैं—

1. प्रांतीय भाषा से हिन्दी तथा हिन्दी से प्रांतीय भाषा में जनपदीय संस्कृतिसंपन्न साहित्य का अनुवाद हो, जिससे हिन्दी साहित्य में सार्वदेशिकता आ जाय।

2. प्रादेशिक भाषाओं से ऐसे शब्दों को चुन-चुनकर इकट्ठा करना, जो उनमें आम-फ़हम हैं और जो सार्वदेशिक शासन, विधान, कार्य-पालन तथा न्यायपालन के दायरे में काम आ सकें।

3. प्रादेशिक भाषाओं के अच्छे साहित्य-प्रेमियों को हिन्दी में मौलिक रचनाएँ करने का प्रोत्साहन देना।

4. हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं के बीच में स्नेह तथा सहयोग को पुष्ट बनाना।

5. प्रादेशिक भाषाओं तथा हिन्दी में राष्ट्र की एकता को बढ़ानेवाला साहित्य पैदा करना और उसका प्रचार करना।

6. हिन्दी को भारतीय रूप देने के लिए वे सभी कार्य करना, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान की धारा 351 में है।

7. द्विभाषी प्रदेशों तथा बहुभाषी प्रदेशों में भाषा-दुर्मोह से पैदा होनेवाले झगड़ों को दूर करने के लिए एक-दूसरे की भाषा का परिचय करा देना।

8. भाषा तथा साहित्य का प्रचार करनेवाली संस्थाओं का संगठन करके उनमें परस्पर स्नेह तथा समन्वय पैदा करना।

9. आर्थिक सहायता के द्वारा ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं को मदद देना, जिनके कृतकार्यों से राष्ट्रीय भावना तथा एकता की वृद्धि हो।

10. अपने दायरे की भिन्न-भिन्न सरकारों से भाषा तथा साहित्य के प्रचार के लिए मदद प्राप्त करना और उसका सदुपयोग करना।

11. प्रांतीय भाषाओं के संपर्क तथा सहयोग से राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय संस्कृति की ऐसी वृद्धि करना जिससे उसमें सार्वदेशिकता प्रतिबिंबित हो और भारत की एकैक संस्कृति की उन्नति हो।

आजकल यह भी चर्चा चल पड़ी है कि हमें ग्रामीण विश्वविद्यालय चाहिए। हाल ही में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकारी मंडल ने भी इसपर चर्चा की है और कुछ प्रस्ताव भी किये हैं। विश्वविद्यालय की कल्पना में ही अधिकाधिक केन्द्रीकरण है। विश्वविद्यालय की कल्पना में शिक्षण-केन्द्रों का सिर्फ़ संगठन हो, तो कुछ हद तक ठीक हो सकता है। लेकिन जहाँ ये शिक्षण-केन्द्र खुलेंगे, वहाँ भिन्न-भिन्न विषयों के विशेषज्ञों तथा विशेष जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। इससे उसके व्यापक उपयोग में अड़चन आ जाएगी। इसलिए उन्हें विश्वविद्यालय न कहकर भाषापीठ ही कहें, तो ठीक होगा। लेकिन विश्वविद्यालय चाहनेवालों के उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः यह आवश्यक है कि ज्ञान

और विज्ञान को फैलाने के लिए हम केन्द्रीकृत यंत्र ही न बनाएँ, बल्कि उन्हें देश के विभिन्न समाजों के उपयोग के लिए योग्य साधन भी बनाएँ।

एक ज़माना था जब कि हमारे समाज के लिए आवश्यक सारी सांकेतिक विद्या कुछ वर्गों के साथ संबंधित रहा करती थी। वे वर्ग उसे अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त कर नयी पीढ़ियों को दे दिया करते थे। हमारे सभी शास्त्र तथा कलाओं में कुछ ख़ास वर्ग के लोग निपुण समझे जाते थे। वह तब की बात है जब हमारी सारी सभ्यता ग्रामीण थी। धीरे-धीरे वे वर्ग भी और उनकी विद्या भी लुप्त होती जा रही है और ग्रामीण जनता उससे वंचित हो रही है।

इसलिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने बुनियादी तालीम चलायी। इस नयी तालीम का उद्देश्य जनता को अपने जीवन तथा पेशे के द्वारा शिक्षा देना है। महात्मा गाँधी की नयी तालीम तथा भाषा और साहित्य का प्रचार साथ-साथ चल सके, तो देश की जनता को उसकी शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए जो सामग्री चाहिए, मिल जाएगी और साथ-ही-साथ राष्ट्र का उत्थान तथा कल्याण भी होगा।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था कि इस देश में एक राष्ट्रभाषा ही न बने बल्कि सभी प्रादेशिक भाषाएँ पनपें और वे ऐसी क्षमता प्राप्त करें, जिससे हमारी उन्नति को रोकनेवाली अंग्रेज़ी को उखाड़ फेंक सकें। जैसे कि उन्होंने अपनी ज़िन्दगी-भर हिन्दुस्तान की संस्कृति को अपनेमें समाविष्ट करने की कोशिश की, वैसे ही हिन्दुस्तान की सभी भाषाओं के साथ समान प्रेम और परिचय रखने की कोशिश में भी वे लगे रहते थे। वे प्रायः अपनी बैठक के सामने हिन्दुस्तान की लिपियों का एक नक्शा रखा करते थे। वे स्वयं सभी लिपियों में दस्तखत करना भी सीख गये थे। उनके हाथ के लिखे हस्ताक्षरों से दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भाषा-समन्वय का उनके व्यक्तित्व के द्वारा साक्षात्कार होता है। भारतीय भाषाओं का पुनरुत्थान तथा सार्वदेशिक भाषा हिन्दी का प्रचार महात्मा गांधी की विरासत है। उसे पूजनीय वस्तु समझकर न केवल उसकी पूजा ही करें, बल्कि उसका महत्वपूर्ण प्रचार करते हुए आगामी पीढ़ियों के लिए उसे ऐसे विस्तृत कर दें, जिससे आगामी पीढ़ियों में हमारे लिए यह कहा जाय कि हमने महात्मा गांधी के समय में पैदा होकर उनका ऋण चुकाने का प्रयत्न किया है।

*

"सारे भारत के अंतर-प्रांतीय व्यवहार के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है। वह भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी ही हो सकती है। वह प्रांतीय भाषाओं के स्थान में नहीं, बल्कि उनके साथ एक अतिरिक्त भाषा होगी।"

—महात्मा गांधी

*भारत के नकशे पर आन्ध्र राज्य

भारत के नकशे पर पहली अक्टूबर, 1953, को एक नया राज्य आन्ध्र के नाम से अवतरित होगा। तब, हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार 'अ' श्रेणी के राज्य 9 से 10 बनेंगे। अपने अक्षर-बल से (अंग्रेज़ी वर्णमाला के अनुसार) 'आंध्र' पहला राज्य होगा। इस समय मद्रास के उत्तर में मद्रास राज्य से संबंधित जो 11 जिले हैं, उनको आन्ध्र राज्य के नाम से संगठित किया जायगा। ये ज़िले इस प्रकार हैं—श्रीकाकुलम, विशाखपट्टणम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, गुण्टूर, कर्नूल, नेल्लूर, चित्तूर, कडपा, अनन्तपुर और बल्लारी (बल्लारी की तीन तहसीलें)। इस नये संगठित राज्य को मद्रास राज्य के 1,27,790 वर्गमील के रकबे से 63,417 वर्गमील का रकबा मिलेगा। बाकी रकबे से 3,653 वर्ग मील का रकबा मैसूर को मिलेगा; अर्थात् इस नये प्रबन्ध में मद्रास के रकबे का बँटवारा यों होगा—शेष मद्रास 60,720, आन्ध्र 63,417, मैसूर 3653। कुल मद्रास की आबादी 5,70,16,002 यों बंटेगी:—आन्ध्र 2,05,07,801, मैसूर 7,73,712, शेष मद्रास 3,56,34,489। आन्ध्र में 33 नगरपालिकाएँ, 46 शहर, 242 कस्बे और 23,090 गाँव हैं। इस नये राज्य के पूर्व में ओड़ीसा, उत्तर में हैदराबाद, पश्चिम में मैसूर और दक्षिण में मद्रास राज्य रहेंगे। आन्ध्र राज्य की भाषा तेलुगु रहेगी, क्योंकि ग़ैर-तेलुगु भाषा-भाषियों की संख्या इस राज्य में पाँच-छह प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। आन्ध्र के लिये अलग राज्य के आन्दोलन के शुरू हुए अब करीब 40 साल गुज़रे हैं। 1913 में यह आन्दोलन शुरू हुआ और अब 1953 में आन्ध्र के लिए अलग राज्य गठित हो रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से 'आंध्र' शब्द करीब ढाई हज़ार साल पुराना है। यह शब्द पहले-पहल ऐतरेय ब्राह्मण में पाया गया। यह कहना मुश्किल है कि 'आंध्र' शब्द का संबंध भाषा के साथ है, या किसी जाति या स्थान या राज-कुटुम्ब के साथ। यह भी कहना मुश्किल है कि भारत के दो मशहूर नस्लों, आर्य और द्राविड़ों में, आन्ध्रों का संबंध किसके साथ था। मशहूर इतिहासकार मेगस्थनीस ने चन्द्रगुप्त के ज़माने के इतिहास का ज़िक्र करते हुए आन्ध्रों के राज्य का वर्णन किया था। आन्ध्र पहले-पहल बौद्ध धर्म के बड़े पोषक और उसके प्रचार में अग्रसर थे। बौद्ध धर्म के महायान सिद्धान्त के स्थापक नागार्जुन आन्ध्र-प्रान्त के थे। बुद्ध धर्म के प्रचार के फलस्वरूप आज सारे आन्ध्र राज्य के ज़िलों में जगह-जगह पर उस युग की मूर्ति-कला के अच्छे-से-अच्छे नमूने पाये जाते हैं। ईसा के पूर्व करीब 300 साल के पहले वर्तमान औरंगाबाद ज़िले में गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठानपुर नामक जगह पर आन्ध्रों का एक बहुत बड़ा राज्य था। ईसा के पूर्व करीब 170 वर्ष के पहले आन्ध्रों का राज्य पूर्व में बिहार तक, पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक, दक्षिण में कृष्णा के अंत तक फैला था। इन्हीं के राज्य में, कहा जाता है कि एल्लोरा, अजन्ता आदि मशहूर चित्रकलापूर्ण गुफ़ा-नगर बने थे। आन्ध्रों का राज्य ईसा के बाद सवा तीन सौ साल तक रहा। उसके बाद सौ साल तक आन्ध्र राज्य कितने ही छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। वर्तमान आन्ध्र का दूसरा

* अक्टूबर, 1953, के 'दक्षिण भारत' में प्रकाशित लेख।

नाम तेलुगु देश भी है। यह शब्द 'त्रिलिंग' शब्द से आया है। इस 'त्रिलिंग' शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान लोग दो तरह की राय देते हैं। एक ज़माना था, जब कि आन्ध्र उत्तर कलिंग, मध्य कलिंग और दक्षिण कलिंग के नाम से मशहूर था। चूँकि यह देश तीन कलिंगों का संयुक्त रूप था, इसलिए 'त्रिकलिंग' बना। धीरे-धीरे वह 'त्रिलिंग', उसके बाद 'तेलंग' और 'तेलुगु' हुआ। और दूसरी राय यों है: पूर्व में द्राक्षाराम, दक्षिण में कालहस्ति, पश्चिम में श्रीशैल नामक तीन शिवलिंगों के तीन मशहूर शैव तीर्थों के बीच में बसे रहने के कारण तीन लिंगों के अन्तर्गत भूमि को त्रिलिंग का नाम दिया गया।

दक्षिण के इतिहास में तीन साम्राज्य बहुत मशहूर हैं, जिनके साथ आंध्रों का संबंध था—पहला, प्रतिष्ठानपुर, ई. पू. तीसरी सदी से लेकर ईसा के बाद चौथी सदी तक; दूसरा, 12-वीं शताब्दी में काकतीयों के नाम से ओरुगल और तीसरा 14-वीं शताब्दी में विजयनगर के नाम से बल्लारी ज़िले के विद्यानगर। विजयनगर साम्राज्य के ज़माने में आंध्र लोग तमिल प्रांत के मशहूर प्रदेश तंजावूर और मदुरा पर भी राज्य करते थे। 1670 में मदुरा के आंध्र राजा ने सिलोन भी जीता। अपने पूर्वजों के प्रताप के स्मरण में वर्तमान आंध्र नेताओं ने 'तेलुगु' शब्द से बढ़कर प्राचीन आंध्र शब्द को प्रधानता दी, और अपने प्रदेश को 'आंध्रदेश' माना। अब प्रजातंत्र के सिद्धांत पर बने हुए विधान के अंतर्गत संसद के द्वारा अलग आंध्र राज्य की स्थापना करवायी है।

आंध्र की भाषा जो तेलुगु कहलाती है, बहुत ही पुरानी तथा संस्कृत-मिश्रित है। इस भाषा में जो साहित्य है, वह अधिकतर संस्कृत महाकाव्यों का अनुवाद है। इसके आदिकवि नन्नया ने 11-वीं शताब्दी में महाभारत का स्वतंत्र रूप से अनुवाद किया। उस समय से लेकर अब तक अनगिनत कवियों ने तेलुगु भाषा के साहित्य को अपनी रचनाओं से सजाया है। महाभारत, भागवत तथा रामायण का भी सुंदर तथा स्वतंत्र अनुवाद तेलुगु भाषा में मौजूद है। इस भाषा की अधिकतर साहित्यवृद्धि श्री कृष्णदेवराय के ज़माने में हुई, जो स्वयं तेलुगु तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान और कवि थे। 1509 से 1530 तक अपने शासन-काल में विजयनगर साम्राज्य के अधिपति श्री कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा की बड़ी सेवा की।

तेलुगु लिपि भी संपूर्ण है, वह ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। 13-वीं शताब्दी से इस लिपि का विकास होता आया। 1827 में इस लिपि में पहली बार छपाई हुई। 19 वीं शताब्दी में श्री वीरेशलिंगम पंतुलु आदि महापंडितों ने तेलुगु साहित्य की बड़ी सेवा की। कर्नाटक संगीत के मशहूर संगीतज्ञ विद्वान त्यागराज ने अपनी सारी रचनाएँ इसी भाषा में कीं। आज आन्ध्र राज्य में एक विश्वविद्यालय है, 45 कालेज हैं, 614 हाइस्कूल हैं, 37063 प्रारंभिक पाठशालाएँ हैं और साक्षरता 19·3 प्रतिशत है।

कांग्रेस ने पहले-पहल अपने कलकत्ते के अधिवेशन में, जो डाक्टर बेसेंट की अध्यक्षता में 1917 में हुआ था, भाषावार प्रान्तों की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास किया था। तदनुसार आन्ध्र के लिए अलग प्रदेश-कांग्रेस समिति की स्थापना हुई। तब से लेकर अब तक कांग्रेस के द्वारा स्वराज्य के लिए संचालित आन्दोलनों में आन्ध्रों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। अपनी गहनतम देशभक्ति के कारण आन्ध्र के नेता कभी भी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। अपने लिए राज्य प्राप्त करने के हेतु अपनी देशभक्ति को मलिन होने नहीं दिया। आन्ध्र लोग स्वभाव से बड़े ही भावुक तथा कलाप्रिय हैं।

आन्ध्रवासी अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। अपनी भाषा में बोलना, लिखना, भाषा की सेवा करना अपना कर्तव्य तथा गौरव की बात समझते हैं। अतः उनकी देशभक्ति तथा भाषा-प्रेम अविभाज्य है। विदेशी भाषा, व विदेशी संस्कृति के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत पहले आवाज़ उठायी थी। उन्होंने अपनेको उससे

बहुत समय तक अलग रखा, इसलिए अंग्रेज़ी शिक्षा का प्रचार भी आन्ध्र देश में मद्रास के अन्य प्रान्तों में जिस तरह से बढ़ा, उस तरह से नहीं बढ़ पाया। स्वभाषा-प्रेम तथा स्वदेशी प्रेम के कारण उन्होंने अपने प्रादेशिक साहित्य और अपनी प्रादेशिक भाषा के प्रति जनता में प्रेम पैदा किया। पिछले 75 वर्षों में अंग्रेज़ी भाषा तथा अभिव्यंजन को जो प्रधानता मिली, उससे उन्होंने अपनेको वंचित रखा। इसका फल यह हुआ कि मद्रास राज्य के तमिल और केरल प्रान्तों में अंग्रेज़ी शिक्षा का जो तीव्र प्रचार हुआ, उसका फल तुलनात्मक दृष्टि से आन्ध्र को कम मिला। सरकारी नौकरी में, शासन-क्षेत्र में तथा दूसरे क्षेत्रों में भी आन्ध्र पिछड़ा रह गया। आन्ध्र का आन्दोलन कांग्रेस तथा कांग्रेसवादियों के द्वारा ही बड़ा बलिष्ठ होता गया। 1937 में जब कांग्रेस सरकार बनी, तब उसमें बड़ी तेज़ी आयी। उसके बाद 1947 के बाद आन्दोलन ज़ोर पकड़ता ही गया।

आंध्र के आंदोलन को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहन मिला। स्वराज्य के प्राप्त होने के बाद जब प्रजातंत्र के सिद्धांतों के ऊपर भारत का संविधान बना और तदनुसार जो चुनाव हुआ, उससे मद्रास राज्य की विधान सभा को 375 सीट मिले।

मद्रास राज्य चार भाषा-प्रदेशों के बीच बँटा है। इन भाषा-प्रदेशों में, जनसंख्या के अनुसार, 375 स्थानों का बँटवारा यों हुआ—

आंध्र प्रदेश	...	140
तमिल प्रदेश	...	190
केरल प्रदेश	...	28
कर्नाटक प्रदेश	...	17

स्वभाषा-प्रेमी आंध्र ने अपने प्रतिनिधियों में कितने ही ऐसे प्रतिनिधियों को भेजा, जो विधान-सभा की आम भाषा अंग्रेज़ी से अपरिचित थे। दुर्भाग्यवश पिछले चुनाव में कांग्रेस दल की सत्ता टूटी। इससे कांग्रेस भिन्न-भिन्न प्रदेश से आनेवाले प्रतिनिधियों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकी। फल यह हुआ कि भाषावार प्रांतों का आंदोलन बढ़ा, और मद्रास शासन के प्रति असंतोष फैला। केंद्र-सरकार को आंध्र के लिए अलग राज्य स्थापित करने की घोषणा करनी पड़ी।

सामान्यतया लोग यह मानते हैं कि आन्ध्र राज्य भाषावार सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित हो रहा है। इसका कारण यह है कि आन्ध्र प्रदेश में एक ही भाषा की प्रधानता है और इसी भाषा के द्वारा आगे राज्य का शासन तथा व्यवस्था का कार्य होगा। क्या यह सच है कि आन्ध्र राज्य की स्थापना केवल भाषा-सिद्धांतों के ऊपर ही हो रही है? उसमें एक स्वयंपूर्ण, स्वयं-समृद्ध, स्वयं-विकसित राज्य की वृद्धि करने के लिए आवश्यक गुण नहीं है? विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों के अनुसार प्रजातंत्र के उसूलों पर, संपत्ति के उत्पादन की दृष्टि से, प्रादेशिक राज्य कायम करने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे अगर आन्ध्र प्रदेश में मौजूद नहीं होते, तो शायद ही केन्द्रीय सरकार आन्ध्र राज्य बनाने की घोषणा करती। इसलिए आन्ध्र का अलग राज्य न केवल शुद्ध राजनीतिक दबाव से बन रहा है, बल्कि स्वयं-शासित तथा तथा स्वयंपूर्ण देश बनने के लिए जो सहज शक्तियाँ चाहिए, वे सभी आन्ध्र-देश को प्राप्त हैं। आन्ध्र की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना अलग इतिहास है। यह देश इतना स्वयं-समृद्ध बन सकता है कि अड़ोस-पड़ोस के प्रान्तों की मदद भी कर सकता है। इस दिशा में सबसे अधिक उपयोगी उसकी भूमि तथा जल-संपत्ति है। भारत की प्रख्यात तीन नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और पेन्ना आन्ध्र प्रदेश से बहकर समुद्र में गिरती हैं। मैसूर की शक्तिशालिनी नदी तुंगभद्रा का आन्ध्र में कृष्णा नदी के साथ संगम होता है। जब आन्ध्र राज्य की तुलना 'हिंदुस्तान' के 'अ' श्रेणी के दस राज्यों के साथ की जाय, तो नीचे लिखे अनुसार तालिका (ज़मीन एकड़ों में और आँकड़े हज़ारों में हैं) बनेगी:—

का नाम	आबादी	वर्गमीलों में ... का	... में	... के	खेती की कुछ जमीन में सिंचाई की सुविधा	प्रति ... में	... में ... का प्रति
आन्ध्र	2,05,07,801	330	41,777	26,407	4,738	61	29
असाम	91,29,442	167	54,400	24,109	1,082	26	17
बिहार	4,02,18,916	572	44,800	11,338	4,280	72	19
	3,59,43,559	322	71,040	34,735	1,760	99	5
मध्य प्रदेश	2,13,27,898	163	83,200	42,406	1,686	76	5
मद्रास	3,57,18,485	480	38,520	25,701	4,886	57	33
उड़ीसा	1,46,44,293	246	38,400	10,980	1,605	68	22
पंजाब	1,26,38,611	338	23,680	16,117	5,846	83	44
उत्तर प्रदेश	6,32,54,118	557	72,320	52,605	10,803	76	27
पश्चिम बंगाल	2,47,86,683	806	19,540	13,609	2,313	95	16

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि अगर राज्यों का विभाजन भाषावार सिद्धांतों के अनुसार किया गया, तो आबादी, रकबा, इतिहास तथा भौगोलिक स्थिति के अनुसार आन्ध्र राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। आन्ध्र दक्षिण और उत्तर भारत के बीच का देश है। वह उत्तर में पहाड़ों तथा जंगलों से घिरा और पूर्व में समुद्र को छूता हुआ मद्रास शहर तक फैला हुआ है। हिन्दुस्तान की 5 प्रमुख भाषाएँ अर्थात् उड़िया, हिन्दी, मराठी, कन्नड़ तथा तमिल का पड़ोसी सहवास आन्ध्र को प्राप्त है। उत्तर तथा दक्षिण के मध्य स्थित रहने के कारण आन्ध्र का एक प्रधान कर्तव्य होगा कि वह भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा कला की दृष्टि से भारत का प्रायोगिक प्रचार-केन्द्र बने।

ईसा के 300 वर्ष पहले के ज़माने से लेकर 16-वीं सदी तक यह कार्य आन्ध्र ने काफ़ी सफलता के साथ किया था। बौद्ध युग में आन्ध्रों ने पाली को अपनाया। उसके फल-स्वरूप आज तेलुगु भाषा में प्राकृत भाषा के काफ़ी शब्द हैं। उसमें तद्भव शब्दों की भरमार है। आन्ध्र ने स्थापत्य तथा चित्रकला को उत्तर से लेकर दक्षिण में फैलाया। नतीजा यह हुआ कि उसके राज्यवंशी शातवाहनों, सोलंकियों, काकतीयों और होयसलों ने क्रमशः अजंता, एल्लोरा, एकशिलानगर, विजयनगर आदि मुख्य स्थानों में स्थापत्य-कला की अद्भुत सेवा की। अजंता, एल्लोरा और लेपाक्षी के मंदिरों में उनकी चित्रकला की अप्रतिम प्रतिभा की अमिट छाप है। आज के इतिहासकार दक्षिण और उत्तर की शिल्पकला, स्थापत्यकला तथा चित्रकला में जो सामंजस्य देखते हैं, वह उसी ज़माने के अपार परिश्रम का शेषांश

समुद्र के किनारे बसनेवाले आन्ध्र ज़िले अन्नोत्पादन के लिए और उसके पश्चिमी तथा उत्तरीय भाग के ज़िले खनिज संपत्ति के लिए बहुत मशहूर हैं। प्रायः सभी तरह की खनिज-संपत्ति आन्ध्र में मिल सकती है। भारत का मशहूर हीरा कोहिनूर आन्ध्र के गुन्टूर ज़िले के कोल्लूर नामक एक गाँव में मिला था। पिछली सदी तक लाखों रुपयों की कीमत के हीरे आन्ध्र से बाहर जाते रहे। मशहूर सोने की खान कोलार तेलुगु प्रांत में है। भूगर्भ-शास्त्र के पंडित कहते

कि आन्ध्र में काफ़ी परिमाण में कोयला, लोहा, तांबा, सोना आदि कीमती धातु मिल सकते हैं।

सदियों के बाद आज भारत स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता का उपयोग प्रत्येक राज्य अपनी-अपनी स्थिति तथा शक्ति के अनुसार करेगा।

मद्रास राज्य में 577 करोड़ रुपये की संपत्ति खेती के द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें कुल 250 करोड़ रुपये की कीमत का माल पैदा होता है, जिसमें करीब 150 करोड़ रुपये का अन्न भी शामिल है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, आन्ध्र राज्य में करीब 5 लाख टन का अन्न दूसरे प्रदेशों में भेजने के लिए बच जाता है। इस तरह आन्ध्र अन्नोत्पादन में स्वयंपूर्ण ही नहीं है, बल्कि दूसरे प्रदेशों को दे भी सकता है। मद्रास राज्य में अब तक अन्नोत्पादन में जो कठिनाई रही, वह सिर्फ़ गैर-आन्ध्र में ही रही। अगर अन्नोत्पादन का कार्य ठीक आयोजित किया जाय, तो इस समय आन्ध्र के तथाकथित अकाल-पीड़ित प्रदेशों में भी काफ़ी अन्न पैदा हो सकता है, या उसको दूसरे प्रदेशों से मिल सकता है।

आन्ध्र खेती-प्रधान देश है। उसकी आबादी में मुश्किल से बीस फ़ी सदी लोग शहरों में रहते हैं। बाकी सब ग्रामवासी हैं और खेतीबारी के ऊपर निर्भर हैं। अपार भूसंपत्ति के साथ एक विशाल देश में बसने के कारण आन्ध्र की आबादी काफ़ी फैली हुई है। भारत के दूसरे 'अ' श्रेणी के राज्यों से उसकी आबादी के फैलाव की तुलना भी ऊपर की तालिका में मिल सकती है। इन आंकडों से यह साबित होता है कि आन्ध्र राज्य का आन्दोलन भाषा की दृष्टि से जितना महत्व रखता है, उससे ज्यादा महत्व राजनीतिक, आर्थिक तथा उत्पादन-शक्ति के माध्यमों को विकेंद्रीकृत करने की दृष्टि से रखता है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों के द्वारा स्थापित राज्य में स्वयं-शासित होने के लिए जनता को जो अधिकार मिले हैं, उनके अनुपात में सर्वोदय की दृष्टि से संपत्ति उत्पन्न करने के लिए उसके कर्तव्य तथा ज़िम्मेवारियों का भी बढ़ना स्वाभाविक है। राज्य की संपत्ति के उत्पादन के ज़रिये को विकेंद्रित करने तथा उनमें उत्तमता लाने के लिए जो आयोजनाएँ बनेंगी, उनमें जनता के ऊपर ज्यादा-से-ज्यादा ज़िम्मे-वारियाँ आएँगी। इस तरह की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर लेने की दृष्टि से ही आन्ध्र के नेताओं ने अपनेको संयुक्त मद्रास से अलग करने की माँग पेश की। अगर भाषा का ही आधार इस आन्दोलन के मूल में होता और मद्रास राज्य के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषा को प्रधानता देने की बात पर ही ज़िद करते, तो उसका परिणाम मद्रास में कुछ और ही होता। कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के कारण, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, तेलुगु भाषा-भाषी सारे मद्रास राज्य में काफ़ी तादाद में फैले हुए हैं। मद्रास राज्य के इन तेलुगु-भाषियों ने आन्ध्र के अन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया, बल्कि उसका विरोध किया। इससे स्पष्ट है कि आन्ध्र का आन्दोलन प्रादेशिक था, जिसमें भाषा को भी प्रधानता मिली। आन्ध्र राज्य के अलावा अड़ोस-पड़ोस के हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में भी तेलुगु लोगों की काफ़ी तादाद है। हिन्दुस्तान के तेलुगु प्रदेशों में रहने और तेलुगु बोलनेवालों की संख्या का ब्यौरा यों माना जाता है:—

	प्रान्त	रकबा (वर्गमील)	आबादी
1.	मद्रास प्रान्त में तेलुगु प्रदेश	62,343	2,05,07,801
2.	हैदराबाद में ,, ,,	44,595	1,06,85,273
3.	मैसूर में ,, ,,	3,702	12,28,109
4.	मध्य प्रदेश में ,, ,,	6,810	5,96,166
5.	उड़ीसा में ,, ,,	3,680	1,12,830
		1,21,130	3,31,30,179

प्रान्त	आबादी
सरहदी ज़िलों में तेलुगु बोलनेवाले	10,21,725
पड़ोसी राज्यों में ,, ,,	45,14,887
दूसरे राज्यों में ,, ,,	4,88,548
मद्रास नगर में ,, ,,	4,95,620
कुल	65,20,780
कुल तेलुगु बोलनेवाले	3,96,50,959

हम देखते आए हैं कि राजसत्ता, अर्थसत्ता तथा संगठन-सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाय, तो उसका बहुत बुरा परिणाम होता है। आजकल का ज़माना ज्यादातर विकेन्द्रीकरण का है। विकेन्द्रीकरण का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति, समाज तथा देश का विकास करना है। जनता का सर्वतोमुखी अभ्युदय ही इस विकेन्द्रीकरण का अंतिम लक्ष्य है। आन्ध्र के अलग राज्य का आन्दोलन भाषावार सिद्धांतों पर ही नहीं, बल्कि विकेन्द्रीकरण के अनुसार संपत्ति-विकासवादी सिद्धांतों पर भी आधारित है।

आन्ध्र प्रदेश की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी जल-संपत्ति है। उसके ऋतु-पवनमान इतने अच्छे हैं कि सिंचाई की सुविधाओं के लिए आन्ध्र की नदियाँ काफ़ी काम आएँगी। इन नदियों की विशेषता यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असाम, बंगाल आदि राज्यों की नदियों की तरह बाढ़ के द्वारा नुकसान पहुँचानेवाली नहीं, बल्कि अच्छे जलाशय के निर्माण होने से आन्ध्र के खेतों में बहकर वहाँ के किसानों को मालामाल कर सकती हैं। कृष्णा, गोदावरी, पेन्ना नदियाँ आन्ध्र की त्रिवेणी हैं। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की उपनदी है, जो आन्ध्र में पहुँचकर कृष्णा के साथ मिल जाती है। इन चारों नदियों में मिलाकर, गंगा में कुल जितना पानी बहता है, उसका 40 फ़ी सदी है। ब्रह्मपुत्र का आधा है, महानदी से दुगुना पानी है। कावेरी, ताप्ती, नर्मदा में मिलाकर जितना पानी होगा, उससे तीन गुना ज़्यादा है। लेकिन जब इन तीनों नदियों के पानी का ठीक उपयोग होगा, तब उत्तर प्रदेश से डेढ़ गुना, पंजाब से तीन गुना और बिहार से चार गुना भूमि की सिंचाई का प्रबंध हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि आन्ध्र राज्य का भविष्य उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी उज्ज्वल है। आन्ध्र राज्य की स्थापना से भारत की भाषाओं के पुनरुत्थान में इस समय सबसे बड़ी अड़चन अंग्रेज़ी से है। अंग्रेज़ी का उपयोग तथा प्रचार भारत की प्रजासत्ता के खिलाफ़ होने पर भी जनता की भाषा को उसको अपना स्थान देने में हम असमर्थ हो रहे हैं। जब हिन्दुस्तान की भाषाएँ अपने-अपने प्रदेशों में शासन, व्यवस्था, व्यवहार तथा व्यापार में अपना-अपना स्थान लेंगी, तब निश्चय ही हिन्दुस्तान की भाषाओं तथा साहित्य और संस्कृति का पुनरुत्थान ही नहीं होगा, बल्कि उनके द्वारा सारे संसार को एक नया दिशा-दर्शन मिलेगा।

जब से आन्ध्र का राज्य बनेगा, इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि आन्ध्र राज्य में आन्ध्र की भाषा का ही विशेष उपयोग, और अन्तर-प्रांतीय कार्य के लिए हिन्दी का उपयोग अधिकाधिक हो। धीरे-धीरे उस समय अंग्रेज़ी की जो ताकत है, वह ढीली होती जायगी।

इस समय हिन्दुस्तान में भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य हैं, उनमें 12 ऐसे राज्य हैं जो स्वयं जनता के ज़रिये अपना कारोबार चला सकते हैं। हैदराबाद, मद्रास, बंबई, तथा मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर एक से अधिक भाषाएँ हैं। इन बहुभाषा-भाषी राज्यों में प्रांतीय भाषा का उपयोग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 12 एकभाषा-भाषी राज्य अपना

सारा कार्य अपनी प्रांतीय भाषा में करने लग जाएँ और दूसरे बहुभाषा-भाषी प्रान्तों को भी प्रान्तीय भाषा के अधिकाधिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें, तो प्रान्तीय भाषाओं का पुनरुत्थान हो सकता है। इस समय हिन्दुस्तान के राज्यों का भाषावार फिर से विभाजित करने का आन्दोलन भी प्रतिदिन ज़ोर पकड़ता जा रहा है। ऐसे आन्दोलन के द्वारा पड़ोसी भाषाओं के बीच में कटुता पैदा नहीं हो, देश की संपत्ति व संस्कृति समृद्ध हो, तो दूसरे राज्य बनाने का क़दम यथाशीघ्र केन्द्र-सरकार उठाएगी।

भारतीय भाषाओं की व्यापकता और विकास में एकमात्र अड़चन जो अंग्रेज़ी रही है, उसकी दुर्दम्य शक्ति हमारे बहुभाषी राज्यों में ही छिपी पड़ी है। केन्द्र-सरकार भी बहुभाषा-भाषी प्रान्तीय राज्यों के साथ और सारे देश के साथ संबंधित होने के कारण अंग्रेज़ी का स्थान हिन्दी को दे नहीं पा रही है। गैर-हिन्दी प्रान्तों में जनता की भाषा हिन्दी बन नहीं सकती। जनता की भाषा के साथ ही उसे पनपना होगा। इस कारण जनता की भाषा का अर्थात् प्रान्तीय भाषा को प्रथम स्थान और हिन्दी को दूसरा स्थान मिलना चाहिए। इसलिए राष्ट्रभाषा का संपूर्ण रूप से प्रचार करने और उसे सर्वतोमुखी विकास प्राप्त करने और उससे पूरा प्रयोजन पाने के लिए प्रान्तीय भाषा आन्दोलन को मज़बूत बनाना चाहिए। प्रान्तीय भाषा का सहयोग तथा सहायता से सार्वदेशिक हिन्दी का विकास होना चाहिए। तभी प्रान्तीय भाषाओं की नींव मज़बूत होगी और भारतीय संस्कृति का विकास होगा। विदेशी भाषा की गुलामी की ज़ंज़ीर टूटेगी और भारत का कल्याण होगा।

*

"मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं कि सभी भाषाएँ, जो आज प्रचलित हैं और जिनके नाम संविधान में दिये गये हैं, उन्नति करेंगी और अपने साहित्य-भंडार को समृद्ध बनाएँगी। इसमें हिन्दी से उनको किसी प्रकार की बाधा न तो पड़नी चाहिए और न पड़ेगी ही।.... हिन्दी का मुक़ाबला केवल अंग्रेज़ी के साथ है, किसी भी प्रांतीय भाषा के साथ नहीं; और अंग्रेज़ी का मुक़ाबला सिर्फ़ हिन्दी से नहीं, बल्कि सभी प्रांतीय भाषाओं से है।"

—**राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद**

आन्ध्र राज्य की जल-शक्ति

दूसरे विश्व-युद्ध के फलस्वरूप भारत में अत्यधिक मुद्रास्फीति के साथ कच्चे माल तथा खाद्य-वस्तुओं की कमी भी पड़ गयी। खाद्य-वस्तुओं के संचय और काले बाज़ार के प्रचलन के कारण भारत की जनता तथा सरकार का भी ध्यान उन वस्तुओं के अधिक उत्पादन की ओर गया। राज्यों तथा केन्द्र की भी आय पाँच गुना बढ़ गयी। इस आय को देश की विकास-योजनाओं में लगाने की ख्वाहिश सरकारी अफ़सरों को हुई। अंग्रेज़ों के शासनकाल में युद्ध की समाप्ति के बाद देश की विकास-संबंधी जो योजनाएँ बनीं, उनका मूल कारण यही ख्वाहिश था। खेती की तरक्की के लिए जो योजनाएँ बनीं, उनमें पंजाब के भाकड़ा नंगल की, बिहार व बंगाल की दामोदर-घाटी की और ओरिसा के हीराकुड-जलाशय की योजनाएँ मुख्य हैं। इन तीनों के लिए करीब 250 करोड़ रुपये लगेंगे। इन 250 करोड़ रुपयों और जनता के परिश्रम के काफ़ी विनियोग के बाद यह कहना अभी मुश्किल है कि उनसे क्या-क्या प्रयोजन होंगे और जनता की भलाई उनसे कहाँ तक होगी। लेकिन सब लोग यही विश्वास करते हैं कि इनसे कई फ़ायदे अवश्य होंगे।

दक्षिण भारत के मद्रास, तिरुवितान्कूर, तथा मैसूर में हमेशा अनाज की कमी रहती है। यद्यपि यहाँ काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, फिर भी अनाज की कमी दूर नहीं हो रही है। इस कमी को दूर करने के लिए मद्रास राज्य में बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण करके सिंचाई के लिए सुविधाएँ करने की इच्छा प्रथम-बनी जन-सरकार को हुई। फलस्वरूप रामपादसागर और तुंगभद्रा-जलाशय के प्लैन तैयार हुए। 1948 में जो नयी कांग्रेस सरकार बनी, उसने रामपादसागर को छोड़कर 'कृष्णा-पेन्नार-प्राजेक्ट' की योजना बनायी। तुंगभद्रा के पुराने प्लैनों का भी अनुशीलन कर कार्य प्रारंभ किया गया। कृष्णा-पेन्नार के प्रयोजनों पर काफ़ी वाद-विवाद शुरू हुआ। उसके कारण केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बनायी, जिसने कृष्णा-पेन्नार-योजना में कई संशोधन पेश किये। आन्ध्र राज्य के जलाशयों के निर्माण से संबंधित प्रणाली में तुंगभद्रा-जलाशय का निर्माण यद्यपि पूरा हो गया, तथापि जलाशय की ज़मीन मैसूर राज्य के अंतर्गत चली गयी; इसलिए कई अडचनें आ गयीं। फिर कृष्णा-नदी पर बनाये जानेवाले जलाशयों के बारे में यह भी विवाद शुरू हुआ कि नंदिकोंडा का निर्माण किया जाय या सिद्धेश्वर का! यह विवाद बढ़-बढ़कर प्रादेशिक तथा ज़िला-विषयक अभिमान को भी उभाड़ने लग गया है। अब भारत के नकशे में नया आन्ध्र राज्य अवतरित हो रहा है। ऐसे सुअवसर पर संपूर्ण प्रदेश को दृष्टि में रखकर इस समस्या पर विचार करने की सख्त ज़रूरत है। छोटे-मोटे विवादों के कारण यह साबित करना मुश्किल होता जा रहा है कि कौन-सी योजना बहुजनहिताय है, और साथ-साथ कम खर्चवाली है। राज्य सरकार के पास पैसा हो और केन्द्रीय सरकार की भी मदद मिल जाय, तो तुंगभद्रा-जलाशय का जैसे निर्माण किया गया, वैसे ही दूसरे जलाशयों का भी निर्माण किया जा सकता है। तुंगभद्रा-जलाशय से प्राप्त होने-वाले लाभ-नष्टों का अनुशीलन करके उनसे जब तक सबक़ हम नहीं सीख सकेंगे, तब तक नये जलाशयों के बारे में चर्चाएँ करना, आलोचना की दृष्टि से विचार करना, सांकेतिक (वैज्ञानिक) विशेषज्ञों की रायें जानना जनता के

---

* अक्टूबर, 1953, के 'जमीन रैयत' में नये आन्ध्र राज्य की रचना के अवसर पर प्रकाशित तेलुगु लेख का अनुवाद।

बीच उनके लाभ-नष्टों के बारे में विचार-विमर्श करना और उन्हें अच्छी तरह समझाना आवश्यक है। क्योंकि आख़िर इन जलाशयों से फ़ायदा उठानेवाली तो जनता ही है। यही नहीं, उसके लिए पैसा देनेवाली भी वही है। अतः जो योजना बहुतों के लिए उपयोगी हो, वही सबके लिए श्रेयस्कर है। इस अवसर पर हमारे ही ख़र्चे से बने तुंगभद्रा-जलाशय के विवरण पर अब हम विचार करेंगे।

तुंगभद्रा नदी में कुल मिलाकर 450 शत करोड़ घन फ़ुट का पानी जमा है। इसमें 380 शत करोड घन फ़ुट का पानी, जलाशय के पास आते-आते जमा होता है। इस जलाशय को पूरा भरने के लिए 132 शत करोड़ घन फ़ुट पानी की और ज़रूरत होती है। पहले इस जलाशय से संबंधित राज्यों के बीच निर्णय हुआ था कि 84 शत करोड़ घन फ़ुट का पानी मैसूर को मिले; बाकी 256 शत करोड़ घन फ़ुट के पानी का बँटवारा हैदराबाद और आन्ध्र राज्यों के बीच में हो। और साथ-साथ इसमें से एक भाग बंबई राज्य को भी दिया जाय। यह भी तय किया गया कि पूरे जलाशय की ऊँचाई कितनी हो, और नवंबर पहली तारीख़ से जून 30 तक बहनेवाला पानी ही जलाशय में भरा जाय। इस जलाशय के पानी का उपयोग करनेवाले राज्य प्रधानतया हैदराबाद और आन्ध्र हैं।

उपरोक्त हिसाब के अनुसार देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि अब तक के समझौतों के मुताबिक आन्ध्र राज्य को पहले जो पानी मिलता था, उसके अलावा जलाशय से और 213 यूनिट का पानी मिलेगा। अर्थात् बाँध के पास जमा होनेवाले 255 शत करोड़ घन फ़ुट पानी में से 133 शत करोड़ घन फ़ुट पानी जलाशय को भरने में खर्च होगा, तो बाकी पानी नीचे की तरफ़ बह जाएगा। कृष्णा के संगम तक का पानी भी 70 यूनिट का हो जाता है। बाँध से होकर नीचे की तरफ़ बहनेवाला पानी भी मिलाएँ, तो 192 यूनिट का हो जाता है। इस पानी को काम में लाने की हम दूसरी योग्य योजनाएँ बनाएँ, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि तुंगभद्रा के जलाशय से अभी होनेवाले लाभों के अलावा, सूखी तथा तरी सब मिलाकर और दस लाख एकड़ की ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए पानी मिल सकता है।

आन्ध्र राज्य की नदियों की भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें, तो कहा जा सकता है कि यहाँ के ज़िले एक-दूसरे से सटे हुए हैं। आन्ध्र राज्य की महानदियाँ कृष्णा, गोदावरी तथा पेन्ना हैं। इन्हें आन्ध्र त्रिवेणी कह सकते हैं। गोदावरी आन्ध्र राज्य की उत्तरी गंगा है, कृष्णा नदी मध्य गंगा है और पेन्ना नदी दक्षिणी गंगा है। पेन्ना और तुंगभद्रा, ये दोनों नदियाँ मैसूर से निकलकर कृष्णानदी के दक्षिण की तरफ़ बहती हुई आन्ध्र राज्य में पहुँचती हैं। इन दोनों का संयोग ज़्यादा नैसर्गिक है। साथ-साथ सुलभ-साध्य भी है। तुंगभद्रा और पेन्ना, इन दोनों नदियों को मिलाकर उसका पानी खेती के काम में लाया जाय, तो उसके द्वारा, अभी आन्ध्र की जो तीन लाख एकड़ ज़मीन उपजाऊ हो रही है, उसके अलावा और 15 लाख एकड़ ज़मीन के लिए भी पानी मिल सकता है। इन दोनों नदियों को मिला दें, तो दक्षिण आन्ध्र—याने बल्लारी, अनंतपुर, कडपा, नेल्लूर तथा चित्तूर ज़िलों—को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साठ करोड़ रुपये खर्च करके हैदराबाद और मद्रास राज्यों ने सम्मिलित प्रयत्न से जो तुंगभद्रा जलाशय बनवाया, वही इन लाभों का उद्‌गम होगा। तुंगभद्रा तथा पेन्ना नदियों में बहनेवाले पानी की एक-एक बूँद भी अनाज पैदा करने के काम में लायी जा सकती है। तुंगभद्रा और पेन्ना नदी के संगम की योजनाएँ 1905 ई० में ही इंजनीयर मेकेंज़ी ने बनायी थीं। उस समय ब्रिटिश सरकार ने उन योजनाओं को ठुकरा दिया था। क्योंकि उन्होंने सोचा कि वे योजनाएँ लाभकारी नहीं हो सकतीं।

दूसरे विश्व-युद्ध के फलस्वरूप तुंगभद्रा जलाशय का निर्माण हुआ। इस जलाशय की पूरी ज़िम्मेवारी तथा पूँजी लगाने का पूरा भार भी आन्ध्र राज्य ने अपने ऊपर ले लिया। इसलिए अब उस जलाशय के सभी प्रयोजनों को पाने के लिए भी कोशिश करना आवश्यक है। मैंकेंज़ी की योजना के अनुसार तुंगभद्रा का पानी पेन्ना में मिलाकर, गंडिकोटा के पास जलाशय का निर्माण करें, तो सोमशिला के पास बननेवाले 'बैरेज' से अभी लाभ उठानेवाले नेल्लूर, कड़पा तथा कर्नूल की तरी ज़मीन की खेती की रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि सूखी व तरी जमीन को भी मिलाकर अनंतपुर, कड़पा, कर्नूल तथा नेल्लूर जिलों में और दस लाख एकड़ ज़मीन खेती के लिए लायक बनायी जा सकेगी। इस प्रकार तुंगभद्रा के जलाशय से ही उत्तर नेल्लूर को उतना फ़ायदा मिलेगा, जितना कि कृष्णा-पेन्नार से मिल सकेगा। इसके अलावा कड़पा और कर्नूल को कृष्णा-पेन्नार से जो लाभ होगा, वह इस तुंगभद्रा के जलाशय से भी होने लगेगा। गंडिकोटा प्रॉजेकट के लिए आवश्यक पानी भी पूरा-पूरा मिल जाएगा। यही नहीं, अनंतपुर जिले के गुत्ति और ताडिपत्री तालूकों की ज़मीन के लिए भी पानी मिल सकेगा। मेकेंज़ी की योजना के मुताबिक नीचे की तालिका में सूचित विवरण के अनुसार खेती हो सकेगी :—

	ज़िला	पहली फ़सल (एकड़ों में)	दूसरी फ़सल (एकड़ों में)	सूखी ज़मीन में फ़सल (एकड़ों में)
1.	बल्लारी	2,14,547	36,000	4,54,500
2.	कर्नूल	63,014	12,700	98,600
3.	अनंतपुर	57,354	11,250	83,500
4.	कड़पा	1,16,975	30,500	1,88,400
5.	नेल्लूर	3,47,129	60,000	....
	कुल	7,99,019	1,50,450	8,25,000

20 करोड़ रुपया खर्च कर इतना महान प्रयत्न करने के बाद भी इसी बीच हैदराबाद के डेवलेपमेंट कमीशनर ने अपनी एक विज्ञप्ति में बताया कि तुंगभद्रा के जलाशय का पूरा फ़ायदा उठाने में कम-से-कम 15 बरस लग जाएँगे। पूरा फ़ायदा उठाने में ही 15 बरस लग जाएँ, तो तब तक उस जलाशय में भरनेवाले पानी से क्या फ़ायदा होगा? जो पूँजी लगा चुके हैं, उसके साथ सूद भी मिलाएँ, तो कुल खर्च कितना बढ़ेगा? इन 15 वर्षों में खेती को सुविधाजनक बनाने के वास्ते किसानों को कितनी पूँजी लगानी पड़ेगी? लोग खुद पूँजी नहीं लगा सकें, तो सरकार वह पूँजी कहाँ से लाएगी? इन सब बातों पर विचार करें, तो स्पष्ट हो जाता है कि जलाशय बनवाने के प्रयत्नों से बढ़कर उस पानी को काम में लाने का प्रयत्न करना आवश्यक है। बहुत बड़े कल-कारखानों का निर्माण करना आसान है। वस्तुओं की उत्पत्ति करना आसान है। लेकिन, वस्तुओं को ख़रीदनेवाले ग्राहकों को बनाना मुश्किल है। वैसे ही जलाशय का निर्माण कर उसमें पानी भरना आसान है, लेकिन उस पानी को काम में लानेवाले किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर तैयार न कर सके, तो सारी पूँजी बेकार हो जायगी। इसलिए आन्ध्र राज्य की प्रथम समस्या नये जलाशयों का निर्माण नहीं है। जो अभी बन गया है, उस तुंगभद्रा के जलाशय के पानी का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना है। इस समस्या को सुलझाने के बाद ही दूसरे जलाशयों के निर्माण का विचार करना चाहिए।

दूसरे जलाशयों की योजनाएँ बनाते समय, तुंगभद्रा से प्राप्त अनुभव तथा प्रयोजनों को मद्देनज़र रखकर उनके अनुसार ही नयी योजनाएँ बनाने का प्रयत्न करना उचित होगा।

तुंगभद्रा जलाशय के भविष्य के बारे में सोचते समय क़रीब 100 साल पहले बने कडपा-कर्नूल की नहर के विकास की भी याद हमें आ जाती है। असल में 310 हज़ार एकड़ तरी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस नहर की आयोजना बनी। लेकिन कल परसों तक 80 हज़ार एकड़ से बढ़कर इस नहर के द्वारा खेती नहीं हो सकी। जब से अनाज का दाम बढ़ गया, तब से मालूम हुआ कि इस नहर के अंतर्गत एक लाख एकड़ ज़मीन में पहली फ़सल और 50 हजार एकड़ ज़मीन में दूसरी फसल हो रही है। 2 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च कर कंपनी से हमने यह नहर खरीदी। ऐसी नहर से सूद के रूप में एक फ़ीसदी की आय भी नहीं मिल रही है। यही नहीं, सूद का नुकसान जो हो रहा है, वह भी मिला दें, तो कुल पूँजी तीन गुना बढ़ जाती है। इससे अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है कि विकास की योजनाओं का प्रधान तथा ज़रूरी अंश जनता का सक्रिय सहकार, जनता का उत्साह, तथा आर्थिक सहयोग है। अतः इस बात की पुनरावृत्ति करनी ही पड़ती है कि अब तक हमने ज़्यादा पूँजी लगाकर जिस तुंगभद्रा का जलाशय बना चुके, उसकी संपूर्ण उपयोगिता के बारे में जब तक सम्यक अनुशीलन नहीं किया जाय, तब तक नये जलाशयों का निर्माण स्थगित किया जाय।

कुछ लोग कहते हैं कि नंदिकोंड़ा तथा सिद्धेश्वर, दोनों बाँधों का निर्माण हो। कुछ लोग कहते हैं कि नंदिकोंडा से पहले सिद्धेश्वर बाँध ही को बनाया जाय। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नंदिकोंडा ही पहले बने। इस वाद-विवाद में न पड़कर इन दोनों जलाशयों के गुण-अवगुण, लाभ-नष्ट, सद्यः फल तथा दीर्घकालिक फल आदि पर विचार करें।

सिद्धेश्वर-बाँध कृष्णा-पेन्ना प्रणाली का उद्‌गम-जलाशय है। कृष्णा का पानी पेन्ना में मिलाकर, सोमशिला के पास पेन्ना में जलाशय बनाकर वहाँ जमा किये जानेवाले पानी को दक्षिण की पालार तक ले जाना—इस कृष्णा-पेन्नार-योजना का मुख्य प्रयोजन है।

इस रिज़र्वायर के डैम को बनाने में ही 19 करोड रुपये आसानी से लग जाएँगे। पहाड़ खोदकर नहर बनाने के लिए 15 करोड, नहर की खुदाई के लिए 12 करोड, कुल 46 करोड़ रुपये लगेंगे। यह मद्रास सरकार का अंदाज़ा है। इस रिज़र्वायर का पानी जब तक 150 मील तक बहकर नहीं आता, तब तक उसके उपयोग का प्रारंभ नहीं होता। इस जलाशय के कारण रायलसीमा के कडपा तथा कर्नूल जिलों को प्राप्त होनेवाले लाभ बहुत कम हैं। इसके अलावा, इस रिज़र्वायर के निर्माण से 97 गाँव डूब जाएँगे, जिनमें 64 गाँव हैदराबाद राज्य के और 33 गाँव आन्ध्र राज्य के हैं। कुल मिलाकर डूब जानेवाली ज़मीन 1,94,390 एकड़ की है। इसमें करीब आन्ध्र और हैदराबाद की ज़मीन आधी होगी। अन्दाज़ा लगाया गया कि कडपा तथा कर्नूल जिलों की 640 हज़ार एकड़ की ज़मीन इसके द्वारा खेती के लायक़ बनेगी। इसमें दो तिहाई सूखी ज़मीन, एक तिहाई तरी ज़मीन है। कुल भूमि में से 150 हज़ार एकड़ भूमि गंडिकोटा प्राजेक्ट से संबंधित है। इसके कारण फ़िलहाल काम आती हुई 350 हज़ार एकड़ ज़मीन—जो कि समझा गया कि कडपा-कर्नूल नहर के के द्वारा उपजाऊ बनेगी—को निकाल दें, तो ज्यादा उपजाऊ बननेवाली भूमि 290 हज़ार एकड़ ही है। इसमें गंडिकोटा प्राजेक्ट के द्वारा उपजाऊ बननेवाली ज़मीन 150 हज़ार एकड़ है। आख़िर बचनेवाली 140 हज़ार एकड़ ज़मीन ही है। इसके बदले में कर्नूल ज़िले की 2,430 एकड़ तरी और 59,150 एकड सूखी, 38,171 एकड़ बंजर, कुल मिलाकर 95 हज़ार एकड़

ज़मीन डूब जायगी। सारांश यह कि इस योजना से फ़ायदा उठानेवाली ज़मीन 45 हज़ार एकड़ से अधिक नहीं है। इस 45 हज़ार एकड़ ज़मीन के लिए 45 करोड़ रुपये रायलसीमा के नाम पर खर्च करना कहाँ तक न्यायोचित है, यह सोचना आवश्यक है। इसके बारे में कोई सवाल करे, तो उसमें गलती भी नहीं है। ऊपर के विवरण से स्पष्ट होता है कि इस सिद्धेश्वर से हो सकनेवाले सभी प्रयोजन, याने गंडिकोटा के द्वारा जिस 640 हज़ार एकड़ ज़मीन की खेती हो सकती है उसे भी मिलाकर, तुंगभद्रा के जलाशय से भी प्राप्त होते हैं। अलावा इनके तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच की भवनाशी-घाटी से संबंधित उपजाऊ ज़मीन और कडपा-कर्नूल नहर के द्वारा 50 वर्षों से कड़ी मेहनत करके जो ज़मीन उपजाऊ बनायी गयी, वह भी कृष्णा-पेन्ना की योजना से डूब जायगी। मद्रास सरकार का अन्दाज़ा है कि इस डुबाई के कारण 7 करोड़ 36 लाख रुपये खर्च होंगे। यह रकम आजकल के मूल्य के अनुसार 10 करोड़ तक भी बढ़ सकती है। सिद्धेश्वर के कारण डूबनेवाली ज़मीन 311 वर्ग-मील की है। सिद्धेश्वर के पास कृष्णनदी में ऊँचे बाँध के बन जाने से ऐसा अनुमान है कि पानी 47 मीलों तक बढ़ जायगा; उससे कर्नूल के रेलवे पुल तथा तुंगभद्रा के बाँध को खतरा हो सकता है।

इस रिज़र्वायर की वजह से कृष्णा के उत्तर में रत्ती-भर भी ज़मीन उपजाऊ नहीं बनेगी। उलटे, हैदराबाद का अलंपूर नामक बड़ा शहर डूब जायगा। हैदराबाद से संबंधित तरी और सूखी, सब मिलाकर 95,684 एकड़ भूमि डूब जाएगी। पानी ज़्यादा आ जाय, तो कर्नूल शहर भी खतरे में पड़ जाएगा।

मद्रास राज्य से आन्ध्र राज्य अब अलग हो गया है। कृष्णा, गोदावरी और पेन्ना, तीनों हैदराबाद और आन्ध्र राज्य की सम्मिलित संपत्ति हैं। अतः आगे हैदराबाद के साथ आन्ध्र राज्य का संबंध बढ़ेगा ही। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि जिस प्रणाली से कुछ भी प्रयोजन नहीं, उलटे डुबोई के कारण बहुत-सा नुकसान भी उठाना पड़े, उस सिद्धेश्वर-प्राजेकट के निर्माण के लिए हैदराबाद राज्य कैसे राज़ी होगा? सिद्धेश्वर से जितना ज़्यादा पानी ले जाया जाएगा, उतना ही अधिक खर्च उसपर लगेगा। मिट्टकंड्लु नामक पहाड़ को बहुत गहराई तक खोदने की भी ज़रूरत पड़ेगी। खर्च के बढ़ जाने का कारण यही है। 75 हज़ार 'क्यूसेकों' तक इस नदी के प्रवाह को ले जाने की योजनाएँ बनायी गयीं। कुंदुनदी के द्वारा इतनी बड़ी जलधारा को ले जाने के लिए उसे—जो कि कृष्णा से पेन्नार तक बहती है—520 फुट नीचे तक पहुँचाना पड़ेगा। इसके लिए कितने बड़े 'प्रपातों' की जरूरत पड़ेगी, यह सोचने की बात है। रायलसीमा के लिए जिस सिद्धेश्वर से कोई प्रयोजन नहीं, उसके बिना ही जब गंडिकोटा रिज़र्वायर बनाने की गुंजाइश है, तब समझना मुश्किल है कि कडपा और कर्नूल के किसान सिद्धेश्वर के लिए क्योंकर राज़ी होंगे?

हम तुंगभद्रा के विवरणों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि सिद्धेश्वर से होनेवाले लाभ नेल्लूर को दूसरे ढंग से कैसे प्राप्त हो सकते हैं। अब हम यह भी विचार करें कि चित्तूर तक यह पानी पहुँचाने की सुविधा है कि नहीं। खोसला कमेटी के निर्णय के अनुसार नंदिकोंडा प्राजेकट को ही प्रधानता मिल गयी है।

नंदिकोंड़ा भी सिद्धेश्वर की तरह कृष्णानदी पर बनाया जानेवाला एक रिज़र्वायर है। इस रिज़र्वायर का स्थान सिद्धेश्वर से 60 मील नीचे की तरफ़ है। इस रिज़र्वायर के द्वारा कृष्णानदी के उत्तर तथा दक्षिण की भी ज़मीन उपजाऊ बनायी जा सकती है। दोनों तरफ़ जलाशय के अंतर्गत आनेवाली जमीन ज़्यादा है। करीब 70,80 लाख एकड़ तक ज़मीन इस जलाशय के अंतर्गत खेती के लिए लायक बन जायगी। इतनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए संभव है कि कृष्णानदी का पानी ही काफ़ी न हो।

इसके लिए आवश्यक सांकेतिक विवरण हैदराबाद राज्य ने प्राप्त किया है। तख़मीना भी उन्होंने तैयार कराया है। खोसला कमीटी ने नंदिकोंडा से संबंधित सभी सांकेतिक विवरणों की जाँच कर उसके अन्दाज़ों का भी अनुशीलन किया। यह चूँकि दो राज्यों से संबंधित जलाशय है, अतः आय और व्यय का बँटवारा अनुपात के अनुसार किया जा सकता है। इस जलाशय का पानी पेन्ना तक पहुँचाया जा सकता है। सिद्धेश्वर से पेन्ना तक पहुँचनेवाला पानी मध्य खेती के लिये काम नहीं आ सकता। लेकिन नंदिकोंड़ा का पानी रास्ते भर खेती के काम आते हुए पेन्ना तक पहुँचता है। इसका पूरा विवरण खोसला कमेटी की रिपोर्ट में है। सिद्धेश्वर से न हो सकनेवाले लाभ भी नेल्लूर ज़िले के ऊपरी स्थलों को नंदिकोंड़ा से हो सकते हैं। नीचे की तालिका से इस बात का पता लग जाता है कि नेल्लूर तथा गुंटूर की ज़मीन कितनी है और उसमें खेती के काम आनेवाली ज़मीन किस परिमाण में है।

विवरण	रक़बा सैकड़ों एकड़ों में	खेती के काम आनेवाली ज़मीन	
		सैकड़ों एकड़ों में	प्रतिशत
गुंटूर ज़िला—			
1. पलनाडु ताल्लूका	6,664	3,863	58
2. सत्तेनपल्लि ,,	4,650	3,240	70
3. नरसारावपेटा ,,	4,583	3,814	83
4. गुंटूर ,,	3,464	2,852	82
5. विनुकोंडा ,,	4,122	2,393	58
6. बापट्ला ,,	4,278	3,651	85
7. ओंगोल ,,	5,212	4,206	81
ज़िले भर का कुल प्रतिशत	—	—	74
नेल्लूर ज़िला			
1. कनिगिरि ताल्लूका	6,403	5,002	78
2. कंदुकूरु ,,	5,126	2,690	52
3. उदयगिरि ,,	5,557	4,194	72
4. कावलि ,,	3,505	2,621	75
5. आत्मकूरु ,,	4,091	2,204	54
6. कोवूरु ,,	2,465	1,249	51
7. ज़मींदारी ज़मीन—दरिशि, पोदिलि आदि	10,239	4,865	48
ज़िले भर का कुल प्रतिशत	—	—	57

नीचे की तालिका से पता लगता है कि नेल्लूर ज़िले में उपजाऊ ज़मीन चाहे जितनी भी हो, मगर सुविधाओं की कमी के कारण दूसरे सभी जिलों से वह कितनी पिछड़ी हुई है।

ज़िले का नाम	आबादी	कुल ज़मीन एकड़ों में	खेती के काम आनेवाली ज़मीन (एकड़ों में)	फ़सल की उत्पत्ति (रुपयों में)	फ़ी आदमी के पीछे फ़सल की उत्पत्ति (रुपयों में)
1. बल्लारी (पूरा)	12,40,988	37,64,342	29,69,075	28,19,97,203	227
2. कर्नूल	12,64,154	50,15,222	30,08,379	21,90,89,534	173
3. अनंतपुर	13,60,727	42,92,129	32,79,097	20,52,73,531	151
4. गुंटूर	25,42,244	36,93,743	28,10,343	4,45,53,887	135
5. पूर्व गोदावरी	24,06,352	36,36,579	18,21,874	30,60,74,637	127
6. पश्चिम गोदावरी	16,97,892	19,29,460	15,18,638	21,14,16,857	125
7. कृष्णा	17,79,760	22,39,187	17,89,358	20,36,80,939	114
8. कड़पा	11,61,713	37,94,525	21,78,372	12,53,92,025	108
9. चित्तूर	18,08,725	37,69,290	19,60,018	14,30,26,340	79
10. विशाखपट्टणम	20,71,671	33,14,434	24,03,995	32,06,82,812	76
11. श्रीकाकुलम	21,05,847	24,88,931			
12. नेल्लूर	17,93,774	50,94,191	26,68,398	12,15,95,018	68
कुल आन्ध्र राज्य	2,12,33,847	4,30,32,027	2,64,07,547	2,48,26,82,783	117

ऊपर की तालिका के अनुसार यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी सब जिलों से नेल्लूर ज़िले में अनाज़ की फ़सल कम होती है, और इस ज़िले में होनेवाले अकाल का कारण सूखी ज़मीन के ताल्लूकों में अनावृष्टि ही है। अक्सर हम समझते हैं कि रायलसीमा अकाल का निलय है। लेकिन उपरोक्त आंकड़ों से यह मालूम होता है कि रायलसीमा के ज़िलों से नेल्लूर, चित्तूर तथा विशाखपट्टणम ज़िले ही बदतर हालत में हैं। आँकडे मद्रास सरकार की फ़सल संबंधी रिपोर्ट से लिये गये हैं। फ़सल का विवरण जो दिया गया है, वह गत पाँच वर्षों की उपजी फ़सलों का औसत है। फ़सलों के दाम 1951 के दामों के अनुसार निश्चित किये गये हैं।

रायलसीमा के कड़पा, कर्नूल, अनंतपुर तथा बल्लारी ज़िलों में उत्पन्न होनेवाली मूँगफली, रुई आदि का भाव ज़्यादा होने के कारण धन के रूप में उन ज़िलों की फ़सलों को ज़्यादा मूल्य प्राप्त होता है। इसलिए नये जलाशयों के निर्माण की योजनाएँ, खेती की वृद्धि, सिंचाई की सुविधाएँ और प्रधानतया नेल्लूर, सम्मिलित विशाखपट्टणम तथा चित्तूर ज़िलों को दृष्टि में रखकर, बनानी चाहिए। सम्मिलित विशाख, तथा चित्तूर तक आन्ध्र राज्य की बड़ी नदियों का पानी पहुँचाना मुश्किल है। नेल्लूर के लिए ऐसी तकलीफ़ नहीं है। तुंगभद्रा से प्राप्त होनेवाले पानी के लाभों के अलावा नंदिकोंड़ा से और भी किन-किन ताल्लूकों में, किन-किन तरीकों से पानी को पहुँचाने की गुंजाइश है, इसका विवरण निम्नलिखित तालिका से मालूम होता है। इस तालिका में नंदिकोंड़ा प्राजेक्ट से संबंधित सभी विवरण दिये गये हैं—

नयी सिंचाई की सुविधाओं से नंदिकोंडा प्राजेक्ट के अंतर्गत उपजाऊ बननेवाली ज़मीन—

विवरण	सूखी ज़मीन की खेती एकड़ों में	तरी ज़मीन की खेती एकड़ों में	कुल एकड़ों में
हैदराबाद रियासत—			
बायीं नहर	2,25,000	4,65,000	6,90,000
आन्ध्र राज्य—			
बायीं तरफ़ के नहर की खेती, कृष्णा ज़िले के नंदिगामा ताल्लूका, दायीं तरफ़ की नहर	80,000	1,25,000	2,05,000
गुंटूर ज़िला—			
पलनाडु ताल्लूका	1,43,000	71,660	2,14,980
सत्तेनपल्लि ,,	1,26,960	63,480	1,90,440
गुंटूर ,,	1,600	800	2,400
नरसरावपेटा ,,	1,38,240	69,120	2,07,360
विनुकोंड़ा ,,	1,22,520	61,260	1,83,780
ओंगोल ,,	1,00,000	50,000	1,50,000
गुंटूर ज़िला पूरा	6,32,640	3,16,320	9,48,960
कर्नूल ज़िला, मार्कापूर ताल्लूका			

विवरण	सूखी ज़मीन की खेती एकड़ों में	तरी ज़मीन की खेती एकड़ों में	कुल एकड़ों में
नेल्लूर ज़िला—			
कंदुकूर तालूका	1,93,360	96,680	2,90,040
कावलि ,,	1,35,413	67,707	2,03,120
आत्मकूरु ,,	98,600	49,300	1,47,900
कोवूरु ,,	36,200	18,100	54,300
उदयगिरि ,,	98,320	49,160	1,47,480
कनिगिरि ,,	1,24,760	62,380	1,87,140
पोदिलि ,,	83,040	41,520	1,24,560
दरिशि ,,	1,16,360	58,180	1,74,540
नेल्लूर जिला पूरा	8,86,053	4,43,027	13,29,080
आन्ध्र राज्य पूरा	**16,30,773**	**9,00,387**	**25,31,160**
पूरे प्राजेक्ट के अंतर्गत	**18,55,000**	**13,65,000**	**32,20,000**

उपरोक्त आँकड़ों तथा कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन जलाशयों के निर्माण के बारे में बिना काफ़ी अनुशीलन किये, जल्दबाज़ी कर बैठना ठीक नहीं है। जलाशयों के निर्माण में सोचने की मुख्य और ज़रूरी बात, उनके लिए खर्च की जानेवाली पूँजी और खेती के काम आनेवाली हर एकड़ भूमि पर होनेवाला व्यय ही है।

हमारे देश में उत्पन्न होनेवाली संपत्ति के अनुसार पहले यह निर्णय करके कि हर साल कितनी पूँजी इन जलाशयों के निर्माण में लगायी जा सकती है, उनसे संबंधित योजनाएँ बनानी चाहिए। आन्ध्र राज्य की संपूर्ण प्रणाली के अंतर्गत जो तुंगभद्रा, सिद्धेश्वर, नंदिकोंड़ा, पुलचिंतला, सोमेश्वर तथा वंशधारा की योजनाएँ हैं, उन सबपर, आर्थिक स्थिति तथा जनता के उत्साह को दृष्टि में रखकर, विचार करना चाहिए। आन्ध्र राज्य के 12 ज़िलों को सस्यश्यामल बनाने के लिए, कम खर्च में चलनेवाली और क्रमपूर्वक फल देनेवाली योजनाएँ बनायी जाएँ, तो आन्ध्र राज्य की जलशक्ति का सदुपयोग हो सकेगा।

*

हिन्दी प्रचार का इतिहास

प्रचारकों की सूची

तीसरा भाग

प्रचारक का नाम		पृष्ठ संख्या
वेंकट्रायुडु,	कोप्पूडि	108
वेंकट्राव,	गुडपाटि	109
वेंकट्राव,	पुप्पाल	
वेंकट्राव,	पोट्लूरि	
वेंकट्राव,	मंगिपूडि	110
वेंकट्राव,	माचवरम	
वेंकट रेड्डिय्य चौदरी,	गारपाटि	
वेंकट रेड्डि,	केतिनीडि	
वेंकट शिवराव,	मोडेकुर्ति	111
,, शिवशास्त्री,	निम्मगड्डा	
,, सत्यनारायण,	अमृतवाककुल	
,, सीताराम मूर्ति,	नवुडूरि	112
,, सुब्बय्या,	काट्रगड्डु	
,, सुब्बय्या,	पल्लेकोंडा	
,, सुब्बय्या,	पुलिपाटि	
,, सुब्बय्या,	बंडि	
,, सुब्बय्या,	भट्टारम	113
,, सुब्बय्या,	मद्दुल	
,, सुब्बय्य चौदरी,	वेमूरि	
,, सुब्बराजु,	दाट्ल	114
,, सुब्बरामय्या,	गौरावझल	
,, सुब्बारायुडु,	क्रोव्विडि	
,, सुब्बाराव,	कोप्पुरावूरि	115
,, सुब्बाराव,	गंटि	
,, सुब्बाराव,	पेय्येटि	
,, सुब्बाराव,	बूदराजु	116
,, सुब्बाराव,	माचिराजु	
,, सुब्बाराव,	माजेटि	
,, सुब्बाराव,	वड्डेपाटि	
,, सुब्रह्मण्यम,	चिम्मपूडि	117
,, सुब्रह्मण्यशास्त्री,	चेरुकूरि	
,, सुब्रह्मण्यशास्त्री,	तंगिराल	
,, सुब्रह्मण्यशास्त्री,	मुलुकुट्टल	118
,, सुब्रह्मण्यशास्त्री,	मैलवरपु	
,, सोमेश्वर कृष्णमूर्ति,	मेडूरि	
वेंकट स्वामी,	य.ा	119

प्रचारक का नाम		पृष्ठ संख्या
वेंकटा चार्युलु,	आसूरि मरिंगंटि	119
वेंकटेश्वरन,	एन.	
वेंकटेश्वरराव,	अड्वि	120
वेंकटेश्वरराव,	कनकमेडल	
वेंकटेश्वरराव,	कपिलवायि	
वेंकटेश्वरराव,	काज	121
वेंकटेश्वरराव,	कोल्लि	
वेंकटेश्वरराव,	कोटा	
वेंकटेश्वरराव,	चिलकपाटि	
वेंकटेश्वरराव,	जुझवरपु	122
वेंकटेश्वरराव,	तुमु	
वेंकटेश्वरराव,	दम्मालपाटि	
वेंकटेश्वरराव,	दम्मालपाटि	
वेंकटेश्वरराव,	दुड्डा	
वेंकटेश्वरराव,	पंचकर्ला	123
वेंकटेश्वरराव,	पुनुकोल्लु	
वेंकटेश्वरराव,	पोट्लूरि	
वेंकटेश्वरराव,	माधवरपु	
वेंकटेश्वरराव,	मोटूरि	124
वेंकटेश्वरराव,	यलमंचिलि	
वेंकटेश्वरराव,	विन्नकोट	
वेंकटेश्वर रेड्डि,	सरिपल्लि	
वेंकटेश्वर्लु,	चेरुकूरु	125
वेंकटेश्वर्लु,	नीलि	
वेंकटेश्वर्लु,	पोका	
वेंकटेश्वर्लु,	मेलचेरुवु	126
वेंकटेश्वर्लु,	वलिवेटि	
वेंकन्न चौदरी,	ईगलपाटि	
वेंकय्या,	नर्रा	
वेंकायम्मा,	मारेल्ल	127
वेंकोबाराव,	वागा	
वेरय्या,	तारलूरि	
वेणुगोपाल शर्मा	पति	128
व्रजनंदन शर्मा	—	
शंकरनारायण राव,	अ.	
शंकरराजु,	मुंगर	

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा

हिन्दी प्रचार का इतिहास

तीसरा भाग

प्रचारकों का परिचय

अंजनादेवी, तिरुवीथि.

योग्यता - रा. भा. विशारद; निपुण - हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, एस. एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 10-1-1924.
जन्म स्थान - पाकाला, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, तिरुपति, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947, मदनपल्ली, तिरुपति.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - वेंकटेश्वर हिन्दी विद्यालय, तिरुपति.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1139.
विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत.

अनंत लक्ष्मी नरसिंहाचार्युलु, वेदांतम्

योग्यता - रा. भा. विशारद और प्रचारक.
जन्म तिथि - 20-9-1932.
जन्म स्थान - पूनूरु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - पूनूर पोस्ट, वया इंकोल्लु, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पूनूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1856.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

अनसूया देवी, मंडा

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक.
जन्म तिथि - 15-4-1923.
जन्मस्थान - पोतुमर्रु अग्रहारम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - C/o मंडा हनुमच्छास्त्री, हिन्दी प्रचारक, ब्राडीपेट, गुंटूर.
प्रचारकार्य का आरंभ - 1950.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3430.
विशेष अभिरुचि- संगीत.

अनसूया देवी, वासिरेड्डि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण और प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1929.
जन्मस्थान - चेब्रोलु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - शारदा निकेतन, 2 लाइन-ब्राडीपेटा, गुंटूर - 2.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2904.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

अन्नपूर्णम्मा, चिंतलपाटि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - दुर्गा हिन्दी बोधनालय, C/o राघव ट्युटोरियल कालेज, विजयवाडा - 1.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - विजयवाडा.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

अन्नपूर्णा देवी, कस्तूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, इंटर.

जन्मतिथि - 1919.

जन्मस्थान - भीमवरम

स्थाई पता - सूपरिंटेंडेंट, कस्तूरबा शरणालय, नरसापुरम, पश्चिम गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - जवाहर विमेन्स कालेज, नरसापुरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या 2343.

विशेष अभिरुचि - संगीत.

अन्नपूर्णा देवी, चिट्टूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 30-12-1928

जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा - 2.

प्रचार कार्य का आरंभ तथा प्रचार केंद्र - 1943, तेनाली, मछली पट्टणम, श्रीकाकुलम और विशाखपट्टणम.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - क्यु. एम. जी. एस. ट्राइनिंग स्कूल, विशाखपट्टणम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या- 1650

विशेष - तेलुगु में कहानियाँ लिखीं। 1942 अगस्त के आन्दोलन में एक साल केलिए जेल गयी और जेल में भी हिन्दी का प्रचार किया.

अन्नाजीराव, अनप्पिण्डि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक. एस.एस.एल.सी

जन्मतिथि - 8-12-1918.

जन्मस्थान - गुन्नेपल्लि अग्रहारम, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थाई पता - अमलापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - अमलापुरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 435.

विशेष अभिरुचि - नाटक.

अप्पन्नशास्त्री, चंद्रमट्ट

योग्यता - प्रचारक, आयुर्वेद भिषक.
जन्मतिथि - 16-9-1914.
जन्मस्थान - राजमंड्री.
स्थाई पता - C/o चं. कामेश्वर राव जी. आयुर्वेद वैद्य, सामर्लकोटा, पू. गो. जिला.
वर्तमान पता - संगठक, नेहरू नगर, अनंतपुरम.
प्रचार का आरंभ व प्रचार केंद्र-1933, अनंतपुरम, विनयाश्रम, विजयवाडा, राजमंड्री, वरंगल, सामर्लकोट, हैदराबाद.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मंडल संगठक, अनंतपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या 88.
विशेष अभिरुचि - नाटक

अप्पलनरसय्या उलि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 1-11-1909.
जन्मस्थान - पालघाट, मलबार जिला.
स्थाई पता - क्लात मर्चेंट, मेनरोड, विजयनगरम.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - विजयनगरम, विशाख जिला
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1930.

अप्पलस्वामी, पिन्निंटि

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी. व हैयर ग्रेड
जन्मतिथि - 1-7-1923.
जन्मस्थान - बोब्बिली.
स्थाई पता - बोब्बिली, श्रीकाकुलम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोब्बिली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3263.

अप्पलस्वामी, बोडा

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मस्थान - पातपट्टणम, श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.

अप्पलाचारी, कोमांडूरि

योग्यता - साहित्य विशारद, रा. भा. विशारद, व प्रचारक.
जन्म तिथि - 31-7-1917.
जन्मस्थान - दोड्डिपट्ला.
स्थाई पता - दोड्डिपट्ला पोस्ट, वया पालकोल, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व प्रचार केंद्र - 1938, वालाजीपेट, दोड्डिपट्ला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - दोड्डिपट्ला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 514.

अप्पाराव, उन्नव

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्म तिथि - 24-10-1926.
जन्म स्थान - उन्नव, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940, चिल्कलूरिपेटा, तुरिमेल्ला, बेस्तवारपुपेटा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 974.
विशेष अभिरुचि - नाटक व खादी.

अप्पलु, पेन्मेत्सा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, हायरग्रेड व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-6-1928.
जन्मस्थान - चीपुरुपल्ली श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता- बोर्ड हाईस्कूल, चीपुरुपल्ली.
प्रचार कार्य का आरंभ व प्रचार केंद्र - 1953. मेरकमुडिदाम और चापुरुपल्ल
वर्तमान कार्यक्षेत्र - चीपुरुपल्ली
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4261.

अप्पाराव, बोडेपूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्म तिथि - 1-1-1930.
जन्म स्थान - नूतक्की
स्थाई पता - अनपोत बोर्ड हाईस्कूल, नूतक्की, वया दुग्गिराला, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950
वर्तमान कार्यक्षेत्र - नूतक्की.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2196

अप्पाराव, रायला

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रचारक,बी. ए.बी. इडि.
जन्म तिथि - 10-7-1917
जन्म स्थान - रेलंगी, प. गो. जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, तणुकु.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - तणुकु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 433.

अप्पाराव, वेकला

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस.एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 16-8-1924.
जन्म स्थान - नवकपल्ली, विशाख जिला.
स्थाई पता - एस. आर. सिटी हाई स्कूल, राजमहेंद्री, पूर्व गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व प्रचार केंद्र - 1941 एलूर व राजमहेंद्री.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - राजमहेंद्री.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2089.

अब्दुल, रवूफ

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी. व हायरग्रेड
जन्म तिथि - 1-7-1933.
जन्म स्थान - वेलुगोडु, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954
स्थाई पता - वेलुगोडु, कर्नूल जिला.

अय्यण्ण, कालगग्गारि

योग्यता - रा. भा. विशारद तथा हायर ग्रेड
जन्म तिथि - 1-7-1926
जन्मस्थान - दोड्डहरिवाण, कर्नूल जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल आदवानी, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - आदवानी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4262.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

अवध नंदन

योग्यता- पटना विश्वविद्यालय का मेट्रिक अध्ययन.
जन्मतिथि - 25-12-1900.
जन्मस्थान - छपरा, बिहार.
स्थाई पता - द. भा. हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1920 मदनपल्लि बरहंपूर, छत्रपूर, ईरोड, मदरास, तिरुचि.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - संयुक्त मंत्री, द. भा. हिन्दी प्रचार सभा मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2
विशेष- शिक्षणकला, हिन्दी स्वबोधिनी, कई वाचक व कथा - पुस्तकें लिखीं। कई साल तक तमिलनाड हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री और कुछ साल दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री भी रहे.

आंजनेय शर्मा, वेमूरि

योग्यता - साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 1916
जन्मस्थान - ईदुमूडि, गुण्टूर जिला
स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा-2.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.
प्रचार केन्द्र - एलूर, भीमवरम, राजमंद्री, कडपा, विजयवाडा और हैदराबाद.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मंत्री, हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ, हैदराबाद.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 101.
विशेष अभिरुचि - नाटक और साहित्य.
रचनायें - अनुवाद - (1) शबर कन्या (2) विश्वरथुडु. (3) देवदत्त (4)गांधी - मार्क्स. (5) उर्दू कथलु.

आंजनेयुलु, बेंडारु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, तथा मेट्रिक
जन्मतिथि - 11-4-1934.
जन्मस्थान - पेद्दापुरम, पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - पेद्दापुरम, पूर्वगोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व प्रचार केन्द्र - 1950, पेद्दापुरम, विरव व तिरुपति.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पेद्दापुरम
प्रमाणित प्रचारक संख्या 3289.
विशेष अभिरुचि - नाटक तथा संगीत.

आदिनारायण मूर्ति, कोप्पिनेनि

योग्यता - प्रचारक, व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 27-7-1934.
जन्मस्थान - वाडवल्ली, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - C/o आन्ध्र एज्युकेशन सोसाइटी, बंबई - 22.
प्रचार कार्य का आरंभ व प्रचार केन्द्र - 1951. सिकिंदराबाद, एलूर, बंबई.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बंबई.

आदिनारायणमूर्ति, लंका

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 25-11-1927.
जन्मस्थान - पेद्दापुरम.
स्थाई पता - वेदिरेश्वरम पोस्ट, वया कोत्तपेटा, पू. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, एलेश्वरम.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

आदि पट्टाभिराममूर्ति, देवत

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 10-5-1934.
जन्मस्थान - यानाम, पू. गोदावरी.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, पालकोल.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पालकोल, प. गोदावरी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4063.

आदिनारायण शर्मा, सूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक
जन्म तिथि - 28-12-1927.
जन्म स्थान - अत्तोटा.
स्थाई पता - अत्तोटा, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व प्रचार केन्द्र - 1948 अत्तोट, विजयवाडा व कुरिचेडु.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - कुरिचेडु, नेल्लूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2076.

आदिशेषय्या, मन्ने

योग्यता - रा. भा. प्रवीण तथा प्रचारक व मेट्रिक
जन्मतिथि - 2-5-1928.
जन्मस्थान - ईतेरु, गुंटूरु जिला.
स्थाई पता - ईतेरु पोस्ट, वया बापट्ला, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. अद्दंकि, अप्पिकट्ला, निडुब्रोलु, चीमकुर्ति, अब्बिनेनिगुंटपालेम.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - नेहरू बोर्ड हाईस्कूल, अप्पिकट्ला.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1858.

आपटे, भालचंद्र

योग्यता - शास्त्री.

जन्मतिथि - 28-7-1907.

जन्मस्थान - रत्नगिरि, - महाराष्ट्र.

स्थाई पता - द. भा. हिन्दी प्रचारसभा, मद्रास-17.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1931. तेनाली, विजयवाडा, मदरास, धारवाड, अनंतपूर, त्रिचिनापल्ली, हैदराबाद, व कर्नूल.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - हैदराबाद.

प्रमाणित प्रचारक संख्या 299.

रचनायें - हिन्दी व्याकरण, हिन्दुस्तानी रीडरें और लोकमान्य.

विशेष अभिरुचि - नाटक व संगीत.

1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, 1930 नमक सत्याग्रह में भाग लेकर 6 महीने और 1942 के आंदोलन में डेढ साल के लिए जेल गये । वहाँ भी हिन्दी प्रचार किया ।

उदयभास्करम्,

योग्यता - रा. भा. विशारद,

जन्मतिथि - क्रोधन नाम संवत्सर मार्गशिर शुक्ल चतुर्थी.

जन्मस्थान - कोमानपल्ली, पू. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - कोत्तपल्ली पोस्ट, वया उप्पाडा, पू. गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - अमलापुरम, कोमरिपालेम, राजमंड्री, गोल्लप्रोलु.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - कोत्तपल्लि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या 2083.

रचनायें - कल्याण कुंज, हिन्दू कोड समीक्षा (अनुवाद)

उमाकांतम, पल्लि

योग्यता - प्रवीण-प्रचारक, संस्कृत अभिज्ञ.

जन्मतिथि - 10-4-1930.

जन्मस्थान - तक्केल्लपाडु, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949 बापट्ला, रन्टचिंतला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बापट्ला

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4905

विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत

उमामहेश्वरराव, कोडालि

योग्यता - विशेष योग्यता.
जन्मतिथि - 1926.
जन्मस्थान - अंगलूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - अंगलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1305.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

उमामहेश्वरराव, पोट्लूरि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक व एस. एस. एल. सी. सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 5-12-1926.
जन्मस्थान - कुदरवल्लो, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - कुदरवल्ली पोस्ट, गुडिवाड तालूका
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पेडना, कृष्णा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1852.

उमामहेश्वरराव, बोड्डुपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व इंटर
जन्म तिथि - 12-10-1914.
जन्मस्थान - मुक्कोल्लु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - गोड्डुगुपेटा- मछलीपटम, कृष्णाजिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - नोबुल हाईस्कूल, मछलीपटम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2673.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

पातकुंट

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 16-7-1928.
जन्मस्थान - बोज्जायपल्ले, कडपा जिला.
स्थाई पता - बोज्जायपल्ले, कोवरगुंटपल्लि पोस्ट, कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950 पुनादिपाडु, कोमटिगुंट, यर्रगुंट्ला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, यर्रगुंटला. कडपा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3058.

स्व. कन्नय्या, तिरुवीथि

योग्यता रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-1-1910.
जन्मस्थान - कालहस्ति, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934. पाकाला, मदनपल्लि, चंद्रगिरि, रेणुगुंट तिरुपति.
देहांत - 23-12-1955

कमलादेवी, शरणु

योग्यता - हिन्दी प्रचारक
जन्मतिथि - 4-6-1925.
जन्मस्थान - मूलपूरु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - पेदपूडि, तेनाली ताल्लुका, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पेदपूडी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2822.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

कलुगोलु चौदरी, चल्ला

योग्यता-रा.भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस.एल.सी.
जन्मतिथि - 1-1-1923.
जन्मस्थान - कन्दुकूरु, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, कन्दुकूरु.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940, कंदुकूरु. गूडूरु, कनिगिरि.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कन्दुकूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 826.

कामावधानी, तुम्मलपल्लि

योग्यता - हिन्दी विद्वान, संस्कृत विद्या प्रवीण, तेलुगु विद्वान.
जन्मतिथि - 1-7-1916.
जन्म स्थान - काकर्ल, कर्नूल जिला.
स्थाई पता - सीनियर तेलुगु पंडित, एस. के. पि. हाईस्कूल, द्रोणाचलम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - द्रोणाचलम.

कामाक्षि राव, ए. सी.

योग्यता - हिन्दी विद्वान; एम. ए.
जन्मतिथि - 19-5-1918.
जन्मस्थान - कडपा.
स्थाई पता - ललिता निवास, तांबरम, मद्रास.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दी लेक्चरर, क्रिस्टियन कालेज, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1169.
रचनायें-हिन्दी तेलुगु कोश और कई हिन्दी रीडरें.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

कामेश्वरराव, इलपावुलूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, बी. ए.
जन्मतिथि - 15-4-1926.
जन्मस्थान - इलपावुलूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ट्राइनिंग कालेज, नेल्लूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949 नेल्लूर व राजमंद्री.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - नेल्लूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2898.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

कामेश्वरराव, कार्चाभोट्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 3-4-1927.
जन्मस्थान - पेनुगोंडा, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947 पेनुगोंडा और वडली.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पेनुगोंडा, प. गो. जिला.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

कामेश्वरराव,

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, हिन्दी विद्वान, बी. ए.
जन्मतिथि - 9-7-1916.
जन्मस्थान - पोट्लपाडु, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - साहित्य-सदन ओंगोल, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1936.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ओंगोल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 478.
विशेष अभिरुचि - नाटक, फोटोग्रफी और चित्रकला.

कामेश्वर राव, मधिर

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्म तिथि - 21-1-1915.
जन्मस्थान - चिंतलपल्लि, पूर्व गोदावरी.
स्थाई पता - मुलिकिपल्ली, पोन्नमंडा पोस्ट, वया नगरम, पू. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मुलिकिपल्ली, पू. गो. जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 351.

कामेश्वरराव, यर्रमिल्ली

योग्यता - विद्वान और प्रभाकर.
जन्म तिथि - 1-7-1904.
जन्मस्थान - पाशर्लपूडी, पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल गूडूर, नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1929.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गूडूर, नेल्लूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 530.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

काशीविश्वनाथम, तुम्मल

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-7-1924.
जन्मस्थान - कावूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - कावूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1970.

काशी विश्वेश्वर प्रसादराव, मुप्पन

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 30-11-1932.
जन्मस्थान - हसनबादा, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - म्युनिसिपल हाईस्कूल, नंद्याल
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - नंद्याल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2285.
विशेष अभिरुचि - नाटक तथा रचना.
रचनायें - (1) कलामयी (2) ताजमहल (3)इदेना लोकम (4) प्रेमपोठम (5) परिवर्तन (6) कलोगासकुडु - कथलु

कुट्टन पिल्लै, एन. पी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दी विद्वान, बी. एस. सी.
जन्मस्थान - तट्टियल, केरल राज्य.
स्थाई पता-नडुवत्तरकिजकेतिल, भगवतिकुमपटिगारु, तट्टियल, तुम्पणम पोस्ट, तिरुवांकूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रचार केंद्र - तुम्पमण.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - तट्टियल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4388.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

कुप्पुस्वामी, पी. वी.

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक व इंटर.
जन्मतिथि - 25-3-1925.
जन्मस्थान - गुरुराजपेटा, उत्तर आर्काट जिला.
स्थाई पता - अत्तिमंजेरिपेट.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पल्लिपट, चित्तूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2600.
विशेष अभिरुचि - नाटक, रचनायें-छोटी छो[illegible] कवितायें - महादाता, कन्नतल्लि - कन्नी[illegible] निरीक्षण क्यों, यह और वह.

कृष्णम राजु, पत्समट्‌ला

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 9-9-1925.
जन्मस्थान - कोत्तलंका, अमलापुरम तालूका, पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - कोत्तलंका.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - कन्दिकुप्पा, पू. गोदावरी जिला
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2902.
विशेष अभिरुचि - नाटक व चित्रकला.

कृष्णमराजु, मंथेना

योग्यता - प्रचारक
जन्मतिथि - 9-9-1930.
जन्म स्थान - गाडिलंका, अमलापुरम तालूका, पू. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गाडिलंका.

कृष्णमाचार्य, कनकगिरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, विद्वान, साहित्य रत्न.
जन्मतिथि 25-11-1925.
जन्मस्थान - तिरुपति.
स्थाई पता - 12 - आर. एस. स्ट्रीट, तिरुपति, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948
वर्तमान कार्य क्षेत्र - तिरुपति.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1656.

कृष्णमाचारी, के. एम.

योग्यता- साहित्य रत्न, प्रचारक, साहित्य शिरोमणि.
जन्मतिथि - 24-5 1892.
जन्मस्थान - कांचीपुरम.
स्थाई पता- हिन्दी कुटीर, रामारावपेटा-काकिनाडा, पू. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ 1920.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - काकिनाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 85.

कृष्णमूर्ति, अड्डुसुमिल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, मुद्रालेखन, शीघ्रलिपि प्रवीण, मेट्रिक.

जन्म तिथि - 17 6-1927.
जन्मस्थान - गंडेपूडि, कृष्णाजिला.
स्थाई पता - गंडेपूडि, पोलुकोंड पोस्ट, कृष्णाजिला
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1603.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

1942 के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर जेल गये.

कृष्णमूर्ति, एलेश्वरपु

योग्यता - विशारद, प्रचारक, बी. ए.
जन्मतिथि - 1918.
जन्मस्थान - पेद्प्रोलु, कृष्णा जिला.
वर्तमान पता - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 347.

कृष्णमूर्ति, कलग

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 17-10-1922.
जन्मस्थान - दोड्डुनपूडि.
स्थाई पता - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1941.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 727.

कृष्णमूर्ति, गरिमेल्ला

योग्यता - हिन्दी कोविद.
जन्मतिथि - 10-9-1925.
जन्मस्थान - काकिनाडा.
स्थाई पता-बोर्ड हाईस्कूल, पत्तिकोंडा, कर्नूलजिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पत्तिकोंडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 607.

कृष्णमूर्ति, गोटेटि

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी. इंजनीयरिंग डिप्लोमा.
जन्मतिथि - 1916.
जन्मस्थान - नरसापुरम, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - रामराजु लंका, वया अनंतवेदिपालेम.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939. एलूरु, काकिनाडा, भीमवरम.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मलिकिपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1126.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

कृष्णमूर्ति, तुम्मूरु

योग्यता - प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 10-11 1930.
स्थाई पता - बोल्लपाडु, काटूरु पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1948. गुल्लदुर्ति अंडलूर, भट्लपेनुमर्रु, मुदुनूरु.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुदुनूरु.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

कृष्णमूर्ति, पैडिपाल्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण· एस. एस. एल. सी. सेकंडरीग्रेड.
जन्म तिथि - 28-7-1931.
जन्मस्थान - राबर्टसनपेट, कोलार, मैसूर स्टेट.
स्थाई पता - हिन्दी प्रचारक, बोर्ड हाईस्कूल मुद्दनूरु-आर. एस., कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पुलिवेंदुला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3080

कृष्णमूर्ति शास्त्री, तोगचैटि,

योग्यता- रा. भा. प्रवीण, बी. ए., बी. टी.,
जन्मतिथि - 6-12-1928.
जन्मस्थान - आदोनी, कर्नूल जिला.
स्थाई पता - भास्कर निलयम, आदोनी.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - म्युनिसिपल हाईस्कूल, आदोनी
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2688.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

केसिरेड्डी, गुमिरेड्डी

योग्यता - प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-9-1927.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पाकाल, चित्तूर
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पाकाल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3488.
विशेष अभिरुचि - साहित्य.

कोटि नरसिंहमु, चदलवाडा

जन्मस्थान - एलूर, गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1925.
ऊडुकूरु, परसल्याल्लूर, मंगोल्लु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 732.
विशेष अभिरुचि साहित्य.

रचनायें - तेलुगु में- (1) कविरत्न चिन्तामणि, (2) सर्वे गणित चंद्रिका (3) राष्ट्रगीता, (4) तिरुमलगिरि (5) वेंकटेश शतकम, (6) तिरुमलेश शतकम. हिन्दी में- आंध्र हिन्दी स्वयंबोधिनी, और बालोपयोगी साहित्य.

कोदंड रामय्या, इक्कुर्ति

योग्यता- रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस.एस.एल.सी
जन्मतिथि - 1-7-1919.
जन्मस्थान - वेल्लूर, गुंटूर जिला
स्थाई पता - परचूर, वया चीराला, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - परचूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1605.
विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत.

कोटेश्वरराव, चावलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
विद्वान - मद्रास, इंटर - आन्ध्र.
जन्मतिथि - 13-2-1914.
जन्मस्थान-कनगाला, रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला
स्थाई पता - हिन्दू कालेज, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दू कालेज, गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 324

कोटेश्वर राव, भट्ट

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-7-1920.
जन्मस्थान - पेडना, कृष्णा जिला
प्रचार कार्य का आरंभ 1938.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पेडना.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1654.

खाजा हुसैन, ए.

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 12-5-1925.
जन्मस्थान - उरवकोंडा, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - 10 वार्ड, उरवकोंडा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - उरवकोंडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4466.

गंगाधरय्या, बंडारु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - ऐराला, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ 1950.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, ऐराला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3786.
विशेष अभिरुचि - नाटक कला.

गंगिरेड्डी, कलमकुंट्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 24-7-1925.
जन्मस्थान - पाल्रूर, कडपा जिला.
स्थाई पता एस. जे. पी. हाईस्कूल, गुंतकल.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
ऊडवगंड्ला, पाल्रूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गुंतकल, अनंतपूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2272.

गंगिरेड्डी, कृष्णम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1930.
जन्मस्थान - गोट्टलमिट्टा, कडपा जिला.
स्थाई पता - ,, सुरभी पोस्ट, रायचोटि ताल्लुका.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1953. वेंपल्लि,
रायचोटि.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - रायचोटि, कडपा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4765

गंगिरेड्डी, जूटूर

योग्यता - प्रचारक, एस. एस. एल. सी. व.
ए. सी. सी.
जन्मतिथि - 20-9-1925.
जन्मस्थान - अग्रहारम, कडपा जिला.
स्थाई पता - जम्मलमडुगु, कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1947.
कोवरगुट्टपल्ले, कमलापुरम.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - जम्मलमडुगु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1883.
विशेष अभिरुचि - नाटक व संगीत.

गणपति भट्ट,

योग्यता - रा. भा. विशारद, व विद्वान.
जन्मतिथि - 2-6-1919.
जन्मस्थान - केल्दी, शिवमोग्गा, मैसूर
स्थाई पता - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940. बेंगलोर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मरडीहल्लि, चित्र दुर्ग जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 372.
विशेष अभिरुचि - नाटक व संगीत.

गुरुनाथराव, अनपर्ति

योग्यता - रा. भा. विशारद व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 2-10-1918.
जन्मस्थान - कडलि, राजोलु ताल्लुका, पू. गोदावरी
स्थाई पता-पंगिडिगूडेम, वया भीमडोल, प. गोदावरी
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937, पंगिडिगूडेम, पोन्नेरी.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पंगिडिगूडेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 635.

गुरुमूर्ति पंतुलु, करों

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-10-1910.
जन्मस्थान - केशनकुर्रु.
स्थाई पता - मुनिसिपल मिडिल स्कूल, काकिनाडा
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - काकिनाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 684.

गुरुमूर्ति सामयाजुलु, मलपाक

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, हिन्दी विद्वान, बी. ए., तेलुगु विद्वान.
जन्मतिथि - 15-6-1916.
जन्मस्थान - महदेवपट्टणम, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - आन्ध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1932.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मछलीपट्टणम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 849.

गोपय्या, दुग्गिनेनि

योग्यता-रा.भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-5-1928.
जन्मस्थान - पूनूरु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पूनूरु.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. नूतक्कि, यद्दनपूडि, पूनूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पूनूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1826.

गोपाल कृष्णय्या, काट्रगड्डा

योग्यता - प्रचारक
जन्म तिथि - 1912.
जन्मस्थान - प्यापर्रु, तेनाली तालुक, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - प्यापर्रु
वर्तमान पता - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 523.

गोपाल कृष्णय्या, गडियारम

योग्यता - विशारद, विद्वान व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1914.
जन्मस्थान - नुदुरपाडु, सत्तेनपल्लि ताल्लूक.
स्थाई पता - नुदुरुपाडु, गुंटूर जिला.
वर्तमान पता - गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 422.

गोपालकृष्णय्या, मादल

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक व कोविद.
जन्मतिथि - 28-6-1916.
जन्मस्थान - मानिकोंडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, जग्गय्यपेटा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935. उंगुटूरु.
मानिकोंडा, वल्लूरिपालेम, ओगिराल,
आत्कूर, एलूर, उय्यूरु
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 175

गोपालराव, केशवरपु

योग्यता - रा. भा. विशारद
जन्मतिथि - 17-5-1915.
जन्मस्थान - केशवरम, प. गोदावरी जिला
स्थाई पता - केशवरम, वया पेंटपाडु.
प्रचार का आरंभ - 1934.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - केशवरम
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 536

गोविंद, अवस्थी

योग्यता - हिंन्दी प्रचारक, विद्वान,
एस. एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 30-10-1916.
स्थाई पता - द. भा. हिंदी प्रचार सभा, मद्रास-17
प्रचार कार्य का आरंभ - 1938.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मैनेजर, हिन्दी प्रचार प्रेस,
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा
मद्रास-17.
विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत.
रचनायें - पत्र - पत्रिकाओं में लेख आदि.

गोविंदराजाचार्य, कोमांडूरि

योग्यता - हिन्दी व संस्कृत साहित्य शिरोमणि, वेदांत शास्त्राचार्य.
जन्मतिथि - 1882.
जन्मस्थान - विजयराय, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - सिकिंदराबाद
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1918. राजमंद्री, काकिनाडा, सामर्लकोटा, पेद्दापुरम, वेदुरुपाका, पिप्परा, गोपवरम, व विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 109.
विशेष अभिरुचि - दर्शन शास्त्र.

गोविंदराव, साकरे

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1920.
जन्मस्थान - आदोनी, कर्नूल जिला.
स्थाई पता-टी. सी. बोर्ड हाईस्कूल, पामिडी पोस्ट, अनंतपूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2464.

गोविंद रेड्डी, वी

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-7-1927.
जन्मस्थान - येर्रकोटपल्ली, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - वायलपाडु, चित्तूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2476.

गौरांगराव, मुच्चुमिल्लि

योग्यता - प्रचारक व विद्वान.
जन्म तिथि - 1912.
जन्मस्थान - चोडवरम, विशाख जिला.
स्थाई पता - मिसेस ए. वि. एन. कालेज - विशाखपट्टणम.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 398.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

गौरी पार्वतम्मा देवी, चिर्रावूरि

योग्यता - हिन्दी भूषण, रा. भा. कोविद.
जन्मतिथि - 1913.
जन्म स्थान- चिनमुत्तेवी
स्थाई पता - कैकलूर, कृष्णा जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938 गोपवरम राचपट्टणम, वरहापट्टणम, सीतनपल्ली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3303

चंद्रभान सिंग, बोंदिलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 5-11-1915.
जन्मस्थान - गुरजाला, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - सेंट जोसफ हाईस्कूल,
रेंटचिंतला, पोस्ट, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1315.

चन्द्रय्या, कोगन्टि

योग्यता - साहित्य विशारद व प्रचारक.
जन्म तिथि - 12-5-1902
जन्मस्थान - आकुनूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.

चंद्रशेखरम, अइनवल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि 19-6-1910.
जन्मस्थान - चेरुकुगनम अग्रहारम, प. गोदावरी
स्थाई पता - ,, ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 676.

चन्नकेशव वंगल

योग्यता - विशारद.
जन्म तिथि - 6-6-1929.
जन्मस्थान - कोनवारिपल्लि, कडपा जिला.
स्थाई पता - कोंडापुरम पोस्ट, जम्मलमडुगु तालूक,
कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. बल्लारि.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कोनवारिपल्लि.

चलमय्या, करंडला

योग्यता - रा. भा. विशारद, हायर ग्रेड.
जन्मतिथि - 15-3-1933.
जन्मस्थान - अलवलपाडु, कडपा जिला.
स्थाई पता - बेल्लम मंडी बाजार, कडपा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4479.

चिदंबर राव, मंचिकंटि

योग्यता - प्रवीण व पारंगत, एस. एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 27-3-1921.
जन्म स्थान माकनपालेम, राजोल तालूक,
पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता बोर्ड हाईस्कूल, राजोल, पू. गोदावरी
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2203.

चिन रामस्वामि, वेंपराला

योग्यता - तेलुगु विद्वान, एम. ए., महोपध्याय.
जन्म तिथि - 1-7-1913.
जन्मस्थान - काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - हिन्दी प्राध्यापक, गुडिवाडा कालेज-
गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

चेंगय्या, सुंकर

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, व
एस. एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 22-3-1911.
जन्मस्थान - गूडूर, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, बुच्चिरेड्डिपालेम,
नेल्लूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बुच्चिरेड्डिपालेम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 682.

चेंचु रत्नम्मा, पुट्टा

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड.
जन्म तिथि - 15-7-1911.
जन्मस्थान - कालहस्ती, चित्तूर जिला.
स्थाई पता-बोर्ड हायर एलिमेंटरी स्कूल, कालहस्ती
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4761.

चेंचु सुब्बाराव, यल्लमराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, बी. काम आनर्स.,
एल. एल. बी.
जन्मतिथि - 25-11-1929.
जन्मस्थान - मार्कापुरम, कर्नूल जिला.
स्थाई पता - अड्वकेट, ओंगोल, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचारक कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1918
पोदिलि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1973.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

चेन्नकेशवराव, पडकण्ड्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, व इंटर.
जन्मतिथि - 1-7-1917
जन्मस्थान - नूजेंड्ला, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, पत्तिकोंडा पोस्ट, कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1938 मार्कापूर, नौपडा, नेयाला, पत्तिकोंडा
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 80
विशेष अभिरुचि - नाटक और कविता.

जनार्दन शर्मा, मुक्कामल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 25-8-1929.
जन्मस्थान - कोल्लिपरा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - 20/2-606, दुर्गापुरम, विजयवाडा-2
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3276.

जनार्दनरेड्डी देशमुख, केतिरेड्डी

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-1-1914.
जन्मस्थान- गोट्टिपर्ति, नलगोंडा जिला. हैदराबाद.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1937.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2506.

जनार्दन स्वामी, चर्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, भारतीय हिन्दी पारंगत, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 20-12-1927.
जन्मस्थान - काकरपर्रु, प. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - काकरपर्रु, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. हैदराबाद.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - तणुकु, प. गोदावरी जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1964.

जयदेव शर्मा, के

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 2-7-1923.
जन्मस्थान - गुत्ति, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, गुत्ति.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3797.

जानकम्मा, पुष्पगिरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 13-3-1931.
जन्मस्थान - वेंकटगिरि, नेल्लूर जिला
स्थाई पता - C/o सी. आर. कृष्णय्या, मालव्यानगर, गूडूरु, नेल्लूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3495.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

जानकिराम राजु, दन्तुलूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 20-3-1932.
जन्मस्थान - खण्डवल्लि, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
स्थाई पता - पान्दुव्वा पोस्ट, प. गोदावरी.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2489.

जितेंद्रदास, चेरुकूरि

योग्यता - प्रचारक.
जन्म तिथि - 7-9-1930.
जन्म स्थान-पेरिशेपल्लि, पामर्रु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1950,
मानिकोंडा, काटूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कोंडूरु, कृष्णा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2907.

जोगाराव, दुर्गा

योग्यता - रा.भा. प्रवीण, व प्रचारक.
जन्म तिथि - 21-6-1936.
जन्म स्थान - सिरिपुरम, श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.

जोगांराव, पोलुगुपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल सी.
जन्मतिथि - 1-7-1918
जन्मस्थान - उत्तराविल्लि, श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - गुडि वीथि, श्रीकाकुलम.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938
जामि, लकवरपुकोटा, सीतारामपुरम, पोंडूर, सिरिपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 537.
विशेष अभिरुचि - नाटक

जोजिरेड्डी, येद्दुल

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस, एस. एल. सी., हायरग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1930.
जन्मस्थान - अच्चवेल्ली, कडपा जिला.
स्थाई पता - अच्चवेल्ली, पेद्दजूट्टूरु पोस्ट, कडपा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - सेंटजान्स हाईस्कूल, बल्लारी.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
गोटूरु, रामिरेड्डिपल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या -3427.

ज्वाला नरसिंहम, पी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1908.
जन्मस्थान - जग्गय्यपेटा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1931.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1073.

तातबाबू., यर्रं

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 16-10-1929.
जन्मस्थान - विजिनिगिरि, विशाख जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, धर्मवरम पोस्ट, वया विजयनगरम, विशाख जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5011.

ताताराव, वेंगमूडि

योग्यता - प्रचारक व एस. एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 12-6-1925.
जन्मस्थान - चौटपल्लि, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - गवर्नरपेटा,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2153.

तायारम्मा, वी. वी. एस.

योग्यता - प्रचारक.
जन्म - 9-11-1927.
जन्मस्थान - शनिवारप्पेटा, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हैदराबाद.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4246.

तिरुमल राव, कोनेरु

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक व एस. एस. एल. सी.
जन्म तिथि - 17-10-1928.
जन्मस्थान - गोंडवर्र, कृष्णा जिला.
स्थाई पता ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कोलवेन्नु, कृष्णा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2686.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

तिरुमल राव, सी. एम.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, सेकेंडरीग्रेड, व इंटर.
जन्म तिथि - 20-4-1920.
स्थाई पता - बोर्ड हाइस्कूल, रायदुर्ग, अनंतपूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1185

तेजनारायण लाल

योग्यता - शास्त्री - पत्रकारकला, काशी विद्यापीठ; एम. ए. हिन्दी., संस्कृत विशारद.
जन्मतिथि - 2-2-1920.
जन्मस्थान - निमैठी, दरभंगा जिला, बिहार.
स्थाई पता - C/o यलमंचिलि वेंकय्या, कनुमूरु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946 त्रिवेंड्रम, चित्तूर, मद्रास, हैदराबाद.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1420.
रचनाएँ - मधु ज्वाला, युगनाद.

तिरुमल लक्ष्मी नरसिंहाचार्य, कोंडूरि

योग्यता-साहित्यरत्न, भाषाप्रवीण, एस.एस.एल.सी.
जन्मतिथि - 21-1-1918.
जन्मस्थान - मछलीपट्टणम, कृष्णजिला.
स्थाई पता - श्रीमन्नारायणपुरम, उलिपालेम पोस्ट, दिवि तालुका, कृष्णाजिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - घंटसाला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937, राजमंद्री, गुंडुगोलनु,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 529.
विशेष अभिरुचि - बुक बैंडिंग तथा साहित्य

त्रिपुरान्तकम, कोसनम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 6-11 1936.

जन्मस्थान - पेडना, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951, अड्डाडा, कोमरवोलु, तोट्लवल्लूर, गूडूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गूडूर, कृष्णा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3065.

दयानंद, ईमनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, रत्न
जन्मतिथि - 1-7-1930.
जन्मस्थान - प्रासंगुलपाडु, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. टंगुटूर, गणपवरम, पिडुगुराल्ला, अनुपालेम, रापर्ला,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ओंगोल, गुंटूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2282.
विशेष अभिरुचि - साहित्य.

दक्षिणामूर्ति, एन. एस.

योग्यता- प्रभाकर, साहित्यरत्न, साहित्य रत्नाकर, रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 15-3-1934.
जन्मस्थान - नंजनगूड. मैसूर.
स्थाई पता- 531-पालेसरोड, नंजनगूड पोस्ट मैसूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. बंगलूर, रामनाड, हैदराबाद.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - प्रचारक विद्यालय, विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3129.
रचना - उर्दू साहित्य का सरल इतिहास.

दक्षिणामूर्ति स्वामुलु, शिवपुरंबिल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 7-9-1931.
जन्मस्थान - जग्गन्नपेटा, पूर्व गोदवारी जिला.
स्थाई पता - ,, ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गोल्लविल्लि पोस्ट, अमलापुरम तालूका, पू. गोदावरी जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2749.

दानय्या, भो

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 4-11-1928.
जन्मस्थान - तोलेरु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - भीमवरम, प. गोदावरी जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2536.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

दामोदरम. पी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 12-9-1925.
जन्मस्थान - कानिपाकम, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, प्रोदटूरपेटा, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5099.

दुर्गानन्दराजु, चक्काल

योग्यता - साहित्यरत्न, रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 12-1-1927.
जन्मस्थान - मोदुकूर-गुंटूर जिला.
स्थाई पता - C/o हिन्दी प्रेमी मंडली, तेनाली.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. चुंडूर, कोमरवोलु.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.
रचनाएँ - फिरदौसी (हिन्दी), अंतर्गोलालु (तेलुगु)

दुर्गा नागेश्वरराव, राल्लबंडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 10-8-1907.
जन्मस्थान - कोमरवोलु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 527.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

दुर्गा प्रसादराव, शलाका

योग्यता - साहित्य विशारद, रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 22-7-1924.
जन्मस्थान - ऐलूर, कृष्णा जिला
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, कंचिकचर्ला पोस्ट, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1947 देवरपल्ली, श्रीकाकुलम, ऐनपूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1406

दूर्वासुलु, मेकल

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 8-9-1916.
जन्मस्थान - मानिकोंडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1767.

देवकम्मा, पी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 7-6-1925.
जन्मस्थान - रायदुर्ग, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता- सरकारी माध्यमिक बालिका पाठशाला, रायदुर्ग.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.

देवदूत विद्यार्थी, (देवनारायण पांडे)

योग्यता - हिन्दी व अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान.
जन्मतिथि - 1903.
जन्मस्थान - प्रबोधपुर डेरा, ब्रह्कीनेनीजोर पोष्ट, शाहाबाद जिला, बिहार.
स्थाईपता - भारती सदन, मोतीहारी पोस्ट, चंपारन जिला, बिहार.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - आंध्रा, तमिल, व केरल प्रांत, आग्रा, दिल्ली.
रचनायें - हमारा कर्तव्य, कुमार हृदय का उच्छ्वास, तूणीर, दीवान बहादुर, हार या जीत आदि कई पुस्तकें.

देवराजन, एस.

योग्यता - इंटर, हिन्दी का अच्छा ज्ञान.
जन्मस्थान - शंकोट्टा, कन्याकुमारी जिला.
स्थाई पता - पेरुमाल सन्निधिवीथि, शंकोट्टा, कन्याकुमारी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928. द. भा. हिन्दी प्रचार सभा - टी. नगर- मद्रास. 1932 - 34 वर्धा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र-द.भा. हिन्दी प्रचार सभा. मद्रास.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

देवेन्द्रराव, पोतिनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 29-9-1927.
जन्मस्थान - आमुदालपल्ली, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, आरुगोलनु, कृष्णा जिला
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1723.

दोड्डयाचार्युलु, मुडुंब

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-11-1920.
जन्मस्थान - राजमंद्री पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - रेणिगुण्टा पोस्ट, चित्तूर जिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940 राजमंद्री, वेलूर, बल्लारी, अल्लीपूर, त्रिचिनापल्ली. जेलों में भी हिन्दी का प्रचार किया.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 860
विशेष - "आयुर्वेद आचार्य".
रचनाएँ - तमिल और आंध्र में 30 आयुर्वेद ग्रंथ

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 31-12-1917.
जन्मस्थान - दोंडपाडु, कृष्णा जिला
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - लेडी यॉपथिल गवर्नमेंट गरल्स हाईस्कूल, मछलीपट्टणम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947 अंगलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1652.

दोरस्वामी रेड्डी, जे.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1925.
जन्मस्थान - नल्लगाडु, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2340.

धर्मदेवराव, के.

योग्यता रा. भा. विशारद, "विद्यावाचस्पति" व इंटर
जन्मतिथि - 19-7-1934.
जन्मस्थान - करुट्लपल्लि, अनंतपुर जिला
स्थाई पता - अनंतपूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951

धनसूर्यावती देवी, पोट्लूरि

धर्मराज शर्मा, वझ

जन्मतिथि - 1891.
जन्मस्थान - नूतक्कि, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - अरंडलपेटा, गुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1931.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 636.

धर्माराव, मार्लेपाटि

योग्यता प्रचारक, हिन्दी विद्वान, साहित्य विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 24-10-1915.
जन्मस्थान - पेदपालेम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936. कोल्लूर, पेदपालेम.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, रेवेन्द्रपाडु, गुंटूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 181.

नम्मय्या, नृसिंहाद्रि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 9-5-1925.
जन्मस्थान - गंटावारि पालेम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - दयानंद स्ट्रीट, तेनाली.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - सी. एस. एस. बी. हाईस्कूल, कुल्लूर पोस्ट, नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1416.

नरसिंहम, बोब्बा 'बीन'

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - काशिराल्ल, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - बी. एस. कृष्णन हाईस्कूल, चित्तूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4365.

नरसिंहप्पा, गुड्डुगुरिकि

योग्यता रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1935.
जन्मस्थान - गुड्डुगुरिकि, रोल्ल पोस्ट, अनंतपुरम जिला.
स्थाई पता - ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - अनंतपूर
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5129.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

नरसिंहम, ए. के

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 16-6-1916.
जन्मस्थान - करिक्कलवाकम, चेंगलपट जिला
स्थाई पता - रंगनायकुलुपेटा, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुनिसिपल मिडिलस्कूल, नेल्लूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.

नरसिंहम, मद्दुलपल्लि

योग्यता- रा. भा. विशारद, तेलुगु विद्वान, बि. ए.
जन्मतिथि - 1-7-1917.
जन्मस्थान - पट्टाभिरामपुरम, नेल्लूर जिला,
स्थाई पता - इंडियन रेलवे स्कूल, गुंतकल, अनंतपूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4267.

नरसिंहमूर्ति, आमुजाल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 22-4-1922.
जन्मस्थान - तोलेरु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - वीरवासरम. ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936. कोप्पर्रु, मोरि, चिक्काल, तोलेरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 756.

नरसिंहमूर्ति, चवाकुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-6-1932.
जन्मस्थान - दोड्डनपूडी.
स्थाई पता - कोरुकोल्लु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गर्भाम, श्रीकाकुलम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. कोरुकोल्लु, भोमवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4138.

नरसिंहमूर्ति, पेच्चेट्टि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-6-1924.
जन्मस्थान - मलिकिपुरम, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - „ „
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, मुम्मिडिवरम, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1722.

नरसिंह सोमयाजुलु, मल्लादि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 19-11-1923.
जन्मस्थान - अमलापुरम, पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, „
वर्तमान कार्य क्षेत्र - „
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1931. राजोलु, कोत्तपेटा, रामचंद्रपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 321.

नरसिंहाचार्युलु, मुडुंबै

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.

जन्मतिथि - 28-8-1918.

जन्मस्थान - काकिनाडा, पू. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - पुस्तक पालक, द. भा. हिन्दी प्रचार सभा मद्रास.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - " "

प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.

विशेष अभिरुचि - चित्रकला

नरसिंहाराव, गूडवल्ली

योग्यता - रा. भा. विशारद.

जन्मतिथि - 22-12-1914.

जन्मस्थान - जगन्नायकपुरम, ताडेपल्लिगूडेम ताल्लुका, प. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - " "

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कोव्वली, प. गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1936.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1658.

नरसिंहाराव, द्रोणमराजु

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.

जन्मतिथि - 1-7-1906.

जन्मस्थान - मुत्यालपल्ली.

स्थाई पता - यु. एल. सी. एम. हाई स्कूल भीमवरम, प. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - "

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928. कोपल्ले, जक्करम, वान्ड्रम, पसुमर्रु. बोम्मुलूर.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1333.

नरहरि, कसवराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड.

जन्मतिथि - 29-10-1923.

जन्मस्थान - कावली, नेल्लूर जिला.

स्थाई पता - " "

वर्तमान कार्यक्षेत्र - नर्रवाडा, उदयगिरि ताल्लूक, नेल्लूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5209

नरहरिराव, बेल्लंकोंड

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 12-7-1916.
जन्मस्थान - पमिडिपाडु अग्रहारम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - 4/174 संतबजार वीथी, मदनपल्ली, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - " "
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1195.

नांचारय्या, रेंडुचिंतला

योग्यता रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड,
जन्म तिथि - 1-7-1920.
जन्म स्थान - कोसूरु पोस्ट, कृष्णा जिला
स्थाई पता - " "
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, मोव्वा; कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1926.

नागभूषणम, आरिकेपूडि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्म तिथि - 1902.
जन्म स्थान - अंगलूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - " "
वर्तमान कार्यक्षेत्र - "
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935. गोल्लपूडि सिरिपुरम, वीरुलपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 599.

नागभूषणम, चक्का

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, बी. एस. सी. बी. इडी.
जन्म स्थान - शेरमोहम्मदपेटा, कृष्णा जिला
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, जग्गय्यपेटा, कृष्णा
वर्तमान कार्यक्षेत्र - " "
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.

नागभूषणम, पोट्लूरि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, कोविद, विद्वान.
जन्मतिथि - 10-8-1914.
जन्मस्थान - मोखासा कलवपूडि, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाइस्कूल, गुडिवाडा, कृष्णा जिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937. मुसुनूरु मुदिनेपल्ली, पुनादिपाडु, विद्यावनम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 848.
विशेष अभिरुचि - नाटक.
रचनाएँ - (1) गान्धी गारंटे (2) गवर्नर जनरल राजाजी (तेलुगु)

नागभूषणम, लंका

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 5-7-1925.
स्थाई पता - (C/o) देवपूडि वीरभद्रय्या, कोरुकोल्लु पोस्ट, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पेनुगंचिप्रोलु पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. पलासा
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2442

नागय्या, वेमुलपल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-7-1910
जन्मस्थान - राविवारि पालेम्, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - कोत्तपेटा, अवनिगड्ड पोस्ट, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, अवनिगड्डा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4198.

नागिरेड्डी, कत्ति

योग्यता - विशेष योग्यता, प्रचारक
जन्मतिथि - 1-7-1922.
जन्मस्थान - नागिरेड्डिपल्ले, अनंतपुरम जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाइस्कूल ताडिपत्रि. अनंतपुरम जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 734.

नागिरेड्डी, चिट्टेपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 20-6-1924
जन्मस्थान - अग्रहारम, कसनूर पोस्ट, कडपा जिला
स्थाई पता - ,, ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाइस्कूल, सिंहाद्रिपुरम, कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. अग्रहारम राजंपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1441.

नागिशेट्टि, येलुचूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 16-6-1925.
जन्मस्थान - कुंकलमर्रु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - रेलरोड़, पेराला, गुंटूर जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. कुंकलमर्रु, चीराला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4132.

नागेश हत्वार, के.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न. संस्कृत भाषा विशारद.
जन्मतिथि - 9-2-1927.
जन्मस्थान - कंदापुर, दक्षिण कन्नड जिला.
स्थाई पता - 15 सेट कालनी, सेकंड स्ट्रीट, एग्मोर, मद्रास.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1795.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

नागेश्वरराव, गुरिजाल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-12-1932.
जन्मस्थान - कूचिपूडि, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - तिम्मनपालेम, ओंगोल. गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - तिम्मनपालेम,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2516.

नागेश्वरराव, बोयपाटि

योग्यता - साहित्यालंकार, बेसिक ट्रैनिंग
जन्मतिथि 1921
जन्मस्थान - जंपनि, तेनाली तालूका, गुंटूर जिला.
स्थाई पता-हिन्दी प्रेमी मंडली, नाजरपेटा. तेनाली.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1942 तेनाली, गोवाडा.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1046

नारायण, दुत्ता

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 1-7-1919.

जन्मस्थान - अल्लूर, (नेल्लूर जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, गंडवरम, नेल्लूर जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4068.

नारायण, पी.

योग्यता - साहित्यरत्न, रा. भा. प्रवीण, प्रचारक

जन्मतिथि - 1921.

जन्मस्थान - अकत्तेत्तरा, मलबार.

स्थाई पता - पंडारम हाउस, P. O. अकत्तेत्तरा, वया ओलवक्कोटा, S. मलबार.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - हिन्दी प्रचारक विद्यालय, चंचलगूडा, हैदराबाद.

प्रचार कार्य का आरंभ- 1945.

प्रचार केन्द्र - विजयवाडा, कडपा, चित्तूर, बेंगलूर, त्रिचिनापल्ली, मणिपूर, त्रिपुरा, हैदराबाद.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1291.

विशेष अभिरुचि - कथाकली नृत्य.

1942 के आंदोलन में भाग लेकर चार वर्ष तक जेल में रहे।

नारायण वै.

योग्यता - भूषण

जन्मतिथि - 1932.

जन्मस्थान - शनिगरम, करीम नगर जिला.

स्थाई पता - परीक्षा संचालक, हिन्दी प्रचार सभा शाखा, महबूबाबाद.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.

नारायणदास, वीथि

योग्यता - हिन्दी भाषा प्रवीण, बी. ए.

जन्मतिथि - 3-10-1920.

जन्मस्थान - उप्पुलूरु, पश्चिम गोदावरी जिला

स्थाई पता - गवर्नमेंट हाईस्कूल, मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. पेडना उप्पुलूरु.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 961.

नारायणप्पा चौदरी, पोत्तूरि

योग्यता - भारतीय हिन्दी पारंगत और प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-2-1932
जन्मस्थान - कोंडेपल्लि, अनंतपूर जिला
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, कोट्टालपल्लि, वया उरवकोंडा, अनंतपुरम जिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ 1953.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3270.

नारायणराजु, कलिदिंडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण और प्रचारक एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-2-1929.
जन्मस्थान - केशवरम, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - यंडगंडि ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1835.

नारायणराव, पाटिबंड्ला

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 19-9-1933
जन्मस्थान - वीरुलपाडु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

नारायण राव, पेरुभोट्ला

योग्यता - हिन्दी विद्वान, रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 3-8-1915.
जन्मस्थान - कंदुकूर, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - एस. वी. ओ. कालेज, तिरुपति, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940. मार्कापूर, कडपा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 750.

नारायण राव, यलवर्ति

योग्यता - प्रचारक, साहित्यरत्न, पारंगत, तेलुगु प्रवेश.
जन्मतिथि - 15-1-1923.
जन्मस्थान - चौटपल्लि, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - विद्यावन, पामर्रु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1851.

नारायण रेड्डि, ताटिमानु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक, संस्कृत अभिज्ञ
जन्मतिथि - 20-8-1927.
जन्मस्थान - चिन्नदंड्लूरु, कडपा जिला.
स्थाई पता - बेतमचर्ला, कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - एस. आर. हाईस्कूल, बेतमचर्ला, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2604

नारायण शास्त्री, जोन्नलगड्ड

योग्यता - साहित्य विशारद, भाषा प्रवीण, उभय भाषा प्रवीण तेलुगु, इंटर.
जन्मतिथि - 10-2-1912.
जन्मस्थान - मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.
स्थाई पता-आंध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930. चिट्टिगूडूर.

नारायणाचार्युलु, पी. एम.

योग्यता - साहित्य भूषण, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 18-7-1936.
जन्मस्थान - मल्याल (वेमुलवाडा) करीमनगर जिला
स्थाई पता - सरकारी हाईस्कूल, पेद्दापल्ली, करीमनगर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

पक्कीरप्पा, दूदेकुला

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 15-7-1928.
जन्मस्थान - हिमकुंट्ला, कडपा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पीलेरु, चित्तूर जिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2087.

पट्टाभिरामय्या, काकानि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, रा. भा. रत्न, इंटर.
जन्मतिथि 1-12-1930.
जन्मस्थान - आकुनूरु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - महात्मा गान्धी बोर्ड हाईस्कूल, घंटसाला पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947 आकुनूर, उय्यूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1882.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

पद्मनाभम, गुत्ता

योग्यता - विद्वान, प्रचारक.
जन्मतिथि - 9-11-1909.
जन्मस्थान - गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - एलूर रोड, गुडिवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गुडिवाडा कालेज, गुडिवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ 1934.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2731.

पद्मनाभम, सोमयाजुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1913.
जन्मस्थान - इमुकपूडि, पूर्व गोदावरि जिला.
स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड मिडिल स्कूल, पुल्लेटिकुरु, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2486.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

पद्मराजु, कनुमूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि 4-3-1918.
जन्मस्थान - मट्टपर्रु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - शृंगवृक्षम, प. गोदावरी
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, वीरवासरम.
प्रचार कार्य का आरंभ व केंद्र - 1941, रेलंगि, केशवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5374.

परब्रह्मशास्त्री, पेंड्याला

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.
जन्म तिथि - 20-6-1913.
जन्मस्थान - विजयराय, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - रामचंद्ररावपेटा, एलूरु.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, गूटाला, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1936, एलूरु, आचंटा, निडदवोलु, अत्तिलि, वीरवासरम, चिंतलपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 476.

परशुरामय्या, कोसूरु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक
जन्मतिथि - 1-7-1927.
जन्मस्थान - कोसूरुवारिपालेम, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - अवनिगड्ड, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1956.

डा० पांडुरंगाराव, इलपावुलूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, एम. ए. बी. इडि., पी. हेच. डि. स्वर्ण पदक विजेता.
जन्मतिथि - 15-3-1930.
जन्मस्थान - इल्पावुलूरु, ओंगोल, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - वीरभद्रपुरम, राजमंद्री.
वर्तमान कार्य - गवर्नमेंट आर्टस कालेज, राजमंद्री.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. चित्तूर, नेल्लूर, गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2236.
रचनायें - आन्ध्र हिन्दी रूपक.

पांडुरंगाराव, कोल्लिपर

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, इंटरमीडियट.
जन्मतिथि - 20-6-1936.
जन्मस्थान - पोन्नूर, बापट्ल तालूक, गुंटूर जिला
स्थाई पता - आंध्र रत्न मुनिसिपल हाईस्कूल, पेराला, चीराला पोस्ट, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952 पोन्नूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4066.

पांडुरंगाराव, पिंगलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 24-9-1934.
जन्मस्थान - दैवाल राव्रूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - डेस्सा हायर एलिमेंटरी स्कूल, ओंगोल, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - कनिगिरि, नेल्लूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4618.

पानय्या चौदरी, नागुमोतु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, संस्कृत येंट्रेन्स.
जन्मतिथि - 22-12-1928.
स्थाई पता - शलपाडु, शेकूर पोस्ट, गुंटूर जिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5134.

पापय्य शास्त्री, जंध्याल

योग्यता - विशारद, हिन्दी भाषा प्रवीण,
जन्मतिथि - 8-10-1913.
जन्मस्थान - कोप्पर्ति.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ए. सि. कालेज. गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
रचनाएँ - करुणश्री, उदयश्री, विजयश्री, आदि.

पापायम्मा, वेमुगंटि,

योग्यता - रा. भा. विशारद.

जन्मतिथि - 1900

जन्मस्थान - काकिनाडा, पू. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - सूर्यारावपेटा, काकिनाडा.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1923.

विशेष - कताई निपुण.

पार्थसारथि शर्मा, पति

योग्यता - रा. भा. विशारद तक अध्ययन.

जन्मतिथि - 1-4-1920.

जन्मस्थान - माडुगुला, विशाख जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - अव्ययानन्द मन्दिर, माडुगुला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945.

रचनायें - हिन्दी - गीतिकाव्य.

विशेष अभिरुचि - साहित्य.

पार्वतीशम नायुडु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 15-3-1920.

जन्मस्थान - एडिद, मंडपेटा पोस्ट पूर्व गोदावरी जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, गोकवरम, पू. गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1943. सीतानगरम, एडिद.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1948.

पिच्चय्या, कडियाल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 1-2-1927.

स्थाई पता - कठेवरम, तेनाली तालूक, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1948

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, वल्लभापुरम, तेनाली तालूका, गुंटूर जिला.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1770.

पिच्चय्या गुप्ता, दिव्वेला

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्यरत्न.
जन्मतिथि - 1918.
जन्मस्थान - पोणुकुमाडु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बाबाजी पेटा, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1947, गुडिवाडा.
रचनायें - तेलुगु - वासवि कन्यका नाटक.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

पुरुषोत्तम, चौडवरपु

योग्यता - हिन्दी भूषण.
जन्मतिथि - 1928.
जन्मस्थान - महबूबाबाद, वरंगल जिला.
स्थाई पता - व्यवस्थापक, हिन्दी प्रचार समिति,
महबूबाबाद, वरंगल जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.

पूर्णचन्द्र राव, तुम्मला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-9-1925.
जन्मस्थान - पेदलिंगाला - कृष्णा जिला.
स्थाई पता - हिन्दी प्रेमीमंडली - एलूर,
प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
गंडिगुंट, नंदिवाडा, और आरुगोलनु.

पूर्णानंदम, पिनपाटि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1912.
जन्मस्थान - पिनपाडु, मारीसपेटा पोस्ट, तेनाली,
गुंटूर जिला.
स्थाई पता- ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - तालूका हाईस्कूल, तेनाली.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1933.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 748.

पेरुमाल्लु, एस. एल.

योग्यता - रा. भा. विशारद, कोविद.
जन्मतिथि - 5-10-1915.
जन्मस्थान - उंगुटूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मद्रास.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936, वेल्दिपाडु.
विशेष अभिरुचि - नाटक और चल चित्र के अभिनेता.

प्रभाकर राव, निडदवोलु

योग्यता - विशारद विशेष योग्यता, प्रचारक, एस. एस. एल. सी,
जन्मतिथि - 11-2-1921.
जन्मस्थान - निडदवोलु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, विजयनगरम, विशाख जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - विजयनगरम, विशाख जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1314.

प्रसाद, हरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि 12-1-1930.
जन्मस्थान - करथल अग्रहारम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - उप्पुलरिवारि वीथि, विजयवाडा 1.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5142.

प्रसादराव, पिन्नमनेनि

पिचय्या गुप्ता, दिव्वेला

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्यरत्न.
जन्मतिथि - 1918.
जन्मस्थान - पोणुकुमाडु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बाबाजी पेटा, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1947, गुडिवाडा.
रचनायें - तेलुगु - वासवि कन्यका नाटक.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

पुरुषोत्तम, चौडवरपु

योग्यता - हिन्दी भूषण.
जन्मतिथि - 1928.
जन्मस्थान - महबूबाबाद, वरंगल जिला.
स्थाई पता - व्यवस्थापक, हिन्दी प्रचार समिति, महबूबाबाद, वरंगल जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.

पूर्णचन्द्र राव, तुम्मला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-9-1925.
जन्मस्थान - पेदलिंगाला - कृष्णा जिला.
स्थाई पता - हिन्दी प्रेमीमंडली - एलूर, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
गंडिगुंट, नंदिवाडा, और आरुगोलनु.

पूर्णानंदम, पिनपाटि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1912.
जन्मस्थान - पिनपाडु, मारीसपेटा पोस्ट, तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थाई पता- ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ताल्लूका हाईस्कूल, तेनाली.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1933.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 748.

पेरुमाल्लु, एस. एल.

योग्यता - रा. भा. विशारद, कोविद.
जन्मतिथि - 5-10-1915.
जन्मस्थान - उंगुटूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मद्रास.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936, वेल्दिपाडु.
विशेष अभिरुचि - नाटक और चल चित्र के अभिनेता.

प्रभाकर राव, निडदवोलु

योग्यता - विशारद विशेष योग्यता, प्रचारक, एस. एस. एल. सी,
जन्मतिथि - 11-2-1921.
जन्मस्थान - निडदवोलु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, विजयनगरम, विशाख जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - विजयनगरम, विशाख जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1314.

प्रसाद, हरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि 12-1-1930.
जन्मस्थान - कस्थल अग्रहारम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - उप्पुलूरिवारि वीथि, विजयवाडा 1.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5142.

प्रसादराव, पिन्नमनेनि

योग्यता - रा. भा. विशारद,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 24-11-1936.
जन्मस्थान - पोलुकोण्डा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ,
विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

बय्यन्न शास्त्री, नागभट्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-1-1927.
जन्मस्थान - गोकवरम, राजमंड्री ता, पूर्वगोदावरी.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950
विशेष अभिरुचि - चित्रकला, फोटोग्रफी.

फकुरुद्दीन, एस.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक,
सेकंडरीग्रेड,
जन्मतिथि - 1-7-1921.
जन्मस्थान - संतकोवूर, कडपा जिला.
स्थाई पता - रायचोटी, कडपा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल,
रायचोटी
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2147.

बलरामकृष्णय्या, दुग्गिराला

योग्यता - साहित्य विशारद, साहित्यभूषण,
संस्कृत के पंडित.

जन्मतिथि - 1904.

जन्मस्थान - अंगलूर, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा-2.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1921. राजमंड्री वेल्लूर, कडलूर, सेलम, तथा तंजावूर, सेंट्रल जेलों में व अंगलूर, गोवाडा पच्चलताडिपर्रु में प्रचार किया

रचनाएँ - बुद्ध चरित्र, धर्मपथ, मानव जीवन, विद्या विधान, आत्मविजय, गांधी जी अनासक्ति योगम, गांधी जी सर्वोदयम, दंडियात्रा संदेशम, गांधी गीता, तेलुगु सीमा आदि.

विशेष अभिरुचि - बौद्ध वाङ्मय.

विशेष परिचय - राजनैतिक नेता, 1930 से 1942 तक के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर 5 बार जेल गये, वहाँ भी हिन्दी प्रचार खूब किया। आजकल लोकसभा के सदस्य हैं।

बसन्ना, कोंडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 15-2-1927.

जन्मस्थान - पेद्दतामरापल्ली, टेकलि तालूका, श्रीकाकुलम जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - हिन्दी प्रेमी मंडली, सोंपेटा.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. आमुदालवलस, दत्तिलि, पेद्दतामरापल्ली,

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2502.

बल रामिरेड्डी, लेब्रूरु

योग्यता - साहित्यरत्न, रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, भारतीय हिन्दी पारंगत, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 14-12-1929

जन्मस्थान - अल्लूरु, नेल्लूर जिला.

स्थाई पता - ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1950

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2477.

बसवय्या, वेलगपूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 16-12-1928.

जन्मस्थान - उरुटूरु, पामर्रु पोस्ट, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पटमटा पोस्ट, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. संजामला, तमिरिश, पामर्रु, गोल्लपल्लि.

बापनय्या, मेडतादि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1919.
जन्मस्थान - मोपर्रु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र- चंदोल, वया पोन्नूर, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938. तेनाली, मोदुकूरु. मोपर्रु, वल्पर्ला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 572.

बापन्ना, उप्पलपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-6-1934.
जन्मस्थान - वडलि, तणुकु ता., प. गोदावरी जिला
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3911.

बापिराजु, रायवरपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 5-6-1927.
जन्मस्थान - चेंदुर्ति, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - C/o आर. कुक्कुटेश्वरराव, रामारावपेटा, काकिनाडा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, माडुगुला, विशाखजिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केंन्द्र - 1951, शृंगवरपुकोटा.
रचनायें - कई कहानियाँ तेलुगु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई.

बाल कृष्णमूर्ति, आकुराति

योग्यता · रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 28-8-1932.
जन्मस्थान - तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - मार्कंडेय वीथि, 12 वार्ड, तेनाली.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5128.

बाल शौरि रेड्डी, येद्दुला,

योग्यता - साहित्य रत्न, साहित्यालंकार, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-7-1928.
जन्मस्थान - गोल्लल गूडूर, कडपा जिला.
स्थाई पता C/o साहित्य विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, टि. नगर, मद्रास-17.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. मन्नारगुडि त्रिचिनापल्ली, कर्नूल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2194.
रचनायें - पंचामृत(हिन्दी)जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 रुपये और भारत सरकार ने 200 रुपये का पुरस्कार दिया.
तेलुगु साहित्य का इतिहास और "आरोग्य मेक्कड ?

बालसुन्दर राव, दोंतंशेट्टि

योग्यता - रा. भा. विशारद, इंटर
जन्मतिथि - 5-5-1935.
जन्मस्थान - सेल्स टेक्स आफीस के पास, एलूर, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
स्थाई पता - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4769.

बिल्हण शास्त्री, दुव्वूरि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-6-1918.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
वर्तमान पता - आंध्र जिमखाना क्लब रोड, गान्धीनगर, विजयवाडा-2.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1937.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 99.

योग्यता - हिन्दी प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 24-10-1928.
जन्मस्थान - कोत्तपल्लि, श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, पालकोंडा, श्रीकाकुलम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3493.

बुच्चि रामय्या, कुर्रा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 5-1-1927.
जन्मस्थान - जम्मुलपालेम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - आन्ध्र रत्न मुनिसिपल हाईस्कूल, पेराला, चीराला पोस्ट, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1946, नूतक्कि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2206.

बैरागि चौदरी, आलूरि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 1925.
जन्मस्थान - गुंटूर
स्थाई पता - ऐतानगरम, तेनाली ता. गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मद्रास.
प्रचार कार्य के केन्द्र - प्रत्तिपाडु, मद्रास.
रचनायें - तेलुगु - चीकटि नीडलु, नूतिलो गोंतुकलु दिव्य भवनम, त्रिशंकु स्वर्गम;
हिन्दी - बदली की रात, बालकविताएँ,
विशेष-हिन्दी व तेलुगु चंदमामा मासिक पत्रिका, का संपादन किया। रेडियो नाटक लिखते हैं, कई पत्र-पत्रिकाओं में कविताएँ लिखते हैं।

बृंदावनम, जी.

ब्रह्मय्या, दासरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 24 8-1920.
जन्मस्थान - नंदिवाडा, वया दोसपाडु, कृष्णा.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935, नंदिवाडा, बोदुलवंडा, तेलप्रोलु, उंगुटूर, रमणक्कपेटा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, कुदरवल्लि पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1311.

ब्रह्मय्या, शील

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 10-6-1913.
जन्मस्थान - एलूर, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1931.
रचनायें - बलिदान की चिनगारियाँ तेलुगु में अनुवाद.
विशेष अभिरुचि - नाटक व चल चित्र के अभिनेता.
विशेष - स्वतंत्रता-आंदोलन में भाग लेकर 1940 से 1944 तक जेल गये। वहाँ भी हिन्दी का प्रचार किया। आज कल एम. एल. ए. हैं।

ब्रह्मानंद राव, गादे

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 25-10-1925.
जन्मस्थान - राजमंद्री, पू. गो. जिला.
स्थाई पता - J. N. V. R. हाईस्कूल, पेनुगोंडा. प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940. पालकोल्लु,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 912.

भगवान इलमराय शर्मा, मुक्कामल,

योग्यता - विद्वान, हिन्दी प्रचारक, तथा एम. ए.
जन्मतिथि - 2-5-1918.
जन्मस्थान - कोल्लिपरा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - नरसापुरम कालेज, नरसापुरम, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939. अवनिगड्डु, गूडूर, पुनादिपाडु और नंदिगामा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 409.
विशेष अभिरुचि - साहित्य.

भट्टाचार्युलु, मरिंगंटि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-6-1932.
जन्मस्थान - यर्रबोड्नपल्ली, खम्मम जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - सरकारी मिडिल स्कूल, कामेपल्ली, खम्मम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950, तिरुवूरु, यर्रबोड्नपल्लि, वेंकटापुरम.

भाष्यकाचार्युलु, चिलकवि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 20-3-1927.
जन्मस्थान - सिंगरायकोंडा, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - वेंकटेश्वर स्वामी गुडि वीथि, गूडूरु, नेल्लूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - चेन्नूर, नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3018.

भास्कररामय्या, कोत्तपल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 14-5-1909.
जन्मस्थान-कापवरम, कोरुकोंड पोस्ट, पू. गो. जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1932. कोरुकोंडा, कणुपूरु, जंबूपट्टणम और दोसकायलपल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 403.

मंगलांबा, विठला

योग्यता रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1935.
जन्मस्थान - चित्तूर.
स्थाई पता - 38/4 संतपेटा, चित्तूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

मंजुलता, दंडमूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 10-7-1933.
जन्मस्थान - दोंडपाडु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - 13. राजा बादर वीथि, टी. नगर, मद्रास-17.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
रचनायें - तेलुगु - कहानियाँ.

मदनमोहन राव, उन्नव

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य रत्न, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 9-7-1936.
जन्मस्थान - सिंकदराबाद - अन्ध्रा
स्थाई पता - चिलकलूरि पेटा, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952, चिलकलूरिपेटा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र कोलस मेमोरियल हाईस्कूल, कर्नूल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4362.

मधुसूदनन्, एन.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 19-3-1932.
जन्मस्थान - परक्कै, कन्याकुमारी जिला.
स्थाई पता - इडियन गुडि. तिन्नवेल्लि जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3978.

मधुसूदन राव, पातूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 18-5-1926.
जन्मस्थान - वट्लूरु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, मलकपल्ली, वया कोव्वूर, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948, चाटपर्रु, चिंतलपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2136.

मल्लिकार्जुनराव, कांडूरि

योग्यता - हिन्दी विद्वान व प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 14-5-1901.

जन्मस्थान - मामुड्डूर, पेनुमंट्र पोस्ट, प.गो.जिला.

स्थाई पता - एम. एम. के. एन. एम. हाईस्कूल,
पालकोल, प. गो. जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1925,
पालकोल्लु, काजा.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 180.

विशेष अभिरुचि - संगीत.

मल्लिकार्जुनुडु, शिवलेंका

योग्यता - रा. भा. विशारद. भाषा प्रवीण,
सेकंडरी ग्रेड.

जन्मतिथि - 10-7-1916.

जन्मस्थान - वंगूर, प. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, गुंडुगोलनु पोस्ट,
प. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940, एलूर,
अनंतपल्लि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 906.

मल्लिकार्जुन शर्मा, कानुगगड्डा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 13-6-1918.

जन्मस्थान - बेलगुप्पा, अनंतपूर जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, आत्मकूर,
कर्नूल जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950,
अमरापुरम, कोत्तचेरुवु.

प्रमाणित प्रचारक संख्या -

मस्तान साहेब, शेख

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकेंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 1-8-1923.
जन्मस्थान - पालगिरि, कडपा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, कलिकिरि,
चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947, पीलेरु,
पालगिरि, वायलपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4136.
विशेष अभिरुचि चित्रकला.

महबूब साहब, एम.

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
स्थाई पता - आल्लगड्डा पोस्ट, कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - एस. पी. जी. हाईस्कूल,
सिकंदराबाद.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1947, नंद्याला,
गिद्लूर, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1560.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

महालक्ष्मी, जी.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 30-3-1931.
स्थाई पता जी. जी. हेच. स्कूल, आदोनी,
कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3823.

महालिंगम, एस

योग्यता - बि. ए.; हिन्दी और तमिल का अच्छा
ज्ञान रखते हैं.
जन्मतिथि - मई 1909.
जन्मस्थान - तंजावूर
स्थाई पता - 1250/ बालोबा गली, तंजावूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - परीक्षा मंत्री, द. भा. हिन्दी
प्रचार सभा मद्रास-17.
प्रचार कार्य के केन्द्र - तंजावूर, तिरिचिनापल्ली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 500
रचनायें - बच्चों की किताब, पहली किताब,
तमिल स्वयंशिक्षक.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

महीश्वर, दंडमूडि

ग्यता - रा. भा. विशारद, राष्ट्र भाषा रत्न, उक्तलेखा प्रवीण, इंटर.
न्मतिथि - 15-1-1929.
न्मस्थान - कोडूरु. गुडिवाडा तालूका, कृष्णा.
थाई पता - ,, ,,
र्तमान पता - 13. राजाबादर स्ट्रीट, त्यागरायनगर, मद्रास-17.
र्तमान कार्य क्षेत्र- सह संपादक, हिन्दी चन्दमामा, मद्रास.
चार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1941. पलासा, 1950 से 1954 तक द. भा. हिन्दी प्रचार सभा, 1954 में मद्रास के राज्यपाल के यहाँ स्टेनोग्राफर रहे.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3766.
रचनायें- तेलुगु-मानवुडु मेलुकोन्नाडु, कहानी संग्रह, हिन्दी में भी कहानियाँ प्रकाशित हुई.
विशेष अभिरुचि - कहानी लेखन

महेश्वरराव, कोसनम.

योग्यता - हिन्दी मुद्रालेखन उच्च, तेलुगु मुद्रालेखन व शीघ्रलिपि.
जन्मतिथि - 20-5-1937.
जन्मस्थान - कोसनमवारि वीधि, पेडना, कृष्णा.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा - 2.

मार्कण्डेयांबादेवी, मोगंटि

योग्यता - प्रचारक, विज्ञान, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 21-12-1918.
जन्मस्थान - तणुकु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केंद्र - 1933, मछली पट्टणम, नेल्लूरु, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 742.
रचनायें - विश्वविपंची तेलुगु और कई कहानियाँ
विशेष अभिरुचि - संगीत व चित्रकला.

मार्कंडेय शर्मा, भारतुल

योग्यता - उभय भाषा प्रवीण,
जन्मतिथि - 24-7-1901.
जन्मस्थान - चीमकुर्ति, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - तेलुगु पंडित, ि. एस. आर. शर्मा कालेज, ओंगोल, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1921, बरहमपूर, विशाखपट्टणम.
रचनायें - अनुवाद - प्रतिमा नाटक, नटना,
मौलिक - चंद्रगुप्त, नायकुरालु, कृष्णदेवरायलु, रेंडव तैलपुडु, बोधि श्री आदि.

सुब्यम, कुर्रा

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक,
बेसिक ट्रेइनिंग.
जन्मतिथि - 13-2-1919.
जन्मस्थान - चिनरावूर, तेनाली ता. गुंटूर जिला
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1939, कोनेटिपुरम,
विनयाश्रम, तेनाली, मुरिमेल्ला, पेदरावूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 573.
रचनाएँ - कुछ कविताएँ.

मुनिवरराजु, निडिमोरु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. ऐल. सी.
जन्मतिथि - 25-12-1925.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, प्रोद्दुटूर,
कडपा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1938.

मुरहरिराव, नल्लमल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, तेलुगु विशारद
जन्मतिथि - 15-7-1929.
जन्मस्थान - तुडभि गोपवरम, देंदुकूर पोस्ट, मधिरा
तालूका, खम्मं जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हाईस्कूल, कोत्तगूडेम,
खम्मम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. मधिरा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4503.

मुहम्मद खैरात, हुसेन

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक
जन्मतिथि - 16-5-1911.
जन्मस्थान - फणिदम, सत्तेनपल्लि ता. गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,

तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड मिडिल स्कूल, फणिदम.
चार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936. मोपर्रु, आदोनि, कसनूरु, राजुपालेम. क्राप, पिट्टलवानिपालेम और मुन्नंगि.
माणित प्रचारक संख्या - 75.

मृत्युंजय शास्त्री, नडिमिंटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 25-8-1929.
जन्मस्थान - कोत्तलंका, अमलापुरम तालूका, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पेरुर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. गाडिलंका, पोलवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2308.

मृत्युंजयुडु, काशीराजु

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि 16-4-1900
जन्मस्थान - कोत्तपाडु अग्रहारम, प. गोदावरी
स्थाई पता - मारुटेरु, प. गोदावरी जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1926 कोत्तपाडु, इलपर्रु

मोदिनायुडु, दाडि

योग्यता - राष्ट्र भाषा प्रवीण, मेट्रिक
जन्मतिथि - 2-10-1926
जन्मस्थान - नरसय्या पेटा, विशाखपट्टणम जिला
स्थाई पता - ए. वि. एन. कालेज, विशाखपट्टणम,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. पोलाकि
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3688.

यर्रेला, मादासु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 1-7-1918.
जन्मस्थान - ऊरचिंतला, ताडिपत्रि तालूक, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - के. सी. बी. हाईस्कूल, कल्याणदुर्गा, अनंतपूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1943, ताडिपत्रि, अनंतपूर, मडकसिरा, इंदुपूर, पेनुकोंडा, आत्मकूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1004.

यल्लारेड्डी, इरगम रेड्डी

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक.
जन्मतिथि - 24-8-1924.
स्थाई पता - बोर्ड हाइस्कूल, न्यामद्दला, धर्मवरम ताल्लुका, अनंतपूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951, कोत्तचेरुवु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2649.

रगनायकुलु, पिन्नमनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक. व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 14-8-1925.
जन्मस्थान - गोपालुनिवारिपालेम, वया चिलकलूरिपेटा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - यस. के. यस. बोर्ड हाईस्कूल, मुरिकिपूडि, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. चिलकलूरिपेटा, संतनूतलपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2350.

रंगराजु, मोहनपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व इंटर.
जन्मतिथि - 4-6-1930.
जन्मस्थान - याल्लूर, नंद्याला आर. एस. कर्नूल जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, आल्लगड्डा, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947, कोवेलकुंट्ला, नंद्याला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1842.

रंगाचार्युलु, श्रीमत्तिरुमला पेद्दिंटि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, साहित्य विशारद, भाषा प्रवीण, काव्य विशारद - संस्कृत व सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि 1905.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पिप्परा पोस्ट, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930, गोपवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 535.

रंगादेवी, राचर्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 25-7-1930.

जन्मस्थान - तोट्लवल्लूरु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - पादर्ति सुंदरम्मा मुनिसिपल हाईस्कूल, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. ताट्लवल्लूरु.

रंगाराव, कोंड्रेड्डि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण प्रचारक.
जन्मतिथि - 2-1-1932.
जन्मस्थान - कठेवरम पोस्ट, तेनाली ता. गुंटूर.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - तेनाली
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3594.

रंगाराव, चेन्नुपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 2-2-1926.
जन्मस्थान - जम्मुलपालेम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, बापट्ला, गुंटूर
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. मालेमपाटिवारि पालेम, दुद्दुकूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1412.

रंगाराव, यलमंचिलि

योग्यता - साहित्य विशारद, प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-10-1920.
जन्मस्थान - कनुमूरु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - चिगुरुकोटा पोस्ट, कैकलूर ताल्लुका, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, तेलप्रोल पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939. कानुमोलु. विजयवाडा, कोमरवोलु, गंपलगूडेम, पटमटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 683.

रत्नमरेड्डी, मेलपूडि

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-7-1924.
जन्मस्थान - पल्लिपट, वया नगरी, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पुत्तूर, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948, नगरी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1931.

रमेश चौदरी, आरिकेपूडि

योग्यता- गुरुकुल कांगडी के स्नातक.
जन्मतिथि - 24-11-1922.
जन्मस्थान उय्यूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता- 138 - शनाई नगर, मद्रास - 30
वर्तमान कार्यक्षेत्र व पता-संपादक, "दक्षिण भारत" मद्रास.
रचनायें - उपन्यास - भूले भटके, दूर के ढोल, खरे खोटे, कहानी संग्रह-भगवान भला करे.
विशेष अभिरुचि - नाटक और चित्रकला.

रवणम्मा, कंचर्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 10-8-1936.
जन्मस्थान - कोलवेन्नु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4554.

राघवय्या, मोक्कपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि 15-6-1925.
जन्मस्थान - पेदपुलिपाका, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र व पता - बोर्ड हाईस्कूल, मुस्तावाद, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3441.

राघवय्या, वकुलाभरणम

योग्यता - भारतीय हिन्दी पारंगत, शिक्षणकला प्रवीण.

न्मतिथि - 8-9-1929.
न्मस्थान - बुच्चिरेड्डिपालेम, नेल्लूर जिला
थाई पता - ,, ,,
र्तमान कार्य क्षेत्र - शारदा हिन्दी प्रेमी मंडली, भद्राचलम, पू. गोदावरी
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. चिल्लिवाकम, आत्मकूर, नेल्लूर, सिंगपेटा, बुच्चिरेड्डिपालेम, मुत्तुकूर आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4300.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

राघवाचार्युलु, गोरंट्ला

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-7-1931.
जन्मस्थान - ताडिमर्रि, धर्मवरम तालूक, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - अमरापुरम, अनंतपूर जिला.
प्रचार कार्य के केन्द्र - धर्मवरम, अनंतपूर, हिन्दूपूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5363.

राघवराव, पोरूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकेंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1914.
जन्मस्थान - कोरिशपाडु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ओंगोल, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - रेलवे बाइस प्राइमरी स्कूल, काजीपेटा, सेंट्रल रेलवे
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या 2439.
विशेष - संगीत विद्वान. कई तेलुगु सिनिमाओं के संगीत विभाग में काम किया.

राघवेंद्रराव, आर्

योग्यता - साहित्यरत्न, शास्त्री - संस्कृत
जन्मतिथि 1-1-1911.
जन्मस्थान - अंगलूर पोस्ट, कृष्णा जिला
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पोरंकि; कृष्णा जिला
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934. मोपर्रु, कडपा, कसनूर, मुसलिरेड्डिपल्ले, नागयलंका, पोतुनूर, अंगलूर, गांधी आश्रम-कोमरवोलु, चित्तूर, विजयनगरम आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 107.

राजगोपाल कृष्णय्या, उन्नव

योग्यता - प्रचारक, विशारद - साहित्य - सम्मेलन.

जन्मतिथि - 1-7-1904.

जन्मस्थान - उन्नव, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा - 2.

वर्तमान कार्यक्षेत्र व पता - मंत्री, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1922,

प्रचार केन्द्र - बुद्धवरम, पटमटा, पटमटलंका, आकुनूर, घंटसाला, पामर्रु, गुंटूर, कानुमोलु, तिप्पनगुंटा, मछलीपट्टणम. अनंतपूर.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 90.

रचनायें - मंगल प्रभात, गीता बोध आदि का हिन्दी से तेलुगु में अनुवाद.

विशेष - हिन्दी और तेलुगु रंगमंच के अभिनेता. रेडियो नाटकों में भी भाग लेते हैं.

—ooxoo—

राजगोपालम, गुंटुपल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद.

जन्मतिथि - 1-5-1917.

जन्मस्थान - गोगिनेनिवारिपालेम, दिवि ताल्लूका, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - सूर्यापेटा, नलगोंडा जिला, हैदराबाद.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934. केसरपल्लि, वेजवाडा, रेंटपाल्ल, चिंतपल्लिपाडु, कोणतमात्मकूर, तुनिकिपाडु, खम्मममेट्ट.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 989.

राजशेषगिरिराव, कर्ण

योग्यता - साहित्यरत्न, एम. ए., संस्कृत विशारद-
काशी.
जन्मतिथि - 12-4-1927.
जन्मस्थान - जांड्रपेटा, चीराला पोस्ट, गुंटूर.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - आन्ध्र लयोला कालेज,
विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944.
जांड्रपेटा, गुंटूर, मछलीपट्टणम,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1222.
रचनाएँ - आन्ध्र साहित्य की रूप रेखा, आन्ध्र
की लोक कथाएँ, आन्ध्र की लोक गीत आदि.
विशेष - आन्ध्र की लोक कथाएँ वाली पुस्तक
केलिए केंद्र सरकार से पुरस्कार प्राप्त.

राजारेड्डी, शो.

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - कोत्तपल्लि, चित्तूर जिला.
स्थाई पता - बी. एस. कन्नन हाई स्कूल,
चित्तूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2492.

राजाराव, पेम्मराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व चारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि 14-4-1923.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - गांधीजी मुनिसिपल हाईस्कूल,
विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 972
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1941.
चिंतलपूंडि, प्रगडवरम, तेलप्रोलु, तिरुपति.

राधा कृष्णमूर्ति, पुरणपंड

जन्मतिथि - 1936.

जन्मस्थान - आल्मूर, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - मंत्री, विज्ञान हिन्दी मंदिर, आल्मूर. पू. गोदावरी.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

राधाकृष्णमूर्ति, वेमूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न, तेलुगु प्रवेशिका.

जन्मतिथि - 28-2-1925.

जन्मस्थान - कूचिपूडि, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - माचवरम, विजयवाड़ा-2.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दी प्रचारक विद्यालय, विजयवाडा-2.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940. एलूरु, राजमंद्री, भीमवरम, विनयाश्रम, गोल्लपूडि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 631.

विशेष - तेलुगु व हिन्दी रंगमंच के अभिनेता.

रचनाएँ -तेलुगु- गान्धी जी को श्रद्धांजलि, भर्तृहरि, आन्ध्र लो विनोबा, होनाजीबाला, हिन्दी-देश हमारा, रामदास, नागार्जुन पर्वत आदि.

राधाकृष्ण मूर्ति, आकुंडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, बी. ए., बी. इडि.

जन्मतिथि - 10-9-1929.

जन्मस्थान - काकरपर्रु, पश्चिम गोदावरी जिला.

स्थाई पता - वेंकटेश्वर टाकीस के पीछे, तणुकु, प. गोदावरी.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, रायचोटी, कडपा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. निडदवोलु.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3279.

राधाकृष्णाराव, मंडव

योग्यता-रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, विशारद-तेलुगु.

जन्मतिथि - 31-10-1932.

जन्मस्थान -वट्लूर, एलूरु ताल्लुका. प. गोदावरी

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल टेक्कलि, श्रीकाकुलम जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1953.नरसन्नपेटा.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3806.

रामकृष्णय्या, अब्बिनेनि

ग्यता - रा. भा. विशारद.
न्मतिथि - 1917.
न्मस्थान - गोवाडा, वया तेनाली, गुंटूर जिला.
थाई पता - ,, ,,
र्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
चार कार्य का आरंभ - 1944.
माणित प्रचारक संख्या - 1727.

रामकृष्ण शास्त्री, दम्मालपाटि

योग्यता - विद्वान, हिन्दी रत्न- पंजाब.
जन्मतिथि - 8-5-1900.
जन्मस्थान - दम्मालपाडु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - सत्यनारायणपुरमु, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1922,
दम्मालपाडु, नरसरावपेटा, उलवपाडु, चित्तूर, तिरुपति, नेल्लूर, वेमूरु, कंदुकूरु.
रचनायें - तेलुगु - बालाजी का दर्शन, हिन्दी - गीतादर्शन.

रामकृष्णय्या, पोल्लूरि

ोग्यता-रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस.एस.एल.सी
न्मतिथि - 1-7-1921.
न्मस्थान - कारुमंचि, गुंटूर जिला.
थाई पता - C/o गरिकपाटि रामय्या, टिंबर मर्चेंट, नरसरावपेटा, गुंटूर जिला.
र्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, दुर्गि पोस्ट, गुंटूर जिला.
चार कार्य का आरंभ - 1951.
माणित प्रचारक संख्या - 3082.
चनाएँ - रामचंद्रप्रभु शतकमु-तेलुगु.

रामकृष्णाराव, गौरिपेद्दि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-1-1927.
जन्मस्थान - अनुमकोंडा, वरंगल जिला.
स्थाई पता- आन्ध्र भाषाभिवर्धिनी उन्नतपाठशाला,
जनगांव, वरंगल जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1951. गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5010.

रामकृष्णा ,मंडा

योग्यता - हीन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-7-1936.
जन्मस्थान - वलभद्रपुरम, वया द्वारपूडि,
पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल,
बिक्कवोलु, प. गोदावरी.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954.
पंदलपाका, अनपर्ति,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4809

राम कृष्णा राव, चिरांवूरि

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 3-11-1914.
जन्मस्थान - कैकलूरु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, निडुमोलु,
कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940,
कैकलूर, पालकोल, तोटवल्लूर, पडमटा,
मुदिनेपल्लि, आरुतोगलपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 277.

रामकोटय्या, कनपर्ति

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड.

जन्मतिथि - 15-6-1915.

जन्मस्थान - मूल्पूरु, तेनाली तालूक, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कोल्लूर, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937. ईपूर, काप.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 434.

रामचंद्रमूर्ति, नूकल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 6-11-1927.

स्थाई पता - वि. टि. हैच. स्कूल, राजमंद्री, पू. गोदावरी जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948, एलेश्वरम, विर्लपूडि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2511.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक. एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 15-7-1919.

जन्मस्थान - यलकुरु, वया गुड्लवल्लेरु, कृष्णा..

स्थाई पता- ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, कानुमोलु, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945. पसुमर्रु, पेरिशेपल्लि, निडुमोलु, भट्लपेनुमर्रु.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1330.

रामचंद्रय्या, वसंतम्

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, बि. ए.

जन्मतिथि - 1-7-1923

जन्मस्थान - पच्चलताडिपर्रु, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, निडुब्रोलु पोस्ट, गुंटूर जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1940, दोप्पलपूडि, ताडिकोंडा. उप्पलपाडु, अप्पिकट्ला.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1263

रामचंद्रय्या, कोल्लिपरा

रामचंद्रराव, करणम पापराजु

योग्यता - प्रवीण व प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-7-1926.
जन्मस्थान - गुड्डलकुंटा, कडपा जिला.
स्थाई पता - गूडूर, कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
पोरुमामिल्ला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2533.

रामचंद्रराव, कुंदुम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 2-3-1926.
स्थाई पता - एस. आर. सिटी हाई स्कूल, राजमंड्री
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या -1954.
विशेष अभिरुचि - नाटक व चित्र कला.

रामचंद्रराव, चर्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, एम. ए. बी. इडि.
जन्मतिथि - 4-10-1923.
जन्मस्थान - मंचिलि, प. गो. जिला.
स्थाई पता - तणुकु, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945.
काकरपर्रु, मुक्कामला, पेनुगोंडा, जिन्नूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1470.

रामचद्रराव पाटिबंडल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 1-1 1930.
जन्मस्थान - तोरगुडिपाडु, नंदिगाम ताल्लुका, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, मुप्पाल्ल, सत्तेनपल्लि ताल्लुका, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
वल्लभापुरम

रामचंद्रराव, पातूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 31-12-1910.
जन्मस्थान - उंगुटूर, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - अच्चन्नपालेम, नल्लजर्ला पोस्ट, वया भीमडोलु, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932.
वेंकटरामगूडेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 811.

रामचद्रराव, मागंटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 2-10-1926.
जन्मस्थान - चाटपर्रु, वया एलूर, प. गोदावरी.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

रामचद्रशर्मा, पाण्यम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मस्थान - उय्यालवाडा, कोयलकुंट्ला, कर्नूल जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - एस. के. पि. हाईस्कूल, द्रोणाचलम, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4306.

रामचंद्रशास्त्री, यस.

योग्यता - प्रचारक, विशारद - सम्मेलन, बी. ओ. यल.; एम. ए.; संस्कृत शिरोमणि
जन्मतिथि - 19-3-1905.
जन्मस्थान - शेरुकुडि, तंजाऊर जिला.
स्थाई पता - नं. 4. हिन्दी प्रचार सभा वीथि, टि. नगर, मद्रास.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - प्रांतीय मंत्री, तमिलनाड हिन्दी प्रचार सभा, तिरुच्चिरापल्लि.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1926, कुंभकोणम, विमेन्स क्रिस्टियन कालेज; शिक्षा मंत्री, द. भा. हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5.
रचनायें - हिन्दी ग्रामर, ए गैड टु हिंदुस्तानी, सरल हिन्दी व्याकरण आदि.
विशेष अभिरुचि - संगीत व स्थापत्य कला.

रामचंद्रा रेड्डि, पी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1927.
जन्मस्थान - पुलिकल.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पाकाल, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954. चौडेपल्ली
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5012.

रामदास, कोल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक. एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-6-1931.
जन्मस्थान - पेडसनगल्लु, कृष्णा जिला
स्थाई पता - एस. ई. आर. एम. हाईस्कूल, गुड्लवल्लेरु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2016.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक,
साहित्य सुधाकर - बंबई, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 26-8-1922.
जन्मस्थान चिनमक्केन, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - कोत्तपेटा, गुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3064.

रामनाथम, वासिरेड्डि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-10-1932.
जन्मस्थान - वीरुलपाडु, नंदिगाम तालूक, कृष्णा.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, मेनुमूरु,
चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1955.

—o—

राममूर्ति, अधिकारि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-3-1932.
जन्मस्थान - भगीरथी पुरम अग्रहारम,
श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, बलिजपेटा पोस्ट,
वया बोब्बिलि, श्रीकाकुलम जिला,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
चोडवरम, विशाखपट्टणम, विजयनगरम
और राजाम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3257.

राममूर्ति, अंबटिपूडि

रामसूर्ति, कंदाल

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 15-2-1905.
जन्मस्थान - ज्ञानपल्लिलंका, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - शारदा हिन्दी कुटीर, ज्ञानपल्लिलंका.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1932
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 271.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

राममूर्ति, जंध्याला

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि 26-3-1904.
जन्मस्थान - कोर्निपाडु अग्रहारम, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - कवुतरम पोस्ट, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1922.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1285.

राममूर्ति रेड्डी, पुरिटिपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 30-1-1924.
जन्मस्थान - डोकिपर्रु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1941, गुडिवाडा, पेनमलूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1378.

रामराव, श्रीगिरिराजु

योग्यता - विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 14-8-1907.
जन्मस्थान - नूजिवीडु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-17.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 367.

रामलिंगशर्मा, श्रीपति पंडिताराध्युल

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-12-1904.
जन्मस्थान - ईमनि, गुंटूर जिला
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, नरसरावपेटा, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928.
तेनाली, पसुमर्रु, नरुकुल्लपाडु, बुकापुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2234.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

रामशेषय्या, चोडवरपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, विद्वान, कोविद, साहित्य विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 25-5-1906.
जन्मस्थान - सातुलूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, पेडना, कृष्णा जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932.
कलवपामुला, कंगुदिकुप्पम, जग्गय्यपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1223.
रचनाएँ - बोब्बिली-हिन्दी नाटक.

रामशय्या, बुर्रा

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी. और वैद्य-विद्वान.
जन्मतिथि - 22-4-1904.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, ताडिकि, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1494.

रामानुज मट्टर, के.

योग्यता - रा. भा. विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 8-6-1930.
जन्मस्थान - गोसवीडु, वया विजयवाडा आर. एम. एस., कृष्णा जिला.

स्थाई पता - गोसवीडु, वया विजयवाडा,
आर. एम. एस. ., कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ 1947
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2142.

रामाराव, अट्लूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 26-6 1925.
जन्मस्थान - पेद्पारुपूडि, वया गुडिवाडा, कृष्णा.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा-2.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. भूषणगुल्ला, पेद्पारुपूडि, राजमंद्री.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1138.
विशेष - तेलुगु के मौलिक कहानीकार, हिन्दी व तेलुगु नाटकों के अभिनेता, खासकर स्त्री पात्राभिनय में निपुण, चलचित्र के भी अभिनेता, रेडियो नाटक व कहानियों के अनुवादक.
विशेष अभिरुचि - साहित्य व रंगमंच.

रामाराव, कोडाली

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-10-1931.
जन्मस्थान - चिनओगिराला, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - वेंकटापुरम, चिनओगिराला पोस्ट,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, सिंगुपुरम, वया आमदालवलसा, श्रीकाकुलम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1953. उय्यूर, चिनओगिराला, वेंकटापुरम, आकुनूर, गंडिकुंट.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3994

रामाराव, गुरुगुबेल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण

जन्मतिथि - 10-7-1932

जन्मस्थान - कृटिकुप्पलवानिपेटा, रागोलु पोस्ट, श्रीकाकुलम जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

रामाराव, वीरमाचनेनि

योग्यता - रा. भा. विशारद, विशेष योग्यता व प्रचारक

जन्मतिथि - 12-8-1929.

जन्मस्थान - ईडुपुगल्लु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, तोट्लवल्लूर, कृष्णा जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946 पलासा, यलमर्रु, गूड्लरु, पुनादिपाडु, ईडुपुगल्लु

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1367

लक्ष्मणमूर्ति, वेदुल

योग्यता - प्रचारक, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 20-1-1922.

जन्मस्थान - इंजरम, पू. गोदावरी जिला.

स्थाई पता - द्राक्षाराम. ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945. कुय्येरु, कोलंका.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1763.

विशेष अभिरुचि - नाटक, संगीत व चित्रकला.

लक्ष्मणराजु, कोलाहलम

योग्यता - रा. भा. विशारद.

जन्मतिथि - 1-7-1920.

जन्मस्थान - पेनुगंचिप्रोलु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3898

लक्ष्मय्या, पावुलूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य विशारद,
जन्मतिथि - 1921.
जन्मस्थान - गोवाडा, तेनाली ता., गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1334.

लक्ष्मीरेड्डि, तुम्मलूरु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1923.
जन्मस्थान - नल्लपल्ले, कडपा जिला.
स्थाई पता - अंकालम्मपेटा, पुलिवेंदुल ताल्लुका, कडप जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. हिमकुंट्ला, पुलिवेंदुला
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2813

लक्ष्मय्या, यलमंचि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 29-5-1916.
जन्मस्थान - उंगुटूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता- अनमनपूडि,तमिरिश पोस्ट,कृष्णा जिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938, चल्लपल्लि, उंगुटूरु, उरुटूरु, चिनपारुपूडि, रामापुरम, विनयाश्रम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 526.
विशेष - तेलुगु और हिन्दी रंगमंच के अभिनेता.

लक्ष्मीकुमार श्रीनिवास देशिक भट्टाचार्य, वेदांतम्

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 21-6-1936.
जन्मस्थान - अप्पिकट्ला, बापट्ला ता., गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1955. तेनाली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4899.

लक्ष्मीकुमार श्रीवरद सुंदरराज भट्टाचार्युलु, वेदांत

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 9-7-1937.
जन्मस्थान - अप्पिकट्ला, बापट्ल तालूका, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - जैन मंदिर के पास, तेनाली, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1956.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4895.

लक्ष्मीनरसिंहम, अधिकार्ले

योग्यता - रा. भा. विशारद, यस. यस, यल. सी.
जन्मतिथि - 30-5-1930.
जन्मस्थान - विजयनगरम, विशाख जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, चन्नावझल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - राघवापुरम, कृष्णा जिला
स्थाई पता - अशोका ट्यूटोरियल इनस्टिट्यूट, सोमुवारि वीथि, कोत्तपेटा, गुंटूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945. नंदिगामा, कस्तला, रेंटपाल्ला,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2764.

लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, पूडिपेद्दि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 17-8-1926.
जन्मस्थान - भीमुनिपट्टणम, विशाख जिला.
स्थाईपता - प्रीमियर फार्मसी, मेइनरोड, विशाखपट्टणम.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - सेंइंट एलोरियस हाईस्कूल, विशाखपट्टणम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4056.

लक्ष्मीनरसिंहाचार्य, पेद्दिटि

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.
जन्मतिथि - 9-7-1933.
जन्मस्थान - मोर्ता, तणुकु, तालूका,
प. गोदावरी.
स्थाई पता - ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, मुनुकुट्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 12-10-1929.
जन्मस्थान - प्रक्किलंका, कोव्वूर तालूका,
परिचम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - राजोल, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5003.
विशेप अभिरुचि - चित्रकला

लक्ष्मीनारायण, कासमशेट्टि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 10-6-1923.
जन्मस्थान - चेम्मूमियाँ पेटा, कडपा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, ख्वाजीपेटा, कडपा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945.
चेम्मूमियाँ पेटा व चेन्नूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1749.

लक्ष्मीनारायण, नीलगिरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 24-6-1925.
जन्मस्थान - जक्कंचर्ला, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बंदलाई चेरुवु, दिवितालूका, कृष्णा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, मुसुनूर,
नूजवीडु तालूका, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. कोटा,
नागायलंका.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2622.

लक्ष्मीनारायण, वंकायलपाटि

जन्मतिथि - 15-7-1916.
जन्मस्थान - उन्नव, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936.
वव्वेपल्लि, चिलकलूरिपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1529.
विशेप - हिन्दी नाटकों के अभिनेता.

लक्ष्मीनारायण, मोटपर्ति

योग्यता - रा. भा. विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 19-9-1931.
जन्मस्थान - देंदुलूरु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951.
धर्माजीगूडेम, गुंडुगोलनु, अत्तिलि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3059.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में नाटक, कहानियाँ व कविताएँ प्रकाशित.
विशेष अभिरुचि - व्यायाम.

लक्ष्मीनारायण वी.

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - आलूरु, कर्नूल जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, आलूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1946.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1831.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

लक्ष्मीनारायण शर्मा, चिट्टूरि

योग्यता - काशीविद्यापीठ तथा लखी सराय के चित्तरंजन आश्रम में हिन्दी साहित्य का विशेष अध्ययन किया.
जन्मतिथि - 30-12 1910.
जन्मस्थान - पूळ्ळा, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - संगठक-पूर्वान्ध्र मंडल, विशाखपट्टणम.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932.
तेनाली, एलूरु, वट्लूरु, रामापुरम, कसनूर, नंद्याला, नेल्लूर, चित्तूर, विजयवाडा व विजयनगरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 103.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ प्रकाशित.
विशेष - हिन्दी नाटकों के अभिनेता

लक्ष्मीनारायण शास्त्री, चल्ला

योग्यता - प्रचारक, साहित्य भूषण.
जन्मतिथि - 7-1-1903.
जन्मस्थान - देतुलूर अग्रहारम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता- चल्ला हौस, गौरीशंकर पुरम,
गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - 24-ए. तांड़वराय ग्रामणि
स्ट्रीट, तंडियार पेटा, मद्रास-21.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930.
मछलीपट्टणम, वीरुलपाडु, पोट्लपूडि,
नंदिगामा, जूपूडि, पोन्नेरि व सत्यवीडु.

लक्ष्मीनारायणाचारी, वेदाल

योग्यता-रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, भारतीय हिन्दी
पारंगत, शिक्षणकला प्रवीण. एस.एस.एल.सी.
जन्मतिथि - 15-8-1925.
जन्मस्थान - मैरीपुरम, गर्भाम पोस्ट, वया
चीपुरुपल्ली; श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
गर्भाम, बाडंगी, पोलाकी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4127.
रचनाएँ - वेंकटेश्वर हारतारावली.
विशेष अभिरुचि - नाटक व संगीत.

लक्ष्मीनृसिंह शास्त्री, व्याकरणम

योग्यता - प्रचारक, तेलुगु विद्वान
जन्मतिथि 21-5-1906
स्थाई पता - कोलवेन्नु, कृष्णा जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1937
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 177.

लक्ष्मीपति, मंगिपूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.

जन्मतिथि - 10-12-1925

जन्मस्थान - पालकोडेरु, पश्चिम गोदावरी जिला

स्थाई पता - गरगपर्रु, प. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948 भीमवरम, पिप्परा, राजमंद्री

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2453.

लच्चन्ना, सानबोयिन

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड

जन्मतिथि - 4-12-1918.

जन्मस्थान - अइनपूर, प. गोदावरी जिला

स्थाई पता - रामभद्रुड़ु चेरुवु, अइनपूर, प. गोदावरी जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, आचंटा प. गो. जिला

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. वनमपल्ली

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2155.

लक्ष्मीबाई, यलमंचिलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 17--7-1930.

जन्मस्थान - कपिलेश्वरपुरम, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - माचवरम, विजयवाडा-2.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4772.

लक्ष्मिराजु, चेकूरि

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रचारक, साहित्य रत्न
जन्मतिथि - 13-2-1916.
जन्मस्थान - केशवरम, प. गोदावरी जिला
स्थाई पता - चिननिंडकोलनु पोस्ट, प. गो. जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - एस. सि. बि. आर. बोर्ड हाई स्कूल, गणपवरम, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937.
कोरुकोल्लु, अडविकोलनु, भीमवरम, तणुकु, व पेदनंदिपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 576.

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 1915.
जन्मस्थान - परसल्लालूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - लिंगापुरम, बल्लुपाडु पोस्ट, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936, एट्रूर, सिरिपुरम, जूलकल्लु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1924.

लिंगमूर्ति, सिद्धांतपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 7-8-1928.
जन्मस्थान - तिम्मापुरम, पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, कोटबोम्माली, श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949 गर्भाम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3021.

लिंगेश्वर राव, दे

योग्यता - प्रवीण व प्रचारक, मेट्रिक..
जन्मतिथि - 15-8-1931.
जन्मस्थान - हैदराबाद.
स्थाई पता - जय भारत हिन्दी विद्यालय, चौतरा गुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3912.

लिंगारेड्डी, भवनम्

लीलावती, एन.

योग्यता - प्रवीण और साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 12-12-1914
जन्मस्थान - विशाखपट्टणम
स्थाई पता - मोसलिंगटिवारि वीथि, विशाखपट्टणम
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1944
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1370

लोकनाथ शास्त्री, सुसर्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 1-6-1917.
जन्मस्थान - अत्तिलि, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, भीमुनिपट्टणम, विशाख जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939, अत्तिलि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1782.

वरप्रसादराव, शेकूरु

योग्यता - रा. भा. विशारद, 'विलेज वैद्य'
जन्मतिथि - 21-11-1919.
जन्मस्थान - मेड्डूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - वेटपालेम पोस्ट, वया चेब्रोलु, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943, शेकूरु, चुंडूरु, कंकटपालेम और कूचिपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1853.
विशेष - हिन्दी व तेलुगु नाटकों के अभिनेता, चित्रकला में भी परिचय है।

वसंतम्मा, जी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 16-7-1917.
जन्मस्थान - चित्तूर.
स्थाई पता - 227/9 सुन्दरय्यर स्ट्रीट, चित्तूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2277.

वसंतराव, रामकूरु

योग्यता - साहित्य विशारद, मेट्रिक, साहित्य शास्त्री-संस्कृत
जन्मतिथि - 14-8-1923.
जन्मस्थान - रामकूरु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - सालंगाडु, बोधन तालूका, निजामाबाद जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942.
बापट्ला, पिट्लवानिपालेम, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 886.
विशेष - नाटक

वासुदेव शर्मा, उध्य

योग्यता- रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, परिचय-संस्कृत
जन्मतिथि - 15-6-1928
जन्मस्थान - मद्रास.
स्थाई पता - धोबी स्ट्रीट, पाकाला, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, चौडेपल्लि, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
पाकाला, पुंगनूरु,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4062.

वासुदेवन, नंपूतिरपाट

योग्यता - रा. भा. विशारद, बि. ए. आनर्स
जन्मतिथि - 27-2-1936
स्थाई पता - पद्मनाइल्लम, आयाँकुटि पोस्ट, कडत्तुरुत्ति, कोट्टायम जिला, केरला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4938.

विजयलक्ष्मी, मारेमंड

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, तथा साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 1916.
जन्मस्थान - जयपूर, ओरिस्सा.
स्थाई पता - रामारावपेटा, काकिनाडा,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुनिसिपल गरल्स हाईस्कूल, काकिनाडा. पूर्व गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1435.

विश्वनाथम, कोत्तपल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 18-12-1930.
जन्मस्थान - चेंदुर्ति, पूर्वगोदावरी जिला.
स्थाई पता - यु. येल. सी. मिशन हाईस्कूल, पेद्दापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2603.

विश्वनाथन, के. आर.

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रचारक, मेट्रिक, पि. ओ. एल.
जन्मतिथि - 2-2-1912.
जन्मस्थान - कल्लिडै कुरुच्चि, तिरुनलवेलि जिला.
स्थाई पता- 3-ए. लैम किलन स्ट्रीट, मद्रास-29.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - शिक्ष.मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930. मदुरै, तिरुनलवेलि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 217.

विश्वनाथम, पप्पु

योग्यता - रा. भा. विशारद, एम. ए.
जन्मतिथि - 15-7-1915.
जन्मस्थान - लोगीश, विशाखपट्टणम जिला.
स्थाई पता - महाराजा कालेज, विजयनगरम. विशाख जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 855.
रचनायें - पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ प्रकाशित.

विश्वनाथम, मादिराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, तेलुगु विद्वान व इंटर.
जन्मतिथि - 21-7-1912.
जन्मस्थान - ईमनि, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, कर्नूल.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934, गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 96.
रचनायें - हिन्दी रीडर्स.
विशेष - ज्योतिष तथा संगीत.

वीर नागेश्वर राव, कर्ण

योग्यता - विशारद व प्रचारक, साहित्य शिरोमणि, साहित्य शास्त्री.
जन्मतिथि - 22-10-1906.
जन्मस्थान - जांड्रपेटा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - वेटपालेम, बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1921. जांड्रपेटा, चीराला, पेराला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 184.
रचनाएँ - तेलुगु-गोमातृरक्षणम, अस्पृश्युल विज्ञप्ति, कथा चतुष्टयमु, मोतीलाल निर्याणमु.
हिन्दी - हिन्दी कथा मंजरी, साहित्य सौरभ, हिन्दी प्रवेश, त्रिभाषा बोधिनी.
संस्कृत - वाणी निबंध मणिमाला, वाणी वीणा वज्रपातः, संस्कृत प्रथमं शतकं, संस्कृतं द्वितीयं शतकं, संस्कृत कथामंजरी, संस्कृत पत्रावली, वेंकटेश्वर तारावली, महामहोपाध्याय तातासुब्बराय शास्त्री महोदयः - जीवनी.
विशेष - अखिल भारतीय सांस्कृतिक संस्थान, भारतीय परिषद, प्रयाग से 'साहित्य चक्रवर्ती' की उपाधि मिली.

वीर बसवय्या, चुक्का

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक
जन्मतिथि - 27-5-1934.
जन्मस्थान - वल्लभापुरम, तेनालि ताल्लूक, गुंटूर
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4235

वीरब्रह्माचारी, गोरस

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 7-9-1932.
जन्मस्थान-विरवा, पिठापुरम ताल्लूका पू. गोदावरी
स्थाई पता -
वर्तमान कार्य क्षेत्र -
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3288

योग्यता - रा. भा. विशारद

जन्मतिथि - 16-9-1918

जन्मस्थान - मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - राजुपेटा, मछलीपट्टणम

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1944

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1027

वीरब्रह्माचार्य, पोतकमूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, साहित्य रत्न, इंटर.

जन्मतिथि - 20-12-1930.

जन्मस्थान - पेनमलूरु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - श्री केशव हिंदी विद्यालय, गुडिवाडवारि वीथि, विजयवाडा-1.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - आर. एस. बोर्ड हाई स्कूल, दोनकोंडा, नेल्लूर जिला

प्रचार कार्य का आरंभ - 1947

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2151.

वीरभद्र राव, कामर्षि

वीरभद्र राव, सिहेच.

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 2-11-1915.

जन्मस्थान - कोव्वूर, प. गोदावरी जिला

स्थाई पता - वेमन बोर्ड हाईस्कूल, कदिरि, अनंतपुरम जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934. उरवकोंडा.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 955.

विशेष - ज्योतिष शास्त्र का विशेष अध्ययन किया.

वीरभद्रराव, चंद्रभट्ट

योग्यता - हिन्दी प्रचारक; सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1921.
जन्मस्थान - कुतुकुलूर, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - एस. एस. बोर्ड हाईस्कूल,
कपिलेश्वरपुरम, पूर्व गोदावरी.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939.
कुतुकुलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 532.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मस्थान - पिठापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - सामर्लकोटा, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - सी. एस. ऐ. मिशन हाईस्कूल,
करीमनगर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946,
उप्पुगुंडूर, कदिरि, सूल्लूरपेटा, नायुडुपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1206.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

वीरभद्रराव, यलमंचिलि

वीरभद्रराव, पिडपर्ति

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 2-2-1931.
जन्मस्थान - दोंडपाडु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, तमिरिशा,
गुडिवाडा तालूक, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949,
विद्यावन, बोदुलबंडा, नेलकोंडपल्लि,
अड्डाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2237.

वीरय्य शास्त्री, चिर्रावूरि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक तथा साहित्य विशारद,
जन्मतिथि - 1902.
जन्मस्थान - सीतानगरम, पूर्व गोदावरी जिला
स्थाई पता - प्रत्तिपाडु, आरुगोलनु पोस्ट, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - " "
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1927. वीरवरम, मुरमंडा, दुल्ल, राजानगरम, कडियम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 600.

योग्यता - हिन्दी विद्वान, रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 29-7-1915.
जन्मस्थान - महाबलिपुरम, चंगलपट जिला.
स्थाई पता - नगर मंत्री, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - " "
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938, विशारद तथा प्रचारक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 13.
विशेष - नाटक के अभिनेता.

स्व. वीर राघवय्या, मेदिंड्राव

योग्यता - प्रचारक, हिन्दी विद्वान व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-4-1910.
जन्मस्थान - कंकिपाडु, कृष्णा जिला.
विशेष - 1937 से कृष्णा जिला बोर्ड के स्कूलों में अध्यापन का कार्य किया, 1951 में संघ की सेवा में रहते हुए स्वर्ग सिधारे.

वीरराघवन, टि. पि.

वीरराजु, काल्कूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 28-9-1916.
जन्मस्थान - दिरुसुमर्रु, पश्चिम गोदावरी जिला
स्थाई पता - मारेल्लवारि वीथि, भीमवरम,
प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, जंगारेड्डिगूडेम
प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3063.

वेंकटप्पाराव, आलूर

योग्यता - हिन्दी विद्वान, रा. भा. विशारद,
प्रचारक; बी. ओ. यल., बि. ए., बि. इडि.
जन्मतिथि - 1-7-1915.
जन्मस्थान - आलूर, गुंटूर जिला
स्थाई पता - सि. एस. आर. शर्मा कालेज,
ओंगोल, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937.
विजयवाडा, नंद्याला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 608.

वीरराजु, चेलुवलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण तथा प्रचारक, बि. ए.
जन्मतिथि - 4-7-1924.
जन्मस्थान - वेलगलेरु, प. गोदावरि जिला.
स्थाई पता - एस. वी. जी हाईस्कूल,
मारुटेरु पोस्ट, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1837.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकट कुटुंबराव, पिन्नमनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, पारंगत,
प्रभाकर, साहित्यरत्न, राष्ट्रभाषा रत्न,
मेट्रिक
जन्मतिथि - 26-12-1932
जन्मस्थान - कुरुमद्दालि, कृष्णा जिला
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पामर्रु, कृष्णा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949 गोडवर्रु
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1961.

वेंकट कृष्णराजु, मंथेना

योग्यता - रा. भा. विशारद तथा प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-11-1926.
जन्मस्थान - चोडवरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1947,
नरसापुरपुपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2765.

स्व० वेंकट कृष्णय्या, कंचर्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद, कोविद, साहित्य रत्न,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-7-1907.
जन्मस्थान - कृष्णापुरम, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1923,
पेदपल्लि, अल्लूरु, विजयवाडा.
रचनाएँ - पाठ्य पुस्तकों के लिए गैड्स लिखे.
विशेष - हिन्दी तथा तेलुगु नाटक के अभिनेता.
देहान्त - 8-2-1957.

वेंकटकृष्णराजु, उप्पलपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण तथा प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-9-1921.
जन्मस्थान - मुत्यालंपाडु, विजयवाडा,
कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचारक कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2473
विशेष - नाटक.

वेंकट कृष्णय्या, मल्लादि

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रचारक तथा
एस. एस. एल सी.
जन्मतिथि - 27-8-1901.
स्थाई पता - देशिराजुवारि वीथि, बापट्ला, गुंटूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाइस्कूल, पोन्नूरु, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1923.
गुडिपूडि, कारंचेडु, मामिल्लपल्लि, मुनिपल्ले, कावूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 110
विशेष - तुलसीरामायण पुराण वॉचना.

वेंकट कृष्ण वर्मा, कोत्तपल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.
जन्मतिथि -16-4-1907.
जन्मस्थान - मैनेनिवारि पालेम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - श्री लक्ष्मीनारायण सेवाश्रम,
पेनमलूरु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1931,
पेदमुत्तेवि, ऐतानगर, सिंगुपालेम, मुनिपल्ले, ब्राह्मणकोड्रूरु, दोंडपाडु, कसनूरु, कडपा, अनकापल्लि, चित्तूर, राजमंद्री, कर्नूल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 265.

वेंकट कृष्ण शर्मा, तुमुरुकोट

योग्यता - साहित्य विशारद,
विद्वान - हिन्दी - संस्कृत,
उभय भाषा प्रवीण - तेलुगु - संस्कृत.
जन्मतिथि - 1-7-1904.
जन्मस्थान - मल्लवोलु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, कावलि, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1922, मादला,
मदनपल्लि, वीरंकिलाकु, गोगिनेनिपालेम, विजयवाडा, वीरुलपाडु, तुम्मपूडि, सूल्लूरपेटा, कंदुकूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 936.

वेंकट कृष्णानंद राव, मुल्लपूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
साहित्य विशारद, भाषा प्रवीण.
जन्मतिथि - 2-6-1922.
जन्मस्थान - पेदकोंडूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - 23-155, रेल्वे स्टेशन रोड,
मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942.
पेदकोंडूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या -1085.
रचनाएँ - तुलनात्मक व्याकरण और लेख व कहानियाँ

स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, ऊट्रुकूरु, वया क्रोसूर, गुंटूर जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. हनुमनगरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3024.

वेंकट कृष्णाराव, दंडमूडि

योग्यता - साहित्य रत्न, बी. ए.
जन्मतिथि - 28-7-1913.
जन्मस्थान - पेनुमेत्सा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - साकेत सदन, मारुति नगर, विजयवाडा - 2.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - एस. आर. आर. अंड सी. वी. आर. कालेज, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930 से 1934तक गुडिवाडा, 1937 से 1940 तक आ. रा. हिं. प्र. संघ की तरफ से गुत्ती, अनंतपूर, वाल्टेर, और नंद्याला में.
रचनायें - हिन्दी - चित्रांगी, स्तवनीय शासक कृष्णदेवराय, शककर्ता शालिवाहन, तेलुगु के तीन महान् भक्त कवि, फुलझडी, कालेज हिन्दी अंग्रेजी व्याकरण.
विशेष - संगीत.

वेंकट गुरुनाथम, अरवपल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 7-2-1932.
जन्मस्थान - हुसेन नगरमं, गुंटूर जिला.

वेंकट चलपतिराव, मोव्वा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 3-6-1927.
जन्मस्थान - मूल्पूर, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, मद्दिपाडु पोस्ट, ओंगोल तालूका, गुंटूर जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1948. रेपल्ले.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2501.

वेंकट चलमारेड्डि, पल्लेटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 6-2-1929.
जन्मस्थान - संकेशुला, सिंहाद्रिपुरम, कडपा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कोडुमूरु, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

वेंकट नरसय्या, जास्ति

योग्यता - उभय भाषा प्रवीण.
जन्मतिथि - 2-8-1910.
जन्मस्थान - पेदपूडि, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - हाईस्कूल, चिलकलूरिपेटा, गुंटूरजिला
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930 और 1942 के असहयोग आंदोलन में जेल गये, वहाँ पर हिन्दी प्रचार किया.
रचनायें- तेलुगु-खंडकृति, व्यास वाणि, नवगीतालु, वयोजन विद्या, व्यास भारती, आन्ध्र सेवा, कविता (संकलन) कांग्रेस विजयम, प्रजाराज्यं, उपाध्यायुडु, दिल्ली चलो, जय भेरी, वैताळिकुलु, आचार्य रंगा, जातीय दसरा गीतमुलु.

वेंकट नरसय्या, वट्टिकोंड

योग्यता - साहित्य विशारद, रा. भा. प्रवीण, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-10-1925.
जन्मस्थान - अल्लीनगरम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - सी. के. हाईस्कूल, मंगलगिरि पोस्ट, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2162.

वेंकट नरसिंहम, के.

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड
जन्मतिथि - 15-9-1901.
जन्मस्थान - चंदवरम, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाइस्कूल, मार्कापूर, कर्नूल.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933. आत्मकूरु
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 436.
विशेष - चित्रकला, व्यायाम.

वेंकट नरसिंहम, पंचाग्नुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-7-1909.
जन्मस्थान - नेल्लूर.
स्थाई पता - उस्मान साहब पेटा, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1929.
राजमंद्री, कावली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 634.

वेंकट नरसिंहाचार्युलु, दीवि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, भाषा प्रवीण-तेलुगु, विद्याप्रवीण-संस्कृत, एस.एस.एल.सी.
जन्मतिथि - 11-9-1915.
जन्मस्थान - रेमालवारि पालेम, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - एस. के. पी. वी. वी. हिन्दू हाई स्कूल, विजयवाडा-1.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1941.
नागायलंका, रेपल्ले.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2232.

वेंकट नरसिंहमूर्ति, वारणासि

योग्यता - रा. भा. विशारद, बि. ए., बि. इडि.
जन्मतिथि - 6-6-1913.
जन्मस्थान - बोंडापेटा, प. गोदावरी जिला
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, वेगेश्वरपुरम
वया कोव्वूर, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940.
राजमंद्री.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1696.

वेंकट नरसिंहाराव, बोंदलपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रवेशिका तेलुगु,

जन्मतिथि - 12-6-1929.

जन्मस्थान - दालिरु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - रंगापुरम पोस्ट, वया गार्ला,
खम्ममेट्टु जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4270

वेंकट नारायण, अइनंपूडि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.

जन्मतिथि - 22-12-1934.

जन्मस्थान - मंडूर, गुंटूर जिला

स्थाई पता- शलपाडु, शेकूरु पोस्ट, गुंटूर जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - महिला समाज स्कूल,
संगमजागर्लमूडि, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4758.

वेंकट नायुडु, इंटूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 16-7-1928.

जन्मस्थान - शीर्षि कोट्टाला, अनंतपूर जिला.

स्थाई पता - के. सि. बि. हाइस्कूल, कल्याण दुर्ग
अनंतपूर जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1953

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4556.

वेंकट नारायण, तम्मिनीडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 11-12-1928.
जन्म स्थान - यलमंचिलि, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
पाल्कोल, भीमवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4140.

वेंकटपति, पाटिबंड्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 24-12-1914.
जन्मस्थान - वीरुल्पाडु, नंदिगाम तालूका, कृष्णा
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
मैल्वरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1851.

वेंकट नारायण रेड्डि, पोन्नतोटा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 27-6-1929.
जन्मस्थान - कृष्णापुरम, एल्लनूर पोस्ट,
अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, याडिकि पोस्ट,
अनंतपूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947,
यन्नपूसपल्लि, लेपाक्षि और गोरंट्ला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4484.

वेंकट पद्मनाभराव, यलमंचिलि

योग्यता - साहित्य विशारद, हिन्दी भूषण, ...
विशारद, योग व्यायाम विद्या प्रचारक,
पशुवैद्य विशारद.
जन्मतिथि - 15-6-1930.
जन्मस्थान - नरुकुल्लपाडु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - हिन्दी विद्याधन पाठशाला, नरुकुल्लपाडु
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड बेसिक पाठशाला,
धेनुवुकोंडा, ओंगोल तालूका, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954,
विनयाश्रम.

वेंकट नृसिंह अप्पाराव, केशिराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, एम. ए. - संस्कृत,
उभय भाषा प्रवीण.
जन्मतिथि - 14-3-1913.
जन्मस्थान - देवीपट्टणम, पू. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - कोव्वूर पोस्ट, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गौतमी गीर्वाणान्ध्र विद्यापीठ,
कोव्वूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1936.
रचनाएँ - हिन्दी में कविताएँ, संस्कृत-गंगालहरी
आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 890.

वेंकट पुरुषोत्तम, चेमूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, भाषा प्रवीण, इंटर, वैद्यविद्वान, ज्योतिर्विद्या विशारद.
जन्मतिथि - 7-7-1918.
जन्मस्थान - रेलंगि, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, निडदवोलु, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938, आकिवीडु, तणुकु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2015.
विशेष अभिरुचि - साहित्य समालोचना.

वेंकटप्पय्या, उन्नव

योग्यता - हिन्दी प्रचारक व हिन्दी विद्वान.
जन्मतिथि - 15-8-1906.
जन्मस्थान - उन्नवा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पत्तिपाडु पोस्ट, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. चेब्रोलु, गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 264
रचनाएँ - प्रारंभिक हिन्दी तेलुगु व्याकरण.

वेंकटप्पय्या, गालिपाटि

योग्यता - विद्वान और प्रचारक.
जन्मस्थान - निडुब्रोलु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, काकुमानु पोस्ट वया निडुब्रोलु, गुंटूर जिला,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1934.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 482

वेंकटप्पय्या, यलमंचिलि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 1902.
जन्मस्थान - कनुमूरु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ऐता नगर, तेनाली, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1922. पेनुमेत्सा, चिनकल्लेपल्लि.
रचनायें - हिंदी तेलुगु सरल व्याकरण, भा. 1,2,3, हिन्दी तेलुगु मुहावरा कोष और कई बालोपयोगी पुस्तकें.
विशेष - असहयोग अन्दोलनों में भाग लेकर कई बार जेल गये, ऐतानगर में आदर्श बालिका पाठशाला के स्थापक हैं।

वेंकटप्पय्या, सूरपनेनि

योग्यता - प्रचारक, हिन्दी विद्वान
जन्मतिथि - 12-5-1912.
जन्मस्थान - उंगुटूर, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - गान्धीजी मुनिसिपल हाईस्कूल, विजयवाडा - 2.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1931, उंगुटूर व नूजेल्ला.

वेंकट रंगम्मा, कोरप्रोलु

योग्यता - संस्कृत में पंच काव्य तक अध्ययन, हिन्दी की काफी योग्यता.
जन्म तिथि - 20-4-1890.
जन्मस्थान - वेमुलूरु, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - कोव्वूर. ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 814

वेंकट प्रभाकर गंगा शारदांबा, तोलेटि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 9-2-1926.
जन्मस्थान - काकिनाडा.
स्थाई पता - हिन्दी प्रेमी महिला मंडली, वाणी-निलयम, सामिनिवारि वीथि, जगन्नाथपुरम, काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1957.
विशेष अभिरुचि - एंब्राइडरी व टाइलरिंग.

वेंकट रंगय्या, अट्लूरि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 1908.
जन्मस्थान-पेदपारुपूडि, गुडिवाडा ताल्लुका, कृष्णा.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1929. चोडवरम, ताडिगडपा, सिरसा, नंदिवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2678.
विशेष - 1931 के असहयोग आन्दोलन में भाग लेकर जेल गये। वहाँ भी हिन्दी प्रचार किया.

वेंकटम्मा, नल्लान् चक्रवर्तुल

योग्यता - रा. भा. विशारद,
जन्मतिथि - 15-7-1927.
जन्मस्थान - कोत्तपेटा, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - हिन्दी प्रेमी मंडली, पवरपेटा, एलूरु.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1956.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4549.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

वेंकट रंगाराव, पेनमकूरु

योग्यता - रा. भा. विशारद व सकंडरी ग्रेड
जन्मतिथि - 4-10-1918.
जन्मस्थान - पेनमकूरु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, निडुमोलु, कृष्णा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या -4305.
रचनाएँ - पत्रिकाओं में लेख.

वेंकटरत्नम, अनिपेद्दि

योग्यता - प्रवेशिका.
जन्मतिथि - 9-11-1927.
जन्मस्थान - मंडपाका, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - बाल विज्ञान हिन्दी प्रेमी मंडली,
मंडपाका.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.

वेंकटरत्नम, दोनेपूडि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 13-6-1934.
जन्मस्थान - यलमर्रु, वया पामर्रु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.

वेंकट रत्नम, मक्कपाटि

योग्यता - प्रचारक, भारतीय पारंगत व साहित्यरत्न
जन्मतिथि - 1-7-1922.
जन्मस्थान-ब्राह्मणकोड्डूरु, वया चेब्रोलु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939.
तोटपालेम, दोप्पलपूडि.
माणित प्रचारक संख्या - 275.

वेंकटरत्न शर्मा, मल्लादि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण तथा प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 26-6-1929.
जन्मस्थान - पल्लूरु, मुत्तरशनल्लूर पोस्ट,
तिरुचिरापल्ली जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पूनमल्ले ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3974.

वेंकट रमणम्मादेवी, बूरुगड्डु कंदाला

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.
जन्मतिथि - 4-11-1916.
जन्मस्थान - कोरुकोंडा, पूरब गोदावरी जिला
स्थाई पता - आदर्श महिला संस्था, वीरभद्रपुरम,
राजमंद्री.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
ताडेपल्लिगूडेम
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2454.
विशेष - आदर्श महिला संस्था की स्थापिका हैं

वेंकट रमणप्पा, सुंकर

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1922.
जन्मस्थान - पेनुकोंडा, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, बनगानपल्लि, कर्नूल
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1943.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1214.

वकट रमणय्या, आवुल

योग्यता - हिन्दी प्रचारक
जन्मतिथि - 1-7-1914.
जन्मस्थान - माचवरम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - नेहुरू नगर, तेनाली, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पेदपालेम, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937. कोल्लिपर, नेबूर, तेनाली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1286.

वेंकट रमण सूर्यनारायण, जोश्युल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक एस. एस. एल सी.
जन्मतिथि - 1-7-1926.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पार्वतीपुरम, श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. पालकोंडा, वीरघट्टाम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2064

वेंकट राघवराव, रेंटाला

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रभाकर, एम. ए.
जन्मतिथि - 1-4-1921.
जन्मस्थान - मोपर्रु, गुडिवाडा तालूका, कृष्णा.
स्थाई पता - गौरीशंकर पुरम, गुडिवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - स्टेनोग्राफर, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942. मद्रास, बंबई, नागपूर.
रचनाएँ - पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित.
विशेष - दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, श्रीरामेश्वरदास बिडला, श्रीकमलनयनबजाज और मध्यप्रदेश विधान सभा में शीघ्रलिपि व मुद्रालेखक के तौर पर काम किया।

वेंकटराजु, पेन्मेत्स

योग्यता - रा. भा. प्रवीण और प्रचारक.
जन्मतिथि 10-6-1927.
जन्मस्थान - कंचुमर्रु, वया आरविल्लि, प.गोदावरी.
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. राजोलु.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - लूथरन हाईस्कूल, सखिनेटिपल्लि, प. गोदावरी जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2099.

वकटरामय्या, उन्नव

योग्यता-हिन्दी की व्यावहारिक योग्यता, उर्दू-मिडिल
जन्मतिथि - 1896.
जन्मस्थान - उन्नवा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - चिलकलूरिपेटा, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933.
1951 हिन्दी प्रचार संगठक. हैदराबाद.
विशेष - तेलंगाणा में आन्ध्र जनसंघ की स्थापना में तथा ग्रंथालयोद्यम में काम किया। 1933 से 1939 तक 'गोलकोंड' (तेलुगु साप्ताहिक पत्रिका) के व्यवस्थापक रहे।

वेंकटरामय्या, कामराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, तथा एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1917.
जन्मस्थान - वावट्ला, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, सत्तेनपल्ली, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943, गुंटूर व मुद्दलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1371.

वेंकट रामय्या, गोगिनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य रत्न व इंटर.
जन्मतिथि - 15-5-1926.
जन्मस्थान - एड्लपल्लि, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पेदकूरपाडु, गुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942, यड्लपल्ली, पच्चलताडिपर्रु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1292.
रचनाएँ - बाबू द्विजेन्द्रलालराय, प्रकाशंपंतुलु, महावीर प्रसाद द्विवेदीजी का साहित्य आदि लेख व अन्य कहानियाँ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित.

वेंकट रामय्या, नल्लपनेनि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 30-4-1928.
जन्मस्थान - गोवाडा पोस्ट, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2493.

वेंकट रामराजु, सरिपल्ले

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, साहित्य सुधाकर, पारंगत तथा इंटर.
जन्मतिथि - 11-10-1925.
जन्मस्थान - मंतेनवारिपालेम, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - मैनंपाडु पोस्ट, ओंगोल तालूक, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1444

वेंकट्रामय्या, पन्नाला

योग्यता - रा. भा. विशारद और मेट्रिक.
जन्मतिथि - 17-7-1915.
जन्मस्थान - अंतर्वेदि, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - जीवनलाल कंपनी लिमिटेड, राजमंद्री.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3983.
रचनाएँ - सरल हिन्दी वार्तालाप.

वेंकट रामशास्त्री, पिडपर्ति

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, पारंगत व बि. ए.
जन्मतिथि - 13-9-1925.
स्थाई पता - अनपर्ति, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1941.
गुंटूर तथा कडपा जिले के विविध केन्द्र.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1439.
रचनाएँ - पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-8-1931.
जन्मस्थान - चौटपल्लि, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - धूलिपूडि पोस्ट, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942,
कोल्लूरु, गुडिवाडा, कोमरवोलु और तेनाली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3904.

वेंकट रामशास्त्री, नूकल

योग्यता - रा. भा. विशारद तथा साहित्य शिरोमणि संस्कृत.
जन्मतिथि - 2-6-1908.
जन्मस्थान - आदुरु, नगरम पोस्ट, पू. गोदावरी
स्थाई पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943.
आदुरु, गोकवरम, लट्टुकुर्रु
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मामिडिकुदुरु पोस्ट, पूर्व गोदावरी जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 902.

वेंकट रामानुजाचार्युलु, फणिहारम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण तथा प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-6-1930.
जन्मस्थान - बोब्बिलि, श्रीकाकुलम जिला.
स्थाई पता - पालकोंडा पोस्ट, श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - हाईस्कूल, बोब्बिलि.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
बुड्डिति, नरसन्नपेटा और पालकोंडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3900.

वेंकट रामानुजाचार्युलु, चलमचर्ल

वेंकट रामाराव, गोविंदराजुल

योग्यता - प्रचारक, एम. ए.
जन्मतिथि - 28-9-1912.
जन्मस्थान - विजयवाडा.
स्थाई पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, विजयवाडा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935,
गंपलगूडेम, नेल्लूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 406.

वेंकट रामारेड्डि, पल्लेटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 12-8-1924.
जन्मस्थान - सुंकेशुला, कडपा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, राजमपेटा, कडपा.
वर्तमान कार्यक्षे ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
पुत्तूर, नगरि, वायलपाडु
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1724.

वेंकट रामिरेड्डी, चप्पिडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-3-1927.
जन्मस्थान - यरमरेड्डिपल्ले, कडपाजिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, पामूर पोस्ट, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
मम्मुसिद्दुपल्ले
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2728

बाप्पूडे

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक तथा मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-1-1936.
जन्मस्थान - इरुकुपालेम, मादल पोस्ट, गुंटूर.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - एस. के. बि. एम. एम. स्कूल,
नगरमपालेम, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र -1953.
इरुकुपालेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3287.

वेंकटराव, गूडपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व इंटर.

जन्मतिथि - 17-8-1930.

जन्मस्थान - कलवलपल्लि, वया-निडदवोलु,
पश्चिम गोदावरी जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, काकरपर्रु,
प. गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
कलवलपल्लि, तीपर्रु, निडदवोलु, और अत्तिलि

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2093.

वेंकटराव, पुप्पाल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 15-12-1920.

जन्मस्थान - कोत्तपेटा, पूर्व गोदावरी जिला

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - राजमन्द्री,
अमलापुरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1496

वेंकटाव, पोट्लूरि

योग्यता - प्रचारक.

जन्मतिथि - 1-7-1916.

जन्मस्थान - कोमरवोलु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - लायरपेटा, सत्यनारायणपुरम,
गुडिवाडा, कृष्णा जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुनिसिपल मिडिल स्कूल,
गुडिवाडा.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1528.

वेंकटराव, मंगिपूडि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 12-1-1908.
जन्मस्थान - गणपवरम, प. गोदावरी जिला.
स्थाई पता - एस. एस. बोर्ड हाईस्कूल, नरेन्द्रपुरम पोस्ट, वया कोत्तपेटा, पूर्व गोदावरी जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932. चिरतपूडि, मुंगंडा. इसुकपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1828.

वेंकट रेड्डिय्य चौदरी, गारपाटि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 17-1-1915.
जन्मस्थान - आमुदालपल्ले, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - प्रचारक, गान्धी स्मारक निधि, आन्ध्र शाखा, एलूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1941.

वेंकटराव, माचवरम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, हिन्दी विद्वान, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 30-8-1915.
जन्मस्थान - कावलि, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - गवर्नमेंट हाईस्कूल, अनंतपूर
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934. कावलि
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 569.

वेंकटरेड्डी, केतिनीडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, व प्रचारक.

जन्मतिथि - 16-6-1936.

जन्मस्थान - अप्पनवीडु, वसंतवाडा पोस्ट,
पश्चिम गोदावरी जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड मिडिल स्कूल, वीरवल्लि,
कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1953.
आगिरिपल्लि.

वेंकट शिवशास्त्री, निम्मगड्डा

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 15-7-1914.

जन्मस्थान - गोडवर्रु पोस्ट, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 399.

रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित.

वेंकट शिवराव, मोडेकुर्ति

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.

जन्मतिथि - 15-8-1904.

जन्मस्थान - काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, कोत्तपेटा,
पूर्व गोदावरी जिला

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1921.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 353.

वेंकट सत्यनारायण, अमृतवाक्कुल

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड

जन्मतिथि - 15-2-1928.

जन्मस्थान - ओगिडी, पेनुगोंडा पोस्ट, प. गोदावरी.

स्थाई पता - एस. टि वि. एन. हिन्दू हाईस्कूल,
पेंटपाडु पोस्ट, पश्चिम गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4762

वेंकटसुब्बय्या, पल्लेकोंडा

योग्यता - हिन्दी विद्वान, विशारद, प्रचारक.
एम. ए.-तेलुगु. विद्वान-तेलुगु
जन्मतिथि - 1-7-1911.
जन्मस्थान - विनुकोंडा.
स्थाई पता - वी. आर. कालेज, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934.
मदनपल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 602.
विशेष - नाटक और संगीत.

वेंकट सीताराममूर्ति, नवुडूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 12-9-1919.
जन्मस्थान - विशाखपट्टणम
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, धवलेश्वरम,
पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942,
तामरपल्लि, सत्यवाडा, वेलंगी, द्राक्षाराम,
रामचन्द्रपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1932.
रचनाएँ - माणिक्य हिन्दी व्याकरण

वेंकट सुब्बय्या, पुलिपाटि

योग्यता - प्रवीण व प्रचारक, इंटर, अभिज्ञ-संस्कृत.
जन्मतिथि - 16-6-1924.
जन्मस्थान - ताडिपत्रि, अनंतपूर जिला
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, कोइलकुंट्ला.
कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1946.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2096.

वेंकट सुब्बय्या, काटूगड्ड

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 1910.
जन्मस्थान - जमीगोलिवेपल्लि पोस्ट, वया पामर्रु,
कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1930.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1003.

वेंकट सुब्बय्या, बंडि

योग्यता - प्रवीण प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 6-4-1910.
जन्मस्थान - मूलपालेम, वया मोव्वा,
कृष्णा जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाई स्कूल, पामर्रु, कृष्णा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933.
मंत्रिपालेम, कपिलेश्वरपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1405.

वेंकट व्वय्या, मद्दुल

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रवीण व प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 4-6-1922.
जन्मस्थान - नेल्लूर.
स्थाई पता - साले वीथि, स्टोन हाउस पेटा,
नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - आर. एस. आर, मुनिसिपल
हाईस्कूल, नेल्लूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 938

वेंकट सुब्बय्या, भट्टारम

योग्यता - प्रचारक, हिन्दी विद्वान, एम. ए.
(बि. ओ. यल.)
जन्मतिथि - 1-3-1906
जन्मस्थान - पैनंपुरम, नेल्लूर जिला
स्थाई पता - वि. आर. कालेज, नेल्लूर,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1922
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 598.
विशेष अभिरुचि - संगीत और नाटक

वेंकट सुब्बय्य चौदरी, वेमूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, विद्वान, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 4-6-1913.

जन्मस्थान - जंपनि, तेनालि ताल्लुका, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, नागायलंका.
कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935.
तेनालि, रेपल्ले, जंपनि, तिरुऊरु, कोंडपल्लि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 479

वेंकटसुब्बरामय्या, गौरावझल

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, व
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 29-9-1913.

जन्मस्थान - कारुमंचि, गुंटूर जिला.

स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, कनिगिरि, नेल्लूर.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1158.

वेंकट सुब्बराजु, दाट्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 10-10-1929.

जन्मस्थान - शंखपुरम, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थाई पता - यस. डि. वि. आर. आर. हाईस्कूल,
कोलंका, वया यानाम, पू. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3489.

विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकट सुब्बरायुडु, कोल्विडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, इंटर
अभिज्ञ-संस्कृत

जन्मतिथि - 15-9-1924.

स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, उण्डी, प. गोदावरी.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल उण्डी, प. गो.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944.
पांदुव्वा, अत्तिलि, उँगुटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1438.

वेंकट सुब्बाराव, कोप्पुरावूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 1930.
जन्मस्थान- मादला पोस्ट, सत्तेनपल्लि ताल्लूका, गुंटूर
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ब्राडीपेट, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1933.

वेंकट सुब्बाराव, गंटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक,
एस. एस. एल. सी. टैपरैटिंग हय्यर.
जन्मतिथि - 10-2-1935.
जन्मस्थान - भीमुनिपट्टणम, विशाखपट्टणम जिला.
स्थाई पता - सुरंगि हाईस्कूल, इच्छापुरम,
श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5009.

वेंकट सुब्बाराव, पेय्येटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक
जन्मतिथि - 1-7-1907.
जन्मस्थान - पेय्येरु, गुडिवाडा ताल्लूका, कृष्णा.
स्थाई पता - टेलर हाईस्कूल, नरसापुरम,
प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937.
कारुमंचि, उलवपाडु, कंदुकूरु, नलगोंडा,
तुमकूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 94.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक,
विशारद - तेलुगु.
जन्मतिथि - 1-11-1928.
जन्मस्थान - बापट्ला, गुंटूरु जिला.
स्थाई पता - वेल्लटूरु, वया तेनाली, गुंटूरु जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - हिन्दी विशारद विद्यालय,
अनंतपुरम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5249.

वकट सुब्रह्मण्य शास्त्री,

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 22-2-1930.
जन्मस्थान - बूदवाडा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, टेंगुटूर, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946 .
पोलवरम, चीराला, वेटपालेम, पावुलूरु,
काकुमानु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2507.

वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री, मैलवरपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड,
इंटर.
जन्मतिथि - 15-5-1916.
जन्मस्थान - चेंदुर्ति, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - श्री वीरराजु हाईस्कूल, पेद्दापुरम,
पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 973.

वेंकट सोमेश्वर कृष्णमूर्ति, मेडूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक तथा सेकंडरीग्रेड
जन्मतिथि - 4-11 1924.
जन्मस्थान - तणुकु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ताडेपल्लिगूडेम,
प. गोदावरी.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. तणुकु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3148.
रचनाएँ - वीरबल -

वेंकटस्वामी, यर्रा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 8-8-1917.
जन्मस्थान - उप्पुलूरु, वया उंडि, प. गोदावरी.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, अत्तिलि, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940.
उप्पुलूरु, पेदपाडु, वीरवासरम, खंडविल्ली
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2909.

वेंकटाचार्युलु, आसूरि मरिंगंटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-4-1922.
जन्मस्थान - सूर्यापेटा, नलगोंडा जिला.
स्थाई पता - भीमुनिपट्टणम, विशाखपट्टणम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
भीमुनिपट्टणम, रेड्डिपल्लि, कोटबोम्मालि.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकटेश्वरन, एन.

योग्यता - विशारद, विद्वान, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 2-8-1912.
जन्मस्थान - वैकम, कोट्टायम जिला.
स्थाई पता - शिव सदन, त्रिपुणित्तुरा पोस्ट, एर्नाकुलम.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मंत्री, केरल हिन्दी प्रचार सभा, एर्नाकुलम.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1927. वैकम, उल्लला, कुलशेखर मंगलम, वेच्चूर, पाणावल्ली, तृक्काट्टुकुलम, बडगरा, तिरुवनंतपुरम, मद्रास आदि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 329.

रचनाएँ - कथाकलि, स्वाति तिरुनाल, जगद्गुरु शंकराचार्य आदि लेख और कहानियाँ.

विशेष अभिरुचि - साहित्यानुशीलन.

वेंकटेश्वरराव, अडवि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, साहित्य विशारद, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 1-7-1926.

जन्मस्थान - डोकिपर्रु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - कलिदिंडि, कैकलूर तालूका, कृष्णा.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, बंटुमिल्लि, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. डोकिपर्रु, राचूरु, कंचिकचर्ल, घंटसाला, मंडविल्लि आदि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1347.

विशेष अभिरुचि - नाटक.-

वेंकटेश्वर राव,

योग्यता-रा. भा. प्रवीण, साहित्य रत्न, इंजनीयरिंग.

जन्मतिथि - 10-5-1931.

जन्मस्थान - यलकुर्रु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - विज्ञान समिति, त्यागराय नगर, मद्रास.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केंद्र - 1948. एलूर, मद्रास.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2271.

रचनाएँ - तेलुगु में काव्य, नाटक, उपन्यास तथा लेख. हिन्दी-महावीर बालचन्द्र.

विशेष अभिरुचि - नाटक व चित्रकला.

वेंकटेश्वर राव, कपिलवायि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 1-7-1924.

जन्मस्थान - परिटाला, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - काकुमानुवारिवीथि, कोत्तपेटा, गुंटूर.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1937.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1974.

वेंकटेश्वर राव, काज

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 30-5-1923.
जन्मस्थान - वानपामुल, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - काट्रेनिपाडु, मुसुनूरु पोस्ट, कृष्णा,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, तेलप्रोलु, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945. मुदुनूरु, वेलेरु, नेप्पल्ले, कुंदेरु आदि.
रचनाएँ - तेलुगु - हृदयदान, एवरंटा वेमोइ.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकटेश्वर राव, कोल्लि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, भारतीय हिन्दी पारंगत.
जन्मतिथि - 7-7-1919.
जन्मस्थान - जमींदिन्टकुरु, वेंट्रप्रगड पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, वानपामुला, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938. गुडिवाडा, पेदपारुपूडि, महेश्वरपुरम, गोपुवानिपालेम, पुनादिपाडु, नूजिवीडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 525.

वेंकटेश्वर राव, कोटा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 23-9-1934.
जन्म स्थान - चट्टन्नवरम, अल्लूर पोस्ट, कृष्णा
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - —

वेंकटेश्वर राव, चिलकपाटि

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1919.
जन्मस्थान - कोरुतापिडपर्रु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - कोडूरु पोस्ट, दिवि तालूका, कृष्णा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र-बोर्ड हाईस्कूल, अवनिगड्डा, कृष्णा
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935, कोडूरु, गुडिवाडा, नागायलंका.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1723.

वेंकटेश्वर राव, जुझवरपु,

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 24-5-1931.
जन्मस्थान - कोमरवोलु, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र- बोर्ड हाईस्कूल, मेड्रुरु, कृष्णा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2620.

वेंकटेश्वर राव, तूमु

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मस्थान- एलूरु, पश्चिम गोदावरी.
स्थाई पता - पवरपेटा, एलूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
विशेष - नाटक.

वेंकटेश्वर राव, दम्मालपाटि

योग्यता - रा. भा- प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1929.
जन्मस्थान - कंचकचर्ला, कृष्णा जिला.
स्थाई पता ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

वेंकटेश्वर राव, दम्मालपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न, बि. ए.
जन्मतिथि - कंचिकचर्ला, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पि. बि. यन. कालेज, निडुब्रोलु, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954. कंचिकचर्ला.

वेंकटेश्वर राव, दुट्टा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 16-3-1927.
जन्मस्थान - पल्लेवाडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, आरुतेगलपाडु, वरहापट्नम पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2480.

वेंकटेश्वर राव, पंचकर्ल

योग्यता - हिन्दी प्रचारक तथा मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1925.
जन्मस्थान - तेलप्रोलु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - पडमटि वीथि, एलूरु,
पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2201.

वेंकटेश्वर राव, पोट्लूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद, भारतीय पारंगत, एस.एस.एल.सि
जन्मतिथि - 1-7-1928.
जन्मस्थान - कुच्चिकायलपूडि, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र -बोर्ड हाईस्कूल, अड्डाड, कृष्णा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
भीमुनिपाडु, कंभम, उय्यूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1880.

वेंकटेश्वर राव, पुनुकोल्लु

योग्यता - विशारद का अध्ययन.
जन्मतिथि - 1-5-1915.
जन्मस्थान - पेदपारुपूडि पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - गुणदला पोस्ट, वया विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933.
गुडिवाडा, डोकिपर्रु, वीरुलपाडु, चेब्रोलु, नूजवीडु, तथा विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1969.
विशेष - 1930 के नमक सत्याग्रह में भाग लिया.

वेंकटेश्वर राव, माधवरपु

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 6-12-1931.
जन्मस्थान - वीरुलपाडु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कोणकंचि पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
चंदर्लपाडु, वीरुलपाडु, आकुनूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2149.

वेंकटेश्वर राव, मोटूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न, उक्तलेखा प्रवीण, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 19-9-1931.
जन्मस्थान - दोंडपाडु, गुडिवाड तालूक, कृष्णा.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1951. दोंडपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4690.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित.
विशेष- रेडियो नाटक व कहानियों के अनुवादक.

वेंकटेश्वर राव, यलमंचिलि

योग्यता- प्रचारक, साहित्य विशारद, हिन्दी विद्वान
जन्मतिथि - 1914.
स्थायी पता - विद्यावन, वया पामर्रु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937.
तेनालि, मद्रास, गान्धी आश्रम, कोंमरवोलु,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 221.
रचनाएँ - हिन्दी साहित्य का इतिहास.
धर्मयुद्ध, आरोग्य सूत्रमुलु-तेलुगु - कुछ कहानियों का हिन्दी तेलुगु अनुवाद.
विशेष - नाटक.

वेंकटेश्वर राव, चिन्नकोटा

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-7-1913.
जन्मस्थान - कानुकोल्लु, कैकलूर ता, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मंचलवारि वीथि, रामचंद्ररावपेटा, एलूर प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933.
कानुकोल्लु, काशीपूडि, दाओजीपालेम. पेरिकगूडेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 556.
रचनायेँ - जोडेड्लु - तेलुगु.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकटेश्वर रेड्डि, सरिपल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-12-1929.
जन्मस्थान - जनार्दनपुरम, गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र सिद्दिपेटा, मेदक जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946.
गणपवरम, बिलकलगूड्रु, जनार्दनपुरम. महादेवपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1409.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकटेश्वर्लु, चेरुकूरु

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रचारक, साहित्यरत्न, इंटर.
जन्म तिथि - 1-11-1923.
जन्मस्थान - मूल्पूर, तेनालि ताल्लुका, गंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, उंगटूर, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. मूल्पूरु, तेनाली, दुद्दुकूर, रेपल्ले, पेरवलिपालेम, लिंगापुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1208.
रचनायें - विजयलक्ष्मी-तेलुगु.

वेंकटेश्वर्लु, नीलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 18-9-1931.
जन्मस्थान - ऐलवरम, रेपल्ले ताल्लुका, गुंटूर.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड सेकंडरी स्कूल, मोर्जंपाडु, पालनाडु ताल्लुका, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. ऐलवरम, कोलगानिवारिपालेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2349.
विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत.

वेंकटेश्वर्लु, पोका

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 2-11-1926.
जन्मस्थान- संतरावूर, वया वेटपालेम, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - श्री गुरुकुल विद्यावनम, पेरेचर्ल पोस्ट, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. तिम्मसमुद्रम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2085.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेंकन्न चौदरि, ईगलपाटि

योग्यता रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 14-11-1911.
जन्मस्थान - उंडूर, पूर्व गोदावरी जिला
स्थायी पता - बोर्ड हाई स्कूल, मंडपेटा, पू. गो.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932.
उंडूरु, रेणिगुंटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1466.

वेंकटेश्वर्लु, मेल्लचरुवु

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-6-1903.
जन्मस्थान - वेजेंडूल, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - पेदपालेम, वया तेनाली, गुंटूर जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1922.
नेल्लूरु, गूडूरु, ओंगोल, बेजवाडा, चिनपालेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1434.

वेंकटेश्वर्लु, वलिवेटि

योग्यता - रा. भा. विशारद, कोविद, साहित्य विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 11-6-1910.
जन्मस्थान - कोम्मरा, तणुकु ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - श्री हिन्दी आश्रम, श्रीराम नगर, काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - सैंट जोसफ कानवेंट स्कूल, काकिनाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936. उंडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 728
विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत.

वेंकय्या, नर्रा

योग्यता रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 1929.
जन्मस्थान - परसत्याल्लूर, वया पेदकूरपाडु, गुंटूर.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. ओंगोल, मोर्जंपाडु, अनुपालेम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4495.
रचनायें - तेलुगु-पुष्पांजलि, विश्वविजयी.

वेंकायम्मा, मारेल्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 1-12-1927.

जन्मस्थान - तक्केल्लपाडु, गुंटूर जिला.

स्थायी पता - ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - तेनाली.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.

वेंकोबाराव, पागा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक, इंटर.

जन्मतिथि - 12-7-1921.

जन्मस्थान - मागेचेरुवु, अनंतपुरम जिला.

स्थायी पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, कर्नूल.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 853.

रचनायें - हिन्दी तेलुगु बाल व्याकरण, हिन्दी - तेलुगु अनुवादमाला, हिन्दी रीडर्स 1 फारम से 3 फारम तक। हिन्दी तेलुगु स्वबोधिनी, हिन्दी तेलुगु प्राइमर.

विशेष अभिरुचि - नाटक.

वेर्रय्या, ताल्लूरि

योग्यता- रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, भारतीय हिन्दी पारंगत, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 20-9-1928.

जन्मस्थान - यलमंचिलि, नरसापुरम ताल्लुका, प. गोदावरी जिला.

स्थायी पता - के. एस. आर. बोर्ड हाईस्कूल, वेंगेश्वरपुरम, वया कोव्वूर, प. गोदावरी.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. पालकोल, आचंट, भीमवरम, राजमंद्री.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3073.

विशेष अभिरुचि - चित्रकला

वेणुगोपालशर्मा, पति

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-5-1923.
जन्मस्थान - माडुगुल, विशाख जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4264.
रचनायें - तेलुगु-प्रजाराज्य, त्रिनाथ व्रत कथा, धीरा, प्रकृति रहस्य, दशकंधर पराभव, गान विनोदिनी, हिन्दी - फुटकर गीत.

ब्रजनंदन शर्मा

योग्यता - साहित्य विशारद
जन्मतिथि - 18-12-1910.
जन्मस्थान - लखी सराय, मुंगेर जिला, बिहार.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बालिका विद्यापीठ. ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1924.
निडुब्रोलु, वल्लूरमूडि, गुंटूर, जंपनी, मूल्पूर, मंतेनवारिपालेम, चेब्रोल, कोत्तरेड्डिपालेम, तेनाली, ऐतानगरप्पालेम, कुंभकोणम, मद्रास, कोयंबत्तूर.
रचनायें - मोतियों का हार, सत्याग्रही, लक्ष्मीबाई, अशोकवन, अनार्कलि, चालीस साल बाद, गल्प संसार माला, दक्षिण की कहानियाँ आदि अठारह किताबें.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

शंकर नारायण राव, अ.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 7-2-1924.
जन्मस्थान - नेरबयलु, चित्तूरु जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कुप्पम, चित्तूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2140.

शंकरराजु, मुंगर

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 15-11-1925.
जन्मस्थान - संबेपल्लि, रायचोटि तालूका, कडपा जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, चित्तूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. कडपा, मद्रास, ईडुपुगल्लु, तिरुवूरु, पाकाल उप्पुरु डूर, मदनपा
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1168.

शारंगपाणि, रा.

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दी विद्वान, बि.ए.
जन्मतिथि - 13-10-1915.
जन्मस्थान - शाक्कोट्टै, तंजावूर जिला.
स्थायी पता - 29-राजेन्द्र प्रसाद गली, पश्चिम मांबलम, मद्रास-17.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - द. भा. हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास-17.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1937.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 215.
विशेष अभिरुचि - नाटक, संगीत व फोटोग्रफी.
विशेष - 1947-53 दक्खिनी हिन्द के सहाय संपादक तथा 1953 से हिन्दी प्रचार समाचार के संपादक हैं।

शंकरशास्त्री, एन.

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1921.
जन्मस्थान - रागुलपाडु, अनंतपूर जिला.
स्थायी पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, अनंतपूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1194.

स्व० शिवन्न शास्त्री, जंध्याल

योग्यता - साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 5-12-1896.
निधन - 1-8-1929.
जन्मस्थान - कोर्निपाडु अग्रहारम, गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1921, गुडिवाडा.
रचनायें - हिन्दी तेलुगु और तेलुगु हिन्दी कोष हिन्दी तेलुगु व्याकरण, व्रजभाषा व्याकरण, वर विक्रयम, कन्या विक्रयम, शृंगार सप्तशति, डि. यल. राय के बंगाली नाटकों के तेलुगु अनुवाद.
विशेष - तर्क, व्याकरण व साहित्य के ज्ञाता, संस्कृत, तेलुगु, बंगाली के पंडित, तेलुगु व संस्कृत के कवि.

शिव प्रसादराव, मद्दिल

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 19-12-1934.
जन्म स्थान - अनकापल्लि, विशाख जिला.
स्थायी पता-C/o एम. चिट्टिबाबू, उप्पलवारि वीथि अनकापल्लि पोस्ट, विशाख जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4771.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

शिवनारायण, पोट्लूरि

योग्यता - प्रचारक, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 19-4-1924.
जन्मस्थान - कूचिकायलपूडि, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - पेदपारुपूडि पोस्ट, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुनिसिपल मिडिल स्कूल, गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. वेमंडा, गांधी आश्रम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1436.

शिवरामकृष्ण, पावुलूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दुस्तानी निपुण, भारतीय पारंगत, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1922.
जन्मस्थान - गोवाडा, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. पेरवलि, चीराला, बापट्ला, कोल्लूर.
विशेष - 1942 आंदोलन में छः महीने के लिए जेल गये.

शिवरामाराव, यल्लाप्रगड

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 20-6-1907.
जन्म स्थान - उल्लिपालेम, रेपल्ले तालूका, गुंटूर.
स्थायी पता - हिन्दी विद्यालय, मछलीपट्टणम.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935. मंदपाकल, तविशिपूडि, नागायलंका.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 77.

शिवराम शर्मा, क. म.

योग्यता - साहित्य विशारद, विद्वान, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 18-11-1900.
स्थायी पता - 10 - रघुनाथ अय्यंगार वीथि, रामकृष्ण पुरम, मद्रास-17.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1919. राजमहेंद्रवरम, करूर, ईरोड, विजयवाडा, तिरुच्चिनापल्ली आदि.
रचनायें - हिन्दी तमिल व हिन्दी अंग्रेजी स्वबोधिनी

शिवराम शर्मा, सोमयाजि, वेंकट

योग्यता - एम. ए. साहित्य विशारद, प्रचारक, तेलुगु- पी. ओ. एल.; बी. ओ. एल; संस्कृत विद्वान.
जन्मतिथि - 9-3-1904.
जन्मस्थान - वेल्लटूर, नल्लगोंड जिला.
स्थायी पता - 1-8-503 चिक्कडपल्ली, हैदराबाद,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गवर्नमेंट कालेज. ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1922. विजयवाडा, बुच्चिरेड्डिपालेम, मंगलूर, राजपालेम, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 410.
रचनायें - हिन्दी रीडर.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

शिवरामरेड्डि, सिद्दा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 26-9-1927.
जन्मस्थान - अनंतय्यगारिपल्ले, राजमपेट तालूका, कडपा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, राजमपेटा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3791.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

शिव शंकर रेड्डी, कोम्मा

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 10-8-1928.
जन्मस्थान- कसनूर, रेल्वे कोंडापुरम, कडपा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, नंदलूर पोस्ट, कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947, रायचोटी, सिंहाद्रिपुरम, राजंपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1657.
रचनायें - पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित.

शिवराव, रायवरपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 12-5-1920.
जन्मस्थान - नरसीपटम, विशाख जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल. ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2816.

शिवशर्मा, के. वी.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 6-8-1927.
जन्मस्थान - चंद्वरम, नेल्लूर जिला.
स्थायी पता - कोल्स मेमोरियल हाईस्कूल, कर्नूल,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4807.

शेषगिरिराव, दिगवल्लि

योग्यता - साहित्य विशारद, साहित्यरत्न, इंटर.
जन्मतिथि - 11-2-1916.
जन्मस्थान - मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - संपादक, आध्यात्मिक ग्रंथमंडली, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937.
सिंगगूडेम, मंतेनवारिपालेम, तेलप्रोलु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 350.
रचनायें - हिन्दुस्तानी व्याकरण संग्रह, हिन्दुस्तानी स्वयं शिक्षक, हिन्दुस्तानी तेलुगु शिक्षक, ज्ञानेश्वरी भगवद्गीता, योग साधना, मुक्तिमार्ग, जपयोग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, योगासन, विजया, प्रेमचंद कथलु, रसमई, वसुंधरा, जागरण, ज्योतिष्मती. मेहरबाबा.

शेषगिरि राव, पोलु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-4-1926.
जन्मस्थान - दोंडपाडु, गुंटूर जिला,
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, तुल्लूरु पोस्ट, गुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940,
दोंडपाडु, उद्दंड्रायुनिपालेम, जोन्नलगड्डा, वीरन्नपालेम, चीराला, विनुकोंडा, संतनूतलपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1604.
रचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में नाटक, लेख व कहानियाँ.

शेषगिरि शर्मा, नंदुला

योग्यता - हिन्दी प्रचारक व विद्वान.
जन्मतिथि - 4-5-1916.
जन्मस्थान - वल्लूरु, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - बेड्डल बापय्या हिन्दू हाईस्कूल, वेटपालेम, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939. गुंटूर, पालकोल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1191.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

शेषावतारम, वंकायलपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - अप्रेल 1909.
जन्मस्थान - उन्नवा, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - हिन्दू कालेज, हाईस्कूल, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928, तिप्पनगुंटा, गोट्टिपाडु, तुम्मलपालेम, चिलकलूरिपेटा, बव्वेपल्लि, लिंगमगुंटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 182.
रचनाएँ - 20 हिन्दी रीडर व पत्र पत्रिकाओं में लेख।
विशेष अभिरुचि - नाटक

शेषम राजु, कोलाहलम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, भारतीय हिन्दी पारंगत, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-8-1930.
जन्मस्थान - पेनुगंचिप्रोलु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता-दोंडापहाड पोस्ट, हुजूर नगर ताल्लूका, नलगोंडा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ-1946. रायदुर्गम, मंगोल्लु, अनिगंड्लपाडु, खम्ममेट्ट.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3143.

शेषय्या, वेदान्तम

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरीग्रेड, इंटर.
जन्मतिथि - 11-1-1893.
जन्मस्थान - पोतुकूचिवारि रत्नापुराग्रहारम, एलूर ताल्लूका, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - इच्छापुरम, श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928. दुव्व, तणुकु, मोर्ता, प्रोद्दूर, भीमवरम, पूल्ला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 678.

शोभनाद्राचार्युलु, नंडूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, हिन्दी भाषा प्रवीण, साहित्य विद्या प्रवीण-संस्कृत, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 20-5-1911.
जन्मस्थान - कोरुकोण्डा, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - संगठक, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930.
कोरुकोण्डा, उण्डेश्वर पुरम, राजमंद्री, कर्नूल तापेश्वरम, मण्डपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 483.

शौरिरेड्डी, येद्दुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1926.
जन्मस्थान - गोल्ललगूड्डूर, पेद्दजूटूर पोस्ट, कडपा.
स्थायी पता - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कमलापुरम, कडपा जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1595
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ.
विशेष अभिरुचि - संगीत, नाटक व चित्रकला.

शौरि रेड्डि, दासरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1927.
जन्मस्थान - ऊडवगण्ड्ला, तोंड्डूरु पोस्ट, पुलिवेंदुल तालूक, कडपा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, वेंपल्लि पोस्ट, कडपा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
ऊडवगंड्ला, पुल्लंपेटा, सिद्दवटम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1888.

श्यामाराव, कालेश्वरम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड,
जन्म तिथि - 12 3-1923.
जन्मस्थान - कदिरि, अनंतपूर जिला.
स्थाई पता - ब्राह्मण वीथि ,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पलमनेर, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. कदिरि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3624.
विशेष अभिरुचि - नाटक और संगीत.

श्यामलादेवी, यल्लंराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 2-12-1929.

जन्मस्थान - गुंटूर.

स्थायी पता-C/o इप्पगुंट वेंकमांबा, 7 वाँ लाइन, गुंटूर.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2103.

विशेष - संचालिका, भारत महिला हिन्दी विद्यालय, अध्यक्ष - स्त्री सनातन धर्म मंडली.

श्रीकण्ठमूर्ति, शी.

योग्यता - एम. ए., बी. ओ. एल., हिन्दी विद्वान, हिन्दी विशारद, प्रचारक.

जन्मतिथि - 17 9-1917.

जन्मस्थान - मैसूर.

स्थायी पता - 311-जयनगर, बसवनगुडि, बंगलूर.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - मंत्री, कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा, धारवाड.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936. मैसूर, मद्रास, बंगलूर, चित्तूर.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 213.

रचनायें - पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ.

विशेष - भारतवाणी पत्रिका के संपादक.

विशेष अभिरुचि - नाटक, चित्रकला व खेल.

श्रीकृष्णमूर्ति, अडवि

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक, साहित्य सुधाकर, इंटर

जन्मतिथि - 7-7-1927.

जन्मस्थान - तामरकोल्लु, कृष्णा जिला.

स्थाई पता - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943, टेक्कलि, पर्लाखिमिडि, ईडुपुगल्लु, चित्तूर.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 957.

श्रीनाथ नायुडु, के.

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1928.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, बोम्मसमुद्रम,
चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.

श्रीनिवास अय्यंगार, दीवि

योग्यता - प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 16-12-1915.
जन्मस्थान - आत्कूर, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1936.
रचनायें-प्रेमपालन, पुनर्मिलन, दीनसेवा (अनुवाद),
कन्यका - व्याकरण.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

श्रीनिवास शेणै, कटपाडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 22-10-1906.
जन्मस्थान - मूलकी.
स्थायी पता - मंत्री, राष्ट्रभाषा प्रचार संघ, कार्कल.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930.
हिरियड्का, पेर्डूर आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 34.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

श्रीनिवासाचार्युलु, कामसमुद्रम

योग्यता - रा. भा. विशारद, इंटर.
जन्मतिथि - 4-11-1929.
जन्मस्थान - कोट्टूर, बल्लारि जिला.
स्थायी पता - 1/50 डि. हेच. आर. शेषप्पा
कांपौंड, अनंतपूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

श्रीमन्नारायणाचार्युलु, वंगल

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी., हिन्दी विद्वान.
जन्मतिथि - 15 9-1915.
जन्मस्थान - कोठालपर्रु, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - मुनिसिपल मिडिल स्कूल, पालकोल,
प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1001.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

श्रीरामकृष्णय्या, उप्पुलूरि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, बी. ए., बि. इडि.,
जन्मतिथि - 1 9-1921.
जन्मस्थान - अरिपिराला, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - एलमर्रु पोस्ट, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल,
अड्डाडा पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934.
अगिनिपर्रु, गोल्लपल्लि, वेंकट राघवापुरम,
मूल्पूर, तेनाली, मछलीपट्टणम, पेडना,
यलमर्रु, ताडंकि, कपिलेश्वरपुरम, गुणदला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 438.

श्रीराम चन्द्र, आर

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, विद्वान, साहित्य रत्न.
एम. ए.
जन्मतिथि - 10-9-1916,
जन्मस्थान - बापट्ला, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - एस. के. बी. आर. कालेज,
अमलापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र-7-1-184-अमीरपेटा, हैदराबाद.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937,
कडपा, विजयनगरम, राजमंद्री, भीमवरम,
पालकोल, नरसापुरम, अमलापुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 104.
रचनाएँ - राजा हिन्दी तेलुगु बोधिनी.

श्रीरामचन्द्र मूर्ति, अमिडिपाटि

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 15-10-1910.
जन्मस्थान - कोरुमिल्लि, वया कपिलेश्वरपुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934, गंगवरम, माचरा, वाकतिप्पा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 322.

श्रीरामुलु, जड्डु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-11-1928.
स्थाई पता - मल्लवरम, नरसापुरम ताल्लूक, पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, इरगवरम, तणुकु ताल्लूका, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3529.

श्रीराममूर्ति, मंडविल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 23-11-1916.
जन्मस्थान - अमलापुरम.
स्थाई पता - कोडमंचिलि, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, सिद्धांतम, वया पेनुगोंडा, प. गो. जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932. अमलापुरम, गुम्मलूर, कोडमंचिलि, देवा, वेगेश्वरपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 538.
विशेष अभिरुचि - संगीत, कविता व चित्रकला.

श्रीरामुलु, पंगुलूरि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1909.
जन्मस्थान - ओंगोलु, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मुनिसिपल हाईस्कूल, ओंगोल, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930, एलूर ताल्लूका के कुछ गाँव.

श्रीरामल. पल्लटि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक.

जन्मतिथि - 15-11-1926.

जन्मस्थान - जल्लुवलसा, श्रीकाकुलम जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पार्वतीपुरम.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
वीरघट्टाम, कलिंगपट्टणम आदि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2663.

विशेष अभिरुचि - संगीत व नाटक.

श्रीरामुलु, माचवोलु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड,

जन्मतिथि - 1-7-1916.

जन्मस्थान - नल्लूर.

स्थायी पता - जानकी कुटीर, श्रीरंगराजपुरम,
नेल्लूर.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - सेंट पीटर्स हाईस्कूल, नेल्लूर.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1937.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1335.

विशेष अभिरुचि - नाटक व संगीत.

श्रीरामुलुगुप्ता, गार्दशेट्टि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.

जन्मतिथि - 2-7-1932.

जन्मस्थान - कनिगिरि, नेल्लूर जिला.

स्थाई पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - जडचर्ला, महबूबनगर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954.
कनिगिरि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5241.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 10-10-1929.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - सत्यनारायण पुरम ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954, दोनकोंडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3142.

श्रीरामुलु गुप्ता, बैसानि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, हिन्दी विद्वान.
जन्मतिथि - 1913.
जन्मस्थान - गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - लोकमान्य हिन्दी मंदिर, गवर्नरपेटा, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932, मछलीपट्टणम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 401.
रचनाएँ - डाक्टर पट्टाभि सीतारामय्या जी की जीवनी, हिन्दी तेलुगु स्वयंबोधिनी, और कई पाठ्य पुस्तकों के नोट्स.

सच्चिदानंद राव, बंडारु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, इंटर.
जन्मतिथि - 13-3-1929.
जन्मस्थान - जेमषेडपूर.
स्थायी पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, श्रीकाकुलम,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2503.
विशेष अभिरुचि - नाटक, वाद्य व चित्रकला.

श्रीहरि शर्मा, चिवुकुला

सत्तिराजु, केतिनीडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 10 11-1930.
जन्मस्थान - वरगल्लंका, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - काट्रावुलपल्लि, पेद्दापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. यर्रपालेम, जग्गन्नतिम्मापुरम, सूरंपालेम, नायकंपल्ले, यल्लमिल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2690.

सत्यनारायण, उप्पलपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 9-12-1928.
जन्मस्थान - गज्जरम, वया कोव्वूर, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, गोल्लप्रोलु, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1952, गोकवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2526.

सत्यनारायण, आनंदराव

योग्यता - हिन्दी विद्वान, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 16-10-1913.
जन्मस्थान - वलिवेरु, तेनालि ताल्लूका, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ए. सी. सी. कृष्णा सिमेंट वर्क्स, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1934, वलिवेरु, पाकाल, चित्तूर, मदनपल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 758.

सत्यनारायण, कप्पगंतु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न, इंटर.
जन्मतिथि - 23-5-1925.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - हनुमान पेटा, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दी विशारद विद्यालय, राजमंद्री.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. विजयवाडा, मछलीपट्टणम, कर्नूल.
रचनायें - एकांकियों का अनुवाद व लेख.
विशेष - रेडियो नाटकों में भाग लेते हैं.

सत्यनारायण, चल्ला

योग्यता - रा. भा. विशारद व सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 18-8-1920.
जन्मस्थान - तणुकु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - बोर्ड एलिमेंटरी स्कूल, तणुकु.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1941. एलूर, वीरवासरम, शिवदेवुनि चिक्काला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 763.
विशेष अभिरुचि - नाटक, स्काउट.

सत्यनारायण, दिनवहि

योग्यता - बि. ए.
जन्मतिथि - 22-6-1894.
जन्मस्थान - राजमंद्री, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - 10/25 यफ. श्रीरामनगर, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1919. काकिनाडा, कोव्वूर, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 889.
विशेष अभिरुचि - नाटक.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ.

सत्यनारायण, चिलकलपूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 29-12-1922.
जन्मस्थान - तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - हिन्दू मुस्लिम वीथि, तेनाली.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, क्रोसूर पोस्ट, सत्तेनपल्लि तालूका, गुंटूर जिला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1084.

सत्यनारायण, नेम्मानि

योग्यता - रा. भा. विशारद, भाषा प्रवीण, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 25-6 1917.
जन्मस्थान - पुरिटिगड्डु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, मोपिदेवी, कृष्णा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1945.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1160.

सत्यनारायण, एन

योग्यता - प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 10-3-1929.
जन्मस्थान - ऊट्टकूर, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4361.

सत्यनारायण, भागवतुल

योग्यता - साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 2-3-1918.
जन्मस्थान - गुडिवाडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1946.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1559-

सत्यनारायण, मुसुनूरि

योग्यता - प्रचारक, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 3-11-1919.
जन्मस्थान - देंदुलूर, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थाई पता - हिन्दी विद्यालय, गुडिवाडा, कृष्णा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4145.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

सत्यनारायण, यर्रा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 30-8-1926.
जन्मस्थान - उप्पुलूरु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल,
माधवरम पोस्ट, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. उण्डि,
देंदुलूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2621.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

जन्मतिथि - 2-2-1902.

जन्मस्थान -
दोंडपाडु पोस्ट,
गुडिवाडा तालूका,
कृष्णा जिला.

योग्यता -
तेलुगु, संस्कृत, अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, मराठी, उर्दू और बंगला भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते हैं। मछलीपट्टणम के आन्ध्र जातीय कलाशाला में अध्ययन किया.

सत्यनारायण, **मोटूरि**

हिन्दी प्रचार कार्य -

1921 में गान्धी जी के निमंत्रण पर हिन्दी प्रचार आंदोलन में भाग लिया। 1921 से 1923 तक नेल्लूर जिले के संगठक; 1923 में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन की स्वागत-कारिणी समिति के मंत्री; 1924 से 1927 तक आन्ध्र प्रान्तीय हिन्दी प्रचार सभा के मंत्री; 1927 से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के विविध रंगों में - परीक्षा मंत्री, संयुक्तमंत्री आदि पदों पर-काम किया 1938 से सभा के प्रधान मंत्री हैं।

महात्मा गांधीजी के आदेश से 1936 से 1938 तक वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की तरफ से सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्कल, बंगाल और आसाम में हिन्दी प्रचार का संगठन किया। सभा के मुख पत्र "हिन्दी प्रचार समाचार" और "दक्षिण भारत" के संपादक हैं।

केंद्र सरकार से नियुक्त निम्न लिखित समितियों के सदस्य रहे हैं।

केन्द्र सरकार के प्रसार व सूचना, कृषि, खाद्य, तथा शिक्षा विभागों की हिन्दी समितियों के सदस्य, राजभाषा आयोग के सदस्य, आन्ध्र यूनिवर्सिटी के हिन्दी बोर्ड के अध्यक्ष, भारत सरकार के अड्वाइजरी एड्यूकेशन बोर्ड के सदस्य, केन्द्रीय हिन्दी शिक्षा समिति के सदस्य और अन्य कई सरकारी बोर्डों के सदस्य हैं।

तेलुगु भाषा समिति के संगठक और मंत्री हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संघ और अन्य सरकारी व गैर सरकारी सांस्कृतिक व सामाजिक संस्थाओं के सदस्य हैं।

1942 में महात्माजी के रचनात्मक कार्यक्रम तथा - असहयोग आंदोलन के सिलसिले में नजरबंद किये गये। 1948 में भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गये। आजकल भारतीय संसद के सदस्य हैं।

रचनाएँ - कई हिन्दी रीडरें, पाठ्य पुस्तकें, हिन्दी स्वबोधिनी आदि के संपादक और रचयिता हैं।

सत्यनारायण, रावि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, पारंगत, मेट्रिक, परिचय - संस्कृत.
जन्मतिथि - 15-12-1934.
जन्मस्थान - देवरपल्लि, परुचूर पोस्ट, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, संतनूतलपाडु पोस्ट, वया ओंगोल, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2534.

सत्यनारायण, साधु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, साहित्यरत्न.
जन्मतिथि - 26-6-1932.
जन्मस्थान - पाकालपाडु, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - जडचेर्ल, महबूब नगर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1950.
पाकालपाडु, कन्दुलवारि पालेम, सत्तेनपल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4812.
विशेष - अभिनेता व गायक.

सत्यनारायण, सागि

योग्यता - विद्वान.
जन्मतिथि - 28-4-1902.
जन्मस्थान - राजमंद्री, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - मार्केट वीथि. ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1926.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 477.
विशेष अभिरुचि फोटोग्रफी.
रचनाएँ - शब्द सिंधु.

सत्यनारायण मूर्ति, कंभपाटि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, साहित्य विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 9-12-1902.
जन्मस्थान - मुक्कामला, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - तणुकु, प. गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - यू. एल. सी. एम. हाईस्कूल, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930. तणुकु, ताडेपल्लि गूडेम, काकरपर्रु, राजमंद्री नेल्लाला, बोम्मिनंपाडु, मद्रास.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 82.
रचनाएँ - बाल शिक्षा, स्वबोधिनी, नवीन हिन्दी स्वयं शिक्षक.
विशेष अभिरुचि - नाटक व कविता.

सत्यनारायण मूर्ति, गोविंदराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, रा. भा. रत्न, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1934.
जन्मस्थान - कल्लेपल्ली, विशाख जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. अनकापल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4478.

सत्यनारायण मूर्ति, पुट्रेवु

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य रत्न, एम.ए.
जन्मतिथि - 15-7-1914.
स्थायी पता - गांधीनगर, अनकापल्लि.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ए. एम. ए. एल. कालेज, अनकापल्लि, विशाख जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935. श्रीकाकुलम, विशाखपट्टणम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 884

सत्यनारायण मूर्ति, प्रयाग

योग्यता - प्रचारक, साहित्य रत्न, एम. ए.
जन्मतिथि - 17-7-1925
जन्मस्थान - गुनुपूडि, भीमवरम ताल्लूका पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दू कालेज, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947, भीमवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1719.

सत्यनारायण मूर्ति, बूडिद

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-4-1919.
जन्मस्थान - राजोलु, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2088.

सत्यनारायण मूर्ति, वांड्रंगि

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 13-6-1930.
जन्मस्थान - वांड्रंगि, श्रीकाकुलम जिला.
स्थायी पता - श्री लक्ष्मी सिल्क फैक्टरी स्कूल, पेद्दापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पेद्दापुरम.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4764.
रचनायें - अबोध बालक, राहुल जननी, भक्ति, बडिंपतुलु.

सत्यनारायण राजु, अल्लूरि

योग्यता - हिन्दी विद्वान. प्रचारक, एस.एस.एल.सी
जन्मतिथि - 8-8-1910
जन्मस्थान - ताडिनाडा, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - हिन्दी पंडित, बोर्ड हाईस्कूल, कैकलूर, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1936.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1431.

सत्यनारायण राजु, पेन्मेत्स

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-12-1928.
जन्मस्थान - महादेवपट्टणम, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - तोलेरु, वीरवासरम पोस्ट, पश्चिम गोदावरी जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1938. वेमवरम, मामुडूर, कंचुमर्रु, नौडूरु, और अडलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2227.

सत्यनारायण राजु, पेन्मेन्स

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 19-9-1919.
जन्मस्थान - मड्डुगु पोल्वरम.
स्थायी पता - बोर्ड हा.ईस्कूल, पोलमूरु पोस्ट, पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. कौल्लूरु, साल्लूर, भीमवरम, चाटपर्रु और पालकोडेरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1963.

सत्यनारायण राजु, पेरिचर्ल

योग्यता - हिन्दी विद्वान, साहित्य रत्न, प्रचारक, बी. ए., बी. ओ. एल.
जन्मतिथि - 17-5-1914.
जन्मस्थान - इलपकुर्रु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - रायलम पोस्ट, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928. निडदवोलु, उंडि, उप्पुलूरु.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - W. B. G. कालेज, भीमवरम
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 74

सत्यनारायण राजु, वेगेशिन

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 3-4-1926.
जन्मस्थान - वेंपाडु, भीमवरम ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, गूटाल, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. उंडि, जिन्नूर, एलूरुपाडु, कोपल्ले, पिप्परा कोप्पाक, कोव्वली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2618.

सत्यनारायण राव, कडियाल .

योग्यता - प्रचारक, साहित्य विशारद, साहित्यालंकार, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 8-5-1929.
जन्मस्थान - ऐतानगरम, तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कोल्लिपरा, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945, तेनाली, यद्दनपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1264.

सत्यनारायणरेड्डी, गादि रेड्डि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-10-1918.
जन्मस्थान - लिंगवरम, वया गुडिवाडा, कृष्णा.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, इंदुपल्लि पोस्ट, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1408.

सत्यनारायण राव, करिचेडि, हेमाद्रि

योग्यता - रा. भा. विशारद, तेलुगु विद्वान.
जन्मतिथि - 25-3 1914.
जन्मस्थान - रायचूर, मैसूर.
स्थाई पता - बोर्ड हाईस्कूल, आलूर, कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940, कुरुगोड्डु, रायदुर्ग.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 749.
रचनायें - बाल रामायण, रंभाशापविमोचन आदि दस पुस्तकें.
विशेष - आलूर हिन्दी प्रेमी मंडली के मंत्री; उन की प्रेरणा से उस मंडली के लिये 15 हजार रुपये का एक सुन्दर भवन बनवाया गया।

सत्यनारायणाचार्युलु, नारायणम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 16-1-1932.
जन्मस्थान - शेकूर, वया तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3029
रचनायें - पत्र - पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ.

सत्यानंदराव, मागापु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-9-1905.
जन्मस्थान - पेनुमल्ल, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, सामर्लकोटा, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1926.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1293.
रचनाएँ - पंचवटी, गबन, आर्यावर्त का अनुवाद.

सत्यप्रकाशम, भाट्टप्रालु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-3-1931.
जन्मस्थान - नरसापुरम, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - टैलर हाईस्कूल, नरसापुरम, पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950.
पालगुम्मि, अमलापुरम, केसनपल्ली, मारुटेर, नडिपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3657.

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड.

जन्मतिथि - 21-12-1926.

जन्मस्थान - चंद्वरम, नेल्लूर जिला.

स्थाई पता - C/o जि. लक्ष्मीनारायण, विवेकानंद हाईस्कूल, गिद्दलूर, कर्नूल जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.

सन्यासि नायुडु, आर.

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक, इंटर.

जन्मतिथि - 1-6-1935.

जन्मस्थान - मरुपल्लि, विजयनगरम ताल्लूका, विशाख जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - गवर्नमेंट इंजनीरिंग कालेज, काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1953, विजयनगरम.

विशेष - नाटक अभिनेता.

सनत्कुमार शर्मा, देवरकोंडा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, बी. ए.

जन्मतिथि - 21-11-1924.

जन्मस्थान - गुरजा, कृष्णा जिला

स्थायी पता - जयहिन्द हाईस्कूल, मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1766.

रचनाएँ - माता-खंडकाव्य, राज्यश्री-नाटक.

सन्यासिराजु, कोरुमिल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 25-8-1929.
जन्मस्थान - दोन्तमूरु, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - C/o के. राममूर्ति, गोल्लप्रोलु, पिठापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, मुक्तेश्वरम, अमलापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. किर्लंपूडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2890.

सरलादेवी, कोत्तपल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-6-1918.
स्थायी पता - श्री लक्ष्मी नारायण सेवाश्रम, पेनमल्लूर, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बुर्रिपालेम, तेनाली ताल्लूका, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940. कोड्डूरु, दोंडपाडु, कसनूर, सीतानगरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 584.

सन्यासि राव, मेडूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-7-1920.
जन्मस्थान - चिटिवाडा, श्रीकाकुलम जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, साल्लूर, श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. पालकोंडा व मक्कुवा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3267.

सरस्वतीदेवी, यलमंचिलि

योग्यता - साहित्य विशारद, प्रचारक, मेट्रिक, तेलुगु - प्रवेशिका.
जन्मतिथि - 14-1-1924.
जन्मस्थान - पेदमद्दाली, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - विद्यावन, वया पामर्रु, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. गांधी आश्रम, (कोमरवोल)
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1725.

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - ताल्लपालेम, कोव्वूर तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, रेलंगी, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. एलूर, कोव्वली, काकरपर्रु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1949.

सरस्वती देवी, एल.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-8-1919.
जन्मस्थान - पेदपाडु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - गवर्नमेंट ट्राइनिंगस्कूल, कर्नूल.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938, एलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1445.

सांबमूर्ति, मादेटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, राष्ट्रभाषा रत्न, इंटर.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - अनकापल्ली, विशाख जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1941.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1854.
विशेष - नाटक के अभिनेता.

सांबमूर्ति, दिनवहि

सांबशिव राव, कोमरगिरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.,बि. ए.
जन्मतिथि - 12-11-1909.
जन्मस्थान - नगरम, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 809.

सांबशिव राव, लेल्ल

योग्यता रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 10-11-1904.
जन्मस्थान - जांड्रपेटा, वया चीराला, गुंटूरजिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुनिसिपल हाईस्कूल, चीराला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932.
राजोलु, पेराला.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 358.
रचनायें - चैतन्यप्रभु, गद्यरत्नमंजूषा, कलाराधनम, मृत्युंजय शतकम, कवि, शिवमहिमा.

सांबशिव राव, एन.

योग्यता - प्रवीण, प्रचारक साहित्य विशारद व एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 6-6-1917.
जन्मस्थान - गरिकपर्रु, उय्यूरु पोस्ट, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - सि. वि. आर. जि. एम. हाईस्कूल, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939.
गरिकपर्रु, पेदआवटपल्ली, गुंटूर, तेनाली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 897

सांबशिव रेड्डि, गोटिके

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, साहित्यरत्न, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 15-6-1926.
जन्मस्थान - जिल्लेल्ल, कर्नूल जिला
स्थायी पता-बोर्ड हाईस्कूल, अर्थवीडु,कंभम तालूका.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947, तिरुपति, वरंगल, पत्तिकोंड.
प्रमाणित प्रचार संख्या - 2532.
विशेष - नाटक के अभिनेता.

सिद्दन्ना, येद्दुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड, तेलुगु- विद्वान.
जन्मतिथि - 1-7-1918.
जन्मस्थान - अच्चवेल्लि, पेद्दजूट्टूर पोस्ट, पुलिवेंदुल तालूका, कडपा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, रायचोटी पोस्ट, कडपा जिला
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942 अगडूर, राजुल गुरवायपल्ले, अंकालम्मगूडूर
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 899.

सीतारामम, आकेल्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य विशारद, एम. ए.
जन्मतिथि - 15-9-1913.
जन्मस्थान - पिठापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - गवर्नमेंट आर्ट्स कालेज, राजमंद्री, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 555.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित.

सिद्दारेड्डी, गंगिरेड्डि

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1926.
जन्मस्थान - सिंहाद्रिपुरम, कडपा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, प्यापली, कर्नूल जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947, वरदायपल्लि, आल्लगड्डा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2905.

सीतारामदास, गुंडपनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण और प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-6-1928.
जन्मस्थान - वेलेरु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - वरहापुरम पोस्ट, तेनाली ताल्लुका, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4481.

सीतारामय्या, पिडिकिटि

योग्यता - प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-1-1927.
जन्मस्थान - कोय्यगूरपाडु, वया इंदुपल्लि, कृष्णा
स्थायी पता ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कनुमूरु, वया कपिलेश्वरपुरम, कृष्णा जिला
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3621.
रचनायें - पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ

सीतारामय्या, मैनेपल्लि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड, स्काउट मास्टर, ए. सि. सि. अफसर.
जन्मतिथि - 19-4-1921.
जन्मस्थान - वेल्लटूर, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - यस. आर. हाईस्कूल, चल्लपल्लि, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939 एलूर, वेल्लटूर, बेजवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1074.
रचनायें - पत्र, पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ
विशेष - अभिनेता.

सीतारामय्या, यड्लपल्लि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 4-6-1936.
जन्मस्थान - मंडेपूडि, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - प्रत्तिपाडु, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ए. सि. कालेज, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.

सीतारामय्या, सूरपनेनि

योग्यता - प्रचारक
जन्मतिथि - 1-7-1915
जन्मस्थान - कोय्यगूरपाडु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, पेनुमूर,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पेनुमूर, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935.
बल्लूरपालेम, मुस्ताबाद, इंदुपल्लि, चित्तूर, वेमंडा, पाकाला, दोंडपाडु, उंगुटूर
प्रमाणित प्रचारक संख्या 481.

सीताराम राजु, रुद्रराजु

योग्यता - रा. भा.प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-4-1928.
जन्मस्थान - पोड्डूरु, वया पालकोल, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2679.

सीतारामराव, पोतराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, इंटर.
जन्मतिथि - 1-5-1919.
जन्मस्थान - रेपल्ले, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940, मछलीपट्टणम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5015
रचनायें - पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित और रेडियो नाटकों का अनुवाद.
विशेष - 10 वर्ष नई तालीम शिक्षणालय के अध्यापक रहे। रेडियो हिन्दी नाटकों में भाग लेते हैं।
विशेष आभिरुचि - चित्रकला, कताई व बुनाई.

स्व० सीतारामांजनेय शास्त्री, रायप्रोलु

योग्यता - विद्वान, एम. ए., बि. एल.
जन्मतिथि - 1915.
जन्मस्थान - विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1937.
विशेष - 1942 व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर जेल गये.
रचनायें - गांधीजं-सोषलिज़ं, तम्मुडु, श्री.
निधन - 8-3-1951.

सुंदर राम शर्मा, कोटा

योग्यता - साहित्य रत्न, एम. ए., एम. ओ. एल.- तेलुगु., एम. ए.-संस्कृत, पालि विशारद, प्राकृत विशारद, फ्रेंच, जर्मन, फारसी, और रूसी में डिप्लोमा.
जन्मतिथि - 3-8-1916.
जन्मस्थान - मछलीपट्टणम, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - असिस्टेंट एडूयुकेशनल आफीसर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1936.
रचनाएँ -हिन्दी व तेलुगु रीडरें, प्रद्युम्नाभ्युदयम, श्रीहर्ष राज्य, बिहारी सतसई का आंध्रानुवाद, पत्र पत्रिकाओं में लेख व कविताएँ.
विशेष अभिरुचि - शिक्षा और भाषा विज्ञान.

सुदर राव, तालाबत्तुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 28-4-1928.
जन्मस्थान - चेब्रोलु, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - एम. जि. एम. हाईस्कूल, विशाखपट्टणम-4.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951. मछलीपट्टणम
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3796.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

सुन्दर रेड्डि, गुण्डू

योग्यता - साहित्य रत्न, बि. ए.
जन्मतिथि - 10-4-1919.
स्थायी पता - आन्ध्र विश्व विद्यालय, वाल्तेर, विशाख जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.
रचनायें - साहित्य और समाज, तथा पत्र पत्रिकाओं में लेख.

सुब्बय्या, गोदि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, व सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1925.
जन्मस्थान - नबीकोटा, कडपा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मुनिसिपल हाईस्कूल, कडपा
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946, चेन्नूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1413

सुब्बय्या, ताटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण. प्रचारक.
सेकंडरीग्रेड.

जन्मतिथि - 1-7-1926.

जन्मस्थान - चाकिचर्ल, वया कावली, नेल्लूर जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, गूडूर,
नेल्लूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2685.

सुब्बय्या, सूरपनेनि

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक.

जन्मतिथि - 15-10-1905.

जन्मस्थान - उंगुटूर, कृष्णा जिला.

स्थायी पता - रायनगर, गन्नवरम, कृष्णा जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाई स्कूल, पटमटा
पोस्ट, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1931.
उंगुटूरु, आत्कूर, ताडंकि, गांधी आश्रम,
गन्नवरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 402.

विशेष - नाटक के अभिनेता.

सुब्बराजु, कूनपराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सि.

जन्मतिथि - 20-8-1922.

जन्मस्थान - कोलमूर, भीमवरम तालूका,
पश्चिम गोदावरी जिला

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, शृंगवृक्षम
पश्चिम गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945.
पंडितविल्लूर, माधवरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1890.

विशेष अभिरुचि - नाटक.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, बि. ए., बि एल., संस्कृत-अभिज्ञ.
जन्मतिथि - 1-7-1928.
जन्मस्थान - मदनपल्लि, चित्तूर जिला.
स्थायी पता - 6/41 बजार वीथि ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5208.

सुब्बराजु, बुद्दराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 10-6-1902.
जन्मस्थान - पूलपल्लि, वया पालकोल, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पालकोल ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1938.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1247.

सुब्बराजु, भूपतिराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1924.
जन्मस्थान - काल्लकूरु, वया आकिवीडु, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पालकोडेर, वया भीमवरम, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. काल्लकूरु, एलूरुपाडु, पोलमूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1261.

सुब्बराजु, बी. के.

सुब्बराम शास्त्री, दुग्गिराल

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, विद्वान, सेकंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 6-7-1914.
जन्मस्थान - कोल्लूर, तेनालि तालूका, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - एस. वी. हाईस्कूल, तिरुपति, चित्तूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936, कोल्लूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 960.

सुब्बलक्ष्मम्मा, भारतुल

योग्यता - हिंदी, तेलुगु व संस्कृत का काफी परिचय.
जन्मतिथि - 20-12-1906.
जन्मस्थान - वेंकटगिरि, नेल्लूर जिला.
स्थाई पता - C/o भारतुल मार्कंडेय शर्मा, तेलुगु पंडिट, सी. एस. आर. शर्मा कालेज, ओंगोल, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ओंगोल.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1930.

सुब्बाराव, कस्तूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दी कोविद, साहित्यरत्न.
जन्मतिथि - 5-8-1914.
स्थायी पता - पी. आर. कालेज, काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935 मछलीपट्टणम, गोवाडा, बरहमपूर आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 437.

सुब्बाराव, अल्लंराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 25 -4-1903.
जन्मस्थान - चेब्रोलु, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थावी पता - आर. आर. वि. हेच. स्कूल, पिठापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1923. कोत्तपल्लि, मंतेना.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 610.
विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

सुब्बाराव, कोचर्लकोटा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, बि. ए.,
जन्मतिथि - 7-8-1925.
जन्मस्थान - कलवलपल्लि.
स्थायी पता - 24/217 पार्क वीथि, दानवाइपेटा, राजमंद्री, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - एम. हेच. हाईस्कूल, राजमंद्री,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2148.

सुब्बाराव, कोप्पिनेनि

योग्यता - कोविद.
जन्मतिथि - 12-10-1912.
जन्मस्थान - वाडवल्लि, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - विलियम वार्टन हाईस्कूल, किंग्सवे, सिकिंदराबाद.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930. तापेश्वरम, मंडपेटा, द्वारपूडि, इप्पनपाडु, रेलंगी, अत्तिलि, मुदिनेपल्लि, अमरावती,
रचनायें - हिन्दी शिक्षावली,
विशेष अभिरुचि - नाटक व संगीत.

सुब्बाराव, ताल्लूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-6-1925.
जन्मस्थान - यलमंचिलि, नरसापुरम ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पालकोल, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. भीमवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4064.

स्व. सुब्बाराव, गुत्ता

योग्यता - रा. भा. विशारद, विशेष योग्यता.
जन्मतिथि - 1929.
जन्मस्थान - दोंडपाडु, गुडिवाड ताल्लूका, कृष्णा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र- 1945. दोंडपाडु, पेदपालपर्रु.
विशेष - नाटक के अभिनेता.
निधन - 1947.

सुब्बाराव, पुल्वाड

योग्यता - साहित्य सुधाकर, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 12-3-1914.
जन्मस्थान - उय्यूर, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - दुर्गा अग्रहारम, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940. ताडिकोंडा, इप्पटम, उय्यूर.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

सुब्बाराव, पोट्लूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 15-8-1916.
जन्मस्थान - कोमरवोलु, गुडिवाड ताल्लुका, कृष्णा.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, अड्डाडा, गुडिवाडा ताल्लुका, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. तोटवल्लूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1290.

सुब्बाराव, माचवरम

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 8-4-1915.
जन्मस्थान - बद्देपूडि, कंदुकूर ताल्लुका, नेल्लूर.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, सैदापुरम, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2612.

सुब्बाराव, मिक्किलिनेनि

योग्यता - रा. भा. विशारद, हिन्दी विद्वान, प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-6-1915.
जन्मस्थान - गरिकपर्रु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, उय्यूर,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933. बंबई, वानपामुला, कोय्यगूरपाडु, ताडंकि, पेडसनगल्लु, अवनिगड्डा, चित्तूर.
रचनायें - शंकर बाल शिक्षा, शंकर बाल कथा, हिन्दी तेलुगु शब्द संग्रह.
विशेष - नाटक के अभिनेता, मजदूर पत्रिका के सहायक संपादक रहे.

सुब्बाराव, यनमंड्र

योग्यता - रा. भा. विशारद, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 27-3-1920.
जन्मस्थान - रेलंगी, तणुकु ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938. उंडि, एलूर, मोर्ता, चागल्लु, उंडाजवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1114.

सुब्बाराव, रेगिल्ला

योग्यता - रा. भा. विशारद, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती का अच्छा ज्ञान.
जन्मतिथि - 8-7-1915.
जन्मस्थान - काजुलूरु, काकिनाडा तालूका, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - बारुवारि वीथि, पिठापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1930
रचनायें - कर्नाटक संगीत शिक्षा-हिन्दी, संगीत शास्त्र दर्शन, वादन पद्धति, संगीत व्यास कृति.
विशेष - संगीत विद्वान.

सुब्बाराव, वासिरेड्डि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-7-1928.
जन्मस्थान - अन्दुकूरु, बालेमर्रु पोस्ट, सत्तेनपल्लि तालूका, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दू हाई स्कूल, सत्तेनपल्लि.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2158.
रचनायें - अभिमान दुर्योधन-तेलुगु.

सुब्बाराव, वल्लभनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, इंटर, साहित्य रत्न.
जन्मतिथि - 1931.
जन्मस्थान - उरुटूरु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - प्रजाशक्ति नगर, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गांधीजी म्युनिसिपल हाईस्कूल, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1825.
विशेष - रेडियो नाटकों में भाग लेते हैं.

सुब्बाराव, वेमूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 20-7-1927.
जन्मस्थान - कूचिपूडि, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, मदनपल्लि,
चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948,
गोविंदपल्लि, पेदपूडि, चित्तूर, कालहस्ति और पुंगनूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1649

सुब्रह्मण्यम, जि.

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 26-9-1926.
जन्मस्थान - चित्तूर.
स्थायी पता - 258/10 बजार वीथि, चित्तूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ-1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1697.

सुब्बारेड्डि, कंभम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 1-7-1928.
जन्मस्थान - राघवपुरम, कडपा जिला.
स्थायी पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, नंद्याला,
कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952, मुद्नूरु,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3986.

सुब्बारेड्डि, सी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 10-9-1926.
जन्मस्थान - हिमकुण्टला, सिंहाद्रिपुरम पोस्ट,
कड़पा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, धर्मवरम,
अनंतपुरम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1948,
उरवकोण्डा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1953.

सुब्रह्मण्यम, एम. एस.

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य विशारद,
एस. एस, एल. सी.
जन्मतिथि - 10-12-1919.
जन्मस्थान - काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - इसुकवीथि, राजमंद्री, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - विशारद विद्यालय, राजमंद्री.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935,
काकिनाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 270.
रचनायें - मांगल्य की महिमा.

सुब्रह्मण्यम, एम. 'नागु' डाक्टर.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी., हेच. एम. पी.-होमियो.
जन्मतिथि - 1-4-1926.
जन्मस्थान - उलवपाडु, नेल्लूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कोऊर, नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939.
कंदुकूरु, उलवपाडु, तिरुपति, कोइलकुंट्ला, नेल्लूर, कावली, नलगोंडा, तेनाली आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 949.
रचनायें-सुहासिनी, गर्वभंगम, चंद्रनाथ, मनकेंदुकुले, मनलो माटा, अनार्कली, शिवरानी कथलु, प्रेमचन्द कथलु, हिन्दी-कथलु, तेलुगु कथलु.

सुब्रह्मण्य शास्त्री, जनस्वामि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न, संस्कृत वैयाकरण.
जन्मतिथि - 26-3-1926.
स्थायी पता-तालूक हाईस्कूल, तेनाली, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र-7-1-184, अमीर पेटा, हैदराबाद.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1949, नेम्मिकूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2731.

सुब्रह्मण्य शास्त्री, पेंड्याल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, तथा संस्कृत व तेलुगु का अच्छा ज्ञान.
जन्मतिथि - 26-12-1926.
जन्मस्थान - लक्ष्मीनरसापुरम, पिठापुरम तालूक, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - जगन्नाथगिरि, वया द्राक्षाराम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कोमरगिरिपट्टणम, पूर्व गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947.
हसनबादा, फिरंगिपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2463.
विशेष अभिरुचि - नाटक और चित्रकला.

डा. सुब्रह्मण्य शास्त्री, वारणासि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, एल. ऐ. एम.
जन्मतिथि - 3-1-1915.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - रूरल डिस्पेन्सरी, गंडाई, वया जग्गय्यपेटा, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3660.

सुब्रह्मण्यशास्त्री, वासा

योग्यता - रा. भा. विशारद, तेलुगु विद्वान, संस्कृत शिरोमणि, बि. ओ. यल.
जन्मतिथि - 12-7-1924.
जन्मस्थान - पर्लाखिमिडि, गंजाम जिला.
स्थायी पता - ए. एम. ए. एल. कालेज, अनकापल्ली, विशाख जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. श्रीकाकुलम, नरसन्नपेटा, राजाम, कशिंकोटा, नरसापुरम.

सुब्रह्मण्याचार्युलु, पुत्तेटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 15-9-1902.
जन्मस्थान - पेदपुत्तेडु, कोवूर ताल्लुका, नेल्लूर जिला.
स्थायी पता - 110-करणाल वीथि, नेल्लूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - सेंट जोसफ गरल्स हाई स्कूल, नेल्लूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930. पेदपुत्तेडु, बुच्चिरेड्डिपालेम, सूल्लूरपेटा, कसनूरु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 261.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ, गीता में भक्तियोग, वेदों में दो बड़ी वैज्ञानिक शक्तियाँ, शिवतांडव स्तोत्र आदि ग्रंथों का तेलुगु अनुवाद.
विशेष - सामाजिक सुधार.

सुभद्रादेवी, बोधपाटि

योग्यता-विनीता (महिलाश्रम, वर्धा), हिन्दी प्रचारक, वेसिक ट्रैनिंग (सेवाग्राम), फिजिकल ट्रैनिंग - अमरावती. मध्यप्रदेश)

जन्मतिथि - 1928.

जन्मस्थान - दोंडपाडु, कृष्णा जिला.

स्थायी पता - हिंदी प्रेमी मंडली, नाजरपेटा, तेनाली गुंटूर जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. सीतानगरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5133.

सूर्यनारायण, कर्रि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 1-7-1933.

जन्मस्थान - तुम्मपाला, अनकापल्लि तालूक, विशाख जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र - हिंदी प्रेमीमंडली, अनकापल्लि

प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

सुमित्रादेवी, कृष्णावज्झल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.

जन्मतिथि - 8-9-1936.

जन्मस्थान - गिद्दलूर, कर्नूल जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्यक्षेत्र ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.

सूर्यनारायण, कोरुमिल्लि

योग्यता रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 5-12-1906.
जन्मस्थान - बरंपुरम, ओरिस्सा.
स्थायी पता - नरसिंगरावपेटा, अनकापल्लि,
विशाख जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1939.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1976.

सूर्यनारायण, पी. वी. आर.

योग्यता - भाषा प्रवीण - हिंदी व संस्कृत,
साहित्य रत्न, इंटर.
जन्मतिथि - 12-8-1924.
जन्मस्थान - तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - पोस्ट आफीस के पास, पातगुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - आंध्रा क्रिस्टियन कालेज.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944.
तेनाली, चेब्रोल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1443.

सूर्यनारायण मूर्ति, कालनाथभट्ट

योग्यता - रा. भा विशारद.
जन्मतिथि - 5-9-1901.
जन्मस्थान - पाशर्लपूडि, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - वी. बी. हैच स्कूल, कैकरम,
पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1924.
नरसापुरम, पालकोल, पेदमिरम, पांडुव्वा,
भीमवरम, पेदपाडु आदि 14 केन्द्र.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 269.

सूर्यनारायण मूर्ति, गरिमेल्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 3-7-1916.
जन्मस्थान - पाशर्लपूडि लंका, राजोल ताल्लूक,
पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पोन्नमंडा,
राजोलु ताल्लूक.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939, राजोल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 821.

सूर्यनारायण मूर्ति, चंद्रमौलि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 1-6-1926.

जन्मस्थान - पोतवरम, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, गजपतिनगरम,
विशाख जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950, कुय्येरु.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2527.

सूर्यनारायण मूर्ति, चावलि,

योग्यता - एम. ए., साहित्य रत्न, भाषा प्रवीण.

जन्मतिथि - 12-9-1921.

जन्मस्थान - वेगायम्मपेटा, पूर्वगोदावरी जिला.

स्थायी पता - अ. गे. जैन हाईस्कूल, मद्रास-1.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940.
काकिनाडा, राजमंद्री.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 637.

रचनायें - कर्मवीर, समझौता, वास्कोडी गामा, श्वेतनाग, परकीया, पतित, प्रतीकारम (नाटक), पत्र पत्रिकाओं में लेख व कहानियाँ.

विशेष - नाटकों के अभिनेता व निर्देशक,

सूर्यनारायणमूर्ति, जोश्युला

योग्यता - रा. भा. विशारद, विद्वान -
साहित्य शिरोमणि संस्कृत,
एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 14-5-1916.

जन्मस्थान - मडुगु पोलवरम, पश्चिम गोदावरी.

स्थायी पता - C/o आनंद नर्सरी, विस्साकोडेरु,
वया भीमवरम, पश्चिम गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पेनुगंचिप्रोलु,
कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943,
भीमवरम.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1962.

रचनायें - दो सखियाँ - अनुवाद.

सूर्यनारायण मूर्ति, नदवर्ति

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 3-10-1914.
जन्मस्थान-देवरपल्लि, वया ऊबलंका, पूर्व गोदावरी.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1929.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 794.
रचनायें - श्री रामलिंगेश्वर शतकम, श्री सत्यदेव माहात्म्यम और अन्य काव्य.

सूर्यनारायणमूर्ति, मेलवरपु

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 1921.
जन्मस्थान - कृष्णापालेम, येर्नगूडेम पोस्ट, कोवूर ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
रचनायें - आंध्र तुलसीरामायणम, जानकीजानि शतकम और तेलुगु व हिंदी में कई कवितायें..

सूर्यनारायणराव, टेकाले

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मराठी में अच्छा ज्ञान.
जन्मतिथि - 22-10-1935.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, धर्माजीगूडेम, पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951. एलूर, पूना.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3988.

सूर्यनारायणराजु, सागि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 20-12-1904.
जन्मस्थान - गुडिमेल्लंका, राजोल, पूरब गोदावरी.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ए. टि. डि. टि. हैस्कूल, मलिकिपुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1928. विश्वासरायपुरम, अंतर्वेदिपालेम, नगरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 352.

सूर्यप्रकाशराव, दशिका

योग्यता - रा. भा. विशारद, विशेष योग्यता व इंटर.
जन्मतिथि - 10-4-1898.
जन्मस्थान - नूजवीड, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मैनेजर, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933. नूजवीड, विनयाश्रम और जेलों में.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 404.
रचनायें - तेलुगु - लोकोत्तरुलु, कथापारिजातम, अनुवाद-गांधी विद्यार्थि जीवितमु, विनोबा सन्निधिलो.
विशेष - 1921, 30, 31, 42 के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेकर जेल गये.

सूर्यप्रकाशराव, दिनवहि

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 19-1-1919.
जन्म स्थान - एडिदा, वया मंडपेटा, पूर्व गोदावरी
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939. मडिकि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 850.

सूर्यप्रकाशराव, डी. वी.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य रत्न, आन्ध्र सारस्वत विशारद, संस्कृत विशारद, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 31-5-1925.
जन्मस्थान - कापवरम, द्राक्षाराम पोस्ट, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - सेन्ट पाल्स हाई स्कूल, फिरंगिपुरम, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943. हसनबादा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1102.

सेतु माधवराव, उन्नव

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, सेकेंडरीग्रेड.
जन्मतिथि - 15-6-1931.
जन्मस्थान - उन्नवा, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र-पट्टाभिपुरम हाईस्कूल, गुंटूर-2
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. मद्रास, यड्लपाडु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4908.
विशेष अभिरुचि - नाटक.

सोमय्या, कोडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 23-9-1932.
जन्मस्थान - पेद्दतामरापल्लि, टेक्कलि पोस्ट, श्रीकाकुलम जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950 सालूर, नौपडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3428.

सोमनाथ, अ.

योग्यता - हिन्दी प्रभाकर, शास्त्री-संस्कृत, बि. ए.
जन्मतिथि - 10-11-1918.
जन्मस्थान - शिवणी, भालकी तालूक, बीदर जिला.
स्थायी पता - तांडले बिल्डिंग, गुल्बर्गा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मंडल संगठक, उत्तर कर्नाटक, गुल्बर्गा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947. मद्रास, त्रिची, विजयवाडा, त्रिवेन्ड्रम,

सोमशेखरम, वड्लमानि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1904.
जन्मस्थान - पेरूर, अमलापुरम तालूका, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - तणुकु, पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930. खंडवल्लि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1671.
विशेष - नाटक के अभिनेता.

सोमसुन्दर राव, गणपवरपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 21-12-1918.
जन्मस्थान - तेनाली, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - दावुलूरिवारि वीथि, कोत्तपेटा, तेनाली
वर्तमान कार्य क्षेत्र - तालूका हाईस्कूल, तेनाली.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1933.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 531.
विशेष अभिरुचि - नाटक, संगीत, चित्रकला.

सौभाग्यराव, कोल्लिपर

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 29-10-1915.
जन्मस्थान - कुंदेरु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 100.

हनुमंतराव, कूचिभोट्ल

योग्यता - प्रचारक, व सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 27-7-1904.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - प्रकाशम रोड, विजयवाडा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1924. पामर्रु.

हनुमंतराव, चिल्लरिगे

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य रत्न, एस. एस. एल. सि.
जन्मतिथि - 9-4-1909.
जन्मस्थान - पोलवरम, पश्चिम गोदावरी जिला
स्थायी पता - गोविंदराजुलु बिल्डिंग्स, गंजाम वीथि, काकिनाडा, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1503

हनुमंतराव, चुंडि

योग्यता - रा. भा. विशारद व बि. ए.
जन्मतिथि - 20-5-1925.
जन्मस्थान - दाव गूड्रु, कंदुकूर ताल्लुक,
नेल्लूर जिला.
स्थायी पता - ब्रह्मविद्यानगरम, एलूर पोस्ट,
पश्चिम गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1942,
दावगूड्रर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2157.

हनुमंतराव, मुक्तिमूतलपाटि

योग्यता - साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 14-5-1905.
जन्मस्थान - मुक्तिनूतलपाडु, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - नरसराव पेटा, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1924,
पुसुल्लूरु, खाजीपालेम, काकुमानु, कोंडपाटूर,
मुट्लूर आदि.
रचनायें - हिन्दी तेलुगु बाल बोधिनी, हिन्दुस्तानी
शिक्षक, हिन्दी शिक्षक.

हनुमंतराव, पोट्लूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद तथा प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-12-1916.
जन्मस्थान चिनपालपर्रु, गुडिवाडा ताल्लुक,
कृष्णा जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, कपिलेश्वरपुरम,
कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933.
कोमरवोलु, रिम्मनपूडि, मुदिनेपल्लि, उरुटूरु,
गोगुलंपाडु, गुडिवाडा, यलमर्रु आदि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 263.

हनुमंतराव, शोण्ठि

योग्यता - रा. भा. विशारद व सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 15-8-1908.
जन्मस्थान - दंगेरु, द्राक्षाराम पोस्ट, पूर्व गोदावरी.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1931.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2497.

हनुमच्छास्त्री, अयाचित

योग्यता - एम. ए. त्रितय, साहित्य रत्न.
जन्मतिथि - 18-3-1919.
जन्मस्थान - लंकपल्लि, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - श्री वेंकटेश्वर विश्व विद्यालय,
तिरुपति, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का केन्द्र - वालतेर.
रचनायें - तेलुगु और उसका साहित्य - हिन्दी,
हिन्दी साहित्यमु - तेलुगु.

हनुमच्छास्त्री, मंडा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-7-1916.
जन्मस्थान - गुडिपूडि अग्रहारम, बापट्ला ताल्लूक,
गुंटूर जिला.
स्थायी पता - हिन्दूकालेज हाईस्कूल, गुंटूर.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940.
वेमूरु, दोप्पलपूडि, कृष्णमशेट्टिपल्ले व तेनाली
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 601.

हनुमय्या, अंबडिपूडि

योग्यता- भारतीय हिन्दी पारंगत व हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 3-12-1923.
जन्मस्थान - चोडवरम, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - रेल्वे बायस प्राइमरी स्कूल,
खाजीपेटा, सेंट्रल रेल्वे.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943.
कुंकलमर्ति, पेदनंदिपाडु, माचर्ल.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1407.

हनुमायम्मा, कूचिमंचि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 21-10-1928.
जन्मस्थान - ताडेपल्लिगूडेम, पश्चिम गोदावरी.
स्थायी पता - गवर्नमेंट हाईस्कूल, अंगलूर,
कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948.
नेल्लूर, प्रोद्दुटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2283.

हरिनारायण, सूर्यदेवर

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मस्थान - चिंतलपाडु, नंदिगाम तालूक, कृष्णा.
स्थायी पता - ,, .
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, चिंतलपाडु.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946, कन्नेवीडु व विद्यावनम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1860.

हरि पुरुषोत्तम, सूरपनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 7-8-1910.
जन्मस्थान - उंगुटूर, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पेदपाडु, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936, उंगुटूरु, कोय्यगूरपाडु, कुंदेरु, वेमण्डा, चिंतलपूडि और कोव्वूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 605.

हरि हर शर्मा

योग्यता - साहित्य विशारद, मराठी, गुजराती, बंगाली व मलयालम आदि का सामान्य ज्ञान.
जन्मतिथि - 5-2-1890.
जन्मस्थान - कृष्णा पुरम, कडमनल्लूर पोस्ट, तिरुनल्वेलि जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1919 से 1936 तक दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री रहे. 1937 से राष्ट्र भाषा प्रचार समिति - वर्धा के निर्माण में विशेष काम किया और 1937 से 1940 तक इसके प्रकाशन, परीक्षा आदि विभागों की सुव्यवस्था में विशेष भाग लिया.
रचनायें-हिन्दी तमिल व हिन्दी अंग्रेजी स्वबोधिनी, और कई प्रारंभिक पाठ्य-पुस्तकें.
विशेष अभिरुचि - संगीत व नाटक.

हृषीकेश शर्मा

योग्यता - हिन्दी के प्रकाण्ड पण्डित.
जन्मथिति - 14-2-1891.
स्थायी पता - कांग्रेस नगर, धंतोली, नागपूर, बंबयी प्रान्त.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मंत्री, मध्य प्रदेश राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति,नागपूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1918.
विशेष - संपादक - हिन्दी प्रचारक, (हिन्दी प्रचार समाचार) हंस, (प्रेमचन्द जी का) और राष्ट्र भारती.

हेमलतादेवी, विज्ञपु

योग्यता - रा. भा. विशारद, उभय भाषा प्रवीण, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 1915.

जन्मस्थान - राजमंद्री, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थायी पता - लता बिल्डिंग इन्नीसपेटा, राजमंद्री.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - वीरेशलिंगम हाईस्कूल, राजमंद्री.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1935.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 702.

प्रचारकों का परिचय

(परिशिष्ट)

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 9-11-1927.
जन्मस्थान - चोडवरम, रामचंद्रपुरम ताल्लुका, पूरब गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हार्डिंजि बोर्ड हाईस्कूल, आलमूर, पू. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2676.

अंजनादेवी, मेडूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 5-10-1935.
जन्मस्थान - कोलकलूर, तेनाली ताल्लुका, गुंटूर.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1955 बापट्ला
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5215.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

अच्युतराव, वड्डिराजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-12-1915.
जन्मस्थान - अनकापल्लि, विशाख जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र-मुनिसिपल हाईस्कूल, अनकापल्लि.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938 कंचि, विजयनगरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 474.

अच्युतरामय्या, अनपर्ति

अनंताचार्य, देवल्ल

योग्यता - शास्त्राचार्य-संस्कृत. काशी विश्वविद्यालय शास्त्री, विद्वान.हिन्दी. कन्नड, मराठी, उर्दू का अच्छा परिचय.
जन्मतिथि - 14-10-1921.
जन्मस्थान - बेमगल, आरमूर तालूका, निज़ामाबाद जिला.
स्थायी पता - संस्कृत अकाडमी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य व केन्द्र - वरंगल, नलगोंडा, करीमनगर, निज़ामाबाद, कोडवटिकल्लु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1958
विशेष अभिरुचि - अनुसंधान कार्य.

अन्नपूर्णादेवी, अल्लूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, भारतीय हिन्दी पारंगत.
जन्मतिथि - 13-8-1926.
जन्मस्थान - अत्तिलि, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, आकिवीडु, भीमवरम तालूका, प. गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2345.

अन्नपूर्णा, कोसनम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 26-1-1940.
जन्मस्थान - पेडन, बंदर तालूका, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - C/o कोसनम त्रिपुरांतकम, पेडना.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - पेडना.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5483.

अन्नपूर्णादेवी, रामचंद्रुनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.

जन्मस्थान - कविटम, प. गोदावरी जिला.

स्थायी पता - हिंदी अध्यापिका, मुनिसिपल गर्ल्स हाईस्कूल, पालकोल, प. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1938.

भीमवरम, कडपा, विजयनगरम, राजमहेंद्री.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2819.

अप्पाराव,

परिचय - पृष्ठ देखें 5

अप्पाराय वर्मा, तोटकूर

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.

जन्मतिथि - 4-6-1928.

जन्मस्थान - बाहुबलेन्दुरुनिगूडेम, गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, नडिगूडेम, वया-जग्गय्यपेटा, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947

विजयवाडा, गन्नवरम, वीरवल्ली.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2339.

अप्पाराव, नोमुल

जन्मस्थान - काकिनाडा.

वे तुलसी रामायण बाँचने में निपुण थे। कई शहरों व ग्रामों में तुलसी रामायण बाँचकर उसकी खूबियाँ बताकर हिन्दी के प्रति जनता के मन को आकर्षित किया और तद्वारा हिन्दी प्रचार कार्य में विशेष योग दिया।

निधन - 1954.

अब्दुल वहाब

योग्यता - रा. भा. प्रवीण. प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1927.
जन्मस्थान - पुरुषोत्तपट्टणम वया चिलकलूरिपेटा,
गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, पेदारिकट्ला,
पोदिलि ताल्लुका, नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951.
चिलकलूरिपेटा,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4687.

म, एलेश्वरपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक,
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1918.
जन्मस्थान - वेल्लटूर, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - हिन्दू कालेज हाईस्कूल, मछलीपटम,
कृष्णा जिला
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945,
सिकन्दराबाद, नागायलंका, चेरुकुपल्लि,
चीराला, गुंटूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1129.

आंजनेयशर्मा, कों

योग्यता - हिन्दी व संस्कृत का अच्छा परिचय.
जन्मतिथि - 1903.
जन्मस्थान - अनंतवरम, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - नाजर पेटा, तेनाली, गुंटूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1923.
विशेष - 1921 के आंदोलन में जेल गये.

उदयभास्करम,
परिचय - देखें पृष्ठ संख्या 9

उमामहेश्वरराव, कोडालि
परिचय - देखें पृष्ठ संख्या 10

एतिराजुलु, ए. जि.

योग्यता - रा. भा॰ प्रवीण, प्रचारक, भारतीय हिन्दी पारंगत.
जन्मतिथि - 4-8-1935.
जन्मस्थान-गुडियात्तम, 20 कालियम्मन कोइलवीथि, उत्तर आर्काट जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - स्वामी मिडिलस्कूल, श्रीरामपुरम, पुत्तूर ताल्लुका, चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1954. गुडियात्तम, आरणि.
रचनाएँ - पत्र पत्रिकाओं में लेख.

ओबुलरेड्डि, कत्ति

योग्यता- भाषा प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 13-9-1932.
जन्मस्थान - नागिरेड्डिपल्लि.
स्थायी पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, ताडिपत्रि, अनंतपुरम जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5132.

कमलाकुमारी, चर्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 17-10-1935.
जन्मस्थान - निडदवोलु, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - कस्तूरिबाई महिला समाज, निडदवोलु.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5382.
विशेष अभिरुचि - संगीत.

करुणाकरन, ई.

योग्यता - विद्वान, रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 12-5-1912.
जन्मस्थान - काक्करशेरी.
स्थायी पता - अरिंपूर, त्रिचूर, टी. सी. स्टेट.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - तिरुविल्वामला, टी. सी. स्टेट.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1948.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2019.

काशी विश्वेश्वर प्रसादराव, सुप्पन

परिचय - देखें पृष्ट 13.

कृष्णमूर्ति, कलग

परिचय - देखें पृष्ट 15.

कृष्णमाचारी, कोमांडूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 25-7-1923.

जन्मस्थान - बूरुगुपल्ली, दोड्डिपट्ल पोस्ट, प. गोदावरी जिला.

स्थायी पता - मिषन हाईस्कूल, नरसापूर, प. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4070.

कृष्णसामी, आर.

जन्मतिथि - 15-7-1921.

जन्मस्थान - काशी पालयम वया दिंडिगल.

स्तायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, वेडसंदूर, मधुरा जिला.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4113.

कृष्णाराव, चलसानि

योग्यता - रा. भा. विशारद, कोविद.
जन्मतिथि - 1914.
जन्मस्थान - शेरी कलवपूडि, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937,
नंद्याला, आल्लगड्ड, सिरुवेल्ल, गांधी आश्रम, विद्यावन.

कृष्णाराव, पोडूरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण.
जन्मतिथि - 17 7-1928.
जन्मस्थान - पोडूरु, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - C/o पि. वि. नारायण राव, स्टेट ब्यांक आफ इंडिया, विजयवाडा, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - हाईस्कूल, जडचर्ला, महबूब नगर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947.
संगम जागर्लमूडि, आचंटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1829.

कृष्णारेड्डी, वन्नाल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 10-1-1934.
जन्मस्थान - गणपवरम्, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3541

केशवराव, टि. बी

योग्यता - रा. भा. विशारद व प्रचारक.
जन्मतिथि - 21-10 1906.
जन्मस्थान - तुरुवनूर, चित्रदुर्ग जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र- बल्लारि, पूर्व कर्नाटक संगठक.
प्रचार कार्य का कारंभ व केन्द्र - 1926,
दावणगेरे, मोल्कालमरु, हर्पनहल्ली.
रचनायें - गोरक्ष कल्पतरु, अहिंसा, कस्तूर्बा, इस्लामी गोरक्षा आदि 12 पुस्तकें, (कन्नड में) संपादक, कर्नाटक केसरी और नवभारत पत्रिकायें
विशेष - जिला हरिजन सेवक संघ, मंत्री.

कोटमराजु, चिट्टाजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी., भाषा प्रवीण.
जन्मतिथि - 10-6-1923.
जन्मस्थान - पल्लेकोन, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - गूडूर पोस्ट, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - कानुमोलु, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1943, गूडूर, मछलीपट्टणम, मैलवरम, मुदिनेपल्लि, राजमंद्री.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5096.

गुन्नेश्वरराव, कंचिनाधम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 1-7-1914.
जन्मस्थान - गुन्नेपल्ली, अमलापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी.
स्थायी पता - मेर्लास बोर्ड हाईस्कूल, वेलंगी, पूर्व गोदावरी.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. रामचंद्रपुरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3133

गुरप्पा, यम. यल.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 4-6-1927.
जन्मस्थान - मान्चिनायकनपल्ली, होसूर ताल्लूका, सेलम जिला.
स्थायी पता - कार वीथि ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र गांड्लपेंट, कदिरि ताल्लूका. अनंतपुरम ज़िला.
प्रचार केन्द्र - होसूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4825.

गुरुमूर्ति दीक्षितुलु, वारणासि

योग्यता - साहित्य सुधाकर, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 15-7-1922
जन्मस्थान - पेदकापुवरम, भीमवरम ताल्लूका, प. गोदावरी जिला.
स्थायी पता - मुनिसिपल आफीस रोड, विजयवाडा.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1933, पांदुव्वा, उप्पुलूर, व अर्थवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1415.
रचनायें - पाठ्य पुस्तकें.

स्व० गोपालकृष्णय्या, स्थानम

योग्यता - विशारद व शास्त्री.

जन्मस्थान - गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1924.
पामर्रु, विजयवाडा.

निधन - 1940.

गोपालकृष्णशर्मा, मल्लादि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य रत्न.

जन्मस्थान - नंड्रूरु, गुंटूर जिला.

स्थायी पता - कोनसीमा, भानोजी रामर्स कालेज, अमलापुरम.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1947.
तेनाली, गुंटूर, तेलंगाना.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2137.

गोपालकृष्णन, सि. जि.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1931.

केरल के संगठक - कालिकट, टि. सि. स्टेट.

गोवर्धनराव, अन्नम

योग्यता - साहित्य विशारद, साहित्य सुधाकर, तेलुगु प्रवेशिका.

जन्मतिथि - 1917.

जन्मस्थान - दग्गुपाडु, गुंटूर जिला.

स्थायी पता - 1 वार्ड, बापट्ला, गुंटूर जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - किंडरगार्टन स्कूल, चिलकलूरिपेटा, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936.
चिंतपल्लिपाडु, इड्डुपुल्पाडु, जम्मुलपालेम, नागंड्ला, कोंडपाटूरु, मंड्रूर, बापट्ल.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1101.

गोविंदरेड्डि, यन.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण प्रचारक.
एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1930.
स्थायी पता - मुनिसिपल हाईस्कूल, कडपा.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951.
चित्तूर, बोम्मसमुद्रम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5143.

गौरीपार्वतम्मा देवी, चिर्रावूरि

परिचय - देखें पृष्ठ - 21.

चंद्रय्या, चाव

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 29-7-1910.
जन्मस्थान - वीरुलपाडु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - पटमचेरु, मेडक जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1935.
वीरुलपाडु.

चन्द्रमौली

तमिलनाडु के प्रमुख हिन्दी प्रचारक। तिरुच्चिरापल्ली के प्रचारक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। अब तमिलनाडु के एक संगठक हैं।

चक्रवर्ति, एन.

योग्यता-रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, संस्कृत शिरोमणि.
जन्मतिथि - 24-11 1924.
जन्मस्थान - नाविलपाक्कम, वया कांचीपुरम-1.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, पोलूर-उत्तर आर्काट
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1948, उप्परपल्ली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3584.

चिदंबर दीक्षितुलु, मुरुगुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 22-7-1931.
जन्मस्थान - ऐलवरम, रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, मुत्तुकूर,
नेल्लूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952,
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4467.

चिन्नप्परेड्डी, तिप्पुगारि

योग्यता - हिन्दी विद्वान, रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1 7-1935.
जन्मस्थान - गुल्लदुर्ति, कोइलकुंट्ल तालूका,
स्थाई पता - बी. एम. स्कूल, उय्यालवाडा,
वया कोइलकुंट्ल, कर्नूल जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1956.

चिन्नय्या, बोगा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1937.
स्थायी पता - मंटपंपल्ली, कडपा जिला.

चिन्नस्वामि नायुडु, गालि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 1-7-1917.
स्थायी पता - राजाजी वेंगनपल्ले, मुरुकंबट पोस्ट,
चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड मल्टिपरपस स्कूल,
चित्तूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946.
पुत्तूर, बोम्मसमुद्रम, कार्वेटिनगर, तिरुपति.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2072.

जोजिरेड्डि, येद्दुल
परिचय - देखें पृष्ठ - 26.

ज्वाला नरसिंहम, पी.
परिचय - देखें पृष्ठ - 26.

तंगप्पन, ई.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 24-12-1917.
जन्मस्थान - नागरकोविल, ट्रावंकोर.
स्थायीपता - 35-वेस्ट स्ट्रीट, सि. यन. कालेज, तिरुनल्वेली.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939. कारैकुडि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 390.

तायारम्मा, वी. वी. यस.
परिचय - देखें पृष्ठ 27.

तम्मिराजु, दुंड्डु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 4-1-1929.
जन्मस्थान - नेलपोगुल, भीमवरम ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - जग्गम पेटा, पेद्दापुरम ताल्लुक, पूर्व गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1955.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3271

तिरुपतिराव, कोलुकुल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1929.
जन्मस्थान - नरसरावपेटा, गुंटूर जिला.
स्थायी पता-C/o कंचर्ल पूर्णचन्द्रराव, नरसरावपेटा,
वर्तमान कार्य क्षेत्र-ए. यल.सि. एम. मिडिल स्कूल. नायुडुपेटा, नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्यका आरंभ व केन्द्र-1950.नरसरावपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3277.

तिरुमलय्या, गोदा

योग्यता -रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 10-4-1936.
जन्मस्थान - एलूर, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - C/o के. राजगोपालस्वामी, मोपिदेवी, कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1955, विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5296

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 31-8-1930.
जन्मस्थान-मुष्टिकुंट्ल, तिरुवूर ताल्लुका, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कोत्तगूडेम, खम्मम्मेट जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. गंपलगूडेम, मुष्टिकुंट्ला
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1408

दशरथरामय्या, यड्लपल्लि

त्रिपुरवाणी, कोवि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 8-10-1928.
जन्मस्थान - चेट्लवरम, नंदिगामा ताल्लुका, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, ईडुपुगल्लु, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952, ताडंकि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3917

दुर्गाप्रसादराव, शलाक

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 12-2-1929.
जन्मस्थान - ईडुपुगल्लु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - गवर्नमेंट गरल्स सेकंडरी अंड ट्राइनिंग स्कूल, नरसापुरम, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. श्रीकाकुलम, मछलीपट्टणम.

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य विशारद व इंटर.
जन्मतिथि - 22-7-1924.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, कंचिकचर्ल, कृष्णा
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1946. ऐनपूर, श्रीकाकुलम, पामरु, अ.कुनूर, नंदिगामा, मेढ्रुरु, देवरापल्ली.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1406

देशप्पन, पी. वी.

दुर्गाप्रसूनांबा, विपुरनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्य रत्न इंटर.
जन्मतिथि - 26-9 1929.
जन्मस्थान - गुरवराजपेटा, उत्तर आर्काट,
स्थायी पता-अत्तिमन्जरीपेटा, वया पल्लिपट, चित्तूर.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, कार्वेटिनगर. चित्तूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. अत्तिमंजरीपेटा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2955.

नरसिंहमूर्ति, राचकोंड

योग्यता - साहित्य रत्न, कोविद, तेलुगु विद्वान.

जन्मस्थान - मोसलपल्ली, अमलापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थायी पता-आंध्र जातीय कलाशाला, मछलीपट्टणम

वर्तमान कार्य क्षेत्र - „ „

प्रचार कार्य का आरंभ - 1937. ताडेपल्लिगूडेम, नेल्लूर, कावली, गुंटूर आगिरिपल्ली, विनयाश्रम, श्रीकाकुलम, गुणदल, उय्यूर, भीमवरम, पटमटा.

रचनायें - जागृति - आर्हतम, भरत नाट्यम, तटके बंधन, चित्रनलीय और फुटकर कवितायें.

नाणप्पा, सि. आर.

संगठक - दक्षिण केरल मंडल, कोषिकोड.

नागेश्वरशर्मा, निम्मगड्ड

योग्यता - हिन्दी भूषण, मेट्रिक.

जन्मस्थान - गोडवर्रु, कृष्णा जिला.

स्थायी पता - वरलक्ष्मीपुरम, लब्बीपेटा, विजयवाडा.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1955.

पद्मनाभन

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके पुस्तक - बिक्री - विभाग के व्यवस्थापक हैं.

पुल्लाराव, गुडिवाडा

योग्यता - बी. ए.
जन्मतिथि - 28-3-1912.
जन्मस्थान - पात गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1953 में गुंटूर में संपन्न आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा की स्वागत समिति के प्रधान मंत्री रहे, गुंटूर नगर प्रेमीमंडल के अध्यक्ष हैं.
विशेष - कई सार्वजनिक तथा शिक्षा - संस्थाओं में भाग लेते हैं, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की का. का. समिति के सदस्य हैं.

पेरंजु पंतुलु, नंदिगामा

योग्यता - रा. भा. विशारद, एस. एस. एल. सी.
जन्मतिथि - 2-11-1931.
जन्मस्थान - गोपालपल्ली, वया विजयनगरम, विशाख जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - टेलिफोन आपरेटर, अनकापल्ली, विशाख जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केंद्र - 1954. विजयनगरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4496.

बसव पुन्नय्या, य. अ. ना.

जन्मतिथि - 1921
जन्मस्थान - मंडूर, तेनालि ताल्लूका, गुंटूर जिला.
स्थाई पता - ,, ,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, दुग्गिराला, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1942.

मधुसूदनराव, कंचर्ल

योग्यता - साहित्य विशारद.
जन्मतिथि - 1936.
जन्मस्थान - कोलवेन्नु, विजयवाडा ताल्लूका, कृष्णा
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

मनोरमादेवी सूरपनेनि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, इंटर.
जन्मतिथि - 20 12-1920.
जन्मस्थान - चिलुमूर. गुंटूर जिला.
स्थायी पता - राजेंद्र नगर, गुडिवाडा, कृष्णा
वर्तमान कार्य क्षेत्र - मुनिसिपल गरल्स हाईस्कूल, गुडिवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1945. तेलप्रोलु.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2666.
रचनाएँ - पत्र-पत्रिकाओं में लेख.
विशेष - महिला संस्थाओं में दिलचस्पी.

महालिंगम, यस.

परिचय - देखें पृष्ठ - 57.

राघवाचारि, कनुरोजु

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रवेशिका-तेलुगु.

जन्मतिथि - 26 1 1933.

जन्मस्थान - कोणतमात्मकूरु, कृष्णा जिला.

स्थायीपता - गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, कंदुकूरु, खम्मंम्मेट

प्रचार कार्यका आरंभ व केन्द्र - 1953. नारायणपुरम

विशेष अभिरुचि - चित्र कला.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4504.

रंगय्या, बेलमकोंडा

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक

जन्मतिथि - 3-3-1930.

जन्मस्थान - तुरिमेल्ल, कंभम ताल्लूका, कर्नूल.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, यर्रगोंडपालेम, मार्कापुरम ताल्लूका, कर्नूल जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951. तुरिमेल्ल, तुम्मली.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3653.

स्व. राघवय्या, तुम्मल

योग्यता - रा. भा. विशारद, प्रचारक.

जन्मस्थान - कावूर.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1936. कावूर, पूनूर.

निधन - 1946.

राजाराव, दोनेपूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, साहित्यरत्न, बी. ए.

जन्मतिथि - 15-10-1925.

जन्मस्थान - कोय्यगूरपाडु, गन्नवरम ताल्लूका, कृष्णा जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दी प्राध्यापक. वि. यस. आर. कालेज, तेनाली.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. गारपाडु, विजयवाडा.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1259.

रचनायें - काव्य सुधा और पाठ्य पुस्तकें. मासिक पत्र शिक्षक का संपादन किया.

राधाकृष्णमूर्ति,

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, पारंगत

स्थायी पता - C/o चुंडूरि पुन्नय्या, गांधी चौक, तेनाली, गुंटूर जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ - 1951.

रामकृष्णमूर्ति, नेति

जन्मतिथि - 23-8-1925.

जन्मस्थान - कोणिकि एलूर ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला.

स्थायी पता - आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा-2.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951. पेदपाडु, गुडिवाडा.

रामकृष्णाराव चौदरी, मागंटि

योग्यता - प्रचारक, इंटर.

जन्मतिथि - 8-8-1922.

जन्मस्थान - सोमवरप्पाडु, एलूर ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, देंदुलूर, पश्चिम गोदावरी जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1948. ओलेर, गुंटूर जिला.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1968.

रामकोटेश्वरराव, पिडिकिटि

योग्यता - साहित्य विशारद, बि. यस. सि.
जन्मतिथि - 10 2 1934.
जन्मस्थान - पुनादिपाडु, बेजवाडा तालूका,
स्थायी पता -
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,,

रामचंद्रराव, चावली

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 28-2-1926.
जन्मस्थान- कनगाला, रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला,
स्थायी पता - ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, उदयगिरि, नेल्लूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1950.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3373.
रचनायें - चिन्नारि चिट्टुलु, समता बाल गेयालु, समता गेय कथलु, (अनुवाद) मंगलसूत्र, प्रेमचंद कथलु, रंगभूमि, कुरुक्षेत्र.

रामभूर्ति 'रेणु', वारणासि

योग्यता - एम. ए.
जन्मतिथि - 10-4-1917.
जन्मस्थान - बल्लूर, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हिन्दी प्रोड्यूसर, आलिंडिया रेडियो, हैदराबाद.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1937. गुंटूर-हिन्दू कालेज में प्राध्यापक.
रचनायें- विहगगीत, आन्ध्र देश के कबीर-वेमना, आदान-प्रदान, गोस्वामी तुलसीदास-निबंध, मध्यप्रदेश सरकार के आदेशानुसार आन्ध्र भागवत से गजेंद्र मोक्ष का अनुवाद.

रामानंद शर्मा

जन्मस्थान- पुनास, दर्भंगा जिला, बिहार.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1920. गुंटूर. राजमंद्री, विजयवाडा, चेब्रोलु, विद्याचनम, तेनाली, गांधी आश्रम, कोमरवोलु, बैंगलूर, कोयंबत्तूर. मदरास आदि.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के मातहत काम कर रहे हैं.
विशेष - दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के साहित्य प्रकाशन कार्य में योगदान.

चयनिका, प्राचीन पद्य संग्रह, भारतीय हिंदी कोश आदि का संपादन.
सन् 1947 में मद्रास सरकार द्वारा संचालित 'दक्खिनी हिंद' मासिक पत्र का संपादन.
रचनायें- पुनर्मिलन तथा अन्य साहित्यिक लेख, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित.

रोशय्या, रामिशेट्टि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1927.
जन्मस्थान - गुज्जूर, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - गवर्नमेंट हाईस्कूल, मधिरा, खम्मम्मेट जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1947.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2281

रामुलु, रायनि

योग्यता - हिंदी और गुजराती के ज्ञाता.
जन्मतिथि - 10-6-1907.
जन्मस्थान - विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1940.
विशेष - विजयवाडा हिन्दी प्रेमी मंडली के मंत्री व उपाध्यक्ष आदि की हैसियत से हिन्दी प्रचार कार्य में बडी सहायता करते हैं. कई बरसों से आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की का. का. समिति के सदस्य हैं. इनके प्रोत्साहन से 1946 में संपन्न हिंदी महा सभाओं के चल-चित्र तैयार किये गये.

ललिताकुमारी, अन्ने

योग्यता - बी. ए. रा. भा. रत्न• कोविद.
जन्मतिथि - 12-2-1937.
जन्मस्थान - कोळवेन्नु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,

लक्ष्मीदेवी, ईरंकि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 18-9-1933.
जन्मस्थान - गुडिपूडि, गुंटूर जिला.
स्थायी पता- C/o रायन 2- टि. सिंगारमुदली वीथि, टि. नगर, मद्रास - 17.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - सेंट बीड्स हाईस्कूल, शांथोम, मदरास - 4.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1952.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3353.
विशेष अभिरुचि - संगीत व साहित्य.

स्व. लक्ष्मीनरसिंहम, वड्लमानि

योग्यता - प्रचारक.

कई बरस तक वे एलूर के गांधी जातीय महाविद्यालय के हिन्दी अध्यापक थे। 1932 व 1942 के स्वतंत्रता के आंदोलन में सत्याग्रह करके जेल गये और जेल में भी हिन्दी प्रचार किया।

निधन - 1944

लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति,

योग्यता - प्रचारक, विद्वान और एम. ए.
जन्मतिथि - 16-11-1908.
जन्मस्थान - कोमानपल्लि, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थाई पता - ठाने लंका अमलापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र-प्राध्यापक, उस्मानिया कालेज, कर्नूल.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932. राजमंद्री, नंदिगाम, मद्रास व भीमवरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 703.
रचनाएँ - भारत वीर कहानियाँ
दक्खिनी हिन्द के सहायक संपादक रहे.

लाजपति, पिंगल

योग्यता - प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-8-1907.
जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.
स्थाई पता - ललितापेटा, मुत्यालंपाडु, विजयवाडा 2. कृष्णा जिला.
वर्तमान कार्यक्षेत्र - मुनिसिपल रेविन्यू आफीसर - विजयवाडा.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1921.
रचनायें - रामदास - हिन्दी में खंड काव्य, सुमतीशतक का हिन्दी अनुवाद, मीराबाई-पद्य काव्य.

लिंगमूर्ति, सिद्धांतपु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 7-8-1928.
जन्मस्थान - तिम्मापुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, वीरघट्टाम, श्रीकाकुलम जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. गर्भाम व कोटबोम्मालि.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3721.

लालमणि, यम.

योग्यता - रा. भा. विशारद.
जन्मतिथि - 7-9-1903.
जन्मस्थान - औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला.
स्थायी पता - सार्वजनिक हिंदी पाठशाला, 18 ताडबन, सिकिंदराबाद.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1941.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5587.
विशेष अभिरुचि - नाटक व चित्रकला.

वरद राजन, आसूरु

योग्यता- रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, न्याय शिरोमणि व मेट्रिक.
जन्मतिथि - 9 11-1928.
स्थायी पता - S/o पार्थ सारथि अय्यंगार, वि. यम. रायलचेरुवु, कुप्पमबादूर पोस्ट, वया तिरुपति, चित्तूर जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, चित्तूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. तिरुपति.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2903.
विशेष - ए. सि.-जि. ट्राइनिंग

वेंकट गोविंदयाचार्युलु, राबूरि

योग्यता - भाषा प्रवीण, एस. एस. एल. सी.

जन्मतिथि - 19-9-1916.

स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, कोव्वूर, पश्चिम गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. समिश्रगूडेम व निडदवोलु.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 2623

विशेष अभिरुचि - चित्रकला.

वेंकट नरसिंहम, पंचाग्नुल

परिचय - देखें पृष्ठ 97.

वेंकटरंग प्रसादराव, पुप्पाल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.

जन्मतिथि - 1924.

जन्मस्थान - बाडिंलका, पूर्व गोदावरी जिला.

स्थायी पता - वानपल्लि, कोत्तपेटा तालूका. पूर्व गोदावरी जिला,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. बाडिंलका.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3364.

वेंकट रंगाराव

योग्यता - भूषण व इंटर.

जन्मतिथि - 2-10-1929.

जन्मस्थान - वेलिकट्टा, वया शादनगर, महबूबनगर जिला.

स्थायी पता - ,, ,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - हैस्कूल, शादनगर.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.

विशेष अभिरुचि - कविता, नाटक.

वेंकटरामराजु, दाट्ल

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्य सुधाकर, एस. एस. एल. सी. टैपरैटिंग हायर-अंग्रेजी.

जन्मतिथि - 24 4 1934.

ज मस्थान - विजयवाडा.

स्थायी पता - सत्यनारायणपुरम. विजयवाडा-2.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5479.

वेंकटरामराजु, लकमराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.

जन्मतिथि - 23-6-1927.

जन्मस्थान - विजयवाडा, कृष्णा जिला.

स्थायी पता - सत्यनारायणपुरम, विजयवाडा-2

वर्तमान कार्य क्षेत्र- सि. वि. आर. जि. एम. हेच. स्कूल, , विजयवाडा-2.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.

रचना - बंधन व वीरवनिता के तेलुगु में अनुवाद.

स्व. वेंकट सीतारामांजनेयुलु, मल्लादि

योग्यता - साहित्य विशारद व प्रचारक.

जन्मस्थान - मछलीपट्टणम.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र-1920 मछलीपट्टणम.

निधन - 1956.

स्व. वेंकट सुब्बाराव, पंगुलूरि

योग्यता - विशेष योग्यता, साहित्य विशारद, सफल वैद्य और ज्योतिषी, मंत्र शास्त्र प्रवीण.

जन्मतिथि - 1912.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1938. नंद्याला, नारायणवरम.

निधन - 1942.

स्व. वकट सुब्बाराव, पीसपाटि

योग्यता - साहित्य विशारद, सेकंडरी ग्रेड.

जन्मतिथि - 1894.

जन्मस्थान - कंतेरु, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1920. गुंटूर, तुल्लूर, सीतानगरम, मदरास, विजयवाडा. 1936 से 41 तक आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के मंत्री रहे.

निधन - 22-3-1941.

स्व. वेंकटसुब्रह्मण्य कृष्णाराव, सब्नवीस

योग्यता - प्रचारक, बी. ए.

जन्मस्थान - पार्णगिपल्ली, पूर्व गोदावरी जिला.

विशेष - असहयोग आंदोलन में भाग लिया. पूर्व गोदावरी जिले के कई केन्द्रों में हिन्दी प्रचार किया.

स्व. वेंकटाचलम, चिरांवूरि

योग्यता - रा. भा. विशारद.

जन्मतिथि - 7-7-1890.

जन्मस्थान - कैकलूर, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्यका आरंभ व केन्द्र - 1932. कैकलूर, गुरजा.

निधन - 1952.

वेंकटाचल शर्मा, पी.

योग्यता - रा. भा. विशारद, साहित्यालंकार.

जन्मतिथि - 1911.

जन्मस्थान - होसूर, गोरीबिदनूर ताल्लूका, कोलार जिला.

स्थायी पता - ,, ,,

वर्तमान कार्य क्षेत्र - संपादकीय विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1930.
मैसूर, बंगलोर, हासन, तुमकूर, दोड्डबल्लापूर, अनंतपूर, मद्रास, धारवार आदि.

प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3

रचनाएँ - द. भा. हिन्दी प्रचार सभा के साहित्य विभाग के व्यवस्थापक की हैसियत से प्रारंभिक तथा उच्च श्रेणियों के लिए उपयुक्त साहित्य का संपादन, संकलन, कोषों का तथा पत्रिकाओं का संपादन, मौलिक लेखन आदि.

विशेष अभिरुचि - साहित्य का अभ्यास.

वेंकटेश्वर राव, काटूरि

आंध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के साहित्य विभाग के अध्यक्ष.

जन्मतिथि - 15-10-1895.
जन्मस्थान - काटूर, वया उय्यूर, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान पता - दुर्गा अग्रहारम-विजयवाडा-2.

रचनायें - तेलुगु काव्य - तोलकरि, सौंदर नंदमु, पौलस्त्य हृदयम, गुडिगंटलु आदि पिंगलि लक्ष्मीकांतम जी के साथ.

अनुवाद साहित्य - संस्कृत से -
प्रतिज्ञा यौगंधरायणमु व स्वप्नवासवदत्तमु.

अंग्रेजी से -
नल्लगलुव, गुरुगुरुमूर्तुलु, मन वात्सल्यमु, सत्य दर्शनमु-गाँधीगारि संक्षिप्त आत्मकथा-
और भी कई साहित्यिक लेख व कलापूर्ण कविताओं द्वारा साहित्य की अमूल्य सेवायें करते हैं.

वेंकटाचारी, ए. पि.

योग्यता - रा. भा. विशारद, मेट्रिक, हिन्दी प्रचारक.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - संगठक, उत्तर तमिलनाड.

वेंकटेश्वरराव, दम्मालपाटि
परिचय - देखें - पृष्ठ - 122.

वेंकटेश्वर राव, चिन्नकोटा
परिचय - देखें पृष्ठ - 124.

वेंकटेश्वरराव, बोम्मिडिचर्ल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 15-6-1932.
जन्मस्थान - तूमुलूर, तेनाली ताल्लूका, गुंटूर जिला
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र :- बोर्ड हाईस्कूल, पोतकमूर. नेल्लूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1944. तूमुलूर, कोल्लिपर, पोतकमूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4620.

वेंकटेश्वररेड्डि, सरिपल्लि
परिचय - देखें पृष्ठ - 124.

वेंकटेश्वर शर्मा, ओरुगंटि

सन् 1925 से प्रचार का आरंभ करके, कावूर, विनयाश्रम, नेल्लूर आदि केन्द्रों में प्रचार किया. इसके बाद आन्ध्र यूनिवर्सिटी वाल्तेर केन्द्र में हिन्दी के प्राध्यापक रहे.

इन्होंने हिन्दी व तेलुगु साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया, तथा साहित्यिक समन्वय के क्षेत्र में योग दिया. इन्होंने रमणमहर्षि की जीवनी हिन्दी में लिखी.
निधन - 1942.

वेंकटेश्वर्लु, राविपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-7-1933.
जन्मस्थान - उन्नव, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र-लूथरन हैस्कूल, यड्लपाडु, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1950. उन्नव
विशेष अभिरुचि - नाटक.

शंकर नारायण भट, यस.

योग्यता - रा. भा. विशारद, विद्वान.
जन्मतिथि - 3-4-1931.
जन्मस्थान - शांतिमूले, बेल्लारे, दक्षिण कन्नड.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हातूर हाईस्कूल, हातूर, कुर्ग.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951. कार्कल, हुदिकेरी, मंगलूर, मडिकेरी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3178.

शंभय्या, तुर्लपाटि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 15-1-1935.
जन्मस्थान - संदिपूडि, गुंटूर जिला.
स्थायी पता - C/o तुर्लपाटि रत्तय्या, संदिपूडि.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - श्री शारदानिकेतन, गंगानम्मा पेटा, तेनाली, गुंटूर जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 5243.

शकुंतलादेवी, कोसराजु

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक व मेट्रिक
जन्मतिथि - 7-8-1931.
जन्मस्थान - विजयवाडा.
स्थायी पता - C/o सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम जी कस्तूरिबाईपेटा, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - सेंट एग्नीषियस स्कूल, अरंडलपेटा, गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1953. विजयवाडा.
विशेष - हिन्दी नाटकों की अभिनेत्री.

शठकोपम, कोमांडूरि

योग्यता - एम. ए. बि. यल.

जन्मतिथि - 1892.

जन्मस्थान - विजयरायि, प. गोदावरी जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - फ्रेजरपेटा, काकिनाडा.

विशेष - 1920 से आन्ध्र प्रांत के हिन्दी प्रचार कार्यों में सहयोग देते आ रहे हैं। आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की कार्य कारिणी समिति के सदस्य हैं. काकिनाडा के हरिजन हास्टल के संस्थापक और संचालक हैं.

रचनाएँ - तेलुगु - जगत्कथा, गांधीचरित्रमु, नेहरु चरित्रमु, मौलाना अबुल कलाम अजाद, भारतीय नागरिकता आदि आंध्र हिन्दी कोष.

श्यामसुन्दर देव, वि. 'आचार्य'

योग्यता - विद्वान, साहित्य रत्नाकर, साहित्य रत्न, साहित्य अलंकार, साहित्य शिरोमणि, कविरत्न संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं के ज्ञाता.

जन्मतिथि - 12-5-1930.

जन्मस्थान - चिनगादेलवर्रु, गुंटूर जिला.

वर्तमान कार्य क्षेत्र - पुन्नमतोटा, विजयवाडा.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. कुचिपूडि, चिनगादेलवर्रु, राविनंपाडु, चक्रपाडु.

रचनाएँ - रेडियो के लोक गीतों के अनुवाद.

विशेष अभिरुचि - संगीत और अभिनय.

शिवरामय्या, तूमुलूरि

योग्यता - विशारद, विद्वान.

जन्मतिथि - 1905.

जन्मस्थान - पोन्नूर, गुंटूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1922. पेदनंदिपाडु, पोन्नूर, गुंटूर, बापट्ल.

श्रीनिवास अय्यंगार, डि.

योग्यता - बी. ए. बि. यल्.

जन्मतिथि - जून 1906.

जन्मस्थान - कुप्पम, चित्तूर जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939.

1945 से चित्तूर हिन्दी प्रेमी मंडल के मंत्री. 1947 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा की स्वागतसमिति के मंत्री. 1947 से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा तथा आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की का. का. समिति के सदस्य हैं. 1957 से द. भा. हिन्दी प्रचार सभा मदरास के चेयरमन है.

विशेष - 1941-42 में स्वराज्य आंदोलन में भाग लिये और जेल गये.

श्रीरामाराव, श्रीगिरिराजु

योग्यता - रा. भा विशारद, एस. एस. एल. सी.

जन्मस्थान - दोंडपाडु, कृष्णा जिला.

प्रचार कार्य का आरंभ - 1932.

वर्तमान कार्यक्षेत्र - व्यवस्थापक, साहित्य विभाग और बिक्री संगठक. द. भारत हिन्दी प्रचार सभा - मदरास - 17.

श्रीनिवास मूर्ति, ए. वी.

संगठक - पूर्व मैसूर मंडल.

संपूर्ण सत्यमांबा देवी, पेनुमूडि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण व प्रचारक.

जन्मतिथि - 25-7-1932.

जन्मस्थान - वीरंकि लाकु, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - कस्तूर्बा स्मारक ट्रस्ट,
सीतानगरम, वया राजमंद्री, पूर्व गोदावरी.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1955. तेनाली.

स्व. सत्यनारायण, कोट

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1939.
भूषणगुल्ला, दोंडपाडु, 1940 से 1943 तक आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ कार्यालय में काम किया.
निधन - 1944.

सत्यनारायणराजु, अल्लूरि

योग्यता - हिन्दी प्रचारक. बंगाली तथा अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता.
जन्मतिथि - 26-1-1913.
जन्मस्थान - वालमर्रु, नरसापूर ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हैदराबाद.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1934.
आलमूर, जिन्नूर, यॅली, राजमंद्री.
रचनायें - वोलगा से गंगा-तेलुगु अनुवाद.
विशेष - आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में कार्य किया.
आजादी की लडाई में कई बार जेल गये. और वहाँ भी हिन्दी का प्रचार किया.
हिन्दी, तेलुगु, अंग्रेजी तथा बंगाली का साहित्यिक अध्ययन.
राज्य सभा के सदस्य हैं.
1946 से 1952 तक मद्रास असेंब्ली के सदस्य रहे.

सत्यनारायण मूर्ति, तुम्मलपल्लि

जन्मतिथि - 1919.
जन्मस्थान - पिप्परा, पश्चिम गोदावरी.
पिप्पर हिन्दी प्रेमी मंडली के उपाध्यक्ष. आन्ध्र युवजन कांग्रेस के अध्यक्ष. गेय कवि. कई देशहितकारिणी संस्थाओं के प्रधान कार्यकर्ता.

स्व. सीतापतिशर्मा, कोटमराजु

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 1902.
जन्मस्थान - गुंटूर.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1924. गुंटूर.
निधन - 1946.

सत्यानंदराव, निम्मकायल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 1-8-1930.
जन्मस्थान - कोत्तलंका, अमलापुरम तालूका, पूर्व गोदावरी जिला.
स्थायी पता - वेलंगि, वया रामचंद्रपुरम, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, बत्तिली, श्रीकाकुलम जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1952. कुरुपाम, चापरा, वेलंगी.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4061.

सीतारामय्या, मासावत्तुल

योग्यता - रा. भा. विशारद, मेट्रिक.
जन्मतिथि - 30-6-1931.
जन्मस्थान - शृंगवृक्षम, भीमवरम तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्यक्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ - 1954.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 4897.

सांबशिवराव, कोमरगिरि

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक, बी. ए. सेकंडरी ग्रेड.
जन्मतिथि - 12-11-1909.
जन्मस्थान - नगरम, पूरब गोदावरी जिला.
स्थायी पता - बोर्ड हाईस्कूल, मामिडिकुदुरु, पूर्व गोदावरी जिला.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - ,, ,,
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1940. नगरम.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 809.

सीतारामय्या, मैनेपल्ली

परिचय - देखें - पृष्ठ - 157.

सुंदर अय्यर-अडवोकेट

आप दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभाके कार्यों में 1920-21 से सहयोग देते रहे हैं।

आप केरल प्रांतीय हिन्दी प्रचार सभा के अध्यक्ष रहे। अब दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की का. का. समिति के सदस्य हैं।

सुदामा, (कृष्णस्वामि अय्यंगार)

मदरास के वकील थे।

1930 से अपनी वृत्ति छोड दी। रचनात्मक कार्यों में विशेष भाग लेते रहे हैं। सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर कई बार जेल गये।

विशेष - हिन्दी प्रचार तथा हरिजन कार्य से विशेष अभिरुचि रखते हैं.

सुब्बाराव, तुम्मल

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक.
जन्मतिथि - 2-8-1924.
जन्मस्थान - मंत्रिपालेम, दिवि तालूका, कृष्णा जिला.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - दोंडपाडु, कृष्णा जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1951. वेंट्रप्रगड, कलवपामुला, मुदुनूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3071.

योग्यता - एस. एस. एल. सी. टैपरैटिंग, हिन्दी सामान्य ज्ञान.
जन्मतिथि - 8-6-1937.
जन्मस्थान - भोमडोल. पश्चिम गोदावरी जिला.
स्थायी पता - बंद्रपुरम, कोव्वूर ताल्लूका,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - हैदराबाद. हिन्दी प्रचार संघ, हैदराबाद.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1955.

सुब्बाराव, कस्तूरि

परिचय - देखें पृष्ठ 162.

सुब्बाराव, पिडिकिटि

योग्यता - विशेष योग्यता.
जन्मतिथि - 1936.
जन्मस्थान - कोय्यगूरपाडु, वया इंदुपल्ली, कृष्णा.
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - बोर्ड हाईस्कूल, चिंतलपूडि, पश्चिम गोदावरी जिला.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1949. अडुसुमिल्ली, उप्पलूर.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 1833.

सुब्रह्मण्यम, पी.

योग्यता - हिन्दी प्रचारक.
जन्मतिथि - 24-8-1909.
जन्मस्थान - तिरुचिरापल्ली (तमिलनाड)
स्थायी पता - ,, ,,
वर्तमान कार्य क्षेत्र - तमिलनाड हिन्दी प्रचार संघ, तिरुचिरापल्ली.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र - 1932. मदरास, मधुरा, तिरुचिरापल्ली.
विशेष - सभा के संगठक थे. हिन्दीपत्रिका के सह संपादक रहे. विशारद विद्यालय के प्रिन्सिपल थे. विनोबा जी की पदयात्रा में भाग लेकर अनुवाद का काम किया.

सुब्बाराव, पी.

सुभद्रा, मान्यम

योग्यता - रा. भा. प्रवीण, प्रचारक और इंटर.
जन्मतिथि - 12-7-1935.
जन्मस्थान - विजयवाडा.
स्थायी पता - C/o मान्यम लक्ष्मय्या, हेमसिंह कुँए के पास, कोत्तपेटा, विजयवाडा-2.
वर्तमान कार्य क्षेत्र - C/o इ. रायन्, नं. 2. टि. सिंगारमोदिलि स्ट्रीट, त्यागरायनगर, मद्रास-17.
प्रचार कार्य का आरंभ व केन्द्र 1952, विजयवाडा.
प्रमाणित प्रचारक संख्या - 3323.
विशेष - रेडियो हिन्दी नाटकों में भाग लेती हैं.

हरिनारायणशर्मा, वेमूरि

योग्यता - एस. एस. एल. सी. हिन्दी टैपरैटिंग, विशारद का अध्ययन.

जन्मतिथि - 5 3 1943.

जन्मस्थान - कूचिपूडि, गुंटूर जिला.

स्थायी पता - मारुती नगर, विजयवाडा. कृष्णा जिला.

हरिसर्वोत्तम राव, गाडिचर्ल

योग्यता - एम. ए.

आप आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के कार्य कलापों में 1920 से बराबर योग देते आ रहे हैं.

सन् 1922, 1943, 1953 में चित्तूर नंद्याल और गुंटूर में संपन्न आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभाओं के अधिवेशनों के क्रमश: अध्यक्ष रहे. संघ की कार्य कारिणी समिति के सदस्य हैं.

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा

हिन्दी प्रचार का इतिहास

चतुर्थ भाग

हिन्दी प्रेमी मंडलियों और प्रचार केंद्रों का परिचय

हिन्दी प्रेमी मंडलियाँ

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का संगठन किसी भी सार्वदेशिक सार्वजनिक संस्था की तुलना में अपना एक निराला स्थान रखता है। उसका केंद्रीय कार्यालय यद्यपि मद्रास में है तो भी चारों प्रांतों में उसकी प्रांतीय शाखायें हैं। प्रत्येक प्रांत के कार्य को सुविधा के अनुसार मंडलों में विभाजित किया गया है। दक्षिण भारत भर में ऐसे मंडल 15 हैं। उनमें आंध्र के 1. पूर्वान्ध्र, 2. मध्यांध्र, 3. दक्षिणान्ध्र, 4. उत्तरान्ध्र, व 5. पश्चिमान्ध्र पांच मंडल भी शामिल हैं। प्रत्येक मंडल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हर बडे शहर तथा कस्बे में एक हिन्दो प्रेमो मंडली की स्थापना की गयी है। ये प्रेमो मंडलियाँ अपने केन्द्र के हिन्दो प्रचार का संगठन करती हैं। ऐसी प्रेमो मंडलियाँ आन्ध्र में कुल एक सौ से अधिक हैं।

इन प्रे‍मी मंडलियों की योजना सन् 1933 से प्रारंभ हुई। ये प्रेमी मंडलियाँ ही हिन्दी प्रचार के विशाल वट वृक्ष की जडें हैं। इन प्रेमो मंडलियों की ओर से हिन्दी शिक्षण और हिन्दी प्रचार दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। सभा की परीक्षाओं के लिए सभा की प्राथमिक परीक्षा से लेकर राष्ट्र भाषा प्रवीण परीक्षा तक विद्यार्थियों को तैयार करना, वाचनालय तथा पुस्तकालय का प्रबंध, वाग्वर्धनी सभा, नाटक प्रदर्शन, इत्यादि कार्यकलापों के साथ वार्षिकोत्सव, प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव साहित्यिक तथा सांस्कृतिक उत्सव हिन्दी प्रचार तथा प्रचारक सम्मेलन इत्यादि उत्सव मनाने का कार्य भी ये हिन्दो प्रेमो मंडलियाँ करती हैं। इन से हिन्दी सीखनेवाले विद्यार्थियों की संख्या नित्य बढती है और जो विद्यार्थी हिन्दी सीखते हैं उन्हें अपना हिन्दी का ज्ञान बढ लेने का भी पर्याप्त अवसर मिलता है।

हर एक हिन्दी प्रेमी मंडली की स्थापना सभा की नियमावली के अनुसार हुई है। इन प्रेमी मंडलियों को प्रांतीय सभाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रांतीय सभा की ओर से प्रेमो मंडलियों को सालाना ग्रांट भी दिया जाता है।

ये प्रेमी मंडलियाँ अपने अपने केन्द्रों में सभा की शाखाओं की तरह भी काम करती हैं। परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार करना और परीक्षा ग्रांट का वितरण जैसे कार्य इन प्रेमी मंडलियों के द्वारा होते हैं। इन प्रेमी मंडलियों की स्थापना से स्थानीय हिन्दी अध्यापकों और कार्यकर्ताओं को भी बडा लाभ पहुँचता है।

इन प्रेमी मंडलियों के सदस्य उक्त केन्द्र के प्राय: मुख्य मुख्य नागरिक होते हैं। उनकी सहायता से कुछ हिन्दी प्रेमी मंडलियों ने अपने कार्य को स्थायी और सुसंगठित बनाने में काफी सफलता प्राप्त की है। कर्नूल जिले के आलूर तालूका हिन्दी प्रेमी मंडली को तो अपना निजी मकान भी है। विजयनगरम, राजमंद्री, विजयवाडा, तेनाली, चित्तूर, अनंतपुरम, कर्नूल, आदि हिन्दी प्रेमी मंडलियों की ओर से हिन्दी विशारद विद्यालयों का संगठन हुआ। विजयनगरम, चित्तूर, तेनाली, विद्यावनम आदि हिन्दी प्रेमी मंडलियों ने तो प्रवीण तथा प्रचारक विद्यालयों को चलाने का भार भी अपने ऊपर लिया था।

आन्ध्र देश की प्रेमी मंडलियों को सरकार की मान्यता भी प्राप्त हुई है। हम आशा करते हैं कि इन प्रेमो मंडलियों के द्वारा और भी प्रचार की वृद्धि होगी।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा.

हिन्दी प्रचार का इतिहास

हिन्दी प्रेमी मंडलियों और प्रचार केन्द्रों का परिचय

अंकालम्मगूडूर — पुलिवेंदुल तालूका, कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947. केन्द्र के प्रचारक - आरिकपूडि राघवेंद्रराव, गज्जेल मल्लारेड्डी। मंडली की स्थापना - 1947.

अंकालम्मपेटा — पुलिवेंदुल तालूका, कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1943. केन्द्र के प्रचारक - तुम्मलूरु लक्ष्मीरेड्डि, वी. शेषय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चव्वा वेंगलरेड्डी, चव्वा मल्लारेड्डी। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1945. विशेष - इस मंडली की तरफ से हिन्दी विद्यालय चलाये गये। कई बार हिन्दी नाटकों का प्रदर्शन हुआ।

अंगलूर — गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1920. केन्द्र के प्रचारक - मथुराप्रसाद, दुग्गिराल बलरामकृष्णय्या, पोट्लूरि धनसूर्यावती देवी, आरिकपूडि नागभूषणम, आरिकपूडि राघवेंद्रराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - त्रिपुरनेनि लक्ष्मय्या चौधरी, आरिकपूडि काशेय्या। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1948. अध्यक्ष - आरिकपूडि राघवेंद्रराव, मंत्री - आरिकपूडि नागभूषणम। विशेष - हिन्दी विशारद विद्यालय चलाया गया, हिन्दी पुस्तकालय है। नाटक प्रदर्शन हुए।

अंडलूर — प. गोदावरी जिला। केन्द्र के प्रचारक-तुम्मूरु कृष्णमूर्ति, पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु।

अंतर्वेदी — रामचंद्रपुरम तालूका, पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945. केन्द्र के प्रचारक - आमुजाल नरसिंहम्

अंतर्वेदिपालेम — पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1933. केन्द्र के प्रचारक - सागि सूर्यनारायणराजु।

अंबाजीपेटा — पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930. केन्द्र के प्रचारक - स्व. ताता लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री, चेरुकूरि वेंकटसुब्रह्मण्य शास्त्री, सिंहभट्ल सूर्यनारायण शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मेडिदि वेंकट कृष्णाराव, बेरा राधाकृष्णमूर्ति, नारायण मूर्ति। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1954. वर्तमान अध्यक्ष - के वेंकटराव. मंत्री - चे. वें. सुब्रह्मण्यशास्त्री। विशेष - इस मंडली की तरफ से हिन्दी विद्यालय व वाचनालय कई बरसों से चलाये जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा केन्द्र है।

बाई ओर से-जमीन पर(5) एन. रामराजु। कुर्सियों पर - बि. बि. परीख, एम. वि. कृष्णाराव, वि. वि. यन. मूर्ति (बैंकर्स), के. वेंकटराव (अध्यक्ष), के. वि. आर. दीक्षितुलु, यम. बि. बि. यस.; एम. जगन्नाथम, यस. पि. यम., बि. एस. यन. मूर्ति, (उपाध्यक्ष), बि. हेच. सूर्यनारायण, सि. हेच. वि. सुब्रह्मण्यम (मंत्री)।

पहली कतार - एम. श्रीरामचन्द्रमूर्ति, वै. कोंडलराव, के. बि. यस. शर्मा, ए. सीतारामम, जे. रामस्वामि, जि. सुब्बाराव, एस. नरसिंहम, एम. पुरुषोत्तम, आर. रामलिंगम।

दूसरी कतार - बि. अप्पाराव, वै. के. विश्वनाथम, के. वि. वि. एस. मूर्ति, बि. हेच. वापन्ना, एस. एस. नारायण मूर्ति, एस. श्रीराममूर्ति, जि. पानकालराव।

अगलि — मडकसिरा तालूका, अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952. केन्द्र के प्रचारक - जि. सदाशिवरेड्डी। विशेष - हिन्दी विद्यालय और परीक्षा केन्द्र हैं।

अगिनिपर्रु — गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1934. केन्द्र के प्रचराक - उप्पुलूरि श्रीराम कृष्णय्या।

अगुडूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948. केन्द्र के प्रचारक - कलमकुंट्ला गंगिरेड्डी, वै. सिद्दन्न।

अग्रहारम -— पुलिवेंदुल तालूका, कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - चिट्टेपु नागिरेड्डी, आरिकपूडि राघवेंद्र राव।

अचंपालेम — दिवि तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - दुट्टा वेंकटेश्वरराव।

अचंपेटा — महबूब नगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - गी. कृष्णय्या, भवानी सिंह। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दामोदर रेड्डी सय्यद रियाजुद्दीन साहब और बुच्चिचंगारु। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - वकील बुचाचारी मंत्री - पुरम भगवान रेड्डी। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

अचन्नपालेम -— पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - पातूरि रामचन्द्रराव, वे. श्रीराममूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

अडविकोलनु —- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - चेकूरि लच्चिराजु।

अडुसुमिल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पिडिकिटि सुब्बाराव।

अड्डाडा — गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वीरभद्रराव, पोट्लूरि वेंकटेश्वरराव, उप्पुलूरि श्रीराम कृष्णय्या, पोट्लूरि सुब्बाराव।

अत्तिमजरिपेटा —- चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - पी. वी. देशप्पन। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अत्तिलि -— पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - कलिदिंडि नारायणराजु, पेंड्र्याल परब्रह्म शास्त्री, मोटपर्ति लक्ष्मीनारायण, सुसर्ल लोकनाथ शास्त्री, कोविविडि वेंकटसुब्बारायुडु, यर्रा वेंकट स्वामि, मंडविल्लि श्रीराम मूर्ति, गूडपाटि वेंकटराव, कोप्पिनेनि सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अथवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का अरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - वारणासि गुरुमूर्ति दीक्षितुलु।

अर्थवीडु -— कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - किलारु कोटय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अर्तमूरु — रामचन्द्रपुरम तालूका, पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - आकुलमन्नाटि चिलकमर्रि श्रीमन्नारायणाचार्युलु, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु। केन्द्र के प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नल्लानि चक्रवर्तुल नारायणाचार्युलु।

विशेष - 1934 में रामचन्द्रपुरम तालूका हिन्दी सभा की स्थापना श्री महात्मा गांधी जी के करकमलों से हुई। सभा का कार्य स्थान यहीं पर रहा जिसके मंत्री आ. चि. श्रीमन्नारायणाचार्युलु जी रहे। इस सभा की ओर से ता. 4-12-34 को रामचंद्रपुरम टौनहाल में श्री काका कालेलकर और श्री मोटूरि सत्यनारायण जी का स्वागत हुआ। इस सभा की ओर से मंडपेटा में विशारद विद्यालय, तापेश्वरम रामवरम आदि गाँवों में हिन्दी का प्रचार हुआ। प्रधानाध्यापक व प्रचारक नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु रहे।

अनंतपल्ली -- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940. केन्द्र के प्रचारक - शिवलेंक मल्लिकार्जुनुडु।

अनंतपूर -- अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1924. केन्द्र के प्रचारक - दंडमूडि वेंकटकृष्णाराव, एम. वेंकटराव, एन. शंकरशास्त्री, पी. ललितम्मा, पि. आदिनारायण, तंगिराल सुब्रह्मण्य शास्त्री, गुड्डुगुरिकि नरसिंहप्पा, ऐ. नागभूषणराव, के. धर्मदेवराव, संगठक - उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, 1940 - 41. श्री चंद्रभट्ट अप्पन्नशास्त्री, हाल में प्रमुख हिन्दी प्रेमी- गोगडि रामप्पा, के. राधाकृष्णय्या, पप्पूरि रामाचार्युलु, के. एस. राघवाचार्य, एन. संजीवरेड्डी, कल्लूरि सुब्बाराव। मण्डली की स्थापना - 1937. अध्यक्ष - के. एस. राघवाचारी मंत्री - पी. शेषाचारी।

विशेष- 1940 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा का 12 वां अधिवेशन, मोटूरि सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में तथा 8वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन स्व. पीसपाटि वेंकटसुब्बाराव जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1941 में आन्ध्र कर्नाटक हिन्दी प्रचारक शिबिर तथा आन्ध्र कर्नाटकहिन्दी महाविद्यालय चलाये गये। शिबिर पति व प्रधानचार्य श्री भालचंद्र आपटे जी रहे। 1954 में दक्षिण आन्ध्र मंडल हिन्दी महा सभा श्री अनतशयनम अय्यंगार जी की अध्यक्षता में हुई। 1955 से आज तक हिन्दी विशारद विद्यालय चल रहा है। परीक्षा केन्द्र है।

आन्ध्र कर्नाटक हिन्दी प्रचारक शिबिर1941. शिबिर का प्रारंभोत्सव के. चेंगलराय ने किया। इस में आन्ध्र के 14 और कर्नाटक के 6 प्रचारकों ने भाग लिया। भालचंद्र आपटे शिबिर पति थे। इस चित्र में मोटूरि सत्यनारायण, भालचंद्र आपटे, मिक्किलिनेनि सुब्बाराव, कस्तूरि सुब्बाराव, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, सिद्धनाथ पंत, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या आदि हैं।

हिन्दी विशारद विद्यालय, अनंतपूर, 1955-56. इस चित्र में विद्यालय के अध्यापक चंद्रभट्ट अप्पन्न शास्त्री, टि. वि. सुब्रह्मण्य शास्त्री, प्रेमी मंडली के मंत्री-पप्पूरि शेषाचार्युलु और विद्यार्थीगण हैं।

दक्षिणान्ध्र मंडल हिन्दी महासभा, अनंतपूर 1955 एम. अनंतशयनम अय्यंगार जी की अध्यक्षता में महासभा हुई। इस चित्र में एम. अनंतशयनम अय्यंगार, मोटूरि सत्यनारायण, के. एस. राघवाचारी, पप्पूरि रामाचार्युलु, पप्पूरि शेषाचार्युलु, चंद्रभट्ट अप्पन्न शास्त्री, भालचंद्र आपटे, दशिक सूर्यप्रकाशराव, अड्डुमिल्लि कृष्णमूर्ति और श्री हट्टि नीलादेवी आदि हैं।

हिन्दी प्रेमी मंडली, अनंतपूर की कार्यकारिणी समिति के सदस्य

कुर्सियों पर बाईं ओर से - (1) के. श्रीनिवासाचार्युलु, (2) चंद्रभट्ट अप्पन्नशास्त्री, (3) के. एस. राघवाचार्युलु, एम वि. (अध्यक्ष) (4) पि. शेषाचार्युलु (मंत्री) (5) एन. शंकर शास्त्री।

पीछे खडे - बाईं ओर से — (1) के. रंगाचार्युलु (2) के. वीरभद्रराव (3) श्रीराममूर्ति (4) के. धर्मदेवराव।

अनकापल्ली — विशाखपट्टणम जिला। प्रचार का आरंभ 1930. केन्द्र के प्रचारक - गुल्लपल्लि नारायणमूर्ति, सूरिशेट्टि सांबशिवराव, पि. जोगिनायुडु, कोत्तपल्लि वेंकट कृष्णवर्मा, वि. अच्युतराव, पि. सत्यनारायणमूर्ति, गोविंदराजु सत्यनारायण मूर्ति, वासा सुब्रह्मण्य शास्त्री, कोरुमिल्लि सूर्यनारायण, मादेटि सांबमूर्ति, मद्देल शिवप्रसादराव कोणतल सूर्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी कोरुकोण्ड लक्ष्मिराजु, ग्रंथि कन्नय्य पंतुलु, उप्पल पेदवेंकटनारायण व आर. सत्यनारायण। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1941. अध्यक्ष - उप्पल श्रीराममूर्ति। मंत्री - मादेटि सांबमूर्ति। ग्रंथि वेंकय्यपंतुलु। विशेष - 1936 से परीक्षा केन्द्र है। 1948-49 में हिन्दी विशारद विद्यालय चलाया गया।

अनपर्ति — रामचन्द्रपुरम तालूका, पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1933. केन्द्र के प्रचारक-ऊट्टुकूरि लक्ष्मीनरसिंहाराव, मु. वेंकटस्वामी, मागापु सत्यानंदराव, टी. राममूर्ति, मु. वेंकटराव, पी. वेंकटरामशास्त्री, मंड रामकृष्णा रेड्डी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-न. च. जगन्नाथाचार्युलु, भगवती गौरीनाथम, डाक्टर यन. यम. जगन्नाथ शर्मा। मंडली की स्थापना - 1948. अध्यक्ष - न. च. जगन्नाथाचार्युलु। मंत्री - पी. वेंकटराम शास्त्री। विशेष - 1934 से अब तक परीक्षा केन्द्र है। प्रारंभिक तथा उच्च परीक्षाओं के वर्ग चल रहे हैं। अध्यापक - पी. वेंकटरामशास्त्री हैं।

अनिगंड्लपाडु — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पोलु शेषगिरि राव, कोलाहलम लक्ष्मणराजु, कोलाहलम शेषमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नल्लमोलु लक्ष्मय्या। प्रेमी मंडली की स्थापना-1952. अध्यक्ष - नल्लमोलु लक्ष्मय्या। मंत्री - कोलाहलम लक्ष्मणराजु। परीक्षा केन्द्र 3 साल तक रहा। हिन्दी विद्यालय, पुस्तकालय तथा वाचनालय है।

अनुपालेम — सत्तेनपल्लि तालूका, गुंटूर जिला।
केन्द्र के प्रचारक - ईमनि दयानंद, नर्रा वेंकय्या।

अप्पिकट्ला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - वसंतम रामचंद्रय्या, मल्लादि वेंकटकृष्णय्या, जास्ति सत्यनारायण, मन्ने आदिशेषय्या, वेदान्तम लक्ष्मी कुमार श्रीनिवास देशिक भट्टाचार्य। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-गुंटूर राजेश्वरराव विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अब्बिनेनिगुंटपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - वंकायलपाटि लक्ष्मीनारायण, माक्किनेनि ब्रह्मानंदम।

अमरापुरम — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - कानुगगड्डु मल्लिकार्जुन शर्मा गोरंट्ल राघवाचार्युलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अमरावती — गुंटूर जिला. प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव, जंध्याल पापय्य शास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अमलापुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - मल्लादि नरसिंह सोमयाजुलु, अनप्पिडि अन्नाजीराव, के. कामेश्वरराव, आर. रामचंद्र, माचिराजु वेंकट सुब्बाराव, भट्टिप्रोलु सत्यप्रकाशम, मल्लादि गोपालकृष्णशर्मा, मंडविल्लि श्रीराममूर्ति, गरिमेल्ल सूर्यनारायणमूर्ति। मंडली की स्थापना - 1945. अध्यक्ष - दुव्वूरि वेंकटकृष्णाराव, मंत्री - श्रीपाद शरश्चंद्र मौली प्रसाद राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अमृतलूर — तेनाली तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या, मुम्मनेनि लक्ष्मीनारायण, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - शरणु रामस्वामि चौदरी। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अम्मनब्रोलु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक सुसर्ल कनक सुब्रह्मण्यम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अम्मिरेड्डिगूडेम — कृष्णा जिला. प्रचार कार्य का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - इनगंटि गोपालराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. सत्यानंदम। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

अरगोण्डा — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - जे. दोरस्वामि रेड्डि।

अलंपुरम — ताडेपल्लि गूडेम तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ-1940.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मंचिराजु शेषम्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

अल्लूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - लेबूरु बलरामिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - माडभूषि नरसिंहाचार्युलु, नूकलपाटि वेंकटेश्वर्लु रेड्डि, अल्लपाटि रमणारेड्डि। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

अवनिगड्ड — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक चिट्कपाटि वेंकटेश्वर राव, वेमुलपल्लि नागय्या, कोरुरु परशुरामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वज्झल सुब्रह्मण्यम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

आकिवीडु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - वेमूरि वेंकट पुरुषोत्तम, कलग कृष्णमूर्ति। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

आकुतीगेपाडु — केन्द्र का प्रचारक - ऐनवल्लि चंद्रशेखरम।

आकुनूरु — गन्नवरम ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, जंध्याल राममूर्ति, कोगंटि चंद्रय्या, काकानि पट्टाभिरामय्या, कोडालि रामाराव, माधवपु वेंकटेश्वर राव, शलाक दुर्गाप्रसाद राव। विशेष - हिन्दी वर्ग चलाये जा रहे हैं, परीक्षा केंद्र है।

आगिरिपल्लि — नूजवीड ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - केतिनीडि वेंकटरेड्डि, राचकोंड नरसिंहमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - देवुलपल्लि विश्वनाथम।

आचंटा — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - पेंड्याल परब्रह्म शास्त्री, सानबोइन लच्चन्न, ताल्लूरि वेरय्या, पोट्लूरि कृष्णा राव, नेक्कंटि वेंकटनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

आत्कूर — गन्नवरम ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - मादल गोपालकृष्णय्या, दीवि श्रीनिवास अय्यंगार, सूरपनेनि सुब्बय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चिंतलपाटि शेषावतारम। विशेष - इस गांव में बाल भारती हिन्दी विद्या मंदिर की स्थापना हुई। उसकी तरफ से प्रारंभिक, विशारद तथा प्रवीण विद्यालय चलते हैं। नाटक प्रदर्शन हुए तथा वाग्वर्धनी सभाएँ हुईं।

हिन्दी विद्यालय, आत्कूर, कृष्णा जिला। अध्यापक-दीवि श्रीनिवास अय्यंगार अपनी छात्राओं के साथ।

आत्मकूर -— अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ -1951.
केन्द्र के प्रचारक - यन. चलपति, का. मल्लिकार्जुनशर्मा, मादासु यरन्न। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीपाद गोपालकृष्णमूर्ति, प्रिन्सिपाल, गवर्नमेंट कालेज। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष - नंदिमल्ल नागभूषण शास्त्री, मंत्री - का. मल्लिकार्जुन शर्मा। हिन्दी विद्यालय तथा परीक्षा केन्द्र हैं।

आत्मकूर — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ-1933. केंद्र के प्रचारक-के. वेंकट नरसिंहम।

आत्मकूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948. केन्द्र के प्रचारक - वकुलाभरणम राघवय्या, गौ. वें. सुब्बरामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-डि. रामाराव। परीक्षा केन्द्र है।

आत्रेयपुरम — कोत्तपेट ताल्लुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक-ऐ. वि. वि. गोपाल कृष्णम राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-पी. पी. राघवाचार्य। परीक्षा केन्द्र है।

आदुरु — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - नूकल वेंकट रामशास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जि. सत्यनारायण, एम. कृष्णमूर्ति।

आदोनी — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - तोगर्चेटि कृष्णमूर्ति शास्त्री, जी. महालक्ष्मी, महम्मद खैरात हुसेन, के. अय्यण्ण, वेणुगोपालराव, स्व. वी. वासुदेवमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-वेदव्यासाचार, नखाते शेषगिरिराव, टि. राममूर्ति, आर. अमृतलाल। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - टी. जी. तिम्मय्यचेट्टि, यम. यल. ए., मंत्री - नखाते विठलराव। सह मंत्री - जी. महालक्ष्मी, के. अय्यण्ण। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - आदोनी।

कुरसियों पर-जि. लीला, यम. शारदम्मा, इंदरचंद सेठ(उपाध्यक्ष)टि. जी. तिम्मय्या (अध्यक्ष), गांगजि डि. पटेल (कोशाध्यक्ष) जे. राधाबाई, महालक्ष्मी (सहमंत्री), खड़े - के. अय्यन्ना (सहमंत्री), यल. कृष्णाराव, जि. बुस्सन्ना (उपाध्यक्ष), एच. वेंकटेशराव, यन. विठलराव (प्रधान मंत्री), जि. सुब्बारायुडु सेट्टि, के. यस. वीरप्पा, रावजी गोपीनाथ, के. आनंदशर्मा।

आखिरी कतार - राव श्री प्रवीणचंद्र, पि. सत्यनारायण, अमृतलाल सेठ।

आलमूरु ---- रामचन्द्रपुरम तालुका, पूर्वगोदावरी जिला। केन्द्र के प्रचारक - पुराणपंड राधाकृष्णमूर्ति, अनपर्ति अच्युतरामय्या।
प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अध्यक्ष - डा. सत्यवोलु सूर्यनारायणमूर्ति, मंत्री - पुराणपंड राधाकृष्णमूर्ति, सहायक मंत्री - मल्लूरि सत्यनारायणमूर्ति।
विशेष - 1954 में विज्ञान हिन्दी मंदिर की स्थापना हुई। परीक्षा केन्द्र है।

कुर्सियों पर -बाईंओर से- (3) मंत्री - पुराणपंड राधाकृष्णमूर्ति (4) सहायक मंत्री-मल्लूरि सत्यनारायणमूर्ति (8) अध्यक्ष- डा. सत्यवोलु सूर्यनारायणमूर्ति

आमदालवलसा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - कोडि बसन्ना। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

आरवल्लि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - के. सूर्यनारायण राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सि. हेच. सोमयाजुलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

आरुगोलनु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक-तुम्मल पूर्णचन्द्रराव, पोतिनेनि देवेन्द्रराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-डा. नंडूरि वेंकटेश्वरराव।

आरुतेगलपाडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि रामकृष्णाराव, दुट्टा वेंकटेश्वरराव।

आलूरु — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - के. हेच. सत्यनारायणराव, वि. लक्ष्मीनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-हेच. सीतारामरेड्डि, मो. लक्ष्मीकांतरेड्डि, हा. रामरेड्डि। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1946. अध्यक्ष - यस. नारायणस्वामी, मंत्री - के. हेच. सत्यनारायणराव विशेष - इस मंडली का अपना निजी भवन है जिस में हिन्दी के सभी वर्ग चलते हैं। पुस्तकालय और वाचनालय चल रहे हैं। हर साल हिन्दी सप्ताह के दिनों में सभा-सम्मेलन मनाये जाते हैं। हिन्दीप्रचार के साथ साथ तेलुगु का भी प्रचार करना तेलुगु के कवि-पंडितों का सम्मान करना इस मंडली की अपनी विशेषता हैं। हिंदी नाटक प्रदर्शन, हरिकथा वाचन तथा साहित्यिक भाषणों का आयोजन हर साल होता रहता है।

तालूका हिन्दी प्रेमी मंडली - आलूर
बाईं ओर से - वि. लक्ष्मीनारायण। एस. नारायणस्वामि (अध्यक्ष), एस. रामचन्द्रराव(परीक्षा केन्द्र संचालक), के. हेच. सत्यनारायणराव(मंत्री), एन.सीतारामाचार्य (कोशाध्यक्ष)

तालूका हिन्दी प्रेमी मंडली का भवन - आलूर.

आलगड्डा — नंद्याल ताल्लुका, कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ 1951.

कुर्सियों पर - बाईं ओर से - इ. नारायण, मोहनपु रंगराजु, के. कोंडय्या, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, के. आर. वेंकटाद्रिराव (अध्यक्ष), वि. पद्मावती (उपाध्यक्ष)। खडे हुए बि. वेंकटशेट्टि (उपाध्यक्ष) के. चिन वेंकटसुब्बय्या (मंत्री), वि. शेषगिरिराव (सह मंत्री), यस. ईश्वरय्य।(कोशाध्यक्ष)के. महदेवय्या, के. सि. नागन्न, ए. शंकरय्या, ए. ईश्वरय्या, पि. वेंकट सुब्बय्या।

दूसरी कतार - बी. श्रीरामुलु, जी. भोगेशम, जी. पुल्लय्या, ए. वेंकटस्वामि, पि. सि. गुरवय्या, सि. हेच. ओबुलेसु, पी कोंडय्या, पी. कृष्णमूर्ति, के. पा. वीरभद्रुडु, एस. वेंकट सुब्बय्या।
केन्द्र के प्रचारक - एम. महबूब साहब, जी. सिद्दारेड्डि, एम. रंगराजु, ई. नारायण । प्रमुख हन्दी प्रेमी के. मल्लिखार्जुनशास्त्री, सि. पि. तिम्मारेड्डि, यम. यल. ए. । मंडली की स्थापना-1956 अध्यक्ष - के. आर. वेंकटाद्रिराव, मंत्री - के. चि. वेंकटसुब्बय्या। विशेष - प्रेमी मंडली का अपना वाचनालय है। परीक्षा केन्द्र है।

आळेरु — नलगोंड जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - के. रामचन्द्रारेड्डी, सारंगपाणि। प्रमुख हिन्दो प्रेमो - संपत्कुमार आचार्य। मंडली की स्थापना- 1955. अध्यक्ष-श्रीकृष्णा रेड्डी, मंत्री- पी. बालय्या। विशेष-परीक्षा केन्द्र चल रहा है।

इंटूरु — वया पोन्नूरु, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ 1949.
केन्द्र के प्रचारक - के. सत्यनारायणराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी टी. वी. सुब्बय्या। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

इंडुपल्लि — गन्नवरम ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - बुर्रा रामशेषय्या, ग दिरेड्डि सत्यनारायण रेड्डि, सूरपनेनि सीतारामय्या प्रमुख हिन्दो प्रेमी - वेमुलपल्लि रामब्रह्मम ।

इच्छापुरम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - जी. खडंगशर्मा, यस. सि. महापात्रो, गंटि जगन्नाथशास्त्री, गंटि वेंकट सुब्बाराव, वेदान्तम शेषय्या । प्रमुख हिन्दी प्रेमो - पी. सीतापतिराव, वै. वि. सूर्यनारायणमूर्ति, उप्पाड रंगबाबू यम. यल. ए.; यल. धर्मासाहू। प्रेमो मंडली की स्थापना-1956. अध्यक्ष- पी. सीतापतिराव, मंत्री - यल. नारायणदास। विशेष - प्रारंभिक वर्ग चलते हैं। परीक्षा केन्द्र है।

इडुपुलपाडु — बापट्ल ताल्लूका, गुंटुर जिला। प्रचार का आरंभ।- 1937.
केन्द्र के प्रचारक - अंन्न गोवर्धनराव।

इप्पटम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940. प्रचारक - पुव्वाड सुब्बाराव।

इप्पनपाडु — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव ।

इरगवरम — तणुकु ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - जड्डु श्रीरामुलु ।

इरुकुपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - उप्पूडि वेंकट्रायुडु ।

इलपर्रु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1935. प्रचारक - काशीराजु मृत्युंजयुडु ।

इसुकपूडि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - सोमयाजुल पद्मनाभम, श्रीमान् तिरुमल कुंचिपूडि श्रीवेंकटेश्वर्लु।

ईडुपुगल्लु — कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - वीरमाचनेनि रामाराव, मुंगर शंकरराजु, यड्लपल्लि दशरथ रामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आर. सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

ईपूरु — तेनाली ताल्लूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - कनपर्ति रामकोटय्या ।

ईमनि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - पंडिताराध्युल रामलिंग शर्मा।

कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1929. महिला हिन्दी विद्यालय - उंगुटूर 932
यों पर बायीं ओर से - अट्लूरि भद्रय्या, मोटूरि सत्यनारायण, पीसपाटि सुब्बाराव
जमीन पर - (3) चलसानि कृष्णाराव(अध्यापक)

हिन्दी विद्यालय - उंगुटूर, 1932.

अध्यापक - सूरपनेनि वेंकटप्पय्या, सूरपनेनि सुब्बय्या । कुर्सियां पर - बायीं ओर से (1) मेदिङ्खराबु वीरराघवय्या (3) एर्नेनि सुब्रह्मण्यम, (4) मोटूरि सत्यनारायण, (5) पीसपाटि सुब्बाराव, (6) पोट्लूरि वेंकटप्पय्या ।

केन्द्र के प्रचारक-पोट्लूरि वेंकटप्पय्या, सूरपनेनि वेंकटप्पय्या, सूरपनेनि सुब्बय्या, सूरपनेनि वेंकटनरसय्या, मादल गोपालकृष्णय्या, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम, रामानन्द शर्मा, यलमंचि लक्ष्मय्या, सूरपनेनि सीतारामय्या, दासरि ब्रह्मय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सूरपनेनि कृष्णब्रह्मम, सूरपनेनि सुब्बाराव, बोव्वा सोव्वय्या, सूरपनेनि चंद्रमौलि, पोट्लूरि सीतारामय्या, सूरपनेनि सूर्यनारायण, सूरपनेनि वेंकटकृष्णय्या, अट्लूरि सत्यनारायण, अट्लूरि भद्रय्या। विशेष - 1932 से 36 तक विशारद विद्यालय चलाया गया। हिन्दी नाटक प्रदर्शनों के द्वारा भी प्रचार किया गया। 1934-कृष्णा जिला हिन्दी प्रेमी मंडली की महा सभा भालचन्द्र आपटे जो की अध्यक्षता में हुई। हिन्दी विद्यालय के लिए निजी भवन भी बनाया गया, ग्रंथालय व वाचनालय हैं, परीक्षा केन्द्र है। हिन्दी महिला विद्यालय चलाया गया।

इंगुट्रूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952. केन्द्र के प्रचारक-चेरुकूर वेंकटेश्वर्लु।

इंगुट्रूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - क्रोव्विडि वेंकट सुब्बारायुडु। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

उंडि — भोमवरम तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - वलिवेटि वेंकटेश्वर्लु, दर्रा सत्यनारायण, जी. मन्यम, जी. आंजनेय चौदरी, पी. सत्यनारायण राजु, चन्दूरि माणिक्यप्रभु, गोनेल्ल राममूर्ति शास्त्री, मलपाक सुब्बन्ना, वेगेशन सत्यनारायण राजु, यनमंड्र सुब्बाराव, यम. जि. सोमयाजुलु, ई. सोमेश्वरराव, स्व. कस्तूरि शंकरम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - इंदुकूरि नारायणराजु, पि. रामकृष्णम राजु, डा. कस्तूरि दुर्गागणपति। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - चेन्नंशेट्टि आदिनारायणराव, मंत्री- क्रोव्विडि वेंकट सुब्बारायुडु। विशेष - यहाँ हिन्दी विद्यालय तथा वाचनालय चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है। रिक्रियेषन क्लब के द्वारा भी हिन्दी का प्रचार हो रहा है।

उंड्रूरु — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - ईगलपाटि वेंकन्न चौदरी।

उंडेश्वरपुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, भेरी अप्पलराव।

उंड्राजवरम — प्रचार का आरंभ- 1928. प्रचरक-वेदान्तम शेषय्या, यनमंड्र सुब्बाराव।

उदयगिरि — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ-1948.
केन्द्र के प्रचारक - बेल्लमकोंड नरहरिराव। चावलि रामचन्द्रराव।

उद्दंड्रायनिपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ-1945. प्रचारक - पोलु शेषगिरि राव।

उन्नव — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक-वंकायलपाटि लक्ष्मीनारायण, राविपाटि वेंकटेश्वर्लु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-घंटा वेंकटप्पय्या। मंडली की स्थापना - 1946. अध्यक्ष - भंडारम नृसिंहशास्त्री, मंत्री - वंकायलपाटि लक्ष्मीनारायण। विशेष - हिन्दी विद्यालय तथा वाचनालय चल रहे हैं। हिन्दी नाटक प्रदर्शन भी हुए। परीक्षा केन्द्र है। 1952-सप्तम वार्षिकोत्सव के अवसर पर प्रसिद्ध कवि काटूरि वेंकटेश्वरराव जी का बडा सम्मान हुआ, उस समय अन्य प्रान्तों के प्रसिद्ध हिन्दी प्रचारक भी पधारे।

देशभक्त हिन्दी प्रेमी मंडली-उन्नव का वार्षिकोत्सव, 1952. - अध्यक्ष - काट्टूरि वेंकटेश्वरराव

जमीन पर- अडवि श्रीकृष्णमूर्ति, उन्नव अप्पाराव, अड्डुमिल्लि कृष्णमूर्ति, वेंकायलपाटि लक्ष्मीनारायण, भंडारम नरसिंहशास्त्री, वेंकायलपाटि शेषावतारम।; कुर्सियों पर- घंटा वेंकटप्पय्या, डा. चट्टि नरसिंहचार्युलु, उन्नव रामलिंगम, काट्टूरि वेंकटेश्वरराव, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, यस. आर. शास्त्री, यन. वेंकटेश्वरन, क. म. शिवरामशर्मा, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायणशर्मा, सदाशिवन, उन्नव वेंकटप्पय्या ।

उप्परपल्लि — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - एन. चक्रवर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

उप्पलपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - वसंतम रामचन्द्रय्या।

उप्पुगुंडूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
प्रचारक-चंद्रभट्ट वीरभद्रराव, मुंगर शंकर राजु। मंडली की स्थापना - 1946. विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

उप्पुलूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - वीथि नारायण दास, पिडिकिटि सुब्बाराव।

उप्पुलूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1933
केन्द्र के प्रचारक - आमुजाल नरसिंहमूर्ति, यर्रा वेंकटस्वामि, वारणासि गुरुमूर्ति दीक्षितुलु, कोव्विडि वेंकट सुब्बारायुडु, पेरिचर्ल सत्यनारायण राजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

उय्यालवाडा - कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1955
केन्द्र के प्रचारक - टि. चिन्नपरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चिंतारु शेषन्न। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

उय्यूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक-मादल गोपालकृष्णय्या, काकानि पट्टाभिरामय्या, कोडालि रामाराव, पोट्लूरि वेंकटेश्वरराव, पुव्वाड सुब्बाराव, पोट्लूरि हनुमंतराव, राचकोंड नरसिंहमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यडवल्लि श्रीराममूर्ति। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष - डा. के. रंगाराव। मंत्री - वंगल कृष्णदत्तशर्मा।
विशेष - प्रेमी मंडली की तरफ से बालभारती नाम से एक बाल विनोद संस्था चल रही है जिस में संस्कृत, संगीत, चित्र लेखन आदि सिखाये जाते हैं।

उरवकोंडा — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - ए. खाजा हुस्सेन, सि.हेच. वीरभद्रराव, सि. सुब्बारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - संदा नारायणप्पा, काशीभोट्ल श्रीराममूर्ति, यम. मुनिराजु, सालार अब्दुल साहब। विशेष - 1950 से स्थायी परीक्षा केन्द्र चल रहा है।

उरुटूरु — गुडिवाडा ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि हनुमंतराव, यलमंचि लक्ष्मय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वल्लभनेनि अंजय्या, मन्ने सत्यनारायण, मानिकोंड सत्यनारायण। मंडली की स्थापना - 1940. अध्यक्ष - मल्लिपेद्दि दशरथरामय्या, मंत्री - पो. हनुमंतराव।

उलवपाडु — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - पेय्येटि वेंकट सुब्बाराव, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, डा. एम. सुब्रह्मण्यम 'नागु'। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

ऊटुकूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - चदलवाडा कोटि नरसिंहम, यन. सत्यनारायण।

ऊटुकूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - अरवपल्लि वेंकट गुरुनाथम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जे. वि. सुब्बय्या, बी. नागेन्द्रम, चाव सीतारामम्मा, टी. साम्राज्यम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

ऊडवगंडूल — पुलिवेंदुल ताल्लूका, कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - दासरि शौरिरेड्डि।

एटूर — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - चदलवाडा कोटिनरसिंहम, भवनम लिंगारेड्डि।

एटुकूरु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ 1935.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

एडिद — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - दिनवहि सूर्यप्रकाशराव, पार्वतीशम नायुडु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-चिंतलपूडि सुब्बाराव.

एलूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - स्व. वड्लमानि लक्ष्मीनरसिंहम, अत्तलूरि लक्ष्मणराव, शीर्ल ब्रह्मय्या, वेमूरि आंजनेयशर्मा, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, वासा कोटय्या, गोटेटि कृष्णमूर्ति, मादल गोपालकृष्णय्या, दोंतशेट्टि बालसुंदरराव, पातूरि मधुसूदनराव, शिवलेंक मल्लिखार्जुनुडु, मोगंटि माणिक्यांबा देवी, आरिकपूडि राघवेंद्रराव, वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति, अक्किनेनि सूर्यप्रकाशराव, नल्लानि चक्रवर्तुल वेंकटम्मा, गारपाटि वेंकटरेड्डय्या चौदरी, पंचकर्ल वेंकटेश्वरराव, विन्नकोट वेंकटेश्वरराव, चल्ला सत्यनारायण, एल. सरस्वती देवी, दिनवहि सांबमूर्ति, मैनेपल्लि सीतारामय्या, चुण्डि हनुमंतराव, यनमंड्र सुब्बाराव, पन्चिगोल्ल आदिरामाराव, टेकाले सूर्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मोते नारायणराव, कलगर नागभूषणम चौदरी, वारणासि पद्मनाभम, नंडूरि रामकृष्णाराव, पंडिट राव। मंडली की स्थापना - 1930. अध्यक्ष - शीर्ल ब्रह्मय्या, मंत्री - तूमु वेंकटेश्वरराव।

विशेष-हिन्दी विद्यालय चलता है। परीक्षा केन्द्र है। 1929 में भोगराजु पट्टाभि सीतारामय्याजी की अध्यक्षता में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महा सभा चलायी गयी। 1937 मदनमोहन विद्यासागर लाहोर की अध्यक्षता में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा और स्व. ओरुगंटि वेंकटेश्वर शर्मा जी की अध्यक्षता में हिन्दी प्रचारक सम्मेलन संपन्न हुए। 1949 में माडभूषि अनंतशयनम अय्यंगार की अध्यक्षता में महासभा और यस. वि. शिवरामशर्मा जी की अध्यक्षता में हिन्दी प्रचारक सम्मेलन मनाये गये। पंडित राव, वेमूरि आंजनेयशर्मा, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, शीर्ल ब्रह्मय्या की सहायता से हिन्दी नाटक मंडली की स्थापना हुई जिसकी तरफ से आन्ध्र प्रांत तथा दूसरे प्रांतों में भी हिन्दी नाटक प्रदर्शन हुए। इस मंडली ने 1955 हैदराबाद के अखिल भारतीय हिन्दी नाटक स्पर्धा में भाग लिया। विशेष - स्थाई परीक्षा केन्द्र है।

एलूरुपाडु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - अल्लूरि अन्नपूर्णादेवी, भूपतिराजु सुब्बराजु, कालनाथ भट्ट सूर्यनारायणमूर्ति।

एलेश्वरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - नूकल रामचंद्रमर्ति।

ऐनपूर — गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - शलाक दुर्गाप्रसादराव।

ऐराला — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - बंडारु गंगाधरय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ए. पट्टाभि रामिरेड्डी, ए. वी. रामचंद्रा रेड्डी, पी. रामचंद्रा रेड्डी, आर. रत्नम शेट्टी। विशेष - हिन्दी एकांकि नाटकों के प्रदर्शन के द्वारा हिन्दी प्रचार को प्रोत्साहन दिया गया। दो बार अस्थाई परीक्षा केन्द्र चलाया गया।

ऐलवरम — रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - नीलि वेंकटेश्वर्लु।

ओंगोल तालूका हिन्दी प्रेमी मंडली पंचम समारोह - गोल।
कुर्सियों पर बायीं ओर से - महेंद्र कुमार जैन, ए. सी. कामाक्षी राव, डाक्टर जी. राघवाचार्य, वी. सुब्बाराव, का किल वा
नरसिंहस्वामी, मोतीलाल हरिप्रसाद

ओगिराला — गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - मादल गोपालकृष्णय्या।

ओलेरु — रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - मागंटि रामकृष्णाराव चौधरी।

औक — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - एस. वेंकट रमणप्पा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. रामप्पा। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

कंकटपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक- वड्डेपाटि रामशास्त्री, अन्नं गोवर्धनराव, शेकूरु वरप्रसादराव, वड्डेपाटि वेंकट सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दोप्पलपूडि पुन्नय्या, सीता पेद सुब्बाराव, नारायणम शेषाचार्युलु।

कंगुंदिकुप्पम —चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ- 1936. प्रचारक- चोडवरपु रामशेषय्या।

कंचिकचर्ला — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - अडवि वेंकटेश्वरराव, शलाक दुर्गाप्रसादराव, दम्मालपाटि वेंकटेश्वरराव, दम्मालपाटि वेंकटेश्वरराव, बि. ए; कोप्पिनेनि सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कंचुमर्रु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - पेन्मेत्स वेंकटराजु, पेन्मेत्स सत्यनारायण राजु।

कंतेरु — गुंटूर जिला। केन्द्र के प्रचारक - मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव।

कंदिकुप्प — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - पासमट्ला कृष्णमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-बि. गुन्नय्या। परीक्षा केन्द्र है।

कंदुकूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1929.
केन्द्र के प्रचारक - गौरावझल वेंकट सुब्बरामय्या, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, तुमरुकोट वेंकटकृष्णशर्मा, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डाक्टर एम. सुब्रह्मण्यम 'न गु'। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कंदुलवारिपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950. प्रचारक - साधु सत्यनारायण।

कंभम — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि वेंकटेश्वरराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कठेवरम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - कडियाल पिच्चय्या, कोंड्डरेड्डि रंगाराव।

कडपा — प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, करेड्ल चलमय्या, मुंगर शंकरराजु, आर. श्रीरामचंद्र, आर. अन्नपूर्णादेवी. पेरुमट्ल नारायण राव, गोदिन सुब्बय्या, आरिकपूडि राघवेंद्रराव, एन. गोविंद रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कडपा कोटिरेड्डि, कडपा रामसुब्बम्मा। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष के. गौडप्पा, मंत्री - टी. हनुमंतरेड्डि। 1953 से आजाद हिन्दी विद्यालय चल रहा है। 1941 में 13 वीं आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महा सभा - श्री चेंगलराय रेड्डि की अध्यक्षता में, और 9 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन श्री रामानंद शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। 1946 में हिन्दी विशारद विद्यालय चलाया गया। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कडियम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ-1927.प्रचारक-चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री।

कदिरि — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - सि. हेच. वीरभद्रराव, के श्यामराव, चंद्रभट्ट वीरभद्रराव। प्रमुख हिंन्दी प्रेमी - करे वेंकट रमणप्पा, गोरंट्ला रामलिंगय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कनगाल — गंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1950.प्रचारक - चावलि रामचन्द्रराव,

कनिगिरि — नेल्लूर ज़िला । प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - गौरावझल वेंकट सुब्बरामय्या, पिंगलि पांडुरंगाराव, डि. कामेश्वरराव, दाउलूरि सुदर्शनराव, ए. वेंकटेश्वर्लु, गादमशेट्टि श्रीरामुलु । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बि. प्रकाशराव, पि. वेंकटेश्वर्लु । विशेष - परीक्षा केन्द्र है ।

कनुपूरु — पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि भास्कररामय्या ।

कनुमूरु — कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - जंध्याल राममूर्ति, पिडिकिटि सीतारामय्या ।

कर्नूल — कर्नूल जिला । प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - गरिमेल्ल कृष्णमूर्ति, येद्दुल बालशौरि रेड्डि, एल. सरस्वती देवी, म'. विश्वनाथम, पागा वेंकोवराव, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, के. वि. शिवशर्मा, आकेल्ल लक्ष्मी नरसिंहमूर्ति, षेक दावूदसाहब, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, उन्नव मदनमोहनराव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - संपति मल्थिरेड्डि, पि. वेंकट कृष्णारेड्डि, कासुल चिन्न तिम्मय्या, महबूबली खान । मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - यन. यस. गुप्ता, मंत्री - कामगारि रामकृष्णाराव । विशेष - 1955. भारतीय हिन्दी आयोग स्व. बि. जि. खेर के नेतृत्व में आया और उस अवसर पर को शठकोपमजीकी अध्यक्षता में स्वागत सभा मनायी गयी । 1955 में हिन्दी प्रचारक शिक्षण शिबिर चलाया गया । शिबिर पति भालचन्द्र आपटे थे । 1953 से हिन्दी विशारद विद्यालय चल रहा है । 1955-56 में हिन्दी प्रचारक विद्यालय चलाया गया । नाटक प्रदर्शन हुए । पुस्तकालय तथा वाचनालय है । परीक्षा केन्द्र है ।

हिन्दी प्रचारक शिक्षण शिबिर, कर्नूल — 1955.

इस में - चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, वेमूरि आंजनेयशर्मा, भालचंद्र आपटे, श्रीमति आपटे, पागा वेंकोवराव, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, एल. सरस्वती देवि, चंद्रभट्ट अप्पन्नशास्त्री आदि हैं ।

विशारद वि , कर्नूल —1955.

हि कृष्णशास्त्री रि वेंकटेश्वरराव, राजगोपालकृष्णय्या, शोभनाद्राचार्युलु, पाग बराव,
के. वि. शर्मा, एल. सरस्वती विद्यार्थी व विद्यार्थि के साथ हैं।

भा ीय हिन्दी भाषा आ   के सदस्यों की   लर्नूल 955.

इस में - बाबू म सक्सेना, एस जी बरवे मोटूरि सत्यनारा बी. जी. खेर, ए. बि. नागेश्वरराव, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, के. शठकोपाचार्युलु, मै चंद्र शर्मा डाक्टर बी. के. बारुवा, पि. एन. पुष्पा और जी. पी. नेने आदि हैं ।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक - बि. गोपाल रेड्डि जी की अध्यक्षता में हुई - 1955

कर्नूल नगर हिन्दी प्रचार संघ, कर्नूल -1953.

इस में — नीलम संजीवरेड्डि, अल्लूरि सत्यनारायणराजु, संपत् मलथि रेड्डि, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, आकेल्ल लक्ष्मी नरसिंहमूर्ति, पागा वेंकोबराव आदि हैं।

कनेकल — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - मादिनेनि रामप्पा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - हेच. श्रीनिवासाचार। परीक्षा केन्द्र है।

कन्नेवीडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - सूर्यदेवर हरिनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

कपिलेश्वरपुरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - बंडि वेंकट सुब्बय्या, वीरमाचनेनि वेंकटप्पय्या, उप्पुलूरि श्रीराम कृष्णय्या, एन. एस. वि. एस. याजी, पोट्लूरि हनुमंत राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तातिनेनि बुचि सुन्दर राव, सूर्यदेवर अर्जुनराव, विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कपिलेश्वरपुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - पिडपर्ति वीरभद्र राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बलुसु प्रभाकर पट्टाभि रामाराव, बलुसु प्रभाकर सत्यनारायण राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कमलापुरम — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - जूटूरु गंगिरेड्डि, येद्दुल शौरिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. शंभुरेड्डि, एम.एल.ए. एन. पुल्लारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

करीमनगर — करीम नगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - चंद्रभट्ट वीरभद्र राव, अनंताचार्य देवल। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वेल्लूरि पार्थसारथि, जे. चोक्काराव, जि. गौतमराव। मंडली की स्थापना - 1956.

कलवपामुला — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - चोडवरपु रामशेषय्या, बुर्रा रामशेषय्या, तुम्मल सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कलवलपल्लि — पश्चिम गोदावरी जिला. प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्यशास्त्री, गूडपाटि वेंकट्राव।

कलिंगपट्टणम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक- पुल्लटि श्रीरामुलु, एम. वि. आर. एन. आचार्य। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डाक्टर एम. अप्पाराव, के. सुब्बाराव। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष - एम. धर्माराव, मंत्री - ए. नरसिंहमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कलिकिरि — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - पेक मस्तान साहब, के. नारायण रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. पद्मनाभ राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कल्याणदुर्ग — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - मादासु यर्रन्ना। पि. वि. केशवमूर्ति, पी. टी. वी. नरसिंहाचार्युलु, के. विरूपाक्षप्पा। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - जि. रामशर्मा, मंत्री - के. अय्यण्णा। विशेष - हिन्दी वर्ग चलाये जाते हैं। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - कल्याणदुर्ग - 1954.

कुर्सियों पर - जी. वेंकटनारप्पा, के. अय्यण्ण (मंत्री), जी. रामशर्मा (अध्यक्ष) एम. यर्रन्ना, के. कृष्णमूर्ति आचारि, ए. एस. सीतन्न।

खडे हुए - जे. आदेप्प शेट्टि (कोशाध्यक्ष), एम. विश्वनाथम (सहायक मंत्री) जी. कोदंडरामुलु, एम. रामचन्द्र श्रेष्ठि।

कल्लेपल्लि — विशाखपट्टणम जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - श्री पेरि सुब्रह्मण्यम, गोविंदराजु सत्यनारायण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कंदुकूरि वेंकटरत्नम। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - रांभट्ल सत्यनारायण। मंत्री - मंथा वेंकटेश्वरराव। विशेष - यहाँ की प्रेमी मंडली स्थानिक पंचायत बोर्ड की तरफ से चलाई जाती है। हिन्दी वर्ग चलाये जाते हैं। परीक्षा केन्द्र है।

कल्वकुर्ति — महबूबनगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - नामा मुत्यालु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीरामय्य गुप्त, किशन राव, वेंकन्ना, सुदामा सिंग और कृष्णमूर्ति। मंडली की स्थापना - 1954. विशेष - परीक्षा केंद्र चला।

कवलकुंट्ला — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - एस. सुब्बारायुडु। हिन्दी प्रेमी-आर. वेंकट शेषय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कवुतरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - जंध्याल राममूर्ति, चोडवरपु रामशेषय्या।

कवुलूरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - पेन्मेत्स सत्यनारायण राजु।

कसनूरु —– कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक- एस. फकुरुद्दीन, महम्मद खैरात हुसेन, आरिकपूडि राघवेंद्रराव, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, कोत्तपल्लि वेंकट कृष्णवर्मा, पुत्तेटि सुब्रह्मण्याचार्युलु, कोम्मा शिवशंकररेड्डि, कोत्तपल्लि सरलादेवी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोणिदल लक्ष्मीरेड्डि, कोम्मा सदाशिवरेड्डि, नलतिम्मुगारि पेद ईश्वर रेड्डि, पल्लेटि वेंकट रामिरेड्डि, कोम्मा चन्द्रमौलीश्वर रेड्डि। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1943. अध्यक्ष कोणिदल लक्ष्मीरेड्डि, मंत्री - वीरारेड्डि। विशेष - हिन्दी विशारद विद्यालय चलाया गया। परीक्षा केन्द्र रहा।

कसिंकोटा —– विशाखपट्टणम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - व.सा सुब्रह्मण्य शास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कस्तला —– गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - चन्नावझल लक्ष्मी नरसिंहमूर्ति।

काकरपर्रु —– तणुकु तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - चर्ल रामचन्द्रराव, गूडपाटि वेंकटराव, कंभम्पाटि सत्यनारायणमूर्ति, दिनवहि सांबमूर्ति, वेदुल सूर्यनारायण शास्त्री, चर्ल जनार्दन स्वामि। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - कोव्वलि पद्मनाभराव, मंत्री - गूडपाटि वेंकटराव। विशेष - हिन्दी वर्ग चलाये जाते हैं। परीक्षा केन्द्र है।

काकराडा —– कृष्णा जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

काकिनाडा —– पूर्वगोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1918.
केन्द्र के प्रचारक - हृषीकेश शर्मा, मारेमंड विजयलक्ष्मी, स्व. विजापुरपु वेंकटराव, के. एम. कृष्णमाचारी, गरिमेल्ल कृष्णमूर्ति, वेमुगंटि पापायम्मा, गोटेटि कृष्णमूर्ति, कर्रा गुरुमूर्तिपंतुलु, वलिवेटि वेंकटेश्वर्लु, तोलेटि वेंकट प्रभाकर गंगा शारदांबा, जी. सुनंदिनी देवी, कोत्तपल्लि सूर्यनारायणमूर्ति, कंदाल आहिताग्नि, नूकल सूर्यनारायणमूर्ति, मोडेकुर्ति वेंकट शिवराव, दाट्ल वेंकट सुब्बराजु, कोमांडूरि गोविन्दराजाचार्य, दिनवहि सत्यनारायण, आर. सन्यासिनायुडु, कस्तूरि सुब्बाराव, कस्तूरि इंदिरादेवी, पी. वी. सुब्बाराव, बी. वी. सुब्बाराव, वड्डिपर्ति चलपतिराव, एम. एस. सुब्रह्मण्यम, चावलि सूर्यनारायणमूर्ति, चिल्लरिगे हनुमंतराव, कूचिमंचि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - उप्पुलूरि अन्नपूर्णम्मा, कोमांडूरि शठकोपाचार्युलु, पैडा वेंकटनारायण, रोल्ल सीतारामय्य नायुडु, दामर्ल वेंकट अप्पाराव, उप्पुलूरि वेंकट रमणमूर्ति। मंडली की स्थापना - 1939 अध्यक्ष- पैडा वेंकट नारायण, मंत्री-उप्पुलूरि रामनाथम।

विशेष - 1921 में जातीय विद्यालय खुला जिस में हिन्दी अध्ययन के लिए प्रबंध किया गया। 1923 में जब कांग्रेस सभा हुई तब हिन्दी सम्मेलन भी हुआ था। उसकी सफलता के लिए हृषीकेश शर्मा दिनवहि सत्यनारायण और स्व. सब्नवीसु वेंकट सुब्रह्मण्य कृष्णाराव आदि ने काम किया। उस अवसर पर हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन हुए। 1944 में गांधी हिन्दीविद्या पीठ मारेमंड विजयलक्ष्मी के द्वारा सफलता पूर्वक चलाया गया। कई वर्षों से यहाँ पी. वी. सुब्बाराव जी के द्वारा विद्यानंद उचित हिन्दी विद्यालय चलाया जा रहा है। वैसे ही श्रीमती एम. पद्मावती देवी के जरिए उचित हिन्दी बालिका पाठशाला भी चलाई जा रही है। परीक्षा केन्द्र है।

उ हिन्दी का - 950

कुर्सियों बायें से चौथे - अडवाल व, पांचवें ल, छटे पी वी. सुब्बाराव

उचित हिन्दी बालिका पाठशाला - काकिनाडा - 1956 --- बीच में कुरसी पर - अध्यापिका श्रीमति मद्दूरि पद्मावती देवी

काकुमानु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - गालिपाटि वेंकटप्पय्या, मुलुकुट्ल वेंकटसुब्रह्मण्य शास्त्री, मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव।

काजा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - अड्डुमिल्लि कृष्णमूर्ति, मर्रिबाड काजिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बी. कृष्णारेड्डि, एम. नांचारि रेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

काजीपेटा — वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - पोलूरि राघवराव, अंबटिपूडि हनुमय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. वि. सुब्बाराव, पि. एन. रेड्डि, श्रीमति वी. सुशोला, अध्यक्ष - सि. हेच. शीनय्या, मंत्री - ए. के. श्रीनिवासन, संयुक्त मंत्री - अंबटिपूडि हनुमय्या।

काटूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - कोलाहलम सत्यनारायणराजु, चेरुकूरि जितेन्द्रदासु. बुर्रा रामशेषय्या, कोंडे उमामहेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-काटूरि वेंकटेश्वरराव, मंडली की स्थापना-1957.अध्यक्ष-काटूरि शंकरराव, मंत्री - कोलाहलम सत्यनारायणराजु। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

काट्रावुलपल्लि — पेद्दापुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - केतिनीडि सत्तिराजु।

कानुकोल्लु — कैकलूर ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - चिन्नकोट वेंकटेश्वर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मेरुगुमाल रामस्वामी मंडली की स्थापना- 1935. विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं।

कापवरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि भास्कर रामय्या, मार्गपुरि नरसिंहाचार्युलु, तेलिकचर्ल कंदाल गोपालाचार्युलु, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ते. कं. वरहस्वामि, पी. वेंकटचलमाचार्युलु।

कारंचेडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - मल्लादि वेंकटकृष्णय्या, वल्लूरि शंकरशास्त्री।

कारुमंचि — ओंगोल ताल्लूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - गौरावझल वेंकट सुब्बरामय्या।

कार्वेटिनगरम — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - वेल्लंकोंड नरहरिराव, जि. चिन्नस्वामि नायुडु, पी. वी. देशप्पन। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीनिवास राव, सत्यनारायणय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कानुमोलु — गन्नवरम ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1926.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, नंडूरि तिरुवेंकटाचार्युलु, यलमंचिलि रंगाराव, दुट्टा वेंकटेश्वरराव, कोल्लिपर रामचन्द्रय्या, चिट्राजु कोटमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- नूकल रामस्वामी, नूकल सीतारामस्वामि, नूकल वीरराघवय्या, शिरिपुरपु भाष्यकाचार्युलु। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - नंडूरि लक्ष्मी नरसिंहाचार्युलु, मंत्री - अद्दंकि श्रीरंगाचार्युलु। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं, परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली, कानुमोलु - 1957.

पूर्व विद्यार्थियों ने अपने हिन्दी प्रेमी मंडली के वार्षिकोत्सव के अवसर पर उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या जी का सम्मान किया। बोर्ड हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक नंडूरि वेंकट लक्ष्मीनरसिंहाचार्य जी बोल रहे हैं। अद्दंकि श्रीरंगाचार्युलु, श्रीमती उन्नव सौभाग्यवतम्माजी, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, नंडूरि शोभनाद्राचार्य और नूकल रामस्वामि हैं।

कानुमोलु-पूर्व विद्यार्थी-1957. नूकल सीतारामस्वामी, नूकल रामस्वामि, श्रीमती उन्नव सौभाग्यवतम्मा, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, नंडूरि शोभनाद्राचार्य, वीरवल्लि सुब्बय्या, शिरिपुरपु भाष्यकाचार्युलु।

कालहस्ति — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - यन. हेच. प्रसादराव, पि. चेंचु रत्नम्मा, वेमूरि सुब्बाराव, पि. पद्मावतम्मा, वासिरेड्डि रामनाथम। मंडली की स्थापना - 1945. अध्यक्ष - यम. यस. राव, मंत्री - पि. चेंचु रत्नम्मा। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है। पुस्तकालय भी है।

हिन्दी प्रेमी मंडली — कालहस्ति
कुरसियों पर - बाईं ओर से - पि. पद्मावतम्मा, एन. कृष्णस्वामि राव, अध्यक्ष - एम. एस.राव
उपाध्यक्ष - पि. धर्माराव, मंत्री - पि. चेंचुरत्नम्मा।

कालकूरु — वया-आकिवीडु, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - भूपतिराजु सुब्बराजु, कलग कृष्णमूर्ति, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. पापाराव।

कावलि — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - मुंकर चेंगय्या, बेल्लंकोंड नरहरिराव, तुमुरुकोटा वेंकट कृष्णशर्मा, बी. सरलादेवी, पंचाग्नुल वेंकट नरसिंहम, माच्चवरम वेंकटराव, गौरावझल वेंकट सुब्बरामय्या, डा. सुब्रह्मण्यम 'नागु' राचकोंड नरसिंहमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कावूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक-तुम्मल राघवय्या, तुम्मल श्रीराममा, नागल्ल रामशेषम्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तुम्मल कृष्णय्या, सुव्वाशि सूरय्या, कावूरि वीरराघवराव। विशेष-तिलक जातीय पाठशाला में हिन्दी अध्ययन का प्रबंध हुआ।

काशिपूडि — गुडिवाड ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - विन्नकोटा वेंकटेश्वरराव।

किंताड कोटपाडु — विशाखपट्टणम जिला । केन्द्र के प्रचारक - गादिराजु सुब्बराजु, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - विश्वनाथ सत्यनारायण । विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा ।

किलपूडि — पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - नूकल रामचन्द्रमूर्ति, कोरुमिल्लि सन्यासिराजु । विशेष-परीक्षा केन्द्र रहा ।

कुंकलमर्रु — गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - येलच्चूरि नागिशेट्टि, अंबडिपूडि हनुमय्या ।

कुंदेरु — कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - काज वेंकटेश्वरराव, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम ।

कुचिकायलपूडि — कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि वेंकटेश्वरराव ।

कुतुकुलूरु — पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - पिडपर्ति वीरभद्रराव ।

कुदरवल्लि — कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - दासरि ब्रह्मय्या । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मारेल्ल वेंकट सत्यनारायण राव ।
विशेष - परीक्षा केन्द्र है ।

कुप्पम — चित्तूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक अ. शंकरनारायण राव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी- एन. गोपाल रत्नम । परीक्षा केन्द्र है ।

कुय्येरु — पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - वेदुल लक्ष्मणमूर्ति, चंद्रमौलि सूर्यनारायणमूर्ति ।

कुरिचेडु — नेल्लूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - सूरि आदिनारायण शर्मा । प्रमुख हिन्दी प्रेमी- जी राधाकृष्णय्या । परीक्षा केन्द्र है ।

कुरुगोंडा — नेल्लूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - बी. सतीशबाबु । प्रमुख हिन्दी प्रेमी- आरणि पिच्चिरेड्डि । परीक्षा केन्द्र रहा ।

कुरुगोडु — कडपा जिला । प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - के. हेच. सत्यनारायण राव ।

कुरुपाम — श्रीकाकुलम जिला । प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - निम्मकायल सत्यानंदराव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीपाद लक्ष्मीनारायणमूर्ति ।

कुरुमद्दालि — कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पिन्नमनेनि वेंकट कुटुंबराव ।

कुल्लूर - नेल्लूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - नृसिंहाद्रि नम्मय्या । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दरिमडुगु रोशय्या । सूरं शंकरय्या ।
विशेष परीक्षा केन्द्र है ।

कूचिपूडि — तेनालि तालूका, गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - शेकूरु वरप्रसादराव, गुरिजाल कृष्णय्या । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यस. वि. दीक्षितुलु, कोत्तपल्लि राजबाबय्या । विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा ।

कोन्तरेड्डिपालेम --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1927.
केन्द्र के प्रचारक - व्रजनंदन शर्मा।

कोन्तलंका --- व्या-मुम्मिडिवरम, पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - पोन्तूरि वेंकट नरसिंहराजु, नडिमिंटि मृत्युंजयशास्त्री। मंडली की स्थापना - 1948.
भूतपूर्वअध्यक्ष - न. मृत्युंजयशास्त्री। मंत्री - पो. वेंकट नरसिंहशास्त्री। विशेष - हिन्दी वर्ग चलाये जाते थे। परीक्षा केन्द्र है।

कोप्पर्रु --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - आमुजाल नरसिंहमूर्ति।

कोप्पाका --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - वेगेशन सत्यनारायण राजु।

कोमरवोलु --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - कोसनम त्रिपुरान्तकम, यलमंचिलि रंगाराव, पोट्लूरि वेंकटराव, सूरपनेनि सुब्बय्या, पोट्लूरि हनुमंतराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - येर्नेनि सुब्रह्मण्यम, येर्नेनि सूर्यनारायण।
विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

कोमरगिरिपट्टणम --- पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पेण्ड्याल सुब्रह्मण्यशास्त्री।

कोमरिपालेम --- पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केंद्र के प्रचारक - मंगिपूडि लक्ष्मीपति, सुंकर गंगाधरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- नेलिकचर्ल सूर्यनारायण।
विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

कोम्मरा --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - पि. एस. नारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. सुब्बाराव। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

कोय्यगूरपाडु --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - मिक्किलिनेनि सुब्बाराव, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम।

कोय्यलगूडेम --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - गड्डापु अप्पलस्वामि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. कनकभूषणम। परीक्षा केन्द्र है।

कोलकलूर --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - मेडूरि अंजनादेवी।

कोलगानिवारिपालेम --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - नीलि वेंकटेश्वर्लु।

कोल्लिपरा --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - आवुल वेंकट रमणय्या, कडियाल सत्यनारायण राव, बोम्मिडिचर्ल वेंकटेश्वर राव।
विशेष - परीक्षा केंद्र है।

कोल्लूर --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - कनिपर्ति रामकोटय्या, चलमचर्ल वेंकटरामानुजाचार्युलु, पावुलूरि शिवरामय्या, दुग्गिराल सुब्बरामशास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोव्वलि --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - दिनवहि सांबमूर्ति, वेगेशन सत्यनारायणराजु।

कोव्वूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केंद्र के प्रचारक-मुडुंब दोड्डयाच्चार्युलु, सी. हेच. वीरभद्रराव, कोरप्रोलु वेंकट रंगम्मा, गूडवल्लि नरसिंहाराव, के. वी. यन. अप्पाराव, दिनवहि सत्यनारायण, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम, रावूरि वेंकट गोविंदयाच्चार्युलु। मंडली की स्थापना - 1948. अध्यक्ष - नंडूरि राघवराजु, मंत्री - कोरप्रोलु वेंकटरंगम्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है। हिन्दी विद्यालय बहुत समय से चल रहा है। हिन्दी नाटक प्रदर्शन हुए। कई बार सभा सम्मेलन भी हुए।

हिन्दी प्रेमी मंडली, कोव्वूर — 1955.

कुर्सियों पर - चाटपर्ति अप्पाराव, डाक्टर नौडूरि वेंकट रमणय्या, कोंपेल्ल सत्यनारायण शास्त्री, पी. वी. कृष्णय्या, नंडूरि राघवराजु, केशिराजु वेंकट नृसिंह अप्पाराव, कोरप्रोलु वेंकट रंगम्मा।

खड़े हुए - वेंकट रमणय्या, दुद्दुपूडि सूर्याराव, अप्पल नरसिंहमूर्ति, बिक्किनि सत्यनारायण, मन्यम वेंकटराजु, दुद्दुपूडि अप्पाराव।

कोटा — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - नीलगिरि लक्ष्मीनारायण, वी. एस. कृष्णमूर्ति, नंदिमंडलम वेंकट सुब्बराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वै. नरसिंहाराव, डि. सीतारामदास। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोटबोम्मालि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - सिद्धांतपु लिंगमूर्ति, आसूरी मरिंगंटि वेंकटाचारि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. वेंकटेश्वरराव, ए. चिट्टिबाबु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोडुमूरु — कर्नूल जिला। प्रचार कार्य का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पल्लेटि वेंकट चलमारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. एल. एन. शर्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोडूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - इ. शिवरामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रि. रामाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोडूरु — दिवि तालुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - चिल्लकपाटि वेंकटेश्वरराव, टि. वेंकटरामय्या, वी. नागय्या, जोन्नलगड्ड लक्ष्मीनारायण शर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - घट्टि नागलिंग शास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोनेटिपुरम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - कुर्रा सुत्यम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. सीतम्मा।

कोपल्ले — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - द्रोणमराजु नरसिंहाराव, वेगेशन सत्यनारायण राजु।

कोरुकोंडा - राजमंड्री तालुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - मार्गपुरि नरसिंहाचार्युलु, तं. कं. गोपालाचार्युलु, नंड्डूरि शोभनाद्राचार्युलु, कोत्तपल्लि भास्कर रामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - केतिनीडि अप्पाराव, सातुलूरु वरदाचार्युलु। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1948. अध्यक्ष - पराशर भट्टर सुदर्शन भट्टर अय्यवार्लिंगार। मंत्री - कोत्तपल्लि भास्कररामय्या। विशेष - बहुत समय से विद्यालय चलाया जा रहा, परीक्षा केन्द्र है।

मोतीलाल हिन्दी पाठशाला - कोरुकोण्डा—1930
कुर्सियों पर बाईं ओर से - गाडेपल्लि वेंकट रत्नम, मार्गपुरि नरसिंहाचार्युलु, पराशर भट्टर सुदर्शन भट्टर, सातुलूरु वरदाचार्युलु, चिलुकूरि सूर्यनारायणमूर्ति, नंड्डूरि शोभनाद्राचार्युलु।

कोरुकोल्लु — कैकलूर तालुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - चवाकुल नरसिंहमूर्ति, चेकूरि लच्चिराजु, कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

कोरुमिल्लि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - भमिडिपाटि श्रीरामचंद्रमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - च्रा. नरसिंहमूर्ति।

कोर्लका — काकिनाडा ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - वेदुल लक्ष्मण मूर्ति, दाट्ल वेंकट सुब्बराजु, नरसिंहदेवर विश्वेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - भमिडि लक्ष्मी नारायण शास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोलनपल्लि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - कालनाथभट्ट सूर्यनारायणमूर्ति, कलग कृष्णमूर्ति।

कोलमूरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - कालानाथभट्ट सूर्यनारायणमूर्ति।

कोलवेन्नु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1920.
केन्द्र के प्रचारक - कंचर्ल रवणम्मा, बुर्रा रामशेषय्या, व्याकरणम लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री, अड्डुसुमिल्लि वेणुगोपालराव, कंचर्ल मधुसूदनराव, कोनेरु तिरुमलराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अक्किनेनि भास्करराव, मिक्किलिनेनि परंधामय्या, चोडवरपु मधुसूदनराव।

कोवरंगुट्टपल्ले — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - जूटूरि गंगिरेड्डी।

कोवूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - वै. के. गोपालकृष्णमाचार्युलु, डाक्टर एम. सुब्रह्मण्यम 'नागु'। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. वि. सुब्रह्मण्यम, पी. नागरत्नम। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष-बोम्मिशेट्टि राधाकृष्णमूर्ति, मंत्री - वीपूरु गोपालरेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोवेलकुंट्ला — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक-मोहनपु रंगराजु, के. वि. नरसिंहम, पुलिपाटि वेंकट सुब्बय्या, डा.एम. सुब्रह्मण्यम'नागु' विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

कोसगि — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1952
केन्द्र के प्रचारक - वै. कंबगिरि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सी. पी. जगन्नाथम। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

कोसूर — बंदर ताल्लूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक-रेंडुचिंतल नांचारय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-ताडेपल्लि वीर हनुमंतराव। परीक्षा केन्द्र रहा।

क्राप — तेनाली ताल्लूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - चावलि कोटेश्वरराव, महम्मद खैरात हुसेन, कनिपर्ति रामकोटय्या। मंडली की स्थापना - 1939. अध्यक्ष - कोगंटि सूर्यनारायण, मंत्री - कनिपर्ति रामकोटय्या। विशेष - हिन्दी महा विद्यालय चलाया गया। प्रेमी मंडली ने रु 2000/- का चंदा वसूल करके विद्यालय के लिए भवन बनवाया जिसका प्रारंभोत्सव दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रधान मंत्री मोटूरि सत्यनारायण जी ने किया।

क्रोसूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - चिलकलपूडि सत्यनारायण, बोडेपूडि अप्पाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मुक्कामल माधवराव, वी. गोपालकृष्णा राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

खंडवल्लि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक-चल्लि रामचंद्रराव, यर्रा वेंकटस्वामि, दन्तुलूरि जानकिरामराजु, वड्लमानि सोमशेखरम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वाडपल्लि चिट्टि वीरय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

खम्मंमेट — प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - गुंटुपल्लि राजगोपालम, के. शेषमराजु, जी. लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री, बाबूराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - रायपूडि रंगय्या, पर्चा श्रीनिवासराव, अक्षयलिंगमगुप्त, वीरवल्लि वेंकट नरसिंहाराव, हीरालाल मोरिया। मंडली की स्थापना - 1952. अध्यक्ष - इ. नीलकंठराव, मंत्री - के. रंगाराव, विशेष - मंडली का अपना ग्रंथालय है। 1954 में इस मंडली की तरफ से जिला हिन्दी प्रचार सम्मेलन, कवि सम्मेलन तथा साहित्य सम्मेलन मनाये गये। परीक्षाओं का स्थाई केन्द्र है।

यह चित्र - तब का है जब कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा - मद्रास की रजतजयंती के अवसर पर आन्ध्र देश की यात्रा की थी।

खम्मंमेट में बापूजी के व्याख्यान का अनुवाद उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या जी कर रहे हैं।

महात्मा गांधी जी की आन्ध्र देश की यात्रा- खम्मंमेट - 5-2-1946.

खाजीपेटा — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - कासमशेट्टि लक्ष्मीनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

खाजीपालेम — गुंटूर ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1928.
केन्द्र के प्रचारक - मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव।

गंगवरम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - ईमनि दयानंद, भमिडिपाटि श्रीरामचंद्रमूर्ति।

गंडवरम — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - दुत्ता नारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बोम्मा शेषुरेड्डि, सी. रामस्वामिराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गंडिगुंटा — गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - तुम्मल पूर्णचन्द्रराव, कोंडालि रामाराव।

गंडाई — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - वारणासि सुब्रह्मण्य शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कनपर्ति शेषय्या।

गंपलगूडेम — कृष्णा ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि रंगाराव, गोविंदराजुल वेंकट रामाराव, गोदा तिरुमलय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. सीतारामसूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गजपतिनगरम — विशाखपट्टणम ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - चंद्रमौलि सूर्यनारायणमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - रेपाक वेंकटस्वामि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गज्जरम — कोव्वूर तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - उप्पलपाटि सत्यनारायण, टि. चौदरि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वारणासि लक्ष्मीनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गड्डमणुगु कोंडूर — कृष्णा जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

गणपवरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - सरिपल्लि वेंकटेश्वररेड्डि, वज्राल कृष्णारेड्डि।

गणपवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - चेकूरि लच्चिराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पेरिच्चर्ल चिनभगवान राजु। कोंपल्ले वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री, नंद्याल गंगराजु, नंद्याल सूर्यनारायण राजु। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

गन्नवरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - सूरपनेनि सुब्बय्या, तोटकूर अप्पराय वर्मा, गन्ने वेंकटेश्वर राव। परीक्षा केन्द्र है।

गर्भाम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - सिद्दान्तपु लिंगमूर्ति, चवाकुल नरसिंहमूर्ति, वेदाल लक्ष्मीनारायणाचार्युलु, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. वेंकटराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गरिकपर्रु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केंद्र के प्रचारक - मैनेनि वेंकट सुब्बय्या, एन. सांबशिवराव, पालडुगु रामनाथम, सूरपनेनि सोब्बय्या, केटमनेनि वेंकट सुब्बय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सूरपनेनि वेंकट रामाराव। मंडली की स्थापना - 1930. अध्यक्ष - सूरपनेनि वेंकट रामाराव, मंत्री - सूरपनेनि बालाजी। विशेष-1932 में विशारद विद्यालय चलाया गया। अब हिन्दी वर्ग चल रहे हैं।

गरगपर्रु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - मंगिपूडि लक्ष्मीपति, वैरंजु सत्यनारायणराजु।

गांडलपेटा — कदिरि तालूका, अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - एम. एल. गुरप्पा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. लघुमय्या, एम. मुनिरेड्डि, के. एम. मूर्ति।

गांधीआश्रम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - आरिकपूडि राघवेन्द्रराव, यलमंचिलि लक्ष्मय्या, पोट्लूरि शिवनारायण, यलमंचिलि वेंकटेश्वरराव, यलमंचिलि सरस्वतीदेवी, अट्लूरि राजय्या, चलसानि कृष्णाराव, कोल्लिपर रामचंद्रय्या, सूरपनेनि सुब्बय्या, रामानंदशर्मा, चलमचर्ल वेंकटरामानुजाचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एर्नेनि सुब्रह्मण्यम, एर्नेनि सूर्यनारायण। विशेप - परीक्षा केन्द्र रहा। कई साल तक विशारद विद्यालय चलाया गया। 1944 में कृष्णा जिला हिन्दी प्रचारक मंडली की तरफ से हिन्दी प्रचारक शिक्षण शिबिर चलाया गया जिस में जैनेन्द्रकुमार, रघुवर दयालमिश्र, ब्रजनंदन शर्मा आदि ने शिक्षण दिया।

गाडिलंका — अमलापुरम तालूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - मंथेन कृष्णम राजु।

गारपाडु — गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - दोनेपूडि राजाराव प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. पूर्णचंद्रराव, पि. सीतारामय्या।

गालिमडुगु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - गारपाटि वेंकट रेड्डैय्या चौदरी।

गिद्दलूरु — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - एम. महबूब साहब, कृष्णावझल सदाशिवराव, कृष्णावझल सुमित्रादेवी, वेल्लकोंड रंगय्या।

गुंटकल — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - एम. मुनिराजु, एस. सत्यनारायण, के. गंगिरेड्डि, एल. रामराजु, एस. रंगप्पनायुडु, मद्दुलपल्लि नरसिंहम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-पी. एस. वेंकटेश्वरराव, म. नरसिंहम, श्रीरामचंद्रराव एम.एस. मंडली की स्थापना - 1935. अध्यक्ष - टि. एम. मल्लिकेटय्या, मंत्री - ए. विरूपाक्षप्पा। विशेष - परीक्षा केंद्र है। हिन्दी विद्यालय चल रहा है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - (तिम्मंचर्ल) गुंटकल-1955.

कुर्सियों पर - बायें से- जी. आर. लिंगम, के. रामस्वामि, एम. शेषाद्रि अय्यंगार-उपाध्यक्ष, टि. एस. मल्लिकेटय्या-अध्यक्ष, एम. नरसिंहम, ए. विरुपाक्षप्पा-मंत्री के. गंगिरेड्डि-सहायकमंत्री, खडे हुए - बि. शरभय्या-कोशाध्यक्ष, आर. सुलतान, पि. एस. वेंकटेश्वरराव, एस. आर. नायुडु, एल. रामराजु, के. सूर्यनारायणशास्त्री, एन. एम. नागमुनेय्या ।

गुंटूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.

केन्द्र के प्रचारक - हृषीकेश शर्मा, रामानंदशर्मा, कोटमराजु सीतापतिशर्मा, वझ धर्मराज शर्मा, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, उन्नव वेंकटप्पय्या, चावलि कोटेश्वरराव, इलपावुलूरि पांडुरंगाराव, जंध्याल पापय्यशास्त्री, कर्ण राजशेषगिरिराव, गौरिपेद्दि रामकृष्णा राव, चेन्नावझल लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, दोड्डि लिंगेश्वरराव, मादिराजु विश्वनाथम्, कामराजु वेंकट्रामय्या, बोप्पूडि वेंकट्रायुडु, कोप्पुरावूरि वेंकट सुब्बाराव, बूदराजु वेंकटसुब्बाराव, कपिलवायि वेंकटेश्वरराव, व्रजनंदन शर्मा, एस. वि. शिवरामशर्मा, नंदुल शेषगिरि शर्मा, वेंकायलपाटि शेषावतारम, यल्लराजु श्यामलादेवी, कंभमपाटि सत्यनारायणमूर्ति, प्रयाग सत्यनारायण मूर्ति, यन. सांबशिवराव, पी. वी. आर. सूर्यनारायण, उन्नव सेतुमाधवराव, मंडा हनुमच्छास्त्री, मंडा अनसूयादेवी, एलेश्वरपु अरुणाचलम, मल्लादि गोपालकृष्ण शर्मा, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, वारणासि राममूर्ति, अंबटिपूडि राममूर्ति, अंबटिपूडि राममूर्ति शास्त्री, वासिरेड्डि अनसूयादेवी, स्व. रायप्रोलु सीतारामांजनेय शास्त्री ।

प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यन. वि. यल. नरसिंहाराव, तेल्लाकुल जालय्या, गुडिवाड पुल्लाराव, उन्नव लक्ष्मीनारायण, जी. वी. पुन्नय्य शास्त्री। मंडली की स्थापना - 1930. अध्यक्ष-गुडिवाड पुल्लाराव, मंत्री - चेन्नावझल लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

इस नगर में कुल चार आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभाएँ हुईं। 1921 में प्रथम हिन्दी महा सभा अध्यक्ष काजी साहब, 1924 में चौथी महासभा के भोगराजु पट्टाभि सीतारामय्या, 1931 में तवीं महासभा रामचन्द्रुनि वामन नायक, तथा 1953 में बीसवीं महासभा के गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तमराव जी ध्यक्ष रहे। दो बार आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचारक सम्मेलन 1924 में भोगराजु पट्टाभिसीतारामय्या और 953 में दुग्गिराल बलरामकृष्णय्या जी की अध्यक्षता में मनाये गये। इनके अलावा जिला व नगर चारक सम्मेलन भी मनाये गये। हृषीकेश शर्मा ने नगर में निश्शुल्क हिन्दी वर्गों का संगठन किया। मानंद शर्मा जी ने शारदा निकेतन में काम करते हुए नगर में हिन्दी ग्रंथालय की वृद्धि करके हिन्दी ाहित्य के प्रति लोगों में अभिरुचि पैदा की। हिन्दी प्रेमी मंडली की ओर से 'हिन्दी हितैषी' नामक त्रैमासिक त्रिका बी. वी. सुब्बाराव तथा चिरंजीलाल शर्मा के संपादकत्व में चलायी गयी। शारदा निकेतन, ृष्णाश्रम, भारत महिला मंडली, श्रीराम हिन्दी विद्यालय, अशोका ट्युटोरियल हिन्दी इन्स्टिट्यूट, जय भारत हिन्दी विद्यालय, श्रीरामा हिन्दी पाठशाला आदि संस्थाओं के द्वारा हिन्दी प्रचार का कार्य ोरों से हो रहा है। स्व.देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्य पंतुलु, स्वामी सीताराम, उन्नव लक्ष्मीनारायण पंतुलु तथा व. उन्नव लक्ष्मीबायम्मा के विशेष प्रोत्साहन व सहायता इस नगर के हिन्दी प्रचार कार्य को हमेशा से मिलती रही है।

गुंटूर पट्टण हिन्दी प्रेमी मंडली की कार्यकारिणी समिति - 1955.

कुर्सियों पर - बायें से-बी. वी. सुब्बाराव, अध्यक्ष- गुडिवाड पुल्लाराव। वज्झ धर्मराज शर्मा. श्री-चन्नावझल लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति।

खड़े हुए - बायें से - चावलि कोटेश्वरराव, मंदा हनुमच्छास्त्री, कटारु श्रीरामराजु, ारिपेद्दि रामकृष्णा राव, कोडचलम कृष्ण सोमयाजुलु।

बीसवीं हिन्दी महा सभा, गुंटूर - 1953. राजपाल माननीय श्री श्रीप्रकाश का स्वागत ।

20 वीं हिन्दी महासभा, गुंटूर-1953 मंत्री श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्याजी महासभाओं की रिपोर्ट पढ रहे हैं

गुडुगोल्लनु — पश्चिम गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - चिरवेल्ल मल्लिकार्जुनुडु, मोटपर्ति लक्ष्मीनारायण । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - भोगराजु राममोहनराव ।

गुडिपूडि — गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - मल्लादि वेंकटकृष्णय्या ।

गुडिमेल्लंका — राजोलु तालुका, पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - सागि सूर्यनारायणराजु । विशेष - हिन्दी हितैषी मंडली की स्थापना 1933 में हुई ।

गुडिवाडा —- कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1921
केन्द्र के प्रचारक-स्व. जंध्याल शिवन्नशास्त्री, अट्लूरि राजय्या, गुत्ता लक्ष्मीनरसिंहम,वी. सी. रामस्वामि, गल्लपल्लि दुर्गानागेश्वरराव, भागवतुल सत्यनारायण, पोट्लूरि नागभूषणम, चल्लगुल्ल कोंडेश्वरराव, पोट्लूरि वेंकटराव, पोट्लूरि शिवन्नारायण, यलमंचिलि सुब्बाराव, मल्लादि वेंकटेश्वर्लु, सूरपनेनि मनोरमादेवी, गुत्ता पद्मनाभम, दिव्वेल चिन्नय्य गुप्ता, पुरिटिपाटि राममूर्तिरेड्डि, चोडवरपु रामशेषय्या, दंडमूडि वेंकट कृष्णाराव, रेंटाल वेंकट राघवराव, चलमचर्ल वेंकट रामानुजाचार्युलु, चिलकपाटि वेंकटेश्वरराव, पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव, मुमनूरि सत्यनारायण, पोट्लूरि हनुमंतराव, बंड्लमूडि आंजनेयुलु । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सूरपनेनि श्रीरामुलु, मुदुनूरि गुर्राजु, मूडेड्ल रामाराव, अड्डुसुमिल्लि नारायणराव । मंडली की स्थापना - 1940. काज वेंकट्रामय्या-अध्यक्ष, चल्लगुल्ल कोंडेश्वरराव-मंत्री । विशेष - हिंदी विद्यालय चल रहा है । हिंदी नाटक प्रदर्शन हुए । परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली, गुडिवाडा - 1954.

कुर्सियों पर, बायें से- सूरपनेनि मनोरमादेवी, मूडेड्ल रामाराव-उपाध्यक्ष, काज वेंकट्रामय्या-अध्यक्ष, मुदुनूरु गुर्राजु-उपाध्यक्ष, अट्लूरि वेंकट शेषाचलदास-कोशाध्यक्ष, खडे हुए, बायें से - बंड्लमूडि आंजनेयुलु, पोट्लूरि शिवन्नारायण, पोट्लूरि नागभूषणम, चल्लगुल्ल कोंडेश्वरराव-मंत्री आदि ।

गुत्ति अनंतपूर प्रचार का आरंभ - 1937. केन्द्र के प्रचारक - दंडमूडि कृष्णाराव, के. देवशर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - **वेंकटशिवराव** डली की स्थापना 954. अध्यक्ष - वी. कोप्रेशाचारी, मंत्री - के. जयदेव शर्मा, व - बहुत समय से हिन्दी वर्ग चल रहे हैं क्षा केंद्र है

हिन्दी विद्यालय - गुत्ति

19 अगस्त के विद्यार्थी - अ क तथा के. दर्शित हैं

गुडलवल्लेरु --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - कोल्लि रामदास, पिडिकिटि विश्वनाथम, जंध्याल राममूर्ति, दुग्गिराल सीतारामय्या, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. वेंकटेश्वरराव, मोटूरि सूर्यकांता देवी, नरसिंह स्वामि, कोसराजु सूर्यनारायण, कोसराजु लक्ष्मी कांतम्मा, डा. लक्ष्मीदास, वल्लूरिपल्लि पिचम्मा, मैनेनि सौभाग्यम्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गुणदला --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1952. केन्द्र के प्रचारक - पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव, उप्पुटूरि श्रीरामकृष्णय्या, रावकोंड नरसिंहमूर्ति, कणी राज शेषगिरिराव, पणिक्कर आसूरि मरिंगंटि वेंकटाचार्युलु।

गुनुपाटिवारिपालेम --- नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - बेल्लंकोंड नरहरिराव।

गुम्मुलूरु --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - मेडविल्लि श्रीराममूर्ति।

गुरज --- गुडिवाड तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - चापराल वेंकट रत्नम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मुदुनूरि वीरराघवय्या, एर्नेनि हेमाद्रि, विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

गुरजाला --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - नीलि वेंकटेश्वर्लु, के. वी. रामानुजाचार्य, चेन्नुपाटि यानादि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. वी. सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गुलदुर्ति --- कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ-1948. केन्द्र के प्रचारक - तुम्मूरु कृष्णमूर्ति।

गूटाला --- कोव्वूर तालूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - पेंड्याल परब्रह्मशास्त्री, वेगेशन सत्यनारायणराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कुडुंबै अनन्ताचार्युलु। शिष्ट्ला सुब्बय्य शास्त्री।

गूडवल्ली --- वया-भट्टिप्रोलु, रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - कोंडप्रोलु हनुमंतराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - परुचूरि सांबशिवराव। विशेष - हाल में हिन्दी के सभी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

गूडूर --- कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - के. पि. रामचंद्रराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - इ. सि. यल्लय्य शेट्टि विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गूडूर --- नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ- 1921. केन्द्र के प्रचारक - मोटूरि सत्यनारायण, मेलचेरुवु वेंकटेश्वर्लु, ए. एल. सांबशिवराव, यर्रमिल्लि कामेश्वरराव, पुष्पगिरि जानकम्मा, ताटि सुब्बय्या, चित्रकवि भास्कराचार्युलु. प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एनुग वेंकट नरसारेड्डि। मंडली की स्थापना-1931, अध्यक्ष - पसुपुलेटि सिद्दय्य नायुडु, गुर्रेटि वीर सुब्रह्मण्यम। विशेष - हिन्दी विद्यालय चलता है। परीक्षा केन्द्र है। 1932 में गुर्रेटि वीर सुब्रह्मण्यम जी ने जातीय विद्या कुटीर की स्थापना की। इस संस्था के कार्य का डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु आदि ने निरीक्षण करके हिन्दी प्रचार कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसकी तरफ से राज्यलक्ष्मी पुस्तकालय तथा वाचनालय भी चल रहे हैं। मंडली के वार्षिकोत्सवों के अवसर पर दुर्गादास, मेवाड पतन, देवदास आदि हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन भी हुए।

हिन्दी प्रचार सभा का वार्षिकोत्सव - गूडूर, नेल्लूर जिला - 1932.
कुर्सियों पर - अद्देपल्लि लक्ष्मीनारायण, पल्लेटि वेंकट सुब्बारेड्डि, मोटूरि सत्यनारायण, यर्रमिल्लि कामेश्वरराव, गुद्देटि वीरसुब्रहाण्यम आदि हैं।

गोट्टिपर्ति — सूर्यापेट तालुका, आन्ध्र प्रदेश, प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - कोतिरेड्डि जनार्दन रेड्डि, देशमुख, के. ईश्वर प्रसादराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. वेंकटरेड्डि, गुरवय्या, नेड्डु हनुमय्या. मंडली की स्थापना- 1937. अध्यक्ष-के. जनार्दनरेड्डि देशमुख, मंत्री - के. वेंकटरेड्डी।

गोट्टिपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - वेंकायलपाटि गोपावतारम।

गोडवर्रु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - कोनेरु तिरुमलराव, चिन्नमनेनि वेंकट कुटुंबराव, निम्मगड्डु वेंकट शिवशास्त्री, एन. मधुसूदनराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आकेल्ल श्रीरामुलु।

गोल्लपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - वेलगपूडि रामय्या; काज वेंकटेश्वरराव, उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गोल्लप्रोलु — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - उप्पलपाटि सत्यनारायण, कोरुमिल्लि सन्यासिराजु।

गोल्लकोडेरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - कालनाथ भट्ट सूर्यनारायणमूर्ति।।

गोलविल्लि — अमलापुरम तालुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - शिवपुरंविल्ल दक्षिणामूर्ति स्वामुलु।

गोकवरम — राजमंद्रि तालुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - पार्वतीशम नायुडु, मार्गपुरि नरसिंहाचार्युलु, नागभट्ल बय्यन्न शास्त्री, नूकल वेंकटरामशास्त्री, उप्पलपाटि सत्यनारायण, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कडिमेल्ल राममूर्ति शर्मा, नागुलकोंड राजलिंगम।

गोगिनेनिवारिपालेम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि वेंकटेश्वरराव, तुमुलकोट वेंकट कृष्ण शर्मा।

गोगुलंपाडु — नूजवीडु तालुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि हनुमंतराव।

गोटूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक-येद्दुल गौरिरेड्डि, येद्दुल जाजिरेड्डि। यस. फकुरुद्दीन साहब, यल. गंगिरेड्डि, मल्लारेड्डि।

गोपवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक-कोमांडूरि गोविंदराजाचार्युलु, मार्गपुरि नरसिंहाचार्युलु, आत्मकूरि गोपालरामाचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- आत्मकूरि सुभद्राचार्युलु, सातुलूरि गोपालाचार्युलु।

गोपालपल्लि — शृंगवरपुकोट तालुका, विशाखपट्टणम जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - नंदिगाम पेराजु पंतुलु।

गोपालुनिवारिपालेम — नरसरावपेट तालुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - चिन्नमनेनि रंगनायकुलु।

गोपिनेनिपालेम — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला।
केंद्र के प्रचारक - के. बलरामराजु.। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. रंगराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गोपुवानिपालेम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कोल्लि वेंकटेश्वरराव।

गोरंट्ला — अनंतपुर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - पोन्नतोट वेंकट नारायण रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. वेंकट शेषय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

गोवाडा — तेनालि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - श्री पावुलूरि लक्ष्मय्या; अब्बिनेनि रामकृष्णय्या, आलपाटि जयदेव, नन्नपनेनि वेंकट्रामय्या, कस्तूरि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तुम्मल बापय्या। मंडली की स्थापना - 1944. विशेष - विशारद विद्यालय चलाया गया। पुस्तकालय तथा वाचनालय है। सभा सम्मेलन और नाटक प्रदर्शन हुए।

गोविन्दपल्लि — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - वेमूरि सुब्बाराव।

गोसवीडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - के. रामानुज भट्टर। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

घंटसाला — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - मोक्कपाटि सुंदर रामय्या, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, ऐनंपूडि गुरुनाथराव, का. पट्टाभिरामय्या, के. टि. एल. नरसिंहाचार्य, चिंतलपाटि लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गोरंपाटि वेंकट सुब्बय्या, गोट्टिपाटि ब्रह्मय्या। मंडली की स्थापना - 1946. अध्यक्ष - गो. वेंकटसुब्बय्या, मंत्री - चि. लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं।

चंदर्लपाडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - माधवरपु वेंकटेश्वरराव, कुर्रा नरसिंहाराव।

चंदोल — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - मेडताटि बापनय्य। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अंदुकूर वेंकट सुब्बय्य।

चक्कपल्लि — नूजवीडु तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचि लक्ष्मय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अंकुशराव तिरुपतिराव।

चट्टन्नवरम — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - आरिकपूडि नागभूषणम।

चल्लपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - मैनेपल्लि सीतारामय्या, दंडमूडि सुब्बय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीमंतु राजा यार्लगड्ड शिवरामप्रसाद, बी. हेच. रमणाराव। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष - गोल्लपूडि सत्यनारायण, मंत्री - मैनेपल्लि सीतारामय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नागल्लु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - चिलोकूरि वीरय्यशास्त्री, अडिवि श्रीकृष्णमूर्ति।

चाटपर्रु — एलूरु तालुका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पातूरि मधुसूदनराव, मागंटि रामचन्द्रराव, पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, सूरपनेनि वेंकट नरसय्या, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वी. सत्यनारायण। विशेष- परीक्षा केन्द्र है

चापरा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - निम्मकायल सत्यानंदराव।

चिंतपल्लिपाडु — गुंटूर तालुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - गुंडुपल्लि राजगोपालम, मन्नव वेंकट शिवराम, अन्नं गोवर्धन राव, वेदान्तम अनंत लक्ष्मी नरसिंहाचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - निम्मराजु वेंकट रंगाराव। परीक्षा केन्द्र रहा।

चिंतलपाडु — नंदिगाम तालुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक सूर्यदेवर हरिनारायण।

चिंतलपूडि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - पेंड्याल परब्रह्मशास्त्री, पातूरि मधुसूदनराव, पिडिकिटि सुब्बाराव, पेम्मराजु राजाराव, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गद्दे विष्णुमूर्ति, आचंट रामकृष्णय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

चिट्टिगूडूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक- कोमनम त्रिपुरान्तकम, जोन्नलगड्डनारायणशास्त्री, एम. बि. वि. ऐ. आर. शर्मा, वीरमाचनेनि रामाराव, चिट्टूराजु कोटमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नूकल रामस्वामि।

चिय्याला — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - इंजरपु सर्वारायुडु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दारपुरेड्डि रामाराव। परीक्षा केन्द्र रहा।

चित्तूर — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक- टि. अंजनादेवी, चिट्टूरि लक्ष्मी नारायणशर्मा, वड्डिपर्ति चलपतिराव, काशीराम शास्त्री, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, बोब्बा नरसिंहम- 'बीन', इलपावुलूरि पांडुरंगाराव, येद्दुल बालशौरिरेड्डि, चिटला मंगलांबा, आरिकपूडि राघवेंद्रराव, एम. राजारेड्डि, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, मुंगर शंकरराजु, एस श्रीकंटमूर्ति, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, अडिवि श्रीकृष्णमूर्ति, आनंदराव सत्यनारायण, सूरपनेनि सीतारामय्या, मिक्किलिनेनि सुब्बाराव, वेमूरि सुब्बाराव, जि. सुब्रह्मण्यम, एन. गोविंदरेड्डि, गालि चिनम्माळ मिनायुडु, आमूरु वरदराजन, ख. टि. कन्नय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. सि. वेंकटराजु, जि. वसंतम्मा, दोरस्वामि अय्यंगार, यन. के. वीरराघवन, टि. राजेश्वरी, के. जि. नरसिंगराव, टि. यम. रामचंद्रन। मंडली की स्थापना-1934. अध्यक्ष यम. अनंतशयनम अय्यंगार, मंत्री - डि. श्रीनिवास अय्यंगार।

विशेष-आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा का द्वितीय अधिवेशन 1922 में गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तमरावजी की अध्यक्षता में, और अठारहवाँ अधिवेशन 1947 में टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु जी की अध्यक्षता में संपन्न हुए। 1947 में 14 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन शील ब्रह्मय्या जी की अध्यक्षता में मनाया गया। यहाँ बहुत समय से विशारद तथा प्रारंभिक विद्यालय चल रहे हैं। कुछ समय तक प्रचारक विद्यालय भी चला। परीक्षा केन्द्र है।

चित्तूर जिला हिन्दी अध्यापक मंडली चारक सम्मेलन - 195

इस में - स के अध सत्यनाराय , एस. महालिंगम, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, डि. श्रीनिवास अयाचि नुमच्छास्त्री और स्व. टि. न्नय्या, जिलेके हिन्दी अध्याप के साथ दर्शित हैं।

चिनकल्लेपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या।

चिनगादेलवर्रु — तेनालि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक- आचार्य उय्यूरु श्यामसुन्दर देव, काट्रगड्ड गोपालकृष्णय्या, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जो. मार्कंडेश्वर। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

चिनपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - मेल्लचेरुवु वेंकटेश्वर्लु।

चिनपारुपूडि — गुडिवाड तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केंद्र के प्रचारक - यलमंचि लक्ष्मय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोडालि नागभूषणम, कोडालि रामय्या, मल्लिनेनि कोटय्या, कोडालि वेंकटेश्वर राव, गड्डपु वेंकट कृष्णा राव, गुल्लपल्लि नागेश्वर राव।

चिनमेरंगि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - विश्वनाथ पाढी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. रामाराव। परीक्षा केन्द्र है।

चिनरावूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - कुर्रा मुत्यम।

चिनओगिराला — गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केंद्र के प्रचारक - कोडालि रामाराव।

चिरनपूडि — राजोल तालूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - मंगिपूडि वेंकटराव।

चिलकलपल्ली — पालकोंड तालूका, श्रीकाकुलम जिला।। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - देवुलपल्लि कोंडलराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मुक्कविल्लि कृष्णमूर्ति। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

चिलकलूरिपेटा — प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - वंकायलपाटि शेषावतारम, वंकायलपाटि लक्ष्मीनारायण, उन्नव अप्पाराव, उन्नव वेंकट्रामय्या, पिन्नमनेनि रंगनायकुलु, जास्ति वेंकटनरसय्या, अब्दुल वहाब, अन्न गोवर्धन राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - राचुमल्लु कन्नय्या, सीतारामय्या, रंगनायकुलु, के. कोटेश्वरराव, डि. यल. नरसिंहम। मंडली की स्थापना - 1940. अध्यक्ष - सि. हेच. नरसिंहाचार्युलु, मंत्री - उन्नव अप्पाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी विद्यालय - चिलकलूरिपेटा - 1945.

खड़े हुए - पि. सूरि, अब्दुल वहाव, वेंकटाचारी ।

कुर्सियों पर - जि. सत्यनारायण, उन्नव अप्पाराव, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, तोट हरिहर ब्रह्मानंदस्वामुलु, पि. रंगनायकुलु ।

नीचे - जि. राजेश्वरी देवी, के. सुब्बाराव ।

चिलमत्तूर — अनंतपूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - ओ. रामकृष्णारेड्डि । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. श्रीनिवासराव । परीक्षा केन्द्र है ।

चीमकुर्ति — गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - बोडेपूडि अप्पाराव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - समुद्राल भवानी शंकरय्या । विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा ।

चीराला — गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - कर्ण वीर नागेश्वरराव, येलचूरु नागिशेट्टि, कोल्लिपर पांडुरंगाराव, कुर्रा बुच्चिरामय्या, मुलुकुट्ल वेंकटसुब्रह्मण्यशास्त्री, पावुलूरि शिवरामकृष्णय्या, पोलु शेषगिरि राव, लेल्ल सांबशिवराव, एलेश्वरपु अरुणाचलम, वल्लूरि शंकरशास्त्रि । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बूदराजु बलराम कृष्णमूर्ति, रावुल हरिप्रसाद राव, ऊटुकूरि उपेन्द्र गुप्त । विशेष - परीक्षा केन्द्र है ।

चुण्डूर — गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - चक्राल दुर्गानंदराजु, शेकूरु वरप्रसादराव ।

चेंत्रुमियापेटा — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कासमशेट्टि लक्ष्मीनारायण।

चेन्नपलिपालेम — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - पुसल सुब्बय्या, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - भास्करुनि अरुणाचलम। परीक्षा केन्द्र रहा।

चेन्नूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कासमशेट्टि लक्ष्मीनारायण, गोदिन सुब्बय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

चेन्नूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - माजेटि वेंकट सुब्बाराव।

चेब्रोलु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1926.
केन्द्र के प्रचारक - व्रजनंदन शर्मा, त्रावलि कोटेश्वरराव, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, उन्नव वेंकटप्पय्या, पुनुकोल्लु वेंकटेश्वर राव, पी. वी. आर. सूर्यनारायण। विशेष - जातीय पाठशाला के द्वारा हिन्दी प्रचार का कार्य चला। परीक्षा केन्द्र है।

चेब्रोलु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - अडिवि वेंकटेश्वर राव।

चेमुट्टूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - माजेटि वेंकट सुब्बाराव।

चेरियाल — जनगाम तालुका, वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - उप्पल लिंगय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यादगिरि राव। मंडली की स्थापना-1955 अध्यक्ष - बालकृष्णय्या, मंत्री - उप्पल लिंगय्या। परीक्षा केन्द्र रहा।

चेरुकुगनुम अग्रहारम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - अड्डनविल्लि चंद्रशेखरम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- के. विश्वनाथम, वि. लक्ष्मीनारायण।

चेरुकुपल्लि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - एलेश्वरपु अरुणाचलम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नेक्कलपूडि शिवरामकृष्णय्या।

चोडवरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1929.
केन्द्र के प्रचारक - अद्दूरि वेंकट रंगय्या।

चोडवरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - मंथेन कृष्णमराजु, अनपर्ति अच्युतरामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यम. वि सूर्यनारायणराजु, विकिकन वेंकट रत्नम।

चोडवरम — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - यम. गौरांगराव, अधिकार्ल राममूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

चौडेपल्लि — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - पि. रामचन्द्र रेड्डि, उध्य वासुदेवशर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ए. कृष्णमूर्ति राव।

जंगारेड्डिगूडेम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - काल्लकूरि वीरराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोलचिन श्रीराममूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

जंपनि — गुंटूर जिला प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - व्रजनंदन शर्मा, वेमूरि वेंकट सुब्बय्य चौदरी।

जंबूपट्टणम — राजमंद्री तालुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि भास्कर रामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - उल्लि सत्यनारायण, अडपा सूर्याराव।

जग्गय्यपेटा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - जि. वि. यन. नागेश्वरराव, चोडवरपु रामशेषय्या, पि. ज्वाला नरसिंहम, यस. अनंतय्या, चक्का नागभूषणम, मादल गोपालकृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डा. मोरिशेट्टि बसवराजु, मार्ति लक्ष्मीनारायण शास्त्री। मंडली की स्थापना - 1944. अध्यक्ष - वै. वै. शर्मा, मंत्री - चक्का नागभूषणम। विशेष-हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। हिन्दी नाटक प्रदर्शन हुए। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - जग्गय्यपेटा
कुर्सियों पर - (2) मंत्री - चक्का नागभूषणम (3) अध्यक्ष - वै. वै. शर्मा

जक्कम्म — पश्चिम गोदावरी जिला। केन्द्र के प्रचारक - द्रोणमराजु नरसिंहाराव।

जगन्नाथपुरम —ताडेपल्लिगूडेम ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ-1936. केन्द्र के प्रचारक - गृडवल्लि नरसिंहाराव।

जग्गंपेटा — पेद्दापुरम ताल्लुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1955. केन्द्र के प्रचारक - दंडु तम्मिराजु।

जग्गन्नपेटा — पूर्व गोदावरी जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

जडचर्ला — महबूब नगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - सोमेश्वरशर्मा, साधु सत्यनारायण, गादंशेट्टि श्रीरामुलुगुप्ता और पोड्डूरि कृष्णाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चामर्ति नागय्या। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - कोत्त केशवुलु। मंत्री - चामर्ति नागय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र चल रहा है।

जनगाम — वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - सोमशेखर शर्मा, वेमूरि नरसिंह शर्मा, मुत्तारेड्डी और गौरिपेद्दि रामकृष्णाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-पेद्दि नारायण, वेंकटरंगम, रामचंद्रारेड्डी, लिंगाल वेंकटरंगारेड्डी और लिंगाल वेंकटरेड्डी। मंडली की स्थापना-1951. अध्यक्ष - हरकारे श्रीनिवासराव, मंत्री - गौरिपेद्दि रामकृष्णाराव व मुत्तारेड्डी। विशेष - स्थाई परीक्षा केंद्र है। ग्रंथालय है। इस मंडली की तरफ से विशाल महासभायें मनायी गयीं।

जनार्दनपुरम — गुडिवाड ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक- सरिपल्लि वेंकटेश्वररेड्डि

जमीगोल्वेपल्लि — गुडिवाड ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - काट्रगड्ड वेंकटसुब्बय्या।

जमीदिंटकुरु — गुडिवाडा ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - कोल्लि वेंकटेश्वरराव।

जम्मुलपालेम — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - अन्ने गोवर्धनराव, उन्नव अप्पाराव।

जम्मलमडुगु — कडपा जिला। प्रचार का आरम्भ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - जूटूरि गंगिरेड्डी, यन. मुनिवरराजु, के. कृष्णमाचार्युलु, जे. राधाबाई। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. नरसारेड्डि, भूपालम सुब्बारायुडु, एस. रंगप्पा, पी. नारायणराव। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - के. वरदारेड्डी, मंत्री - जे. गंगिरेड्डी, विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र रहा।

हिन्दी प्रेमी मंडली - जम्मलमडुगु

जमीन पर बैठी हुई - पि. सरोजिनी, टी. रामसुब्बम्मा, एन. सरोजिनी, वेंकट लक्ष्मम्मा।

कुर्सियों पर - जानकम्मा, के. एल. वि. चिदंबरराव, टि. वि. सुब्बाराव, वि. शेषाद्रिशर्मा वि. सुब्बारायुडु, के. वि. सुब्बाराव।

खडे हुए - कुर्सियों के पीछे - जी. सुब्बारेड्डि, एम. बाल नागिरेड्डि, राघवरेड्डि, टि. सुब्बारेड्डि, बि. तिरुपेलय्यशेट्टि, एन. सुब्रह्मण्यम, के. वि. शर्मा।

आखिरी कतार - के. सुब्बन्ना, सिध्देश्वरम, अश्वत्थय्या, के. शंकरम, बी. बलरामय्या, के. नरसिंहुलु, जी. कोंडप्पा, जूटूरु गंगिरेड्डि।

जलदंकि — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - बेल्लंकोंड नरहरिराव।

जांड्रपेटा — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक- कर्णवीर नागेश्वर राव, कर्णवीर राजशेषगिरिराव, लेल्ल सांबशिवराव।
प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सिंगराजु श्रीनिवासराव, पुलकं रामकृष्णारेड्डि, ऊटुकूरु उपेन्द्रगुप्ता।

जामि — विशाखपट्टणम जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - पोणुगुपाटि जोगाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

जिन्नूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - चर्ल रामचन्द्रराव, वेगेशन सत्यनारायण राजु, रुद्रराजु सीतारामराजु।
प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. भास्करराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

जुज्झवरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - पोतकमूरि वीरब्रह्माचार्य।

जुव्वलपालेम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कालनाथभट्ट सूर्यनारायणमूर्ति।

जूपूडि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - चल्ला लक्ष्मानारायण शास्त्री।

जूलकल्लु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - भवनम लिंगारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

जोन्नलगड्डु — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - पोलु शेषगिरिराव, बोडेपूडि अप्पाराव, मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अन्नाप्रगड गोपालराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

टंगुटूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - ईमनि दयानंद। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सि. हेच. सुब्बारायुडु। परीक्षा केन्द्र है

टेक्कलि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - अडवि श्रीकृष्णमूर्ति, मंडव राधाकृष्णाराव, चावलि सूर्यनारायण, माका तिरुपतिराव प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डा. मामिडन्न वेंकट रामाराव, मल्लिपेद्दि कृष्णमूर्ति, टि जोगाराव। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - वि. हनुमंतराव, मंत्री - टि. सूर्यनारायणमूर्ति। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - टेक्कलि

कुर्सियों पर बायें से- के. बैरागिदास, टि. ए. सांबमूर्ति, एस. सुब्बाराव पंतुलु, डा. वि हनुमंतराव (अध्यक्ष) वै. कृष्णमूर्ति, एम. उमामहेश्वरराव।

खडे हुए बायें से- टि. सूर्यनारायणमूर्ति पि. सूर्याराव, एम. राधाकृष्णाराव, बि. कोंडलराव, ए. भुजंगराव, ए. लिंगमूर्ति।

ठानेलंका — अमलापुरम तालूका, पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - आकेल्ल लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एडिद सत्यनारायण, एडिद वेंकटेश्वरराव, चेरुकूरि सुब्रह्मण्यशास्त्री।

डोकिपर्रु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - पुरिटिपाटि राममूर्ति रेड्डि, अडवि वेंकटेश्वरराव, • पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वी. वेंकन्ना। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

तणुकु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - पि. केशवमूर्ति, के. सत्यनारायणमूर्ति अ. लक्ष्मणराव, वि. चलपतिराव, रायल अप्पाराव, के. श्रीराममूर्ति, वे. वें. पुरुषोत्तम, मेड्डूरि वेंकटसोमेश्वर कृष्णमूर्ति, मो. माणिक्यांबा देवी, चर्ल जनार्दन स्वामि, पि. वें. रमणादेवी, चिर्रावूरि सुब्रह्मण्यम, मंदरपु सरोजिनी कुमारी, श्रीमत्तिरुमल सीतामहलक्ष्मी, पि. नरसिंहमूर्ति, वड्लमानि सोमशेखरम, चेकूरि लच्चिराजु, चल्ला सत्यनारायण, वेदान्तम शेषय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मुल्लपूडि तिम्मराजु, चल्ला गोकर्णम, देवुलपल्लि सत्यवतम्मा, पोताप्रगड श्रीरामाराव चोप्पेल्ल महालक्ष्मम्मा। मंडली की स्थापना - 1947. अध्यक्ष- के. पुल्लय्यनायुडु, मंत्री - वड्लमानि सोमशेखरम। विशेष - विशारद व प्रवीण विद्यालय चलाये जा रहे हैं। पुस्तकालय है। परीक्षा केन्द्र है। बालसरस्वती स्त्री समाज के जरिए भी यहाँ हिन्दी का प्रचार हो रहा है।

हिन्दी प्रेमी मंडली, तणुकु - 1955.

पर, बायें से - सि. हेच. सीतारामय्या, वी. सुदर्शनराव, पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु, रायल अप्पाराव (कोशाध्यक्ष), एम. तिम्मराजु (अध्यक्ष), के. पुल्लय्यनायुडु (उपाध्यक्ष), वि. सोमशेखरम, वै भानुमति, पि. मार्कंडेय शास्त्री, बि. सत्यनारायण।

खडे हुए- बायें से- ए. मूर्तिराजु, पि. रंगाराव, के. रामकृष्ण, ए. वेंकटरत्नम, के. वी. एस. नरसिंहाचार्युलु, टि. सुब्बाराव, एन. नरसिंहाराव, डि. सूरन्ना।

तमिरिश — गुडिवाडा ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - वेलगपूडि बसवय्या, यलमंचिलि वीरभद्रराव।

तलगाम - श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - पेद्दाड लक्ष्मीनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - हनुमंतु रंगनायकुलु। परीक्षा केन्द्र रहा।

तलुपुल — अनंतपुर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - कोम्मा ईश्वररेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ए. रामप्पा। परीक्षा केन्द्र है।

तल्लपाडु — खम्ममेट जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - चिम्मपूडि वेंकट सुब्रह्मण्यम, कोणतम् राजय्या, चतुर्वेदि सीतारामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वी. वी. नरसिंहाराव, वै. वी. वरदारेड्डी, यस. नागभूषणम, यालमुदि रामय्या। मंडली की स्थापना - 1948. अध्यक्ष - वी. वी. कृष्णाराव, उपाध्यक्ष - वी. वेंकय्या, मंत्री - एम. सीतारामचंद्राचार्युलु। विशेष - प्रेमी मंडली की तरफ से ग्रंथालय खोला गया। नाटक प्रदर्शनों के द्वारा भी हिन्दी प्रचार कार्य में प्रोत्साहन दिया गया। परीक्षा केन्द्र रहा।

तविशिपूडि — बंदर ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - यल्लाप्रगड शिवरामाराव।

ताटिपाक — पूर्व गोदावरी जिला।
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

ताडंकि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - बुर्रा रामशेषय्या, सूरपनेनि सुब्बय्या, मिक्किलिनेनि सुब्बाराव, कोल्लि वेंकटेश्वरराव, उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या, पोट्लूरि हनुमंतराव, यड्लपल्लि दशरथरामय्या। परीक्षा केन्द्र है।

ताडिकोंडा — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940
केन्द्र के प्रचारक - वसंतम् रामचन्द्रय्या, पुव्वाड सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

ताडिपत्रि — अनंतपुर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केंद्र के प्रचारक - मादासु यर्रन्ना, के. ओबुलरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जि. रामचन्द्र शास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

ताडिगडपा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - अट्लूरि वेंकटरंगय्या, आरिकपूडि राघवेंद्रराव, आ. म. वेंकटाचार्युलु।

ताडेपल्लि — विजयवाडा ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - वेमूरि वेंकट सुब्बय्य चौधरी, नादेल्ल रामकोटेश्वरराव, एस. सुन्दरराव।

ताडेपल्लिगूडेम — पश्चिम गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक-बी. के बी. रमणम्मादेवी, मेड्डुरि वेंकट सोमेश्वर कृष्णमूर्ति, कंमम्पाटि सत्यनारायणमूर्ति, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डा. नेतल्लि सत्यनारायणमूर्ति । डा. कोविविडि केशवराव, वि रामलिंगेश्वरराव, दारा शिवराव, ए. वेंकटपतिराजु । मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष - पसल सूर्यचन्द्र राव, मंत्री - यम. वि. यस. कृष्णमूर्ति । विशेष - परीक्षा केन्द्र है ।

तापेश्वरम — रामचंद्रपुरम ताल्लुका, पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - नेड्डूरि शोभनाद्राचार्युलु, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, मेडवरपु राममूर्ति, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बोडा सत्यनारायण ।

तामरपल्लि — पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - नउड्डूरि वेंकटसीताराममूर्ति ।

ताल्लगोकुलपाडु — कर्नूल जिला । प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - उ. कंवगिरि । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. मादन्ना । विशेष - परीक्षा केन्द्र है ।

ताल्लूर — गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - तलशिल नारायण राव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मारेल्ल शेषगिरराव । परीक्षा केन्द्र रहा ।

तिप्पनगुंट — गन्नवरम ताल्लुका, कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, वंकायलपाटि शेषावतारम, पोतिनेनि देवेंद्रराव, स्व. वंकायलपाटि सीतारामय्या । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोणसानि सुब्बाराव, मोव्वा वेंकटेश्वरराव, काजा केशवरामय्या, मोव्वा सत्यनारायण । विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं ।

तिम्मनपालेम — ओंगोल ताल्लुका, गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - गुरजाल नागेश्वरराव ।

तिम्मसमुद्रम — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पोका वेंकटेश्वर्लु ।

तिरुत्तणि — चित्तूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - बी. आर. राजेश्वरी, पेम्मराजु राजाराव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ए. चेंगमनायुडु विशेष - परीक्षा केन्द्र है ।

तिरुपति — चित्तूर जिला । प्रचार का आरंभ 1934.
केन्द्र के प्रचारक - स्व. टि. कन्नय्या, टि. अंजनादेवी, अयाचितुल हनुमच्छास्त्री, कनकगिरि कृष्णमाचार्य, डि. सुब्बरामशास्त्री, कृष्णय्या, पेरुमोट्ल नारायणराव, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, गोटिक सांबशिव रेड्डि, दुग्गिराल सुब्बरामशास्त्री, डाक्टर एम. सुब्रह्मण्यम 'नागु', प्रमुख हिन्दी प्रेमी- मा. अनंतशयनम अय्यंगार, ए. एम. शास्त्री, जी.चेन्नारेड्डि, पि. राधापति, आर. पार्थसारथिनायुडु, ए. मुनुस्वामिनायुडु । मंडली की स्थापना - 1947. अध्यक्ष - मा. अनंतशयनम अय्यंगार, मंत्री - टि. अंजनादेवी । विशेष - सभा सम्मेलन, हिन्दी नाटक प्रदर्शन वाग्वर्धनी सभायें हुई । हिन्दी विद्यालय चलाये जा रहे हैं । 1951 में स्व. टि कन्नय्या जी के द्वारा श्री वेंकटेश्वर हिन्दी विद्यालय की स्थापना हुई । तब से यह संस्था बडे उत्साह के साथ हिन्दी प्रचार कर रही है । परीक्षा केन्द्र है ।

हिन्दी प्रेमी मंडली, तिरुपति - 1955

श्री अः साधु सुब्रह्मण्य शास्त्री, स्व. टि. कन्नय्या, टि. अंजनादेवी, रुक्मिण कोशा वि. एस. वेंकटनारायण आदि हैं ।

तिरुवूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - मरिंगंटि भट्टाचार्युलु, वेमूरि वेंकट सुब्बय्य चौदरी, सूरार शंकरराजु, चन्द्रशेखर शास्त्री, एस. सुन्दर राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

तीपर्रु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ -1950.
केन्द्र के प्रचारक - गूडपाटि वेंकटराव।

तुंडमिगोपवरम — मधिर तालूका, खम्ममेट जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - नल्लमल मुरहरिराव।

तुग्गलि — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - वेल्लकोंड रंगय्या।

तुनि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - गरिमेल्ल कृष्णमूर्ति, कोमांडूरि गोविंदराजाचार्युलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

तुनिकिपाडु — तिरुवूर तालूका, कृष्णा जिला, प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - गुंटुपल्लि राजगोपालम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यस. के. कामेश्वरराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

तुम्मपूडि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1928.
केन्द्र के प्रचारक - तुमुरुकोट वेंकटकृष्ण शर्मा।

तुम्मलपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - वंकायलपाटि शेषावतारम।

तुरिमेल्ल — कंभम तालूका, कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव अप्पाराव, वेल्लकोंड रंगय्या, तुम्मलपल्लि तीर्थनारायण, जि. सांबशिवराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-बि. तिप्पय्या, बि. शायन्ना। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

तुरिमेल्ल — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - कुर्रा सुल्यम, उन्नव अप्पाराव।

तुल्लूर — गुंटूर तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - पोलु शेषगिरिराव, सरिपल्ले वेंकटरामराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वेगुंट सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

तूर्पुपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या।

तेनाली — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1920.
केन्द्र के प्रचारक - तल्लावझल शिवशंकर शास्त्री 1920, चदलवाडा श्रीरामशर्मा 1921, वंकमामिडि वेंकटेश्वरशास्त्री 1924, यलमंचिलि वेंकटप्पय्या 1929, भालचन्द्र आपटे 1931, ब्रजनंदन शर्मा, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायणशर्मा 1935, रामानंदशर्मा, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, यलमंचिलि वेंकटेश्वरराव 1937. उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या, कोंडूरि आंजनेयशर्मा, श्रीपति पंडिताराध्युल रामलिंगशर्मा, नृसिंहाद्रि नम्मय्य, स्व. बि. शंकरराव, कस्तूरि सुब्बाराव, बोयपाटि नागेश्वरराव बोयपाटि सुभद्रादेवी चक्राल दुर्गानंदराजु, गणपवरपु सोमसुंदरराव, पिनपाटि पूर्णानंदम, आकुराति बालकृष्णमूर्ति, कुर्रा सुल्यम, कोंड्ररेड्डि रंगाराव, वेदान्तम लक्ष्मीकुमार श्रीनिवास देशिक भट्टाचार्य, वेदान्तम लक्ष्मीकुमार, श्रीवरदराज भट्टाचार्य, आवुल वेंकटरमणय्या, चलमचर्ल वेंकटरामानुजाचार्युलु,

वड्लमूडि कोटय्य चौदरी, चेरुकूरि वेंकटेश्वर्लु, मारेल्ल वेंकायम्मा, चिलकलपूडि सत्यनारायण, कडियाल सत्यनारायण राव, एन. सांबशिवराव, डा. एम. सुब्रह्मण्यम 'नागु,' जनस्वामि सुब्रह्मण्यशास्त्री, पी. वी. आर. सूर्यनारायण, मेडा हनुमच्छास्त्री, मल्लादि गोपालकृष्णशर्मा, दोनेपूडि राजाराव चुंडूरि राधाकृष्णमूर्ति, तुर्लपाटि शंभय्या, काकि जेसुदासु, अड्डेपल्लि राधाकृष्णराव । मंडली की स्थापना- 1938. अध्यक्ष - गुंटूर राजेश्वरराव, मंत्री - बोयपाटि नागेश्वरराव ।

विशेष - भारत के राष्ट्रीय जागरण के समय 1920 में इस शहर में तिलकजातीय विद्यालय की स्थापना हुई, जिस में पहले पहल हिन्दी पढाई की व्यवस्था हुई । तब से इस शहर में कई गण्यमान्य हिन्दी प्रचारकों द्वारा हिन्दी प्रचार कार्य सुचारु रूप से होता आ रहा है ।

1929 में वल्लभनेनि वेंकटप्पय्या जी ने यहाँ हिन्दी पाठशाला खोली जिस को आगे चलकर ब्रजनंदन शर्मा, रामानंदशर्मा, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा आदि प्रमुखों ने खुद शिक्षक रहकर शक्तिशाली बनायी । यही पाठशाला 1946 में आदर्श बालिका पाठशाला के रूप में परिणत हुई जिस में प्रयाग के महिला विद्यापीठ की परीक्षाओं के लिए महिलाएँ शिक्षा पाती हैं । इसके अलावा इस शहर में कडियाल सत्यनारायण राव के द्वारा संचालित नवभारत विद्यापीठ तथा बूदराजु वेंकटसुब्बाराव के हिन्दी प्रचार कालेज ने भी इस दिशा में बहुत कुछ काम किया । चिट्टूरि लक्ष्मीनारायणशर्मा आदि कुछ प्रचारकों ने अथक परिश्रम करके इस मंडली को सुदृढ बनाया और इस के लिए तिलक सत्याग्रह शिविर का स्थल और मकान प्राप्त किया । 1944 से बोयपाटि नागेश्वरराव जी इस कार्य को आगे बढा रहे हैं । फिलहाल प्रारंभिक वर्गों के साथ साथ हिन्दी विशारद विद्यालय प्रवीण और प्रचारक विद्यालय भी चलाये जा रहे हैं । बोयपाटि नागेश्वरराव और अन्य छः प्रचारक इस मंडली की तरफ से काम कर रहे हैं । करीब आठ सौ ग्रंथों के साथ मंडली का अपना ग्रंथालय और वाचनालय हैं । वाचनालय में कुल पंद्रह पत्रिकाएँ मंगायी जाती हैं । छात्रालय भी है ।

जनता में हिन्दी प्रचार के प्रति दिलचस्पी बढाने, समय समय पर सभा समारोह प्रमाण पत्र वितरणोत्सव और नाटक प्रदर्शन भी होते आ रहे हैं । 1939 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभाओं का ग्यारहवाँ अधिवेशन स्वामि वेंकटाचल श्रेष्टि की अध्यक्षता में और सातवाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन मोटूरि सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में संपन्न हुए ।

स्वामि सत्यदेव, काका कालेलकर, डाक्टर भोगराजु पट्टाभिसीतारामय्या, रामनारायण मिश्र, चंद्रबलि पांडेय, बाबा राघवदास, आचार्य भन्साली आदि प्रमुख व्यक्तियों ने यहाँ पधार कर मंडली के कार्य का निरीक्षण किया ।

उक्त सभी कार्य कलापों में श्री कोटमराजु कृष्णा राव, वड्लमूडि कोटय्य चौदरी, डाक्टर गोविंदराजुल वेंकट सुब्बाराव, वेलुवोलु सीतारामय्या, कन्नेगंटि वेंकटराव, कल्लूरि चन्द्रमौली, गुंटूर राजेश्वर राव, त्रिपुरमल्लु श्रीरामुलु, काकुमानु प्रसाद और अन्य कई प्रमुख सज्जन हर तरह की मदद देते आ रहे हैं ।

हिन्दी प्रेमी मंडली तेनाली 1956---प्रचारक विद्यालय में आन्ध्र के मुख्य मंत्री श्री बेजवाडा गोपाल रेड्डि जी के आगमन के अवसर पर लिया गया फोटो। कुर्सियों पर बायें से - सर्वश्री त्रिपुरमल्लु श्रीरामुलु, पुतुंबाका श्रीरामुलु, एम. एल. ए., उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, गुंटूर राजेश्वर राव, बेजवाड गोपाल रेड्डि, बोयपाटि नागेश्वरराव, बोयपाटि सुभद्रा देवी, दुर्गानन्द, प्रचारक विद्यार्थियों के साथ दर्शित हैं।

नेलप्रोलु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - यल्लमंचिलि रंगाराव, पेम्मराजु राजाराव, काजा वेंकटेश्वरराव, दिगवल्लि गोपगिरिराव, गुरुनेनि मनोरमादेवी।

नेर्लाम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पुडिपेद्दि लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, चेविय्यम वेंकट कृष्णमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गिड्डुगु वेंकट जगन्नाथराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

तोटपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - मक्कपाटि वेंकट रत्नम।

तोटलवल्लूर — कृष्णा जिला।
केन्द्र के प्रचारक - कोसनम त्रिपुरान्तकम, चिर्रावूरि रामकृष्णाराव, वीरमाचनेनि रामाराव, राचल रंगादेवी, पोट्लूरि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अडिदम कनक वीरभद्रराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

तोलेरु — भीमवरम ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - भोगिरेड्डि दानय्या, आमुजाल नरसिंहमूर्ति, पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. वेंकटराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

दंगेरु — द्राक्षाराम पोस्ट, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - शोंठि हनुमंतराव।

दग्गुपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - अर्व गोवर्धनराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. भूषणम। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

दम्मालपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - दम्मालपाटि रामकृष्ण शास्त्री।

दर्शि — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - दुत्ता नारायण।

दावगूडूर — कंदुकूर ताल्लुका, नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - चुंडि हनुमंतराव।

दावाजीपालेम — बंदर ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - विन्नकोट वेंकटेश्वरराव।

दुग्गिराला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - के. कमलांबा, नादेल्ल वेंकटकृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोलगानि नागय्या, विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

दुद्दुकूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - चेन्नुपाटि रंगाराव, चेरुकूरु वेंकटेश्वर्लु।

दुर्गि — माचर्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - पोलूरि रामकृष्णय्या।

दुल्ल — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री।

दुव्व — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - वेदान्तम शेषय्या।

दूबचर्ल — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - यस. के जि. विश्वेश्वर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - रेंटाल सुब्रह्मण्यम।
विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

देंदुलूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केंद्र के प्रचारक - मोटपर्ति लक्ष्मीनारायण, यर्रा सत्यनारायण, वड्लपट्ल सत्यनारायण, परिमि तुलसी सुब्रह्मण्यम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मोटपर्ति चिन वेंकय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

देवा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - मंडवल्लि श्रीराममूर्ति।

देवरपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केंद्र के प्रचारक - शलाक दुर्गाप्रसादराव।

देवरापल्लि — वया ऊवलंका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1929.
केन्द्र के प्रचारक - तटवर्ति सूर्यनारायणमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

देवरुप्पल — जनगाम ताल्लुका, वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - ईदुनूरु चिनवेंकट रेड्डि। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - उप्पल नरसिंहा राव, मंत्री - बी. एस. आर. चंद्रराव। विशेष - एक साल तक परीक्षा केन्द्र चला।

दोंडपाडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि वेंकट कृष्णवर्मा, कोत्तपल्लि सरलादेवी, जंध्याल राममूर्ति, दंडमूडि मंजुलता, सूरपनेनि सीतारामय्या, तुम्मल सुब्बाराव, स्व. गुत्ता सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सर्वश्री मोटूरि पेदपिच्चय्या, गुत्ता लक्ष्मी नरसिंहम, दासरि वेंकटाचार्युलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

दोंडपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - पोलु शेषगिरिराव।

दोंडपाहाड — हुजूर नगर ताल्लुका, नलगोंड जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - कोलाहलम शेषमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोंडा वेंकटरेड्डि, कोंडा रामिरेड्डि, अ. कृष्णारेड्डि, आर. राघवराजु, खय्यूम साहब। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

दोड्डनपूडि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - कलग कृष्णमूर्ति।

दोनकोंडा — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक-पोतकमूरि वीरब्रह्माचारी, के. वि. शिवशर्मा, चिवुकुल श्रीहरिशर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-पवनि गुरुमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

दोप्पलपूडि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - मक्कपाटि वेंकट रत्नम, वसंतम रामचंद्रय्या, मंडा हनुमच्छास्त्री।

दोसकायलपल्लि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि भास्कर रामय्या।

द्राक्षाराम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - वेदुल लक्ष्मणमूर्ति, दुव्वूरि सीताराम मूर्ति, कुराल्ल सत्यनारायण, नवुड्डूरि वेंकट सीतारामसूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. रामचन्द्रराव, बि. हेच. रमणाराव। विशेष-परीक्षा केन्द्र रहा।

द्रोणाचलम — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - श्री पि. सि. सुब्बारेड्डि, गरिमेल्ल कृष्णमूर्ति, पाण्यम रामचंद्रशर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - शेगु वेंकट रमणय्या शेट्टी, तुम्मलपल्लि कामावधानि। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - शृंगारपु वेंकटरमणय्या शेट्टी, मंत्री - जे. पद्मनाभय्या शेट्टी, पाण्यं रामचन्द्र शर्मा। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। वाचनालय है। परीक्षा केन्द्र है।

द्वारपूडि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

धवलेश्वरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - वे. राधाकृष्णमूर्ति, यन. वि. सीताराममूर्ति, यम. वि. वि. राघवाचार्य, ए. मृत्युंजयराव, पेरि सुब्रह्मण्यशर्मा, एम. वी. आर. ए. पुल्लन्न शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मल्लादि सूर्यनारायण शास्त्री, कांड्रूरि सर्वेश्वर राव, सि. राजु। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - वि. वि. एल. नरसिंहाराव, मंत्री - डि. चलपतिराव। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। पुस्तकालय है। सभा सम्मेलन हुए। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - धवलेश्वरम-1953

कुर्सियों पर - बायें से - एम. वी. वी. राघवाचारी, एन. वी. सीताराममूर्ति (मंत्री) सी. राजु (अध्यक्ष), पि. सुब्रह्मण्य शर्मा, के. सर्वेश्वरराव।

खड़े हुए - बायें से - ए. मृत्युंजयराव, एम. एल. नरसिंहम, एल. सूर्यनारायण, डि. चलपतिराव, एन. कामेश्वरराव।

धर्मवरम — अनंतपुर जिला। प्रचार का आरंभ 1939.
केन्द्र के प्रचारक - सी. के. रंगाचार्युलु, सुब्बारायुडु, वल्लारेड्डी, गोरिंट्ल माधवाचार्युलु, सि. सुब्बारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वी. आंजनेयुलु। मंडली की स्थापना - 1946. अध्यक्ष - ए. रामशेषय्या, मंत्री - सि. सुब्बारेड्डी। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। करीब दस हिन्दी नाटकों का प्रदर्शन हुआ। परीक्षा केंद्र है।

धर्मवरम — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - पूडिपेद्दि लक्ष्मी नरसिंहमूर्ति।

धर्माजीगूडेम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - मोटपर्ति लक्ष्मीनारायण, टेकाले सूर्यनारायण राव, दाट्ल वेंकटेश्वर राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. पद्मनाभराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

धूलिपूडि — रेपल्ले तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - चलमचर्ल वेंकट रामानुजाचार्युलु, मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तटवर्ति सत्यनारायण, तटवर्ति भास्कर नारायण, मैनेनि रंगाराव, मोदिल वेंकटसुब्रह्मण्य शर्मा।

धेनुवकोंडा — ओंगोल तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकट पद्मनाभराव।

नंदलूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ 1954.
केन्द्र के प्रचारक - कोम्मा शिवशंकर रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. वेंकट शेषय्या, डाक्टर कृष्णाराव, श्रीपति राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नंदिकोटकूर — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - पवनि श्रीनिवास मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. रघुनाथाचार। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नंदिगाम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - चेन्नावझल लक्ष्मीनरसिंह मूर्ति, चल्ला लक्ष्मीनारायण शास्त्री, शलाक दुर्गा प्रसादराव, आकेल्ल लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नंदिवाडा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - तुम्मल पूर्णचन्द्रराव, दासरि ब्रह्मय्या, बुर्रा रामशेषय्या, अट्लूरि वेंकट रंगय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वेमुलपल्लि वीरराघवय्या।

नंद्याला — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1926.
केन्द्र के प्रचारक - पडकंड्ला चेन्नकेशवराव, कंभमपाटि सत्यनारायण मूर्ति, कंभम सुब्बारेड्डि, एम. के. वी. प्रसाद राव, के. नारायण, एम. महबूब साहब, मोहनपु रंगराजु चिट्टूरि लक्ष्मी नारायण शर्मा, आलूर वेंकट अप्पाराव, स्व. पंगुलूरि वेंकट सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डाक्टर सुखवनम, राजा पेद सुब्बा रायुडु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है। 1926 में स्व. अनीबिसेंट जी की अध्यक्षता में और 1943 में गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तमराव जी की अध्यक्षता में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभाएँ तथा 1943 में श्री उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या जी की अध्यक्षता में हिंन्दी प्रचारक सम्मेलन संपन्न हुए।

नंबूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - आवुल वेंकट रमणय्या।

नक्कपल्लि — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - अम्मु वेंकटराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. वि. देशिकाचारि। परीक्षा केन्द्र रहा।

नगरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - कोमरगिरि सांबशिवराव, सागि सूर्यनारायणराजु।

नगरम पालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - बोप्पूडि वेंकटरायुडु।

नगरि — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक-मेलपूडि रत्नमरेड्डि, बि. सरोजिनी देवी, पल्लेटि वेंकट रामारेड्डि। परीक्षा केन्द्र है।

नडिगूडेम — वया जग्गय्यपेटा, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - तोटकूर अप्पराय वर्मा।

नडिपूडि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - भट्टिप्रोलु सत्यप्रकाशम।

नबीकोटा — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - गोदिन सुब्बय्या।

नरसन्नपेटा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - मंडव राधाकृष्णा राव, धासा सुब्रह्मण्य शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. श्रीनिवासराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नरसरावपेटा — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव, मुदिगोंडा राजलिंगम, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, श्रीपति पंडिताराध्युल रामलिंगशर्मा,। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्री कोलवेन्नु रामकोटेश्वर राव, सी. रमणारेड्डि। मंडली की स्थापना - 1925. अध्यक्ष - तुम्मल रामकोटय्या, मंत्री - श्रीपति पंडिताराध्युल रामलिंग शर्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है। हिन्दी वर्ग चल रहे हैं।

नरसापुरपुपेटा — पूर्व गोदावरी जिला. प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - मंथेन वेंकट कृष्णमराजु।

नरसापुरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - श्री गंटि जगन्नाथशास्त्री, पेय्येटि वेंकट सुब्बाराव, वस्ताद वेंकटस्वामी, एम. वी. वी. ऐ. आर. शर्मा, मागंटि माणिक्यांबा देवी, भट्टिप्रोलु सत्यप्रकाशम, त्रिपुरनेनि दुर्गा प्रसूनांबा, कोमांडूरि कृष्णमाचार्युलु, आर. श्रीरामचन्द्र, कालनाथभट्ट सूर्यनारायण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यर्रमिल्लि नारायण मूर्ति, गादे माणिक्यम गुप्ता, डाक्टर पोन्नपल्लि सुब्रह्मण्यम। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - रापाक भास्कर राममूर्ति, मंत्री - पेय्येटि वेंकट सुब्बा राव। विशेष - हिन्दी विद्यालय चल रहा है। परीक्षा केन्द्र है। कई बार सभा सम्मेलन हुये।

पोड्डूरि सूर्यनारायण हिन्दी प्रेमी मंडली, नरसापुरम - 1957.

बायें से - जोरयुल वेंकटेश्वरराव, काशीचयनुल सूर्यचिन्तामणि, पेय्येटि वेंकटसुब्बाराव (मंत्री) रापाक भास्कर राममूर्ति (अध्यक्ष), मल्लादि राममूर्ति शास्त्री (उपाध्यक्ष), गादे माणिक्यम गुप्ता, के. एम. कृष्णमाचार्युलु, कुमारि पेदपल्लि रुक्मिणीबाई।

नरिसी पट्टणम — विशाखपट्टणम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950
केन्द्र के प्रचारक - रायवरपु शिवराव, भूपतिराजु सत्यनारायणराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नरुकुलपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - श्रीपति पंडिताराध्युल रामलिंग शर्मा, यलमंचिलि वेंकट पद्मनाभराव।

नरेन्द्रपुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - मंगिपूडि वेंकटराव, कंदाल आहिताग्नि, कुंचपूडि वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चल्ला सुब्रह्मण्यम, अय्यगारि कृष्णमूर्ति, राणी सत्येश्वरराव।

नरवाडा — उदयगिरि तालूका, नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - कलवराजु नरहरि।

नलगोंडा — प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - गौरावझल वेंकट सुब्बरामय्या, अनंताचार्य देवल, डाक्टर एम. सुब्रह्मण्यम 'नागु'

नल्लगाडु — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ 1950.
केन्द्र के प्रचारक - जे. दोरस्वामि रेड्डि।

नल्लजर्ला — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पातूरि रामचन्द्र राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जोडयुल रामय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

नल्लूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - यल्मंचिलि वेंकटप्पय्या।

नवाब पेटा — जनगाम ताल्लुका, वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - एम. सिद्दय्या। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - त्रिपुरारि वेंकटेश्वर शर्मा। मंत्री - एम. सी. वेंकटाचार्युलु।

नवुडूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - मलपाक गुरुमूर्ति सोमयाजुलु, पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु।

नागंडला — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - अन्नं गोवर्धन राव। विशेष - कविराजाश्रम के द्वारा हिन्दी प्रचार कार्य हो रहा है।

नागर कर्नूल — महबूब नगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - मठं वीरभद्रय्या, विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

नागायलंका — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - आरिकपूडि राघवेंद्रराव, नीलगिरि लक्ष्मीनारायण, दीवि वेंकट नरसिंहाचार्युलु, वेमूरि वेंकट सुब्बय्य चौदरी, चिलकपाटि वेंकटेश्वरराव, यल्लाप्रगड शिवरामाराव, एलेश्वरपु अरुणाचलम, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कनगाल रामाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नागिरेड्डिपल्लि — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - कत्ति नागिरेड्डि।

नायकंपल्लि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - केतिनीडि सत्तिराजु।

नायुडुपेटा — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - चंद्रभट्ट वीरभद्रराव, कोलकुल तिरुपतिराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-वै. सुब्बरामरेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नारायणवरम — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - पंगुलूरि वेंकट सुब्बाराव, ताल्लपाक कृष्णमूर्ति, चिवुकुल शिवरामय्या, यम. रेड्डेन्ना, दूदेकुल पक्कीरप्पा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - महम्मद महबूब बाषा। मंडली की स्थापना - 1925. अध्यक्ष - ती. वेंकट रामय्या, मंत्री - यम. रेड्डेन्ना। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। नाटक प्रदर्शन हुए। पुस्तकालय तथा वाचनालय चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - नारायणवरम - 1957. कार्य कारिणी समिती के सदस्य ।

कुर्सियों पर- बायें से - सि. गोविंदप्पा, महम्मद महबूब बाषा, यम. रेड्डेन्ना (मंत्री) तीर्थम वेंकट्रामय्या (अध्यक्ष) टि. कृष्णमूर्ति, एस. सुब्रह्मण्यम, एम. वेंकटरायलु ।

खडे हुए - बायें से - बी. चेंगय्या, और विद्यार्थीगण ।

नार्पला — अनंतपूर जिला । प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - के. वीरन्ना । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टी. रामकृष्णय्या परीक्षा केन्द्र

निजामाबाद — प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - अनंताचार्य देवल ।

निडदवोलु — पश्चिम गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - आर. गोविंदयाचार्युलु, वेमूरि वेंकटपुरुषोत्तम, गूडपाटि वेंकटराव, गोवर्धनाचार्युलु, गारपाटिपापाराव, कोत्तमासु कूर्माराव, कोत्तमासु पद्मावती, बि. यस. यल. सोमयाजुलु, चर्ल कमला कुमारी, कस्तूरि सूर्यप्रकाशराव, पेंड्याल परब्रह्मशास्त्री, निडदवोलु प्रभाकरराव, आकुंडि राधाकृष्णमूर्ति, पेरिचर्ल सत्यनारायणराजु । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आकेल्ल सोमयाजुलु, चर्ल गणपतिशास्त्री, बोड्डु सुब्बाराव, ताडिमेटि कुटुंबशास्त्री । मंडली की स्थापना - 1957. अध्यक्ष - नंद्याल लच्चिराजु, मंत्री- बि. यस. यल. सोमयाजुलु । विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं । परीक्षा केन्द्र है ।

निडमरु — पश्चिम गोदारी जिला । प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - अडवि वेंकटेश्वरराव । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - निडमर्ति अश्वनीकुमार दत्तु, निडमर्ति सत्यनारायणमूर्ति ।

निडुब्रोलु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - व्रजनंदन शर्मा, वसंतम रामचन्द्रय्या, दम्मालपाटि वेंकटेश्वर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आचार्य एन. जी. रंगा, भारती देवी रंगा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

निडुमोलु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - कोल्लिपर रामचंद्रय्या, पेनमकूर वेंकट रंगाराव।

नूजिवीडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - दशिक सूर्यप्रकाशराव, मरिंगंटि सत्यनारायणाचार्य, दशिक विश्वेश्वरराव, कोल्लि वेंकटेश्वरराव, पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव, स्व. वेंकटलाल चौधरी, स्व. भट्टि वेंकोजी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - राजा रंगय्यप्पाराव, मरिंगंटि रंगाचार्युलु, तोपल्ले वेंकटप्पय्या। मंडली की स्थापना - 1933. अध्यक्ष - राजा रंगय्यप्पाराव, मंत्री - मरिंगंटि सत्यनारायणाचार्य। विशेष - हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन हुए। सभा समावेश हुए। परीक्षा केन्द्र है।

नूजेल्ल — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - सूरपनेनि वेंकटप्पय्या।

नूतक्कि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - बोंडपूडि अप्पाराव, कुर्रा वृच्चिरामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. वेंकटराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नेप्पल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - काज वेंकटेश्वर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कासरनेनि जनार्दन राव, देविनेनि माधव राव।

नेम्मिकूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - जनस्वामि सुब्रह्मण्य शास्त्री।

नेलकोंडपल्लि — खम्मंमेट जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वीरभद्र राव।

नेल्लिमर्ला — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक- चाड लक्ष्मण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वेमूरि कामेश्वरराव, ए. सूर्यनारायणमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

नेल्लूर — प्रचार का आरंभ - 1920.
केन्द्र के प्रचारक - रामभरोसे, मोटूरि सत्यनारायण, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, भट्टारम वेंकट सुब्बय्या, के. जानकिराम, कनुपर्ति राममूर्ति, पंचाग्नुल वेंकट नरसिंहम, ए. चलपति राव, के. दावूद साहब, पुत्तेटि सुब्रह्मण्याचार्य, मद्दुल वेंकट सुब्बय्या, पल्लेकोंड वेंकट सुब्बय्या, रायपु चंगय्या, के. सुशीलादेवी, टि. कपिलदेवी, के. ए. नरसिंहम, इलपावुलूरि पांडुरंगाराव, मोगंटि माणिक्यांबा देवी, वकुलाभरणम राघवय्या, दम्मालपाटि रामकृष्ण शास्त्री, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, गोविंदराजुल वेंकट रामाराव, मेलचेरुवु वेंकटेश्वर्लु, एस. वि. शिवरामशर्मा, माचवोलु श्रीरामुलु, डाक्टर एम. सुब्रह्मण्यम - 'नागु' स्व. ओरुगंटि वेंकटेश्वर शर्मा।

प्रमुख हिन्दी प्रेमी - रेवाल लक्ष्मी नरसारेड्डी, विस्सा कृष्णमूर्ति, देवत वेंचुराघवय्या, एम. आर. ए. अन्सारी साहब, वल्वेटि विश्वनाथ राव। मंडली की स्थापना - 1946. अध्यक्ष - ए. सि. सुब्बारेड्डि, मंत्री - पि. वेणुगोपालरेड्डी। विशेष - नेल्लूर का स्थान आन्ध्र के हिन्दी प्रचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा का प्रथम कार्यालय यहीं पर खोला गया। श्री जमुना जी, श्री मोटूरि सत्यनारायण जी आदि के प्रोत्साहन से हिन्दी का प्रचार जोरों पर हुआ। यहाँ हिन्दी वर्ग चलते हैं। परीक्षा केन्द्र भी है। कई बार सभा सम्मेलन हुए। नाटक प्रदर्शन हुए। पुस्तकालय तथा वाचनालय चल रहे हैं।

हिन्दी प्रेमी मंडली - नेल्लूर 1957. कार्य कारिणी समिति के सदस्य।

बायें से - के. एल. नारायणराव, भट्टारम वेंकट सुब्बय्या, डि. सी. राघवय्या, ए. सि. सुब्बारेड्डि (अध्यक्ष), पी. वेणुगोपालरेड्डि (मंत्री), के. प्रसादराव, पंचाग्नुल वेंकट नरसिंहम, पुत्तेटि सुब्रह्मण्याचार्युलु।

नोसम — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - एम. वेंकटरेड्डि, मानुकोंड नागेन्द्रम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. रामप्पा, आर. रामिरेड्डि, मल्लिकरेड्डि वेंकटरेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

नौपडा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - पडकंड्ल चेन्नकेशवराव, कोडि बसन्ना, निम्मगड्ड कृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - न्यायपति पद्मनाभस्वामि। अंधवरपु लक्ष्मणमूर्ति, दुक्का सूर्यनारायणरेड्डि, चेन्नूरु गवर्राजु, विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पंदलपाका — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - मंड राधा कृष्णमूर्ति, हेमाद्रिभट्ल कृष्णमूर्ति, गुण्णम अम्मिराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मंत्रिप्रगड रामदास, वल्लूरि भावनारायण। मंडली की स्थापना - 1947. परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली का वार्षिकोत्सव पंदलपाका - 1948 — उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, शील ब्रह्मय्या, नंड्डूरि शोभनाद्राचार्य, हेमाद्रिभोट्ल कृष्णमूर्ति, यासलपु सीतारामय्या आदि स्थानीय हिन्दी प्रचारक व विद्यार्थियों के साथ हिन्दी प्रेमियों का जुलूस।

न्यामद्दला — धर्मवरम ताल्लुका, अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - इ. एल्लारेड्डी, टि. वेंकटनायुडु, वै. वेंकटनायुडु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. रामकृष्णय्या। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष-वाल्म ओबुलेसु। मंत्री - एम. नंजुंड राव। विशेष - हिन्दी विद्यालय चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

पंगिडिगूडेम — एलूर ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - अनपर्ति गुरुनाथराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोंडा सीताराम राजु, कस्तूरि जयराव, पी. रामदास पंतुलु।

पंडितविल्लूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कूनपराजु सुब्बराजु।

पच्चल ताडिपर्रु — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - दुग्गिराल बलराम कृष्णय्या, गोगिनेनि वेंकटरामय्या, गोविंदराजुल वेंकट सुब्बाराव।

पटमटा — विजयवाड ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, सूरपनेनि सुब्बय्या, वेलगपूडि बसवय्या, यलमंचिलि रंगाराव, चिर्रावूरि रामकृष्णाराव, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, वीरमाचनेनि रामाराव, वंगिपुरपु नागेश्वर शर्मा, सागिरेड्डि वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नल्लूरि पापय्या, नल्लूरि सूर्यनारायण रामिनेनि राघवय्या, कोनेरु रामलिंगय्या, गोपराजु रामचंद्रराव, पातूरि नागभूषणम।

हिन्दी प्रेमी - पटमटा 1957
अपने पूर्व विद्यार्थी रामिनेनि राघवय्या, नल्लूरि पापय्या, नल्लूरि सूर्यनारायण और कोनेरु रामलिंगय्या के साथ बीच में प्रचारक उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या जी हैं।

पत्तिकोंडा — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - गरिमेल्ल कृष्णमूर्ति, पडकंड्ल चेन्नकेशवराव, गोटिके सांबशिवरेड्डि, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वनम शंकर शर्मा, तो. लक्ष्मी नरसय्या, ए. एम. रामसुब्बय्या। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - एम. राम सुब्बय्या,। मंत्री - पी. चेन्नकेशवराव। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। नाटक प्रदर्शन हुए। हिन्दी सभाएँ हुई। परीक्षा केन्द्र है।

पत्तिपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - आलूरि वैरागि चौदरि, उन्नव वेंकटप्पय्या।

पमिडिपाडु — ओंगोल तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - रावि कोटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - राविनूतल मुसलंराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

परसल्यालूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - चदलवाडा कोटि नरसिंहम, नर्रा वेंकय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यक्कंटि कोंडारेड्डि, आ. बालिरेड्डि।

परुचूरु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - इक्कुर्ति कोदंड रामय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पलमनेर — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - के. श्यामराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यम. वेणुगोपालम, यम. यम. रत्नम। मंडली की स्थापना - 1957. अध्यक्ष - यस. चंद्रय्या, मंत्री - के. श्यामराव। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

पलासा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - लंका नागभूषणम, वीरमाचनेनि रामाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मल्लिपेद्दि कृष्णमूर्ति, न्यापति वुच्चिलक्ष्मम्मा। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - प्रभा राम मंत्री - पोट्नूरि वेंकटरमण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पलंट्ला — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1951
केन्द्र के प्रचारक - गारपाटि सत्यनारायण राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जि. गंगाधरम। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पल्लिपट — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - पी. वी. कुप्पुस्वामि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यस. ए. बाषा, विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पलेकोना — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या।

पर्लाखिमिडि — गंजाम जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - डाक्टर पोचिराजु वैकुंठम, भमिडिपाटि कृष्णमूर्ति, अडिवि श्रीकृष्णमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - रामचंद्र पंडा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पसुमर्रु --- गुडिवाड ताल्लूका। कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - द्रोणमराजु नरसिंहाराव, श्रीपति पंडिताराध्युल रामलिंगशर्मा, कोल्लिपर रामचंद्रय्या, सोमूरु वेंकट्रामय्या।

पशिवेदला -— कोव्वूर ताल्लूका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री।

पांदुव्वा -— भीमवरम ताल्लूका, प. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - कालनाथभट्ट सूर्यनारायणमूर्ति, क्रोव्विडि वेणुगोपालम, उद्दराजु अप्पलराजु, पे सत्यनारायणराजु, क्रोव्विडि वेंकट सुब्बारायुडु, वेगेशिन काशिराजु, मलपाक गुरुमूर्ति सोमयाजुलु, वारणासि गुरुमूर्ति, दंतुलूरि जानकिरामराजु, उद्दराजु पुल्लमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - क. वें. सत्यनारायणराजु, मंतेन सूरपराजु, कलिगाट्ल वेंकट सुब्बाराव। मंडली की स्थापना - 1946. विशेष - हिन्दी विशारद तथा प्रारंभिक विद्यालय भी चले। वाचनालय था। नाटक प्रदर्शन तथा सभा समावेश हुए। परीक्षा केन्द्र रहा।

पाकाला — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - मुंगर शंकरराजु, आनंदराव सत्यनारायण, एस. सीतारामय्या, पि. रामचंद्रारेड्डि, गुमिरेड्डि केशिरेड्डि, उध्य वासुदेवशर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आर. टि. रंगा रेड्डि, टि. विश्वनाथम, यम. लक्ष्मय्या, ए. कृष्णमूर्तिराव। मंडली की स्थापना - 1955. अध्यक्ष - एस. जयराम पिळ्ळै, मंत्री - गुमिरेड्डि केशिरेड्डि। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। नाटक प्रदर्शन व सभा - समावेश भी हुए। परीक्षा केन्द्र है।

पाकालपाडु -— रेंटचिंतल ताल्लूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - साधु सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पच्चव माधवराव, दशरथ राव।

पाणंगिपल्लि — रामचंद्रपुरम ताल्लूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - स्व. सब्नवीसु वेंकट सुब्रह्मण्य कृष्णाराव।

पाण्यम — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - के. नारायण रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. सत्यनारायण। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

पातपट्टणम —श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - कूनपरेड्डि नागमल्लि नांचार राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वेंगराल पेरिशास्त्री वसवराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पामर्रु —- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - जंध्याल राममूर्ति, पोतकमूरि वीर ब्रह्माचारि, वेलगपूडि वसवय्या, वड्डि वेंकट सुब्बय्या, कूचिभोट्ल हनुमंतराव, शलाक दुर्गा प्रसादराव, मिक्किलिनेनि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोंगटि दुर्गा मल्लिकार्जुन राव, कलगरा सुब्बाराव। मंडली की स्थापना-1957. मंत्री - मिक्किलिनेनि सुब्बाराव।

पामरू — रामचंद्रपुरम तालूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ 1949. केंद्र के प्रचारक - पचेट्टि नरसिंहमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पुट्रेवु सूर्यनारायण, एस. बि. पि. पट्टाभि रामाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पामिडि — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948. केन्द्र के प्रचारक - एम. गोविंदराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. राधा कृष्णय्या, के. हनुमंतराव, टि. आर. वेंकट स्वामि। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - जनाब एम. अहमद मिया, मंत्री - एस. गोविंदराव। विशेष - हिन्दी वर्ग चलाये जा रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

पामूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950. केन्द्र के प्रचारक - चप्पिडि वेंकट रामि रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नेम्मानि बुच्चिरामय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पार्वतीपुरम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1946. केन्द्र के प्रचारक - जोश्युल वेंकट रमण सूर्यनारायण, पुल्लटि श्रीरामुलु, गंटि जगन्नाथम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एस. राममूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पालकोंडा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1945. केंद्र के प्रचारक - जी. बृंदावनम, जोश्युल वेंकट रमण सूर्यनारायण, फणिहारम वेंकटरामानुजाचार्युलु, एन. गुंपस्वामि, पी. नरसिंहमूर्ति, खंडवल्लि कृष्णमूर्ति, मेडूरि सन्यासिराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कुप्पिलि सांबशिवराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पालकोल — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1923. केन्द्र के प्रचारक - कादंबरि कुटुंबराव, कांडूरि मल्लिकार्जुनराव, दुव्वूरि कामेश्वरराव, काशीनाथुनि गुर्राजु, चिटिकेन मृत्युंजयुडु, जंपन सत्यनारायणराजु, मलपाक गुरुमूर्ति सोमयाजुलु, नंदुल शेषगिरि शर्मा, वेंपराल सुब्रह्मण्यम, गादे वेंकटेश्वर्लु, गादे ब्रह्मानंदराव, बेरम रामस्वामी, चिर्रावूरि रामकृष्णाराव, मंगिपूडि सुब्बाराव, रामचंदुरुनि श्रीरामचंद्र, शंभु वेंकटराव, बंगल श्रीमन्नारायणाचार्युलु, काशीनाथुनि पांडुरंग विठल, देवत आदिपट्टाभिराममूर्ति, युद्दराजु सुब्बराजु, मुल्लपूडि वेंकटेश्वरराव, कंडूरि प्रकाशम, रेपाक श्रीराममूर्ति, चल्ला सूर्यनारायण, श्रीमति आर. अन्नपूर्णा, तम्मिनीडि वेंकटनारायण, ताल्लूरि वेरय्या, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, ताल्लूरि सुब्बाराव, कालानाथभट्ट सूर्यनारायण मूर्ति, स्व. बड्डुलमानि लक्ष्मीनरसिंहम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कलग गुन्नेश्वरराव, आचंट पेदगोपालम, मंडली की स्थापना - 1942. अध्यक्ष - चल्ला सूर्यप्रकाशम, मंत्री - ईरंकि सूर्यनारयण। विशेष - पुस्तकालय तथा वाचनालय हैं। नाटक प्रदर्शन हुए। हिन्दी विद्यालय चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है। 1923 में श्री शारदा जातीय हिन्दी विद्यालय की स्थापना हुई, जिस में कादंबरी कुटुंबराव हिन्दी पढाते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर भोगराजु पट्टाभि सीतारामय्या, आन्ध्र केसरि टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु आदि महानुभावों ने पधारकर अपने संदेश दिये जिससे मंडली के कार्य को बडा प्रोत्साहन मिला। मंडली ने उनका सम्मान किया।

हिन्दी प्रेमी मंडली, पालकोल - 1954. कार्यकारिणी समिती के सदस्य

आगे - बायें से चित्तजल्लु सुब्बाराव, कांड्रुरि मल्लिखार्जुनराव, चल्ला सूर्यप्रकाशम (अध्यक्ष) ईरंकि सूर्यनारायण मूर्ति (मंत्री) वंगल श्रीमन्नारायणाचार्युलु।

पीछे-बायें से-रेपाक नागेश्वरराव, देवत आदिपट्टाभिराममूर्ति, बंगारु नारायणराव(सहायकमंत्री) बुद्दराजु सुब्बराजु, रेपाक श्रीराममूर्ति।

पालकोडेरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - पेन्मेत्स सत्यनारायण राजु भूपतिराजु सुब्बराजु, कलग कृष्णमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. पापाराव।

पालगिरि — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - षेक मस्तान साहब।

पालगुम्मि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - भट्टिप्रोलु सत्यप्रकाशम।

पालडुगु — रुत्तेनपल्लि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - वेलगा राम कोटय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - काकानि वेंकट रामाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पालपर्रु — बापट्ल तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - टि. सूर्यनारायण, कोडालि उमामहेश्वर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. वी. कोण्डल राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पालूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - कलमकुंट्ल गंगिरेड्डि।

पावुलूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - मुलुकुट्ल वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री।

पाशर्लपूडिलंका — राजोल तालूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - गरिमेल्ल सूर्यनारायण मूर्ति।

पिट्टलवानिपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - महम्मद खैरात हुसेन, रामकूर वसंतराव।

पिठापुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - अल्लंराजु सुब्बाराव, रेगिल्ल सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तणिकेल्ल सत्यनारायण, वाड्रेवु गोपालकृष्ण यम. यल. ए.। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पिडुगुराल्ला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - ईमनि दयानंद। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. कोदंड रामय्या। परीक्षा केन्द्र है।

पिप्परा — वया पेंटपाडु प. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1928.
केन्द्र के प्रचारक - को. गोविंदराजाचार्य, मार्गपुरि नरसिंहाचार्युलु, ति. पे. रंगाचार्युलु, ऐनवल्लि चंद्रशेखरम, गंड्रिकोट सुब्बावधानी, कोलेंपर कोटेश्वरुडु। कलिदिंडि नारायण राजु, वेगेशन सत्यनारायण राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तुम्मलपल्लि सत्यनारायणमूर्ति, तुम्मलपल्लि वीरभद्रराव, इंदुकूरि सुब्बराजु। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1935. तुम्मलपल्लि वीरभद्रराव (अध्यक्ष)। विशेष - हिन्दी विद्यालय चलाये गये। ग्रंथालय है। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी पाठशाला - पिप्परा, अग्रहार गोपवरम - 1928.

कुर्सियों पर - बायें से श्रीनिवासुल गोपालाचार्युलु, आत्मभूरि गोपाल रत्नमाचार्युलु, श्रीमत्तिरुमल पेद्दिंटि रंगाचार्युलु, कोमांड्रि गोविंदराजाचार्युलु (अध्यापक) दाट्ल बंगारुराजु, इंदुकूरि सुब्बराजु कोंड्रि नरसन्ना, तुम्मलपल्लि कोटय्या, तुम्मलपल्लि सत्यनारायण तथा विद्यार्थी।

पिल्लुट्ला — गुंटूर जिला।
विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पीलेरु — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - दूदेकुला पक्कीरप्पा, अ. शंकर नारायणराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. वेंकटरामिरेड्डि, राया सीतारामय्या। जोन्नलगड्डु सुब्रह्मण्यम शेट्टि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पुंगनूर — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - उध्य वासुदेव शर्मा, वेमूरि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वी. देशिकाचारि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पुनादिपाडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि नागभूषणम, मुक्कामल भगवान इन्नमराय शर्मा, वीरमाचनेनि रामाराव, कोल्लि वेंकटेश्वरराव, पिडिकटि रामकोटेश्वरराव, स्व. मेदिड्डराव वीरराघवय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - इ. वेंकटेश्वरराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पुलिवेंदुला — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - पैडिपाल्ल कृष्णमूर्ति, येद्दुल शौरिरेड्डि, एन. पि. ईश्वर रेड्डि, कोम्मा सोमिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एस. वी. नारपु रेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पुल्लमपेटा —कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - दासरि शौरिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ए. वेंकट्रामय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पुल्लेटिकुर्रु — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - पेचेट्टि नरसिंहमूर्ति, सोमयाजुल पद्मनाभम, नूकल वेंकट रामशास्त्री।

पुसुलूरु — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ -1924.
केन्द्र के प्रचारक - मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव।

पूतलपट — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - जे. दोरस्वामि रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. सुब्बारेड्डि, विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पून्रू — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - तुम्मल राघवय्या, दुग्गिनेनि गोपय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गन्नमनेनि कोटय्य चौदरी, के. गणपति राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पुत्तूर — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पल्लेटि वेंकट रामि रेड्डि. मेलपूडि रत्नमरेड्डि, श्रीमती के. कनकम्मा, सि. सांबमूर्ति। जि. चिनस्वामि नायुडु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के सि. आर. विश्वनाथ शेट्टि, एन. रत्नम, मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - सि. वै. दोरस्वामि मोदलियार। मंत्री - मेलपूडि रत्नमरेड्डि। विशेष- हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है। पुस्तकालय है।

हिन्दी प्रेमी मंडली, पुत्तूर - 1955 — कार्यकारिणी समिती, साधारण सदस्य, अध्यापक व विद्यार्थी।
कुर्सियों पर-बाईं से-लूईजम्मा, सुब्रह्मण्यम, चिट्टमूरि सांबमूर्ति - सहायक मंत्री, डाक्टर वी. रामाराव, के. सि. आर. विश्वनाथम शेट्टि (उपाध्यक्ष) डा. के. एन. रत्नम, डा. भास्कर रेड्डि, सि. वै. दोरस्वामि मोदली- अध्यक्ष, सुब्रह्मण्यम राजु, एम. रत्नमरेड्डि-मंत्री, चेंगलराजु, सि. वेंकटरामा नायुडु।

पूला — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - सागिराजु सूर्यनारायणराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गंधम लक्ष्मय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पेंटाखुर्द — जनगाम तालूका, वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - दुर्गंपूडि नरसिंहारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मुम्मनेनि सत्यनारायण, गालपाटि चिनसुब्बय्या, दुर्गमपूडि जोगिरेड्डि। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - कंदेपु वेंकटकृष्णय्या, मंत्री - दुर्गंपूडि नरसिंहा रेड्डी। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पेंटपाडु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - अमृतवाक्कुल वेंकट सत्यनारायण, कंभमपाटि सत्यनारायणमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चिंतलपाटि वरप्रसाद मूर्तिराजु, जे. गंगाधरम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पेंदुरु — कृष्णा जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

पेडना — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1935
केन्द्र के प्रचारक - वीथि नारायणदास, भट्ट कोटेश्वरराव, चोडवरपु रामशेषय्या, उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या, पोट्लूरि उमामहेश्वरराव, कोसनम त्रिपुरान्तकम, अंदेल चेन्नबसवय्या, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, कोसनम अन्नपूर्णा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - भट्ट कुमारस्वामि। कोसनम लिंगराजु, मेट्ल चिनसुब्बय्या। मंडली की स्थापना - 1951. मंत्री - पोट्लूरि उमामहेश्वरराव। विशेष -परीक्षा केन्द्र है।

पेडसनगल्लु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - मिक्किलिनेनि सुब्बाराव।

पेदअवुटपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940..
केन्द्र के प्रचारक - एन. सांबशिवराव।

पेदकोंडूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - मुल्लपूडि वेंकट कृष्णानंदराव।

पेदकूरपाडु — सत्तेनपल्लि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - गोगिनेनि वेंकट्रामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जि. जाकोब।
विशेष परीक्षा केन्द्र है।

पेदनंदिपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - अंबटिपूडि हनुमय्या।

पेदनिंड्रकोलनु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - अडवि वेंकटेश्वरराव।

पेदपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1923.
केन्द्र के प्रचारक - स्व. कंचर्ल वेंकटकृष्णय्या।

पेदपाडु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - पेंड्याल परब्रह्मशास्त्री, गारपाटि वेंकटरेड्डय्य चौदरी, यर्रा वेंकटस्वामी, कालनाथभट्ट सूर्यनारायणमूर्ति, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वै. यल. नारायण शास्त्री, चे. लक्ष्मणराव, द्विवेदि सत्यनारायण, मूल्पूरि काशय्या, मूल्पूरि रंगय्या। परीक्षा केन्द्र रहा।

पेदपारुपूडि --- गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - अट्लूरि वेंकटरंगय्या, अट्लूरि रामाराव, कोल्लि वेंकटेश्वरराव, अट्लूरि वसवमणि, अट्लूरि राजाराव, स्व. दुग्गिराल सीतारामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-अट्लूरि गोपालकृष्णय्या, कोगंटि वेंकट रत्नम, पुनुकोल्लु नरसय्या, गोगिनेनि मधुसूदनराव, त्रिपुरनेनि तिरुमलराव।

पेदपालपर्रु --- गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ- 1944.
केन्द्र के प्रचारक - गुत्ता सुब्बाराव, चल्लगुल्ल सुब्बाराव, चल्लगुल्ल कोंडेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नागभूषणम।

पेदपालेम --- गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - मेल्लचेरुवु वेंकटेश्वर्लु मालिमपाटि धर्माराव, आवुल वेंकट रमणय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पुतुंबाक श्रीरामुलु।

पेदपुत्तेडु --- कोवूर तालूका, नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - पुत्तेटि सुब्रह्मण्याचारी।

पेदपूडि --- तेनालि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - वेमूरि सुब्बाराव।

पेदप्रोलु --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - येलेश्वरपु कृष्णमूर्ति।

पेदब्रह्मदेवम --- पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - नंदिगाम कोंडलराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोत्तपल्लि माधवराव। परीक्षा केन्द्र रहा।

पेदमिरम --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1929.
केन्द्र के प्रचारक - काल्लनाथभट्ट सूर्यनारायण।

पेदमुत्तेवि --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा।

पेदरावूर --- तेनालि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - कुर्रा सुलयम। उन्नव अप्पाराव।

पेदलिंगाल --- कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - मानिकोंड वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गंटा जोब। परीक्षा केन्द्र रहा।

पेदवेगि --- पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - गारपाटि वेंकट रेड्डय्य चौदरी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - लिंगम राजगोपाल राव।

पेद्दपल्लि --- करीम नगर ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - पि. एम. नारायणाचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. वेंकटय्या।

पेद्दतामरपल्ली --- श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - कोडि वसन्ना, कोडि सोमय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आर. सारथी, सि. हेच. नारायणराव, वै. मल्लय्या।

पेद्दापुरप्पाडु — पूर्व गोदावरी जिला, प्रचार का आरंभ - 1954.
केंद्र के प्रचारक - तलाटम सत्यनारायणमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. सत्यनारायणराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पेद्दापुरम — पूरव गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - कोमांडूरि गोविंदराजाचार्युलु, वन्तुल लक्ष्मीकांतम, मैल्वरपु वेंकट सुब्रह्मण्यशास्त्री, चेल्लपिल्लि सन्यासि राव, कोत्तपल्लि विश्वनाथम, भैरवभट्ल विश्वनाथ शर्मा, वांड्रंगि सत्यनारायणमूर्ति, स्व. अवसराल सुब्रह्मण्य प्रसादराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बारु सरोजिनी। मंडली की स्थापना - 1942. विशेष - हिंन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

किलारु लक्ष्मीनारायण

पेनमलूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.

केन्द्र के प्रचारक - पुरिटिपाटि राममूर्ति रेड्डि, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, जष्याल राममूर्ति।

प्रमुख हिन्दीं प्रेमी - किलारु लक्ष्मीनारायण - संस्थापक सेवाश्रम, किलारु माधवराव, किलारु सुब्बाराव, तातिनेनि विजयसारथि, किलारु नरसिंहाराव।

विशेष - गांधी भवन है। हिन्दी विद्यालय चल रहा है। पुस्तकालय है। नाटक प्रदर्शन हुए। परीक्षा केन्द्र है।

पेनुकोंडा — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केंद्र के प्रचारक - मादासु यर्रन्ना। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पेनुगंचिप्रोलु — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1955
केन्द्र के प्रचारक - लंका नागभूषणम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. नागेश्वर राव। परीक्षा केन्द्र रहा।

पेनुगोंडा — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - गादि ब्रह्मानंदराव, चर्ले रामचन्द्रराव, कंममपाटि सत्यनारायणमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जव्वाजि लक्ष्मय्यनायुडु। मंडली की स्थापना - 1944. विशेष - परीक्षा केन्द्र है। 1944 में बेजवाडा गोपालरेड्डि जी की अध्यक्षता में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा का 15 वाँ अधिवेशन और 11 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन, भट्टारम वेंकट सुब्बय्या जी की अध्यक्षता में मनाये गये।

पेनुबल्लि — नेल्लूरु जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केंद्र के प्रचारक - वकुलाभरणम राघवय्या।

पेनुमंट्रा — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केंद्र के प्रचारक - भोगिरेड्डि दानय्या, काटम श्रीराममूर्ति, आमुजाल नरसिंहमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दाट्ल नीलाद्रि राजु। वि. सुब्बाराव। गोर्ति सोमनाथशास्त्री। परीक्षा केन्द्र है।

पेनुमर्रु — गन्नवरम ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केंद्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या।

पेनुमाक — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केंद्र के प्रचारक - ईदरा रामकोटय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एन. सूर्यनारायण। परीक्षा केंद्र रहा।

पेनुमूरु — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - वासिरेड्डि रामनाथम, सूरपनेनि सीतारामय्या।

पेरवलि — तेनालि ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पावुलूरि शिवराम कृष्ण।

पेरवलिपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - चेरुकूरु वेंकटेश्वर्लु।

पेरिकेगूडेम — कैकलूर ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - विन्नकोट वेंकटेश्वरराव।

पेरिसेपल्लि — गुडिवाडा ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कोल्लिपर रामचंद्रय्या, पोतकमूरि वीरब्रह्माचारी।

पेराला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - कर्ण वीर नागेश्वरराव, एलचूरि नागिशेट्टि, कोल्लिपर पांडुरंगाराव, कुर्रा बुच्चिरामय्या, एलेश्वरपु अरुणाचलम।

पेरूर — गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1956
केन्द्र के प्रचारक - पेच्चेटि नरसिंहमूर्ति।

पेरचर्ल — बापट्ल ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - पोका वेंकटेश्वर्लु।

पोंदूर — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - पोनुगुपाटि जोगाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- पम्मि सूर्यम, पुल्लेल नारायण शास्त्री, जनाब उस्मान खत्री। मंडली की स्थापना - 1955. अध्यक्ष - अल्लशेट्टि अप्पय्य। मंत्री - दुन्ना लिंगराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पोट्लपूडि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - चल्ला लक्ष्मीनारायण शास्त्री।

पोणुकुमाडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - दिव्वेल पिच्चय्य गुप्ता। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - येट्टूरि सूर्यप्रकाशराव, महादेवु सीतारामराजु। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

पोतकमूरु — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - बोम्मिडिचर्ल वेंकटेश्वरराव।

पोदिलि — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - यर्लराजु चेंचुसुब्बाराव, ऊट्ल वेंकटकृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एल. वि. सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

पोन्नमंडा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - गरिमेल्ल सूर्यनारायण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पेद्मल्लु वेंकटसुब्रह्मण्यम। पेद्मल्लु नरसिंहमूर्ति।

पोन्नूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - कोल्लिपर पांडुरंगाराव, मल्लादि वेंकटकृष्णय्या।

पोन्नेकल्लु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - महबूब सुबानी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सलिवेंद्रुम लाजरस। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पोन्नेरि — चेंगलपट जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - चल्ला लक्ष्मीनारायण।

पोलमपल्लि — नंदिगाम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - गुल्लपल्लि लक्ष्मीनरसिंह शर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोमरगिरि लक्ष्मीनरसिंहाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पोलूरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - रुद्रराजु सीतारामराजु।

पोतुमर्रु — कृष्णा जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

पोरंकि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - आरिकेपूडि राघवेंद्रराव, कोप्पिनेनि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तातिनेनि नागरत्नम्मा, तातिनेनि कोंडय्या, तंगिराल पट्टाभिरामय्या।।

पोरुमामिल्ला — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - वै. वेंकटरामिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. राजारेड्डि। परीक्षा केन्द्र रहा।

पोलमूरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु, भूपतिराजु सुब्बराजु।

पोलवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - मुलुकुट्ल सुब्रह्मण्य शास्त्री। दंडु सूर्यनारायण राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. मल्लिखार्जुन राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पोलाकि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - दाडि मोदिनायडु, वेदाल लक्ष्मीनारायणाचारी, पी. माधवराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. श्रीनिवासराव, सि. नरसिंहारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

पोलूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - ए. वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. चेंचु सुब्बाराव। परीक्षा केन्द्र रहा।

प्रगडवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - पेम्मराजु राजाराव।

प्रत्तिपाडु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तूमु सुब्बाराव।

प्रोद्दुटूरपेटा — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - पी. दामोदरम, गोविंदरेड्डि, चक्रपाणि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. सुब्रह्मण्य रेड्डि।

प्रोद्दुटूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - वेदान्तम शेषय्या, मंचाला रेड्डि, आ. राघवय्या चौधरी, यन. मुनिवरराजु, पि. विमलादेवी, जि. चेन्नय्या, के. चेंचिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. सुब्बाराव, जि. सुब्बाराव, वी. शंकरराव, रंगारेड्डि, श्यामशास्त्री। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - पि. वि. रंगारेड्डि, मंत्री - यन. मुनिवरराजु। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। नाटक प्रदर्शन हुआ। पुस्तकालय तथा वाचनालय हैं। परीक्षा केन्द्र भी है।

प्यापली — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - यम. सुब्रह्मण्यम, ए. वि. राममूर्ति, जि. सिद्दारेड्डि, बि. कंबगिरि स्वामी मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - देवादुल अश्वत्थामा। मंत्री - अनुमुल वेंकटाचल शास्त्री। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली, प्यापली - 1955.

कुर्सियों पर, बायें से - बर्मा वीरभद्रय्या, जि. सिद्दारेड्डि, डि. अश्वत्थामा, (अध्यक्ष), वैसानि कंबगिरि स्वामि (उपाध्यक्ष), ए. वेंकटाचल शास्त्री (मंत्री) ए. रामचंद्र मूर्ति।

खडे हुए, पहली कतार - बच्चु पांडुरंगय्या, टि. वि. सुब्बय्या, जे. ए. खादर, यम. सी. लक्ष्मी रंगय्या, पी. लक्ष्मीनारायण।

दूसरी कतार - इ. वेंकटरमणय्या, नायकंटि सुब्बरंगय्या, बंकदारि आदिसत्यनारायण, एस. एन. भगवानदास।

प्यापर्रु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - काद्रगड्डु गोपाल कृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कन्नेगंटि वेंकट सुब्बय्या। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

फिरंगिपुरम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - पेंड्याल सुब्रह्मण्यशास्त्री। डी. वी. सूर्यप्रकाशराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. थियोडार, के. आर. कृष्णमूर्ति, के. वेंकटेश्वरराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

बंटुमिल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - अडिवि वेंकटेश्वरराव, दुड्डा वेंकटेश्वरराव।

बंदलायि चेरुवु — कृष्णा जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

वत्तिलि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - कोडि बसन्ना, निम्मकायल सत्यानंदराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- आर. सूर्यनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

बद्वेल — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - येद्दुल सिद्दन्ना। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- के. राजारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

बनगानपल्लि — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - सुंकर वेंकट रमणप्पा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. वी. नरसिंहाराव।

बब्बेपल्लि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - वेंकायलपाटि शेषावतारम, वेंकायलपाटि लक्ष्मीनारायण।

बरलि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - गोरंतुल विश्वपति शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. श्यामन्ना। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

बरहमपूर — गंजाम जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - पं. अवधनंदन, कस्तूरि सुब्बाराव, भारतुल मार्कंडेय शर्मा, गजवल्लि नीलाचलम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गंटि नारायण। विशेष परीक्षा केन्द्र है।

बल्लारि — बल्लारि जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - टी. बी. केशवराव, वंगल चेन्नकेशवरेड्डि, येद्दुल जोजिरेड्डि। परीक्षा केन्द्र रहा।

बलिजिपेटा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - अधिकार्ल राममूर्ति, पि. माधवराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मद्दमशेट्टि जगन्नाथय्या। मंडली की स्थापना - 1953. अध्यक्ष - तोट लक्ष्मणराव। मंत्री - दामेर कूर्माराव। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

बाडंगि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - वेदाल लक्ष्मीनारायणाचारी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गिडुगु जगन्नाथ राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

बादंपूडि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - अडिवि वेंकटेश्वर राव।

बापट्ला — गुंटूर ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - रामकूरु वसंतराव, रामकूरु भास्करराव, पल्लि उमाकांतम, भारतुल राधाकृष्ण मूर्ति, कोन सांबशिवराव, पेनुबकोंडा सत्यनारायण राजु, मल्लादि वेंकट कृष्णय्या, चेन्नुपाटि रंगाराव, अन्न गोवर्धनराव, मेट्टुरि अंजनादेवी, वि. नागेश्वरराव, के. वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीमती ऊट्टुकूरु लक्ष्मीकांतम्मा, कनपर्ति वरलक्ष्मम्मा, बोलिशेट्टि सीतारामय्या, माधवपेद्दि रामकृष्णा राव, पालपर्ति आदिशेषय्या, कर्लपूडि कमलादेवी। मंडली की स्थापना - 1954. अध्यक्ष - सिंगराजु नागभूषणराव। मंत्री - बोम्मिशेट्टि वीरांजनेयुलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है। 1949 में जातीय हिन्दी पाठशाला की स्थापना हुई जिस में प्रारंभिक शिक्षा निश्शुल्क दी जाती है। पाठशाला की तरफ से पुस्तक बिक्री विभाग भी चलता है। वाग्वर्धनी सभायें तथा नाटक प्रदर्शन भी होते हैं।

हिन्दी प्रेमीमंडली, बापट्ला - 1955.

कुर्सियों पर - बायें से - कर्लपूडि कमलादेवी, बोम्मिशेट्टि वीरांजनेयुलु - मंत्री, सिंगराजु नागभूषणराव - अध्यक्ष, मल्लादि पद्मावती देवी, ऊटुकूरि लक्ष्मीकांतम्मा।

खड़ेहुए - बायें से - भारतुल राधाकृष्णमूर्ति, कोन सांबशिवराव, मल्लादि वेंकटकृष्णय्या, आवुल नागेश्वरराव, चेन्नुपाटि रंगाराव।

बारुव — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - जी. बृंदावनम।

बी. कोत्तकोटा — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - एम. वी. शंकरराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. रामय्य चौदरी। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

बिलकलगूडूर — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - सरिपल्लि वेंकटेश्वर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. पेद्नारायण रेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

बुक्कपट्टणम — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - कत्ति नारायणरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. रामाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

बुक्करायसमुद्रम — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - पत्तिपाटि कृष्णमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बि. रामचंद्रन। विशेष- परीक्षा केन्द्र रहा।

बुडिति — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - फणिहारम वेंकटरामानुजाचार्युलु, टि. अप्पल नरसिंहम, हनुमंतु अप्पलस्वामि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - देवराजु वेंकटसूर्यनारायणमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

बुद्धवरम — गन्नवरम तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मुक्कामल नागभूषणम, गूडवल्लि सत्यनारायण, गूडवल्लि सुब्बाराव।

हिन्दी विद्यालय, बुद्धवरम - 1922.
अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या (बायीं कुर्सी पर)

बुच्चिरेड्डिपालेम — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - यस. वि. शिवरामशर्मा, पुत्तेटि सुब्रह्मण्याचार्युलु, सुंकर चंगय्या यस. सुंदरराजन, वकुलाभरणम राघवय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - इप्पगुंटा वेंकटकृष्णारेड्डी, रामरेड्डी, नारायणरेड्डी, मेनकूर श्रीनिवासुलरेड्डी, बेजवाडा गोपालरेड्डी, वाकाटि रेंचलरेड्डी, दोड्ल रमणारेड्डी, पि. बि. एम. सुब्रह्मण्यम। मंडली की स्थापना - 1955. बेजवाडा दशरथ रामरेड्डी, (अध्यक्ष) सुंकर चंगय्या (मंत्री)। विशेष हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। सभा समावेश हुए।

हिन्दी प्रेमी मंडली, बुचिरेड्डिपालेम - 1955 — कुर्सियों पर बायें से वि. वेंकट सुब्बम्मा, ए. एल. रेड्डि, एस. वी. रमणारेड्डि, बेजवाडा दशरथ रामिरेड्डि (अध्यक्ष) वाकाटि पेंचलरेड्डि (कोशाध्यक्ष)रामिरेड्डि नारायण रेड्डि (उपाध्यक्ष), मुंकर चेंगय्या (मंत्री), एन. पेंचलय्य, एम. श्रीनिवासुलु रेड्डि
खडे हुए - बायें से - एस. एस. राजन, पी. बी. एम. सुब्रह्मण्यम, पि. रमणप्पनायुडु, टि. रघुरामिरेड्डि, अ. मल्लारेड्डि, वी. रामचंद्रारेड्डि पी. लक्ष्मीनरसय्या, को. वीरराघवुलु शेट्टि, के. ।, डि. रमणय्या ।
सब से पीछे - पी. सुब्रह्मण्यम, जी. मुत्यालय्या, ए. र , वेणुगोपा रामय्या, एन. वि. सूर्यनारायण, वि. नागेश्वर राव

बुर्रिपालेम — तेनाली ताल्लूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, कोत्तपल्लि सरलादेवी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. राघवय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

बुर्रिलंका — पूर्व गोदावरी जिला। केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

बेतंचर्ला — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - टि. नारायणरेड्डी, यस. वि. सुब्बारायुडु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- यन. उमाराजेश्वरराव, बि. आर. बुग्गारेड्डि, बि. एस. नल्लारेड्डि। मंडली की स्थापना - 1953. इ. के. वेंकटेशन (अध्यक्ष) टि. नारायणरेड्डी। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली बेतंचर्ला - 1955. कार्य कारिणी समिति के सदस्य

कुर्सियों पर बायें से - बी. आर. बुग्गारेड्डि, बी. एस. नल्लारेड्डि बि. एस. संजीवरेड्डि (अध्यक्ष) इ. के. वेंकटेशन, ए. वरदन (कोशाध्यक्ष), निडमर्ति उमाराजेश्वरराव (उपाध्यक्ष)

खडे हुए बायें से - जि. वेंकय्य श्रेष्टि, एस. मुहम्मद साहब, टि. नारायणरेड्डि (मंत्री) एस. वि. सुब्बारायुडु (सहायक मंत्री), के. नारायण।

बोब्बिलि — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - माजेटि वेंकट सुब्बाराव, एन. नारायणमूर्ति, पिन्निंटि अप्पलस्वामि, प्रमुख हिन्दी प्रेमी वी. सुब्बराय शास्त्री, डि. राजामुनिस्वामि नायुडु। प्रेमी मंडली की स्थापना-1950 अध्यक्ष - कोटगिरि सीतारामस्वामि। मंत्री - बी. सीतापतिराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

बोम्मसमुद्रम — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक- बेल्लंकोंड नरहरि राव, के. श्रीनाथनायुडु। एन. गोविंदरेड्डि, गालि चिनस्वामि नायुडु।

बोम्मिनंपाडु — कैकलूर तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - कैमंपाटि सत्यनारायणमूर्ति, अडिवि श्रीकृष्णमूर्ति, बेरा वेंकट सुब्बाराम शर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दामेर वेंकटरामाराव दामेर वेंकट सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

बोम्मुलूर - गुडिवाडा तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - द्रोणराजु नरसिंहराव।

बोदुलबंडा - कंभम्मेट जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - दासरि ब्रह्मय्या, यलमंचिलि वीरभद्रराव।

ब्राह्मणकोडूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - श्री कोत्तपल्लि वेंकटकृष्ण वर्मा, मक्कपाटि वेंकटरत्नम, मामल वीरांजनेय वेंकट महेश्वरराव, कोत्तपल्लि सरलादेवी, मुक्तिलूतलपाटि हनुमंतराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्री रामिनेनि नारायण, गोविंदु देवय्या, कंचर्ल रामय्या। मंडली की स्थापना - 1940. अध्यक्ष - गोविंदु देवय्या। मंत्री - मक्कपाटि वेंकट रत्नम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

ब्राह्मणगूडेम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री।

ब्राह्मणपल्ले — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - वड्डेपाटि राम शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सि हेच. गुरुलिंगम। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

भट्लपेनुमर्रु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक-तुम्मूरु कृष्णमूर्ति, कोल्लिपर रामचंद्रय्या, पोट्लूरु वेंकटेश्वरराव, कोम्मिनेनि वेंकटप्पय्या।

भट्टिप्रोलु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - दुट्टा वेंकटेश्वरराव, आर. दिवाकर।

भद्राचलम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - वकुलाभरणम राघवय्या अवधानुल पुरुषोत्तम, श्रीरंगाचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-डाक्टर श्रीरंगम वेंकट नरसिंहम, कोंडपल्लि रामचंद्रराव, डि. एल. दास। मंडली की स्थापना - 1956. अध्यक्ष - एम. वि. वि. नरसिंहम। मंत्री - वकुलाभरणम राघवय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

भीमवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - वेगेशिन काशिराजु, चेकूरि लच्चिराजु, वेमूरि राधा कृष्णमूर्ति, द्रोणराजु, नरसिंहाराव, कंभम्पाटि सत्यनारायण मूर्ति, पेरिचर्ल सत्यनारायण राजु, गोटेटि कृष्णमूर्ति, चिर्रावूरि गौरी, पार्वतम्मा देवी, भोगिरेड्डि दानय्या, चवाकुल नरसिंःमूर्ति, मंगिपूडि लक्ष्मीपति, काल्लकूरि वीराजु, तम्मिनीडि वेंकट नारायण, ताल्लूरि वेंरय्या, आर. श्रीरामचंद्र, पेन्मेत्स सत्यनारायण राजु, ताल्लूरि सुब्बाराव, कालनाथभट्ट सूर्यनारायण मूर्ति, जोस्युल सूर्यनारायण मूर्ति, आर. अन्नपूर्णादेवी, कलग कृष्णमूर्ति, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, आकेल्ल लक्ष्मीनरसिंह मूर्ति, स्व. पिन्नराजु मारि राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गादिराजु जगन्नाथराजु, डा. पालकोडेटि सत्यनारायण शर्मा, पि. चार्लेस, अडिवि सत्यनारायण, पेंड्याल विश्वनाथशर्मा। मंडली की स्थापना - 1936. अध्यक्ष - गादिराजु जगन्नाथ राजु। मंत्री - पेरिचर्ल सत्यनारायण राजु। विशेष - पुस्तकालय है। नाटक प्रदर्शन हुए। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - भीमवरम - 1938.
यों पर, - स्व. अल्लूरि रामकृष्णम राजु- (तत्कालीन अध्यक्ष) पि. मार्राजु (तत्कालीन मंत्री)

पुजारी नाटक प्रदर्शन - भीमवरम - 1942.
कुर्सियों पर, बायें से- के. वेंकटेश्वर्लु, वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति, वेमूरि आंजनेयशर्मा, अट्लूरि रामाराव, अल्लूरि रामराजु, अप्पलाचारी।
खडे हुए - (2) अडिवि सत्यनारायण (4) पि. मार्राजु आदि ।

भीमुनिपट्टणम — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - मुमर्ल लोकनाथ शास्त्री, गुल्लपल्लि कामेश्वरराव, वेंकटाचारी, ए. यम. टि. सरोजिनी, मि. नवरत्नम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पुमर्ल वेंकटराव, लक्ष्मीनारायण पांडे। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

भीमुनिपाडु — कोइलकुंट्ल ताल्लुका, कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि वेंकटेश्वरराव।

भूषणगुल्ला — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - अट्लूरि रामाराव, कोट सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. विश्वनाथम, मूरपनेनि शेषय्या, चल्लसानि नारायणमूर्ति, गुल्लपल्लि वेंकटेश्वरराव।

भैरिपुरम — चीपुरुपल्लि ताल्लुका, श्रीकाकुलम ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - वेदाल लक्ष्मीनारायणाचारी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पक्कि वरद नरसिंहुलु, उप्पलपाटि, सत्यनारायण राजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मंगलगिरि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - वट्टिकोंड वेंकट नरसय्या, आनंदराव सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डि. रत्नम, डि. सीतारामय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मंगोल्लु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - कोलाहलम शेषमराजु, चदलवाड कोटि नरसिंहम।

मंटपमपल्ले — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - बोगा चिन्नय्या, अव्वारु कृष्णमूर्ति।

मंटाडा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ-1925. केन्द्र के प्रचारक - बुर्रा रामशेषय्या।

मंडपाका — तणुकु ताल्लुका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - अनिपेद्दि वेंकटरत्नम, अनिपेद्दि विश्वनाथम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अय्यगारि नारायणराव. देवरकोंडा गोपालम, मं. श्रीराममूर्ति, पि. मल्लिकार्जुनराव। मंडली की स्थापना - 1955. वल्लुरु रामाराव चौदरी (अध्यक्ष) अनिपेद्दि वेंकटरत्नम (मंत्री) विशेष - वायुलु चल रहा है।

मंडपेटा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - | मंडली की स
केन्द्र के प्रचारक - ईगलपाटि वेंकन्न चौदरी, नंड्डूरि शोभनाद्रि विशेष - परीक्षा के सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है। ०.

मंडवल्लि — कैकलूर ताल्लुका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1953. नरसिंहाराव,
केन्द्र के प्रचारक - अडिवि वेंकटेश्वरराव, दुट्टा वेंकटेश्वरराव। गौरी,

मंडूर — तेनाली ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - अन्नं गोवर्धनराव, य. अ. न. बसव पुन्नय्या।

मंतेन — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केन्द्र के प्रचारक - अल्लूराजु सुब्बाराव।

मंतेनवारिपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - व्रजनंदन शर्मा, सरिपल्लि वेंकटरामराजु, दिगवल्लि शेषगिरिराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मंतेन वेंकटराजु।

मंतिपालेम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - बंडि वेंकट सुब्बय्या।

मंदपाकल — दिवि तालूका, कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - यह्लाप्रगड शिवरामाराव।

मंदसा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - जि. बृन्दावनम, जि. ग्वडांग शर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यस. राममूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मक्कुवा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - मेड्डूरि सन्यासिराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मछलीपट्टणम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1919.
केन्द्र के प्रचारक - हृषीकेश शर्मा, श्रीरामगोपालशर्मा, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, बैसानि श्रीरामुलुगुप्त, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, यन. यस. वि. सोमयाजुलु, पोट्लूरि धनसूर्यावती, मल्लादि शिवराम, कामर्षि वीरभद्रराव, कालेपल्लि योगेश्वरराव, कंचर्ल सांबशिवराव, मोटपर्ति गोपाल कृष्णमूर्ति, मुल्लपूडि वेंकट कृष्णानंदराव, डि. सनत्कुमार शर्मा, ए. अरुणाचलम, मल्पाक गुरुमूर्ति सोमयाजुलु, वीथि नारायणदास, मोगंटि माणिक्यांबादेवी, कर्ण राजशेषगिरिराव, चल्ला लक्ष्मीनारायण शास्त्री, यह्लाप्रगड शिवरामाराव, उप्पुलूरि श्रीराम कृष्णय्या, कस्तूरि सुब्बाराव, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, चिट्राजु कोटमराजु, त्रिपुरनेनि दुर्गाप्रसूनांबा, चिट्टूरि अन्नपूर्णा देवी, कोट सुंदरराम शर्मा, ताराबत्तुल सुंदरराव, पोतराजु सीतारामाराव, तोट शेषय्यदास, कृष्णवेणम्मा, स्व. मल्लादि वेंकट सीतारामांजनेयुलु।

प्रमुख हिन्दी प्रेमी - भोगराजु पट्टाभिसीतारामय्या, चेरुकुवाड वेंकट नरसिंहम, कोलवेन्नु रामकोटेश्वरराव, तसप्परपु राजाराव, स्व. वारणासि सुब्रह्मण्यम, स्व. मुट्नूरि कृष्णाराव।

विशेष - यह केन्द्र हिन्दी प्रचार के लिए मशहूर है। आन्ध्र जातीय कलाशाला में हिन्दी की पढाई के लिए अच्छा प्रबन्ध है। ग्रन्थालय है। वाचनालय है। परीक्षा केन्द्र भी है। बृन्दावन हिन्दी नाट्य मंडली की स्थापना 1933 में ही हुई थी।

उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, दाडि गोविंदराजुलु नायुडु, तोट वेंकटेश्वरराव, गब्बिटि वालसुंदर शास्त्री, कंदिगोंड सत्यनारायण, वालि सुब्बाराव, आदि इस नाटक मंडली के प्रमुख अभिनेता हैं।

हिन्दी प्रेमी मंडली, मछलीपट्टणम - 1956.
एलेश्वरपु अरुणाचलम, वेमूरि नारायण मूर्ति (मंत्री) मुल्लपूडि वेंकटकृष्णानंदराव, डा. राल्लपल्लि अच्युतरामय्या (अध्यक्ष) दे. सनत्कुमार शर्मा, कामर्षि वीरभद्रराव, गोर्ति शेषावतारम (सहायक मंत्री), तोट शेषय्यादास, कंदाल वेंकट सुब्बाराव आदि ।

उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या जी अपने विद्यार्थियों के साथ । मछलीपट्टणम - 1933,
बाईं ओर से - तीसरे उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, चौथी उन्नव सौभाग्यम्मा ।

प्रेमी मंडली, मछलीपट्टणम-1939 - स्थानीय हिन्दी प्रचारक उन्नव राजगापाल कृष्‍ जी का थान परि 939 में म पट्ट से राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ विजयवाडा कार्यालय के स्थापक पद पर हुआ। यह उस स का है।

पर, बाईं ओर से - तोपल्ले रामब्रह्मम, गब्बिटि लसुंदरशास्त्री, हनुमंतराव, राल पल्लि अच्युतरामय्या जी, राचकोंड न रक)

डि. वि. सुब्बाराव. उन्नव राजगोप लकृष्ण रसिंहाराव, पिंगलि नागेन्द्र राव, विन्नकोटा लिंगम

हिन्दी प्रेमी मंडली, मछलीपट्टण 937 में हिन्दी प्रेमी मंडली की तरफ से के प्र आस्थान कवि शतावधानि वेंकटशास्त्रीजी का सम्मान आन्ध्र जा शाला मछलीपट्टणम में किया गया। उस ... या फोटो।
बाईं ओर से - देवरकोंड नरसिंहशास राजु, काटूरि वेंकटेश्वरराव, कवि बापिराजु, श्री शतावधानि चेल्लपिल्ल शास्त्री, विश्वनाथ सत्यनाराय जगोपाल कृष्णय्या, र्ग थशास्त्री, प्रभाकर जी आदि।

मडकसिरा — हिन्दू पूर तालूका, अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - मादासु यरन्ना, के. शेष शर्मा, शेख अब्दुल अजीज। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. श्रीनिवासराव, के. कृष्णप्पा, के. एस. श्रीनिवासाचार्युलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मडिकि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक दिनवहि सूर्य प्रकाशराव।

मदनपल्लि — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1919.
केन्द्र के प्रचारक - पं. अवधनंदन, के. नरसिंहाराव, टि. अंजनादेवी, वेमूरि सुब्बाराव, वि. गोविंदरेड्डि, वेल्लकोंड नरहरिराव, तुमुरुकोट वेंकट कृष्ण शर्मा, पल्लेकोंड वेंकट सुब्बय्या, मुंगर शंकरराजु, आनंदराव सत्यनारायण, बि. के. सुब्बराजु, स्व. टि. कन्नय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. सुंदराबाई, वि. वेदांताचारी, वि. गौरीदेवी, यम. रामाराव मलकार। मंडली की स्थापना - 1947. यम. वि. पापन्न गुप्ता (अध्यक्ष), वेमूरि सुब्बाराव (मंत्री)। विशेष - हिन्दी विद्यालय है, नाटक प्रदर्शन हुए। सभा समावेश हुये। परीक्षा केन्द्र है।

मद्दिकेर — कर्नूल जिला, प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - वै. ईश्वररेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वि. सोमसुंदरम। परीक्षा केन्द्र है।

मधिरा — खम्ममूमेट जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक-नल्लमल मुरहरि राव, रामिशेट्टि रोशय्या, कठारि सुब्बाराव। मंडली की स्थापना-1957 कोंडपल्लि शेषगिरि राव (अध्यक्ष) के. मोहनराव, के. सुब्बाराव (मंत्री)। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मम्मुसिद्दुपल्ले — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - चप्पिपडि वेंकटरामिरेड्डि।

मर्रिवाडा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - बुर्रा रामशेषय्या।

मलकपल्लि — वया कोव्वूर, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पातूरि मधुसूदनराव, मुल्लपूडि मुत्यालराव, गारपाटि वेंकट सत्यनारायणराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मद्रास — दक्षिण भारत के हिन्दी प्रचार का प्रधान केन्द्र स्थान मद्रास है। महात्मा गांधीजी ने अपने सुपुत्र स्व. देवदास गांधी को 1918 में यहाँ भेजकर प्रचार का कार्य प्रारंभ कराया। इसी केन्द्र स्थान से दक्षिण के आन्ध्र, तमिल, केरल तथा कर्नाटक प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार और प्रसार हो रहा है।

जनता में हिन्दी प्रचार करने नाटक प्रदर्शन एक जबरदस्त साधन साबित हुआ। नाटक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा मद्रास 1939, 1940, 1941 तीन वर्ष अंतर प्रांतीय नाटक स्पर्धा चलाई जिस में आन्ध्र, तमिल, केरल और कर्नाटक प्रांतों ने भाग लिया। उक्त तीन वर्षों में लगातार आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी नाटक मंडली ने भाग लिया और रजत पतक प्राप्त किया।

इस चित्र में शाहज़हाँ नाटक में भाग लेनेवाले अभिनेता रजत पतक के साथ हैं। खडे हुए - (1) बो. वें. सिंगराचार्य (2) आ. राघवेन्द्रराव, (3) चि. लक्ष्मीनारायण शर्मा, (4) वे. आंजनेयशर्मा, (5) व. सोमशेखरम, (6) उ. राजगोपाल कृष्णय्या, (7) अब्दुल खाँ।

बीच में बैठे हुए - (1) दिनवहि सत्यनारायण, (2) वारणासि पद्मनाभम एम. ए., एल. एल. बि, पी. वें. सुब्बाराव, (4) गाडपल्लि सूर्यनारायण राव, (5) मो. सत्यनारायण, (6) दाडि गोविंदराजुलु, (7) नंडूरि रामकृष्णाराव।

नीचे बैठे - (1) पो. रमणराव, (2) रामचन्द्र, (3) वे. राधा कृष्णमूर्ति, (4) सौभाग्यराव ।

द भारत हिन्दी प्रचार भा, मद्रास। रजत जयंती - जनवरी 1946.

956 में पूज्य श्री महात्मा ो र्ज की अध ता में द. भा. हिन्दी प्रचार सभा का रजत जयंती उत्सव बडी धूमधाम के साथ सभा के अहाते में मनाया गया।

खडे हुए भट्टा म वेंकटसुब्बय्या, ामचन्द्रशास्त्री, यदास, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, अवधनंदन, सिद्धना

हृषीकेश शम, रामानंद शम म भरोसे श्रीवा घुवरदयाल मिश्र, जनेय शर्मा, क. म. शिवराम मो. स यण

जमीन के. केशवन नायर, यस. वि. शिव टि. स्वामी के. ना णन नायर, उन्नव वेंकट

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार नाटक दल। चन्द्रगुप्त नाटक प्रदर्शन - **1941.**

(पात्रधारी) खडेहुए बायें से (1) चि. लक्ष्मीनारायणशर्मा (2) गंगुल सत्यनारायण (3) उन्नव राजगोपालकृष्णय्या (4) नंडूरि रामकृष्णाराव (5) यम. गौरांगराव (6) बि. वेंकट्टराव (7) मेडताटि बापनय्या।

बीच में बैठे बायें से(1)द्रोणराजु नरसिंहाराव (2)दाडि गोविंदराजुलु (3)पसल सूर्यचन्द्रराव(4)गाडेपल्लि सूर्यनारायण राव, (5)वारणासि पद्मनाभम यम.ए.बि.यल

बैठे हुए दायें से- (1) पेम्मराजु रामाराव (2) रे. सुब्बाराव।

हिन्दी प्रचार को सुसंगठित रूप से द ा भारत में फैलाने के लिए 1939 में मंडल संगठक योजना ब ़ गई। उ अनुसार संगठक हुए
बैठे हुए (1) रामचंद्रशास्त्री पो. वें सुब्बाराव (मंत्री आंध्र प्रांत) (3) देवदूत विद्यार्थी (मंत्री केरल प्रांत) (4)मोटूरि सत्य रायण मंत्री
(धनंदन शि मंत्री) (6) रघुवरदयाल मिश्र मंत्री तमिलनाड) सिद्धनाथ पंत मंत्री कर्नाटक)
खड़े हुए) वेलायुधन (संगठक केरल) (2) सुब्र यम (संगठक तमिलनाड) (वे. अंजने मी (संगठक उत्तरआंध्र)
उन्नव राजगो ालकृष्णय्या संगठक, पश्चिम आन्ध्र (5) कृष्णानंत पै (संगठक मंगलूर और कुर्ग (6) हिरण्मय(संगठक मैसूर

937 में द भारत हिन्दी प्रच का प्रथम सम्मेलन श्री ल जी की अध त में हुआ इस चित्र में उस समय के प्रचारक हैं।
बैठे (1) टेकि वीर ब्रह्मम्) मोटूरि सत्यनाराय पे प्प शास्त्री 4 आंजनेयुलु (6) मोक्कपाटि वेंकट रत्नम
(7) दम्मालपाटि राम। ास्त्री (8) राज। ल ष्णय्या।
कु। पर (1 स्व टि वेंकट सुब्बाराव (2) देवदूत र्थी (3) क. म. शिवरामशर्मा (4) रामभरोसे श्री वास्तव केश शर्मा
(6 श्री कोतवाल साहब (7) हरिहर शर्मा ामानंद शर्मा (9) अवधनंदन

मलिकिपुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - गोटेटि कृष्णमूर्ति, आमुजाल नरसिंहमूर्ति, पेच्चेट्टि नरसिंहमूर्ति, सागि सूर्यनारायण राजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मल्याल — करीम नगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - पी. एम. नारायणाचार्युलु।

मलंपल्लि—कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ-1948. केन्द्र के प्रचारक-रेंडुचिंतल नांचारय्या।

महदेवपट्टणम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - मलपाक गुरुमूर्ति सोमयाजुलु।

महदेवपुरम — खम्मम जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - सूरिपल्लि वेंकटेश्वर रेड्डि।

महबूबनगर — महबूबनगर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - वी. सुब्बाराव, एम. महबूब साहब, डि. वेंकटराव, रामचंद्रारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-अच्युतरेड्डि. सुरभि वेंकट शेष शर्मा। मंडली की स्थापना - 1953. सिद्ध लिंगय्या-(अध्यक्ष) एल. श्रीनिवासराव (मंत्री)। विशेष - 1954 में इस मंडली की तरफ से जिला हिन्दी प्रचारक सम्मेलन हुआ। दो बार पांच भाषाओं में साहित्य गोष्ठियाँ चलाई गईं। ग्रंथालय है। परीक्षा केन्द्र है।

महबूबाबाद — वरंगल जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - चौडवरपु पुरुषोत्तम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वै. नारायण, टि. सूर्यनारायण जी. वीरेंद्रबाबू, चौ. सुंदररामय्या, के. लक्ष्मणराव।

महेश्वरपुरम—कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ-1938.केन्द्र के प्रचारक-कोल्लि वेंकटेश्वरराव।

माकनपालेम — लूटकुर्रु पोस्ट, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - मंचिकंटि चिदंबरराव।

मानवरपालेम — विशाख जिला।
केन्द्र के प्रचारक - चाडा लक्ष्मण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- मुंकरणम वीरभद्र राव, बी. वी. जगन्नाथम विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

माचरा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - भमिडिपाटि श्रीरामचंद्रमूर्ति।

माचर्ल — गुंटूर ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - अंबडिपूडि हनुमय्या, के. वि. रामानुजाचार्युलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-गुर्रे मल्लय्या। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

माडुगुला — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - पति पार्थसारथि शर्मा, पति वेणुगोपालशर्मा, रायवरपु बापिराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पुट्टा अमरय्य शेट्टि। मंडली की स्थापना - 1955.
वड्डादि गोपाल भूपतिदेव वर्मा (अध्यक्ष) प्रयाग सूर्य नारायण। विशेष - हिंदी वर्ग चल रहे हैं। नाटक प्रदर्शन हुए। परीक्षा केन्द्र है।

मादल — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - तुमुरुकोट वेंकटकृष्णशर्मा, कोप्पुरावूरि वेंकट सुब्बाराव।

माधवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950. केन्द्र के प्रचारक - य.ो सत्यनारायण, कृनपराजु सुब्बराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तलारि सुब्बाराव, पत्ति शेपय्या, सोमलंक शेपय्या, नम्मिशेट्टि सीतारामय्या, वि. वि. यस. सूर्यनारायण। परीक्षा केन्द्र है।

माधापुरम — खम्मममेट्टु जिला। प्रचार का आरंभ - 1954. केन्द्र के प्रचारक-नागभूपणम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-दंटु आदि नारायण मूर्ति। मंडली की स्थापना-1954 मट्टपल्लि लक्ष्मीनारायण (अध्यक्ष) मूलवरपु राममोहनराव (मंत्री)। विशेप - परीक्षा केन्द्र रहा।

मानिकोंड — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950. केन्द्र के प्रचारक - मेकल दूर्वासुडु, मादल गोपालकृष्णय्या, बुर्रा रामशेपय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. माणिक्याराव। विशेप - परीक्षा केन्द्र रहा।

मानेपल्लि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949. केन्द्र के प्रचारक - गोर्ति राजगोपालम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. कामय्या, एम. पार्वतीशम। विशेष परीक्षा केन्द्र है।

मानिडिकुदुरु — राजोल तालुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1954. केन्द्र के प्रचारक - वद्दिपर्ति राजाराव, वेपकायल नागभूपणम, नूकल वेंकट रामशास्त्री। मंडली की स्थापना - 1954. आकुल ब्रह्मन्न (अध्यक्ष) वद्दिपर्ति राजाराव (मंत्री)। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

मामिलपल्लि—गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ-1925.केन्द्र के प्रचारक-मल्लादि वेंकट कृष्णय्या।

मासुट्टर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1938 केन्द्र के प्रचारक - पेन्मेत्स सत्यनारायण राजु।

मार्कापुरम — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1938. केन्द्र के प्रचारक - पडकंड्ल चेन्नकेशवराव, के. वि. नरसिंहम, नारायणराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. रघुराम गुप्त, अनंतरामय्या, जी. सीतारामय्या। विशेप - परीक्षा केन्द्र है।

मार्लपाटिवारिपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946. केन्द्र के प्रचारक - चेन्नुपाटि रंगाराव।

मिर्यालगूडा — नलगोंडा जिला। प्रचार का आरंभ - 1956. केन्द्र के प्रचारक - कोलाहलम शेपमराजु, नल्लमल मुरहरि राव। विशेप - परीक्षा केन्द्र है।

मुंगण्डा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930. केंद्र के प्रचारक चेरुकूरि वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री, महीधर राममोहन, क. राममूर्ति, एन. नागेश्वरराव जी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कल्ला वेंकटराव, अय्यगारि वीरभद्रसोमेश्वरराव। विशेप - परीक्षा केन्द्र है।

मुक्कामला — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945. केन्द्र के प्रचारक - कंभम्पाटि सत्यनारायण मूर्ति. चर्ल वेंकटेश्वरराव।

मुक्कोल्लु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948. केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वि. मांकालय्या। परीक्षा केंन्द्र रहा।

मारुटेरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932. केन्द्र के प्रचारक - ओरुगंटि लक्ष्मीनारायण, ताडिकोंड नरसिंहमूर्ति, जंपन सत्यनारायणराजु भट्टिप्रोलु सत्यप्रकाशम, काशिराजु मृत्युंजयुडु, वेलुवलि वीरराजु, नेमानि चिन सुब्बाराव, कंभम्पाटि सत्यनारायणमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - द्वारपूडि बसिविरेड्डि, वेलगल कोंडारेड्डि, बेरम रामानुजय्या। मंडली की स्थापना - 1949. डा. तोलेटि आंजनेयुलु (अध्यक्ष) वेलुवलि वीरराजु (मंत्री) विशेष - हिन्दी विद्यालय चल रहे हैं। पुस्तकालय व वाचनालय है। परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी प्रेमी मंडली - मारुटेरु — 1956 छठा वार्षिकोत्सव ।
इस चित्र में तोलेटि आंजनेयुलु - अध्यक्ष, वेलुवलि वीरराजु मंत्री, काटूरि वेंकटेश्वरराव - सभाध्यक्ष, औ
राजगोपाल कृष्णय्या - प्रारंभक, राचकोंड नरसिंहमूर्ति, नंडूरि शोभनाद्रिआचार्युलु आदि हैं ।

टि नरसिंह शास्त्री, पंदिरि रामलिंगा रेड्डि, यलमंचिलि वेंकट लक्ष्मीपति, जयंति कुच्चिराम शर्मा, कु. सच्चिदानंदराव, व. वेंकटराव, को.सन्यासि राजु आदि हैं।

मुक्त्याला — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केन्द्र के प्रचारक - द्रोणंराजु नरसिंहाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वासिरेड्डि सदाशिवेश्वर प्रसाद।

मुच्चुकोटा — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक उ. कंबगिरि। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

मुट्लूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केंद्र के प्रचारक - कामराजु वेंकटरामय्या, मुक्तिनूतलपाटि हनुमंतराव।

मुत्तुकूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - वकुलाभरणम राघवय्या, मुरुगुल चिदंबर दीक्षितुलु।

मुदिनेपल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव, पोट्लूरि नागभूषणम, पोट्लूरि हनुमंतराव, चिट्टराजु कोटमराजु, चिर्रावूरि रामकृष्णाराव, अटलूरि राजय्या। गुल्लपल्लि कुटुंबराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बुलुसु गौरीपति शास्त्री। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुदुनूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - तुम्मूरु कृष्णमूर्ति, ऐनविल्लि चंद्रशेखरम, पुव्वुल राममोहनराव, काज वेंकटेश्वरराव, के. वि. वि. नरसिंहाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कलपाल सूर्यप्रकाशराव, लक्कावझल नारायणमूर्ति, गोपराजु रामचंद्रराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुद्दनूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पैडिपाल्ल कृष्णमूर्ति, वै. लक्ष्मीरेड्डि, कंभम सुब्बारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यम. यस. नारायण, सि. के. श्रीनिवासाचारी। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुद्दापुरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री।

मुनगपाक — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - पेंटकोट जोगिनायुडु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वाडपल्लि वेंकट राममूर्ति, पि. वि. शिवराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुनिपल्ले — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - मल्लादि वेंकटकृष्णय्या, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्ण वर्मा, चंदु नरसिंहम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. पर्वतालु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुन्नंगि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - महम्मद खैरात हुसेन।

मुप्पाल्ल — सत्तेनपल्लि तालूका गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - पाटिबंड्ल रामचंद्रराव। विशेष - हिंदी वर्ग चल रहे हैं।

मुम्मिडिवरम — वया अमलापुरम, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1921.
केन्द्र के प्रचारक - पेन्चेट्टि नरसिंहमूर्ति, अल्लूरि गोपालराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वि. विश्वेश्वरराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुरमंड — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - सि. हेच. वीरभद्रराव, चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री।

मुरारि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - मागापु सत्यानंदराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - उप्पुलूरि वेंकटराव।
विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मुरिकिपूडि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - चिन्नमनेनि रंगनायकुलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कंदिमल्ल तिरुपतिरायुडु, कंदिमल्ल वुच्चय्या, दोनेपूडि राधाकृष्णमूर्ति।

मुलिकिपल्ली — राजोलु तालूका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1933.
केंद्र के प्रचारक - मधिर कामेश्वरराव, कंभमपाटि सत्यनारायणमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नंडिपल्लि सूर्यनारायण राजु, उद्दराजु रामराजु। मंडली की स्थापना - 1955. मधिर यज्ञन्न (अध्यक्ष) मधिर कामेश्वरराव (मंत्री) विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

मुसिलिरेड्डिपल्लि — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.
केन्द्र के प्रचारक - आरिकेपूडि राघवेंद्र राव।

मुसुनूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि नागभूषणम, नीलगिरि लक्ष्मी नारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दासरि वेंकट सुब्बय्या।

मुस्ताबाद — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1953.
केन्द्र के प्रचारक - मोक्कपाटि राघवय्या, सूरपनेनि सीतारामय्या।

मूलपूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - व्रजनंदन शर्मा, चेरुकूरि वेंकटेश्वर्लु, उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या।

मेडिकोंडूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ 1956.
केन्द्र के प्रचारक - आलपाटि सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यम. वि. यन. आचार्य।
विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मेडूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - जुझवरपु वेंकटेश्वरराव, आर. वि. वि. राघवय्या, शलाक दुर्गा प्रसादराव।
प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोल्लि सीतामहालक्ष्मी, सुंकर कृष्णमूर्ति, एडिद सत्यनारायण। परीक्षा केन्द्र है।

मैदुकूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केंद्र के प्रचारक - वी. सुब्बन्न, के. चेंचिरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यल. कृष्णमूर्ति, यम. यल नारायण। मंडली की स्थापना - 1956. यस. खासिम साहब (अध्यक्ष), बि. सुब्बन्न (मंत्री)।
विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

मैनंपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - सरिपल्ले वेंकटरामराजु।

मैनेनिवारिपालेम — गुंटूर ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या, कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

मैलवरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - पाटिबंड्ल वेंकटपति, चिट्राजु कोटमराजु।

मोगलितुरु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - जोश्युल सत्यनारायण, आमुजाल नरसिंहमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - शिष्टा विश्वपति। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

मोखासा कल्वपूडि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - मोटूरि वेंकटरत्नम्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वल्लभनेनि सीतामहालक्ष्मी। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

मोलगवल्लि — आलूर ताल्लुका, बल्लारि जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - के. हेच. सत्यनारायणराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डि. तिप्पारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

मोव्वा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - जोन्नलगड्डु वेंकटेश्वर्लु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जे. सूर्यनारायण शर्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

मोर्जंपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - नीलि वेंकटेश्वर्लु, नर्रा वेंकय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - तंगेड मल्लिखार्जुन राव। गडिपूडि वेंकट रामय्या।

मोर्ता — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - पेद्दिंटि लक्ष्मीनरसिंहाचार्य, पेद्दिंटि गोपालकृष्णमाचार्युलु, वेदान्तम शेषय्या, यनमंड्र सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - काशीवझल लक्ष्मीनरसिंहम, मुल्लपूडि तिम्मराजु। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

मोदुकूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केंद्र के प्रचारक - मेडताटि बापनय्या।

मोटूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - मुसुनूरु सुब्बाराव।

मोपर्रु — तेनालि ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केंद्र के प्रचारक - महम्मद खैरात हुसेन, आरिकपूडि राघवेंद्र राव, मेडताटि बापनय्य, उन्नव अप्पाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अंदुकूरि वेंकट सुब्बय्या।

मोपिदेवि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केंद्र के प्रचारक - नेम्मानि सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - नादेल्ल रामकोटेश्वरराव। जे. जगन्नाथ राजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

मोरि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - आमुजाल नरसिंहमूर्ति, पेच्चेट्टि नरसिंहमूर्ति।

यंडगंडि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ 1940.
केन्द्र के प्रचारक - कलिदिंडि नारायणराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - रेंटाल सुब्रह्मण्यम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

यडलपल्लि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942
केन्द्र के प्रचारक - गोगिनेनि वेंकटरामय्या।

यडलपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - राविपाटि वेंकटेश्वर्लु।

यद्दनपूडि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कड़ियाल सत्यनारायणराव।

यन्नपूसपल्लि — प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - पोन्नतोट वेंकट नारायण रेड्डि, बक्क चेन्नय्यगारि लक्ष्मी रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पि. कृष्णारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

यर्रगुट्ल — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - पि. ओबुलरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. नागेशम। परीक्षा केन्द्र है।

यर्रगोंडपालेम — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - वेल्लिकोंड रंगय्या।

यर्रंपालेम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
हिन्दी प्रचार का केन्द्र है।

यलमंचिलि — नरसापुरम तालूका, प. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - तम्मिनीडि वेंकटनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कां मल्लिकार्जुनराव, ताल्लूरि सुब्बाराव।

यलमर्रु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - बुर्रा रामशेषय्या, पोट्लूरि हनुमंतराव. उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या, दोनेपूडि वेंकटरत्नम। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

यल्लमिल्लि — पूर्व गोदावरी जिला। हिन्दी प्रचार केंद्र है।

याडिकि — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - पोन्नतोट - वेंकटनारायण रेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

यानाम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - जंपन वेंकट सुब्बराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यस. सुब्बरायन। परीक्षा केन्द्र है।

येम्मिगनूरु — चित्तूर चिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - बी. नीलारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. रामचंद्राचारी। परीक्षा केन्द्र है।

येर्रबोयनपल्ली — खम्मंम्मेट जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - वेमूरि वेंकट सुब्बय्या, मरिंगटि भट्टराचार्य। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गज्जेल पुल्लय्या, ए. नागेश्वरराव।

येल्लनूरु — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केंद्र के प्रचारक - पोन्नतोट वेंकट नारायणरेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वि. नारायण रेड्डि। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

रंगापुरम—खम्मंम्मेट । प्रचार का आरंभ-1951. केंद्र के प्रचारक- वि. वेंकट नरसिंहाराव ।

रघुपतिपेटा — कलवकुर्ति तालूका, महबूब नगर जिला । प्रचार का आरंभ - 1953. केन्द्र के प्रचारक - यस. वालस्वामि । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - चिनवालय्या, प्रतापरेड्डी, प्रह्लाद शर्मा, मंडली की स्थापना - 3-7-1953. सुरभि रामेश्वरशास्त्री (अध्यक्ष) वामनमूर्ति (मंत्री)

विशेष 1956 में मंडली की तरफ से जिला हिन्दी प्रचार सम्मेलन मनाया गया जिसके अवसर पर नाटक प्रदर्शन, कवि सम्मेलन और साहित्य गोष्टी हुई । परीक्षा केन्द्र रहा ।

रमणक्कपेटा — नूजवीड तालूका, कृष्णा जिला । प्रचार का आरंभ - 1935. केन्द्र के प्रचारक - सुंकर सत्यनारायण, दासरि ब्रह्मय्या ।

राचूर—पश्चिम गोदावरी । प्रचार का आरंभ-1944. केन्द्र के प्रचारक-अडवि वेंकटेश्वरराव ।

राजमपेटा — कडपा जिला । प्रचार का आरंभ - 1949. केन्द्र के प्रचारक - पल्लेटि वेंकट रमणारेड्डि, चिट्टेपु नागिरेड्डि, तिह्वा शिवरामारेड्डि । प्रमुख हिन्दी प्रेमी-वि. अश्वर्थराव।। परीक्षा केन्द्र है ।

राजमंड्री — पूर्व गोदावरी जिला । प्रचार का आरंभ 1918. केन्द्र के प्रचारक - स्व देवदास गांधी, कोमांडूरि गोविंद राजाचार्य, पं. हृषीकेश शर्मा, रामानंदशर्मा, पंदिरि मल्लिकार्जुनराव, सागि सत्यनारायण, दिनवहि सत्यनारायण, क. म. शिवरामशर्मा, आकेल्ल लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, कंभमपाट सत्यनारायणमूर्ति, नंडूरि शोभनाद्राचार्य, एम. एस. सुब्रह्मण्यम, आकेल्ल सीतारमम्, कोट सुंदरराम शर्मा, मंगिपूडि लक्ष्मीपति, कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा, पंचाग्नुल वेंकटनरसिंहम, चावलि सूर्यनारायणमूर्ति, इलपावुलूरि पांडुरंगाराव, वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति, नूकल रामचंद्रमूर्ति, जिड्डु लक्ष्मीनरसम्मा देवी, कुंदुं रामचंद्रराव, पन्नाल वेंकट्रामय्या, पुप्पाल वेंकट्राव, ताल्लूरि वेरैय्या, पति वेणुगोपालशर्मा, आर. श्रीरामचंद्र, साधु जनाबाई, कोच्चर्लकोट सुब्बाराव, पि. नरसिंहमूर्ति, वंकल अप्पाराव, प्रक्कि नरसिंहमूर्ति, मोक्कपाटि रामचंद्र शर्मा, वारणासि वेंकटनरसिंहमूर्ति, बूरुगड्ड कंदाल वेंकटरमणम्मादेवी, विज्जपु हेमलतादेवी, रामचंद्रुनि अन्नपूर्णादेवी, चिट्राजु कोटमराजु, वेमूरि आंजनेयशर्मा, बुलुसु सूर्यनारायण, के. टि. विश्वनाथ राजु । श्रीमत् कंदाड मन्नाराचार्युलु । प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डा. ए. वि. नागेश्वरराव, चुक्का अप्पलस्वामि, पालकोंडेटि सूर्यप्रकाशराव, डा. के. एल. नरसिंहाराव, जी. आर. त्रिवेदी, तेन्नेटि सत्यनारायण, तेन्नेटि रामशंकरम, स्व. अरव आदिनारायणमूर्ति । मंडली की स्थापना - 1938. 1948 तक स्व. अरव आदिनारायणमूर्ति अध्यक्ष रहे । 1950 से ए. वि. नागेश्वरराव अध्यक्ष हैं । तेन्नेटि रामशंकरम (मंत्री) विशेष - आंध्र प्रांत में सब से पहले राजमंद्री में हिन्दी का प्रचार शुरू हुआ । हिन्दी विशारद व प्रवीण विद्यालय चल रहे हैं । पुस्तकालय व वाचनालय हैं । परीक्षा केन्द्र है । कई बार नाटक प्रदर्शन हुए । आन्ध्र राष्ट्र-हिन्दी महासभायें और प्रचारक सम्मेलन हुए । प्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय 1922 में खुला । अध्यापक हृषीकेश शर्मा रहे । 1945 में श्री भोगराजु पट्टाभिसीतारामय्या जी की अध्यक्षता में 16 वीं आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा हुई । 12 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन हुआ । व्रजनंदन शर्मा अध्यक्ष रहे ।

हिन्दी प्रचार करनेवाली संस्थाएँ - महिला समाज-इन्नीसपेटा, वैद्य सेवा सदन में 1930 से हिन्दी वर्ग चल रहे हैं । श्रीमती के. वि. रमणम्मा ने इन्नीसपेटा के चर्खा विद्यालय में हिन्दी पढाने का इंतजाम किया । श्रीमती चेन्नाप्रगडा सरस्वती ने एक हिन्दी विद्यालय खोला । वीरभद्रपुरम में श्रीमती वू. क. वेंकट रमणम्मा देवी अपनी आदर्श महिला संस्था में हिन्दी का अच्छा प्रचार कर रही है । संघ की ओर से 1951 में महिला हिन्दी विशारद विद्यालय खुला । 1956 में प्रवीण विद्यालय भी खोला गया जिसके प्रधान अध्यापक कप्पगंतुल सत्यनारायण जी हैं ।

हिन्दी प्रचार आश्रम - प्रथम हिन्दी प्रचारक विद्यालय - राजमंद्री - 1922-23.

खडे हुए बायीं ओर से - पुलिपाक गुरुनाथशर्मा, सिंगराजु नागेश्वरराव, उन्नव कटप्पय्या, सिंगराजु मंत्रमूर्ति, शनगपल्लि अप्पाराव गुप्ता मल्लादि पार्वतीश शास्त्री, चिवुकुल सुब्बाराव, कोडे वेंक : कृष्णय्या, भट्टारम वेंकट सुब्बय्या, ल राममूर्ति.

ऱ्सियों पर, बायीं ओर से - राचकोंड पेरय्यशास्त्री, के. शंकर राव, पंडित हृषीकेश शर्मा, कोमांड्रुरि गोविंदराउ , एम. नरसिंहाराव।

बैठे· बायें से-के. पूर्ण न्द्र शास्त्री, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, पिसपाटि कामेश्वर सोमयाजुलु, सो. वेंकट शिवराम शर्मा राव, तंगिराल रामसोमयाजुलु

महिला हिन्दी विशारद विद्यालय - राजमंद्री-1952.
कुर्सियों पर बायीं ओर से- तोलेटि शेषम्मा, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, मोटूरि सत्यनारायण, डा. ए. वि. नागेश्वरर व, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु (प्रिन्सिपाल) बुलुसु उदय भास्करम के साथ विद्यार्थिनियाँ ।

हिन्दी विशारद विद्यालय-राजमंद्री-1955-56.

कुर्सियों पर बायीं ओरसे-चोडे शकुंतलादेवी, तोलेटि शेषम्मा, अट्लूरि रामाराव, उ. राजगोपाल कृष्णय्या, एम.एस. सुब्रह्मण्यम, तेन्नेटि राम शंकरम, टि. शेषारत्नम्म

जमीन पर बैठे हुए-बायीं ओर से एस. राजराजेश्वरी, चिर्रावूरि अन्नपूर्ण, गुम्मिडिदल सुगुण सुब्बायम्मा, पोक्कुलूरि वेंकट रमणम्मा, अवधानुल गृहलक्ष्मी, पदह्लपर्ति सुंदर माणिक्यम, जि. वि. सुभद्रादेवी।

खडे हुए-पहली कतार-आरिकेरेवुल सुभद्रम्मा, कोगंटि राजरत्नम, पब्बिशेट्टि सरस्वती, गिडुगु राजेश्वरी, पि. सरोजिनी, भीमिरेड्डि हैमावती, भमिडि वेंकटलक्ष्मी, बारु पद्मजा, इवटूरि राजामणी, पा. पानकाल लक्ष्मीनरसम्मा।

खडे हुए - दूसरी कतार-पाशम नागय्या, भद्दिराजु लक्ष्मी नारायण, बोज्जा लूथर, वल्लूरि वीरराजु, यलमर्ति पोलेश्वरराव, मादेटि कृष्णमोहनराव।

राजानगरम — पू. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936. केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्य शास्त्री। देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या पंतुलुजी की अध्यक्षता में बिदाई सभा हुई।

इस चित्र में - सर्वश्री देशभक्त कोंडा वेंकटप्पय्या पंतुलु, पी. वें. सुब्बाराव, क्रोव्विडि लिंगराजु, उन्नव राजगोपाल कृ[illegible]या। कंचर्ल वेंकट कृष्णय्या, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, आ. राघवेंद्र राव, वे. आंजनेयशर्मा आदि हैं।

राजाजीवेंगनपल्ले — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - जी. चिनस्वामि नायुडु।

राजाम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - अधिकार्ले राममूर्ति, वासा सुब्रह्मण्य शास्त्री। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - य. वेंकट नरसिंहमूर्ति। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1950. चेल्लिकानि रामाराव (अध्यक्ष) पिंगलि सुंदररामय्या (मंत्री) विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

राजुलगुरवायपल्लि — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - येद्दुल सिद्दन्ना। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - आर. नारायण रेड्डी।

राजुपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ- - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - उन्नव अप्पाराव, इमुकपल्लि सीतारामय्या।

राजोलु — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1931.
केन्द्र के प्रचारक - मंचिकंटि चिंदवरराव, बूडिद सत्यनारायण मूर्ति, एम. वि. शिवराव, मल्लादि नरसिंह सोमयाजुलु, मुनुकुट्ल लक्ष्मी नरसिंहमूर्ति, गरिमेल्ल सूर्यनारायण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यर्रमिल्लि अगस्थ्यराजु। मंडली की स्थापना - 1940. विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रापर्ल — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - ईमनि दयानंद। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - घंटा श्रीरामुलु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रापूरु — नेल्लूर जिला-। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - दोर्नादुल लक्ष्मीनरसिंहम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पालवल्लि आदिशेषय्या विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रामचन्द्रपुरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - मल्लादि नरसिंह सोमयाजुल, दुव्वूरि कामेश्वरराव, नवुडूरि सीताराममूर्ति, कुंचिनाथम गुन्नेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एम. वि. सुब्बाराव, पि. सत्यनारायण राव। मंडली की स्थापना-1955. चिगुरुपाटि वीर्राजु (अध्यक्ष) एम. रामारेड्डि (मंत्री)। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रायदुर्गम — बल्लारि जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - कोलाहलम शेषमराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सिद् लिंगन गौड।

रामापुरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचि लक्ष्मय्या, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा।

रामिरेड्डिपल्ले — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - येद्दुल जोजिरेड्डि।

रायचोटि — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - कृष्णम गंगिरेड्डि, एस. फकुरुद्दीन साहब, कोम्मा शिवशंकर रेड्डि, वै. सिद्दन्न। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - सि. हनुमंतराव, जि. यस. फिलिप्स। मंडली की स्थापना - 1954. आर. तिप्पारेड्डि (अध्यक्ष) टि. चन्द्रशेखर रेड्डि (मंत्री) विशेष-परीक्षा केन्द्र है। हिन्दी वर्ग चल रहे हैं।

रायदुर्ग — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - सि. एम. तिरुमलराव, आर. दामोदरसिंग, पि. देवकम्मा, वि. एल. कांतम्मा, ए. शकुंतला, के. हेच. सत्यनारायणराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जयंति रुद्रय्या शेट्टि, यन. सि. शेषाद्रि मंडली की स्थापना - 1954. जयंति रुद्रय्य शेट्टि (अध्यक्ष) बि. जगन्नाथ सिंग (मंत्री)। विशेष - हिन्दी वर्ग चल रहे हैं। परीक्षा केन्द्र है।

रायवरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

राविंगुट — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

राविनूतला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - समुद्राल भवानि शंकरय्या, रावि कोटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोत्तपल्लि वीरराघवय्या, टी. वी. सुब्बाराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

राविवलसा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक-अडवि श्रीकृष्णमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जि. वि. अप्पाराव। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

रावुलपर्रु— पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1941.
केन्द्र के प्रचारक - कलग कृष्णमूर्ति।

रिम्मनपूडि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि हनुमंतराव।

रेंटचिंतला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - बोंदिलि चंद्रभानसिंग।

रेंटपाल्ला — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - गुंटुपल्लि राजगोपालम, चन्नावझल लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति।

रेड्डिपल्लि — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.,
केन्द्र के प्रचारक आ. म. वेंकटाचार्युलु।

रेणिगुंटा — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - ईगलपाटि वेंकन्न चौधरी, मुडुंब दोड्डयाचार्युलु, टी. कन्नय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यन. यम. विलियम्स। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रेपल्ले — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - मोव्वा वेंकट चलपतिराव, दीवि वेंकटनरसिंहाचार्युलु, वेमूरि वेंकटसुब्बय्य चौधरी, चेरुकूरि वेंकटेश्वर्लु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - गुत्तिकोंड लक्ष्मीनारायण। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

रेलंगि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1939.
केन्द्र के प्रचारक - कनुमूरि पद्मराजु, दिनवहि सांबमूर्ति, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, यनमंड्र सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी तुम्मलपल्लि रामलिंगम, नडिंपल्लि तिरुपतिराजु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रेल्वेकोडूर — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - के. रामचंद्रराव। मंडली की स्थापना - 1956. ए. जयसिंहाचार्य (अध्यक्ष) के. रामचंद्रराव (मंत्री)। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

रेवेंद्रपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - मालेंपाटि धर्माराव।

लिंगंगुंटा — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - वंकायलपाटि शेषावतारम।

लिंगभूपालपट्टणम — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - डी. ए. नरसिंह राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बी. वेंगारय्या।
विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

लिंगापुरम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ 1940.
केन्द्र के प्रचारक - भवनम् लिंगारेड्डी, चेरुकूरु वेंकटेश्वर्लु।

लिंगालवलसा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - बोप्पन मधुसूदनराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पोन्नाड सूर्यनारायण।
विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

लट्टुकुर्रु—प. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ-1944. केंद्र के प्रचारक-नूकल वेंकटरामशास्त्री।

लेपाक्षी — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पोन्नतोट वेंकट नारायण रेड्डि।

वज्रकरूर — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - बी. बसप्पा, बी. वेंकटनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - एस. लक्ष्मीकांतम,
विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वट्लूर — प. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पातूरि मधुसूदनराव, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा।

वडलि — प. गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - उप्पलपाटि बापन्ना, काचीभोट्ल कामेश्वरराव।

वत्सवाई— कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - बोडेपूडि शंकर राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मारेल्ल सुब्बाराव। परीक्षा केन्द्र रहा।

वनंपल्लि — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - सानबोइन लच्चन्ना।

वरंगल — वरंगल जिला प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - वंडारु नागभूषणराव, चंद्रभट्ट अप्पन्नशास्त्री, वझल सुब्रह्मण्यम, अनंताचार्य देवल, नल्लूरि शोभनाद्राचार्य, यन. रवींद्र, गंदे पापय्या, गोटिके सांबशिव रेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यम. यस. राजलिंगम, वंडारु चंद्रमौलीश्वरराव, काकुमानु बसवपुन्नय्या, काकुमानु कनकरत्नम्मा। मंडली की स्थापना-1945. हयग्रीवाचार्य (अध्यक्ष)। विशेष - 1954 में जिला हिन्दी प्रचारक सम्मेलन मनाया गया। उस अवसर पर नाटक खेला गया। महासभायें तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया गया। परीक्षा केन्द्र चल रहा है। आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की तरफ से विशारद विद्यालय चलाया गया।

विशारद विद्यालय, वरंगल :- 1951. वार्षिकोत्सव
सर्वश्री वझल सुब्रह्मण्यम, उन्नव वेंकटरामय्या, वेमूरि आंजनेयशर्मा, चंद्रभट्ट अप्पन्नशास्त्री, एम. नरसिंगराव, बूर्गुल रामकृष्णाराव, (अध्यक्ष) उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, नंड्डूरि कृष्णमाचार्युलु, एस. वी. शिवरामशर्मा विद्यार्थियों के साथ हैं।

वरदायपल्ले — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - गंगिरेड्डि सिद्दारेड्डि।

वराहापुरम — तेनाली तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ 1947.
केन्द्र के प्रचारक - गुडपनेनि सीतारामदास, काज वेंकटेश्वरराव।

वलपर्रु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ- 1953. केन्द्र के प्रचारक-मेंडता.टि बापनय्या।

वलिवेरु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - आनंदराव सत्यनारायण।

वल्लभापुरम —तेनाली तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - चुक्का वीरबसवय्या, कडियाल पिच्चय्या, पाटिबंड्ल रामचंद्रराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - राविनूतल श्रीरामुलु। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

वल्लूरुपालेम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - मादल गोपालकृष्णय्या, सूरपनेनि सीतारामय्या।

वांड्रु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - द्रोणमराजु नरसिंहाराव।

वाकतिप्प — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - भमिडिपाटि श्रीरामचन्द्रमूर्ति, अवसराल नारायणराव, चेकूरि वेंकट नारायणराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - देवरकोंड वेंकट रामशास्त्री, विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

वानपल्लि — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - पुप्पाल वेंकट रंगप्रसादराव।

वानपामुला — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - मिक्किलिनेनि सुब्बाराव, कोल्लि वेंकटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वीरपनेनि सुबासबोस चौदरी। कूनपुलि सुब्रह्मण्यम। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

वायलपाडु — चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - जानकिरामय्या, बी. गोविंदरामय्या। पल्लेटि वेंकटरामारेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बै. रामिरेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

विंजमूर — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - पुप्पाल सुब्बराम राजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - टि. सुंदरेशन, रामगिरि नीलकंठराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

विजयनगरम — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्रकेप्रचारक-आर. श्रीरामचंद्र, रामचद्रुनि अन्नपूर्णादेवी, निडदवोलु प्रभाकरराव, पप्पु विश्वनाथम्, अधिकार्ल लक्ष्मीनरसिंहम, मोगंटि माणिक्यांबा देवी, चिरांवूरि सुब्रह्मण्यम, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायणशर्मा, एन. एस. दक्षिणामूर्ति, टि. वि. सुब्बलक्ष्मी, आरिकेपूडि राघवेंद्रराव, नंदिगाम पेरांजु पंतुलु, अधिकार्ल राममूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पसुमर्ति वीरभद्र स्वामि, कोटिकलपूडि रामदास, वसंतराव ब्रह्माजीराव। प्रेमी मंडली की स्थापना - 1953. वेदुरुमूडि वेंकटराव (अध्यक्ष) आदुर्ति सूर्यनारायण मूर्ति (मंत्री) विशेष-परीक्षा केन्द्र है। प्रेमी मंडली की तरफ से प्रारंभिक वर्ग, प्रचारक व विशारद विद्यालय चल रहे हैं।

वालतेर — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - जि. सुन्दर रेड्डि, दंडमूडि वेंकट कृष्णाराव।

1946 में श्री महात्मा गांधी जी ने दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की रजत जयंती के अवसर पर दक्षिण भारत का दौरा किया।

पहले पहल वाल्टेर में अपना संदेश दे रहे हैं। आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के मंत्री श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या जी व्याख्यान का तेलुगु अनुवाद कर रहे हैं।

विजयवाडा—(बेजवाडा) कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1920.

विजयवाडा आन्ध्र देश का केन्द्र स्थान है। पूज्य गांधी जी ने 1921 में स्वराज्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम की योजना यहीं बनाई थी। उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक भी यहीं हुई थी। इसलिए इस केन्द्र में रचनात्मक कार्यक्रम, खास करके हिन्दी प्रचार के लिए अधिक प्रेरणा मिली थी। अत: 1921 से लेकर आज तक यहाँ हिन्दी प्रचार बढता ही आ रहा है। हिन्दी प्रचार कार्य के लिए यह प्रधान केन्द्र स्थान है। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की तरफ से आन्ध्र प्रान्त में प्रचार करने 1923 में ही शाखा कार्यालय खोला गया। उस कार्यालय के संचालक रामभरोसे श्रीवास्तव, मोटूरि सत्यनारायण तथा स्व. पीसपाटि वेंकट सुब्बाराव रहे।

1930 में इस प्रचार कार्य को बढाने कृष्णा जिला हिन्दी प्रचार मंडली की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष अय्यदेवर कालेश्वरराव थे। काट्रगड्ड मधुसूदनराव(मंत्री), येर्नेनि लक्ष्मीनारायणचौधरी, अद्देपल्लि रामशेषय्या आदि प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा हिन्दी प्रचार खूब हुआ। 1932 में पहले पहल हिन्दी विशारद विद्यालय प्रारंभ हुआ और उस में श्री भालचंद्र आपटे जी प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए। बेजवाडा जैसे (आंध्र के) केन्द्रीय स्थान के लिए एक केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय की स्थापना करना आवश्यक समझा गया। और उसी वर्ष पुस्तकालय की स्थापना छोटे पैमाने पर की गई। इस पुस्तकालय का प्रबंध आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की ओर से हो रहा है। आज इस में करीब तीन हजार पुस्तकें मौजूद हैं। विशारद विद्यालय व प्रचारक विद्यालय यहाँ पर 1933 में प्रारंभ होकर चलाये जा रहे हैं।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा-2.

श्री नागेश्वरराय हिन्दी भवन,

संघ का कार्यालय।

1936 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की स्थापना हुई। तब से सारे आन्ध्र देश में इस संघ के द्वारा ही हिन्दी प्रचार का कार्य चल रहा है। संघ के लिए तथा विद्यालयों के लिए निजी भवन भी बनाये गये। संघ का एक छापाखाना भी है।

संघ के आजीवन सदस्य सर्वश्री एर्नेनि लक्ष्मीनारायण चौधरी, कुंदेरु सत्यनारायण, कोंकिमल्ल नागभूषण राव, वेंट्रप्रगड वेंकटकृष्णाराव, काकरपर्ति भावन्नारायण श्रेष्ठि, रायनि रामुलु, गुम्मडि मधुसूदन राव, बानपल्लि ब्रह्मय्या, ताडंकि वेंकटदास, अंबटिपूडि कृष्णमूर्ति।

प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अय्यदेवर कालेश्वरराव, मरुपिल्ल चिट्टि, डा. टि. वि. यस. चलपतिराव, दुग्गिराल बलरामकृष्णय्या, यम. वि. नारायण मूर्ति, देवरकोंड सुब्रह्मण्यम, वट्लेकि बुल्लेब्बाई।
मंडली की स्थापना - 1943. काकरपर्ति भावनारायण श्रेष्ठि (अध्यक्ष), वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति (मंत्री)

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ की तरफ से एक नाटक मंडली की स्थापना हुई। इस मंडली ने आन्ध्र प्रांत के कई शहरों में हिन्दी नाटक सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की तरफ से आयोजित अंतर प्रांतीय नाटक स्पर्धा में आन्ध्र, तमिल, कर्नाटक, केरल प्रांतों ने भाग लिया। मंडली भाग लेकर लगातार तीन वर्ष सर्व प्रथम आयी और षील्ड प्राप्त किया।

केन्द्र के प्रचारक - स्थानम गोपालकृष्णय्या, मेदिन्ड्रराव वीरराघवय्या, रायप्रोलु सीतारामांजनेयशास्त्री कंचर्ल वेंकटकृष्णय्या, कोट सत्यनारायण, विंदमूरि आंजनेयशर्मा, कूचिभोट्ल हनुमंतराव, पंगुलूरि वेंकट सुब्बाराव, भालचन्द्र आपटे, रामानंदशर्मा, अवधनंदन, भिसपाटि कामेश्वरराव, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, वेमूरि आंजनेयशर्मा, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायणशर्मा, नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु, कोमांडूरि गोविंदराजाचार्युलु, दीवि वेंकट नरसिंहाचार्युलु, चावलि कोटेश्वरराव, वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति, मुक्कामल जनार्दन शर्मा वेंगमूडि ताताराव, दिव्वेल पिच्चय्यागुप्त, बैसानि श्रीरामुलुगुप्त, हरिप्रसाद, दुव्वूरि बिल्हणशास्त्री, राचर्ल रंगादेवी, चिन्तलपाटि अन्नपूर्णा देवी, यलमंचिलि लक्ष्मीबाई, यलमंचिलि रंगाराव, पोतकमूरि वीरब्रह्माचार्य, आरिकेपूडि राघवेंद्रराव, उप्पलपाटि वेंकट कृष्णमराजु, गुंटुपल्लि राजगोपालम, कर्ण राजशेषगिरिराव दंडमूडि वेंकट कृष्णाराव, दिगवल्लि शेषगिरिराव तुमुरुकोट वेंकट कृष्णशर्मा, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, पेम्मराजु राजाराव, सूरपनेनि वेंकटप्पय्या, जंध्याल राममूर्ति, गोविंदराजुल वेंकट रामाराव, चोडवरपु रामशेषय्या, पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव, मोट्टूरि वेंकटेश्वरराव, आसूरिमरिंगंटि वेंकटाचार्युलु, मेल्लचेरुवु वेंकटेश्वर्लु, एन. एस. दक्षिणामूर्ति, क. म. शिवराम शर्मा, अट्लूरि रामाराव, सोमयाजुल वेंकट शिवरामशर्मा, कोप्पिनेनि सुब्बाराव, पुव्वाड सुब्बाराव, उन्नव अप्पाराव, अडवि श्रीकृष्णमूर्ति, वल्लभनेनि सुब्बाराव, दशिक सूर्यप्रकाशराव, अ. सोमनाथशास्त्री, तेजनारायणलाल, टि. वि. श्रीनिवासमूर्ति, कोल्लिपर सौभाग्यराव, चिवुकुल श्रीहरि शर्मा, कप्पगंतुल सत्यनारायण, नेति रामकृष्णमूर्ति, तोटकूर अप्पराय वर्मा, मैनेपल्लि सीतारामय्या, पोतराजु सीतारामाराव, वारणासि गुरुमूर्ति दीक्षितुलु, अल्लंराजु सुब्बाराव, अडुसुमिल्लि कृष्णमूर्ति, क्रोवि त्रिपुरवाणी, निम्मगड्ड नागेश्वर शर्मा, कोसनम महेश्वरराव, दोनेपूडि राजाराव, पिंगल लजपतिराय, ताडिगडप मार्कंडेश्वरराव, दाट्ल वेंकटरामराजु, ओग्गु कामेश्वरी देवी।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभायें और हिन्दी प्रचारक सम्मेलन।

1933 में श्रीमती दुर्गाबायम्मा जी की अध्यक्षता में 8 वीं हिन्दी महासभा, बेजवाडे में हुई।

1946 में 17 वीं हिन्दी महासभा श्री उन्नव लक्ष्मीनारायण पंतुलु जी की अध्यक्षता में विजयवाडा में हुई। आचार्य काका कालेलकर जी ने उसका प्रारंभ किया। कोंकिमल्ल नागभूषणराव जी स्वागत कारिणीसमिति के अध्यक्ष रहे। इन महासभाओं का चलचित्र भी निकाला गया। 13 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन अल्लूरि सत्यनारायणराजु जी की अध्यक्षता में हुआ।

16 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन - विजयवाडा - 1951. यह सम्मेलन श्री यलमंचिलि वेंकटेश्वरराव जी की अध्यक्षता में हुई। श्री जे. बि. कृपलानी ने सम्मेलन का प्रारंभ किया।
अगले पृष्ठों में क्रमशः इन सभाओं के फोटो देख सकते हैं।

8 वीं हिन्दी महा , विजयवाडा .93 अध्यक्षा - ‌मती दुर्गा बायम्मा ।
आपटे, हरिहर श मोटूरि सत्य यण पीसपाटि सुब्र ाव, व्रजनंदन शर्मा आदि

17 वीं आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महासभा - विजयवाड - 1946. अध्यक्ष - उन्नव लक्ष्मीनारायण पंतुलु।
सर्वश्री अय्यदेवर कालेश्वरराव, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, कोंकिमल्ल नागभूषणराव, काका कालेलकर, उन्नव लक्ष्मीनारायण पंतुलु, के. कोटिरेड्डि, काकरपर्ति भावनारायणश्रेष्ठि, मरुपिल्ल चिट्टि, पोतिन गणपतिराव, मोटूरि सत्यनारायण जी हैं।

हिन्दी प्रचारक विद्यालय, विजयवाडा - 1949. श्री विनोबा जी प्रचारक विद्यालय में पधारे।
श्री विनोबाजी, उनके साथ सर्वश्री टंगुटूरि प्रकाशम पंतुलु, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, क. म. शिवरामशर्मा, अ. सोमनाथ, नेति वेंकटाचलपति, रषीद साहब आदि हैं

हिन्दी विशारद विद्यालय, विजयवाडा - 1955-56. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया।
सर्वश्री एन. एस. दक्षिणामूर्ति, पोतराजु सीतारामाराव, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, यलमंचि लक्ष्मय्या, दशिक सूर्यप्रकाशराव जी विद्यार्थियों के म

हिन्दी शीघ्र लिपि, मुद्रालेखन विद्यालय विजयवाडा-1955-56. प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चला।
प्रधानाध्यापक - अड्डुसुमिल्लि कृष्णमूर्ति। अध्यापक-मोटूरि वेंकटेश्वरराव।

हिन्दी प्रचारक विद्यालय विजयवाडा में राज्यपाल श्री सि. एम. त्रिवेदी का आगमन -1954
इस चित्र में सर्वश्री राज्यपाल सी.एम. त्रिवेदी, डी. श्रीनिवासअय्यंगार, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या आदि

हिन्दी प्रचारक विद्यालय, विजयवाडा - 1957. सनांत समारोह
श्रीमती डा. कोमर्राजु अचमांबा जी की अध्य ता में श्री जयप्रकाश नारायण जी ने दीक्षान्त भाषण दिया।
सर्वश्री उन्नव ालकृष्णय्या, कोमांडूरि शठकोपाचार्य, रायनि रामुलु, डा. कोमर्राजु अचमांबा, जयप्रकाश नारायण, श्रीमती प्रभावती देवि
गाडिचर्ल हरिसर्वोत्तमराव, तंज नाराय ल, वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति तथा विद्यार्थी गण हैं।

श्री जयभारत हिन्दी विद्यालय, मुत्यालंपाडु, विजयवाडा - 1956. विद्यार्थियों के साथ अध्यापक श्री उप्पलपाटि वेंकट कृष्णमराजु हैं।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ - विजयवाडा - 1952.
संघ के कार्यकर्ता ।

कुर्सियों पर - बाईं ओर से -

सर्वश्री यलमंचि लक्ष्मय्या, पोतराजु सीतारामाराव, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, काट्रूरि वेंकटेश्वरराव, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायणशर्मा, कोमांडूरि गोविंद राजाचार्य, कोल्लिपर सौभाग्यराव ।

खडे हुए - पहली कतार - बाईं ओर से -

अडुसुमिल्लि कृष्णमूर्ति, उन्नव अप्पाराव, ताडिगडप मार्कंडेश्वरराव, द्विभाष्यम सुब्बाराव, अट्लूरि रामाराव, अडवि श्रीकृष्णमूर्ति ।

दूसरी कतार -

अट्लूरि जगन्मोहनराव, टि. वि. सभापति, सागि वेंकट सुब्बराजु, तोट सुब्बाराव, आर. नारायणस्वामि, कोट कनकय्या ।

तीसरी कतार -

चिडगानि कृष्णमूर्ति, इल्लचेरपु काशि, गोगा वेंकटेश्वर्लु ।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ के प्रधान कार्यकर्ता, विजयवाडा - 1954.
सर्वश्री दशिक सूर्यप्रकाशराव (जनरल मैनेजर), चंद्रभट्ट अप्पन्नशास्त्री (दक्षिणान्ध्र मंडल के संगठक), उन्नव राजगोपालकृष्णय्या (मंत्री), चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा (पूर्वान्ध्र मंडल के संगठक) नंडूरि शोभनाद्राचार्युलु (मध्यान्ध्र मंडल के संगठक)

विजयवाडा :— आन्ध्र हिन्दी प्रचार प्रेस के कार्य कर्ता - 1957.

बायीं ओर से - कुर्सियों पर - दंडूरि गोपालराव, उन्नव अप्पाराव (मैनेजर) उन्नव राजगोपालकृष्णय्या (मंत्री) दासरि कृष्णमूर्ति, अट्लूरि न्मोहनरा

खडे हुए - बायीं ओर से- दोनेपूडि अर्जुन राव, चेन्नाप्रगड नागेश्वरराव, बरपटि वेंकटेश्वर्लु भीमवरपु लक्ष्मय्या।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा। कार्यकारिणी समिति की बैठक
श्री बेजवाडा गोपालरेड्डी (अध्यक्ष), श्री अनंतशयनम अय्यंगार (उपाध्यक्ष)
श्री मोटूरि सत्यनारायण जी, अन्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।
मंत्री श्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या कार्य-विवरण पढ रहे हैं।

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ,
विजयवाडा।

कोशाध्यक्ष
सर्वश्री येर्नेनि लक्ष्मीनारायण चौदरी

1936 से 1957 तक

हिन्दी प्रेमी मंडली, विजयवाडा-1956.

कुर्सियों पर, बायीं ओर से सर्वश्री चिंतलपाटि अन्नपूर्णम्मा, दशिक सूर्यप्रकाशराव, काकरपर्ति भावनारायण (अध्यक्ष), रायनि रामुलु(उपाध्यक्ष), उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, वेमूरि राधाकृष्णमूर्ति (मंत्री)।

खडे हुए बायें से-सर्वश्री रांपिल्लि नागेश्वरराव, पेम्मराजु राजाराव, पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव, दीवि नरसिंहाचार्य,अड्डुमिल्लि कृष्णमूर्ति, कप्पगंतु सत्यनारायण आदि

विशाख ट म - विशाखजिला। प्रचार का आरंभ - 1930. केन्द्र के प्रचारक-चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, यम. गौरीगराव, वी. कामेश्व वि. अनतराव, टी. सुंदरराव, यन. लीलावतीदेवी, यम. वेदवल्ली, चिट्टूरि अन्नपूर्णादेवी, टी. सुभद्र, कम्तृ सूर्यप्रभावति, पुट्रेवु सत्यनारायणमूर्ति. आदि क राममूर्ति, दाडि मोदिनायुडु, भारतुल मार्कंडेयशर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दिगुमर्ति रामस्वामि, डा. वरहाल श्रेष्ठि, ग्रंथि मंगराजु। मंडली की स्थापना - 195 डा. वेंडपूडि पेरराजु (अध्यक्ष) वि. वि. आर. एस. नारायण (मंत्री) विशेष-परीक्षा केन्द्र है। प्रवीण व विशारद विद्यालय चलाये जाते हैं।

954 में आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी महास का 21 वाँ अधिवेशन श्री रोक्कं लक्ष्मी नरसिंहम जी की अध्य ता में हुआ जिसक उद्घाटन आन्ध्र स के शिक्षा मंत्री श्री यस. बि. वि. पट्टाभिरामाराव ने किया। 18 वाँ हिन्दी प्रचारक सम्मेलन श्री मोट्टूरि सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। केन्द्र स शिक्षा सचिव श्री के. यल. श्रीमाली ने उद्घाट किया।

सर्वश्री शीलें ब्रह्मय्या, लीलावती, मो. सत्यनारायण, के. यल. श्रीमाली, रोक्कं लक्ष्मीनरसिंहम, ग्रंथि मंगराजु, के. शठकोपाचार्य उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा आदि हैं।

हिन्दी विद्यालय, विशाखपट्टणम-1955. सर्वश्री पूडिपेद्दि लक्ष्मीनरसिंहम, श्रीकरम सुब्बाराव, नाल्लाबत्तुल सुंदरराव वेमुगंटि अ. तर वि. वि. आर. एस. नारायण, चिट्टूरि लक्ष्मीनारायण शर्मा, चिट्टूरि अन्नपूर्णादेवी, एन. ली. वतीदेवी, एम. वेदवल्ली विद्यार्थियों के सा हैं

विनुकोंडा — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ 1938.
केन्द्र के प्रचारक - पोलु शेषगिरिराव।

विस्सा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - गोरस वीरब्रह्माचारी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पेकेटि तम्मिराजु, टी. बापन्न दोरा।

विस्सन्नपेटा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक -विन्नकोट कोटेश्वरराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. पार्थसारथी। परीक्षा केन्द्र है।

वीरंकिलाकु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1929.
केन्द्र के प्रचारक - तुमुरुकोट वेंकटकृष्ण शर्मा।

वीरघट्टम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केंद्र के प्रचारक - जोश्युल वेंकट रमण सूर्यनारायण, पुल्लटि श्रीरामुलु, सिद्धांतपु लिंगमूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यम. शेषगिरि राव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वीरन्नपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - पोलु शेषगिरिराव।

वीरवरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1932.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्यशास्त्री।

वीरवल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - केतिनीडि वेंकट रेड्डी, तोटकूर अप्पाराय वर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी नूकल रामस्वामि, जी. डी. प्रसादराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वीरवासरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - भोगिरेड्डी दानय्या, आमुजाल नरसिंहमूर्ति, कनुमूरि पद्मराजु, पेंड्याल परब्रह्मशास्त्री यर्रा वेंकटस्वामी, चल्ला सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वर्धिनीडि सूर्याराव, मंचे सत्यनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वीरुलपाडु — कृष्णा जिला।
केन्द्र के प्रचारक - आरेकपूडि नागभूषणम, पाटिबंड्ल नारायणराव, वासिरेड्डी रामनाथम, चल्ला लक्ष्मीनारायण शास्त्री, टी. वी. कृष्णशर्मा, पाटिबंड्ल वेंकटपति, पुनुकोल्लु वेंकटेश्वरराव, माधवरपु वेंकटेश्वरराव।

वेंकटगिरिटाउन — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ 1945.
केन्द्र के प्रचारक - बेल्लंकोंड नरहरिराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वी. एस. रामचंद्रन। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेंकटराघवपुरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - उप्पुलूरि श्रीरामकृष्णय्या।

वेंकटापुरम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - मरिंगंटि भट्टराचार्युलु, कोडालि रामाराव।

वेंकटाद्रिपल्लि — अनंतपुरम जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - चंद्रगिरि वेंकटरमण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- जे. रेड्डेप्पा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेंटप्रगडा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केंद्र के प्रचारक - तुम्मल सुब्बाराव।

वेणुतुरुमिल्लि — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - कोप्पिनेनि सुब्बाराव।

वेदुरुपाका — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केंद्र के प्रचारक - कोमांड्रूरि गोविंदराजाचार्य।

वेलुगोडु — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - कोम्मा शिवलक्ष्मी रेड्डि, अब्दुल रवूफ। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वि. वेंकटेश्वर्लु। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेल्दुर्ति — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - मालेंपाटि वेंकटरामप्पा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - ए. वेंकोबराव। परीक्षा केन्द्र है।

वेल्लटूरु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1928.
केन्द्र के प्रचारक - तंगिराल वेंकट सुब्रह्मण्य शास्त्री, मैनेपल्लि सीतारामय्या, मोटूरि राघवय्या, वेमूरि भास्करराव, वझल सुब्रह्मण्यम, धूपम कोटि वीरबसवय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - श्रीधर राममूर्ति, मं. अप्पय्या शर्मा, मोटूरि कट्टय्या। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेल्लूर — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - इक्कुर्ति कोदंडरामय्या।

वेल्लमाडुपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1926.
केन्द्र के प्रचारक - यलमंचिलि वेंकटप्पय्या।

वेंपल्लि — कडपा ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक-कृष्णम गंगिरेड्डि, दासरि शौरिरेड्डि, के. चंद्रमौलीश्वररेड्डि, वै. सिद्दारेड्डि, टि. लक्ष्मीरेड्डि, एस. फकुरुद्दीन साहब। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. बालकृष्णारेड्डि। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेंपाडु — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केंद्र के प्रचारक - वेगेशन सत्यनारायण राजु।

वेगेश्वरपुरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - वारणासि वेंकट नरसिंहमूर्ति, दंतुलूरि जानकिरामराजु, ताल्लूरि वेरैय्या, पेच्चेट्टि नरसिंहमूर्ति, मंडवल्लि श्रीराममूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेटपालेम — तेनालि तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - शेकूर वरप्रसादराव।

वेटपालेम — बापट्ल तालूका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - कर्ण वीरनागेश्वरराव, नंदुल शेषगिरि शर्मा। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अड्डुमल्लि श्रीनिवासराव, एन. मल्लिखार्जुनराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

हिन्दी पंडित श्री कर्ण वीरनागेश्वरराव की सम्मान सभा - 1952.

शि क मी, जी. सुंदररेड्डि, कर्ण वीरनागेश्वरराव, उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, दोनेपूडि राजाराव आदि हैं

वेमंडा — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - पोट्लूरि शिवनारायण, सूरपनेनि हरिपुरुषोत्तम, सूरपनेनि सीतारामय्या।

वेमवरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1938.
केन्द्र के प्रचारक - पेन्मेत्स सत्यनारायण राजु।

वेमूरु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1930.
केन्द्र के प्रचारक - दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, मंडा हनुमच्छास्त्री, गंगिनेनि सीतारामय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. जोसफ। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेलंगि — रामचंद्रपुरम ताल्लुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - एन. वि. सीताराममूर्ति, कंचिनाथम गुन्नेश्वरराव, निम्मकायल सत्यानंदराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- मेर्ल जन्नय्य चौधरी, के. सूर्यनारायण। मंडली की स्थापना-1948. मेर्ल सत्यनारायण चौधरी (अध्यक्ष) न. वें. सीताराममूर्ति (मंत्री)। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

वेल्पूर — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - चल्ला सत्यनारायण।

वेल्पूर — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केंद्र के प्रचारक - पोट्लूरि हनुमंतराव।

वेलिदिपाडु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - सूरपनेनि लक्ष्मी पेरुमाल।

वेलूर — उत्तर आर्काट जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - बेल्लमकोंड नरहरिराव।

वेलेरु — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - काज वेंकटेश्वरराव, गुंडपनेनि सीतारामदास।

शंखवरम — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1956.
केन्द्र के प्रचारक - न. वें. सीताराममूर्ति।

शनिगरम — करीमनगर जिला। प्रचार का आरंभ 1945.
केन्द्र के प्रचारक - वै. नारायण।

शलपाडु — शेकूरु पोस्ट, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - नागुमोतु पानय्य चौधरी, अइनंपूडि वेंकटनारायण।

शानपल्लिलंका — अमलापुरम ताल्लुका, पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1924.
केंद्र के प्रचारक - कंदाल राममूर्ति, पुट्रेवु देवराजु, कंदाल आहिताग्नि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पुट्रेवु सीताराममूर्ति, यम. वि. कामेश्वरराव, बोब्बा पट्टाभिरामय्या, यम. अप्पाराव। विशेष-परीक्षा केन्द्र रहा।

शिवदेवुनिचिक्काल — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1936.
केन्द्र के प्रचारक - आमुजाल नरसिंहमूर्ति, चल्ला सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - धूलिपाल कामेश्वरराव। विशेष - परीक्षा केन्द्र रहा।

श्रीकाकुलम — कृष्णा जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - शलाक दुर्गाप्रसादराव, राचकोंड नरसिंहमूर्ति।

श्रीकाकुलम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ 1940.
केन्द्र के प्रचारक-मोगंटि माणिक्यांबादेवी, पूडिपेद्दि लक्ष्मीनरसिंहमूर्ति, रायवरपु बापिराजु, रा. शिवराव, नेमानि सत्यनारायण, वेंडारु सच्चिदानंदराव, पोनुगुपाटि जोगाराव, दुर्गा जोगाराव, टी. लक्ष्मणशर्मा, वास सुब्रह्मण्यशास्त्री, टि. दुर्गाप्रसूनांबा, पुट्रेवु सत्यनारायण मूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वझल नरसिंहम, पमुमर्ति वेंकट सुब्बराव। मंडली की स्थापना - 1953. रोक्कं लक्ष्मीनरसिंहम दोरा (अध्यक्ष) सिम्मा जगन्नाथम। (मंत्री) विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

श्रीरामपुरम — पुत्तूर ताल्लुका, चित्तूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - ए. जि. यतिराजुलु।

श्रीरामपुरम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - कालनाथभट्ट सूर्यनारायण मूर्ति।

शृंगवरपुकोटा — विशाख जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - रायवरपु बापिराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दूर्वासुल यज्ञेश्वरराव। परीक्षा केन्द्र है।

शृंगवृक्षम — पश्चिम गोदावरी जिला।
केन्द्र के प्रचारक-पेच्चेट्टि नरसिंहमूर्ति, मासाचत्तुल सीतारामय्या, बुद्दराजु सुब्बराजु, कनुमूरि पद्मराजु, कूनपराजु सुब्बराजु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - यस. के. यस. रामानुजाचार्युलु। परीक्षा केन्द्र है।

शेकूरु — गुंटूर ताल्लुका व जिला। प्रचार का आरंभ-1943.
केन्द्र के प्रचारक - शेकूरु वरप्रसादराव।

संक्रांतिपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1951.
केन्द्र के प्रचारक - पोल्लूरि रामकृष्णय्या। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - मामिल्लपल्लि सीतारामय्या। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

संगमजागर्लमूडि — तेनालि ताल्लुका, गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - नागमोतु पानय्य चौधरी, अड्डंपूडि वेंकटनारायण, पोल्लूरि कृष्णा राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कोत्त राज बावय्य, काकानि रंगम्मा। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

संजामल — कर्नूल जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक-वेलगपूडि बसवय्या।

संतनूतलपाडु — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1949.
केन्द्र के प्रचारक - पिन्नमनेनि रंगनायकलु, रावि सत्यनारायण, पोलु शेषगिरिराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - के. जोसफ, एस. कोटय्या। विशेष- परीक्षा केन्द्र रहा।

सखिनेटिपल्लि — (वया) नरसापुरम, पश्चिम गोदावरी जिला।
केंद्र के प्रचारक - पेन्मेत्स वेंकट्राजु, वेगेशन काशिराजु, प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पालपर्ति चार्लेस। विशेष - परीक्षा केंद्र रहा।

सत्तेनपल्लि — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - कामराजु वेंकटरामय्या, वासिरेड्डि सुब्बाराव, शेख याकूब, बूदराजु वेंकटसुब्बाराव, साधु सत्यनारायण। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - वाविलाल गोपालकृष्णय्या, चिवुकुल वेंकटेश्वर्लु। मंडली की स्थापना - 1956. साधु सत्यनारायण (मंत्री)। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

सत्यवाडा — प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - नवुड्डूरि वेंकटसीतारामसूर्ति।

सत्यवीडु — चंगलपट जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - चल्ला लक्ष्मीनारायण शास्त्री।

सम्मिश्रगूडेम — ताडेपल्लिगूडेम तालुका, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ-1944
केन्द्र के प्रचारक - आर. वी. गोविंदयाचार्युलु।

सामलकोटा — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1925.
केन्द्र के प्रचारक - चंद्रभट्ट वीरभद्रराव, मागापु सत्यानंदराव।

सालंपाडु — निजामाबाद जिला। प्रचार का आरंभ - 1942.
केन्द्र के प्रचारक - रामकूर वसंतराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - दुर्गिपूडि वेंकटप्पारेड्डी।

साल्लूर — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1946.
केन्द्र के प्रचारक - कोडि सोमय्या, पेन्मेत्स सत्यनारायणराजु, मेड्डूरि सन्यासिराव, बी. चिट्टिपंतुलु, राजा नरसिंगराव, टी. वी. सुब्बारव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी पप्पु अप्पल नरसिंहम, ओलेटि नरसिंगराव, मंडली की स्थापना - 1955. माजेटि लक्ष्मोजी राव (अध्यक्ष), वंगपंडु लक्ष्मीनायुडु (मंत्री) विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

सारवकोटा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केंद्र के प्रचारक - मंडविल्लि आंजनेयुलु। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बि. राममूर्ति मित्रो। परीक्षा केन्द्र है।

सिंगरायकोंडा — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1954.
केन्द्र के प्रचारक - टी. श्रीनिवासराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. मुनिस्वामि नायुडु। परीक्षा केन्द्र है।

— गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1937.
केन्द्र के प्रचारक - दिगवल्लि शेषगिरिराव।

सिंगुपालेम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1935.
केन्द्र के प्रचारक - कोत्तपल्लि वेंकटकृष्णवर्मा।

सिंगुपुरम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1955.
केन्द्र के प्रचारक - कोडालि रामाराव।

सिंगुपेटा — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.
केन्द्र के प्रचारक - वकुलाभरणम राघवय्या।

सिंहाद्रिपुरम — कडप जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - चिट्टेपु नागिरेड्डि, कोम्मा शिवशंकर रेड्डि, आरिकपूडि राघवेंद्रराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बि. बय्यपु रेड्डी। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

सिंकंदराबाद — प्रचार का आरंभ - 1928.

केन्द्र के प्रचारक - एलेश्वरपु अरुणाचलम, लालमणि, पी. नारायण, पन्नालाल शर्मा, पि. पंचूलालशर्मा, मांगीलाल माथुर, श्रीकांत कोरगाँवकर। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - को. वैद्यनाथन, रमणलालजी कपाडिया, यम. यम. कोटेश्वरन, यन. के. के. यल. नरसिंहम, गोलि ईश्वरय्या, यन. सि. यस. वेंकटाचार्य, राधाकृष्ण जोशी, मुकुंददास जी गलनी, ए. रंगनाडु, बि. वि. गुरुमूर्ति, ए. विश्वनाथम, स्व. डा. वै.एन.तिम्मराजु, यन. सि. यस.वेंकटाचार्य(अध्यक्ष). मुकुंददास(उपाध्यक्ष), राधाकृष्ण जोशी(मंत्री)। विशेष - सिंकदराबाद नगर को हैदराबाद राज्य में दक्षिणभारत हिन्दी प्रचार सभा का सर्वप्रथम केन्द्र बनने का सौभाग्य प्राप्त है। मारवाडी हिन्दी विद्यालय द्वारा केन्द्र व्यवस्थापक को भवन आदि का सहयोग मिलता रहा है। प्रमाण-पत्र वितरणोत्सव मनाकर सर्व प्रथम, सर्व द्वितीय, और सर्व तृतीय उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुरस्कार दिये जाते हैं। हिन्दी प्रचार तथा साहित्य सेवा के साथ साथ प्रेमी मंडली की तरफ से सांस्कृतिक कार्य क्रम का भी आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों पर 1956 में आयोजित हिन्दी प्रहसन (नीलकंठ और कथक्कली आदि नृत्य) उल्लेखनीय हैं। परीक्षा केन्द्र रहा।

सिद्दिपेटा — मेदक जिला। प्रचार का आरंभ- 1946.

केन्द्र के प्रचारक - सरिपल्लि वेंकटेश्वररेड्डि। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - पी. वी. राजेश्वरराव, वि. नरसिंहाचार्युलु। विशेष-परीक्षा केन्द्र है।

सिद्धवटम — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1948.

केन्द्र के प्रचारक - दूदेकुल फकीरप्पा दासरि शौरिरेड्डि। परीक्षा केन्द्र है।

सिद्धांतम — पेनुगोंडा पोस्ट, पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1944.

केन्द्र के प्रचारक - मण्डविल्लि श्रीराममूर्ति, उप्पलपाटि बापन्ना।

सिरिपुरम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1952.

केन्द्र के प्रचारक - पोणुगुपाटि जोगाराव, दुर्गा जोगाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - उरिटि सूर्यनारायण। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

सीतानगरम — पूरब गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.

केन्द्र के प्रचारक - पीसपाटि सुब्बाराव, पार्वतीशमनायुडु, बोयपाटि सुभद्रादेवी, कोत्तपल्लि सरलादेवी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी-स्व. डा. सुब्रह्मण्यम, ब्र. लक्ष्मीनरसम्मा, चिंतलपाटि सत्यनारायणराजु। परीक्षा केन्द्र है।

सूरंपालेम — प्रचार का आरंभ - 1950.

केन्द्र के प्रचारक - केतिनीडि सत्तिराजु।

सूर्यापेटा — नल्लगोंडा जिला।

केन्द्र के प्रचारक - गुंडुपल्लि राजगोपालम। परीक्षा केन्द्र है।

सूर्यारावपालेम — पश्चिम गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केन्द्र के प्रचारक - चिर्रावूरि वीरय्या शास्त्री।

सूल्लूरपेट — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1929.
केन्द्र के प्रचारक - टि. वि. कृष्णशर्मा, कनकगिरि कृष्णमाचार्य, चंद्रभट्ट वीरभद्रराव, पुत्तेटि सुब्रह्मण्याचार्य।

सोंपेटा — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - कोंडे बसन्ना। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - डा. मेजर, टि. जोगाराव, यु. राममूर्ति। मंडली की स्थापना - 1955. वी. एन. शास्त्री (अध्यक्ष), खजाना वेंकटराव (मंत्री) परीक्षा केन्द्र है।

सोमवरप्पाडु — पश्चिम गोदावरी ज़िला। प्रचार का आरंभ - 1948.
केन्द्र के प्रचारक - मागंटि रामकृष्णाराव चौधरी।

सोमवरप्पाडु — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1947.
केन्द्र के प्रचारक - गुंडवरपु राममूर्ति। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - बुडमगुंट सुब्बरामय्या।

सैदापुरम — नेल्लूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1945.
केन्द्र के प्रचारक - माचवरम सुब्बाराव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - जी. राजगोपाल, डा. रामाराव। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

हसनबाद — पूर्व गोदावरी जिला। प्रचार का आरंभ - 1943.
केन्द्र के प्रचारक - डि. वि. सूर्यप्रकाश राव। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - अनुसूरि रामन्ना। परीक्षा केन्द्र है।

हिंदुपूर — अनंतपूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1922.
केन्द्र के प्रचारक - मादासु यर्रन्ना, गोरंट्ल राघवाचार्युलु, विश्वनाथम। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - कल्लूरु सुब्बाराव, के. सीतापतिराव, पि. हेच. कृष्णमूर्ति। विशेष - परीक्षा केन्द्र है।

हिमकुंट्ल — कडपा जिला। प्रचार का आरंभ - 1940.
केन्द्र के प्रचारक - दूदेकुल फकीरप्पा, तुम्मलूरु लक्ष्मीरेड्डि।

हिरमंडलम — श्रीकाकुलम जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केंद्र के प्रचारक - बि. अजय्या, अड्डुमिल्लि जगदीशचंद्रदास। प्रमुख हिन्दी प्रेमी- टि. शंकरराव। विशेष - परीक्षा केंद्र है।

हुसेन नगरम — गुंटूर जिला। प्रचार का आरंभ - 1950.
केंद्र के प्रचारक - अरवपल्लि वेंकट गुरुनाथम।

हिन्दी प्रचार सम्मेलन, हैदराबाद ।

ता. 7-7-56 को हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सम्मेलन श्री मोटूरि सत्यनारायण जी की अध्यक्षता में हुआ।

राष्ट्रपति डा. श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।

स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री डा. एम. चेन्नारेड्डी उनका स्वागत कर रहे हैं। इस चित्र में डा. बूर्गुल रामकृष्णाराव, डा. बि. गोपालरेड्डी, उन्नव राजगोपाल कृष्णय्या, वेमूरि आंजनेय शर्मा आदि हैं।

राष्ट्रपति डा. श्री राजेन्द्र प्रसाद ने सभा की सेवाओं की प्रशंसा की और कहा-

"1918 से आज तक यह काम बडे उत्साह के साथ चलता आ रहा है और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ने न केवल प्रचार का काम किया है, बल्कि बहुत से उपयोगी साहित्य का निर्माण भी किया है, जिसके द्वारा प्रचार में काफी मदद मिली है।"

हैदराबाद — प्रचार का आरंभ - 1934.
केन्द्र के प्रचारक - आरिकपूडि राघवेंद्र राव, वेमूरि आंजनेयशर्मा, भालचंद्र आपटे, तेजनारायणलाल, पि. नारायण, चि. वें. सुब्रह्मण्यम, पल्ले उमाकांतम, रा. शकुंतलम्मा, वी. वी. यस. तायारम्मा, पी. रामकुमारी, यस. वी. शिवराम शर्मा, रामचंद्रुनि श्रीरामचंद्र, रामचंद्रुनि अन्नपूर्णा, न.च. रंगाचार्युलु, नंडूरि कृष्णमाचार्य, नंडूरि सुभद्रादेवी, यलमंचिलि लक्ष्मीबाई, वे. हरिनारायण शर्मा, अनंताचार्य देवल, कंभमपाटि सत्यनारायणमूर्ति, वारणासि राममूर्ति, यलमंचि लक्ष्मय्या, अट्लूरि रामाराव, अड्डुमिल्लि कृष्णमूर्ति, पोतराजु सीतारामाराव, टि. हनुमंतरेड्डि, गुर्रम सुब्बाराव, चवाकुल नरसिंहमूर्ति, उन्नव मदनमोहनराव, सुमतींद्र जी, कृष्ण स्वामी, पदमचंद्र चौधरी, मगन चंद्र वेदी, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, डा. बि. विजयलक्ष्मी मधुसूदन चतुर्वेदी। प्रमुख हिन्दी प्रेमी - महामहिम हैदराबाद के नैजाम, श्री बूरुगुल रामकृष्णाराव, स्वामी रामानंदतीर्थ जी. यस. मेलकोटे, यम. चेन्नारेड्डि के. वी रंगारेड्डि, सत्यनारायण लोया, रामकिसनधूत, टोकरसी लालजी कापडिया, विरिधीचंद चौधरी, दाशरथि कृष्णमाचार्य, सि. नारायण रेड्डी, नंडूरि अनंतमूर्ति। मंडली की स्थापना - 1951. र. मु. जोसी(अध्यक्ष) उ. राघवाचार्य (मंत्री) डा. उपेन्द्रशर्मा, (उपाध्यक्ष) चि. वें. सुब्रह्मण्यम (सहायक मंत्री)। सदस्य-स्वामी रामानंद तीर्थ, राम किशनजी धूत, रामनिवास जी शर्मा, वै. सीताकुमारी, डा.बि. रामराजु, सि. नारायणरेड्डी, मधुसूदनचतुर्वेदी यस. वि. शिवराम शर्मा; हमीरुद्दीन साहब, गरिमेल्ल नारायण, सि. रामरेड्डी, पल्लि उमाकांतम, वि. वि. यस. तायारम्मा, यस. सोमेश्वर शास्त्री, यन. सि. रंगाचार्य।

विशेष - प्रेमी मंडली की तरफ से हर साल साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सन् 1951 में हिन्दी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं के एकांकी नाटकों का एक ही रंगमंच पर प्रदर्शन हुआ जिसका हैदराबाद की जनता पर अच्छा प्रभाव पडा। उसके बाद हर वर्ष लोकगीत, लोक नृत्य आदि उर्दू प्रचार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस के अलावा कम से कम तीन महीनों में एक साहित्य गोष्टी का प्रबंध किया जाता है जिसमें विभिन्न भाषाओं की भिन्न बातों के बारे में प्रमुख विद्वानों के लेख पढाये जाते हैं। इस के अनुसार हैदराबाद की सारी भाषाओं के पारिभाषिक पूर्व मध्य तथा मुसलमानों की किताबें प्रकाशित की जाती हैं।

कविसम्मेलन - स्टेट की पांचों भाषाओं के कवि सम्मेलन हर साल बुलाये जाते हैं जिस के द्वार, विभिन्न भाषाओं के साहित्य तथा कामों का आपसी संबंध दृढ बन रहा है।

हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ।

हैदराबाद स्टेट में हिंदी प्रचार को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढाने आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ ने 1951 में हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ की स्थापना की। इस शाखा कार्यालय के लिए श्री वेमूरि आंजनेय शर्मा नियुक्त किये गये। पर एक साल के अनुभव के बाद यह महसूस किया गया है कि सीधे केंन्द्र सभा की ओर से ही यहाँ कार्य किया जाय तो अधिक सफलता मिलेगी। इसलिए बाद से द. भा. हिन्दी प्रचार सभा मद्रास के द्वारा यहाँ का कार्य चलाया जाने लगा। 1956 नवंबर में आन्ध्र प्रदेश की स्थापना हुई, जिसमें पुराने आन्ध्र के 11 जिलो के साथ-साथ हैदराबाद राज्य के तेलंगाना प्रान्त के 9 जिले भी शामिल किये गये हैं। इस विशाल आन्ध्र प्रदेश की राजधानी अब हैदराबाद बन गयी है। इस नये राज्य की स्थापना के बाद 1957 में, पुराने आन्ध्र प्रान्त के 11 जिलों में कार्य करनेवाली संस्था आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, व तेलंगाना के 9 जिलों में कार्य करनेवाली संस्था हैदराबाद हिन्दी प्रचार संघ, दोनों का विलीनीकरण हुआ। अब सारे आन्ध्र प्रदेश में "दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा-आन्ध्र" प्रचार कार्य कर रही है, जिसका प्रधान कार्यालय हैदराबाद में है।

हैदराबाद व आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघों की संयुक्त कार्यकारिणी समिति की बैठक 8 7 56

हैदराबाद — श्री मोटूरि सत्यनारायण जी का सम्मान। जुलाई-1957.
राष्ट्रपति श्री डा. राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में श्री मोटूरि सत्यनारायण जी की सम्मान सभा बड़े पैमाने पर संपन्न की गई।
सम्मान सभा में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी पधार रहे हैं।
सर्वश्री उन्नव राजगोपालकृष्णय्या, शीलं ब्रह्मय्या डा. एम. चेन्नारेड्डी, जे. वी. नरसिंगराव आदि आपका स्वागत कर रहे हैं।

श्री मोट्टूरि सत्यनारायण जी का सम्मान हैदराबाद। जुलाई-1957.

श्री राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में श्री मोट्टूरि सत्यनारायण जी की सम्मान सभा हुई। श्री वेमूरि आंजनेयशर्मा जी सम्मान पत्र पढ रहे हैं

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ, विजयवाडा
दर्शक बही से

हम लोगों ने हिन्दी प्रचारक विद्यालय, विजयवाडा की कार्य प्रणाली को देखा और हमें बडा प्रसन्नता हुई कि हिन्दी शिक्षकों की पढाई के लिए इतने सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंध किया गया है। विद्यालय के साथ छात्रावास भी है। इससे विद्यार्थियों की भाषा की योग्यता बढेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम विद्यालय की अनुदिन उन्नति की अपेक्षा करते हैं।

(ह) रामनारायण मिश्र, चंद्रबलिपांडे राघवदास

1-11-50.

आज हिन्दी प्रचारक विद्यालय के विद्यार्थियों और प्राध्यापक - गण तथा व्यवस्थापकों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा विश्वास है, हमारी राष्ट्र भाषा जो वास्तव में राष्ट्रभाषा कहला सकती है दक्षिण भारत में ही परिपुष्ट होगी। यहाँ के विद्यार्थियों ने जो प्रश्न किये उनसे पता चलता है कि उनका अध्ययन काफी अच्छा है अध्यापकों और विद्यार्थियों में काफी प्रेम है। ईश्वर से प्रार्थना है कि यहाँ के इन हिन्दी प्रेमी साधकों की यह साधना सफल हो।

(ह) चंद्रिका साद पांडेय

31-5-52.

गांधीजी की जितनी विधायक प्रवृत्तियाँ थीं उन में से "राष्ट्रभाषा प्रचार" एक प्रमुख प्रवृत्ति थी यह विद्यालय उस प्रवृत्ति को बडे उत्साह से कार्यान्वित कर रहा है। इसलिए विद्यालय के आचार्य, शिक्षक, तथा विद्यार्थी एक रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, वे अभिनंदन के पात्र हैं।

(ह) दे. जै. हातेकर, हीरालाल उठाणे

31-5-52.

हिन्दी भाषा का प्रचार राष्ट्र निर्माण का एक अंग मान के ही करेंगे तो इस के लिए जो लगन की आवश्यकता है, वह लगन कार्यकर्ताओं में पैदा होगी और लोग इस काम में रस लेंगे।

(ह) शंकर राव देव

8 7-52.

आज हिन्दी प्रचारक विद्यालय, आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ का आन्ध्र हिन्दी प्रचार प्रेस और उसके प्रकाशन देखकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई। सभी कार्यकर्ता उत्साह के साथ काम करते हैं। मेरा विश्वास है कि कुछ ही दिनों में हिन्दी तथा मातृभाषाओं का उज्वल भविष्य होगा। आशा है, उस सुदिन के लिए सब प्रचारक विश्वास के साथ काम करेंगे।

मल्लवरपु वेंकटकृष्णाराव

(मदरास सरकारके विद्या मंत्री)

26-12-52.

राष्ट्र भाषा हिन्दी हिन्दुस्तानी की सेवा इस समय देश की सब से आवश्यक और सब से बडी सेवा है। उत्तर-दक्खिन और पूरब-पश्चिम को एक सूत्र में बांधने की इस से बढकर चीज नहीं हो सकती। गान्धीजी के जीवन कार्यों में यह शायद सबसे बडा कार्य था। इस निगाह में इस हिन्दी प्रचारक विद्यालय के पढानेवालों, पढनेवालों और प्रबंध करनेवालों, सब को दिल से बधाई देता हूँ और विद्यालय की हर तरह की उन्नति चाहता हूँ।

(ह) सुंदरलाल

3-2-53

आज विजयवाडा के हिंदी प्रचारक विद्यालय को देखने का सुअवसर मिला है, जिसके लिये मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह खुशी की बात है कि पूज्य बापूजी के रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्यांश हिन्दी भाषा प्रचार आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ बडी लगन के साथ कर रहा है। विशिष्टता यह है कि इस विद्यालय के विद्यार्थी आन्ध्र देश के सभी जिलाओं से आकर भरती हुये हैं और अध्यापक, कार्यकर्ता तथा विद्यार्थियों के आपस में स्नेह के साथ बरतते देखकर मुझे अतीव आनंद हुआ।

(ह) नीलं संजीव रेड्डी
(आंध्र सरकार के उप मुख्य मन्त्री)
21-5 53

मुझे यह हिन्दी प्रचार संस्था देखकर बहुत हर्ष हुआ। यहाँ कार्यकर्ताओं में लगन है और अपने कार्य में विश्वास है। मैं आशा करता हूँ कि आंध्र सरकार इनके काम में पूरी मदद करेगी।

(ह) बा. वि. केस्कर
(भारत सरकार के प्रचार व प्रसार मन्त्री)
8-7 53

आन्ध्र राष्ट्र हिन्दी प्रचार संघ बहुत विकसित हो रहा है। यह देखकर मुझे अतीव हर्ष हुआ। संघ की तरफ से शिक्षण वर्ग तथा परीक्षायें चलायी जाती हैं। यह संस्था किताबें प्रकाशित करती है और हिन्दी को सर्वमान्य बनाने के लिए ताकत भर कोशिश करती आती है। मेरी शुभ कामना है कि केंद्र तथा प्रांतीय सरकार हिन्दी प्रचार के लिए बहुत सा धन दे। आशा है, यह संघ अचिरकाल में खूब फूलेगा और फलेगा।

विजयवाडा 27-12-53 } **(ह) यम. अनंतशयनम अय्यंगार**
लोकसभा के स्पीकर

इस बडी संस्था को देख कर मुझे खुशी हुई है। सरकार को इस के लिए कुछ सहायता करनी थी। आशा है जरूर करेंगी।

(ह) तेन्नेटि विश्वनाथम
(आन्ध्र सरकार के अर्थमन्त्री)
31-10-52

हिन्दी प्रचारक विद्यालय में आने का ग्य पाकर और यहाँ शिक्षापनेवाले छात्रों से र मन बडा प्रसन्न हुआ। दक्षिण में हिन्दी के काम को देखकर ऐसा लगा कि दक्षिण में हीं उत्तर में भी ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्योंकि अपनी सफलता और निष्ठा में यहाँ के रक उत्तर प्रांतीयों से कहीं बढकर हैं।

(ह) उपेन्द्रनाथ अश्क
19-1-53

आज मुझे हिन्दी प्रचारक विद्यालय देखने सौभाग्य मिला है, विद्यार्थी तथा शिक्षक बडे ाही हैं और बडी लगन के साथ अध्ययन व यापन कर रहे हैं।

एन. जी. रंगा
20-1-53.

आन्ध्र राष्ट्र भाषा प्रचार संघ का जो वाडा में केन्द्र है उसे हमने देखा। वहाँ के कर्ताओं से बातचीत कर और कार्यालय की त्तियों को समझकर हमें बहुत आनंद हुआ। शा है कि राष्ट्र भाषा प्रचार का काम उत्तरोत्तर ता रहेगा।

आशादेवी, आर्यनायकम